इकाई 1 प्रस्तावना तथा मूल अवधारणाएं

इकाई की रूपरेखा

1.1 प्रस्तावना
1.2 आयकर के उद्देश्य
1.3 आयकर के सिद्धान्त
1.4 आयकर की प्रमुख विशेषताएं
1.5 भारत में आयकर का संक्षिप्त इतिहास
1.6 प्रमुख अवधारणाएं– गतवर्ष, कर निर्धारण वर्ष, व्यक्ति, करदाता
1.7 आय का वर्गीकरण– सकल कुल आय, कुल आय, कृषि आय, आकस्मिक आय
1.8 सारांश
1.9 शब्दावली
1.10 बोध प्रश्न
1.11 बोध प्रश्नों के उत्तर
1.12 स्वपरख प्रश्न
1.13 सन्दर्भ पुस्तकें

उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप इस योग्य हो सकेंगे कि :

- आयकर का आशय व प्रमुख विशेषताएं बता सकें।
- आयकर के उद्देश्य व सिद्धान्त की व्याख्या कर सकें।
- आयकर की विभिन्न मदों का वर्णन कर सकें।
- भारत में आयकर का इतिहास जान सकें।
- आयकर की गणना के लिए आय का वर्गीकरण कर सकें।
- आयकर निर्धारण की प्रक्रिया जान सकें।

1.1 प्रस्तावना

आयकर के सम्बन्ध में अध्ययन करने से पहले कर के सम्बन्ध में जानना आवश्यक है। किसी भी प्रकार की गतिविधि, आय अथवा उत्पादन पर सरकार द्वारा वसूल की जाने वाली राशि को कर कहते हैं। कर सरकार द्वारा दी जाने वाली किसी सुविधा से प्रत्यक्षतः सम्बन्धित नहीं होता है, यद्यपि इसका प्रयोग जनोपयोगी कार्यों में किया जाता है।

कर दो प्रकार के होते हैं–

1. **प्रत्यक्ष कर–** इन करों को प्रत्यक्ष रूप से किसी आय अथवा सम्पत्ति के आधार पर वसूल किया जाता है। जैसे– आयकर, सम्पत्ति कर, निगम कर, उपहार कर आदि।
2. **अप्रत्यक्ष कर–** इन करों को वस्तुओं अथवा सेवाओं में मूल्य के आधार पर वसूला जाता है, जैसे– वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क आदि।

प्रत्यक्ष कर जिस व्यक्ति के द्वारा चुकाया जाता है वही उसका भार भी वहन करता है किन्तु अप्रत्यक्ष कर को जिस व्यक्ति के द्वारा चुकाया जाता है वह कर का भार अन्य व्यक्ति के ऊपर डाल सकता है। उदाहरण के लिए– वस्तु एवं सेवा कर का भुगतान किसी बिक्री पर विक्रेता या सेवा प्रदाता के द्वारा सरकार को किया जाता है किन्तु इसकी राशि बिल में जोड़ दी जाती है तथा क्रेता या उपभोक्ता द्वारा इसका वास्तविक भुगतान किया जाता है अर्थात् कर का भार विक्रेता द्वारा क्रेता को अन्तरित कर दिया जाता है। इस प्रकार उपभोक्ता या क्रेता अप्रत्यक्ष रूप से कर का भुगतान करता है।

1.2 आयकर के उद्देश्य

आयकर लगाये जाने के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं–

1. **सरकार की आय का श्रोत**– किसी भी देश में उसके व्ययों की पूर्ति, लोक कल्याण के कार्यों तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए वृहद मात्रा में धन की आवश्यकता होती है। कर सरकार की आय का सबसे बड़ा श्रोत होता है। सरकार की करों से आय में आयकर का एक बड़ा भाग होता है।
2. **राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति**– देश की सरकार अपने विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करने के लिए आयकर का सहारा लेती है। यथा– प्रारम्भिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा विशेष उपकर लगाया गया है। पूर्व में करगिल युद्ध के समय भी इसी प्रकार धन उपलब्ध कराया गया था।
3. **आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना**– सरकार आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक उपायों को अपनाती है। आयकर की इन उपायों में विशेष भूमिका है। जिस क्षेत्र विशेष को प्रोत्साहित करना होता है, वहॉ कर में रियायतों की घोषणा कर दी जाती है। जैसे– विशेष आर्थिक क्षेत्र, मुक्त व्यापार क्षेत्र, निर्यात सम्बन्धी उद्योग आदि।
4. **बचत व निवेश को नियन्त्रित करना**– बचत एवं निवेश दो ऐसे यन्त्र हैं जिनके द्वारा देश की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को नियन्त्रित किया जा सकता है। सरकार अपनी आयकर नीति के द्वारा इन यन्त्रों को इसप्रकार संचालित करती है कि उसे व्यक्तिगत बचतों को प्रोत्साहित करने तथा उसे सुनियोजित स्थान पर निवेशित कराने में सफलता प्राप्त हो जाती है। मुद्रा स्फीति की दशा में बचतों को प्रोत्साहन दिया जाता है जबकि संकुचन की दशा में अधिकाधिक उपभोग को बढ़ावा दिया जाता है।
5. **घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन** – सरकार जिन उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहती है उन पर आयकर के अन्तर्गत विशेष रियायतें उपलब्ध कराती है। कुछ क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को भी आकर्षित करने हेतु आयकर का प्रयोग किया जाता है। ढॉचागत उद्योग को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार ने गृह ऋण को सुगम बनाया तथा आयकर के अन्तर्गत ऋण पर ब्याज की अदायगी तथा रकम वापसी के सम्बन्ध में धारा 80 के अन्तर्गत कटौती प्रदान की।

6. **सामाजिक विषमताओं को कम करना–** भारत में आयकर की दर प्रगतिगामी रखी गई है। इस व्यवस्था में धनवानों को अधिक कर चुकाना होता है तथा कम धनवानों को अपेक्षाकृत कम कर। निर्धन वर्ग को आयकर से मुक्त रखा गया है। अर्जित आयकर का प्रयोग निर्धनतम वर्ग के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। आयकर का क्रम अमीर से गरीब की ओर तथा सुविधाओं का क्रम गरीब से अमीर की ओर रखा जाता है। इससे धनवानों के धन को निर्धन वर्ग से जोड़कर सामाजिक विषमताओं को कम किया जाता है।
7. **पूँजी निर्माण–** आयकर के द्वारा जनता को बचत की अनेक योजनाओं में धन निवेशित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। बचत की यह सूक्ष्म राशि सामूहिक स्तर पर डाकघर, सरकारी बैंकों, जीवन बीमा निगम तथा अन्य संस्थाओं के पास एकत्रित हो जाता है जो वृहद निवेश हेतु पूँजी निर्माण करती है। संस्थाओं द्वारा इसका प्रयोग औद्योगिक व व्यापारिक संस्थाओं को प्रारम्भ करने अथवा उन्हें मजबूत करने के लिए किया जाता है।
8. **मूल्य स्थिरता–** सरकार अर्थव्यवस्था में मूल्यों की स्थिरता लाने के उद्देश्य से भी आयकर को प्रयोग करती है। व्यक्तिगत स्तर पर उपभोग, बचत व निवेश को प्रभावित करने में आयकर की विशिष्ट भूमिका होती है। व्यक्तिगत स्तर का यह प्रभाव वृहद स्तर पर सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है।

1.3 आयकर के सि़द्धान्त

प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ के अनुसार कराधान के चार सिद्धान्त होते हैं। उक्त सिद्धान्त आयकर पर भी समान रूप से लागू होते हैं।

1. **समानता का सिद्धान्त–** समानता से आशय कर की समान धनराशि से न होकर समान भार से माना गया है। इसीलिए कर निर्धारण में धनिकों से अधिक तथा कम धनवानों से कम आयकर लिया जाता है। व्यक्तियों की करदान क्षमता के आधार पर ही कर का निर्धारण किया जाता है। इसप्रकार समानता का सिद्धान्त कर के माध्यम से समाज में समानता लाने का पक्षधर है।
2. **सुनिश्चितता का सिद्धान्त–** इस सिद्धान्त के अनुसार करदाता को उसकी करदेयता के सम्बन्ध में स्पष्ट जानकारी का होना आवश्यक है। कर निर्धारण का तरीका सरल, स्पष्ट तथा सुनिश्चित होना चाहिए। करदाता को वर्ष के प्रारम्भ में ही अपनी आय के आधार पर कर गणना का आधार, दर, भुगतान की तिथि आदि की जानकारी होनी चाहिए।
3. **सुविधा का सिद्धान्त–** सुविधा का सिद्धान्त एक प्रकार से सुनिश्चितता के सिद्धान्त का ही विस्तार है। इसमें यह अपेक्षा की जाती है करदाता को कर का भुगतान करने में जितनी आसानी होगी उतना ही कम कष्ट उसे करभार का होगा। श्रोत पर कर की कटौती इस दृष्टि से कर भुगतान को आसान बनाती है। कर के नकद भुगतान की अपेक्षा वेतन से कटौती करदाता को सुविधाजनक प्रतीत होती है।

4. **मितव्ययिता का सिद्धान्त**–कर के एकत्रीकरण में अनावश्यक धन का अपव्यय नहीं होना चाहिए। एकत्रीकरण में जितनी कम राशि व्यय होगी, वह एक प्रकार से कर की राशि में ही वृद्धि करेगी। दूसरे शब्दों में वसूली का व्यय जितना अधिक होगा कर का शुद्ध एकत्रीकरण उतना ही कम होगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त कर के सम्बन्ध में सरलता का सिद्धान्त, उत्पादकता का सिद्धान्त, लोचशीलता का सिद्धान्त, विविधता का सिद्धान्त आदि भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं।

1.4 आयकर की प्रमुख विशेषताएं

आयकर की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं–

1. **प्रत्यक्ष कर**– आयकर एक प्रत्यक्ष कर है। यह करदाता की आय पर परिगणित किया जाता है तथा उसी के द्वारा चुकाया जाता है। आयकर के बोझ को करदाता द्वारा किसी अन्य पर नहीं डाला जा सकता है।
2. **केन्द्रीय कर**– करदाता द्वारा आयकर का भुगतान केन्द्र सरकार को करना होता है। इसकी गणना के नियम व परिनियम केन्द्र सरकार द्वारा बनाये जाते हैं तथा केन्द्र सरकार के आयकर विभाग के अधिकारी ही कर निर्धारण व वसूली आदि की कार्यवाही करते हैं।
3. **शुद्ध करयोग्य आय के आधार पर गणना**– आयकर की गणना शुद्ध करयोग्य आय पर की जाती है। इसके लिए विभिन्न श्रोतों से प्राप्त होने वाली आयों की पृथक गणना की जाती है तथा प्रत्येक के लिए निर्धारित नियमों के आधार पर आय ज्ञात कर कुल आय तथा तत्पश्चात निर्धारित छूट प्रदान करते हुए शुद्ध करयोग्य आय की गणना की जाती है। इसे कुल आय भी कहा जाता है। सकल आय में से धारा 80सी से लेकर 80यू तक की कटौतियों को घटाने के बाद इसे ज्ञात किया जाता है।
4. **गतवर्ष की आय के आधार पर गणना**– किसी कर निर्धारण वर्ष के लिए आय की गणना गतवर्ष की आय के आधार पर की जाती है। गतवर्ष से आशय 12 माह की उस अवधि से होता है जो कर निर्धारण वर्ष से ठीक पूर्व होती है। यह वो अवधि होती है जिसमें आय को अर्जित अथवा प्राप्त किया गया होता है। इसकी अवधि 1 अप्रेल से 31 मार्च होती है।
5. **आय के विभिन्न श्रोतों पर कर की गणना**– आयकर की गणना के लिए आय के पॉच श्रोत निर्धारित किये गये हैं। ये हैं–1. वेतन से आय, 2. मकान सम्पत्ति से आय, 3. व्यवसाय अथवा पेशे से आय, 4. पूॅजी लाभ तथा 5. अन्य श्रोतों से आय। वेतन से आय के अन्तर्गत सभी प्रकार के वेतनभोगियों को उनके नियोक्ता से प्राप्त वेतन, भत्ते, अनुलाभ व सुविधाओं के मूल्यों को सम्मिलित किया जाता है। इसके अतिरिक्त उनके अवकाश प्राप्ति, मृत्यु, छॅटनी आदि अवस्था में पेंशन, अनुग्रह राशि व अन्य भुगतानों को भी सम्मिलित किया जाता है। मकान सम्पत्ति से आय के अन्तर्गत मकान के किराये से प्राप्त राशि को सम्मिलित किया जाता है चाहे यह किराया आवासीय भवन से हो अथवा व्यावसायिक भवन से। व्यवसाय व पेशे से आय

की श्रेणी में सभी प्रकार की व्यापारिक व निर्माणी इकाइयों तथा पेशों (अधिवक्ता, सनदी लेखाकार, चिकित्सक आदि) की आय को सम्मिलित किया जाता है। पूॅजी आय के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की सम्पत्ति के मूल्य में होने वाली अल्पकालीन अथवा दीर्घकालीन वृद्धि से होने वाले लाभों को सम्मिलित किया जाता है। उपरोक्त चार श्रोतों के अतिरिक्त किसी भी अन्य मद से होने वाली आय को अन्य श्रोतों से आय की श्रेणी में रखा जाता है। इस श्रेणी में लाभांश, प्रतिभूतियों व बैंक खातों पर होने वाली ब्याज की आय, सम्पत्तियों को किराये पर देने की आय, उप किराया आय के अतिरिक्त लाटरी आदि से होने वाली आकस्मिक आय आदि को भी सम्मिलित किया जाता है। सांसदों व विधायकों के वेतन तथा अधोषित आय को भी अन्य श्रोतों की आय माना जाता है।

उपरोक्त समस्त आयों तथा उन पर आयकर की गणना का विस्तृत विवरण आगामी अध्यायों में प्रस्तुत किया गया है।

6. **व्यक्ति, फर्म, कम्पनी आदि के लिए आयकर की पृथक गणना**– आयकर की गणना के लिए व्यक्ति शब्द के अन्तर्गत किसी व्यक्ति, हिन्दू अविभाजित परिवार, कम्पनी, फर्म, व्यक्तियों के समूह, स्थानीय सत्ता तथा विधि द्वारा सृजित कृत्रिम व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। आयकर की गणना के लिए व्यक्तियों, व्यावसायिक संस्थाओं व पेशेवरों तथा कम्पनी के लिए पृथक प्रावधान किये गये हैं तथा उन्हीं के आधार पर उन्हें कतिपय छूट भी प्रदान की गई हैं। अतः आयकर की गणना उनकी प्रास्थिति के आधार पर ही की जाती है।

7. **कर की दरों में आय, आयु, लिंग के आधार पर भिन्नता**– भारतीय आयकर नियमों में आयकर का निर्धारण करने के लिए भिन्न वर्गों के लिए भिन्न दर निर्धारित की गई हैं। आयकर को इसप्रकार खण्डों में बॉटा गया है कि व्यक्तिगत करदाताओं तथा व्यावसायिक करदाताओं के लिए कर की दरों में भिन्नता रखी गई है। व्यक्तिगत आयकर दाताओं में अधिक आय वाले निर्धारिती को कर का भार अधिक सहना होता है। इसे प्रगतिशील कर की दर के रूप में जाना जाता है। वयोवृद्ध निर्धारिती के लिए कर की दर में रियायत दी गई है। महिला करदाताओं को भी पूर्व में कर की दरों में कमी की गई थी जो वर्तमान में समाप्त कर दी गई है।

आयकर निर्धारण वर्ष 2018–19 के लिए कर की दरें निम्नवत हैं–

1. 60 वर्ष से कम आयु के पुरूष एवं महिला वर्ग के व्यक्तिगत करदाताओं, अविभाजित हिन्दू परिवार, व्यक्तियों के समूह, अनिवासियों तथा न्यायिक कृत्रिम व्यक्तियों के लिए–

करयोग्य आय	कर की दर
2,50,000 तक	शून्य
2,50,000 से 5,00,000 तक	5 प्रतिशत
5,00,000 से 10,00,000 तक	20 प्रतिशत

10,00,000 से अधिक	30 प्रतिशत

2. 60 वर्ष से अधिक किन्तु 80 वर्ष से कम आयु के पुरूष एवं महिला करदाताओं के लिए–

करयोग्य आय	कर की दर
3,00,000 तक	शून्य
3,00,000 से 5,00,000 तक	5 प्रतिशत
5,00,000 से 10,00,000 तक	20 प्रतिशत
10,00,000 से अधिक	30 प्रतिशत

3. 80 वर्ष या अधिक आयु के पुरूष एवं महिला करदाताओं के लिए–

करयोग्य आय	कर की दर
5,00,000 तक	शून्य
5,00,000 से 10,00,000 तक	20 प्रतिशत
10,00,000 से अधिक	30 प्रतिशत

संयुक्त हिन्दू परिवार, व्यक्तियों के समूह आदि के लिए कर की दरें सामान्य व्यक्तियों के समान होती हैं चाहें उनके सदस्यों की आयु या लिंग कुछ भी हो।
व्यावसायिक फर्मों में भी कर की दरों में भिन्नता है। साझेदारी फर्मों के लिए आयकर की दर 30 प्रतिशत है। भारतीय कम्पनी के लिए भी कर की सामान्य दर 30 प्रतिशत है किन्तु जिन कम्पनियों की वार्षिक बिक्री/सकल प्राप्तियॉ रू0 50 करोड़ से अधिक नहीं है उनके लिए यह दर 25 प्रतिशत होती है। विदेशी कम्पनियों के लिए आयकर की दर 40 प्रतिशत है।

इस प्रकार, विभिन्न प्रकार के करदाताओं के लिए कर की दर अलग–अलग होती है तथा इसे प्रत्येक वर्ष पुनरीक्षित किया जाता है। इसकी दरों के साथ ही करदाताओं के वर्गीकरण में भी समय–समय पर परिवर्तन होता रहता है।

8. **कर पर अधिभार तथा उपकर का प्रावधान**– सरकार आयकर पर निर्धारित दर के अतिरिक्त अधिभार (सरचार्ज) भी निश्चित कर सकती है। विशिष्ट करदाताओं से अतिरिक्त दरों पर आयकर प्राप्त किया जा सकता है। वर्तमान में रू0 50 लाख से अधिक आय वाले करदाताओं के लिए 10 प्रतिशत तथा 1 करोड़ से अधिक आय वालों के लिए 15 प्रतिशत अधिभार लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त उपकर (सैस) की व्यवस्था भी निर्धारित है। उपकर कर की राशि पर किसी निश्चित दर पर किसी निश्चित उद्देश्य के लिए लगाए जाते हैं। इन्हें लगाने का उद्देश्य किसी कार्य विशेष के लिए धनराशि एकत्रित करना होता है। वर्तमान में शिक्षा के लिए 2 प्रतिशत तथा माध्यमिक व उच्च शिक्षा के लिए 1 प्रतिशत उपकर की व्यवस्था लागू है।
9. **आवश्यक छूटों का प्रावधान**– आयकर अधिनियम में कुछ विशिष्ट छूटों का भी प्रावधान किया गया है। धारा 80 की अनेक उपधाराओं में विभिन्न प्रकार की

छूटों का प्रावधान किया गया है जो कि किसी करदाता को राहत प्रदान करती हैं। जीवन बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि अंशदान, पारस्परिक निधि में निवेश आदि (80सी), स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम (80डी), उच्च शिक्षा ऋण पर ब्याज (80ई), विशिष्ट संस्थाओं को दान (80जी) आदि अनेकों ऐसे कारण हैं जिनके लिए आयकर में छूट प्राप्त होती है। इनका विस्तृत विवरण सम्बन्धित अध्याय में दिया गया है। इसके अतिरिक्त आयकर में मानक कटौती जैसे प्रावधानों को भी समय–समय पर जोड़ा जाता रहा है।

10. **करमुक्त आयों का प्रावधान–** भारतीय आयकर कानूनों में कुछ आयों को करमुक्त श्रेणी में रखा गया है। कृषि आय (10.1), अविभाजित हिन्दू परिवार से प्राप्त आय (10.2), फर्म की आय में साझेदार का भाग (10.2ए), मुक्त व्यापार क्षेत्र व विशिष्ट व्यापार क्षेत्र में स्थापित उद्यमों की आय (10ए तथा 10एए), विशिष्ट प्रतिभूतियों पर प्राप्त ब्याज (10.15), घरेलू कम्पनी से प्राप्त लाभांश (10.34) आदि अनेकों ऐसी आयें हैं जिन्हें करमुक्त आय की श्रेणी में रखा गया है।

1.5 भारत में आयकर का संक्षिप्त इतिहास

भारत में कर का इतिहास अत्यन्त प्राचीन है। महाकवि कालीदास ने मेघदूत में राजा दलीप के संदर्भ में लिखा है कि जिस प्रकार से सूर्य जमीन से नमी सोखकर इसे कई हजार गुना करके वापस कर देता है उसी प्रकार से राजा अपनी प्रजा से करों की वसूली करके इसे प्रजा के ही कार्यों में लगा देता है। कौटिल्य के इतिहास में भी सार्वजनिक वित्त तथा कराधान प्रणाली को पर्याप्त महत्व प्रदान किया गया है। अकबर काल में टोडरमल के राजस्व व भू सुधार सम्बन्धी अभिलेखों में कराधान को स्थान दिया गया है।

वर्तमान आयकर प्रणाली का अध्ययन करने के लिए इसे दो कालखण्डों में बॉटा जा सकता है–

अ) **स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व का काल–** भारत में प्रथम बार आयकर सन् 1860 में सर जेम्स विल्सन के द्वारा ब्रिटिश काल में लगाया गया। इसमें 1863, 1867, 1873 तथा 1880 में विभिन्न संशोधन किये गये। इसके बाद एक नया आयकर अधिनियम 1886 में लाया गया। इस अधिनियम में भी अनेक बाद संशोधन किये जाते रहे। विभिन्न राजनीतिक व वित्तीय संकटों को दृष्टिगत रखते हुए तथा राष्ट्रीय महत्व के अनेक विषयों को समाहित करते हुए सन् 1918 में आयकर अधिनियम 1918 लागू किया गया। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद चरमराई स्थिति को संभालने के लिए इसमें परिवर्तन अपरिहार्य थे। सन् 1918 के आयकर अधिनियम को भी शीघ्र ही नया स्वरूप देते हुए आयकर अधिनियम 1922 लागू किया गया जो कि कतिपय संशोधनों के साथ स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय तक भारत में लागू रहा।

ब) **स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद का काल–** 15 अगस्त 1947 को देश की स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भी समय–समय पर गठित अनेकों समितियों के द्वारा दिये गये सुधारों के आधार पर आयकर सुधारों का सिलसिला जारी रहा। स्वतन्त्र भारत में प्रथम बार

आयकर अधिनियम 1961 पारित किया गया जोकि 1 अप्रेल 1962 से लागू किया गया। यह अधिनियम सम्पूर्ण भारत में लागू है।

आयकर अधिनियम 1961 के बाद भी आयकर नियमों, वित्त अधिनियम, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड व केन्द्र सरकार के निर्देशों के माध्यम से समय–समय पर अनेक सुधारों का क्रम जारी रहा। विभिन्न न्यायालयों के फैसलों ने भी इसमें सुधारों का मार्ग प्रशस्त किया। सन् 1987 में विभिन्न वार्षिक प्रणालियों के स्थान पर एक वित्तीय वर्ष अप्रेल–मार्च अपनाये जाने का फैसला लिया गया। सन् 1990 में सिक्किम को भी आयकर के दायरे में सम्मिलित कर लिया गया।

1.6 प्रमुख अवधारणाएं –गतवर्ष, कर निर्धारण वर्ष, व्यक्ति, करदाता

आयकर का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित अवधारणाओं की जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है–

1. **कर निर्धारण वर्ष**– आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2(9) के अनुसार कर निर्धारण वर्ष 1 अप्रेल से प्रारम्भ तथा 31 मार्च को पूर्ण होने वाली 12 माह की अवधि होती है। आयकर विभाग द्वारा जिस वर्ष में आयकर की गणना की जाती है वह कर निर्धारण वर्ष होता है। किसी कर निर्धारण वर्ष में उससे ठीक पूर्व के वित्तीय वर्ष अर्थात् गतवर्ष की आय पर कर का निर्धारण किया जाता है।
2. **गतवर्ष**– किसी कर निर्धारण वर्ष के लिए आयकर का निर्धारण गतवर्ष की आय के आधार पर किया जाता है। गतवर्ष से आशय 12 माह की उस अवधि से है जिसमें आय को अर्जित अथवा प्राप्त किया जाता है। कर निर्धारण वर्ष 1 अप्रेल से प्रारम्भ होकर 31 मार्च तक को पूर्ण होता है। कर निर्धारण वर्ष से तुरन्त पूर्व की 12 माह की अवधि को गतवर्ष कहा जाता है। उदाहरण के लिए कर निर्धारण वर्ष 2018–19 के लिए गतवर्ष 2017–18 (1 अप्रेल 2017 से 31 मार्च 2018) होगा।
3. **व्यक्ति**–आयकर अधिनियम की धारा 2(31) के अनुसार व्यक्ति में निम्न को सम्मिलित किया जाता है– व्यक्ति (अभय कुमार, मनस्वी पाठक आदि), हिन्दू अविभाजित परिवार, कम्पनी (भारतीय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत गठित), फर्म (साझेदारी), व्यक्तियों का समूह (सहकारी समूह– नाफेड), स्थानीय निकाय (नगर पंचायत, नगर महापालिका, जिला परिषद, कैण्टोनमेन्ट बोर्ड, पोर्ट ट्रस्ट आदि), कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति (विश्वविद्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक आदि)। इसप्रकार आयकर की दृष्टि में वे सभी जीवित (पुरूष, स्त्री, अवयस्क आदि) व कृत्रिम इकाइयॉ (फर्म, कम्पनी, सहकारी संस्था आदि) व्यक्ति की श्रेणी में सम्मिलित हैं जो आय अर्जित करते हैं।
4. **कर निर्धारिती**– वह व्यक्ति जिसकी आय पर कर का निर्धारण किया जाता है, कर निर्धारण की प्रक्रिया की जाती है, आयकर पर ब्याज अथवा दण्ड का निर्धारण किया जाता है, उसे कर निर्धारिती कहते हैं। कर निर्धारण के माने गये अर्थात् डीम्ड निर्धारिती को भी निर्धारिती की श्रेणी में रखा जाता है। कर निर्धारण वर्ष 2006–07 से अतिरिक्त लाभ (फ्रिंज बेनिफिट) के निर्धारण से

सम्बन्धित निर्धारिती की भी इस श्रेणी में रखा जाने लगा है। किसी अन्य व्यक्ति की आय पर आयकर देने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति भी डीम्ड एसेसी या माने गये कर निर्धारिती कहलाते हैं।

1.7 आय का वर्गीकरण– सकल कुल आय, कुल आय, कृषि आय, आकस्मिक आय

आयकर का केन्द्र बिन्दु आय ही है किन्तु आयकर अधिनियम में इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है तथापि उन मदों का विवरण दिया गया है जिन्हें आय की श्रेणी में रखा जाता है। वेतन, मजदूरी, किराया, ब्याज, आयगत तथा पूँजीगत लाभ, फीस, अनुदान, रायल्टी, वसूली आदि अनेकों मदों की आयों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। यह आय मौद्रिक अथवा अमौद्रिक (अनुलाभ) प्रकृति की हो सकती है। आयकर की दृष्टि से नैतिक व अनैतिक किसी भी प्रकार से अर्जित आय को आयकर निर्धारण के लिए प्रयोग किया जाता है। आय नियमित हो सकती है अथवा अनियमित भी। आकस्मिक आय व उपहार भी आयकर निर्धारण के लिए आय में सम्मिलित किये जाते हैं। अध्ययन की दृष्टि से आय को पॉच विभिन्न शीर्षकों में बॉटा गया है–

1. **वेतन से आय–** इस मद के अन्तर्गत वेतन से प्राप्त होने वाली आय को सम्मिलित किया जाता है। वेतन से आय में नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को दिया जाने वाला कोई भी भुगतान सम्मिलित हो सकता है। इसके अन्तर्गत वेतन या मजदूरी के साथ बोनस, कमीशन, भत्ते, वेतन के स्थान पर लाभ तथा अनुलाभों (मुफ्त मकान, बिजली, नौकर, बच्चों की शिक्षा आदि) के मूल्य को जोड़ा जाता है। कर्मचारी को सेवा निवृत्ति अथवा निष्कासन पर मिलने वाली राशि (अवकाश नकदीकरण, ग्रेच्युटी, पेंशन, एकमुश्त राशि, भविष्य निधि आदि) को भी इसी आय के प्रावधानों में रखा गया है।
2. **मकान सम्पत्ति से आय–** मकान के किराये से प्राप्त होने वाली आय को इस शीर्षक में रखा जाता है। सम्पूर्ण मकान अथवा उसके एक भाग को किराये पर उठाने अथवा उपकिराये पर दिये जाने से होने वाली आय को ज्ञात करने के लिए आयकर अधिनियम में विविध प्रावधान दिये गये हैं किन्तु मकान को पेइंग गेस्ट के रूप में किराये पर देना इस शीर्षक में करयोग्य नहीं है। इसीप्रकार, यदि भवन के साथ मशीन व फर्नीचर आदि भी इस प्रकार दिया जा रहा है जिसे अलग करना संभव नहीं है तो इसे भी मकान सम्पत्ति के आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है। आयकर अधिनियम में स्वयं के रहने के मकान के सम्बन्ध में अनेक छूट प्रदान की गई हैं।
3. **व्यापार अथवा पेशे से लाभ व आय–** किसी भी प्रकार की व्यापारिक इकाई को होने वाले लाभों तथा पेशेवर फर्मों की आय को इस शीर्षक के अन्तर्गत रखा जाता है। व्यापारिक इकाइयों में उत्पादक, व्यापारिक, सेवा प्रदाता अथवा अन्य को सम्मिलित किया जा सकता है। इसमें एकल, साझेदारी, संयुक्त उपक्रम, कम्पनी आदि सम्मिलित हो सकती हैं किन्तु कुछ आयों को इस शीर्षक में सम्मिलित नहीं किया जाता है, जैसे– मकान को किराये पर देने से आय, अंश अथवा ऋणपत्रों से आय आदि। पेशेवर व्यक्तियों/संस्थाओं की

आय को भी इसी शीर्षक में रखा गया है, जैसे– सनदी लेखाकार (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट), चिकित्सक, अधिवक्ता आदि।

4. **पूँजी लाभ–** पूँजीगत सम्पत्तियों के हस्तांतरण पर होने वाले लाभ को पूँजी लाभ की श्रेणी में रखा जाता है। इसमें स्थाई अथवा अस्थाई, भौतिक अथवा अभौतिक, दृष्य अथवा अदृष्य सभी प्रकार की सम्पत्तियों को सम्मिलित किया जाता है। भूमि, भवन, मशीन, फर्नीचर, आभूषण, अंश, ऋणपत्र, व्यापारिक ख्याति, पट्टे, लाइसेन्स आदि के हस्तांतरण से होने वाली आय को पूँजी लाभ में सम्मिलित किया जाता है किन्तु व्यापारिक स्टॉक के अन्तरण से आय इसमें सम्मिलित नहीं होती है।
5. **अन्य श्रोतों से आय**–उपरोक्त चार शीर्षकों के अन्तर्गत सम्मिलित न होने वाली समस्त आय मदों को इस शीर्षक के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाता है। इसके अन्तर्गत मुख्यतः लाभांश, ब्याज, मानदेय, रायल्टी, जुए या सट्टे का आय, सांसदों व विधायकों का वेतन, उपहार, घुड़दौड़, उपकिराया आदि से प्राप्त आय सम्मिलित की जाती है। आकस्मिक आय पर कर निर्धारण भी इसी शीर्षक के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जाता है। कोई भी अज्ञात श्रोत से आय को भी इस शीर्षक के अन्तर्गत ही रखा जाता है।

सकल कुल आय–

उपरोक्त वर्णित पॉचों मदों से प्राप्त आय के कुल योग को निर्धारिती की गत वर्ष की सकल कुल आय कहा जाता है। इसे ज्ञात करने के लिए प्रत्येक शीर्षक के अन्तर्गत आय का आकलन अलग–अलग किया जाता है। प्रत्येक शीर्षक में आय की गणना के लिए नियम निर्धारित हैं जिनके आधार पर किसी विशिष्ट आय को पूर्णतः या अंशत सम्मिलित करने या छूट देने का प्रावधान निर्धारित किया गया है। कुछ आयों को धारा 10 के अन्तर्गत करों से मुक्त रखा गया है, वे सकल कुल आय की गणना में सम्मिलित नहीं होती हैं।

यदि किसी व्यक्ति की आय केवल एक ही शीर्षक के अन्तर्गत है तो उक्त शीर्षक की आय ही उसकी सकल कुल आय होगी।

शुद्ध करयोग्य आय–

सकल कुल आय ज्ञात करने के बाद उसमें से आयकर अधिनियम की धारा 80सी से लेकर 80यू तक की कटौतियों को घटाने के बाद आने वाली आय को शुद्ध करयोग्य आय कहा जाता है। इसे कुल आय भी कहते हैं। उपरोक्त कटौतियों को प्राप्त करने के लिए निर्धारिती को अपने आयकर विवरण में छूट हेतु दावा प्रस्तुत करना होता है तथा आवश्यक साक्ष्य भी देने होते हैं। इन छूटों के अन्तर्गत विशिष्ट प्रतिभूतियों, भविष्य निधि आदि में निवेश पर ब्याज (80सी), चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति (80डी), विशिष्ट संस्थाओं को दिये जाने वाले दान (80जी), उच्च शिक्षा के लिए ऋण पर ब्याज (80ई), विज्ञान तथा उद्योगों के शोध व विकास हेतु संस्थानों, होटलों आदि के लाभ (80 आईबी) आदि के सम्बन्ध में छूट के प्रावधान हैं जिन पर आगामी अध्यायों में विस्तार से वर्णन किया गया है।

सकल कुल आय व शुद्ध करयोग्य आय में अन्तर–

सकल कुल आय तथा शुद्ध करयोग्य आय (कुल आय) में अन्तर को निम्नप्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है–

क्र0	अन्तर का आधार	सकल कुल आय	शुद्ध करयोग्य आय
1	क्षेत्र	सकल कुल आय ज्ञात करने के लिए आय की पॉचों मदों की करयोग्य आय का योग किया जाता है।	शुद्ध करयोग्य आय ज्ञात करने के लिए सकल कुल आय से छूटों को घटाया जाता है।
2	धारा 80 की छूट	सकल कुल आय में धारा 80 के अन्तर्गत अनुमन्य छूटों को घटाया नहीं जाता है।	शुद्ध करयोग्य आय धारा 80 की छूट प्रदान करने के बाद प्राप्त होती है।
3	आय का पूर्णांकन	सकल कुल आय का पूर्णांकन नहीं किया जाता है।	शुद्ध करयोग्य आय को 10 रूपये में पूर्णांकित किया जाता है।
4	सम्बन्ध	सकल कुल आय शुद्ध करयोग्य आय के बराबर या अधिक होती है किन्तु कम नहीं हो सकती है।	शुद्ध करयोग्य आय कभी भी सकल कुल आय से अधिक नहीं हो सकती।
5	कर का निर्धारण	सकल कुल आय पर कर का निर्धारण नहीं किया जाता है।	कर का निर्धारण सदैव शुद्ध करयोग्य आय की राशि पर किया जाता है।

आयकर निर्धारण की प्रक्रिया–

किसी व्यक्ति पर आयकर निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाती है–

1. सर्वप्रथम, उपरोक्त वर्णित पॉचों शीर्षकों (वेतन से आय, मकान सम्पत्ति से आय, व्यापार एवं पेशे से आय, पूॅजी लाभ तथा अन्य श्रोतों से आय) की आय को सम्बन्धित शीर्षकों के अन्तर्गत अनुमन्य छूट प्रदान करते हुए अलग–अलग ज्ञात किया जाता है। उपरोक्त विधि से ज्ञात पॉचों शीर्षकों की आय के योग को सकल कुल आय कहा जाता है। (इसमें मानी गई आयों को जोड़ा जाता है किन्तु पूर्णतः करमुक्त आयों को छोड़ दिया जाता है।)
2. सकल कुल आय में से धारा 80सी से 80 यू तक की कटौतियों को घटाकर कुल आय अथवा शुद्ध करयोग्य आय ज्ञात की जाती है। (कर चोरी रोकने के लिए धारा 60 से 65 तथा 68 से 69डी के आयकर के प्रावधानों के अनुरूप अन्य व्यक्तियों की आय को इसमें जोड़ दिया जाता है।)

3. यदि निर्धारिती की आय न्यूनतम करयोग्य आय की सीमा से अधिक है तो उस पर निर्धारित दरों के अनुसार आय की विभिन्न सीमाओं के आधार पर अलग–अलग दरों से आयकर ज्ञात किया जाता है। आयकर की राशि की गणना की जाती है। यह सकल आयकर कहलाता है। न्यूनतम आय की सीमा विभिन्न व्यक्तियों यथा– पुरूष, स्त्री, वृद्ध आदि के लिए अलग हो सकती है। व्यापार, पूँजी लाभ आदि के लिए अलग–अलग गणना की जाती है।
4. सकल आयकर में से अग्रिम चुकाये गये कर तथा उद्‌गम स्थान पर की गई कर की कटौती की राशि को घटा दिया जाता है। इसप्रकार शुद्ध देय आयकर की राशि ज्ञात कर ली जाती है। यदि आयकर दायित्व से अधिक धनराशि कर के रूप में जमा कर दी गई हो तो आधिक्य की राशि आयकर विभाग द्वारा वापस कर दी जाती है।

कृषि आय–

भारत में कृषि आय को आयकर से मुक्त रखा गया है। इसके लिए कृषि आय तथा अकृषि आय से सम्बन्धित मानकों का पूर्ण होना आवश्यक है। इसके सम्बन्ध में आगामी इकाइयों में चर्चा की गई है।

आयकर अधिनियम 1965 की धारा 2(1ए) के अनुसार कृषि आय से आशय निम्न आय से है–

(अ) ऐसी भूमि पर प्राप्त किराया अथवा आय जो कि भारत में स्थित हो तथा उस पर कृषि सम्बन्धी गतिविधियॉ संचालित होती हों।

(ब) कृषि उत्पाद को बाजार में विपणन योग्य बनाने हेतु प्रसंस्करण आदि से आय।

(स) कृषि भूमि पर स्थित भवन में कृषि उत्पाद के संग्रहण अथवा निवासीय उपयोग से आय।

(द) पौधशाला में पेड़ पौधे उगाने से आय।

(ई) कृषि उत्पादों के विपणन से आय।

कृषि आय की विशेषताएं–

कृषि आय की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं–

1. कृषि आय भूमि से प्राप्त होनी चाहिए।
2. कृषि भूमि भारत में स्थित होनी चाहिए।
3. भूमि कृषि कार्यों के लिए प्रयुक्त होनी चाहिए।
4. कृषि भूमि पर उसके स्वामी अथवा किरायेदार का हित होना चाहिए।
5. मात्र कृषि कार्यों से सम्बन्धित होना कृषि आय होने का प्रमाण नहीं। पशु पालन व प्रजनन, डेयरी, मुर्गी पालन, चारा उगाना, लाख की खेती, खानों आदि से आय कृषि आय नहीं हैं।
6. पौधशालाओं की आय भी कृषि आय है चाहे उस पर कृषि क्रिया की गई हो अथवा नहीं।

अभ्यास हेतु प्रश्न –

बताइए कि निम्नलिखित आयें कृषि आय हैं अथवा नहीं–

1. कनाडा में स्थित कृषि भूमि से आय।

2. फसल क्षतिग्रस्त होने के कारण बीमा कम्पनी से प्राप्त क्षतिपूर्ति।
3. लाख की खेती से आय।
4. कृषि कार्यों के लिए प्रयुक्त भूमि के विक्रय से आय।
5. फूलों की नर्सरी से आय।
6. भूमि को किराये पर लेकर कृषि करने से आय।
7. चारा उगाने से आय।

उत्तर–

1. नहीं, 2. हॉ, 3. नहीं, 4. नहीं 5. हॉ, 6. हॉ, 7. नहीं

<u>आकस्मिक आय–</u>

आकस्मिक आय से आशय उस आय से होता है जो कि निर्धारिती को सम्बन्धित गतवर्ष की अवधि में अकस्मात प्राप्त हो गई हो, जिसके प्राप्त होने का कोई पूर्वानुमान नहीं था तथा इसके पुनः प्राप्त होने की भी कोई सुनिश्चितता नहीं है। आकस्मिक आय के अन्तर्गत सामान्यतः निम्नलिखित आयों को सम्मिलित किया जाता है–

1. लॉटरी से आय,
2. घुडदौड से आय,
3. वर्ग पहेली से आय,
4. शर्त लगाने से आय,
5. ईनाम आदि से होने वाली आय।

<u>आकस्मिक आय की विशेषताएं–</u>

1. आकस्मिक आय का कोई सुनिश्चित श्रोत नहीं होता है।
2. यह अकस्मात प्राप्त होती है।
3. इसका कोई पूर्वानुमान नहीं होता है।
4. इसके पुनः बार–बार प्राप्त होने की सुनिश्चित संभावना नहीं होती।
5. आकस्मिक आय पर अन्य श्रोतों से आय मद के अन्तर्गत आयकर का निर्धारण किया जाता है।

आयकर की दृष्टि से घुडदौड़ से आय की दशा में रू0 2,500 तथा अन्य दशा में रू0 5,000 तक की आकस्मिक आय कर से मुक्त होती है। शेष राशि को आयकर की गणना के लिए अन्य श्रोतों से आय शीर्षक में रखा जाता है। आकस्मिक आय पर 30 प्रतिशत की दर से आयकर लगाया जाता है। आकस्मिक हानियों को आकस्मिक लाभ से समायोजित करने का प्रावधान नहीं है। साथ ही यदि आकस्मिक आय को प्राप्त करने में कोई व्यय किया गया है तो उसे भी समायोजित नहीं करना है।

1.8 सारांश

आयकर एक प्रत्यक्ष कर है। करदाता द्वारा आयकर का भुगतान केन्द्र सरकार को करना होता है। आयकर की गणना शुद्ध करयोग्य आय पर की जाती है। इसके लिए विभिन्न श्रोतों से प्राप्त होने वाली आयों की पृथक गणना की जाती है तथा प्रत्येक के लिए निर्धारित नियमों के आधार पर आय ज्ञात कर कुल आय तथा तत्पश्चात निर्धारित छूट प्रदान करते हुए शुद्ध करयोग्य आय की गणना की जाती है।

इसे कुल आय भी कहा जाता है। सकल आय में से धारा 80सी से लेकर 80यू तक की कटौतियों को घटाने के बाद इसे ज्ञात किया जाता है। किसी कर निर्धारण वर्ष के लिए आय की गणना गतवर्ष की आय के आधार पर की जाती है। गतवर्ष से आशय 12 माह की उस अवधि से होता है जो कर निर्धारण वर्ष से ठीक पूर्व होती है। यह वो अवधि होती है जिसमें आय को अर्जित अथवा प्राप्त किया गया होता है। इसकी अवधि 1 अप्रेल से 31 मार्च होती है।

आयकर की गणना के लिए आय के पॉच श्रोत निर्धारित किये गये हैं। ये हैं–1. वेतन से आय, 2. मकान सम्पत्ति से आय, 3. व्यवसाय अथवा पेशे से आय, 4. पूॅजी लाभ तथा 5. अन्य श्रोतों से आय। वेतन से आय के अन्तर्गत सभी प्रकार के वेतनभोगियों को उनके नियोक्ता से प्राप्त वेतन, भत्ते, अनुलाभ व सुविधाओं के मूल्यों को सम्मिलित किया जाता है। इसके अतिरिक्त उनके अवकाश प्राप्ति, मृत्यु, छॅटनी आदि अवस्था में पेंशन, अनुग्रह राशि व अन्य भुगतानों को भी सम्मिलित किया जाता है। मकान सम्पत्ति से आय के अन्तर्गत मकान के किराये से प्राप्त राशि को सम्मिलित किया जाता है चाहे यह किराया आवासीय भवन से हो अथवा व्यावसायिक भवन से। व्यवसाय व पेशे से आय की श्रेणी में सभी प्रकार की व्यापारिक व निर्माणी इकाइयों तथा पेशों (अधिवक्ता, सनदी लेखाकार, चिकित्सक आदि) की आय को सम्मिलित किया जाता है। पूॅजी आय के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की सम्पत्ति के मूल्य में होने वाली अल्पकालीन अथवा दीर्घकालीन वृद्धि से होने वाले लाभों को सम्मिलित किया जाता है। उपरोक्त चार श्रोतों के अतिरिक्त किसी भी अन्य मद से होने वाली आय को अन्य श्रोतों से आय की श्रेणी में रखा जाता है। इस श्रेणी में लाभांश, प्रतिभूतियों व बैंक खातों पर होने वाली ब्याज की आय, सम्पत्तियों को किराये पर देने की आय, उप किराया आय के अतिरिक्त लाटरी आदि से होने वाली आकस्मिक आय आदि को भी सम्मिलित किया जाता है। सांसदों व विधायकों के वेतन तथा अधोषित आय को भी अन्य श्रोतों की आय माना जाता है।

भारतीय आयकर नियमों में आयकर का निर्धारण करने के लिए भिन्न वर्गों के लिए भिन्न दर निर्धारित की गई हैं। आयकर को इसप्रकार खण्डों में बॉटा गया है कि व्यक्तिगत करदाताओं तथा व्यावसायिक करदाताओं के लिए कर की दरों में भिन्नता रखी गई है। व्यक्तिगत आयकर दाताओं में अधिक आय वाले निर्धारिती को कर का भार अधिक सहना होता है। इसे प्रगतिशील कर की दर के रूप में जाना जाता है। वयोवृद्ध निर्धारिती के लिए कर की दर में रियायत दी गई है।

भारत में कर का इतिहास अत्यन्त प्राचीन है। प्राचीन ग्रंथों में भी राजाओं द्वारा आयकर वसूले जाने का उल्लेख मिलता है। भारत में आधुनिक रूप में आयकर प्रथम बार सन् 1860 में सर जेम्स विल्सन के द्वारा ब्रिटिश काल में लगाया गया। इस अधिनियम की नियमित समीक्षा की जाती है तथा प्रत्येक वर्ष इसमें आवश्यकतानुसार आवश्यक परिवर्तन किये जाते हैं। सन् 1860 के बाद एक नया आयकर अधिनियम 1886 में लाया गया। तत्पश्चात सन् 1918 में आयकर अधिनियम को नया स्वरूप दिया गया। पुनः सम्यक परिवर्तनों के साथ आयकर अधिनियम 1922 लागू किया गया जो कि कतिपय संशोधनों के साथ स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय तक भारत में लागू रहा।

स्वतन्त्र भारत में प्रथम बार आयकर अधिनियम 1961 पारित किया गया जोकि 1 अप्रेल 1962 से लागू किया गया। यह अधिनियम सम्पूर्ण भारत में लागू है।

1.9 शब्दावली

आयकर किसी व्यक्ति की गतवर्ष की आय पर सरकार द्वारा वसूला जाने वाला कर।

प्रत्यक्ष कर कर जो करदाता की आय पर परिगणित किया जाता है तथा उसी के द्वारा चुकाया व वहन किया जाता है।

अप्रत्यक्ष कर कर जो करदाता द्वारा चुकाया जाता है किन्तु जिसका भार किसी अन्य को हस्तांतरित कर दिया जाता है।

सकल आय विभिन्न पॉचों मदों से प्राप्त आयों का योग।

कुल आय सकल आय में से धारा 80 की अनुमन्य छूट घटाने के बाद शेष राशि।

शुद्ध करयोग्य आय कुल आय का ही अन्य नाम।

कर निर्धारण वर्ष वह वर्ष जिसके लिये आयकर का परिकलन किया जाता है।

गत वर्ष कर निर्धारण वर्ष से ठीक पूर्व का वर्ष जिसमें अर्जित व प्राप्त आय पर आयकर की गणना की जाती है।

व्यक्ति आयकर अधिनियम में जिसकी आय पर आयकर की गणना की जाती है। इसमें व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, संयुक्त हिन्दू परिवार आदि सम्मिलित हैं।

निर्धारिती वह व्यक्ति जिसकी आय पर कर का निर्धारण किया जाता है, कर निर्धारण की प्रक्रिया की जाती है, आयकर पर ब्याज अथवा दण्ड का निर्धारण किया जाता है, उसे कर निर्धारिती कहते हैं।

माना गया निर्धारिती वह व्यक्ति जिस पर किसी अन्य की आय पर आयकर देने का दायित्व है।

अधिभार आयकर के ऊपर अतिरिक्त दर से वसूला जाने वाला कर।

उपकर किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए आयकर के अतिरिक्त कर।

1.10 बोध प्रश्न

(अ) रिक्त स्थान की पूर्ति करो।

1. .... कर जिस व्यक्ति के द्वारा चुकाया जाता है वही उसका भार भी वहन करता है।
2. .... कर को जिस व्यक्ति के द्वारा चुकाया जाता है वह कर का भार अन्य व्यक्ति के ऊपर डाल सकता है।
3. आयकर एक .... कर है।
4. वस्तु एवं सेवा कर .... कर का एक उदाहरण है।
5. स्वतन्त्र भारत में प्रथम बार आयकर अधिनियम 1 अप्रेल .... से लागू किया गया।

6. भारत में प्रथम बार आयकर सर जेम्स विल्सन द्वारा सन् .... में लगाया गया।
7. सकल आय में से धारा .... की कटौती घटाने बाद प्राप्त राशि को शुद्ध आय कहते हैं।

(ब) **सत्य/असत्य**

1. वस्तु एवं सेवा कर प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में रखा जाता है।
2. शुद्ध करयोग्य आय को ही कुल आय भी कहा जाता है।
3. आयकर सामाजिक विषमताओं को कम करने में सहायक होता है।
4. आयकर के ऊपर अतिरिक्त दर से वसूले जाने वाले कर को उपकर कहते हैं।
5. किसी सम्पत्ति के मूल्य में वृद्धि से होने वाले लाभ को पूँजी लाभ कहते हैं।
6. जिस व्यक्ति की आय पर आयकर लगाया जाता है उसे माना गया निर्धारिती कहा जाता है।
7. भारत में आयकर परिगणन की प्रगतिशील दर प्रणाली लागू है।
8. भारत में आयकर परिगणन की समान दर प्रणाली लागू है।
9. आयकर केवल विधिसम्मत आयों पर ही लगाया जाता है।
10. सकल करयोग्य आय तथा कुल आय में कोई अन्तर नहीं होता है।

(स) बहुविकल्पी प्रश्न

1. निम्न में से कौन सा कर एक केन्द्रीय कर है?–

अ.	आयकर	ब.	वस्तु एवं सेवा कर
स.	पालिका कर	द.	उपरोक्त सभी

2. भारत में किसके द्वारा आयकर प्रारम्भ किया गया?–

अ.	राबर्ट क्लाइव	ब.	जेम्स विल्सन
स.	विलियम रोज़	द.	उपरोक्त में कोई नहीं

3. भारतीय आयकर अधिनियम में आय को कितने शीर्षकों में विभाजित किया गया है?–

अ.	तीन	ब.	चार
स.	पॉच	द.	सात

4. वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए कर निर्धारण वर्ष क्या होगा ?–

अ.	2015–16	ब.	2016–17
स.	2017–18	द.	उपरोक्त में कोई नहीं

5. निम्न में से कौन सी आय आकस्मिक आय में सम्मिलित की जाती है?–

अ.	लॉटरी से आय	ब.	घुड़दौड़ से आय
स.	शर्त लगाने से आय	द.	उपरोक्त सभी

(द) **समूहों का मिलान करो।**

1.	व्यापार व पेशे से आय	(अ) सांसदों व विधायकों का वेतन
2.	पूँजी लाभ	(ब) लॉटरी से आय
3.	आकस्मिक आय	(स) ऋणपत्रों के हस्तांतरण से आय
4.	अन्य श्रोतों से आय	(द) चिकित्सक को प्राप्त होने वाली फीस

1.11 बोध प्रश्नों के उत्तर

(अ) 1. प्रत्यक्ष, 2. अप्रत्यक्ष, 3. प्रत्यक्ष, .4. अप्रत्यक्ष, 5. 1962, 6. 1860, 7. 80

(ब) 1. असत्य 2. सत्य 3. सत्य 4. असत्य 5. सत्य 6. असत्य 7. सत्य, 8. असत्य, 9. असत्य, 10. असत्य

(स) 1. अ 2. ब 3 स .4. स 5. द

(द) 1. द 2. स 3. ब 4. अ

1.12 स्वपरख प्रश्न

(लघु उत्तरीय)

1. प्रत्यक्ष कर तथा अप्रत्यक्ष कर को समझाइए।
2. गतवर्ष तथा कर निर्धारण वर्ष में क्या अन्तर है?
3. आयकर के अन्तर्गत आय को किन शीर्षकों में बॉटा गया है?
4. माना गया निर्धारिती क्या होता है?
5. सकल कुल आय तथा कुल आय को समझाइए।
6. कृषि आय से क्या आशय है? इसमें किस प्रकार की आयों को सम्मिलित किया जाता है?
7. आकस्मिक आय किसे कहते हैं?
8. आयकर अधिनियम की धारा 80 के मुख्य प्रावधानों को बताइए।
9. भारत में आयकर निर्धारण की प्रक्रिया को संक्षेप में समझाइए।
10. भारत में आयकर के इतिहास का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।

(दीर्घ उत्तरीय)

1. आयकर से आप क्या समझते हैं? इसकी मुख्य विशेषताओं, सिद्धान्तों तथा उद्देश्यों का वर्णन कीजिए?
2. आयकर निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। भारत में विभिन्न वर्गों पर आयकर लगाये जाने के सम्बन्ध में करयोग्य आय, कर की दरों तथा छूटों को समझाइए।
3. आयकर नियमों के अन्तर्गत आय से क्या आशय है? आय के विभिन्न शीर्षकों का वर्णन कीजिए तथा सकल कुल आय तथा शुद्ध करयोग्य आय में अन्तर बताइए।
4. गतवर्ष तथा कर निर्धारण वर्ष के प्रावधानों को समझाइए। क्या किसी कर निर्धारण वर्ष के लिए एक से अधिक गतवर्ष हो सकते हैं? 15 जनवरी 2017 को प्रारम्भ व्यापार के लिए प्रथम गतवर्ष तथा कर निर्धारण वर्ष क्या होगा?
5. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए—
   - अ. माना गया निर्धारिती
   - ब. आकस्मिक आय
   - स. कृषि आय
   - द. कर निर्धारण वर्ष

1.13 सन्दर्भ पुस्तकें

1. आयकर डॉ0 एच0सी0मेहरोत्रा, साहित्य भवन, आगरा।
2. आयकर नियोजन एवं प्रबन्ध, डॉ0 आर0के0जैन, एस0बी0पी0डी0 पब्लिशर्स, आगरा।
3. Income Tax VK Singhania, Taxmann, New Delhi.

इकाई 2 निवास की स्थिति तथा कर भार

इकाई की रूपरेखा

2.1 प्रस्तावना
2.2 करदाता की निवासीय स्थिति
2.3 व्यक्ति के निवास स्थान का निर्धारण
2.4 संयुक्त हिन्दू परिवार के निवास स्थान का निर्धारण
2.5 फर्म तथा व्यक्तियों के समूह के निवास स्थान का निर्धारण
2.6 कम्पनी के निवास स्थान का निर्धारण
2.7 निवास के आधार पर कर दायित्व
2.8 सारांश
2.9 शब्दावली
2.10 बोध प्रश्न
2.11 बोध प्रश्नों के उत्तर
2.12 स्वपरख प्रश्न
2.13 सन्दर्भ पुस्तकें

उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप इस योग्य हो सकेंगे कि :

- आयकर की दृष्टि से निवास स्थान का महत्व निवास स्थान के प्रकार जान सकें।
- व्यक्तियों, संयुक्त हिन्दू परिवार, फर्म, कम्पनी आदि के लिए निवास स्थान के निर्धारण सम्बन्धी प्रावधान जान सकें।
- निवास स्थान सम्बन्धी शर्तों के अपवाद व निवास स्थान के आधार पर कर निर्धारण के नियम की व्याख्या कर सकें।
- भारत में प्राप्त, उपार्जित आय तथा उदय आय की जानकारी प्राप्त कर सकें।
- विदेश में प्राप्त, उपार्जित आय तथा उदय आय के सम्बन्ध में निवासी व अनिवासी करदाताओं के लिए प्रावधानों की व्याख्या कर सकें।
- आयकर निर्धारण के सम्बन्ध में निवास स्थान सम्बन्धी विभिन्न तकनीकी वाक्यांशों की व्याख्या कर सकें।

2.1 प्रस्तावना

आयकर निर्धारण के सम्बन्ध में करदाता के स्तर तथा निवासीय स्थिति अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है। पिछली इकाई में आप जान चुके हैं कि आयकर अधिनियम की धारा 2 (31) के अन्तर्गत व्यक्ति शब्द के अन्तर्गत विभिन्न वास्तविक तथा कृत्रिम करदाताओं को सम्मिलित किया गया है। इन सभी पर इनकी गतवर्ष की आय के आधार पर कर का निर्धारण किया जाता है। कर निर्धारण की दृष्टि से उपरोक्त व्यक्तियों के निवास की स्थिति को ध्यान में रखा जाना भी आवश्यक है। आयकर अधिनियम में विभिन्न व्यक्तियों के भारत में निवास की कतिपय शर्तें निर्धारित की गई

हैं जिनके आधार पर उनके निवासी अथवा अनिवासी होने की स्थिति ज्ञात की जाती है। इस स्थिति को ज्ञात करने के बाद ही यह निर्धारित किया जा सकता है कि किसी विशेष आय को निर्धारिती के लिए कर योग्य माना जाना है अथवा नहीं। किसी व्यक्ति के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह केवल भारत में ही आय प्राप्त अथवा अर्जित करे। उसके द्वारा विदेश में भी आय को अर्जित अथवा प्राप्त किया जा सकता है। निवास की स्थिति के आधार पर ही यह ज्ञात किया जा सकता है कि कोई विशिष्ट आय निर्धारिती के लिए आय में सम्मिलित की जायेगी अथवा नहीं। इस प्रकार, प्रस्तुत इकाई में विभिन्न व्यक्तियों के लिए निवास स्थान के निर्धारण तथा उनके लिए विभिन्न आयों के सम्बन्ध में कर भार के निर्धारण सम्बन्धी प्रावधानों का अध्ययन किया जायेगा।

2.2 करदाता की निवासीय स्थिति

करदाता के निवास स्थान के आधार पर ही उसकी निवासीय स्थिति का निर्धारण किया जाता है। कोई निर्धारिति गतवर्ष में तथा पूर्व वर्षों में कितने दिन भारत में रहा है, के आधार पर उसके निवास की स्थिति का निर्धारण किया जाता है अर्थात् यह निर्धारित किया जाता है कि कोई व्यक्ति गतवर्ष भारत में निवासी था अथवा अनिवासी। यह आवश्यक नहीं कि कोई व्यक्ति यदि इस गतवर्ष के लिए निवासी है तो वह अगले गतवर्ष के लिए भी निवासी ही रहेगा। प्रत्येक वर्ष के लिए निवास स्थान की गणना पृथक से की जाती है। इस प्रकार से आयकर हेतु ज्ञात निवासीय स्थिति का उसकी राष्ट्रीयता अथवा नागरिकता से कोई सम्बन्ध नहीं होता है।

एक व्यक्ति किसी वर्ष विशेष में निवास की केवल एक ही स्थिति में हो सकता है। यदि उसकी विभिन्न श्रोतों से अलग–अलग आय है तो सभी पर कर निर्धारण की स्थिति एक जैसी रहेगी। एक व्यक्ति की एक देश में तो निवास की एक ही स्थिति होगी किन्तु एक ही वर्ष में उसके निवास की स्थिति अलग–अलग देशों में भिन्न हो सकती है। वह दो देशों में निवासी हो सकता है अथवा एक में निवासी व दूसरे में अनिवासी हो सकता है।

समस्त करदाताओं की निवासीय स्थिति को निम्नलिखित तालिका द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है–

क्रमांक	निवास का स्तर / करदाता का स्तर	निवासी / साधारण निवासी	असाधारण निवासी	अनिवासी
1	व्यक्ति	निवासी व्यक्ति	असाधारण निवासी व्यक्ति	अनिवासी व्यक्ति
2	हिन्दू अविभाजित परिवार	निवासी हिन्दू अविभाजित परिवार	असाधारण निवासी हिन्दू अविभाजित परिवार	अनिवासी हिन्दू अविभाजित परिवार
3	फर्म तथा व्यक्तियों के समुदाय	निवासी फर्म तथा व्यक्तियों के समुदाय	×	अनिवासी फर्म तथा व्यक्तियों के समुदाय

4	कम्पनी	निवासी कम्पनी	X	अनिवासी कम्पनी
5	प्रत्येक अन्य व्यक्ति	निवासी प्रत्येक अन्य व्यक्ति	X	अनिवासी प्रत्येक अन्य व्यक्ति

उपरोक्त के आधार पर समझा जा सकता है कि व्यक्ति तथा हिन्दू अविभाजित परिवार निवासी, असाधारण निवासी तथा अनिवासी हो सकते हैं जबकि शेष तीन करदाता–फर्म तथा व्यक्तियों के समुदाय, कम्पनी तथा प्रत्येक अन्य व्यक्ति केवल निवासी तथा अनिवासी हो सकते हैं किन्तु असाधारण निवासी नहीं। वस्तुतः आयकर अधिनियम मे साधारण निवासी होने से सम्बन्धित किसी शर्त का उल्लेख नहीं किया गया है। निवासी के लिए निर्धारित शर्तों में से कुछ के पूर्ण न होने की स्थिति में उसे असाधारण निवासी का नाम दिया गया है अतः सभी शर्तों को पूर्ण करने वाले व्यक्ति को साधारण निवासी भी कहा जाता है। इसप्रकार सामान्य समझ की दृष्टि से व्यक्ति को साधारण निवासी, असाधारण निवासी तथा अनिवासी श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है।

2.3 व्यक्ति के निवास स्थान का निर्धारण

एक व्यक्ति के निवास स्थान का निर्धारण करने का दायित्व स्वयं निर्धारिती का होता है। उसे आयकर अधिकारी के समक्ष यह सिद्ध करना होता है कि वह उक्त गतवर्ष के लिए निवासी, असाधारण निवासी अथवा अनिवासी में से किस श्रेणी में है। एक व्यक्ति की श्रेणी में सभी मनुष्य सम्मिलित किये जाते हैं जिनका गतवर्ष में जीवित अस्तित्व होता है चाहे वे देश के किसी भी भाग के रहने वाले हों तथा किसी भी जाति, धर्म, लिंग आदि से सम्बन्ध रखते हों।

एक व्यक्ति के निवास स्थान को निर्धारित करने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 6(1) में कुछ शर्तें दी गई हैं जिनके आधार पर निवास स्थान का निर्धारण किया जाता है। इन शर्तों को दो भागों में रखा गया है जिसमें आधारभूत अथवा अनिवार्य शर्तों को श्रेणी अ में तथा अन्य शर्तों को (असाधारण निवासी होने की) श्रेणी ब में रखा गया है। श्रेणी ब की शर्तों के स्थान पर अतिरिक्त शर्तों अथवा वैकल्पिक शर्तों के आधार पर सीधे साधारण निवासी की स्थिति ज्ञात की जा सकती है।

आधारभूत शर्तें–

निम्नलिखित दो आधारभूत शर्तों में से किसी एक के पूर्ण होने पर एक व्यक्ति को निवासी की श्रेणी में रखा जाता है–

(1) वह व्यक्ति सम्बन्धित गत वर्ष में कुल मिलाकर कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो,

अथवा

(2) वह व्यक्ति सम्बन्धित गत वर्ष में कम से कम 60 दिन (कतिपय अपवादों के अतिरिक्त) तथा गत वर्ष से पूर्व के चार वर्षों में कुल मिलाकर कम से कम 365 दिन भारत में अवश्य रहा हो।

अपवाद– निम्न परिस्थितियों में उपरोक्त शर्त–2 लागू नहीं होती तथा निवासी होने के लिए उसे 60 दिन के स्थान पर कम से कम 182 दिन भारत में रहना आवश्यक होता है अर्थात् आधारभूत शर्त (1) ही लागू होगी तथा आधारभूत शर्त (2) का लोप हो जायेगा–

अ. यदि वह व्यक्ति किसी भारतीय जहाज के कर्मचारी के रूप में अथवा रोजगार हेतु गतवर्ष में भारत से बाहर जाता है तो उसे कम से कम 182 दिन भारत में रहने पर ही निवासी की श्रेणी में रखा जाता है। आयकर अधिनियम में रोजगार शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है तथापि रोजगार में व्यापार, पेशा अथवा नौकरी को सम्मिलित किया जाता है। इस अपवाद की शर्त उसी दशा में लागू होगी जब करदाता नये रोजगार हेतु विदेश जा रहा है।

ब. यदि करदाता एक भारतीय नागरिक है अथवा भारतीय मूल का व्यक्ति है एवं विदेश में रह रहा है तथा गतवर्ष में भ्रमण हेतु भारत आता है तो उसे निवासी कहलाने के लिए 182 दिन भारत में रहना अनिवार्य होगा। यह भ्रमण व्यक्तिगत, व्यापारिक अथवा रोजगार सम्बन्धी किसी भी कार्य के लिए हो सकता है।

उपरोक्त दो में से कोई एक शर्त पूर्ण होने की दशा में एक निर्धारिती निवासी की श्रेणी में तो आ जाता है किन्तु वह साधारण निवासी है अथवा असाधारण निवासी, इसका निर्धारण करने के लिए दो अन्य शर्तों का प्रावधान आयकर अधिनियम में किया गया है।

अतिरिक्त शर्तें–

कोई निर्धारिती तभी साधारण निवासी माना जाता है जबकि वह उपरोक्त दो आधारभूत शर्तों में से कम से कम एक शर्त को पूर्ण कर देता है किन्तु वह अनिवासी तब कहलाता है जबकि वह श्रेणी ब की निम्नलिखित दो शर्तों में से कोई एक शर्त भी पूर्ण करे–

1. गतवर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में से कम से कम 9 वर्ष भारत में अनिवासी रहा हो।
2. गतवर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में कुल मिलाकर 729 दिन या इससे कम भारत में रहा हो।

जो व्यक्ति उपरोक्त में श्रेणी ब की शर्तों में से एक भी शर्त पूर्ण न करे वह साधारण निवासी माना जाता है।

किसी व्यक्ति को साधारण निवासी सिद्ध करने के लिए उपरोक्त शर्तों की वैकल्पिक शर्तों के आधार पर भी निवास की स्थिति ज्ञात की जा सकती है। इनके अनुसार किसी व्यक्ति को साधारण निवासी तब कहा जाता है जबकि वह आधारभूत शर्तों को पूर्ण करने के साथ ही निम्नलिखित दोनों अतिरिक्त शर्तें भी पूर्ण करता हो–

1. निर्धारिती गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में से कम से कम 2 वर्ष भारत में निवासी रहा हो अर्थात् उसने 10 वर्षों में से 2 वर्षों में आधारभूत शर्तों में से कम से कम एक को पूर्ण किया हो।

2. उसने गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में कुल मिलाकर 730 दिन अथवा अधिक की अवधि भारत में व्यतीत की हो।

यदि कोई निर्धारिती दो आधारभूत शर्तों में से कम से कम एक को पूर्ण करता है तथा दोनों अतिरिक्त शर्तों को भी पूर्ण करता है तो वह साधारण निवासी कहलाता है। यदि वह दो आधारभूत शर्तों में से कम से कम एक को पूर्ण करता है किन्तु दोनों अतिरिक्त शर्तों को पूर्ण नहीं करता है तो वह असाधारण निवासी कहलाता है। यदि वह व्यक्ति अतिरिक्त शर्तों में से किसी एक को पूर्ण भी कर लेता है तो भी उसे असाधारण निवासी ही माना जायेगा।

इस सम्बन्ध में यह महत्वपूर्ण है कि–

- निवासी का अर्थ है कि निर्धारिती ने सम्बन्धित वर्ष में निवासी होने की आधारभूत शर्तों में से कम से कम एक को अवश्य पूर्ण किया हो।
- निर्धारित के निवासी भी मूलभूत शर्त पूर्ण करने के बाद यह जानना आवश्यक है कि वह साधारण निवासी है अथवा असाधारण निवासी। दोनों के लिए कर भार में पर्याप्त अन्तर होता है।
- निवास के दिनों की गणना करने के लिए भारत के किसी भी भाग में निवास के दिनों को जोड़ा जाता है।
- निवास वर्ष में एक बार या अनेक बार टुकड़ों में हो सकता है। प्रत्येक बार के निवास की अवधि का योग ही अवधि के निर्धारण के लिए उपयोग किया जायेगा। यदि भारत में रहने का समय ज्ञात है तो उसका योग कर घण्टों के आधार पर गणना की जाती है अन्यथा स्थिति में भारत में आने व भारत से जाने वाले दोनों दिनों को सम्मिलित करते हुए दिनों की गणना की जानी चाहिए।
- रोजगार के लिए विदेश जाने वाले भारतीयों के लिए पर्याप्त छूट की व्यवस्था है। यदि वे 181 दिन भी भारत में रहे हों तो अनिवासी ही माने जाते हैं। (अनिवासी का कर दायित्व निवासी की तुलना में कम होता है।)

किसी व्यक्ति को साधारण निवासी, असाधारण निवासी अथवा अनिवासी माने जाने से सम्बन्धित सामान्य नियमों को हम संक्षेप में निम्न प्रकार से समझ सकते हैं–

निवासी– जब आधारभूत शर्तों में से कम से कम एक शर्त पूर्ण करता हो।

साधारण निवासी– जब आधारभूत शर्तों में से कम से कम एक शर्त पूर्ण करता हो तथा दोनों अतिरिक्त शर्त भी पूर्ण करता हो।

असाधारण निवासी– जब आधारभूत शर्तों में से कम से कम एक शर्त पूर्ण करता हो किन्तु दोनों अतिरिक्त शर्त भी पूर्ण न करता हो।

अनिवासी– जब आधारभूत शर्तों में से एक भी पूर्ण न करता हो।

अभ्यास हेतु प्रश्न (1)– सुश्री सौम्या का जन्म भारत में हुआ। वह 1 फरवरी 2017 को वित्तीय प्रबन्धन का उच्च अध्ययन करने के लिए अपनी प्रथम विदेश यात्रा पर कनाडा गई तथा वहाँ से 1 अक्टूबर 2017 को वापस आ गई। कर निर्धारण वर्ष 2018–19 के लिए सुश्री सौम्या के निवास की क्या स्थिति होगी?

(उत्तर–सुश्री सौम्या गतवर्ष 2017–18 में 1.10.17 से 31.3.18 तक कुल 182 दिन रहीं हैं तथा निवासी होने की शर्त पूर्ण करती हैं। वे प्रथम बार कनाडा गई हैं इसकी अर्थ हुआ कि वह गतवर्ष से पूर्व के वर्षों में 2 वर्ष की शर्त के विरूद्ध 9 वर्ष तक निवासी रहीं हैं तथा गत वर्ष से पूर्व के सात वर्षों में 730 दिन की शर्त के विरूद्ध काफी अधिक दिन भारत में निवास कर चुकी हैं। इस प्रकार वह साधारण निवासी होने की अतिरिक्त शर्तें भी पूर्ण करती हैं। सुश्री सौम्या कर निर्धारण वर्ष 2018–19 में भारत की साधारण निवासी होंगी।)

2.4 हिन्दू अविभाजित परिवार के निवास स्थान का निर्धारण

भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 2 (31) में व्यक्ति शब्द में एक हिन्दू अविभाजित परिवार को भी सम्मिलित किया गया है। आयकर अधिनियम में हिन्दू अविभाजित परिवार की परिभाषा नहीं दी गई है परन्तु हिन्दू विधि में इसकी जो व्याख्या की गई है, वही आयकर की दृष्टि से मान्य होती है। एक हिन्दू अविभाजित परिवार में वे सभी व्यक्ति आते हैं जो एक ही पूर्वज के वंशज हों। इसमें इन व्यक्तियों की पत्नियॉ एवं अविवाहित पुत्रियॉ भी सम्मिलित होती हैं। विवाह होने से पूर्व तक वे हिन्दू अविभाजित परिवार की सदस्य रहती हैं। विवाह होने के बाद व पति के परिवार की सदस्य बन जाती हैं।

हिन्दू अविभाजित परिवार को संयुक्त हिन्दू परिवार भी कहा जाता है।

हिन्दू अविभाजित परिवार के सम्प्रदाय–

हिन्दू कानून के अनुसार हिन्दू अविभाजित परिवार में दो सम्प्रदाय होते हैं–

1. **मिताक्षरा सम्प्रदाय–** यह सम्प्रदाय बंगाल, असम तथा ओडीसा के कुछ भागों के अतिरिक्त शेष सम्पूर्ण भारत में लागू होता है। मिताक्षरा सम्प्रदाय के अनुसार–

(क) परिवार में पुत्र के जन्म लेते ही उसे पूर्वजों की सम्पत्ति पर अधिकार प्राप्त हो जाता है।

(ख) स्वयं अर्जित सम्पत्ति की आय उसकी स्वयं की होती है। व्यक्ति चाहे तो उसे संयुक्त परिवार की सम्पत्ति में मिला सकता है।.

(ग) इस सम्प्रदाय में सदस्यों की संख्या पुत्र के जन्म के साथ बढती है तथा किसी की मृत्यु के साथ ही घटती है।

(घ) यदि परिवार में कोई जीवित वयस्क न हो तो उस स्थिति में स्त्री को भी परिवार का कर्ता माना जा सकता है।

(च) स्त्रियों को परिवार में सहभागिता प्रदान नहीं की जाती है उन्हें केवल निर्वाह का अधिकार होता है।

(छ) कोई व्यक्ति हिन्दू अविभाजित परिवार की उत्पत्ति उसका पुत्र पैदा होने के बाद कर सकता है।

2. **दायभाग सम्प्रदाय–**

दायभाग सम्प्रदाय का प्रचलन केवल बंगाल, असम, ओडीसा के कुछ भागों में ही पाया जाता है। इस सम्प्रदाय के अनुसार हिन्दू अविभाजित परिवार की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं–

(अ) पुत्र अपने पिता की सम्पत्ति के विभाजन की मॉग पिता के जीवनकाल में नहीं कर सकता है अर्थात् पिता अपने पुत्रों के साथ सहभागी सदस्य नहीं हो सकता है।

(ब) पुत्रों को अपने पूर्वजों की सम्पत्ति पर अपने पिता की मृत्यु के बाद ही अधिकार प्राप्त होगा।

जैन व सिख परिवारों के सदस्यों को भी सामान्यतः हिन्दू अविभाजित परिवार ही माना जाता है जब तक कि वह अन्यथा सिद्ध न कर दे। उक्त अपवाद स्वरूप परिस्थिति में इन परिवारों को हिन्दू अविभाजित परिवार नहीं माना जायेगा।

निवास स्थान का निर्धारण–

हिन्दू अविभाजित परिवार भी व्यक्तियों के समान ही साधारण निवासी, असाधारण निवासी तथा अनिवासी हो सकते हैं। इसके सम्बन्ध में नियम निम्नलिखित हैं–

निवासी परिवार–

एक हिन्दू अविभाजित परिवार गतवर्ष में निवासी तभी माना जायेगा जबकि गतवर्ष में इसका नियन्त्रण पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से भारत में स्थित हो।

साधारण निवासी परिवार– जब कोई परिवार निवासी होने की शर्त पूर्ण कर देता है तो यह देखने के लिए कि वह साधारण निवासी है अथवा असाधारण, निम्न अतिरिक्त शर्त को लागू किया जाता है। एक निवासी हिन्दू अविभाजित परिवार भारत में साधारण निवासी तभी माना जायेगा जबकि उस परिवार का कर्ता– (1) भारत में गतवर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में से कम से कम 2 वर्ष निवासी की स्थिति में रहा हो। तथा (2) गतवर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में कुल मिलाकर 730 दिन या अधिक समय तक भारत में रहा हो।

असाधारण निवासी परिवार– जब कोई परिवार निवासी होने की शर्त पूर्ण कर देता है किन्तु अतिरिक्त दोनों शर्त पूर्ण नहीं करता है तो उसे असाधारण निवासी परिवार माना जाता है।

अनिवासी परिवार– जब कोई हिन्दू अविभाजित परिवार निवासी होने की शर्त पूर्ण नहीं कर पाता है अर्थात् उसका नियन्त्रण एवं प्रबन्ध पूर्ण अथवा आंशिक रूप से भारत में स्थित न हो तो उसे अनिवासी परिवार माना जाता है।

नियन्त्रण एवं प्रबन्ध के स्थान का आशय ऐसे स्थान से है जिस स्थान पर व्यापार को संचालित करने की नीति बनाई जाती हैं तथा वित्त व अन्य महत्वपूर्ण विषयों के प्रबन्धन आदि की व्यवस्था की जाती है।

अभ्याय हेतु प्रश्न (2)–

अमरजीत सिंह एक हिन्दू अविभाजित परिवार के कर्ता हैं। वह स्थाई रूप से अमेरिका में रहते हैं। उन्होंने अपने भाई को परिवार के भारत में स्थित व्यापार के संचालन सौंप रखा है। कर निर्धारण वर्ष 2018–19 के लिए हिन्दू अविभाजित परिवार के निवास की स्थिति बताइए।

(उत्तर–प्रश्नगत हिन्दू अविभाजित परिवार का आंशिक नियन्त्रण भारत में है अतः परिवार निवासी होगा। परिवार के कर्ता स्थाई रूप से अमेरिका में रहते हैं। वे साधारण निवासी होने की शर्तें पूर्ण नहीं कर सकते है। अतः परिवार **असाधारण निवासी** माना जायेगा।)

2.5 फर्म तथा व्यक्तियों के समूह तथा अन्य व्यक्तियों के निवास स्थान का निर्धारण

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 6(2) के प्रावधानानुसार किसी फर्म अथवा व्यक्तियों के समूह के निवास स्थान निर्धारित करने के लिए केवल एक ही शर्त है। उक्त शर्त के पूर्ण होने पर फर्म निवासी की स्थिति में आ जाती है। वह शर्त है– एक फर्म अथवा व्यक्तियों का समूह भारत में निवासी होता है यदि इसका नियन्त्रण एवं प्रबन्ध (पूर्ण अथवा आंशिक) भारत में स्थित है।

फर्म के निवास स्थान के निर्धारण में इस बात का कोई महत्व नहीं है कि उसके साझेदारों के निवास स्थान की क्या स्थिति है अर्थात् वे भारत में रहते भी हैं अथवा नहीं।

निवास स्थान की शर्त पूर्ण होने पर फर्म निवासी बनती है किन्तु व्यक्ति एवं हिन्दू अविभाजित परिवार की तरह इसमें साधारण एवं असाधारण निवासी जैसी स्थिति नहीं होती। उक्त शर्त पूर्ण होने पर फर्म निवासी होती है तथा शर्त के पूर्ण न होने अनिवासी कहलाती है। अर्थात् यदि किसी फर्म का प्रबन्ध व नियन्त्रण भारत के बाहर है तो वह आयकर की दृष्टि से अनिवासी फर्म होगी। फर्म कभी असाधारण निवासी नहीं होती है।

अभ्यास हेतु प्रश्न (3)– एक साझेदारी फर्म अपना कारोबार हरिद्वार में संचालित करती है। नरेन्द्र जीत सिंह फर्म के एकमात्र सक्रिय साझेदार हैं तथा वह कनाडा में स्थायी रूप से रहते हैं। गतवर्ष 2017–18 में वह 1 मई 2017 को भारत भ्रमण हेतु आये तथा एक माह तक यहाँ रहे। फर्म के निवास की स्थिति बताइए।

(उत्तर–फर्म का सक्रिय साझेदार विदेश में रहता है अतः ये माना जायेगा कि फर्म का प्रबन्ध व नियन्त्रण भारत के बाहर होता है। अतः साझेदारी फर्म कर निर्धारण वर्ष 2018–19 के लिए अनिवासी होगी।)

फर्म व व्यक्तियों के समूह के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति यथा– स्थानीय सत्ता, कृत्रिम व्यक्ति, वैधानिक निगम आदि भी असाधारण निवासी नहीं होते हैं। ये निवासी अथवा अनिवासी हो सकते हैं। इनके निवास स्थान के निर्धारण के सम्बन्ध में धारा 6(4) में नियम निर्धारित है तथा इसमें भी वही शर्तें लागू होती हैं जिनका उल्लेख फर्म के निवास स्थान के निर्धारण में किया जा चुका है अर्थात् इसका नियन्त्रण एवं प्रबन्ध (पूर्ण अथवा आंशिक) भारत में स्थित होने पर इन्हें निवासी अन्यथा अनिवासी समझा जाता है।

2.6 कम्पनी के निवास स्थान का निर्धारण

गत वर्ष में कम्पनी के निवास स्थान के निर्धारण में आयकर अधिनियम की धारा 6(3) के आधार पर निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होता है–

(1) यह एक भारतीय कम्पनी है, अथवा

(2) गत वर्ष में कम्पनी का सम्पूर्ण प्रबन्ध एवं नियन्त्रण भारत से किया गया हो।

उपरोक्त शर्तों के अन्तर्गत आने वाली कम्पनी को भारतीय आयकर अधिनियम के अन्तर्गत निवासी कम्पनी माना जाता है।

यदि कम्पनी भारतीय कम्पनी नहीं है तथा उसका प्रबन्ध व नियन्त्रण भी भारत के बाहर स्थित है तो उसे अनिवासी कम्पनी माना जाता है।

एक कम्पनी गतवर्ष के लिए निवासी अथवा अनिवासी होती है। कोई भी कम्पनी निवास की दृष्टि से असाधारण निवासी नहीं हो सकती है।

भारतीय कम्पनी से आशय एक ऐसी कम्पनी से होता है जिसका समामेलन भारत में हुआ है। निवास स्थान के निर्धारण में इस बात से कोई अन्तर नहीं पड़ता है कि कम्पनी अपनी व्यापारिक क्रियाएं (क्रय विक्रय आदि) कहॉ करती है तथा उसके अंशधारकों व निदेशकों के निवास की क्या स्थिति है। कम्पनी का नियन्त्रण एवं प्रबन्ध वहॉ माना जाता है जहॉ उसके संचालक मण्डल की सभाएं सामान्यतः आयोजित की जाती हैं।

2.7 निवास के आधार पर कर दायित्व

आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों में किसी निर्धारिती के लिए गत वर्ष के आयकर की गणना करने के लिए उसके निवास की स्थिति का आकलन करना आवश्यक होता है। ऐसा करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आयकर अधिनियम प्रत्येक निवास प्रास्थिति के लिए भिन्न कर दायित्व का निर्धारण करता है। यहॉ पर कर दायित्व से आशय करदाता के आयकर दायित्व की गणना से नहीं होता है वरन् सकल कुल आय की गणना से है। निर्धारिती विभिन्न श्रोतों से तथा विभिन्न स्थानों से वर्ष भर आय प्राप्त करते हैं। अतः यह निर्धारित करना आवश्यक होता है कि आय को निर्धारिती की आय में सम्मिलित किया जाये और किसको नहीं।

एक निर्धारिती के लिए उसके निवास की स्थिति के आधार पर कर दायित्व का निर्धारण निम्नप्रकार से किया जाता है–

निवासी अथवा साधारण निवासी के लिए कर दायित्व का निर्धारण–

आयकर अधिनियम की धारा 5(1) के अनुसार एक निवासी की विभिन्न क्षेत्रों से होने वाली आयों को उनके उदय, उपार्जित, प्राप्त होने या उदय, उपार्जित, प्राप्त माने जाने के आधार पर कर दायित्व का निर्धारण निम्नप्रकार से किया जाता है–

1. **भारत में प्राप्त आय–** किसी निवासी के लिए ऐसी कोई भी आय जो प्रथम बार भारत में प्राप्त की जा रही है, कर योग्य होगी चाहे वह भारत में उपार्जित हो या भारत के बाहर। जैसे– भारत में स्थापित किसी व्यापार या सेवा से लाभ अथवा भारत से बाहर किये गये व्यापार या सेवा का भुगतान भारत में प्राप्त होना। यह आय करदाता द्वारा स्वयं प्राप्त की गई हो अथवा उसके द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, कर दायित्व समान रहता है।
2. **भारत में प्राप्त हुई समझी गई आय–** एक निवासी के लिए वे समस्त आयें करयोग्य होंगी जो कि यद्यपि प्राप्त नहीं हुई हैं किन्तु आयकर गणना के लिए उन्हें प्राप्त हुआ माना लिया गया है।
3. **भारत में उपार्जित अथवा उदय हुई आय–** गत वर्ष में करदाता को भारत में उपार्जित अथवा उदय होने वाली आय को निवासी के लिए करयोग्य होती है। यथा– भारत में प्रदान की गयी सेवाओं के लिए भुगतान विदेश में प्राप्त होना।

4. **भारत में उपार्जित अथवा उदय मानी गई आय–** एक निवासी को उस आय पर भी कर देना होता है जो कि भारत में उपार्जित अथवा उदय हुई मानी जाती हों। भारत में स्थापित किसी कम्पनी द्वारा लाभांश भारत के बाहर देय होने पर भी इस आय को भारत में उपार्जित माना जायेगा तथा यह निवासी के लिए कर दायित्व उत्पन्न करेगा।
5. **भारत के बाहर उपार्जित अथवा उदय हुई आय–** यदि कोई आय भारत के बाहर उपार्जित अथवा उदय हुई हो तथा प्राप्त भी बाहर ही हुई हो तो भी उसे एक निवासी की स्थिति में करयोग्य आय माना जाता है। जैसे– विदेश में स्थित किसी मकान अथवा सम्पत्ति के प्राप्त होने वाले किराये की राशि।

अभ्यास हेतु प्रश्न (4)–

श्री सन्तोष टण्डन भारत के निवासी हैं। उन्हें गतवर्ष 2017–18 में निम्नलिखित आय प्राप्त हुई हैं–

1.	भारत में व्यापार से प्राप्त आय	1,00,000
2.	लन्दन में मकान सम्पत्ति से आय वहीं प्राप्त की	20,000
3.	मालदीव में व्यापार से लाभ (भारत से नियन्त्रित है।) (जिसमें से 30,000 भारत में प्राप्त किया गया है।)	50,000
4.	अमेरिका से नियन्त्रित व्यापार से भारत में आय	1,10,000
5.	गतवर्ष से पूर्व की आय जो कि गत वर्ष भारत लाई गई।	50,000
6.	विदेश में चल रहे व्यापार को तकनीकी सेवा देने के बदले प्राप्त रायल्टी	10,000

श्री टण्डन की कुल आय की गणना कीजिए।

उत्तर–

भारत में व्यापार से प्राप्त आय	1,00,000
लन्दन में मकान सम्पत्ति से आय	20,000
मालदीव में व्यापार से लाभ	50,000
अमेरिका से नियन्त्रित व्यापार से भारत में आय	1,10,000
प्राप्त रायल्टी	10,000
कुल आय	**2,90,000**

असाधारण निवासी के लिए कर दायित्व का निर्धारण–

असाधारण निवासी के लिए कर दायित्व एक निवासी की अपेक्षा कम होते हैं। असाधारण निवासी की स्थिति में निम्नलिखित आयों को कर दायित्व में सम्मिलित किया जाता है–

1. **भारत में प्राप्त आय–** गत वर्ष में एक असाधारण निवासी को भारत में प्राप्त समस्त आयों को करयोग्य माना जाता है। ये आय स्वयं प्राप्त की हों अथवा किसी अधिकृत व्यक्ति के द्वारा, कर दायित्व समान ही रहेगा। भारत में प्राप्त आय तब भी कर दायित्व में सम्मिलित की जायेंगी जब वह उपार्जित अथवा उदय भारत के बाहर हुई हों।

2. **भारत में प्राप्त हुई समझी गयी आय–** भारत में प्राप्त मानी जाने वाली गतवर्ष की आय को भी करदाता की कुल आय में आयकर की गणना के लिए सम्मिलित किया जाता है।
3. **भारत में उपार्जित अथवा उदय हुई आय–** गतवर्ष में भारत में उपार्जित अथवा उदय समस्त आयों को करदाता की कुल आय में जोडा जाता है चाहे ये आय भारत में प्राप्त हुई हों अथवा भारत के बाहर।
4. **भारत में उपार्जित अथवा उदय हुई मानी जाने वाली आय–** किसी असाधारण निवासी की कुल आय की गणना के लिए उसकी गत वर्ष में भारत में उपार्जित अथवा उदय मानी जाने वाली आयों को जोड़ा जाता है।
5. **अन्य आय–** भारत से बाहर उपार्जित अथवा उदय होने वाली ऐसी आय जो किसी ऐसी संस्था से हुई हो जिसका प्रबन्ध व नियन्त्रण भारत में स्थित हो।

अभ्यास हेतु प्रश्न (5)–

उपरोक्त अभ्यास हेतु प्रश्न (4) में यदि श्री सन्तोष टण्डन असाधारण निवासी हों तो कुल आय की गणना कीजिए।

उत्तर–

भारत में व्यापार से प्राप्त आय		1,00,000
मालदीव में व्यापार से लाभ	(भारत से नियन्त्रित)	50,000
अमेरिका से नियन्त्रित व्यापार से भारत में आय		1,10,000
कुल आय		**2,60,000**

अनिवासी के लिए कर दायित्व का निर्धारण–

किसी अनिवासी के लिए कर दायित्व का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित आयों को सम्मिलित किया जाता है–

1. **भारत में प्राप्त आय–** भारत में गतवर्ष में प्राप्त समस्त आयों को अनिवासी अन्य करदाताओं के समान ही भी कुल आय में सम्मिलित किया जाता है।
2. **भारत में प्राप्त मानी गई आय–** गत वर्ष में भारत में प्राप्त मानी गयी आयों को भी कुल आय में सम्मिलित किया जाता है।
3. **भारत में उपार्जित व उदय हुई आय–** गत वर्ष में भारत में उपार्जित हुई आय को आयकर निर्धारण के लिए करदाता की कुल आय में जोड़ा जाता है, भले ही यह आय भारत में प्राप्त हुई हो अथवा भारत के बाहर।
4. **भारत में उपार्जित व उदय मानी गई आय–** इस प्रकार की गत वर्ष की आय को भी कर दायित्व में सम्मिलित किया जाता है।

अभ्यास हेतु प्रश्न (6)–

उपरोक्त अभ्यास हेतु प्रश्न (4) में यदि श्री सन्तोष टण्डन अनिवासी हों तो उनकी कर निर्धारण वर्ष 2018–19 हेतु कुल आय की गणना कीजिए।

उत्तर–		
भारत में व्यापार से प्राप्त आय		1,00,000
मालदीव में व्यापार से लाभ	(भारत में प्राप्त)	30,000
अमेरिका से नियन्त्रित व्यापार से भारत में आय		1,10,000
कुल आय		**2,40,000**

इस प्रकार, यह कहा जा सकता है कि–

- भारत में प्राप्त अथवा प्राप्त मानी गई आय सभी प्रकार के करदाताओं के कर निर्धारण हेतु उनकी कुल आय में जोड़ी जायेगी, चाहे वह उपार्जित व उदय भारत में अथवा बाहर हुई हो। इसी प्रकार भारत में उपार्जित एवं उदय अथवा भारत में उपार्जित एवं उदय मानी गई आयों भी सभी करदाताओं की कुल आय में जोड़ा जाता है, चाहे वह प्राप्त भारत में अथवा बाहर हुई हो। अर्थात् यदि कोई आय गतवर्ष में भारत में प्राप्त या उदय या उपार्जित हो अथवा मान ली जाये तो यह सभी प्रकार के करदाताओं के लिए करयोग्य हो जाती है। अनिवासी करदाताओं के लिए केवल यही आय कर दायित्वों में सम्मिलित की जायेंगी। निवासी करदाताओं के लिए कुछ अन्य आय भी कुल आय की गणना में जोड़ी जाती हैं।
- भारत के बाहर ऐसे व्यापार से उपार्जित व उदय आय जो भारत से नियन्त्रित होता है अथवा भारत में स्थापित पेशे से उपार्जित या उदय हो, को साधारण व असाधारण दोनों निवासियों के लिए कर दायित्वों में सम्मिलित किया जाता है किन्तु अनिवासी के लिए नहीं।
- ऐसी आय जो गतवर्ष में भारत के बाहर उपार्जित या उदय हुई हो तथा भारत के बाहर ही प्राप्त हुई हो, को केवल साधारण निवासी के कर दायित्वों में सम्मिलित किया जाता है, असाधारण निवासी तथा अनिवासी के लिए नहीं।
- यदि कोई आय गतवर्ष से पूर्व के वर्ष में प्राप्त हुई है किन्तु उसे गत वर्ष में भारत लाया गया है तो उसे किसी भी करदाता के गतवर्ष कर दायित्व की गणना के लिए सम्मिलित नहीं किया जाता है।

उपरोक्त नियमों को निम्नलिखित चार्ट के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है–

क्रमांक	आय का विवरण	निवास की स्थिति		
		निवासी / साधारण निवासी	असाधारण निवासी	अनिवासी
1	भारत में प्राप्त आय	करयोग्य	करयोग्य	करयोग्य

2	भारत में प्राप्त मानी गई आय	करयोग्य	करयोग्य	करयोग्य
3	भारत में उपार्जित अथवा उदय हुई आय	करयोग्य	करयोग्य	करयोग्य
4	भारत में उपार्जित अथवा उदय हुई मानी गई आय	करयोग्य	करयोग्य	करयोग्य
5	भारत के बाहर ऐसे व्यापार से उपार्जित या उदय हुई आय जिसका नियन्त्रण भारत से होता हो अथवा, भारत में स्थापित पेशे से उपार्जित हुई हो।	करयोग्य	करयोग्य	न्हीं
6	भारत के बाहर उपार्जित या उदय हुई आय हो तथा भारत के बाहर ही प्राप्त हुई हो।	करयोग्य	नहीं	नहीं
7	गत वर्ष से पूर्व के वर्षों में भारत के बाहर उपार्जित, उदय अथवा प्राप्त आय जो कि गतवर्ष में भारत लायी गई हो।	नहीं	नहीं	नहीं

निवासियों की आय को कुल आय में जोड़े जाने के सम्बन्ध में विभिन्न आयों का वर्णन किया गया है जिन्हें विस्तार से समझा जाना आवश्यक है–

1. **भारत में प्राप्त आय–**

गत वर्ष में करदाता द्वारा प्राप्त की गई समस्त प्रकार की आयों को भारत में प्राप्त आय कहा जाता है। ये आय नकद अथवा वस्तु रूप में हो सकती है। वस्तु रूप में प्राप्त आय का प्राप्ति तिथि को बाजार मूल्य हीं नकद मूल्य माना जाता है। आय प्रथम बार प्राप्त की गई होनी चाहिए। यदि आय पूर्व में अन्यत्र प्राप्त की जा चुकी है तथा उसे भारत लाया जा रहा है तो यह करदाता की आय में नहीं जोड़ा जा सकता है। यदि किसी आय को करदाता ने अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्राप्त किया हैं तो भी वह करदाता की आय मानते हुए गणना की जायेगी।

2. **भारत में प्राप्त मानी गई आय–**

गत वर्ष में भारत में प्राप्त मानी गई आय से आशय उन आयों से है जिन्हें करदाता ने वास्तव में प्राप्त नहीं किया है किन्तु आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इन्हें प्राप्त मान लिया जाता है। जैसे– प्रमाणित भविष्य निधि के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों के सम्बन्ध में यह मान लिया जाता है कि उन्हें नियोक्ता के हिस्से का अंशदान प्राप्त हो गया है। इसीप्रकार भविष्य निधि पर ब्याज को भी प्राप्त मानते हुए कुल आय में जोड़ा जाता है। (यद्यपि इनके सम्बन्ध में कतिपय छूट भी उपलब्ध हैं जिनका अध्ययन बाद के अध्यायों में किया जायेगा।)

3. **भारत में उपार्जित अथवा उदय हुई आय–**

किसी निर्धारिती को केवल अपनी प्राप्त आय पर ही नहीं वरन उपार्जित अथवा उदय हुई आय पर भी कर देना होता है। उपार्जन से आशय उस स्थिति से हैं जिसमें करदाता आय प्राप्त करने का ऐसा अधिकार प्राप्त कर लेता है जिसके अनुसार आय का प्राप्त होना सुनिश्चित हो जाता है। यदि आय का उपार्जन भारत में हुआ है तो यह सभी प्रकार के करदाताओं के लिए करयोग्य होगा भले ही आय की प्राप्ति कहीं भी तथा कभी भी हुई हो। आयकर की दृष्टि से आय का उपार्जन तथा उदय एक ही माना जाता है। उपार्जन उस स्थान पर माना जाता है जहॉ आय उत्पन्न होती है। व्यापार के मामले में वस्तु के विक्रय के स्थान को ही आय के उपार्जन या उदय का स्थान माना जाता है।

4. **भारत में उपार्जित अथवा उदय मानी गई आय–**

कुछ आय इस प्रकार की भी होती हैं जो कि भारत में उपार्जित या उदय नहीं होने पर भी आयकर के प्रावधानों के अधीन भारत में उपार्जित या उदय मानी जाती हैं। उदाहरण के लिए–

- भारत में किसी चल या अचल सम्पत्ति के हस्तांतरण में प्राप्त आय भारत में उपार्जित अथवा उदय मानी जाती है। कोई अनिवासी यदि इसका भुगतान भारत के बाहर भी प्राप्त करता है तो भी इसे भारत में उपार्जित माना जायेगा।
- इसी प्रकार यदि कोई अनिवासी किसी फिल्म की भारत में शूटिंग करता है और आय प्राप्त करता है अथवा भारत में प्रदत्त अपनी सेवाओं के लिए विदेश में धन प्राप्त करता है तो इस प्रकार की आयों को भारत में उपार्जित या उदय आय माना जायेगा।
- सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली अधिकार शुल्क (रायल्टी) की राशि को भारत में उपार्जित या उदय आय माना जायेगा। यदि अधिकार शुल्क का भुगतान किसी अन्य करदाता के द्वारा देय है तो सम्बन्धित सम्पत्ति भारत में चल रहे व्यापार या पेशे से सम्बन्धित होनी चाहिए।
- किसी व्यापार में कुल कार्य के उस भाग से सम्बन्धित आय जो कि भारत में कार्य के फलस्वरूप होती हैं, को भारत में उपार्जित या उदय आय माना जायेगा।
- सरकार द्वारा तकनीकी सेवाओं के प्रतिफल सम्बन्धी फीस के भुगतान की राशि को भारत में उपार्जित या उदय आय माना जायेगा। यदि फीस का भुगतान किसी अन्य करदाता के द्वारा देय है तो सम्बन्धित सेवा का उपयोग भारत में चल रहे व्यापार या पेशे से सम्बन्धित होनी चाहिए अथवा भारत में लाभ कमाने के किसी अन्य श्रोत में हो रहा होना चाहिए।

2.8 सारांश

आयकर निर्धारण के सम्बन्ध में करदाता के स्तर तथा निवासीय स्थिति अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है। निवास की स्थिति के आधार पर ही यह ज्ञात किया जा

सकता है कि किसी करदाता की किस आय को कुल आय में सम्मिलित किया जाये और किसे नहीं। निवास की स्थिति के आधार पर करदाता को निवासी, असाधारण निवासी तथा अनिवासी की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। व्यक्ति, हिन्दू अविभाजित परिवार, कम्पनी आदि के लिए आयकर अधिनियम 1961 में कुछ शर्तें निर्धारित हैं जिनके आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। जो व्यक्ति आधारभूत शर्तों को पूर्ण करता है उसे निवासी कहा जाता है। जो आधारभूत के साथ अतिरिक्त शर्तों को भी पूर्ण करता है उसे साधारण निवासी कहते हैं किन्तु जो व्यक्ति आधारभूत शर्तें पूर्ण करता है किन्तु अतिरिक्त शर्तें पूर्ण नहीं करता है उसे असाधारण निवासी कहते हैं। आधारभूत शर्तें पूर्ण न करने वाली व्यक्ति अनिवासी होता है।

हिन्दू अविभाजित परिवार के सम्बन्ध में दो सम्प्रदाय पाये जाते हैं– मिताक्षरा तथा दायभाग। एक हिन्दू अविभाजित परिवार गतवर्ष में निवासी तभी माना जायेगा जबकि गतवर्ष में इसका नियन्त्रण पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से भारत में स्थित हो। अन्यथा स्थिति में यह अनिवासी होगा। यह साधारण निवासी तब माना जाता है जब इसका कर्ता गतवर्ष में वे अतिरिक्त शर्तें पूर्ण करता हो जो निवासी के लिए निर्धारित हैं। अन्यथा स्थिति में यह असाधारण निवासी माना जाता है।

कम्पनी के निवास स्थान के निर्धारण में निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होता है– (1) यह एक भारतीय कम्पनी है, अथवा (2) गत वर्ष में कम्पनी का सम्पूर्ण प्रबन्ध एवं नियन्त्रण भारत से किया गया हो। उपरोक्त शर्त पूर्ण करने वाली कम्पनी निवासी तथा शर्त पूर्ण न करने वाली कम्पनी अनिवासी होती है। कम्पनी असाधारण निवासी नहीं होती। इसी प्रकार फर्म, स्थानीय सत्ता आदि भी केवल निवासी या अनिवासी होते हैं असाधारण निवासी नहीं होते। भारत में प्राप्त अथवा प्राप्त मानी गई आय सभी प्रकार के करदाताओं के कर निर्धारण हेतु उनकी कुल आय में जोड़ी जायेगी, इसी प्रकार भारत में उपार्जित एवं उदय अथवा भारत में उपार्जित एवं उदय मानी गई आयों भी सभी करदाताओं की कुल आय में जोड़ा जाता है।

भारत के बाहर ऐसे व्यापार से उपार्जित व उदय आय जो भारत से नियन्त्रित होता है अथवा भारत में स्थापित पेशे से उपार्जित या उदय हो, को साधारण व असाधारण दोनों निवासियों के लिए कर दायित्वों में सम्मिलित किया जाता है। ऐसी आय जो गतवर्ष में भारत के बाहर उपार्जित या उदय हुई हो तथा भारत के बाहर ही प्राप्त हुई हो, को केवल साधारण निवासी के कर दायित्वों में सम्मिलित किया जाता है, असाधारण निवासी तथा अनिवासी के लिए नहीं।

2.9 शब्दावली

गतवर्षः	वित्तीय वर्ष जिसकी आय के आधार पर कर की गणना की जाती है।
निवासी	वह व्यक्ति जो आयकर अधिनियम द्वारा निर्धारित आधारभूत शर्तों (श्रेणी–अ) में से कम से कम एक पूर्ण करता हो।
साधारण निवासीः	वह व्यक्ति जो आयकर अधिनियम द्वारा निर्धारित आधारभूत शर्तों (श्रेणी–अ) तथा दोनों अतिरिक्त शर्तों (श्रेणी–ब) को पूर्ण करता हो।

असाधारण निवासीः वह व्यक्ति जो आयकर अधिनियम द्वारा निर्धारित आधारभूत शर्तों (श्रेणी–अ) को पूर्ण करता हो किन्तु दोनों अतिरिक्त शर्तों (श्रेणी–ब) को पूर्ण न करता हो।

अनिवासीः वह व्यक्ति जो आयकर अधिनियम द्वारा निर्धारित आधारभूत शर्तों (श्रेणी–अ) में से एक भी पूर्ण न करता हो।

2.10 बोध प्रश्न

(अ) रिक्त स्थान की पूर्ति करो।

1. जो व्यक्ति निवासी होने की आधारभूत शर्तों को पूरा नहीं करता है उसे .... कहते हैं।
2. ....वे व्यक्ति होते हैं जो निवास की आधारभूत शर्त तो पूर्ण करते हैं किन्तु अतिरिक्त शर्त पूर्ण नहीं करते हैं।
3. रोजगार के लिए विदेश जाने वाले व्यक्ति को भारत में निवासी होने के लिए भारत में.........................दिन. रहना आवश्यक है।
4. भारत में उपार्जित आय एक अनिवासी के लिए .... होती है।
5. विदेश में संचालित व्यापार से विदेश में ही प्राप्त आय एक निवासी के लिए .... होगी।

(ब) सत्य/असत्य

1. यदि एक व्यक्ति गतवर्ष में 182 दिन का निवास भारत में पूर्ण कर लेता है तो वह अनिवासी नहीं हो सकता।
2. यदि कोई व्यक्ति रोजगार तलाशने के उद्देश्य से देश छोड़ता है तो उसे निवासी होने के लिए भारत में गत वर्ष में 182 दिन का निवास आवश्यक है।
3. साधारण निवासी घोषित करने के लिए एक व्यक्ति को गतवर्ष में दो अतिरिक्त शर्तों में से कोई एक अतिरिक्त शर्त पूर्ण करना पर्याप्त है।
4. गत वर्ष से पूर्व प्राप्त आय को गत वर्ष में भारत लाने पर यह साधारण निवासी के लिए करयोग्य है।
5. निवास के लिए निर्धारित दिनों को भारत में किसी एक स्थान पर तथा एक साथ निवास करना आवश्यक है।
6. निवासी की अपेक्षा अनिवासी पर कर दायित्व अधिक होता है।
7. अविभाजित भारत में जन्म लेने की दशा में किसी व्यक्ति को भारतीय मूल का माना जा सकता है।

(स) बहुविकल्पी प्रश्न

1. करदाता के निवास की स्थिति प्रत्येक वर्ष–

   अ. अनिवार्यतः समान रहती है ब. अनिवार्यतः बदलती है

   स. बदल सकती है द. उक्त में कोई नहीं
2. भारत में प्राप्त या प्राप्त समझी जाने वाली आय निम्न में से किसके लिए करयोग्य है–

   अ. साधारण निवासी ब. असाधारण निवासी

   स. अनिवासी द. उपरोक्त सभी

3. यदि कोई व्यक्ति रोजगार की तलाश के लिए भारत छोड़ता है तो उसे निवासी होने के लिए गतवर्ष में कम से कम .... दिन भारत में रहना अनिवार्य होगा।

अ.	60	ब.	182
स.	272	द.	365

4. यदि एक व्यक्ति भारतीय नागरिक है अथवा भारतीय मूल का है एवं विदेश में रह रहा है तथा वह गत वर्ष में किसी कार्यवश अथवा भ्रमण हेतु भारत आता है तो उसे निवासी होने के लिए गत वर्ष में कम से कम ....दिन भारत में रहना अनिवार्य होगा।

अ.	60	ब.	120
स.	182	द.	उपरोक्त में कोई नहीं

5. श्री सन्तोष कुमार भारत से प्रथम बार दिनांक 15 अप्रेल 2017 को अमेरिका गया तथा वह 31 मार्च 2018 तक वापस नहीं लौटा था। आयकर की दृष्टि से कर निर्धारण वर्ष 2018–19 के लिए उसकी निवासीय स्थिति क्या होगी?

अ.	साधारण निवासी	ब.	असाधारण निवासी
स.	अनिवासी	द.	भारतीय मूल

(द) समूहों का मिलान करो।

1.	निवासी	(अ) जो आधारभूत शर्तें पूर्ण नहीं करता है।
2.	असाधारण निवासी	(ब) जो आधारभूत तथा अतिरिक्त शर्तें पूर्ण करता है।
3.	साधारण निवासी	(स) जो आधारभूत शर्तें पूर्ण करता है।
4.	अनिवासी	(द) जो आधारभूत शर्त पूर्ण करते हैं किन्तु अतिरिक्त शर्तें नहीं।

2.11 बोध प्रश्नों के उत्तर

(अ) 1. अनिवासी, 2. असाधारण निवासी, 3. 182, .4. करयोग्य, 5. करयोग्य

(ब) 1. सत्य 2. सत्य 3. असत्य 4. असत्य 5. असत्य 6. असत्य 7. सत्य

(स) 1. स 2. द 3 ब 4. स 5. स

(द) 1. स 2. द 3. ब 4. अ

2.12 स्वपरख प्रश्न

(लघु उत्तरीय)

1. निवास की स्थिति के आधार पर व्यक्तियों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है?
2. किसी व्यक्ति के निवास की स्थिति के निर्धारण हेतु आधारभूत अथवा अनिवार्य शर्तें क्या हैं?
3. किसी व्यक्ति को असाधारण निवासी कब माना जाता है?
4. किसी व्यक्ति को किन परिस्थितियों में अनिवासी माना जाता है?
5. किसी व्यक्ति को साधारण निवासी माने जाने के सम्बन्ध में क्या प्रावधान हैं?

6. हिन्दू विधि के अनुसार हिन्दू अविभाजित परिवार के प्रचलित सम्प्रदाय कौन से हैं?
7. संयुक्त हिन्दू परिवार के निवास स्थान का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है?
8. कम्पनी की निवासीय स्थिति का निर्धारण करने के लिए किन शर्तों का पालन किया जाता है?
9. प्राप्त आय तथा प्राप्त हुई मानी जाने वाली आय किसे कहते हैं?
10. उपार्जित या उदय तथा उपार्जित या उदय मानी जाने वाली आय को समझाइए।

(दीर्घ उत्तरीय)

1. किसी व्यक्ति के निवास स्थान का निर्धारण करने के सम्बन्ध में आयकर अधिनियम 1961 की व्यवस्थाओं को विस्तार से समझाइए।
2. आयकर अधिनियम के अन्तर्गत निवास के आधार पर करदाताओं को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? प्रत्येक के कर दायित्वों से सम्बन्धी प्रावधानों को समझाइए।
3. भारत तथा भारत के बाहर प्राप्त, उपार्जित व उदय आयों तथा प्राप्त, उपार्जित व उदय मानी गई आयों के सम्बन्ध में निवासी, असाधारण निवासी तथा अनिवासी का कर दायित्व समझाइए।
4. ''आयकर भार करदाता की निवासीय स्थिति पर निर्भर करता है।'' सविस्तार विवेचन कीजिए।
5. आयकर प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए–
   अ) असाधारण निवासी
   आ) प्राप्त एवं प्राप्त मानी गई आयें
   इ) उपार्जित व उदय आयें
   ई) हिन्दू अविभाजित परिवार
6. ठाकुर रूद्र प्रताप की गतवर्ष 2017–18 के लिए विभिन्न श्रोतों से आय निम्नलिखित है–

		रू0
1.	भारतीय कम्पनी द्वारा भुगतान किया गया लाभांश जिसे भारत के बाहर प्राप्त किया गया।	70,000
2.	पाकिस्तान में कृषि से आय जिसे पाकिस्तान में प्राप्त करके भारत लाया गया।	82,000
3.	इंग्लैण्ड की सम्पत्ति से आय जिसे विदेश में प्राप्त किया गया।	50,000
4.	गाजियाबाद के व्यापार से लाभ जिसका संचालन इंग्लैण्ड से होता है।	2,00,000
5.	तीन वर्ष पूर्व विदेश में कमाया गया अकरारोपित लाभ जिसे गतवर्ष में भारत लाया गया।	25,000
6.	हल्द्वानी में भवन की बिक्री से लाभ जिसे विदेश में प्राप्त	18,000

किया गया।

7.	विदेश से व्यापार से आय जिसमें से रू0 25,000 भारत में प्राप्त किया गया।	45,000
8.	कनाडा विकास पत्र पर ब्याज जिसका आधा भारत में प्राप्त किया गया।	20,000

(उत्तर– साधारण निवासी रू0 4,15,000 असाधारण निवासी रू0 2,73,000 अनिवासी रू0 2,53,000)

7. (क) मो0 अल्ताफ अहमद एक पाकिस्तानी नागरिक हैं। अहमद ने 1 जून 2013 से 10 मई 2017 तक भारत के विश्वविद्यालय में रहकर नियमित शिक्षा प्राप्त की है। वे 11 मई 2017 को पाकिस्तान चले गये थे तथा कुछ समय वहॉ नौकरी करने के बाद 5 दिसम्बर 2017 को भारत वापस आये। वे यहॉ 10 जनवरी 2018 तक रहकर पाकिस्तान वापस चले गये। कर निर्धारण वर्ष 2018–19 के लिए अहमद की निवासीय स्थिति बताइए।

(ख) उपरोक्त मो0 अल्ताफ अहमद की वित्तीय वर्ष 2017–18 की विविध मदों की आय निम्नवत है–

		रू0
1.	पाकिस्तान में मकान सम्पत्ति से आय	60,000
2.	पाकिस्तान में नौकरी से प्राप्त वेतन	3,50,000
3.	भारत में बैंक जमाओं पर प्राप्त ब्याज	6,000
4.	भारतीय कम्पनी से प्राप्त लाभांश जिसे पाकिस्तान में प्राप्त किया गया।	10,000
5.	दुबई में किये गये विनियोगों से आय	50,000
6.	उनके पुत्र द्वारा सिंगापुर से भारत भेजा गया धन	1,00,000

कर निर्धारण वर्ष 2018–19 के लिए मो0 अहमद की कुल आय की गणना कीजिए।

(उत्तर–(क) साधारण निवासी (ख) रू0 4,66,000)

नोट– भारतीय कम्पनी से प्राप्त लाभांश करमुक्त है। मो0 अल्ताफ के पुत्र द्वारा भेजा गया धन मो0 अल्ताफ की आय नहीं है।

2.13 सन्दर्भ पुस्तकें

1. आयकर डॉ0 एच0सी0मेहरोत्रा, साहित्य भवन, आगरा।
2. आयकर नियोजन एवं प्रबन्ध, डॉ0 आर0के0जैन, एस0बी0पी0डी0 पब्लिशर्स, आगरा।
3. Income Tax VK Singhania, Taxmann, New Delhi.

इकाई 3 कर मुक्त आयें

इकाई की रूपरेखा

3.1 प्रस्तावना
3.2 सभी करदाताओं के लिए कर–मुक्त आयें
3.3 विशिष्ट संस्थाओं तथा कोषों की कर–मुक्त आयें
3.4 गैर नागरिक तथा/अथवा अनिवासी करदाताओं के लिए कर–मुक्त आयें
3.5 प्रमुख कर–मुक्त आयें
3.6 सारांश
3.7 शब्दावली
3.8 बोध प्रश्न
3.9 बोध प्रश्नों के उत्तर
3.10 स्वपरख प्रश्न
3.11 सन्दर्भ पुस्तकें

उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप इस योग्य हो सकेंगे कि :

- आयकर से छूट किसे प्रदान की जाती है, किन मदों के लिए प्रदान की जाती है व किस सीमा तक प्रदान की जाती है, की जानकारी प्राप्त कर सकें।
- कृषि आय से छूट प्राप्त करने के क्या नियम हैं, का वर्णन कर सकें।
- वेतनभोगी कर्मियों के लिए आय की विभिन्न छूट कौन सी हैं, का वर्णन कर सकें।
- विशिष्ट विनियोगों पर प्राप्त होने वाले ब्याज, बोनस, प्रीमियम आदि के सम्बन्ध में कर–मुक्त आय कौन सी हैं, की जानकारी प्राप्त कर सकें।
- विभिन्न संस्थाओं के लिए आय की किन मदों पर छूट उपलब्ध है व अनिवासी/गैर नागरिक करदाताओं के लिए कौन सी आयें करमुक्त होती हैं, की व्याख्या कर सकें।

3.1 प्रस्तावना

किसी गतवर्ष के लिए करयोग्य आय की गणना करने के लिए करदाता की विभिन्न श्रोतों की आय को सम्मिलित किया जाता है किन्तु कुछ विशिष्ट आयें ऐसी होती हैं जिन्हें आयकर अधिनियम के अन्तर्गत आयकर से मुक्त रखा गया है अर्थात् उन मदों से होने वाली आय को आयकर की गणना की दृष्टि से कुल आय सम्मिलित नहीं किया जाता है। अधिनियम की धारा 10 में इस प्रकार की आयों का वर्णन किया गया है। इनमें से कुछ आयें सभी प्रकार के करदाताओं के लिए कर मुक्त हैं तो कुछ संस्थाओं या कोषों के लिए। गैर नागरिक व अनिवासी करदाताओं के लिए भी कुछ आयें करमुक्त होती हैं। ये करमुक्ति पूर्णतः अथवा अंशतः हो सकती है जिसके सम्बन्ध में कतिपय शर्तों को लागू किया गया हैं।

इसप्रकार कर मुक्त आय का आशय उन आयों से है जिन्हें आयकर अधिनियम 1961 के अधीन कर मुक्त घोषित किया गया हो। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि–

- ऐसी आयों को कर से छूट भी कहा जाता है।
- इन आयों को करदाता की कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है।
- आयकर अधिनियम के प्रावधानानुसार ये आयें पूर्णतः अथवा एक निर्धारित सीमा तक कर मुक्त हो सकती हैं।
- कुछ आयें समस्त करदाताओं के लिए करमुक्त घोषित हैं किन्तु कुछ को विशिष्ट संस्थाओं अथवा कोषों के लिए ही कर मुक्त घोषित किया गया है।
- कर मुक्त होने के लिए कतिपय शर्तों का पालन किया जाना भी अनिवार्य होता है।

3.2 सभी करदाताओं के लिए कर–मुक्त आयें

आयकर अधिनियम के अन्तर्गत निम्नलिखित आयें सभी प्रकार के करदाताओं के लिए करमुक्त श्रेणी में रखी गई हैं–

1. **कृषि आय– {धारा 10(1)}**

आयकर की दृष्टि से भारत में कृषि आय को पूर्णतः करमुक्त माना गया है। इस सम्बन्ध में यह जानना आवश्यक्रक है कि किसी व्यक्ति की कृषि आय के अन्तर्गत किन गतिविधियों को सम्मिलित किया जाना है।

किसी करदाता की किसी आय को कृषि आय में तभी सम्मिलित किया जाता है जबकि–

अ. उक्त कृषि आय का सम्बन्ध प्रत्यक्षतः भूमि से हो,

ब. कृषि भूमि भारत में स्थित हो तथा

स. भूमि का प्रयोग कृषि कार्यों हेतु किया गया हो।

उपरोक्त में कृषि कार्यों के अन्तर्गत निम्न गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है–

क. भूमि पर कृषि सम्बन्धी क्रियाओं को करने से प्राप्त आय– कृषि भूमि पर किसी भी प्रकार की फसल उगाने के सम्बन्ध में की जानी वाली क्रियाओं यथा– भूमि का समतलीकरण, जुताई, सिंचाई, बुआई, निराई, गुड़ाई, खाद डालना, फसल कटाई आदि से होने वाली आय कृषि आय होती है। खाली जमीन पर स्वतः उग जाने वाले पेड़, झाड़ी, घास आदि को बेचने से होने वाली आय कृषि आय नहीं होती है।

ख. भूमि को कृषि हेतु किराये से अथवा लगान से आय– भूमि के मालिक के द्वारा कृषि भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को कृषि कार्य हेतु सौंप दी गई हो तो उससे प्राप्त किराया या लगान कृषि आय में सम्मिलित किया जाता है।

ग. कृषि उपज को विक्रय योग्य बनाने की क्रियाओं से आय– इसके अन्तर्गत भूसा निकालना, अनाज साफ करना, ,सुखाना, ग्रेडिंग करना आदि क्रियाएं आती हैं।

घ. कृषि उपज के विक्रय से आय,–कृषि कार्य से उत्पन्न फसल को बेचने से प्राप्त राशि कृषि आय होती है किन्तु खड़ी फसल खरीदकर उसकी बिक्री से प्राप्त आय कृषि आय में सम्मिलित नहीं की जाती है।

ङः कृषि कार्य में प्रयुक्त होने वाले भवन से आय– किसी ऐसे भवन से आय जो करदाता की कृषि भूमि (भारत में स्थित) के निकट है, करदाता के स्वयं के अधिकार में है तथा इसका प्रयोग उसके द्वारा स्वयं के निवास, पशु रखने अथवा फसलो का भण्डार करने के लिए किया जाता है। इस भूमि पर भू राजस्व या स्थानीय कर लगता हो अथवा यह ऐसे गैर शहरी क्षेत्र में स्थित हो जिसकी आबादी 10,000 से कम हो या यह नगर निगम या छावनी बोर्ड़ की सीमाओं सक अधिसूचित दूरी (8 किमी से अधिक) से बाहर हो।

सामान्यतः कृषि आय में निम्नलिखित मदे सम्मिलित होती हैं– वे सभी गतिविधियॉ जिनमें कृषि क्रियाएं की गई हों जैसे– फसलों को उगाकर बेचने से आय, फूल–फल–बेल आदि को उगाने से आय, फसल बीमा के दावे से प्राप्त क्षतिपूर्ति आदि।

सामान्यतः कृषि आय में निम्नलिखित मदे सम्मिलित नहीं होती हैं–वे सभी गतिविधियॉ जिनमें भारत में कृषि क्रिया न की गई हो– भारत के बाहर स्थित कृषि भूमि से आय, पशु पालन, डेयरी, मुर्गीपालन, मछली पालन आदि की आय, पत्थर की खानों व ईंट बनाने हेतु प्रयुक्त भूमि की आय, तालाब में सिंघाड़े आदि के उत्पादन से आय, कृषि भूमि के विक्रय से आय, खड़ी फसल को खरीदने से आय, लाख की खेती से आय आदि।

अंशतः कृषि आय– यदि किसी गतिविधि में इस प्रकार की आय होती है जो कृषि तथा अकृषि मदों का संयुक्त परिणाम है तो उक्त गतिविधि को अंशत कृषि आय कहा जाता है। इस प्रकार की गतिविधि से कृषि आय के अंश की पृथक से गणना की जाती है। कुछ आयों के सम्बन्ध में इसका कृषि भाग आयकर नियमों में प्रावधानित है–

क्रमांक	नियम	मद	कृषि आय	अकृषि आय
1	7 ए	रबर उत्पादन से आय	65 प्रतिशत	35 प्रतिशत
2	7 बी	कॉफी उत्पादन व निर्माण से आय (उत्पादन व निर्माण)	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत
		कॉफी उत्पादन व निर्माण से आय (उत्पादन व निर्माण तथा उसे भूनना, तपाना, पीसना आदि)	60 प्रतिशत	40 प्रतिशत
3	8	चाय के उत्पादन व निर्माण से आय	60 प्रतिशत	40 प्रतिशत
4	7	चाय के अतिरिक्त अन्य कृषि उत्पादों का प्रयोग करने वाले निर्माताओं की आय	कृषि उपज का बाजार मूल्य –(कृषि सम्बन्धी	कुल विक्रय मूल्य – कृषि उपज का बाजार मूल्य

			व्यय+भूमि का किराया+उचित लाभ का अंश)	

कृषि आय को गैर–कृषि आय में मिलाना– यदि किसी करदाता की सम्बन्धित गतवर्ष में कृषि आय तथा गैर कृषि आय दोनों हैं तो आयकर की गणना के लिए दोनो को जोड़कर कुल आय ज्ञात की जाती है। कृषि आय तथा गैर कृषि आय को निम्नलिखित स्थिति में जोड़ा जाता है–

1. करदाता की गतवर्ष की शुद्ध करयोग्य आय (कृषि आय के अतिरिक्त) आयकर अधिनियम द्वारा निर्धारित कर मुक्त सीमा से अधिक होनी चाहिए। तथा,
2. करदाता की शुद्ध कृषि आय रू0 5,000 से अधिक होनी चाहिए।

2. हिन्दू अविभाजित परिवार से प्राप्त आय– {धारा 10(2)}

एक हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्य को परिवार के विभाजन के फलस्वरूप प्राप्त भाग आयकर से मुक्त होता है।

3. साझेदारी फर्म की आय में उसके साझेदार को प्राप्त अंश–{धारा 10(2ए)}

किसी साझेदारी फर्म को अपने व्यापार के लाभों पर आयकर देना होता है। अतः करोपरान्त लाभ का विभाजन जब उसके साझेदारों में किया जाता है तो लाभ का यह भाग करमुक्त होता है किन्तु यदि साझेदार को फर्म से कुछ वेतन, बोनस, ब्याज, कमीशन आदि की प्राप्ति होती है तो यह राशि उसकी व्यक्तिगत आय होगी तथा नियमानुसार करयोग्य होगी।

4. स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र में स्थापित नये उद्योगों के लाभ– {धारा 10(ए)}

वस्तुओं तथा कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर का निर्माण करने वाले निर्यातोन्मुखी उद्योगों व उपक्रमों को प्रोत्साहित करने के लिए वित्त अधिनियम 1981 के अन्तर्गत निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की गई हैं–

1. सरकार द्वारा घोषित स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (काण्डला स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र, उत्तर प्रदेश नोएडा निर्यात प्रक्रिया क्षेत्र, चेन्नई निर्यात संसाधन क्षेत्र आदि), इलैक्ट्रोनिक हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क, विशेष आर्थिक क्षेत्र आदि को छूट प्रदान की गई।
2. ऐसे करदाता जो वस्तुओं और कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के निर्यात में संलग्न हैं तथा उन्होंने इससे लाभ प्राप्त किया है, को छूट का लाभ प्राप्त होगा।
3. यदि उपक्रम स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र या निर्यातोन्मुखी क्षेत्र में पहले से स्थापित था किन्तु बाद मेंवह क्षेत्र विशिष्ट क्षेत्र में परिवर्तित हो जाता है तो भी कतिपय शर्तों के साथ छूट का लाभ इन उपक्रमों को मिलेगा।
4. यदि उपक्रम किसी पुराने व्यापार का विभाजन या पुनर्गठन या पहले से प्रयुक्त मशीनरी के हस्तांतरण से न बनाया गया हो तो भी कतिपय शर्तों के साथ छूट प्राप्त होगी।

धारा 10ए की उपधारा आईए के अनुसार यदि कोई उपक्रम वस्तुओं और सॉफ्टवेयर का उत्पादन 31 मार्च 2002 के बाद किसी वर्ष में किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र में प्रारम्भ

करता है तो उस उपक्रम की कुल आय की गणना करते समय निम्नलिखित कटौती प्रदान की जायेगी–

अ. वस्तुओं अथवा सॉफ्टवेयर के निर्यात से प्राप्त लाभों पर उत्पादन प्रारम्भ होने वाले वर्ष से पॉच लगातार वर्षों में लाभों पर 100 प्रतिशत कटौती।

ब. निर्यात से प्राप्त लाभों की 50 प्रतिशत कटौती दो अतिरिक्त वर्षों के लिए कतिपय शर्तों के अधीन अनुमन्य होगी।

कर निर्धारण वर्ष 2004–05 में उपरोक्त धारा में संशोधन करके इसमें व्यापार के एकीकरण सम्बन्धी तथा 2006–07 आय का विवरण जमा न होने पर कटौती का लाभ प्रदान न किये जाने सम्बन्धी प्रावधान जोड़ दिया गया है।

5. विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस0ई0जेड0) में स्थापित उद्योगों के लाभ– {धारा 10(एए)}

विशेष आर्थिक क्षेत्र में वस्तुओं व कम्प्यूटर साफ्टवेयर के निर्यात में संलग्न व्यक्तियों, फर्मों व कम्पनियों को निर्धारित समयसीमा में निर्माण या उत्पादन प्रारम्भ करने पर प्राप्त लाभों पर कतिपय शर्तों के अधीन 100 प्रतिशत छूट प्राप्त होती है।

6. कर्मचारियों को प्राप्त कुछ विशिष्ट आय–

कर्मचारियों को अपने नियोक्ता से प्राप्त कुछ धनराशियों को आयकर से पूर्ण अथवा आंशिक रूप से मुक्त रखा गया है। इसके अन्तर्गत मृत्यु अथवा अवकाश ग्रहण पर प्राप्त ग्रेच्युटी (धारा 10.10), एकमुश्त पेंशन (धारा 10.10.ए), अर्जित अवकाश का नकद भुगतान (धारा 10.10.एए), छंटनी के कारण क्षतिपूर्ति (धारा 10.10.बी), ऐच्छिक अवकाश पर प्राप्त राशि (धारा 10.10.सी), वैधानिक भविष्य निधि से प्राप्त राशि (धारा 10.11), प्रमाणित भविष्य निधि से प्राप्त राशि (धारा 10.12), अनुमोदित सेवा निवृत्ति कोष से प्राप्त राशि (धारा 10.13) को रखा जाता है।

7. भोपाल गैस रिसाव़ त्रासदी के पीड़ितों को भुगतान– {धारा 10(10बीबी)}

भोपाल गैस रिसाव त्रासदी (दावों का विधियन) अधिनियम 1985 तथा इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी योजना में किया गया कोई भी भुगतान कर–मुक्त होगा बशर्ते कि ऐसा व्यय करदाता द्वारा अपनी करयोग्य आय की गणना करते समय कटौती की रूप में घटा न लिया गया हो।

8. जीवन बीमा योजना से प्राप्त रकम {धारा 10(10डी)}

किसी करदाता की जीवन बीमा पॉलिसी से सम्बन्ध में प्राप्त परिपक्वता राशि, बोनस की रकम करमुक्त होती है। इस सम्बन्ध निम्न अपवाद हैं–

अ. कीमैन बीमा पॉलिसी से प्राप्त धन 1–10–1996 से करमुक्त नहीं होगा।

ब. धारा 80 डीडी(3) के अन्तर्गत धन करमुक्त नहीं होगा।

स. यदि जीवन बीमा पॉलिसी 31'03'2003 के बाद जारी की गई है तथा उसका वार्षिक बीमा प्रीमियम वास्तविक बीमित रकम के 20 प्रतिशत भाग से अधिक है तो उसकी परिपक्वता राशि कर योग्य होगी।

द. किन्तु, यदि उपरोक्त राशि बीमाधारक की मृत्यु के बाद प्राप्त होती है तो वह करमुक्त होगी।

9. सार्वजनिक भविष्य निधि खाते से प्राप्त धन {धारा 10(11)}

यह खाता किसी भी वेतनभोगी अथवा गैर वेतनभोगी व्यक्ति के द्वारा अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से भारतीय स्टेट बैक, डाकघर आदि की निर्धारित शाखा में 15 वर्ष की अवधि के लिए खोला जाता है जिसमें वह प्रत्येक वर्ष धनराशि निर्धारित सीमाओं के अन्तर्गत जमा करता है। इस खाते के सम्बन्ध में प्राप्त कोई भी राशि करयोग्य नहीं होती है।

10. विशिष्ट विनियोगों पर प्राप्त ब्याज, बोनस, प्रीमियम की धनराशि {धारा 10(11)}

केन्द्रीय सरकार द्वारा करमुक्ति हेतु अधिसूचित प्रतिभूतियों पर ब्याज, परिपक्वता राशि, प्रीमियम आदि की प्राप्ति प्रत्येक करदाता के लिए धारा 10 (15) के अन्तर्गत करमुक्त होगी–

1. वार्षिक प्रमाण–पत्र
2. राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण बॉण्ड्स
3. विशेष वाहक बॉण्डस्
4. कोषागार बचत प्रमाण–पत्र
5. डाकघर के नकद प्रमाण–पत्र
6. राष्ट्रीय योजना प्रमाण–पत्र
7. 12 वर्षीय राष्ट्रीय योजना प्रमाण–पत्र
8. राष्ट्रीय बचत प्रमाण–पत्र
9. डाकघर बचत खाता
10. डाकघर संचयी सावधि जमा खाता
11. जन साधारण खाते पर ब्याज (डाकघर बचत नियम के अन्तर्गत रू0 5000 तक)
12. विशेष जमा योजना 1981

धारा 10(15)(iib) तथा 10(15)(iie) के अन्तर्गत कुछ विशिष्ट अधिसूचित प्रतिभूतियों (7 प्रतिशत पूँजी विनियोग जो 1.6.2002 से पूर्व जारी किये गये हों तथा राहत बॉण्डस्) पर प्राप्त ब्याज को व्यक्तियों तथा हिन्दू अविभाजित परिवार के लिए कर मुक्त किया गया है। अनिवासी भारतीयों के सम्बन्ध में भी कुछ अधिसूचित प्रतिभूतियों पर ब्याज कतिपय शर्तों के अधीन धारा 10(15)(iid) के अन्तर्गत करमुक्त होता है। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों के अधिसूचित बॉण्डस् व ऋणपत्रों पर ब्याज भी करमुक्त किया गया है।

11. मकान किराया भत्ता– {धारा 10(13ए)}

कर्मचारियों को उनके नियोक्ता से प्राप्त होने वाला मकान किराया भत्ता एक सुनिश्चित सीमा तक कर मुक्त होता है। इसकी गणना के लिए कर्मचारी द्वारा प्राप्त मकान किराये भत्ते की वास्तविक राशि, वेतन के 10 प्रतिशत से अधिक चुकाया गया मकान किराया तथा वेतन के 50 प्रतिशत (दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता व चेन्नई) अथवा 40 प्रतिशत (अन्य शहर) में से न्यूनतम राशि करमुक्त होगी तथा शेष करयोग्य होगी।

12. कर्तव्य पालन में हुए व्ययों की पूर्ति सम्बन्धी भत्ते– {धारा 10(14)(i)}

कर्मचारियों को प्राप्त विभिन्न भत्तों (यथा– यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, सवारी या कार भत्ता, सहायक भत्ता, विद्योपार्जन भत्ता, वर्दी भत्ता आदि) की वह राशि जो कि उनके द्वारा वास्तव में व्यय की गई है, करमुक्त होती है किन्तु यदि उक्त भत्ते की राशि का कोई भाग व्यय नहीं किया गया है तो उक्त बचत की राशि करयोग्य होगी।

13. **छात्रवृत्तियॉ – {धारा 10(16)}**

सरकार अथवा किसी अन्य संस्था से अध्ययन अथवा शोधकार्य के लिए प्राप्त होने वाली छात्रवृत्ति (छात्रवृत्ति) अथवा शिष्यवृत्ति (फैलोशिप) की राशि पूर्णतः करमुक्त होती है।

14. **संसद व विधान सभा सदस्यों के भत्ते– {धारा 10(17)}**

संसद के दोनों सदनों तथा राज्यों के विधान मण्डलों के दोनों सदनों के सदस्यों को प्राप्त होने वाले दैनिक भत्ते तथा अन्य भत्ते पूर्णतः करमुक्त होते हैं किन्तु इन्हें प्राप्त होने वाला वेतन अन्य साधनों की आय शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य होता है।

15. **पुरस्कार– {धारा 10(17ए)}**

साहित्यिक, वैज्ञानिक अथवा कलात्मक कार्यों के सम्मानस्वरूप केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार से प्राप्त होने वाला कोई भी पुरस्कार (नकद अथवा वस्तु रूप में) करमुक्त होता है। इन्हीं कार्यों के लिए यदि कोई अन्य संस्था पुरस्कार देती है तथा इसका अनुमोदन सरकार द्वारा किया जाता है तो वह भी करमुक्त होता है।

16. **वीरता चक्र धारकों को पेंशन– {धारा 10(18)}**

केन्द्र अथवा राज्य सरकार का कोई कर्मचारी जिसे सरकार द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र अथवा ऐसा कोई अन्य पुरस्कार प्रदान किया गया है जिसे इस श्रेणी में केन्द्र सरकार ने अपने गजट में अधिसूचित किया हो तो उसे अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य को मिलने वाली पेंशन करमुक्त होगी।

17. **सशस्त्र सेना के परिवारों को परिवार पेंशन– {धारा 10(19)}**

यदि सशस्त्र सेना (पैरा मिलिट्री फोर्स सहित) के किसी कर्मचारी की सरकारी कार्य सम्पादन के समय मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को जो परिवार पेंशन प्राप्त होती है वह कतिपय शर्तों के पूर्ण होने के प्रतिबन्ध के साथ करमुक्त होती है।

18. **अनुसूचित जनजातियों की आय–{धारा 10(26)}**

संविधान की छटी अनुसूची के परिच्छेद 20 की प्रथम व द्वितीय भाग में उल्लिखित जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के सदस्यों तथा पूर्वोत्तर भारत के अरूणाचल, मणिपुर, मिजोरम, नगालैण्ड, त्रिपुरा तथा सिक्किम राज्यों में रहने वाले सदस्यों अथवा ऐसे क्षेत्रों में उपार्जित या उदय आय आयकर मुक्त होती हैं।

19. **चाय बोर्ड से प्राप्त अनुदान– {धारा 10(30)}**

चाय बागान में चाय के पौधे लगाने, पुनरारोपण आदि के सम्बन्ध में चाय बागान से जो भी अनुदान प्राप्त होता है वह पूर्णतः करमुक्त होता है।

20. **पौधों को लगाने सम्बन्धी अनुदान– {धारा 10(31)}**

उपरोक्त धारा 10(30) के समान ही यदि किसी व्यक्ति को रबर, इलायची, कॉफी अथवा अन्य पौधे जो कि इस हेतु घोषित हों, को लगाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित बोर्ड से प्राप्त होने वाले अनुदान को यदि पौधों के पुनरारोपण या नवीनीकरण आदि में लगा दिया जाये तो अनुदान पूर्णतः करमुक्त होते हैं।

21. **अवयस्क बच्चे की आय–{धारा 10(32)}**

किसी करदाता के सम्बन्ध में उसके अवयस्क बच्चे की आय अधिकतम रू0 1,500 प्रति बच्चा तक करमुक्त होती है।

22. **यू0एस0 64 की इकाइयों के हस्तान्तरण पर पूँजी लाभ– {धारा 10(33)}**

यूनिट योजना 64 की इकाई (यूनिट) की बिक्री से होने वाले लाभ करमुक्त होते हैं बशर्तें कि ये हस्तान्तरण 1 अप्रेल 2002 यो इसके बाद किया गया हो।

23. **घरेलू कम्पनी से प्राप्त लाभांश की आय– {धारा 10(34)}**

वित्त अधिनियम 2003 के प्रावधानानुसार घरेलू कम्पनियों से प्राप्त लाभांश, जो कि धारा 115–O के अन्तर्गत घोषित किया गया हो, को करदाता की करयोग्य आय में सम्मिलित नहीं किया जायेगा किन्तु धारा 2(22)(ई) के अन्तर्गत घोषित लाभांशों को इस श्रेणी में नहीं रखा गया है।

24. **पारस्परिक कोषों की आय– {धारा 10(35)}**

कुछ विशिष्ट संस्थानों तथा कम्पनियों द्वारा स्थापित पारस्परिक कोषों की इकाइयों को भी वित्त अधिनियम के अन्तर्गत कर निर्धारण वर्ष 2004–05 से आयकर से मुक्त रखा गया है।

25. **कृषि भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण पर प्राप्त क्षतिपूर्ति पर पूँजी लाभ– {धारा 10(37)}**

यदि किसी करदाता की शहरी क्षेत्र में स्थित भूमि का सरकार द्वारा अनिवार्य अधिग्रहण किया जाता है तो इस अधिग्रहण के परिणाम स्वरूप प्राप्त क्षतिपूर्ति (मुआवजा) की राशि पर उत्पन्न किसी प्रकार का अल्पकालीन अथवा दीर्घकालीन पूँजी लाभ आयकर की गणना में करयोग्य नहीं माना जाता है।

26. **अंश अथवा इकाइयों पर प्राप्त दीर्घकालीन पूँजी लाभ– {धारा 10(38)}**

किसी कम्पनी के समता अंशों अथवा इक्विटी फण्ड की यूनिटों की बिक्री से प्राप्त दीर्घकालीन पूँजी लाभ कर मुक्त होगा यदि– (अ) यह 1–10–2004 अथवा इसके बाद किसी तिथि पर उत्पन्न हो, (ब) यूनिट की बिक्री किसी मान्यता प्राप्त शेयर बाजार के माध्यम से किया जाय, तथा (स) यह सौदा प्रतिभूति सौदा कर के अन्तर्गत करयोग्य हो।

27. **विद्युत उत्पादन व वितरण के क्षेत्र में सहायक कम्पनी द्वारा अपनी सूत्रधारी कम्पनी से प्राप्त अनुदान– {धारा 10(40)}**

विद्युत उत्पादन व वितरण के क्षेत्र में संलग्न किसी सूत्रधारी कम्पनी द्वारा अपनी सहायक कम्पनी को कोई अनुदान प्रदान किया जाता है तो यह अनुदान सहायक कम्पनी के लिए करमुक्त होता है। यह प्रावधान कर निर्धारण वर्ष 2006–07 से प्रभावी है।

28. **विद्युत उत्पादन व वितरण के क्षेत्र में संलग्न कम्पनी को पूँजी लाभ– {धारा 10(41)}**

विद्युत उत्पादन व वितरण के क्षेत्र में संलग्न किसी उपक्रम को यदि पूँजी सम्पत्तियों के हस्तांतरण में कोई पूँजी लाभ प्राप्त होता है तो यह लाभ उक्त कम्पनी के लिए करमुक्त होता है। यह प्रावधान भी कर निर्धारण वर्ष 2006–07 से प्रभावी है।

29. **निर्धारित निकायों तथा अधिकारियों की विशिष्ट आय– {धारा 10(42)}**

ऐसी संस्थाएं जिनका निर्माण केन्द्र सरकार या अन्तर्राष्ट्रीय सहमति से हुआ हो अथवा ऐसे अधिकारी जिनकी नियुक्ति इन संस्थाओं में हुई हो, की वे आयें जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो, को कर निर्धारण वर्ष 2006–07 से कर मुक्त घोषित किया गया है। इन संस्थाओं का निर्माण लाभ अर्जित करने के लिए नहीं होना चाहिए तथा करमुक्ति को गजट द्वारा अधिसूचित किया जाना चाहिए।

30. **प्रतिवर्ती बन्धक योजनान्तर्गत प्राप्त ऋण की राशि– {धारा 10(43)}**

प्रतिवर्ती योजना के अन्तर्गत जो धनराशि व्यक्ति के द्वारा ऋण के रूप में प्राप्त की जाती है उस राशि अथवा उस पर ब्याज का भुगतान उसे अपने जीवन काल में नहीं करना होता है। इस पर आयकर भी देय नहीं होता है।

31. **नई पेंशन योजना के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि– {धारा 10(44)}**

भारतीय प्रन्यास अधिनियम 1882 के अन्तर्गत स्थापित नई पेंशन योजना से प्राप्त होने वाली आय को आयकर की धारा 10(44) के अन्तर्गत करमुक्त घोंषित किया गया है।

32. **संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा प्राप्त किसे जाने वाले भत्ते व अनुलाभ– {धारा 10(45)}**

संध लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को प्राप्त होने वाले किराया मुक्त सरकारी आवास, यातायात सुविधा तथा अवकाश यात्रा रियायत का मूल्य आयकर से मुक्त होता है। यदि आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्य के द्वारा सेवा से अवकाश प्राप्त कर लिया गया है तो उन्हें रू0 14,000 प्रतिमाह तथा सभा सम्बन्धी व्यय तथा आवास पर फोन व रू0 1500 प्रतिमाह फोन कॉल सुविधा आयकर से मुक्त होती है।

33. **अधिसूचित निकाय, प्राधिकारी, प्रन्यास अथवा परिषद की विशिष्ट आय– {धारा 10(46)}**

केन्द्र सरकार, राज्य सरकार अथवा किसी अधिनियम के द्वारा स्थापित कोई भी निकाय, प्राधिकारी, प्रन्यास अथवा परिषद जिसको सरकार द्वारा इस हेतु अधिसूचित भी किया गया हो, की आय करमुक्त होती हैं। इन संस्थाओं की स्थापना जनोपयोगी क्रियाओं का नियमन एवं प्रशासन करना होना चाहिए। यह करमुक्ति कर निर्धारण वर्ष 2012–13 से प्रभावी है।

34. **अवसंरचना ऋण कोष की आय– {धारा 10(47)}**

केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित विधिवत गठित अवसंरचना कोष की आय को भी आयकर से मुक्त रखा गया है किन्तु इन्हें धारा 139 के अन्तर्गत आय का विवरण दाखिल करना अनिवार्य होता है।

3.3 विशिष्ट संस्थाओं तथा कोषों की कर–मुक्त आयें

इस श्रेणी में विभिन्न महत्वपूर्ण संस्थाओं यथा– स्थानीय निकाय (ग्राम पंचायत, नगर पालिका, महापालिका, जिला परिषद आदि) , शैक्षणिक संस्थाएं, शोध संस्थान, चिकित्सालय, अन्तर्राष्ट्रीय संघों आदि की आयों को सम्मिलित किया जाता है। इनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं–

1. स्थानीय निकायों की आय– {धारा 10(20)}

स्थानीय निकायों के रूप में ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, महापालिका, जिला परिषद, छावनी बोर्ड आदि के द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती हैं। इन्हें गृहकर, मकान/दुकान किराया, बिजली–पानी आदि की आपूर्ति से आय, व्यापारिक आय, पूँजी आय आदि के रूप में आय प्राप्त होती है। आयकर प्रावधानों के अन्तर्गत इन निकायों की आयों को करमुक्त किया गया है।

2. वैज्ञानिक शोध संघों की आय– {धारा 10(21)}

केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित ऐसे संघों की आय करमुक्त होती है जो वैज्ञानिक अनुसंधानों में संलग्न होते हैं। ऐसे अनुसंधानों की व्यापार व पेशे से आय तभी करमुक्त होगी जबकि ऐसा व्यापार संघ के उद्देश्यों कों प्राप्त करने के लिए अनिवार्य हो। ऐसे संघ अपनी व्यापारिक आय की गणना पृथक से करते हैं। केन्द्र सरकार निर्धारित शर्तों का पालन न होने की स्थिति में अनुमोदन वापस ले सकती है। ऐसी स्थिति में संघ की आय करयोग्य होंगी।

3. समाचार ऐजेन्सी की आय– {धारा 10(22बी)}

ऐसी समाचार ऐजन्सी जो कि भारत में स्थापित हों, समाचारों को एकत्रित करने व प्रकाशित, प्रसारित व वितरित करने में संलग्न हो तथा जिसे केन्द्र सरकार के द्वारा इस हेतु अधिसूचित किया गया हो, की आय करमुक्त होती हैं। केन्द्र सरकार को यह भी अधिकार है कि वह निर्धारित शर्तों कों पूर्ण न करने की दशा में किसी समाचार ऐजेन्सी को उचित अवसर प्रदान करते हुए गैर अधिसूचित कर दे।

4. विशिष्ट पेशेवर संस्थाओं की आय– {धारा 10(23ए)}

किसी विशिष्ट पेशे को नियमित तथा नियन्त्रित करने वाले विभिन्न संगठनों को भी भारत सरकार द्वारा अधिसूचित होने की दशा में करमुक्त श्रेणी में रखा जाता है। ये संगठन विधि, भेषज, लेखांकन, अभियन्त्रण अथवा शिल्पकला से सम्बन्धित हो सकता है। इस करमुक्ति में मकान सम्पत्ति से आय, कोई विशेष सेवा प्रदान करने, विनियोग पर ब्याज या लाभांश को सम्मिलित नहीं किया गया है।

5. सशस्त्र सेनाओं के रेजीमेन्ट फण्ड की आय– {धारा 10(23एए)}

भारतीय सेना द्वारा स्थापित रेजीमेन्ट फण्ड, जो कि सेना के वर्तमान अथवा भूतपूर्व सदस्यों एवं उनके आश्रितों की सहायता के लिए संचालित किए जाते हैं, की आय को आयकर से मुक्त रखा गया है।

6. कर्मचारी कल्याण कोष की आय– {धारा 10(23एएए)}

किसी संगठन में उसके कर्मचारियों एवं कर्मचारियों के आश्रित सदस्यों के कल्याण के उद्देश्य से स्थापित कोष की आय को आयकर से मुक्त रखा गया है।

7. जीवन बीमा निगम के फण्ड से आय– {धारा 10(23एएबी)}

जीवन बीमा निगम द्वारा अपनी किसी पेंशन योजना के लिए स्थापित किसी कोष की आय को आयकर से मुक्त रखा गया है किन्तु यह करमुक्ति तभी मान्य होगी जबकि ऐसे कोष में पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा भी अंशदान प्रदान किया जाता हो।

8. खादी एवं ग्रामोद्योग संगठन की आय– {धारा 10(23एएबी)}

ये संस्थाएं खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा अनुमोदित होती हैं तथा खादी व ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए स्थापित की जाती हैं। इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। इन संस्थाओं के लाभों को आयकर से मुक्त रखा गया है। धारा 10(23एएबी) के द्वारा राज्य अधिनियम के द्वारा स्थापित ऐसी संस्थाओं को भी करमुक्ति में सम्मिलित कर लिया गया है।

9. सामाजिक–धार्मिक संस्थाओं की प्रशासक वैधानिक सत्ता की आय– {धारा 10(23बीबीए)}

केन्द्र अथवा राज्य अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत स्थापित कोई वैधानिक सत्ता जिसकी स्थापना किसी सामाजिक, धार्मिक अथवा पुण्यार्थ ट्रस्ट अथवा कोष के प्रबन्ध व प्रशासन के लिए की गई हो, को आयकर से मुक्त रखा गया है।

10. यूरोपीय आर्थिक समुदाय की आय– {धारा 10(23बीबीबी)}

यूरोपीय आर्थिक समुदाय जिसे रोम समझौते के अन्तर्गत स्थापित किया गया हो, की सरकार द्वारा अधिसूचित योजनाओं में विनियोगों पर ब्याज, लाभांश, पूँजी लाभ आदि की आय को आयकर से मुक्त रखा गया है।

11. दक्षेस (सार्क) निधि की आय– {धारा 10(23बीबीसी)}

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन –दक्षेस (साउथ एशियन एसोसिएशन फार रीजनल कोआपरेशन–सार्क) के सदस्य राष्ट्रों की ऐसी आय जिसका प्रयोग दक्षेस निधि की स्थानीय योजनाओं के लिए होता है, को आयकर अधिनियम में करमुक्त किया गया है।

12. बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग तथा प्रसार भारती की आय–

आयकर अधिनियम 1961 के अन्तर्गत कतिपय विशिष्ट संगठनों की आय को करमुक्त घोषित किया गया है। ये हैं–बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) – धारा 10(23बीबीई), केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग– धारा 10(23बीबीजी) तथा प्रसार भारती – धारा 10(23बीबीएच)।

13. राष्ट्रीय कोषों की आय– {धारा 10(23सी)}

केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित कुछ विशिष्ट राष्ट्रीय कोषों की आय को कतिपय शर्तों के अधीन आयकर से मुक्त रखा गया है, ये हैं–

1. प्रधानमन्त्री राष्ट्रीय सहायता कोष,
2. प्रधानमन्त्री लोककला प्रोत्साहन कोष,
3. प्रधानमन्त्री विद्यार्थी सहायता कोष,
4. राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान,
5. स्वच्छ भारत कोष एवं स्वच्छ गंगा कोष,

6. पुण्यार्थ कार्यों के लिए स्थापित कोष,
7. विश्वविद्यालय अथवा अन्य शिक्षण संस्थानों की आय,
8. चिकित्सालय अथवा ऐसी ही अन्य संस्थानों की आय,
9. केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित सार्वजनिक, धार्मिक या पुण्यार्थ कोष अथवा ट्रस्ट,
10. अन्य कोई कोष अथवा प्रन्यास जिन्हें कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इस हेतु छूट प्रदान की जाये।

14. पारस्परिक कोषों (म्यूच्युअल फण्ड) की आय– {धारा 10(23डी)}

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा पंजीकृत तथा किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या सार्वजनिक वित्तीय संस्थान या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत पारस्परिक कोष आयकर से मुक्त होते हैं।

15. विनियोगकर्ता संरक्षा कोष की आय– {धारा 10(23ईए)}

केन्द्र सरकार के गजट में अधिसूचित स्कन्ध विपणियों द्वारा संयुक्त रूप से अथवा अलग से बनाये गये विनियोक्ता संरक्षण कोष की आय जोकि मान्यता प्राप्त स्कन्ध विपणि अथवा कोष के सदस्यों के चन्दे से प्राप्त हुई हो, को कतिपय शर्तों के साथ पूर्णतः करमुक्त आय की श्रेणी में रखा गया है।

16. वेंचर कैपिटल फण्ड तथा वेंचर कैपिटल कम्पनी की आय– {धारा 10(23एफबी)}

वेंचर कैपिटल उपक्रमों में विनियोग के लिए कोष एकत्रित करने हेतु स्थापित वेंचर कैपिटल कम्पनी अथवा वेंचर कैपिटल कोष की आय कतिपय शर्तों के अधीन करमुक्त होगी। इस प्रकार के उपक्रम का पंजीकरण 21 मई 2012 से पूर्व होना चाहिए तथा इन्हें निर्धारित अधिसूचित कार्यों के लिए स्थापित होना चाहिए। इस उपक्रम द्वारा क्रय किये गए समता अंशों को तीन वर्षों तक किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं किया जा सकता अन्यथा छूट नहीं मिलेगी।

17. श्रम संघों की आय– {धारा 10(24)}

भारतीय श्रम संध अधिनियम 1926 के अन्तर्गत पंजीकृत श्रम संघों की आय को आयकर से छूट प्राप्त है।

18. भविष्य निधियों की आय– {धारा 10(25)}

कुछ भविष्य निधियों की विशिष्ट आयों को आयकर से छूट प्राप्त है। ये हैं–

अ. वैधानिक भविष्य निधि के अन्तर्गत खरीदी हुई प्रतिभूतियॉ पर ब्याज व पूँजी लाभ की राशि,

ब. प्रमाणित भविष्य निधि, अनुमोदित सेवा निवृत्ति कोष एवं अनुमोदित अनुग्रह राशि (ग्रेच्युटी) की कोई आय अथवा इन कोषों के न्यासियों के द्वारा फण्ड के सम्बन्ध में प्राप्त कोई राशि,

स. कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के अन्तर्गत जमा श्रंखलित बीमा कोष (डिपोजिट लिंक्ड इन्स्योरेंस फण्ड) की आय।

इसके अतिरिक्त कर्मचारी राज्य बीमा कोष की आय भी धारा 10(25ए) के अन्तर्गत करमुक्त होती है।

19. विशिष्ट समुदायों व संगठनों की आय–
भारतीय संविधान की धारा 366(25) में सम्मिलित अनुसूचित जातियों के कुछ विशिष्ट क्षेत्र के सदस्यों की आय आयकर अधिनियम की धारा 10 (26) के अन्तर्गत करमुक्त होती है। धारा 10 (26बी) के अन्तर्गत अनुसूचित जाति व जनजाति के हितों को प्रोत्साहित करने वाली केन्द्र या राज्य सरकार के द्वारा स्थापित निगम की आय करमुक्त होती है। इसीप्रकार केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित अल्पसंख्यक विकास निगमों की आय भी धारा 10 (26बीबी) के अन्तर्गत करमुक्त श्रेणी में रखी गई है।

20. भूतपूर्व सैनिक निगम की आय– {धारा 10(26बीबीबी)}
केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी अधिनियम के अन्तर्गत कोई ऐसा निगम जो कि भारतीय नागरिक पूर्व सैनिकों के कल्याण अथवा उनके आर्थिक स्तर को उन्नत बनाने के लिए स्थापित किया गया हो, की आय को आयकर से मुक्त रखा गया है।

21. सहकारी समितियों की आय– {धारा 10(27)}
वे सहकारी समितियॉ जिनका गठन अनुसूचित जातियों, जनजातियों अथवा दोनों के कल्याण के लिए की गई हो तथा जिनका वित्तीयन सरकार अथवा सरकारी ऐजेन्सी के द्वारा किया जाता है तो ऐसी सहकारी समितियों की आय को करमुक्त श्रेणी में रखा गया है।

22. परिषदों की आय– {धारा 10(29ए)}
कुछ परिषद्में की आय को भी आयकर अधिनियम के अन्तर्गत करमुक्त श्रेणी में रखा गया है। ये हैं–

1. कॉफी अधिनियम 1942 के अन्तर्गत स्थापित कॉफी बोर्ड
2. रबर बोर्ड अधिनियम 1947 के अन्तर्गत स्थापित रबर बोर्ड
3. चाय बोर्ड अधिनियम 1953 के अन्तर्गत स्थापित चाय बोर्ड
4. तम्बाकू बोर्ड अधिनियम 1975 के अन्तर्गत स्थापित तम्बाकू बोर्ड
5. मसाला बोर्ड अधिनियम 1986 के अन्तर्गत स्थापित मसाला बोर्ड

23. राजनीतिक पार्टियों की आय– {धारा 13(ए)}
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29ए के अन्तर्गत पंजीकृत कोई भी राजनीतिक गतिविधियों में संलिप्त दल इस श्रेणी में रखा जाता है। इन राजनीतिक दलों को रू0 20,000 से अधिक की धनराशि के चन्दे का अभिलेख तैयार करना होता है तथा उसे सनदी लेखाकार से अंकेक्षित कराना होता है।

24. चुनाव न्यास को प्राप्त स्वैच्छिक चन्दे की आय– {धारा 13(बी)}
केन्द्र सरकार की किसी योजना के अन्तर्गत कार्य करने वाला चुनाव न्यास लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29ए में पंजीकृत होना चाहिए तथा इसे केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। न्यास को अपनी वर्तमान आय तथा पूर्व वर्ष से आगे लाई गई कुल आयों का 95 प्रतिशत भाग अधिकृत राजनीतिक दलों को वितरित करना होता है। ऐसे न्यास की स्वैच्छिक चन्दे की राशि को आयकर से मुक्ति प्रदान की गई है।

3.4 गैर–नागरिक तथा/अथवा अनिवासी करदाताओं के लिए कर–मुक्त आय

भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अन्तर्गत अनिवासी तथा गैर नागरिक करदाताओं के लिए भी कुछ कर मुक्त आयों का प्रावधान किया गया है। इनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं–

1. विशिष्ट प्रतिभूतियों या बाण्डों पर प्राप्त ब्याज की आय– {धारा 10(4)}

केन्द्र सरकार द्वारा 1 जून 2002 से पूर्व कुछ विशिष्ट प्रतिभूतियों (जैसे– भारतीय स्टेट बैंक के N.R.I. बाण्डस्, 1988) पर अनिवासियों को प्राप्त होने वाले ब्याज को अपने गजट में करमुक्ति हेतु अधिसूचित किया गया है। इन प्रतिभूतियों पर भुगतान के समय यदि कोई अतिरिक्त राशि प्रब्याजि के रूप में प्राप्त होती है तो वो भी करमुक्त होगी किन्तु वित्त अधिनियम 2002 के प्रावधानानुसार भारत सरकार अब 1 जून 2002 को या उसके बाद सरकार ऐसी किसी प्रतिभूति को करमुक्ति हेतु अधिसूचित नहीं करेगी। वित्त अधिनियम 2005 के द्वारा भारत के किसी बैंक में अनिवासी खाते में जमा रकम पर ब्याज भी कर निर्धारण वर्ष 2006–07 से कर मुक्त कर दिया गया है।

2. बचत पत्रों पर ब्याज से आय– {धारा 10(4बी)}

यदि कोई व्यक्ति भारतीय मूल का है अथवा भारत में अनिवासी है तो उसे केन्द्र सरकार द्वारा 1 जून 2002 से पूर्व निर्गमित राष्ट्रीय बचत वत्र पर प्राप्त होने वाला ब्याज पूर्णतः करमुक्त होगा बशर्ते कि उक्त बचत पत्र विदेशी मुद्रा के माध्यम से क्रय किये गये हों।

3. विदेशी संस्था के कर्मचारियों की आय– {धारा 10(6.vi)}

यदि कोई व्यक्ति किसी विदेशी संस्था के लिए कार्य करता है तथा उस संस्था का भारत में कोई व्यापार नहीं है तो उसकी वेतन शीर्षक की आय करमुक्त होगी बशर्ते कि उस व्यक्ति का गतवर्ष में भारत में कुल ठहराव 90 दिन या कम अवधि के लिए ही हो।

4. प्रशिक्षणकाल का पारिश्रमिक–{धारा 10(6.xi)}

किसी विदेशी सरकार द्वारा अपने किसी कर्मचारी को यदि कोई पारिश्रमिक भारत में किसी सरकारी कार्यालय, उपक्रम अथवा संस्थान में प्रशिक्षण की अवधि में प्रदान किया जाता है तो ऐसा पारिश्रमिक पूर्णतः करमुक्त होगा।

5. विदेशी कम्पनियों को भारत में सुरक्षा उपक्रमों में प्रदत्त तकनीकी सेवा के लिए प्राप्त आय– {धारा 10(6सी)}

यदि किसी विदेशी कम्पनी को भारत सरकार के साथ किसी समझौते के अन्तर्गत सुरक्षा सम्बन्धी परियोजना पर भारत में अथवा भारत के बाहर उपक्रम के लिए किसी धनराशि का भुगतान किया जाता है तो यह धनराशि आयकर से मुक्त होती है।

6. भारत के बाहर प्रदत्त भत्ते, अनुलाभ आदि–{धारा 10(7)}

भारत सरकार द्वारा किसी भारतीय नागरिक को भारत से बाहर सेवाएं प्रदान करने के लिए यदि कोई भत्ता अथवा अनुलाभ प्रदान किया जाता है तो इसकी राशि आयकर से मुक्त होगी।

7. **सहकारी तकनीकी सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत विदेशी सरकार से प्राप्त पारिश्रमिक– {धारा 10(8)}**

यदि किसी अनिवासी को सहकारी तकनीकी कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत तथा अन्य किसी देश के मध्य हुए समझौते के फलस्वरूप विदेशी सरकार से कोई आय प्राप्त होती है तो वह करमुक्त होगी। ऐसे व्यक्ति की भारत से बाहर उपार्जित एवं उदय हुई अन्य आयें भी करमुक्त होंगी बशर्ते कि उन्होंने इस आय पर अपने देश की सरकार को नियमानुसार निर्धारित कर का भुगतान कर दिया हो।

8. **परामर्श सम्बन्धी आय– {धारा 10(8ए)}**

केन्द्र सरकार तथा किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के मध्य हुए किसी समझौते के फलस्वरूप हुई किसी परामर्शदाता की नियुक्ति पर आय को करमुक्त रखा गया है, यदि परामर्श शुल्क का भुगतान उक्त संगठन के द्वारा अपनी तकनीकी सहायता अनुदान निधि से किया गया हो।

3.5 प्रमुख कर–मुक्त आयें

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 के अन्तर्गत विभिन्न मदों को कर–मुक्त आयों की श्रेणी में रखा गया है। विभिन्न उपधाराओं के अन्तर्गत इन्हें व्यक्तियों अथवा संस्थाओं के लिए कतिपय शर्तों के अधीन एक निर्धारित सीमा तक कर मुक्त घोषित किया गया है जिनका वर्णन इसी अध्याय के पूर्व खण्डों में किया जा चुका है। इनमें से कुछ प्रमुख को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से निम्न तालिका द्वारा प्रदर्शित किया गया है–

क्र0	अनुच्छेद	कर–मुक्त आय की मद	कर–मुक्ति सीमा
1	10(1)	कृषि आय	पूर्णतः कर–मुक्त
2	10(2)	हिन्दू विभाजित परिवार	पूर्णतः कर–मुक्त
3	10(2A)	साझेदारी फर्म की आय में साझेदार का भाग	पूर्णतः कर–मुक्त
4	10(AA)	स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र में स्थापित नये उद्योगों के लाभ	प्रथम 5 वर्ष– लाभों का 100% अगले 5 वर्ष– लाभों का 50 % बाद के 5 वर्ष– लाभों का 50% (शर्तों के अधीन)
5	10 (10)	मृत्यु अथवा अवकाश ग्रहण पर ग्रेच्युटी	सरकारी कर्मचारी–पूर्णतः कर–मुक्त, गैर सरकारी कर्मचारी– प्रावधानानुसार
6	10(10D)	जीवन बीमा से प्राप्त रकम (कीमैन पॉलिसी के अतिरिक्त)	मृत्यु की दशा में पूर्णतः कर–मुक्त, परिपक्वता की दशा में– प्रावधानानुसार
7	10(11)	सार्वजनिक भविष्य निधि से प्राप्त रकम	पूर्णतः कर–मुक्त
8	10(11A)	सुकन्या समृद्धि खाते से भुगतान	पूर्णतः कर–मुक्त
9	10(13A)	मकान किराया भत्ता	अंशतः कर–मुक्त (प्राप्त भत्ते, प्राप्त वेतन तथा शहर की स्थिति के आधार पर करमुक्त राशि की गणना)

10	10(15)	कुछ विशिष्ट अधिसूचित विनियोगों पर ब्याज, प्रब्याजि अथवा बोनस	पूर्णतः कर–मुक्त
11	10(16)	छात्र वृत्तियॉ	पूर्णतः कर–मुक्त
12	10(17)	सांसदों व विधायकों के भत्ते	पूर्णतः कर–मुक्त
13	10(17A)	पुरस्कार (केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अथवा कार्य हेतु अनुमोदित)	पूर्णतः कर–मुक्त
14	10(18)	वीरता चक्र पाने वाले व्यक्ति की पेंशन	पूर्णतः कर–मुक्त
15	10(19)	सशस्त्र सेना के परिवार जनों को परिवार पेंशन (शर्ताधीन)	पूर्णतः कर–मुक्त
16	10(20)	स्थानीय सत्ता की आय	पूर्णतः कर–मुक्त
17	10(23A)	कुछ विशिष्ट पेशेवर संस्थाओं की आय	पूर्णतः कर–मुक्त
18	10(23C)	कुछ विशिष्ट राष्ट्रीय कोषों की आय	पूर्णतः कर–मुक्त
19	10(23D)	विशिष्ट पारस्परिक कोषों की आय	पूर्णतः कर–मुक्त
20	10(26)	अनुसूचित जनजातियों की आय (शर्ताधीन)	पूर्णतः कर–मुक्त
21	10(29A)	सरकार द्वारा अधिसूचित परिषदों की आय	पूर्णतः कर–मुक्त
22	10(30)	चाय बोर्ड से प्राप्त अनुदान (नवीनीकरण में प्रयोग होने पर)	पूर्णतः कर–मुक्त
23	10(32)	नाबालिग बच्चे की आय	रू01500 प्रति बच्चा
24	10(33)	यूनिट योजना 64 के यूनिट हस्तांतरण पर पूॅजी लाभ (यदि हस्तांतरण 1–4–2002 के बाद किया गया हो।)	पूर्णतः कर–मुक्त
25	10(34)	घरेलू कम्पनी से प्राप्त लाभांश	पूर्णतः कर–मुक्त
26	10(35)	पारस्परिक कोष से आय	पूर्णतः कर–मुक्त
27	10(36)	पात्र समता अंशों पर दीर्घकालीन पूॅजी लाभ	पूर्णतः कर–मुक्त
28	10(37)	कृषि भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण पर प्राप्त क्षतिपूर्ति पर उत्पन्न पूॅजी लाभ (शर्ताधीन)	पूर्णतः कर–मुक्त
29	10(38)	अंशों व यूनिटों की बिक्री उत्पन्न दीर्घकालीन पूॅजी लाभ (शर्ताधीन)	पूर्णतः कर–मुक्त
30	13(A)	राजनीतिक पार्टियों की आय	पूर्णतः कर–मुक्त

3.6 सारांश

आयकर अधिनियम 1961 के अन्तर्गत जिन आयों को कर की गणना करते समय सम्मिलित नहीं किया जाता है, उन्हें करमुक्त आयें कहते हैं। इन आयों पर कर

नहीं लगता है अतः इन्हें कर से छूट भी कहते हैं। आयकर अधिनियम की धारा 10 की विभिन्न उपधाराओं के अन्तर्गत इन करमुक्त आयों का वर्णन किया गया है। इन करमुक्त आयों में से कुछ आय सभी करदाताओं के लिए करमुक्त होती हैं तो कुछ को विशिष्ट संस्थाओं व कोषों के लिए करमुक्त किया गया है। अनिवासी व गैर नागरिक करदाताओं के लिए भी कुछ आयों को करमुक्त श्रेणी में रखा गया है।

करमुक्त आयों में से कुछ आय पूर्णतः करमुक्त होती हैं तो कुछ आंशिक रूप से करमुक्त। इनकी करमुक्ति के लिए कुछ अनिवार्य शर्तों का पालन भी आवश्यक होता है। भारत में कृषि आय पूर्णतः करमुक्त है किन्तु यदि करदाता की अकृषि आय न्यूनतम करमुक्त सीमा से अधिक है तथा उसकी कृषि आय रू0 5,000 से अधिक है तो कर की गणना में कृषि आय को जोड़ा जाता है तथा उसके बाद छूट दी जाती है। हिन्दू अविभाजित परिवार से प्राप्त आय, साझेदारी फर्म की आय में साझेदार का भाग, घरेलू कम्पनी से प्राप्त लाभांश, विभिन्न राष्ट्रीय कोषों तथा कुछ विशिष्ट संस्थाओं की आय को कर से मुक्त रखा गया है। अवयस्क बच्चे की आय, कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले मकान किराया भत्ता, पर्वतीय क्षेत्र भत्ता, विशेष कार्य भत्ता आदि को निर्धारित सीमा तक करमुक्त किया जाता है।

3.7 शब्दावली

कृषि आयः भारत में स्थित भूमि पर कृषि सम्बन्धी क्रियाओं के द्वारा अर्जित आय कृषि आय होती है।

अंशतः कृषि आयः कृषि तथा अकृषि (प्रसंस्करण, प्रशोधन आदि) आय कार्यों से प्राप्त संयुक्त आय में कृषि आय के भाग को अंशतः कृषि आय कहते हैं।

करमुक्त आयः वे आय जिन्हें आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत करमुक्त रखा गया है, करमुक्त आय कहलाती हैं। इन्हें कर से छूट भी कहते हैं।

पारस्परिक कोषः छोटे निवेशकों को अधिक लाभ तथा सुरक्षा प्रदान करने के लिए उनकी अल्प बचतों को नियोजित रूप से निवेशित करने हेतु बनाया गया कोष।

साहसिक पूँजी कम्पनीः नये अथवा अधिक जोखिमपूर्ण व्यवसायों में धन लगाने वाले उद्यम।

भविष्य निधिः भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बनाये गये कोष जो कर्मचारी के स्वयं अथवा कर्मचारी तथा नियोक्ता के अंशदान से तैयार होता है, जैसे– वैधानिक भविष्य निधि, प्रमाणित भविष्य निधि, अप्रमाणित भविष्य निधि। सार्वजनिक भविष्य निधि को गैर कर्मचारियों द्वारा भी संचालित किया जा सकता है।

3.8 बोध प्रश्न

(अ) रिक्त स्थान की पूर्ति करो।

1. अवयस्क बच्चों के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को अधिकतम रू0 .... प्रति बच्चा आयकर से मुक्त होता है।
2. भारत में कृषि भूमि से आय आयकर अधिनियम 1961 की धारा .... के अन्तर्गत करमुक्त होती है।

3. यूनिट योजना–64 के यूनिटों के हस्तान्तरण पर पूँजी लाभ दिनांक .... को या उसके बाद होने वाले हस्तान्तरण पर मान्य है।
4. शिक्षण संस्थानों की आय जो कि पूर्व में धारा 10(22) के अन्तर्गत करमुक्त थी, को कर निर्धारण वर्ष .... से समाप्त कर दिया गया है।
5. घरेलू कम्पनियों से प्राप्त लाभांश धारा .... के अन्तर्गत करमुक्त है।

(ब) सत्य / असत्य

1. किसी कर्मचारी को प्राप्त होने वाला मकान किराया भत्ता पूर्णतः करमुक्त होता है।
2. संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य को किराया मुक्त सरकारी आवास का मूल्य करमुक्त होता है।
3. कृषि आय, चाहे किसी भी देश में हो, भारत में आयकर से मुक्त होती है।
4. चाय बोर्ड से प्राप्त अनुदान तभी करमुक्त होगा जबकि उसका उपयोग चाय के पौधों को पुनः रोपित करने या नवीनीकरण के लिए किया जाये।
5. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त होने वाली फेलोशिप पूर्णतः करमुक्त होती है।
6. इण्डियन चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस ऐसोसिएशन को प्राप्त होने वाली आय करमुक्त होती है।
7. सांसदों व विधायकों को प्राप्त होने वाले वेतन तथा भत्ते दोनों ही करमुक्त होते हैं।
8. कीमैन बीमा पॉलिसी के अतिरिक्त अन्य बीमा पॉलिसी से प्राप्त परिपक्वता मूल्य व बोनस की राशि करयोग्य होती है।

(स) बहुविकल्पी प्रश्न

1. निम्न कृषि आय करमुक्त होती है–
   अ. गेहूं उगाने से आय ब. फूलों की खेती से आय
   स. कृषि भूमि से प्राप्त किराया द. उपरोक्त सभी
2. चाय उत्पादन व विक्रय की कुल आय की .... प्रतिशत राशि को कृषि आय माना जाता है।
   अ. 10 ब. 40
   स. 50 द. 60
3. निम्न पर ब्याज धारा 10(15.i) के अन्तर्गत करमुक्त है–
   अ. डाकघर बचत खाता ब. विशेष जमा योजना 1981
   स. उपरोक्त अ व ब दोनों द. उपरोक्त अ व ब दोनों नहीं
4. निम्न में से कौन सी आय करमुक्त होती है–
   अ. कनाडा में कृषि से आय ब. विधायक का वेतन
   स. संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य को प्राप्त भत्ते
   द. उपरोक्त सभी
5. एसबीआई म्युच्युअल फण्ड की आय धारा .... के अन्तर्गत करमुक्त होती है।

अ.	10 (23डी)	ब.	10(24)
स.	10(27)	द.	उपरोक्त में कोई नहीं

6. आयकर अधिनियम की धारा .... के अन्तर्गत करमुक्त आयों का उल्लेख किया गया है।

अ.	2	ब.	10
स.	80	द.	88

(द) समूहों का मिलान करो।

1.	धारा 10(34)	(अ) सांसदों के भत्ते
2.	धारा 10(17)	(ब) भारत में कृषि आय
3.	धारा 10(32)	(स) घरेलू कम्पनी से लाभांश
4.	धारा 10(1)	(द) अवयस्क बच्चे की आय

3.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

(अ) 1. 1,500 , 2. धारा 10(1), 3. 1अप्रेल 2002, .4. 1999–2000, 5. 10(34)

(ब) 1. असत्य 2. सत्य 3. असत्य 4. सत्य
5. सत्य 6. सत्य 7. असत्य 8. असत्य

(स) 1. द 2. द 3 स .4. स 5. अ 6. ब

(द) 1. स 3. अ 3. द 4. ब

3.10 स्वपरख प्रश्न

(लघु उत्तरीय)

1. करमुक्त आय से क्या अभिप्राय है?
2. किन प्रतिभूतियों पर ब्याज को धारा 10(15) में करमुक्त किया गया है?
3. कृषि आय किसे कहते हैं?
4. अंशत कृषि आय से क्या तात्पर्य है?
5. शत प्रतिशत निर्यात उपक्रम की आय को करमुक्ति प्रदान करने के लिए किन शर्तों का पूर्ण होना आवश्यक है?
6. संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को प्राप्त होने वाले भत्तों व अनुलाभों को करमुक्त होने के सम्बन्ध में क्या नियम हैं?
7. चाय, कॉफी, रबर के उत्पादन व विक्रय की संयुक्त आय में कृषि व अकृषि आय का भाग निर्धारण करने के सम्बन्ध में क्या नियम हैं?
8. आयकर अधिनियम की धारा 10(23सी) के अन्तर्गत किन राष्ट्रीय कोषों व संस्थाओं की आय को पूर्ण करमुक्त किया गया है?
9. पेशेवर संस्थाओं की आयों के सम्बन्ध में धारा 10(23ए) के प्रमुख प्रावधान क्या हैं?
10. साहसिक पूॅजी कोष या साहसिक पूॅजी कम्पनी की आय को करमुक्त करने के सम्बन्ध में आयकर अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों का वर्णन कीजिए।
11. अनुमोदित सुपर एनुएशन फण्ड से प्राप्त भुगतान के सम्बन्ध में आय को करमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में क्या नियम हैं?

12. कारण सहित बताइए कि निम्न में से कौन–कौन सी आय करमुक्त हैं–
    1. उत्तराखण्ड में कृषि भूमि से आय।
    2. मुर्गी पालन व्यापार की आय।
    3. चाय बोर्ड से प्राप्त अनुदान।
    4. अवयस्क बच्चे की आय।

(दीर्घ उत्तरीय)

1. करमुक्त आय से क्या आशय है? ऐसी दस आयों का उल्लेख कीजिए जिन्हें आयकर अधिनियम 1961 के अन्तर्गत करमुक्त किया गया है।
2. आयकर अधिनियम के अन्तर्गत पूर्णतः करमुक्त तथा अंशतः करमुक्त आयों को समझाइए। पूर्णतः करमुक्त तथा अंशतः करमुक्त आयों के पॉच–पॉच उदाहरण दीजिए।
3. आयकर अधिनियम के अन्तर्गत विशिष्ट संस्थाओं व कोषों की आयों को करमुक्त किये जाने सम्बन्धी प्रावधानों का वर्णन कीजिए।
4. आयकर अधिनियम के अन्तर्गत गैर–नागरिक तथा/अथवा अनिवासी करदाताओं के लिए करमुक्त आयों का वर्णन कीजिए।
5. टिप्पणी लिखिए–
    1. स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र में स्थापित नए उद्योगों की आय को करमुक्त श्रेणी में रखे जाने सम्बन्धी प्रावधान (अनुच्छेद 10एए)
    2. विशिष्ट विनियोगों पर ब्याज से करमुक्त आय (अनुच्छेद 10.15)
    3. कर्मचारियों के लिए करमुक्त आय
    4. राष्ट्रीय कोषों की करमुक्त आय (अनुच्छेद 10.23सी)

3.11 सन्दर्भ पुस्तकें

1. आयकर डॉ0 एच0सी0मेहरोत्रा, साहित्य भवन, आगरा।
2. आयकर नियोजन एवं प्रबन्ध, डॉ0 आर0के0जैन, एस0बी0पी0डी0 पब्लिशर्स, आगरा।
3. Income Tax VK Singhania, Taxmann, New Delhi.

इकाई 4 वेतन से आय

इकाई की रूपरेखा

4.1 प्रस्तावना
4.2 वेतन से आशय
4.3 वेतन, भत्तों, अनुलाभों तथा वेतन के स्थान पर लाभ की गणना
4.4 सकल वेतन निर्धारण की प्रक्रिया
4.5 सकल वेतन की कटौतियॉ
4.6 करयोग्य वेतन की गणना
4.7 सेवा निवृत्ति व निष्कासन के उपरान्त प्राप्तियॉ
4.8 सारांश
4.9 शब्दावली
4.10 बोध प्रश्न
4.11 बोध प्रश्नों के उत्तर
4.12 स्वपरख प्रश्न
4.13 सन्दर्भ पुस्तकें

उद्‌देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप इस योग्य हो सकेंगे कि :

- वेतन से आशय व वेतन में सम्मिलित विभिन्न मदों का वर्गीकरण कर सकें।
- करयोग्य एवं करमुक्त करों से सम्बन्धित नियम की जानकारी प्राप्त कर सकें।
- नियोक्ता द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का मूल्यांकन कर सकें।
- वेतन के स्थान पर लाभों की गणना व वेतन सम्बन्धी अनुमन्य कटौतियॉ जान सकें।
- सेवा निवृत्ति, पदच्युति आदि के उपरान्त आय सम्बन्धी नियम की व्याख्या कर सकें।
- सकल वेतन निर्धारण की प्रक्रिया व वेतन से करयोग्य आय की गणना की प्रक्रिया जान सकें।

4.1 प्रस्तावना

आयकर अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी रूप में प्राप्त आय को कर के दायरे में रखा जाता है। ये आय नैतिक हो अथवा अनैतिक करयोग्य होती है। अमौद्रिक रूप से प्राप्त आय पर भी आयकर की गणना की जाती है। अधिनियम में आय की पॉच मदों की व्याख्या की गई है– 1. वेतन से आय, 2. मकान सम्पत्ति से आय, 3. व्यापार अथवा पेशे से आय, 4. पूॅजी लाभ तथा 5. अन्य श्रोतों से प्राप्तियॉ।

वेतन से आय शीर्षक के अन्तर्गत किसी कर्मचारी को उसके द्वारा प्रदत्त सेवाओं के पुरस्कारस्वरूप उसके नियोक्ता से प्राप्त समस्त भुगतानों को सम्मिलित किया जाता है। ये भुगतान दैनिक, पाक्षिक, मासिक अथवा किसी अन्य रूप में हो सकते हैं। इसमें मौद्रिक तथा अमौद्रिक दोनों प्रकार की प्राप्तियों को सम्मिलित किया

जाता है। सेवा स्थाई हो अथवा अस्थाई, नियमित हो अथवा अनियमित सभी की प्राप्तियों को आयकर की गणना के लिए आय माना जाता है। यहॉ तक कि सेवा निवृत्ति अथवा पदच्युति के बाद प्राप्त होने वाले भुगतानों (यथा– पेंशन, अवकाश नकदीकरण, ग्रेच्युइटी, क्षतिपूर्ति, भविष्यनिधि भुगतान आदि) को भी करगणना में वेतन से आय शीर्षक के अन्तर्गत रखा जाता है। कर के अन्तर्गत मूल वेतन, कमीशन, बोनस, भत्ते, अनुलाभ, वेतन के स्थान पर लाभ आदि को सम्मिलित किया जाता है।

4.2 वेतन से आशय

अर्थशास्त्र में मजदूरी को श्रम का पुरस्कार माना जाता है। आयकर की दृष्टि से किसी भी नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को उसके श्रम के पुरस्कार स्वरूप किया गया कोई भी भुगतान वेतन माना जाता है। आयकर अधिनियम में वेतन और मजदूरी में भेद नहीं किया गया है तथा किसी भी स्थाई अथवा अस्थाई सेवा के लिए किये गये किसी भी मौद्रिक अथवा अमौद्रिक भुगतान को वेतन की श्रेणी में करयोग्य माना गया है।

वेतन से आय शीर्षक के अन्तर्गत कर की गणना करने के पूर्व वेतन के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। इस सम्बन्ध निम्नलिखित बिन्दु उल्लेखनीय हैं–

वेतन के अन्तर्गत नियोक्ता से प्राप्त सभी भुगतान जो कि कार्मिक की सेवाओं के पुरस्कार स्वरूप प्राप्त होता है, सम्मिलित किया जाता है। आयकर की दृष्टि से इसमें मूल वेतन, बोनस, कमीशन, भत्ते, सुविधाओं के रूप में प्राप्त होने वाले अनुलाभ, वेतन के स्थान पर लाभ के रूप में किसी भी प्रकार की मौद्रिक या अमौद्रिक प्राप्ति को जोड़ा जाता है। आयकर के अन्तर्गत मजदूरी और वेतन में कोई भेद नहीं किया गया है।

1. वेतन से आय की गणना के लिए नियोक्ता और कर्मचारी का सम्बन्ध होना आवश्यक है। नियोक्ता किसी भी श्रेणी का हो सकता है जैसे– व्यक्ति, फर्म, कम्पनी आदि। नियोक्ता देशी अथवा विदेशी हो सकता है। यदि कर्मचारी ने एक कर निर्धारण वर्ष में एक से अधिक नियोक्ताओं के अधीन कार्य किया है तो सभी नियोक्ताओं से प्राप्त धनराशि का योग वेतन में सम्मिलित किया जाता है। इसी प्रकार कर्मचारी भी चाहे चौकीदार हो, लिपिक हो अथवा प्रबन्धक हो, आयकर की गणना के लिए वेतन शीर्षक का प्रयोग किया जाता है किन्तु यदि नियोक्ता व नियुक्त का सम्बन्ध नहीं है तो आय को वेतन से आय नहीं माना जायेगा। साझेदार को फर्म से प्राप्त वेतन, सांसदों व विधायकों को वेतन, विश्वविद्यालय कार्यों हेतु शिक्षकों को मानदेय, लाभांश आदि को इसी आधार पर वेतन से आय नहीं माना जाता है।
2. वेतन के उपार्जित अथवा प्राप्य होते ही यह आय का भाग बन जाती है तथा इस पर आयकर देय होगा, चाहे इसका भुगतान बाद में प्राप्त हो। जिन संस्थानों में वेतन अगले माह की प्रथम तिथि को देय होता है वहॉ कर निर्धारण वर्ष में फरवरी तक का वेतन ही सम्मिलित किया जाता है। वेतन का बकाया उस वर्ष की आय में जोड़ा जाता है जिसमें यह प्राप्त होता है। यद्यपि

इसको पूर्व वर्षों में फैलाये जाने का प्रावधान भी है। यदि कर्मचारी को अपने नियोक्ता से वेतन का अग्रिम भुगतान प्राप्त होता है तो वेतन प्राप्त होने पर ही यह करयोग्य हो जाता है तथा जिस वर्ष यह देय है उसमें इसे आय में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। इसप्रकार आयकर की गणना के लिए वेतन प्राप्य अथवा प्राप्त तिथि, जो भी पहले हो, को करयोग्य हो जाता है। यदि कर्मचारी का वेतन न्यायालय द्वारा रोका जाता है तो भी उसे कर निर्धारण वर्ष की आय माना जाता है क्योंकि वेतन देय हो चुका है भले ही वह प्राप्त नहीं हुआ है।

3. वेतन कभी कर मुक्त नहीं होता है। यदि कर मुक्त वेतन प्रदान किया जा रहा है तो इसका आशय यह है कर का भुगतान नियोक्ता द्वारा किया जा रहा है। इस स्थिति में प्राप्त शुद्ध वेतन में नियोक्ता द्वारा भुगतान की जाने वाली आयकर की राशि को जोड़कर आने वाली राशि को आय माना जाता है। यदि कर्मचारी वेतन अर्जित होने के बाद वेतन का त्याग कर देता है तो भी वह करयोग्य माना जाता है, भले ही यह त्याग नियोक्ता के पक्ष में ही क्यों न किया जाय किन्तु यदि कर्मचारी द्वारा जनहित में वेतन के स्वैच्छिक समर्पण (कर से छूट) अधिनियम 1961 के अन्तर्गत समर्पण किया जाता है तो इसे कर्मचारी की करयोग्य आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है।

4. कर्मचारी के अवकाश ग्रहण पर प्राप्त एकमुश्त पेंशन, ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण आदि को करयोग्य माना जाता है। सेवा से मुक्त होने के बाद भी यदि कोई भुगतान नियोक्ता से प्राप्त होता है तो वह वेतन शीर्षक में करयोग्य होता है। पेंशन से आय भी वेतन शीर्षक में रखी जाती है। कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा अथवा उत्तराधिकारी को प्राप्त होने वाली परिवारिक पेंशन वेतन शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य नहीं होती है वरन इसे अन्य साधनों की आय शीर्षक में रखा जाता है।

5. मंहगाई भत्ता तथा मंहगाई वेतन एक समान शब्द नहीं होते हैं। मंहगाई वेतन सदैव मूल वेतन का अंग होता है। मंहगाई वेतन मूल वेतन का अंग तभी होता है जबकि यह सेवा शर्तों के अन्तर्गत देय है। यदि कर्मचारी के अवकाश ग्रहण लाभों तथा भविष्य निधि सम्बन्धी भुगतानों के लिए मंहगाई भत्ते को वेतन में जोड़ा जाता है तो उसे सेवा शर्तों के अन्तर्गत माना जाता है।

4.3 वेतन, भत्तों, अनुलाभों तथा वेतन के स्थान पर लाभ की गणना

वेतन शीर्षक के अन्तर्गत आय की गणना करने के लिए वेतन के चार प्रभागों का अध्ययन किया जाना आवश्यक है–

अ. वेतन

आ. भत्ते

इ. अनुलाभ

ई. वेतन के स्थान पर लाभ।

उपरोक्त चारों प्रभागों का योग ही सकल वेतन होता है।

अ. वेतन–

सामान्यत वेतन प्रभाग में मूल वेतन अथवा मजदूरी को ही जाना जाता है किन्तु वेतन के अन्तर्गत निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाता है–

1. **मूल वेतन अथवा मजदूरी–**

वेतन मद में प्राप्त होने वाली सम्पूर्ण राशि का आधार मूल वेतन ही होता है। इसमें किसी प्रकार भत्ते आदि जुड़े नहीं होते हैं। इसके आधार पर ही भत्ते आदि की गणना की जाती है। वेतनमान के अन्तर्गत प्राप्त होने की दशा में प्रारम्भिक वेतन में वार्षिक वृद्धि जोड़कर मूल वेतन की गणना की जाती है।

2. **बोनस–**

कर्मचारी को उसके नियोक्ता द्वारा बोनस प्रदान किया जाता है तो इसे वेतन का अंग माना जाता है। बोनस उसी वर्ष में वेतन में सम्मिलित होगा जबकि इसे प्राप्त किया जाता है।

3. **कमीशन, फीस, अन्तरिम राहत–**

कर्मचारी को प्रदान किया जाने वाला कमीशन, चाहे निश्चित राशि हो अथवा वेतन का प्रतिशत, वेतन में सम्मिलित किया जाता है। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार की अन्तरिम राहत अथवा फीस आदि प्राप्त होने पर उसे भी वेतन का ही अंग माना जाता है।

4. **अधिसमय भुगतान (ओवर टाइम)–**

कर्मचारी द्वारा निर्धारित समय से अधिक कार्य किये जाने के फलस्वरूप प्राप्त भुगतान को अधिसमय अथवा समयोपरि भुगतान कहा जाता है। यह रकम वेतन के साथ करयोग्य होती है।

5. **अग्रिम वेतन–**

यदि कर्मचारी ने अपने नियोक्ता से आगामी महीनों का वेतन अग्रिम स्वरूप प्राप्त किया है तो उक्त माह अगले कर निर्धारण वर्ष में होने पर भी आय उसी कर निर्धारण वर्ष की मानी जायेगी जिसमें उसे प्राप्त किया गया है।

6. **बकाया वेतन–**

यदि कर्मचारी को गतवर्ष का अवशिष्ट वेतन वर्तमान वर्ष में प्राप्त होता है तथा उस रकम पर तत्समय कर नहीं चुकाया गया है तो उसे वर्तमान कर निर्धारण वर्ष की आय में सम्मिलित किया जाता है।

7. **प्रमाणित भविष्य निधि खाते में वार्षिक वृद्धि–**

यदि नियोक्ता प्रमाणित भविष्य निधि का सदस्य है तथा नियोक्ता द्वारा उसमें वेतन के 12 प्रतिशत से अधिक अंशदान किया जाता है तो आधिक्य की राशि को वेतन में जोड़ा जायेगा। इसीप्रकार, यदि उक्त भविष्य निधि में ब्याज 9.5 प्रतिशत से अधिक प्राप्त होता है तो अतिरिक्त ब्याज की राशि भी वेतन का भाग बनेगी।

8. **वार्षिकी (एन्युटी)–**

यदि कर्मचारी को अपने नियोक्ता से वार्षिकी के रूप में धनराशि प्राप्त हो रही है तो वह वेतन में शामिल होगी किन्तु यदि यह वार्षिकी कर्मचारी को अपने पूर्व नियोक्ता से

प्राप्त हुई है तो इसे वेतन शीर्षक के अन्तर्गत ही 'वेतन के स्थान पर लाभ' उपशीर्षक में रखा जाता है।

9. **अनुग्रह राशि (ग्रेच्युटी)–**

कर्मचारी को उसके सेवाकाल में की गई सेवा के प्रतिफलस्वरूप अनुग्रह राशि का भुगतान उसके अवकाश ग्रहण अथवा मृत्यु की दशा में भुगतान की जाती है। यह राशि जब कर्मचारी स्वयं प्राप्त करता है तो वेतन शीर्षक में सम्मिलित की जाती है (यद्यपि इन्हें पूर्णतः अथवा अंशतः करमुक्त रखा गया है) किन्तु यदि मृत्यु की दशा में इसे कर्मचारी के उत्तराधिकारी द्वारा प्राप्त किया जाता है तो यह अन्य साधनों से आय मानी जाती है। इस पर भी कर से छूट विद्यमान हैं जिसका अध्ययन इसी अध्याय में आगे किया जायेगा।

10. **अवकाश नकदीकरण–**

कर्मचारी को उन्हें देय अवकाश का उपभोग न करने की दशा में नियोक्ता से धन प्राप्त होने को अवकाश नकदीकरण कहा जाता है। इस धनराशि को वेतन में सम्मिलित किया जाता है। आयकर निर्धारण के लिए इसमें छूट भी प्रदान की जाती हैं।

11. **भविष्य निधि के हस्तांतरित शेष का कर योग्य अंश–**

जब कर्मचारी अपने अप्रमाणित भविष्य निधि के शेष को प्रमाणित भविष्य निधि में हस्तांतरित करा लेता है तो अप्रमाणित भविष्य निधि खाते का शेष हस्तांतरित शेष कहलाता है। हस्तांतरित शेष का करयोग्य भाग वेतन में सम्मिलित किया जाता है।

12. **अनुसूचित पेंशन योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त अंशदान–**

केन्द्र सरकार द्वारा धारा 80 सीसीडी के अन्तर्गत गतवर्ष में अनुसूचित पेंशन योजना के अन्तर्गत कर्मचारी के खाते में दिया गया अंशदान वेतन में सम्मिलित किया जाता है।

13. **पेंशन –**

कर्मचारी के अवकाश ग्रहण की दशा में उसे प्रतिमाह प्राप्त होने वाली राशि अनुवृत्ति (पेंशन) कहलाती है। यह राशि वेतन में सम्मिलित होती है। कर्मचारी की मृत्यु की दशा में परिवार को प्राप्त होने वाली पेंशन अन्य साधनों की आय शीर्षक में करयोग्य होगी।

14. **छंटनी की दशा में कर्मचारी को प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि–**

व्यापार बन्द होने अथवा अन्य दशा में कर्मचारी को छंटनी कर दिये जाने के कारण उसे प्राप्त होने वाली क्षतिपूर्ति की करयोग्य राशि वेतन मद में प्रदर्शित की जाती है।

15. **स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति पर प्राप्त राशि–**

कर्मचारी द्वारा स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करने पर उसे प्राप्त होने वाली एकमुश्त राशि को कतिपय शर्त पूरी होने पर कर से छूट प्राप्त है। इसकी करयोग्य राशि को वेतन में सम्मिलित किया जाता है।

आ. भत्ते–

भत्ते से आशय उस रकम से है जो एक नियोक्ता अपने कर्मचारी को वेतन के साथ अतिरिक्त रूप से प्रदान करता है। यह भत्ता प्रायः किसी विशेष व्यय के एवज में प्रदान किया जाता है, चाहे वह व्यय व्यक्तिगत हो अथवा किसी सरकारी कार्य को करने के सम्बन्ध में। कुल वेतन की गणना में इसे भी जोड़ा जाता है। कर निर्धारण की दृष्टि से भत्ते तीन प्रकार के हो सकते हैं–

1. **पूर्णतः करमुक्त भत्ते–**

इस श्रेणी में वे भत्ते आते हैं जिनकी सम्पूर्ण राशि आयकर नियमों के अन्तर्गत करमुक्त होती है। इसमें से प्रमुख हैं–

अ. **विदेश भत्ता–** यह भत्ता उन कार्मिकों को दिया जाता है जो भारत के नागरिक हैं तथा सरकार की सेवा में भारत के बाहर कार्यरत हैं।

आ. **उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भत्ता–** उच्च न्यायालयों में कार्यरत न्यायाधीशों को सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला विशेष भत्ता करमुक्त होता है।

इ. **संयुक्त राष्ट्र संघ से प्राप्त भत्ते–** जो कार्मिक संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए कार्य करते हैं उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ से भत्ते प्राप्त होते हैं। ये भत्ते आयकर अधिनियम में करमुक्त होते हैं।

ई. **यात्रा भत्ता–** यह भत्ता नियोक्ता अपने कर्मचारियों को उनके कार्य के सम्बन्ध में की गई यात्राओं पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति स्वरूप प्रदान करते हैं। इसमें स्थानान्तरण यात्रा से सम्बन्धित व्यय भी सम्मिलित हैं।

उ. **दैनिक भत्ता–** यह भत्ता नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को कार्य के सम्बन्ध में बाहर जाने पर दैनिक व्ययों की पूर्ति हेतु प्रदान किया जाता है।

ऊ. **स्थानीय यात्रा एवं कार भत्ते–** यह भत्ता कर्मचारियों को कार्यस्थल पर आने जाने अथवा बैठक आदि में भाग लेने आदि के लिए प्रदान किया जाता है।

ए. **नौकर भत्ता–** कार्मिक द्वारा यदि नौकर नियुक्त किया जाता है और नियोक्ता द्वारा इस हेतु भत्ता प्रदान किया जाता है तो प्राप्त भत्ते अथवा वास्तविक भुगतान में से जो भी कम हो, करमुक्त होती है।

ऐ. **अकादमिक भत्ता–** अकादमिक गतिविधियों, शोध आदि के लिए प्रदान किया जाने वाला यह भत्ता वास्तविक व्यय की सीमा तक करमुक्त होता है।

ओ. **वर्दी भत्ता–** नियोक्ता द्वारा अपने कार्मिकों को सेवाकाल में प्रयोग की जाने वाली वर्दी बनाने के व्यय की पूर्ति हेतु प्रदान किया जाने वाला भत्ता करमुक्त होता है।

2. **अंशतः करमुक्त भत्ते–**

कुछ भत्तों के सम्बन्ध में आयकर अधिनियम के अन्तर्गत कतिपय नियम निर्धारित किये गये हैं तथा उन्हीं के आधार पर एक निश्चित सीमा तक उन भत्तों को करमुक्त किया गया है। प्रमुख अंशतः करमुक्त भत्ते निम्नलिखित हैं–

1. **मकान किराया भत्ता–** कर्मचारियों के द्वारा अपने रहने के लिए किराये पर मकान लेने पर होने वाले व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु यह भत्ता दिया जाता है जो कि निम्नलिखित में से न्यूनतम राशि के लिए करमुक्त होता है–

क. नियोक्ता से प्राप्त मकान किराया भत्ते की रकम

ख. वेतन के 10 प्रतिशत पर प्रदत्त किराये की रकम का आधिक्य

ग. वेतन का 50 प्रतिशत भाग (दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता अथवा चेन्नई में मकान होने की स्थिति में वेतन का 40 प्रतिशत भाग)। यहाँ वेतन में मूल वेतन, मंहगाई वेतन, मंहगाई भत्ता (यदि सेवा शर्तों के अधीन हो) तथा कमीशन (बिक्री पर निर्धारित प्रतिशत दर) को सम्मिलित किया जाता है।

कर्मचारी को प्राप्त भत्ते में से करमुक्त भाग घटाने के बाद शेष राशि करयोग्य आय मानी जाती है। यदि कर्मचारी स्वयं के मकान में रह रहा है तथा उसे मकान किराया भत्ता प्राप्त हो रहा है तो यह करयोग्य होगा।

2. **मनोरंजन भत्ता**–नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को मनोरंजन भत्ता दिया जा सकता है। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए यह भत्ता पूर्णतः करयोग्य होता है किन्तु सरकारी कर्मचारियों को निम्न में से जो भी कम हो, को करमुक्त किया जाता है–

1. वास्तविक प्राप्त मनोरंजन भत्ता
2. कर्मचारी के मूल वेतन का 20 प्रतिशत
3. अधिकतम राशि रू0 5,000

3. **परिवहन भत्ता**– निवास और कार्यालय के मध्य आने–जाने के लिए कर्मचारी को उसके नियोक्ता से परिवहन भत्ता प्राप्त होता है। यह भत्ता रू0 1600 तक करमुक्त होता है किन्तु दृष्टिबाधिक तथा विकलांगों के लिए यह छूट रू0 3200 तक अनुमन्य है।

4. **भूमिगत भत्ता**– खानों के अन्दर कार्य करने वाले कार्मिकों को भूमिगत भत्ता प्रदान किया जाता है। यह भत्ता अधिकतम रू0 800 तक करमुक्त होता है।

5. **शिक्षा भत्ता**– कर्मचारी के बच्चों की शिक्षा के लिए प्रदान किया जाने वाला यह भत्ता रू0 100 प्रतिमाह प्रति बच्चा (अधिकतम दो बच्चों तक) करमुक्त होता है।

6. **छात्रावास (हॉस्टल) भत्ता**– बच्चों को छात्रावास में रहकर शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्राप्त होने वाला यह भत्ता रू0 300 प्रतिमाह प्रति बच्चा (अधिकतम दो बच्चों तक) करमुक्त होता है।

7. **यातायात कम्पनी के कार्मिकों को विशिष्ट भत्ता**– यातायात संगठनों में कार्यरत कर्मचारियों को यात्राओं के सम्बन्ध में प्राप्त होने वाला विशिष्ट भत्ता (दैनिक भत्ता प्राप्त न होने की शर्त पर) प्राप्त भत्ते का 70 प्रतिशत अथवा रू0 10,000 प्रतिमाह (दोनों में जो भी कम हो) तक करमुक्त होता है।

8. **जनजातीय क्षेत्र भत्ता**– उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, ओडीसा, बिहार, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, तामिलनाडु, कर्नाटक, त्रिपुरा, आसाम, पश्चिमी बंगाल राज्यों में कर्मचारियों को प्राप्त होने वाला जनजातीय भत्ता रू0 200 प्रतिमाह की दर से करमुक्त होता है तथा शेष राशि करयोग्य होती है।

9. **संयुक्त पर्वतीय क्षतिपूरक भत्ता** – पर्वतीय क्षेत्रों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को उन क्षेत्रों में होने वाले अतिरिक्त व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु पर्वतीय क्षतिपूरक भत्ता मिलता है। यह भत्ता विभिन्न ऊँचाइयों तथा परिस्थितियों के आधार पर करमुक्त होता है। समुद्र तल से 1000 मीटर से अधिक की ऊॅचाई वाले सामान्य

क्षेत्रों में करमुक्ति की राशि रू0 300 प्रतिमाह है। 9000 फुट से अधिक ऊँचाई के क्षेत्रों में यह रू0 800 प्रतिमाह तथा जम्मू कश्मीर के सियाचीन क्षेत्र में रू0 7000 प्रतिमाह तक हो सकती है।

10. **सीमान्त भत्ता–** अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को सीमान्त भत्ता प्रदान किया जाता है। यह भत्ता अलग–अलग परिस्थितियों में रू0 200 से रू0 1300 तक करमुक्त हो सकता है।

11. **क्षतिपूरक युद्ध क्षेत्र भत्ता–** अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैण्ड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर के विशिष्ट क्षेत्रों में मिलने वाले क्षेत्र प्रतिपूरक भत्ता को रू0 2600 प्रतिमाह तक करमुक्त रखा गया है।

12. **क्षतिपूरक संशोधित युद्ध क्षेत्र भत्ता–** पंजाब, राजस्थान, हरयाणा, हिमाचल प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, आसाम, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश तथा जम्मू व कश्मीर के विशिष्ट क्षेत्रों में प्रतिपूरक संशोधित क्षेत्र भत्ता के रूप में रू0 1000 प्रतिमाह की करमुक्ति का प्रावधान किया गया है।

13. **उग्रवाद प्रतिरोध भत्ता** – उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सशस्त्र बलों के प्रभावित व्यक्तियों को अपने कार्यस्थल से दूर 30 दिन से अधिक कार्य करने की स्थिति में रू0 3900 प्रतिमाह की करमुक्ति प्रदान की जाती है।

3. **पूर्णतः करयोग्य भत्ते–** आयकर अधिनियम में उल्लिखित करमुक्त तथा आंशिक करमुक्त भत्तों के अतिरिक्त अन्य सभी भत्ते पूर्णतः करयोग्य होते हैं। इनमें मुख्यतः निम्नलिखित भत्तों को सम्मिलित किया जाता है–

1) **मंहगाई भत्ता–** निरन्तर बढ़ती हुई मंहगाई का सामना करने के लिए कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता प्रदान किया जाता है। यह भत्ता पूर्णतः करयोग्य होता है।

2) **नगर प्रतिपूरक भत्ता–** बड़े नगरों में रहने के व्यय अधिक होते हैं अतः वहाँ कार्य करने वाले कर्मचारियों को कुछ भत्ता प्रदान किया जात है। यह भत्ता पूर्णतः करयोग्य होता है।

3) **चिकित्सा भत्ता–** कर्मचारी को यदि चिकित्सा भत्ता प्रदान किया जाता है तो वह पूर्णतः करयोग्य होता है। चिकित्सा भत्ते की राशि कर्मचारी द्वारा पूर्णतः व्यय कर दी जाये अथवा पूर्णतः बचा ली जाये किन्तु आयकर की दृष्टि से यह भत्ता पूर्णतः करयोग्य मानी जायेगी। चिकित्सा हेतु प्रदत्त सुविधाएं चिकित्सा भत्ता नहीं होतीं।

4) **नौकर भत्ता–** कर्मचारी को नौकर की सेवा प्राप्त करने के उद्देश्य से निश्चित दर से प्रदान किया जाने वाला भत्ता नौकर भत्ता कहलाता है। यह करयोग्य होता है किन्तु यदि नियोक्ता नौकर को कर्मचारी के नियुक्त करता है तथा उसे भुगतान करता है तो यह भत्ता नहीं है।

5) **वार्डन भत्ता–** छात्रावास में प्रबन्धन करने के लिए छात्रावास अधीक्षक को वार्डन भत्ता प्रदान किया जाता है।

6) **अभ्यास निषेध भत्ता–** सरकारी अस्पताल के चिकित्सकों को निजी प्रेक्टिस करने की अनुमति नहीं होती है। सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों को नौकरी छोड़कर जाने से रोकने के लिए तथा सरकारी सेवाओं में आकर्षित करने के लिए उन्हें

अभ्यास निषेध भत्ते के रूप में अतिरिक्त राशि प्रदान की जाती है। यह पूर्णतः करयोग्य होती है।

7) **प्रतिनियुक्ति भत्ता–** जब नियोक्ता अपने कर्मचारी को उसके कार्य से अलग किसी अन्य कार्य पर उसी संस्था के किसी अन्य विभाग में अथवा अन्य संस्था में कुछ समय के लिए स्थानांतरित करती है तो उन्हें अतिरिक्त व्ययों की पूर्ति के लिए अथवा उन्हें कार्य के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त भत्ता प्रदान करती है। आयकर में यह पूर्णतः करयोग्य होता है।

8) **अन्य भत्ते–** उपरोक्त के अतिरिक्त कर्मचारी को प्राप्त होने वाला टिफिन भत्ता, प्राक्टर भत्ता, कुत्ता भत्ता, ओवर टाइम भत्ता, रात्रि भत्ता, परिवार भत्ता, परियोजना भत्ता आदि भी पूर्णतः करयोग्य होते हैं।

इ. अनुलाभ–

नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को वेतन व भत्तों के अतिरिक्त कुछ सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। ये सुविधाएं अथवा उनके लिये की गई कोई रकम बिना कोई मूल्य प्राप्त किये अथवा रियायती मूल्य प्राप्त करके प्रदान कर दी जाती हैं। आयकर की गणना में इन सुविधाओं का मूल्यांकन किया जाता है तथा उक्त मूल्य को कर्मचारी की वेतन की आय शीर्षक में अनुलाभ के रूप में जोड़ दिया जाता है। कर्मचारी द्वारा भुगतान किया गया मूल्य सुविधा के कुल मूल्यांकन से कम कर दिया जाता है। इन सुविधाओं को अनुलाभ माने जाने के लिए यह आवश्यक है कि यह सेवा काल में नियमपूर्वक तथा निरन्तर प्रदान किया जा रहा है तथा इससे कर्मचारी का व्यक्तिगत लाभ हो रहा हो।

अनुलाभ निम्नप्रकार के होते हैं–

क. सभी कर्मचारियों के लिए करयोग्य अनुलाभ

ख. विशिष्ट कर्मचारियों के लिए करयोग्य अनुलाभ

ग. सभी कर्मचारियों के लिए करमुक्त अनुलाभ

घ. अनुषंगी लाभ

क. **सभी कर्मचारियों के लिए करयोग्य अनुलाभ–** निम्नलिखित अनुलाभ सभी कर्मचारियों के लिए करयोग्य अनुलाभ हैं–

1. **किराया मुक्त मकान–** नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को किराया मुक्त का मकान दिये जाने की स्थिति में उक्त सुविधा का मूल्यांकन निम्न प्रकार किया जाता है–

अ. सरकारी कर्मचारी – केन्द्र अथवा राज्य सरकार कर्मचारी के लिए बिना सजावट के मकान की सुविधा का मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित लाइसेंस शुल्क दरों के अनुरूप होता है। यदि सजावटयुक्त मकान उपलब्ध कराया गया है तो उक्त राशि में फर्नीशिंग लागत का 10 प्रतिशत अथवा फर्नीचर आदि के लिए प्रदत्त वास्तविक किराये की रकम को जोड़ दिया जाता है।

ब. अन्य कर्मचारी– केन्द्र अथवा राज्य कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य सभी कर्मचारियों के लिए बिना सजावट के मकान का मूल्यांकन निम्नप्रकार से किया जाता है–

भवन का स्वामित्व / जनसंख्या (2001 जनगणना)	यदि मकान नियोक्ता के स्वामित्व में है।	यदि मकान को नियोक्ता द्वारा किराये पर लेकर कर्मचारी को दिया गया है।
10 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर में	सम्बन्धित अवधि में कर्मचारी के वेतन का 7.5 प्रतिशत	सम्बन्धित अवधि में कर्मचारी के वेतन का 15 प्रतिशत अथवा वास्तव में चुकाया गया किराया (जो भी कम हो)
10 लाख से अधिक किन्तु 25 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर में	सम्बन्धित अवधि में कर्मचारी के वेतन का 10 प्रतिशत	सम्बन्धित अवधि में कर्मचारी के वेतन का 15 प्रतिशत अथवा वास्तव में चुकाया गया किराया (जो भी कम हो)
25 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर में	सम्बन्धित अवधि में कर्मचारी के वेतन का 15 प्रतिशत	सम्बन्धित अवधि में कर्मचारी के वेतन का 15 प्रतिशत अथवा वास्तव में चुकाया गया किराया (जो भी कम हो)

मकान के मूल्य की गणना में कर्मचारी के वेतन में मूल वेतन, बोनस, कमीशन, सेवा शर्तों के अधीन प्रदत्त मंहगाई भत्ता अथवा मंहगाई वेतन तथा समस्त करयोग्य भत्ते व भुगतान सम्मिलित किये जाते हैं किन्तु करमुक्त भत्ते, वेतन का बकाया, आन्तरिक राहत, चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति, भविष्य निधि खाते का ब्याज, गैस बिजली बिलों के नियोक्ता द्वारा भुगतान आदि को सम्मिलित नहीं किया जाता है।

सजावटयुक्त मकान होने की दशा में सजावट लागत का 10 प्रतिशत अथवा उक्त हेतु प्रदत्त किराये की रकम को जोड़ दिया जाता है।

2. **रियायती किराये पर मकान–** यदि नियोक्ता द्वारा रियायती दर पर अपने कर्मचारी को निवास हेतु भवन उपलब्ध कराया गया है तो इस सुविधा का मूल्यांकन करने के लिए सर्वप्रथम उसी प्रकार मूल्यांकन किया जाता है जैसे कि मकान बिना किराये के दिया गया है। उक्त प्राप्त मूल्य में से कर्मचारी द्वारा प्रदत्त किराये की रकम को घटा दिया जाता है। इसप्रकार प्राप्त शेष मूल्य ही रियायती किराये के मकान का मूल्यांकन होता है।

3. **नियोक्ता द्वारा किये गये भुगतान–** यदि नियोक्ता ने कर्मचारी के द्वारा किये जाने वाले विभिन्न भुगतानों का दायित्व स्वयं पर ले लिया गया हो अथवा कर्मचारी के

द्वारा भुगतान किये गये व्ययों की प्रतिपूर्ति नियोक्ता द्वारा कर दी गई हो तो इस सुविधा का मूल्य कर्मचारी के वेतन में जोड़ दिया जाता है। इन बिलों में कर्मचारी के क्लब व होटल के बिल, गैस–बिजली–पानी आदि के बिल, जीवन बीमा की किश्त का भुगतान, चिकित्सा व्ययों (रू0 15,000 से अधिक) का भुगतान, कर्मचारी के बच्चों की स्कूल फीस, कर्मचारी द्वारा देय आयकर का भुगतान सम्मिलित हो सकता है किन्तु यदि नियोक्ता कर्मचारी के टेलीफोन बिल (मोबाइल सहित) का भुगतान करता है तो यह करमुक्त अनुलाभ होता है।

ख. **विशिष्ट कर्मचारियों के लिए करयोग्य अनुलाभ–** कुछ अनुलाभ केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए ही करयोग्य होते हैं। विशिष्ट कर्मचारी से आशय किसी ऐसे कर्मचारी है जो निम्न में से कम से कम एक शर्त अवश्य पूर्ण करता हो–

1. यदि कर्मचारी नियोक्ता कम्पनी का पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक निदेशक हो,
2. यदि कर्मचारी ने नियोक्ता कम्पनी के 20 प्रतिशत या अधिक अंशों का स्वामित्व प्राप्त कर लिया हो, अथवा उसका कम्पनी में सारवान हित हो,
3. यदि उसे रू0 50,000 से अधिक की कुल प्राप्ति नियोक्ता से हो रही हो। यहॉ कुल प्राप्ति में मूल वेतन, बोनस, कमीशन, करयोग्य भत्तों को सम्मिलित किया जाता है। आयकर अधिनियम के अनुच्छेद 16 की कटौतियों को इसमें घटा दिया जाता है।

विशिष्ट कर्मचारियों के लिए करयोग्य भत्ते निम्नलिखित हैं–

1. **मोटर कार की सुविधा–** यदि नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को कार की सुविधा उपलब्ध कराई गई है तो उसका मूल्यांकन करके कर्मचारी के वेतन की आय में जोड़ा जाता है। कार की सुविधा का मूल्यांकन करने में निम्न बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखना होता है–

अ. कार की क्षमता 1.6 लीटर तक है अथवा इससे अधिक है।

ब. कार कर्मचारी की है, नियोक्ता की है अथवा नियोक्ता द्वारा किराये पर ली गई है।

स. कार का प्रयोग कर्मचारी द्वारा पूर्णतः सेवा सम्बन्धी कार्य हेतु किया जा रहा है, पूर्णतः निजी कार्य हेतु किया जा रहा है अथवा आंशिक रूप से निजी एवं कार्यालयी कार्यों के लिए किया जा रहा है।

द. कार सम्बन्धी व्ययों का भुगतान नियोक्ता द्वारा किया जा रहा है अथवा कर्मचारी द्वारा किया जा रहा है।

मोटर कार की सुविधा का मूल्यांकन निम्नप्रकार से किया जाता है–

यदि कर्मचारी को एक कार प्रदान की गई है जिसका स्वामित्व नियोक्ता के पास है अथवा कार को किराये पर लिया गया है और कार को पूर्णतः सेवा सम्बन्धी कार्यों के लिए किया जाता है तो अनुलाभ का मूल्य शून्य होगा। यदि उपयोग पूर्णतः व्यक्तिगत होता है तो कार संचालन का वास्तविक व्यय, चालक का वेतन तथा किराया (यदि कार किराये पर है) अथवा कार की लागत का 10 प्रतिशत अनुलाभ का मूल्य होगा। यदि कार को निजी एवं सेवा दोनों कार्यो के लिए उपयोग किया जाता है तो–

(अ) यदि संचालन की लागत नियोक्ता द्वारा वहन की जाती है तो छोटी कार के लिए रू0 1800 प्रतिमाह तथा बड़ी कार के लिए रू0 2400 प्रतिमाह सुविधा का मूल्य होगा।यदि चालक भी प्रदान किया जाता है तो रू0 900 प्रतिमाह चालक व्यय जोड़ा जायेगा।

(ब) यदि संचालन लागत कर्मचारी द्वारा वहन की जाती है तो छोटी कार के लिए रू0 600 प्रतिमाह तथा बड़ी कार के लिए रू0 900 प्रतिमाह सुविधा का मूल्य होगा। यदि चालक भी प्रदान किया जाता है तो रू0 900 प्रतिमाह चालक व्यय जोड़ा जायेगा।

यदि कार कर्मचारी की है तथा व्ययों का भुगतान नियोक्ता द्वारा किया जाता है तो– कार पूर्णतः सेवार्थ उपयोग होने पर सुविधा का मूल्य शून्य होगा, पूर्णतः निजी उपयोग होने पर वह राशि जो कि नियोक्ता से प्राप्त होती है सुविधा का मूल्य होगा तथा यदि दोनों कार्यों में प्रयुक्त होती है तो छोटी कार की दशा में प्राप्त राशि से रू0 1800 तथा चालक व्यय रू0 900 प्रतिमाह कम करके सुविधा का मूल्य ज्ञात किया जाता है जबकि बड़ी कार की दशा में प्राप्त राशि से रू0 2400 तथा चालक व्यय रू0 900 प्रतिमाह कम करके सुविधा का मूल्य ज्ञात किया जाता है।

यदि एक से अधिक कार उपलब्ध कराई गई हैं तो एक कार का मूल्यांकन मिश्रित प्रयोग में उपरोक्त विधि से किया जाता है तथा अन्य कारों को पूर्णतः निजी प्रयोग में माना जाता है।

2. **घरेलू नौकर की सुविधा**– नियोक्ता द्वारा नौकर, माली, स्वच्छक, चौकीदार, रसोइया आदि के रूप में सुविधा अपने कर्मचारी को सुविधा प्रदान कर सकता है। यदि उक्त नौकर की नियुक्ति नियोक्ता द्वारा की जाती है तथा उनके वेतन का भुगतान भी नियोक्ता द्वारा ही किया जाता है तो विशिष्ट कर्मचारी की दशा में नियोक्ता द्वारा भुगतान की गई वास्तविक राशि को वेतन में अनुलाभ के रूप में जोड़ा जायेगा। यदि नौकरों की नियुक्ति कर्मचारी द्वारा की गई है किन्तु उसका भुगतान नियोक्ता द्वारा किया जा रहा है अथवा कर्मचारी द्वारा भुगतान करने के बाद नियोक्ता उसकी प्रतिपूर्ति कर देता है तो भी प्रदत्त राशि कर्मचारी के वेतन में जोड़ी जायेगी किन्तु यदि मकान नियोक्ता है और नियोक्ता उसके रखरखाव के लिए कुछ व्यय करता है तो माली व सफाई कर्मी के ऐसे व्यय करयोग्य वेतन में सम्मिलित नहीं होंगे।

3. **बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की सुविधा**– विशिष्ट कर्मचारी के बच्चों को नियोक्ता द्वारा शिक्षा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम निम्नवत है– 1. यदि शिक्षा की लागत रू0 1000 प्रति माह प्रति बच्चे से अधिक नहीं है तो सुविधा का मूल्य शून्य होगा। 2. यदि शिक्षा की लागत रू0 1000 प्रति माह प्रति बच्चे से अधिक है तो अतिरिक्त राशि सुविधा का मूल्य होगी। यदि कर्मचारी से इसके लिए कुछ राशि वसूली गई है तो इस राशि को मूल्यांकन से घटा दिया जाता है। यह सुविधा केवल कर्मचारी के बच्चों के लिए है किसी अन्य को यह सुविधा प्रदान किये जाने पर शिक्षा पर किया गया सम्पूर्ण व्यय करयोग्य होगा।

4. **गैस, बिजली, पानी की सुविधा**– यदि गैस, बिजली, पानी आदि की सुविधा विशिष्ट कर्मचारी को उपलब्ध कराई जाती है तो– 1. यदि नियोक्ता स्वयं उक्त का

उत्पादक है तो कर्मचारी प्रदत्त सुविधा की लागत को सेवा का मूल्य माना जायेगा, 2. यदि नियोक्ता उक्त के लिए भुगतान करता है तो भुगतान की गई राशि सेवा का मूल्य मानते हुए वेतन में अनुलाभ के रूप में जोड़ दी जाती है।

5. **अन्य सुविधाएं**– अन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में भी मूल्यांकन के नियम आयकर कानूनों में सुनिश्चित किये गये हैं। जैसे यदि होटल में खाने की सुविधा प्रदान की गई है तो नियोक्ता का होटल होने पर वास्तविक लागत तथा नियोक्ता द्वारा भुगतान किये जाने पर वास्तविक भुगतान सुविधा का मूल्य होगा। यदि कर्मचारी द्वारा इसके लिए कुछ भुगतान किया गया है तो उक्त राशि को घटा दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त क्लब व्यय, निःशुल्क भोजन, उपहार, चल सम्पत्ति के प्रयोग आदि के लिए भी सुविधा का मूल्यांकन करने के लिए पृथक नियम निर्धारित किये गये हैं।

ई. **वेतन के स्थान पर लाभ**– वे भुगतान जो कि नियोक्ता द्वारा अपने वर्तमान अथवा पूर्व कर्मचारी को वेतन के स्थान पर प्रदान किये जाते हैं, इस श्रेणी में रखे जाते हैं। इसके अन्तर्गत सामान्यतः निम्नलिखित राशि को सम्मिलित किया जाता है–

1. सेवा शर्तों में परिवर्तन के फलस्वरूप प्राप्त क्षतिपूर्ति
2. निष्कासन पर सूचना अवधि के लिए वेतन
3. अप्रमाणित भविष्य निधि खाते से प्राप्त रकम
4. नियोक्ता से प्राप्त कोई एकमुश्त राशि
5. की–मैन पालिसी के भुगतान स्वरूप प्राप्त रकम, आदि।

किन्तु पेंशन की एकमुश्त राशि, अनुग्रह राशि (ग्रेच्युटी), क्षतिपूर्ति, वैधानिक भविष्य निधि से भुगतान, प्रमाणित भविष्य निधि से भुगतान आदि की राशि इसमें सम्मिलित नहीं होती है।

4.4 सकल वेतन निर्धारण की प्रक्रिया

सकल वेतन के निर्धारण के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया को अपनाना होता है–

1. कर्मचारी द्वारा अपने नियोक्ता से गतवर्ष मे प्राप्त की गई मूल वेतन, मंहगाई वेतन, बोनस, कमीशन, वार्षिकी फीस आदि की राशि को जोड़कर वेतन की राशि ज्ञात की जाती है। वैधानिक भविष्य निधि खाते में नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी के खाते में वेतन के 12 प्रतिशत से अधिक अंशदान की राशि होने की स्थिति में अतिरिक्त राशि तथा उक्त खाते में 9 प्रतिशत से अधिक की दर से ब्याज प्रदान किये जाने की स्थिति में अतिरिक्त ब्याज की राशि ज्ञात की जाती है।
2. समस्त भत्तों की करयोग्य राशि ज्ञात की जाती है। पूर्णतः करमुक्त भत्तों को छोड़ दिया जाता है। पूर्णतः करयोग्य भत्ते जैसे–मंहगाई भत्ता, नगर क्षतिपूरक भत्ता, मनोरंजन भत्ता, अभ्यास निषेध भत्ता, प्रतिनियुक्ति भत्ता आदि को ज्ञात किया जाता है। अंशतः करयोग्य भत्तों की करयोग्य राशि ज्ञात की जाती है तथा उसे भी जोड़ दिया जाता है।
3. नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को प्रदत्त विभिन्न अनुलाभों का मूल्यांकन किया जाता है। विभिन्न अनुलाभों की करयोग्य राशि को ज्ञात किया जाता है। कुछ

अनुलाभ विशिष्ट कर्मचारियों के लिए करयोग्य होते हैं। यदि निर्धारिती विशिष्ट कर्मचारी की परिभाषा की परिधि में आता है तो उन अनुलाभों का भी मूल्यांकन किया जाता है।

4. वेतन के स्थान पर लाभ के रूप में प्राप्त अप्रमाणित भविष्य निधि से प्राप्त राशि, सेवा शर्तों में परिवर्तन पर क्षतिपूर्ति की राशि, की–मैन बीमा पालिसी पर प्राप्त राशि आदि को ज्ञात किया जाता है।
5. इस प्रकार ज्ञात किये गये वेतन, भत्ते, अनुलाभ व वेतन के स्थान पर लाभ की राशि का योग सकल कुल आय कहलाता है।

4.5 सकल वेतन की कटौतियॉं

सकल वेतन की गणना के उपरान्त वेतन शीर्षक की कटौतियों की गणना की जाती है। वेतन शीर्षक की प्रमुख कटौतियॉं निम्नवत हैं–

1. **मानक कटौती**– मानक कटौती से आशय उस कटौती से है जो सभी प्रकार के निर्धारितियों के लिए अनुमन्य होती है तथा इसे सकल वेतन से घटाया जाता है। भारत में यह कटौती पूर्व में प्रदान की जाती थी किन्तु कर निर्धारण वर्ष 2006–07 से इसे समाप्त कर दिया गया। पुनः वर्ष 2018 के बजट में इसे प्रारम्भ करने की घोषणा के साथ यह कर निर्धारण वर्ष 2019–20 से चलन में आ गयी है। कर निर्धारण वर्ष से रू0 40,000 प्रतिवर्ष की राशि वेतनभोगी के सकल वेतन से कटौती के रूप में स्वीकृत होगी। यह कटौती सभी प्रकार के वेतनभोगियों को बिना किसी भेदभाव के समान रूप से अनुमन्य होगी।
2. **मनोरंजन भत्ता कटौती**– नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को मनोरंजन भत्ता प्रदान किया जा सकता है। यह भत्ता प्रायः ग्राहकों के स्वागत आदि में व्यय किया जाता है। इस भत्ते की राशि सर्वप्रथम वेतन शीर्षक में जोड़ी जाती है तत्पश्चात् इसमें अनुच्छेद 16(ii) के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों को कटौती प्रदान की जाती है। अन्य कर्मचारियों के लिए यह कटौती कर निर्धारण वर्ष 2002–03 में समाप्त कर दी गई है। केन्द्र अथवा राज्य सरकार की सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों के लिए कटौती निर्धारण के नियम निम्न हैं–
   - क. गतवर्ष में मनोरंजन भत्ते की वास्तविक प्राप्त राशि
   - ख. कर्मचारी के मूल वेतन का 20 प्रतिशत भाग
   - ग. अधिकतम राशि रू0 5000

उपरोक्त तीनों में से न्यूनतम राशि कटौती के रूप में अनुमन्य होती है।

3. **नियोजन कर कटौती**– इसे पेशेवर कर भी कहा जाता है। सरकार इस प्रकार के कर को कर्मचारियों से वसूल कर सकती हैं। यदि किसी कर्मचारी द्वारा इस कर का वास्तव में भुगतान किया जाता है तो उस पर कटौती प्राप्त होगी। केवल देयता के आधार पर कटौती अनुमन्य नहीं होगी। नियोजन कर रू0 2,500 प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होता है। यदि निर्धारिती ने रू0 2,500 से अधिक कर का भुगतान एक वर्ष में किया है तो यह माना जाता है कि इसमें गतवर्ष का अवशेष कर भी जुड़ा हुआ है।

नियोजन कर की राशि का भुगतान यदि नियोक्ता द्वारा किया गया है तो इस राशि को पहले वेतन की राशि में जोड़ा जाता है तथा इसके बाद कटौती अनुमन्य की जाती है।

4.6 करयोग्य वेतन की गणना

वेतन शीर्षक की करयोग्य आय की गणना करने के लिए सकल वेतन आय की राशि में से अनुच्छेद 16 की कटौतियों को घटा दिया जाता है। इसप्रकार करयोग्य वेतन की गणना के लिए पहले वेतन, भत्तों, अनुलाभों तथा वेतन के स्थान पर लाभ की राशि को अलग–अलग ज्ञात किया जाता है। उनके योग में से अनुमन्य कटौतियों को घटा दिया जाता है। इसप्रकार प्राप्त अवशेष राशि ही वेतन शीर्षक की करयोग्य राशि होगी।

अभ्यास हेतु प्रश्न–

श्री विनीत कुमार देहरादून स्थित एक दवाई निर्माता कम्पनी में कार्यरत हैं। उनकी वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए वार्षिक वेतन रू0 3,60,000 (उद्गम स्थान पर रू0 54,000 आयकर कटौती के बादं) तथा मंहगाई भत्ता रू0 2,10,000 (सेवा शर्तों के अधीन) प्राप्त होता है। गत वर्ष में उन्हें चिकित्सा भत्ता रू0 36,000 प्राप्त हुआ जिसमें से रू0 20,000 उनके द्वारा व्यय किये गये हैं। उनके तीन बच्चों की शिक्षा के लिए शिक्षा भत्ता के रूप में रू0 18,000 प्राप्त होते हैं। श्री कुमार को देहरादून (आबादी लगभग 6 लाख) में किराया मुक्त मकान प्राप्त है जिसके लिए कम्पनी रू0 8,000 प्रतिमाह भुगतान करती है। उन्हें एक घरेलू नौकर की सेवाएं भी प्राप्त हैं जिसे कम्पनी द्वारा नौकर को रू0 5,000 प्रतिमाह प्रदान किया जाता है। उनके आवास पर लगे फोन का बिल रू0 2400 का भुगतान कम्पनी ने किया है। श्री कुमार ने गतवर्ष में वृत्ति कर के रूप में रू0 2000 चुकाए हैं तथा कम्पनी ने श्री कुमार के द्वारा पुनश्चर्या कार्यक्रम में प्रतिभाग करने पर रू0 3000 व्यय किये हैं।

कर निर्धारण वर्ष 2018–19 के लिए श्री विनीत कुमार की वेतन शीर्षक में करयोग्य आय ज्ञात कीजिए।

गणना–

श्री विनीत कुमार की कर निर्धारण वर्ष 2018–19 के लिए वेतन शीर्षक से करयोग्य आय

विवरण	रकम	योग
वेतन– वेतन	3,60,000	
जोड़ें: श्रोत	54,000	4,14,000
पर कटौती		2,10,000
मंहगाई भत्ता		36,000
चिकित्सा भत्ता	18,000	
शिक्षा भत्ता –	2,400	15,600
प्राप्त भत्ता	50670	50,670
घटाएं:	60000	60,000

अनुमन्य		7,86,270
किराया मुक्त मकान		2,000
नौकर की सुविधा		784270
घटाएंः वृत्ति कर		

नोटः 1. शिक्षा भत्ता अधिकतम दो बच्चों के लिए रू0 100 प्रति माह प्रति बच्चा अनुमन्य है। 2. किराया मुक्त मकान का मूल्य वास्तव में व्यय राशि रू0 96,000 तथा वेतन (414000+210000+36000+15600=675600) का 7.5 प्रतिशत अर्थात् रू0 50670 में जो कम हो अर्थात् रू0 50670 करयोग्य होगा। 3. नौकर की सुविधा पूर्णतः करयोग्य है। 4. वृत्ति कर की छूट अनुमन्य है। 5. पुनश्चर्या कार्यक्रम पर व्यय वेतन में नहीं जोडे जाते हैं। 6. टेलीफोन बिल का नियोक्ता द्वारा भुगतान करमुक्त अनुलाभ है।

4.7 सेवा निवृत्ति व निष्कासन के उपरान्त प्राप्तियॉ

किसी कर्मचारी के सेवा निवृत्त होने, त्यागपत्र देने अथवा छंटनी कर दिये जाने के कारण जब वह सेवा से च्युत हो जाता है तो उसे अपने नियोक्ता से कुछ विशेष प्रकार के भुगतान प्राप्त होते हैं। ये भुगतान सेवाकाल में प्राप्त नहीं होते हैं तथा केवल एक बार ही प्रदान किये जाते हैं। केवल पेंशन ही एक ऐसा भुगतान है जो कि सेवा निवृत्ति के बाद नियमित रूप से प्राप्त होता है।

प्रमुख भुगतान तथा उनके सम्बन्ध में कर के प्रावधान निम्नवत हैं–

1. अनुग्रह राशि (ग्रेच्युटी)–

एक कर्मचारी को सेवा पूर्ण करने पर अनुग्रह राशि के रूप में धन प्राप्त होता है। इस सम्बन्ध में आयकर सम्बन्धी नियम निम्नलिखित हैं–

क. सरकारी कर्मचारी के सम्बन्ध में–

केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय सत्ता के कर्मचारी को सेवा निवृत्ति, छंटनी, स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति आदि की दशा में प्राप्त होने वाली अनुग्रह राशि आयकर से पूर्णतः करमुक्त होती है।

ख. गैर सरकारी कर्मचारी के सम्बन्ध में–

जे कर्मचारी सरकारी सेवा में नहीं हैं वे निजी क्षेत्र के कर्मचारी अथवा गैर सरकारी कर्मचारी कहलाते हैं। इनपर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 अथवा कोई अन्य नियम के प्रावधान लागू होते है। यदि कोई व्यक्ति सरकारी सेवा में नहीं है तथा उस पर कोई अन्य नियम लागू न होता हो तो उस पर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के प्रावधान लागू होते हैं। इस अधिनियम में सभी कुशल, अर्द्ध कुशल अथवा अकुशल श्रमिक तथा प्रबन्धकीय व प्रशासकीय कर्मचारी सम्मिलित हो सकते हैं। यह अधिनियम उन संस्थाओं में लागू होता है जिसमें गत वर्ष में कभी भी दस या दस से अधिक कर्मचारियों ने कार्य किया हो। एक बार यह अधिनियम लागू हो जाये तो यह लागू ही रहेगा चाहे बाद में कर्मचारियों की संख्या कम हो जाये।

इस सम्बन्ध में कर्मचारियों को होने वाले भुगतान पर आयकर प्रावधान निम्नलिखित हैं–

- ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारी– इस सम्बन्ध में निम्न में से सब से कम राशि करमुक्त होगी–

1. वास्तव में प्राप्त अनुग्रह राशि, अथवा
2. नौकरी के कुल वर्षों की संख्या के लिए अन्तिम वेतन के 15 दिन (मौसमी रोजगार की दशा में 7 दिन) का वेतन। (वर्षों की संख्या प्रत्येक वर्ष तथा उसके छः माह से अधिक भाग को मिलाकर आने वाली संख्या होगी), अथवा
3. रू0 10,00,000 (अधिकतम राशि)
   यहॉ वेतन का अर्थ है मूल वेतन+ मंहगाई वेतन+ मंहगाई भत्ता (यदि सेवा शर्तों के अधीन हो)।

- ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अन्तर्गत नहीं आने वाले कर्मचारी– इस सम्बन्ध में निम्न में से सबसे कम राशि करमुक्त होगी–

1. वास्तव में प्राप्त अनुग्रह राशि, अथवा
2. नौकरी के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए आधे माह के औसत वेतन की राशि, अथवा
3. रू0 10,00,000 (अधिकतम राशि)

वर्षों की संख्या पूर्ण वर्षों के अनुसार होगी तथा अंश को छोड दिया जायेगा भले ही वह छह माह से अधिक हो।

ग्रेच्युटी पर आयकर की गणना के लिए वेतन का अर्थ है मूल वेतन + मंहगाई वेतन + मंहगाई भत्ता (यदि सेवा शर्तों के अधीन हो) + कमीशन (यदि बिक्री के निश्चित दर पर देय हो)।

2. **अनुवृत्ति (पेंशन) तथा अनुवृत्ति का एकमुश्त भुगतान–**

कर्मचारी को अपनी सेवा पूर्ण करने के पश्चात प्रतिमाह प्राप्त होने वाली अनुवृत्ति या पेंशन की राशि वेतन से आय के रूप में आयकर आगणन में सम्मिलित की जाती है। यदि कर्मचारी सेवा निवृत्ति के बाद विदेश में रहने लगता है तो भी उसे पेंशन की राशि को वेतन से आय में जोड़ना होता है क्योंकि आय भारत में उपार्जित हुई है, चाहे कर्मचारी निवासी हो अथवा अनिवासी।

कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी को जो पेंशन प्राप्त होती है उसे परिवार अनुवृत्ति या फेमिली पेंशन कहते हैं। परिवार पेंशन की राशि प्राप्तकर्ता के लिए वेतन शीर्षक की आय नहीं है। इसे अन्य श्रोतों की आय के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।

कर्मचारी को यह सुविधा प्राप्त होती है कि वह चाहे तो अपने पेंशन की राशि के एक भाग को एकमुश्त प्राप्त कर ले तथा शेष को पेंशन के रूप में मासिक आधार पर प्राप्त करता रहे। केन्द्र व राज्य सरकार, स्थानीय निकाय अथवा सरकारी निगमों का सरकारी कर्मचारी होने की दशा में पेंशन की एकमुश्त राशि पूर्णतः करमुक्त होती होती है किन्तु अन्य नियोक्ताओं की दशा में यह एक सीमा तक ही करमुक्त है। यदि कर्मचारी को ग्रेच्युटी प्राप्त होती है तो सामान्य पेंशन के एक तिहाई भाग की एकमुश्त

राशि करमुक्त होती है किन्तु यदि कर्मचारी को ग्रेच्युटी प्राप्त नहीं होती है तो सामान्य पेंशन के आधे भाग की एकमुश्त राशि करमुक्त होती है।

यदि कर्मचारी को प्राप्त भुगतान जीवन बीमा निगम द्वारा 1 अगस्त 1996 से बनाए गये पेंशन फण्ड में से या अन्य बीमाकर्ता द्वारा पेंशन की एकमुश्त राशि के रूप में किया गया हो, करमुक्त होगा बशर्ते कि कर्मचारी ने इस फण्ड में अपना अंशदान दिया हो।

3. **अर्जित अवकाश का नकदीकरण–**

कर्मचारी को देय अर्जित /विशेषाधिकार अवकाशों का उपभोग न करने पर अवशेष अवकाश के बदले नकद धनराशि प्राप्त करने का विकल्प प्राप्त होता है। इसे अर्जित अवकाश नकदीकरण कहा जाता है। अवकाश नकदीकरण की राशि प्राप्त होने पर आयकर की दृष्टि से निम्न प्रावधान उपलब्ध हैं–

अ. यदि अर्जित अवकाश का नकदीकरण सेवा में रहते हुए प्राप्त किया जाता है तो इसे वेतन में जोड़ा जाता है तथा कोई करमुक्ति अनुमन्य नहीं होती है।

आ. यदि अर्जित अवकाश का नकदीकरण सेवा निवृत्ति अथवा त्यागपत्र दिये जाने के कारण प्राप्त होता है तो केन्द्र व राज्य सरकार के कर्मचारी की दशा में नकदीकरण करमुक्त होता है किन्तु अन्य नियोक्ताओं (स्थानीय निकाय व सरकारी उपक्रमों सहित) की दशा में नकदीकरण की राशि निम्न में से न्यूनतम स्तर तक करमुक्त होगी–

- अवकाश ग्रहण करने के पूर्व ठीक दस माह में कर्मचारी द्वारा प्राप्य वेतन के औसत पर अधिकतम 10 माह के वेतन के बराबर राशि। (यहॉ वेतन से आशय मूल वेतन+ सेवाा शर्तों के अधीन मंहगाई भत्ता+बिक्री पर निश्चित प्रतिशत कमीशन की राशि से होता है।)
- न लिए गये अर्जित अवकाश की मान्य अवधि के लिए औसत वेतन के आधार पर राशि। (मान्य अवधि से आशय कुल सेवावधि के प्रत्येक वर्ष के लिए 30 दिन का अर्जित अवकाश)
- केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित राशि रू0 3,00,000।
- वास्तव में प्राप्त राशि।

किसी मृतक कर्मचारी के उत्तराधिकारी को अर्जित अवकाश के बदले प्राप्त होने वाली नकद राशि करमुक्त होती है।

4. **छंटनी के कारण क्षतिपूर्ति–**

नियोक्ता द्वारा किसी कर्मचारी की छंटनी किये जाने पर उसे कुछ क्षतिपूर्ति की रकम प्राप्त होती है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अन्तर्गत किसी श्रमिक को प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि निम्न से से न्यूनतम राशि के लिए करमुक्त होती है–

- औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 25एफ.बी के अनुसार निर्धारित की गई राशि अर्थात निरन्तर सेवा अवधि के लिए प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिन का औसत वेतन।
- केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित राशि रू0 5,00,000।
- वास्तव में प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि।

5. **स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति पर क्षतिपूर्ति–**

यदि कोई सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था, सहकारी समिति, विश्वविद्यालय, भारतीय औद्योगिक संस्थान, भारतीय प्रबन्धन संस्थान अथवा अन्य किसी मान्य संस्था का कर्मचारी अपनी संस्था से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्राप्त करता है तो उसे अपने नियोक्ता से क्षतिपूर्ति प्राप्त होती है। क्षतिपूर्ति की यह रकम रू0 5,00,000 तक करमुक्त होती है। यदि क्षतिपूर्ति की यह राशि किश्तों में भी प्राप्त होती है तो भी रू0 5,00,000 की सीमा तक करमुक्ति प्राप्त होती है।

6. **भविष्य निधि की राशि–**

सेवा निवृत्त होने पर कर्मचारी को भविष्यनिधि खाते की राशि प्राप्त होती है। इस सम्बन्ध में करमुक्ति के नियम निम्न प्रकार हैं–

- संवैधानिक भविष्य निधि खाते में कर्मचारी को प्राप्त सम्पूर्ण राशि करमुक्त होती है।
- प्रमाणिक भविष्य निधि खाते से प्राप्त राशि की सम्पूर्ण रकम निम्न शर्तों की पूर्ति पर करमुक्त होती है–

अ. कर्मचारी ने पॉच वर्ष निरन्तर सेवा की हो।

ब. यदि पॉच वर्ष निरन्तर सेवा न की हो तो सेवा निवृत्ति का कारण बीमारी अथवा नियोक्ता द्वारा व्यवसाय बन्द करना या सीमित करना हो।

- अप्रमाणित भविष्य निधि खाते की दशा में नियोक्ता का अंश तथा उस पर ब्याज करयोग्य होगा।

कर्मचारी के सम्बन्ध में भविष्य निधि खाते चार प्रकार के हो सकते हैं–

1. **वैधानिक भविष्य निधि खाता–** ये खाता सरकारी, अर्द्ध सरकारी कार्यालयों, मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, वैधानिक निगमों आदि में प्रयोग किया जाता है।
2. **प्रमाणित भविष्य निधि खाता–** यह कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के अन्तर्गत संचालित होता है तथा बड़े प्रतिष्ठानों में प्रयोग किया जाता है।
3. **अप्रमाणित भविष्य निधि खाता–** यह उन संस्थाओं द्वारा संचालित किया जाता है जहॉ वैधानिक अथवा प्रमाणित भविष्य निधि खाता प्रयोग नहीं किया जा रहा है।
4. **सार्वजनिक भविष्य निधि खाता–** यह किसी भी व्यक्ति (कर्मचारी अथवा कोई भी अन्य व्यक्ति) बैंक अथवा पोस्ट आफिस में खोल सकता है। इसमें वर्ष में 500 से 150000 तक की राशि जमा की जा सकती है। इसमें 80सी की कटौती अनुमन्य होती है तथा सम्पूर्ण राशि करमुक्त होती है।

4.8 सारांश

वेतन से आय शीर्षक के अन्तर्गत किसी कर्मचारी को उसके द्वारा प्रदत्त सेवाओं के पुरस्कारस्वरूप उसके नियोक्ता से प्राप्त समस्त भुगतानों को सम्मिलित किया जाता है। सेवा स्थाई हो अथवा अस्थाई, नियमित हो अथवा अनियमित सभी की प्राप्तियों को आयकर की गणना के लिए आय माना जाता है। यहॉ तक कि सेवा निवृत्ति अथवा पदच्युति के बाद प्राप्त होने वाले भुगतानों को भी करगणना में वेतन

से आय शीर्षक के अन्तर्गत रखा जाता है। कर के अन्तर्गत वेतन, भत्ते, अनुलाभ, वेतन के स्थान पर लाभ आदि को सम्मिलित किया जाता है। आयकर अधिनियम में वेतन और मजदूरी में भेद नहीं किया गया है। वेतन से आय की गणना के लिए नियोक्ता और कर्मचारी का सम्बन्ध होना आवश्यक है। वेतन के उपार्जित अथवा प्राप्य होते ही यह आय का भाग बन जाती है तथा इस पर आयकर देय होगा, चाहे इसका भुगतान बाद में प्राप्त हो। वेतन के अन्तर्गत मूल वेतन, बोनस, कमीशन, अग्रिम वेतन, अवकाश नकदीकरण, पेंशन आदि को सम्मिलित किया जाता है। भत्तों का भुगतान किसी विशेष व्यय की पूर्ति के लिए किया जाता है। यह पूर्णतः करयोग्य, पूर्णतः करमुक्त अथवा अंशत करमुक्त हो सकते हैं। विदेश भत्ता, न्यायाधीशों को प्राप्त होने वाला सत्कार भत्ता, संयुक्त राष्ट्र संघ से प्राप्त भत्ता आदि पूर्णतः करमुक्त होता है। मंहगाई भत्ता, नगर क्षतिपूरक भत्ता, चिकित्सा भत्ता, नौकर भत्ता, अभ्यास निषेध भत्ता, टिफिन भत्ता, वार्डन भत्ता आदि पूर्णतः करयोग्य होते हैं। मकान किराया भत्ता, मनोरंजन भत्ता, विशेष पर्वतीय क्षतिपूरक भत्ता, सीमा क्षेत्र भत्ता, जनजाति क्षेत्र भत्ता आदि अंशतः करमुक्त होता है। भत्तों की करयोग्य राशि वेतन में सम्मिलित की जाती है। कर्मचारियों को सुविधा के रूप में अनुलाभ प्राप्त होते हैं जैसे– किराया मुक्त मकान, कर्मचारी के व्ययों का नियोक्ता द्वारा भुगतान, कार आदि। अनुलाभों का मूल्यांकन किया जाता है तथा उसे करयोग्य वेतन की राशि में जोड़ा जाता है।

सेवा निवृत्ति के उपरान्त प्राप्त होने वाले लाभों को भी वेतन की गणना में सम्मिलित किया जाता है। इसमें पेंशन, ग्रेच्युटी, अर्जित वेतन का नकदीकरण, स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति पर प्राप्त होने वाली क्षतिपूर्ति, भविष्य निधि खाते की प्राप्त राशि आदि को रखा जाता है। इनमें कतिपय छूट भी प्राप्त होती हैं।

वेतन शीर्षक की करयोग्य आय की गणना करने के लिए सकल वेतन आय की राशि में से अनुच्छेद 16 की कटौतियों को घटा दिया जाता है। इन कटौतियों में मानक कटौती, मनोरंजन भत्ते की कटौती आदि को सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार करयोग्य वेतन की गणना के लिए पहले वेतन, भत्तों, अनुलाभों तथा वेतन के स्थान पर लाभ की राशि को अलग–अलग ज्ञात किया जाता है। उनके योग में से अनुमन्य कटौतियों को घटा दिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त अवशेष राशि ही वेतन शीर्षक की करयोग्य राशि होगी।

4.9 शब्दावली

वेतनः किसी नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को उसके द्वारा प्रदत्त सेवाओं का पुरस्कार।

भत्ताः किसी विशिष्ट व्यय की पूर्ति हेतु नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को वेतन के अतिरिक्त दी जाने वाली राशि।

अनुलाभः नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधा का मूल्य।

वेतन के स्थान पर लाभः वर्तमान अथवा पूर्व कर्मचारी को वेतन के स्थान पर प्रदान की जाने वाली राशि।

सकल वेतनः वेतन, करयोग्य भत्ते, अनुलाभों के मूल्य तथा वेतन के स्थान पर लाभ की समेकित राशि जो कि कर्मचारी को नियोक्ता से गतवर्ष में प्राप्त हुई है।

वेतन शीर्षक की कटौतीः अनुच्छेद 16 के अन्तर्गत प्रदत्त वह कटौती राशि जिसे निर्धारिती के सकल वेतन से घटाया जाता है।

अनुवृत्ति (पेंशन): सेवा निवृत्ति के बाद कर्मचारी को नियोक्ता से नियमित रूप से प्राप्त होनी वाली राशि।

परिवार अनुवृत्तिः कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी को प्राप्त होने वाली पेंशन।

अनुग्रह राशि (ग्रेच्युटी): सेवा निवृत्ति पर कर्मचारी को प्राप्त होने वाली एकमुश्त राशि।

अवकाश नकदीकरणः कर्मचारी द्वारा सेवाकाल में उपभोग न किये गये अवकाशों के बदले नियोक्ता से प्राप्त होने वाली राशि।

विशिष्ट कर्मचारीः कर्मचारी जिन्हें रू0 50000 से अधिक वेतन अथवा 20 प्रतिशत से अधिक मताधिकार अथवा संचालक का पद प्राप्त है।

सेवा निवृत्तिः निर्धारित आयु अथवा समय सीमा पूर्ण करना अथवा त्यागपत्र के द्वारा सेवाकाल पूर्ण करना।

पदच्युतिः नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को उसके पद से हटाया जाना।

भविष्य निधिः कर्मचारी के भविष्य को सुरक्षित बनाने हेतु कर्मचारी तथा नियोक्ता द्वारा बनाया गया कोष।

4.10 बोध प्रश्न

(अ) रिक्त स्थान की पूर्ति करो।

1. अभ्यास निषेध भत्ता (नान प्रेक्टिस एलाउन्स) सरकारी क्षेत्र में कार्यरत चिकित्सक/सनदी लेखाकार को प्रदान किया जाता है।
2. निश्चित चिकित्सा भत्ता पूर्णतः करयोग्य/पूर्णतः करमुक्त होता है।
3. सामूहिक बीमा योजना में नियोक्ता का अंशदान सभी कर्मचारियों के लिए करयोग्य/करमुक्त होता है।
4. यदि कर्मचारी का करयोग्य वेतन रू0 .... से अधिक हो तो वह विशिष्ट कर्मचारी की श्रेणी में रखा जाता है।
5. सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में सामान्यतः .... भविष्य निधि खाता संचालित होता है।

(ब) सत्य/असत्य

1. कर्मचारी की विधवा को प्राप्त होने वाली पारिवारिक पेंशन की राशि 'वेतन से आय' शीर्षक मे करयोग्य है।
2. प्रमाणित भविष्य निधि खाते में 8 प्रतिशत तक जमा ब्याज करमुक्त होता है।
3. माली की सुविधा का मूल्य विशिष्ट कर्मचारी के लिए करयोग्य होता है।

4. नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी (परिवार के सदस्यों सहित) के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का भुगतान करमुक्त होता है।
5. नियोक्ता द्वारा नियुक्त चौकीदार का वेतन एक अविशिष्ट कर्मचारी के लिए करयोग्य होता है।
6. टेलीफोन बिल का नियोक्ता द्वारा भुगतान कर्मचारी के लिए एक करमुक्त अनुलाभ है।
7. नौकरी करते हुए अवकाश नकदीकरण की प्राप्त राशि पूर्णतः करयोग्य है।
8. साझेदार को फर्म से प्राप्त वेतन 'वेतन से आय' शीर्षक में करयोग्य है।
9. स्वेच्छिक सेवा निवृत्ति के सम्बन्ध में प्राप्त क्षतिपूर्ति के लिए करमुक्ति की अधिकतम राशि 5 लाख रूपये है।
10. सेवा निवृत्ति के बाद प्राप्त होने वाली पेंशन एक सरकारी कर्मचारी के लिए सदैव करमुक्त होती है।

(स) बहुविकल्पी प्रश्न

1. निम्न में से कौन सा भत्ता पूर्णतः करमुक्त भत्ता है?
   अ. विदेश भत्ता ब. नगर क्षतिपूरक भत्ता
   स. मनोरंजन भत्ता द. टिफिन भत्ता
2. खानों में भूमि के नीचे अप्राकृतिक जलवायु में कार्य करने के लिए प्राप्त होने वाला भूमिगत भत्ता प्रतिमाह कितनी राशि के लिए करमुक्त होता है?
   अ. रू0 500 ब. रू0 800
   स. रू0 200 द. सम्पूर्ण राशि
3. निम्न में से कौन सा भत्ता पूर्णतः करयोग्य है?–
   अ. मकान किराया भत्ता ब. यातायात भत्ता
   स. मंहगाई भत्ता द. मनोरंजन भत्ता
4. कौन सा भविष्य निधि खाता गैर कर्मचारी व्यक्ति द्वारा भी खोला जा सकता है?–
   अ. वैधानिक भविष्य निधि ब. प्रमाणित भविष्य निधि
   स. अप्रमाणित भविष्य निधि द. सार्वजनिक भविष्य निधि
5. सरकारी कर्मचारी के अवकाश ग्रहण करने पर निम्न मद करमुक्त होती है–
   अ. अनुग्रह राशि ब. पेंशन की एकमुश्त राशि
   स. अर्जित अवकाश का नकदीकरण द. उपरोक्त सभी

(द) समूहों का मिलान करो।

1.	माली की सुविधा (नियोक्ता द्वारा नियुक्त)	(अ)	पूर्णतः करयोग्य
2.	रहने के लिए मकान की सुविधा	(ब)	पूर्णतः करमुक्त
3.	कार्य स्थल पर चाय	(स)	अंशतः करमुक्त
4.	शिक्षा पर व्यय (नियोक्ता शिक्षण संस्था नहीं)	(द)	विशिष्ट कर्मचारी के लिए करयोग्य

4.11 बोध प्रश्नों के उत्तर

(अ) 1. चिकित्सक, 2. पूर्णतः करयोग्य, 3. करमुक्त, .4. 50,000, 5. वैधानिक

(ब) 1. असत्य 2. असत्य 3. सत्य 4. सत्य 5. असत्य 6. सत्य 7. सत्य, 8. असत्य, 9. सत्य, 10. असत्य

(स) 1. अ 2. ब 3 स .4. द 5. द

(द) 1. द 2. स 3. ब 4. अ

4.12 स्वपरख प्रश्न

(लघु उत्तरीय)

1. विशिष्ट कर्मचारी किसे कहते हैं? आयकर निर्धारण में भत्तों की कर योग्यता के निर्धारण में अन्य की तुलना में इनके लिए क्या भिन्न प्रावधान हैं?
2. माली अथवा नौकर की सुविधा नियोक्ता द्वारा प्रदान किये जाने पर अनुलाभ का मूल्यांकन करने के नियम बताइए।
3. मकान किराये भत्ते के सम्बन्ध में आयकर सम्बन्धी नियम क्या हैं?
4. कर्मचारी को मकान की सुविधा उपलब्ध कराये जाने पर आयकर हेतु अनुलाभ का मूल्यांकन किये जाने सम्बन्धी नियम बताइए।
5. नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को मोटर कार की सुविधा के सम्बन्ध में करयोग्यता सम्बन्धी नियम बताइए।
6. ग्रेच्युटी भुगतान के सम्बन्ध में आयकर अधिनियम में क्या प्रावधान हैं?
7. श्री प्रकाश चन्द्र को नगरपालिका हल्द्वानी से रू0 50000 प्रतिमाह वेतन प्राप्त होता है। उन्हें नियोक्ता से रू0 4000 प्रतिमाह मकान किराया भत्ता प्राप्त होता है। श्री प्रकाश चन्द्र किराये के मकान के लिए रू0 4500 प्रतिमाह का किराया भुगतान करते हैं। मकान किराये भत्ते की करमुक्त राशि की गणना कीजिए।

   (**उत्तर** 1. मकान किराया भत्ता अर्थात् रू0 48,000, 2. वेतन के 10 प्रतिशत (रू0 60000) से अधिक प्रदत्त किराया (54,000) अर्थात् शून्य तथा 3. वेतन का 40 प्रतिशत (240000)। उपरोक्त तीनों में न्यूनतम राशि अर्थात् शून्य करमुक्त होगी। अर्थात सम्पूर्ण मकान किराया भत्ता रू0 48,000 करयोग्य होगा।)
8. एक कम्पनी द्वारा अपने कर्मचारी के रहने के लिए मकान रू0 6,000 प्रतिमाह के किराये पर लेकर दिया जिसमे रू0 1,00,000 की लागत का फर्नीचर लगा है। कर्मचारी का वार्षिक वेतन रू0 6,00,000 है तथा कर्मचारी के वेतन से रू0 1,000 प्रतिमाह की कटौती की गई है। मकान की सुविधा का मूल्यांकन कीजिए।

   (**उत्तर** वेतन के 15 प्रतिशत रू0 90,000 तथा वास्तविक किराये रू0 72,000 में से कम अर्थात रू0 72,000 +फर्नीचर की लागत का 10 प्रतिशत अर्थात् रू0 10,000= 82,000 – वसूल किया गया किराया अर्थात रू0 12,000 = रू0 70,000)
9. नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को एक छोटी कार उपलब्ध कराई गयी है जिसे कर्मचारी स्वयं चलाता है। नियोक्ता ने इसके संचालन व रखरखाव में रू0 75,000 व्यय किये हैं तथा वह निर्धारित शर्तें पूरी करता है। कार को सेवा एवं निजी प्रयोग में उपयोग किया जाता है। मोटर कार की सुविधा का मूल्यांकन कीजिए।

(**उत्तर** नियोक्ता द्वारा वहन किये गये व्यय रू0 75,000 – मिश्रित उपयोग पर अनुमन्य रू0 1800 प्रतिमाह की दर से रू0 21,600 =रू0 53,400)

10. एक कर्मचारी को रू0 6,00,000 वार्षिक वेतन तथा रू0 60,000 मंहगाई वेतन प्राप्त होता है। वह प्रमाणित भविष्य निधि का सदस्य है तथा वेतन का 14 प्रतिशत अंशदान देता है। नियोक्ता भी इतना ही अंशदान देता है। भविष्य निधि पर ब्याज 12 प्रतिशत की दर से प्रदान किया जाता है जो कि गतवर्ष के लिए रू0 36,000 है। करयोग्य वेतन की गणना कीजिए।

(**उत्तर** वेतन रू0 600000+ मंहगाई वेतन रू0 60000+ नियोक्ता का 12 प्रतिशत से अधिक अंशदान रू0 13200+ 9.5 प्रतिशत से अधिक ब्याज रू0 7500= रू0 680700)

(दीर्घ उत्तरीय)

1. वेतन शीर्षक की आय की गणना करने की प्रक्रिया को विस्तार से समझाइए।
2. नियोक्ता द्वारा प्रदान किये जाने वाले विभिन्न भत्तों के सम्बन्ध में कर्मचारियों की करदेयता का वर्णन कीजिए।
3. अनुलाभ से क्या आशय है? करमुक्त अनुलाभ कौन से हैं? रहने के लिए मकान की सुविधा के मूल्यांकन के सम्बन्ध में नियमों का उल्लेख कीजिए।
4. किसी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति पर कौन से भुगतान प्राप्त होते हैं? इनकी करदेयता को समझाइए।
5. सुश्री मोनिका दिल्ली में स्थित एक कम्पनी में कार्यरत है। निम्न सूचना के आधार पर उनकी वेतन शीर्षक की करयोग्य आय ज्ञात कीजिए–

1. वेतन रू0 1,00,000 प्रतिवर्ष।
2. मंहगाई भत्ता (सेवा शर्तों में सम्मिलित नहीं) रू0 12,000 प्रतिवर्ष।
3. प्रमाणित भविष्य निधि में नियोक्ता द्वारा अंशदान रू0 13,200।
4. भविष्य निधि शेष पर 10 प्रतिशत दर से ब्याज रू0 10,000।
5. चिकित्सा भत्ता रू0 1,200 प्रतिमाह।
6. रहने के लिए असुसज्जित मकान हल्द्वानी में। मकान का उचित वार्षिक किराया रू0 30,000।
7. कार्यालय व निजी कार्य में प्रयोग हेतु बड़ी कार। समस्त व्यय नियोक्ता द्वारा।

वेतन	1,00,000
मंहगाई भत्ता	12,000
भविष्य निधि में नियोक्ता का 12 प्रतिशत से अधिक अंशदान	1,200
भविष्य निधि में 9.5 प्रतिशत से अधिक दर से ब्याज	500
चिकित्सा भत्ता	14,400
मकान का मूल्यांकन 126400 का 7.5 प्रतिशत	9480
	1,37,580
घटाया– कटौती	शून्य
करयोग्य वेतन	1,37,580

6. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए–

अ. वेतन के स्थान पर लाभ
ब. मनोरंजन भत्ता
स. कार की सुविधा का मूल्यांकन
द. छंटनी की दशा में क्षतिपूर्ति

4.13 सन्दर्भ पुस्तकें

1. आयकर डॉ0 एच0सी0मेहरोत्रा, साहित्य भवन, आगरा।
2. आयकर नियोजन एवं प्रबन्ध, डॉ0 आर0के0जैन, एस0बी0पी0डी0 पब्लिशर्स, आगरा।
3. Income Tax VK Singhania, Taxmann, New Delhi.

इकाई –5 मकान–सम्पत्ति से आय (INCOME FROM HOUSE PROPERTY)

इकाई की रूपरेखा

5.1 प्रस्तावना
5.2 मकान–सम्पत्ति से आय का आशय
5.3 मकान–सम्पत्ति की कर–मुक्त आयें
5.4 पूर्णतया कर–मुक्त आयें
5.5 सकल कुल आय में से कटौती–योग्य आयें
5.6 वार्षिक मूल्य की गणना
5.6.1 किराये पर दिये गये मकान के सम्बन्ध में वार्षिक मूल्य
5.6.2 किराए पर दिए गए मकान के सम्बन्ध में वार्षिक मूल्य में से स्वीकृत कटौतियां
5.6.3 स्वंय के रहने के मकान के सम्बन्ध में वार्षिक मूल्य
5.6.4 स्वयं के रहने के मकान के सम्बन्ध में वार्षिक मूल्य में से स्वीकृत कटौतियां
5.7 कटौती पाने के पश्चात न वसूल हुए किराये की प्राप्ति होने पर आय कर लगना
5.8 मकान–सम्पत्ति शीर्षक में हानि की पूर्ति एवं उसे आगे ले जाने के संबंध में प्रावधान
5.9 सारांश
5.10 शब्दावली
5.11 बोध प्रश्न
5.12 बोध प्रश्नों के उत्तर
5.13 स्वपरख प्रश्न
5.14 सन्दर्भ पुस्तकें

उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप इस योग्य हो सकेंगे कि :

- मकान–सम्पत्ति से आय के आशय को समझ सकेंगे।
- मकान–सम्पत्ति की कर–मुक्त आयों को जान सकें।
- वार्षिक मूल्य की गणना की विधि को स्पष्ट कर सकें।
- वार्षिक मूल्य में से स्वीकृत कटौतियों को समझ कर उनका विवेचन कर सकें।
- मकान–सम्पत्ति शीर्षक में हानि की पूर्ति एवं उसे आगे ले जाने के प्रावधानों की व्याख्या कर सके ।

5.1 प्रस्तावना

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 14 के अनुसार कुल आय को पांच शीर्षकों में विभक्त किया गया है। इनमें 'मकान–सम्पत्ति से आय' सकल कुल आय का दूसरा

शीर्षक है। धारा 22 के अनुसार इस शीर्षक में केवल वही मकान कर योग्य होते हैं जो कि किराए पर उठाए हुए हों, अथवा स्वयं के रहने के लिए प्रयोग हो रहे हों, अथवा अंशतः स्वयं के प्रयोग में हों एवं अंशतः किराए पर उठाए हुए हों; परन्तु वे मकान इस शीर्षक में कर योग्य नहीं हैं जिन्हें करदाता अपने ही व्यापार में प्रयोग करता है। मकान–सम्पत्ति के कर योग्य होने के लिए करदाता का उस का स्वामी होना आवश्यक है। किन्तु कुछ शर्तों के पूरा होने पर कतिपय व्यक्तियों को भी मकान सम्पत्ति का माना गया (डीम्ड) स्वामी माना जाता हैं । मकान–सम्पत्ति की कुछ आयें पूर्णतया कर–मुक्त आयें होती हैं, किन्तु कुछ आयें सकल कुल आय में शामिल की जाती हैं और उन धारा 24 के अनुसार पर कटौतिया स्वीकृत की जातीं हैं। मकान–सम्पत्ति से आय की गणना के लिए सर्वप्रथम उसका सकल वार्षिक मूल्य निर्धारित किया जाता है । सकल वार्षिक मूल्य में से नगरपालिका कर (एम0वी0) को घटाने पर वार्षिक मूल्य प्राप्त होता है। वार्षिक मूल्य में से धारा 24 के अनुसार कटौतिया स्वीकृत हैं। **धारा** 24 (a) के अनुसार किराये पर उठाई गई मकान–सम्पत्ति की कर–योग्य आय निकालने के लिए उसके वार्षिक मूल्य में अधिकतम 30% मानक कटौती दी जाती है। स्वंय के रहने के मकान के संबंध में मानक कटौती नहीं दी जाती है। मकान खरीदने, बनवाने, पुनर्निर्माण कराने या मरम्मत कराने के लिए **ऋण पर ब्याज** की कटौती भी दी जाती है। स्वंय के रहने के मकान के संबंध में ब्याज की कटौती अधिकतम 30,000 रु. तक स्वीकृत होगी, यदि ऋण मकान खरीदने, बनवाने, पुनर्निर्माण कराने या मरम्मत कराने के लिए 31.3.1999 को या उसके पहले लिया गया है। यदि ऋण मकान खरीदने या बनवाने के लिए 31.3.1999 के बाद लिया गया है तो स्वंय के रहने के मकान के संबंध में ब्याज की कटौती अधिकतम 2,00,000 रु. तक स्वीकृत होगी। मकान–सम्पत्ति से अशोधित हानि उसी वर्ष में अन्य किसी शीर्षक की आय में से घटायी जा सकती है। शेष हानि पूर्ति के लिए आगे ले जाकर अगले आठ वर्षों में मकान–सम्पत्ति से आय में से घटाई जा सकती है। इस अध्याय में आय कर अधिनियम , 1961 की धारा 22 से 25 के प्रावधानों को विस्तार से समझाया जायेगा।

5.2 मकान–सम्पत्ति से आय का आशय

'मकान–सम्पत्ति से आय' का सकल कुल आय का दूसरा शीर्षक है। आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 22 के अनुसार मकान–सम्पत्ति से आय शीर्षक में उन मकानों अथवा उनसे लगी हुई जमीनों के वार्षिक मूल्यों पर आय कर लगाया जाता है जिनका करदाता स्वामी है। इस शीर्षक में केवल वही मकान कर–योग्य होते हैं जो कि किराए पर उठाए हुए हों, अथवा स्वयं के रहने के लिए प्रयोग हो रहे हों, अथवा अंशतः स्वयं के प्रयोग में हों एवं अंशतः किराए पर उठाए हुए हों; परन्तु वे मकान इस शीर्षक में कर योग्य नहीं हैं जिन्हें करदाता अपने ही व्यापार में प्रयोग करता है।

मकान–सम्पत्ति से आय शीर्षक में आय के कर योग्य के लिए धारा 22 के अनुसार निम्न महत्वपूर्ण बातें हैं:

(1) **भवनों अथवा मकानों अथवा उनसे लगी हुई जमीनों की आय पर कर लगता है।** अन्य भूमि जो किसी मकान या भवन के साथ न लगी हो, जैसे संपर्क

मार्ग, पार्किंग, बागीचा , खेल का मैदान आदि की आय को 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक में सम्मिलित किया जाता है। मकान से लगी हुई भूमि में मकान कम्पाउण्ड, सब्जी का बगीचा आदि शामिल है।

(2) **करदाता का उस मकान–सम्पत्ति का स्वामी होना आवश्यक है।** मकान–सम्पत्ति का स्वामी वह व्यक्ति है जिसके नाम में मकान–सम्पत्ति पंजीकृत है। मकान पर स्वामित्व वैधानिक होना चाहिए किन्तु यह आवश्यक नहीं कि करदाता उस भूमि का भी स्वामी हो जिस पर मकान बना है। मकान बन्धक के रूप में रखने की दशा में बन्धक रखने वाला स्वामी होगा न कि वह जिसके पास मकान बन्धक रखा हुआ है।

मकान सम्पत्ति का माना गया (डीम्ड) स्वामी :

निम्नांकित को मकान सम्पत्ति का माना गया (डीम्ड) स्वामी माना जाता हैं:

(क) अपने जीवन–साथी को, अथवा विवाहित पुत्री के अतिरिक्त किसी अवयस्क बच्चे को बिना पर्याप्त प्रतिफल के अपनी मकान–सम्पत्ति हस्तान्तरित करने वाला व्यक्ति ।

(ख) मकान बनाने वाली सहकारी समिति द्वारा अपने किसी सदस्य को कोई मकान आबंटित करने की दशा वह सदस्य व्यक्ति ।

(ग) आंशिक अनुबन्ध पूरा करने पर किसी भवन या उसके आंशिक भाग पर अधिकार पाने वाला व्यक्ति।

(घ) जमीन पट्टे पर लेकर उस पर अपना मकान बनवाने वाला व्यक्ति।

(ड़) विवादास्पद स्वामित्व की दशा में कब्जेदार व्यक्ति।

(3) **पट्टे पर मकान को पुनः किराये पर उठाने से प्राप्त आय मकान–सम्पत्ति शीर्षक में कर–योग्य नहीं होती है** : यदि किसी करदाता के पास कोई मकान पट्टे पर है तो उसे पुनः किराये पर उठाने से प्राप्त आय 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक में कर योग्य होती है ।

(4) **व्यापार अथवा पेशे के लिए प्रयुक्त मकान की आय मकान–सम्पत्ति से आय' के शीर्षक में कर–योग्य नहीं होती है :** यदि कोई करदाता अपने ऐसे व्यापार अथवा पेशे के लिए प्रयोग किया जाने वाले मकान की आय पर मकान पर 'मकान–सम्पत्ति से आय' के शीर्षक में कोई कर नहीं लगता है । व्यापार एवं पेशे के शीर्षक में भी ऐसे मकान की कोई आय नहीं मानी जाएगी और न ही ऐसे मकान के संबंध में उसे व्यापार में प्रयोग करने का कोई किराया भी व्यय के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगाए किन्तु ऐसे मकान के सम्बन्ध में मरम्मत आदि के व्यय, ह्रास आदि स्वीकृत होंगे। यदि व्यवसाय का प्रमुख उद्देश्य मकान–सम्पत्तियां क्रय कर उन्हें किराये पर देकर आय कमाना है तो ऐसी आय मकान–सम्पत्ति शीर्षक में कर–योग्य नही होगी बल्कि व्यवसाय एवं पेशे के शीर्षक में कर–योग्य होगी।

5.3 मकान–सम्पत्ति की कर–मुक्त आयें

मकान–सम्पत्ति की कर–मुक्त आयें दो प्रकार की होती हैं–

1. पूर्णतया कर–मुक्त आयें आयें जो न सकल कुल आय में शामिल की जाती हैं और न उन पर कर लगता है।
2. कटौती–योग्य आयें, जो करदाता की सकल कुल आय में तो शामिल होती हैं परन्तु वे कुल आय में शामिल नहीं होतीं। मकान–सम्पत्ति की कर–मुक्त आयें निम्नवत है :

5.4 पूर्णतया कर–मुक्त आयें

(1) कृषि भूमि पर अथवा उसके पास स्थित मकान से आय।

(2) भारतीय रियासत के राजा के एक महल का वार्षिक मूल्य।

(3) (i) स्थानीय प्राधिकरण, (ii) वैधानिक शोध संघ, (iii) ट्रेड यूनियन,(iv) पुण्यार्थ ट्रस्ट,(v) राजनीतिक पार्टी, (vi) अस्पताल अथवा अन्य चिकित्सा संस्थान एवं विश्वविद्यालय अथवा अन्य शिक्षा संस्था जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, के स्वामित्व वाली मकान–सम्पत्ति से आय।

(4) करदाता द्वारा अपने ही व्यापार अथवा पेशे में प्रयोग होने वाले मकान से आय।

(5) स्वयं के रहने के मकान से आय।

(6) ऐसे मकान से आय जो स्वयं रहने के लिए रखा हुआ है परन्तु अपनी नौकरी, व्यापार अथवा पेशा अन्य किसी स्थान पर होने के कारण वह इस मकान में पूरे गत वर्ष न स्वयं रह सका और न उसने इस मकान से कोई अन्य लाभ प्राप्त किया है।

5.5 सकल कुल आय में से कटौती–योग्य आयें

(1) एक सहकारी समिति द्वारा वस्तुओं को भण्डार करने के लिए गोदाम किराये पर देने से आय।

(2) एक सहकारी समिति की मकान–सम्पत्ति से आय बशर्ते कि :

1. समिति की सकल कुल आय 20,000रु. से अधिक न हो और
2. वह समिति मकान बनाने वाली या शहरी उपभोक्ता समिति या यातायात समिति या शक्ति के प्रयोग से वस्तुएं निर्मित करने वाली समिति नहीं है।

5.6 वार्षिक मूल्य (ए0वी0) (**Annual Value**) की गणना

1. मकान–सम्पत्ति से आय की गणना के लिए सर्वप्रथम उसका सकल वार्षिक मूल्य निर्धारित किया जाता है ।

5.6.1 किराये पर दिये गये मकान के सम्बन्ध में वार्षिक मूल्य

(अ) किराये पर दिये गये मकान के सम्बन्ध में सकल वार्षिक मूल्य (धारा 23)

(क) सम्भावित किराया अर्थात वह रकम जितने में वह मकान प्रति वर्ष उचित रूप से किराये पर उठाया जा सकता है, अथवा

(ख) वास्तव में प्राप्त अथवा प्राप्त किराया (यदि मकान या उसका कोई भाग किराये पर उठा हुआ है)

उपर्युक्त (क) में वर्णित उचित किराये से अधिक हो, तो वास्तव में प्राप्त अथवा प्राप्य किराया उसका वार्षिक मूल्य होगा, अथवा

(ग) यदि मकान या उसका कोई भाग किराये पर उठा हुआ है और वह पूरे गत वर्ष या गत वर्ष में कुछ अवधि के लिए खाली रहता है और खाली रहने के कारण **वास्तविक प्राप्त या प्राप्य किराया** उपर्युक्त (क) में वर्णित उचित किराये से कम है तो ऐसा प्राप्त या प्राप्य किराया उसका वार्षिक मूल्य होगा।

स्पष्टीकरण– उपर्युक्त (अ) के प्रस्तर (ख) या (ग) में वास्तव में प्राप्त या प्राप्य किराये में वह राशि शामिल नहीं होगी जिसे स्वामी वसूल नहीं कर सकता, बशर्तें कि निम्न शर्तें पूरी हों :

(i) किरायेदारी वास्तविक हो,

(ii) किरायेदार ने मकान खाली कर दिया हो, अथवा मकान खाली कराने के लिए उसे बाध्य करने की कार्यवाहियां की जा चुकी हों,

(iii) वह किरायेदार करदाता के किसी अन्य मकान पर कब्जा न किये हुए हो,

(iv) करदाता न चुकाये गये किराये को वसूल करने के लिए सब प्रकार की उचित कानूनी कार्यवाही कर चुका हो अथवा करदाता कर–निर्धारण अधिकारी को यह सन्तुष्ट कर दे कि कानूनी कार्यवाहियां व्यर्थ होंगी। **(नियम 4)**

सम्भावित किराया :

(1) **ऐसे मकान जो किराया नियन्त्रण अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आते हैं**–मकान के **नगरपालिका मूल्य औरउचित किराये** में से जो राशि अधिक होगी वह सम्भावित किराया (Expected Rent) माना जाएगाः **नगरपालिका मूल्य** (एम0वी0)कर लगाने के लिए स्थानीय सत्ता द्वारा निर्धारित किया जाता है जबकि **उचित किराया** समान प्रकार केस्थान में समान प्रकार के मकान से अन्य मकान मालिक द्वारा प्राप्त किया जा रहा किराया है।

(2) **ऐसे मकान जो किराया नियन्त्रण अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं**–उपरोक्त (अ) में निर्धारित राशि; या मानक किराये (Standard rent) में से जो राशि कम होगी वह सम्भावित किराया मानी जाएगी। अर्थात सम्भावित किराया मानक किराये से अधिक नहीं सकता, परन्तु यह मानक किराये से कम हो सकता है।

वास्तविक किराया : (धारा 23 (1) (**b**))

यदि मकान के स्वामी द्वारा मकान को किराये पर देते समय एक करार के अन्तर्गत किरायेदार को कुछ सुविधाएं जैसे– लिफ्ट, पानी चढ़ाने का पम्प, बिजली, वाहन पार्क करने, माली, आदि ,प्रदान करने का दायित्व अपने ऊपर ले लेता है तो ऐसी दशा में स्वामी द्वारा प्राप्त किराये की राशि में से इन सुविधाओं पर स्वामी द्वारा किया गया व्यय घटाकर जो राशि शेष रहेगी वही उस मकान का वास्तविक किराया माना जाएगा।इसी प्रकार यदि किरायेदार ने मकान के स्वामी के किसी दायित्व को भुगतान करने का करार किया है तो इस प्रकार भुगतान की गयी राशि में जोड़कर जो राशि आएगी वही उस मकान का वास्तविक किराया माना जाएगा।

परन्तु निम्नलिखित के सम्बन्ध में किराये की राशि में किसी प्रकार का समायोजन नहीं किया जाएगाः

(i) किरायेदार द्वारा उस मकान (या भाग) के सम्बन्ध में नगरपालिका कर का भुगतान जिसमें वह रह रहा है ;

(ii) किरायेदार द्वारा मकान की मरम्मत पर किया गया व्यय ;

(iii) किरायेदार से जो राशि जमा के रूप में ली गई है उस पर कल्पित (Notional) ब्याज।

2. **वार्षिक मूल्य का निर्धारण :**

उपर्युक्त प्रकार से निर्धारित सकल वार्षिक मूल्य में से नगरपालिका कर (एम0वी0) को घटाने पर वार्षिक मूल्य प्राप्त होता है।

नगरपालिका कर– मकान पर नगरपालिका द्वारा कोई कर (जिसमें सेवा–कर भी शामिल है) लगाया जाता है। नगरपालिका कर की मालिक द्वारा वहन की गई रकम उस मकान के उपरोक्त प्रकार से निर्धारित सकल वार्षिक मूल्य में से घटाकर अवशेष राशि उसका वार्षिक मूल्य होगी। नगरपालिका कर उस गत वर्ष में घटाए जाएंगे जिसमें उनका वास्तव में भुगतान हुआ हो चाहे वे चालू वर्ष से सम्बन्धित हों चाहे अन्य किसी गत वर्ष से। सेवा कर (Service tax) में जल कर, अग्नि कर, शिक्षा कर, सफाई कर, आदि शामिल होते हैं।

उदाहरण : 1

अ दिल्ली में एक मकान–सम्पत्ति का स्वामी है। इसका नगरपालिका मूल्यांकन 1,50,000 रु., उचित किराया 2,00,000 रु. मानक किराया 1,80,000 रु. है। यह 1,80,000 रु. वार्षिक किराये पर उठाया हुआ है। स्वामी द्वारा देय नगरपालिका कर 20,000 रु. मकान के स्वामी एवं किरायेदार से समझौता के अन्तर्गत किरायेदार के द्वारा नगरपालिका को सीधा चुकाये गए हैं। मकान का स्वामी एक समझौते के अन्तर्गत किरायेदार के लिए सुविधाओं पर निम्न व्यय करता हैः

पानी व्यय	रु.2,000
लिफ्ट के रख–रखाव पर व्यय	रु.2,000
जीने की रोशनी पर व्यय	रु.1,600
माली का वेतन	रु 2,400

मकान का स्वामी निम्न कटौतियों की मांग करता हैः

मरम्मत	रु.75,000
मालगुजारी	रु. 5,000
संग्रह व्यय	रु. 5000
भूमि जिसपर मकान बना है, उसे क्रय करने के कानूनी व्यय	रु. 5,000

मकान–सम्पत्ति से कर योग्य आय की गणना कीजिए।

प्रश्नोत्तर :

मकान–सम्पत्ति से कर योग्य आय की गणना

(कर–निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए)

सकल वार्षिक मूल्य

(1) सम्भावित किराया – नगरपालिका मूल्यांकन 1,50,,000 रु.; एवं उचित किराया 2,00,000 रु. किन्तु मानक किराये 1,80,000 रु. से अधिक नहीं ; दोनों में जो अधिक हो रू. 1,80,000

(2)वास्तविक किराया –

	प्राप्त किराया		रु.1,80,,000
घटाया–	जल व्यय	रु.2,000	
	लिफ्ट के रख–रखाव पर व्यय	रु.2,000	
	जीने की रोशनी पर व्यय	रु.1,600	
	माली का वेतन	रु 2,400	रु 8,000
	वास्तविक किराया		रु.1,72,,000
सकल वार्षिक मूल्य (1) एवं (2) में जो अधिक है			रु.1,80,,000
घटाया–	नगरपालिका कर (स्वामी द्वारा वहन नहीं)		

शून्य

वार्षिक मूल्य

रु.1,80,,000

घटाया–	मानक कटौती वार्षिक मूल्य का अधिकतम 30%	रु. 54,,000
मकान–सम्पत्ति से कर योग्य आय		रु. 1,26,000

नोट : अन्य व्यय कटौती योग्य नहीं हैं।

5.6.2 किराए पर दिए गए मकान के सम्बन्ध में वार्षिक मूल्य में से स्वीकृत कटौतिया (धारा 24)

किराये पर उठाई गई मकान–सम्पत्ति की कर–योग्य आय निकालने के लिए उसके वार्षिक मूल्य (Annual value) में से निम्न कटौतियां (deductions) स्वीकृत हैं:

(1) **मानक कटौती**– वार्षिक मूल्य का अधिकतम 30% दी जाती है। यह कटौती तब भी दी जाएगी चाहे मकान के लिए कोई खर्चा किया गया हो या नहीं। स्वंय के रहने के मकान के संबंध में मानक कटौती नहीं दी जाती है। किन्तु यदि मकान का स्वामी एक से अधिक मकान अपने रहने के लिए काम में लाता है, तो एक मकान को छोड़कर अन्य स्वंय रहने के मकान किराये पर दिऐ गए माने जाते हैं। ऐसे मकान/मकानों पर भी मानक कटौती वार्षिक मूल्य का 30% स्वीकृत की जाती है। (धारा 24 (a))

(2) **ऋण पर ब्याज**– मकान–सम्पत्ति के क्रय, निर्माण, मरम्मत या इसका पुनर्निर्माण कराने के लिए लिये गये ऋण पर देय ब्याज की राशि की कटौती स्वीकृत है, चाहे ब्याज का भुगतान किया गया हो अथवा नहीं । यदि लिये गये ऋण को चुकाने के लिए कोई नया ऋण लिया जाता है तो नए ऋण का ब्याज भी कटौती योग्य है किन्तु ऋण लेने के लिए दी गई दलाली या कमीशन की कटौती स्वीकृत नहीं है। यदि किसी गत वर्ष में ब्याज का भुगतान नहीं किया जा सका है और अगले वर्ष अदत्त ब्याज की राशि पर भी ब्याज दिया गया है तो ऐसा ब्याज कटौती योग्य नहीं है। यदि मकान निर्मित होकर तैयार होने अथवा क्रय करने से पूर्व के गत वर्षों से सम्बन्धित ऋण पर ब्याज देय है और ऐसा ब्याज इस अधिनियम के किसी अन्य

प्रावधान के अन्तर्गत कटौती योग्य नहीं है तो ऐसा ब्याज मकान के क्रय अथवा निर्मित होकर तैयार होने वाले गत वर्ष से आरम्भ होकर पांच समान वार्षिक किस्तों में कटौती योग्य होगा।

उदाहरणार्थ, 1.4.2016 को 5,00,000 रु. का ऋण 12%की दर से मकान बनवाने के लिए लिया गया। मकान 31.3.2019 को बनकर तैयार हुआ तो गत वर्ष 2018–19 में वर्ष 2018–19 का ब्याज 60,000 रु. तथा गत वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 वर्षों का ब्याज 1,20,,000 रु. का 1/5 भाग 24,000 रु. कटौती योग्य होगा। (धारा 24 (b))

5.6.3 स्वंय के रहने के मकान के सम्बन्ध में वार्षिक मूल्य

(ब) स्वंय के रहने के मकान के सम्बन्ध में वार्षिक मूल्य (ए0वी0) धारा 23(2))

(1) **ऐसा मकान जो पूरे गत वर्ष स्वंय रहने के काम आता है तो उस मकान का वार्षिक मूल्य शून्य होगा :**

यदि मकान सम्पत्ति ऐसा मकान या उसका कोई भाग है जोः

(क) स्वामी(एक व्यक्ति या हिन्दू अविभाजित परिवार) के स्वयं के रहने के काम आ रहा है या

(ख) वह उसमें पूरे गत वर्ष में इस कारण से न रह सका हो, क्योंकि उसकी नौकरी अथवा व्यापार पेशा किसी अन्य जगह है और उस जगह व जिस मकान में रह रहा है वह उसका स्वयं का नहीं है तो उस मकान का वार्षिक मूल्य शून्य होगा बशर्ते कि :

1. ऐसा मकान या उसका कोई भाग पूरे गत वर्ष या गत वर्ष में कुछ अवधि के लिए किराये पर नहीं उठाया जाना चाहिए।
2. ऐसे मकान में एक से अधिक मंजिलें (floors), फ्लैट्स या इकाइयां (units) हैं तथा एक से अधिक मंजिलें, फ्लैट्स या इकाइयां स्वयं के रहने के काम आती हैं तो इन सभी इकाइयों का वार्षिक मूल्य शून्य होगा। किन्तु यदि एक से अधिक मंजिलें (floors) फ्लैट्स या इकाइयों (units) वाले ऐसे मकान में एक मंजिल, फ्लैट या इकाई स्वयं रहने के काम आती है तथा अन्य मंजिलें/फ्लैट्स/इकाइयां किराये पर उठा दी गई हैं तो स्वयं के रहने के काम आने वाली मंजिल/फ्लैट्/इकाई का वार्षिक मूल्य शून्य माना जाएगा। यदि प्रत्येक मंजिल/फ्लैट्/इकाई का नगरपालिका मूल्यांकन या नगरपालिका कर अलग–अलग ज्ञात नहीं है तो इसे किसी उचित आधार पर बांटा जा सकता है।
3. यदि गत वर्ष में किसी भी मकान का निर्माण पूरा होता है और इसके पश्चात् मकान स्वयं के रहने के काम आता है तो यह माना जाता है कि मकान पूरे गत वर्ष स्वयं के रहने के काम आया है।
4. स्वयं रहने के मकान के सम्बन्ध में नगरपालिका को दिये गये कर की कटौती नहीं मिलती।

5. ऐसी दशा में मकान खाली रहने अथवा अप्राप्त किराये को ध्यान में नहीं रखा जाता है।

5.6.4 स्वयं के रहने के मकान के सम्बन्ध में वार्षिक मूल्य में से स्वीकृत कटौतियां

(1) **मानक कटौती**– स्वंय के रहने के मकान के संबंध में मानक कटौती नहीं दी जाती है।

(2) **ब्याज की कटौती** – जब स्वयं के रहने के मकान या उसके भाग का वार्षिक मूल्य शून्य माना जाता है, तो ब्याज की कटौती अधिकतम 30,000 रु. तक स्वीकृत होगी। यदि ऋण मकान खरीदने, बनवाने, पुनर्निर्माण कराने या मरम्मत कराने के लिए 31.3.1999 को या उसके पहले लिया गया है। यदि ऋण मकान पुनर्निर्माण कराने या मरम्मत कराने के लिए 31.3.1999 के बाद लिया गया है तो ब्याज की कटौती अधिकतम 30,000 रु. तक स्वीकृत होगी।

यदि स्वयं के रहने का मकान 30.3.1999 के पश्चात् ऋण लेकर खरीदा जाता है अथवा बनवाया जाता है तो ब्याज की कटौती 2,00,000 रु. तक स्वीकृत होगी बशर्तेः

(क) नया मकान ऋण लेने वाले वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पांच वर्ष में खरीद लिया गया है या बनवा लिया गया है।

(ख) ऋणदाता से एक गत वर्ष में देय ब्याज का प्रमाण–पत्र लेकर, उसे आय के रिटर्न के साथ दाखिल कर दिया गया है।

यदि मकान खरीदने या बनवाने के लिए ऋण लिया गया था और इस ऋण का पूर्ण या आंशिक भुगतान नया ऋण लेकर किया गया है तो नये ऋणदाता से ब्याज के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र लेकर दाखिल किया जाना चाहिए।

ब्याज की कटौती के सम्बन्ध में अन्य प्रावधान वही हैं जो किराये पर दिए गए मकान के सम्बन्ध में कटौतियों के अन्तर्गत बताए गए हैं।

स्वयं के रहने के मकान से आय की गणना विधि

(i) सकल वार्षिक मूल्य	रु.
(ii) मकान स्वामी द्वारा गत वर्ष में वहन किए गए नगरपालिका कर की राशि	कटौती योग्य नहीं
(iii) वार्षिक मूल्य	शून्य
(iv) मानक कटौती	शून्य
(v) ऋण पर ब्याज की कटौती	रु. 30,000 / 2,00,000 रु. तक
(vi) स्वयं के रहने के मकान से हानि	रु. 30,000 / 2,00,000 रु. तक

इस हानि की पूर्ति किसी अन्य मकान–सम्पत्ति की आय से अथवा आय के किसी अन्य शीर्षक में आय से की जा सकती है।

5.7 कटौती पाने के प्श्चात न वसूल हुए किराये की प्राप्ति होने पर आय कर लगना (धारा 25–एए)

धारा 25–एए के अनुसार , यदि कोई करदाता अपने किसी किराये के मकान के संबंध में **न** वसूल हुए किराये की कटौती पाने के पश्चात **न** वसूल हुए किराये के

संबंध में कोई राशि वसूल करता है तो **न** वसूल हुए किराये की ऐसी प्राप्ति होने पर इसे वार्षिक मूल्य में सम्मिलित कर आय कर लगेगा। इस संबंध में निम्नांकित प्रावधान लागू होंगेः

1. वसूल हुए किराये की समस्त राशि कर योग्य होगी।
2. वसूल हुए किराये की राशि उस गत वर्ष में कर योग्य होगी, जिसमें उसे वसूल किया जाता है।
3. वसूल हुए किराये की राशि प्रत्येक स्थिति में कर योग्य होगी, चाहे करदाता उस मकान–सम्पत्ति का अब स्वामी रहा हो या नहीं।

5.8 मकान–सम्पत्ति शीर्षक में हानि की पूर्ति एवं उसे आगे ले जाने के संबंध में प्रावधान

मकान–सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य की तुलना में उससे सम्बन्धित व्ययों के अधिक होने पर मकान–सम्पत्ति से हानि होती है। यह हानि किसी दूसरे मकान की आय में से घटायी जा सकती है। यदि मकान–सम्पत्ति से हानि अन्य किसी मकान–सम्पत्ति की आय से सम्पूर्ण रूप से न घटायी जा सके तो शेष अशोधित हानि उसी वर्ष में अन्य किसी शीर्षक की आय में से घटायी जा सकती है। शेष हानि पूर्ति के लिए आगे ले जाकर अगले आठ वर्षों में मकान–सम्पत्ति से आय में से घटाई जा सकती है।

स्वयं के रहने वाले मकान के सम्बन्ध में– यदि स्वयं के रहने वाले मकान के सम्बन्ध में ऋण ब्याज के कारण 30,000 रु./ 2,00,000 रु. तक की हानि हो तो ऐसी हानि को पहले मकान–सम्पत्ति शीर्षक की आय से पूरा किया जाएगा तथा शेष अशोधित हानि किसी भी शीर्षक की आय से पूरी की जा सकती है। शेष हानि पूर्ति के लिए आगे ले जाकर अगले आठ वर्षों में मकान–सम्पत्ति की आय में से घटाई जा सकती है।

उदाहरण : 2

एक्स ने मकान बनवाने के लिए 1.4.2016 को लिये गये 4,00,000रु. के ऋण पर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज की दर से गत वर्ष 2018–19 का ब्याज 48,000 रु. चुकाया है। मकान गत वर्ष 2018–2019 में बनकर तैयार हुआ है। इससे पिछले दो वर्षों का ब्याज भी चुकाया गया था परन्तु इसकी कटौती नहीं मांगी गई थी।

(1) कर–निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए मकान–सम्पत्ति की आय की गणना करने के लिए कटौती–योग्य ब्याज की राशि की गणना कीजिए यदि मकान (i) किराये पर उठाया हुआ है, (ii) मकान का स्वामी स्वयं उसमें रहता है।

(2) यदि उपर्युक्त मकान बनवाने के लिए 1.4.2016 को लिये गये ऋण की राशि 12,00,000रु. एवं ऋण पर ब्याज की दर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष होती तो इससे कटौती–योग्य ब्याज की राशि की गणना कीजिए यदि मकान (i) किराये पर उठाया हुआ है, (ii) मकान का स्वामी स्वयं उसमें रहता है।

प्रश्नोत्तर :

कटौती–योग्य ब्याज की राशि की गणना

(1) (i))यदि मकान किराये पर उठाया हुआ है :

गत वर्ष 2018–19 का ब्याज	रु.48,000
निर्माण कार्य पूरा होने वाले गत वर्ष से पूर्व के दो वर्षों का ब्याज रु.96,000 जो 5 समान किस्तों में कटौती योग्य है	रु.19,200
कटौती–योग्य ब्याज की राशि	रु.67,200

(ii) यदि मकान का स्वामी स्वयं उसमें रहता है :

कटौती–योग्य ब्याज की राशि	रु.67,200

(मकान के निर्माण कार्य हेतु ऋण 01.04.1999 के बाद लिया गया है।)

(2) (i))यदि मकान किराये पर उठाया हुआ है :

गत वर्ष 2018–19 का ब्याज	रु.1,44,000
निर्माण कार्य पूरा होने वाले गत वर्ष से पूर्व के दो वर्षों का ब्याज रु.2,88,000 जो 5 समान किस्तों में कटौती योग्य है	रु. 57,600
कटौती–योग्य ब्याज की राशि	रु.2,01,600

(ii) यदि मकान का स्वामी स्वयं उसमें रहता है :

कटौती–योग्य ब्याज की राशि(अधिकतम रु 2,.00,000)	रु 2,.00,000

(मकान के निर्माण कार्य हेतु ऋण 01.04.1999 के बाद लिया गया है।)

उदाहरण : 3

एक्स के पास दो मकान हैं जिनमें से प्रथम मकान में वह स्वयं रहता है।
प्रथम मकान का उचित किराया 1,50,000 रु. है जबकि द्वितीय मकान का उचित किराया 20,000 रु. है। उचित किराये का 10%नगरपालिका कर चुकाया गया है। प्रथम मकान के क्रय के लिए 10.4.2017 को लिये गये ऋण पर गत वर्ष में 2,50,000 रु. ब्याज चुकाया गया है। उसने 1.4.2017 को दूसरा मकान बनाने के लिए 40,000 रु. का ऋण 15% ब्याज पर लिया जो दिसम्बर 2017 में बनकर तैयार हो गया। वह 2017–18 में ब्याज का भुगतान नहीं कर सका, अतः इस वर्ष उसने दो वर्ष के ब्याज (अदत्त ब्याज पर ब्याज सहित) का भुगतान किया 12,600 रु.।
अग्नि बीमा प्रीमियम चुकाया– प्रथम मकान 1,000 रु. तथा द्वितीय मकान 500 रु.।
यह मानते हुए कि करदाता प्रथम मकान को धारा 23 (2) की छूट के लिए चुनता है, उसकी कर–निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए मकान–सम्पत्ति से कर योग्य आय की गणना कीजिए।
प्रश्नोत्तर :

मकान–सम्पत्ति से कर योग्य आय की गणना
(कर–निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए)

1– प्रथम मकान : वार्षिक मूल्य	
(वह प्रथम मकान को 23(2) की छूट के लिए चुनता है)	शून्य
घटाया–	
गत वर्ष 2018–19 का ब्याज	रु.2,00,000
मकान का शुद्ध वार्षिक मूल्य (एन0ए0वी0)	(–) रू. 2,,00,000

4– द्वितीय मकान : (द्वितीय रहने का मकान किराए पर उठाया माना गया है)

सकल वार्षिक मूल्य (जी0ए0वी0) उचित किराया		रु. 20,000
घटाया : नगरपालिका कर उचित किराया का 10%		रू. 2,000
वार्षिक मूल्य (ए0वी0)		रू.18,,000
घटाया–		
1.मानक कटौती वार्षिक मूल्य का 30%	रू.5,400	
2. गत वर्ष 2018–19 का ब्याज	रु.6,000	रू.11,400
(पूर्व के गत वर्ष (2017–18) का ब्याज रु.6,000 की कटौती ब्याज के देय होने पर ले ली गयी मानी गयी है, जबकि अदत्त ब्याज पर ब्याज स्वीकृत नहीं है।		
मकान का शुद्ध वार्षिक मूल्य (एन0ए0वी0)		रू. 6,,600
मकान–सम्पत्ति से आय (रू.(–)2,00,,000+ 6,600)		(–) रू.1,93,,400

मकान–सम्पत्ति की उपर्युक्त हानि को करदाता की पहले किसी अन्य शीर्षक की आय, यदि कोई हो , से पूरा किया जाएगा। अन्य शीर्षक की आय भी कम रहने की स्थिति में अशोधित हानि को 8 वर्षों तक मकान–सम्पत्ति की आय से पूरा किया जा सकेगा।

उदाहरण : 4

वाई चार मकानों का स्वामी है, जिनका विवरण निम्नवत है :

1. प्रथम मकान : नगरपालिका मूल्यांकन 1,00,000 रु ; वह प्रथम मकान में रहता है।
2. द्वितीय मकान : नगरपालिका मूल्यांकन 80,000 रु ; वह दूसरे मकान में अपना व्यापार चलाता है।
3. तृतीय मकान : नगरपालिका मूल्यांकन 60,000 रु ; यह मकान उसने 4500 रु. प्रति माह किराये पर उठा दिया है।
4. चतुर्थ मकान : नगरपालिका मूल्यांकन 60,000 रु ; चौथे मकान के निर्माण के लिए उसने 1 अप्रैल, 2013 को रू.20,000 का ऋण 10 % ब्याज पर प्राप्त किया है। इस मकान का निर्माण 1 अप्रैल , 2013 को आरम्भ हुआ तथा 31 दिसम्बर, 2015 को समाप्त हुआ। यह मकान 1 जनवरी, 2016 को 6000 रु. प्रति माह किराये पर उठा दिया गया।

सभी मकानों का नगरपालिका कर नगरपालिका मूल्यांकन का 10%लगाया गया और भुगतान किया गया।

कर–निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए उसकी मकान–सम्पत्ति शीर्षक की आय निकालिए।

प्रश्नोत्तर :

मकान–सम्पत्ति से कर योग्य आय की गणना
(कर–निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए)

1. प्रथम मकान : वार्षिक मूल्य (वह प्रथम मकान में रहता है) शून्य

2. द्वितीय मकान : वार्षिक मूल्य (वह दूसरे मकान में अपना व्यापार चलाता है) शून्य

3. तृतीय मकान :

सकल वार्षिक मूल्य (जी0ए0वी0)	
नगरपालिका मूल्यांकन 60,000 रु(सम्भावित किराया) ;	
वास्तविक किराया 54,000 रु. दानों में जो भी अधिक है।	रू.60,000
घटाया : नगरपालिका कर नगरपालिका मूल्यांकन का 10%	रू. 6,000
वार्षिक मूल्य (ए0वी0)	रू.54,,000
घटाया– मानक कटौती वार्षिक मूल्य का अधिकतम 30%	रू.17,200
मकान का शुद्ध वार्षिक मूल्य (एन0ए0वी0)	रू.36,,800

4– चतुर्थ मकान :

सकल वार्षिक मूल्य (जी0ए0वी0)		
नगरपालिका मूल्यांकन 60,000 रु(सम्भावित किराया) ;		
वास्तविक किराया 72,,000 रु. दोनों में जो भी अधिक है।		रू.72,000
घटाया : नगरपालिका कर नगरपालिका मूल्यांकन का 10%		रू. 6,000
वार्षिक मूल्य (ए0वी0)		रू.66,,000
घटाया–		
1.मानक कटौती वार्षिक मूल्य का अधिकतम 30%	रू.19,800	
2. गत वर्ष 2018–19 का ब्याज	रु. 2,000	
निर्माण कार्य पूरा होने वाले गत वर्ष(2014–15) से पूर्व के गत वर्ष 2013–14 का ब्याज रु.2,000 जो 5 समान किस्तों में कटौती योग्य है	रु. 400	रू. 22,200
मकान का शुद्ध वार्षिक मूल्य (एन0ए0वी0)		रू. 43,,800
मकान–सम्पत्ति से कर योग्य आय (रू.36,,800+ 43,800)		रू. 80,,600

उदाहरण : 5

जेड दो मकानों का स्वामी है। वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए उसने निम्न विवरण दिये हैं:

1. प्रथम मकान का नगरपालिका मूल्यांकन 80,000 रु. है। यह **जेड** द्वारा स्वयं निवास के लिए प्रयोग किया जाता है। उसने 400 रु. अग्नि बीमा प्रीमियम एवं 8,000 रु. नगरपालिका कर के चुकाये। उसने 15,000 रु. ऋण पर ब्याज का भुगतान भी किया। यह ऋण इस मकान को बनवाने के लिए, लिये गये एक अन्य ऋण को चुकाने के लिए, लिया गया था।

2. द्वितीय मकान का नगरपालिका मूल्यांकन 36,000 रु. है तथा मानक किराया 40,000 रु. है यह 4,000 रु. प्रति माह के किराये पर उठाया गया है। उसने निम्न भुगतान किये हैं:

नगरपालिका कर	7,000 रु.
मरम्मत	2,000 रु.
भू–राजस्व	500 रु.
मकान को खाली कराने के लिए कानूनी व्यय	5000 रु.
वार्षिक भार	5,000 रु.

यह मकान दो माह खाली रहा। किरायेदार से 10,000 रु. वसूल नहीं किये जा सके। किरायेदार ने मकान खाली कर दिया है। यह मानते हुए कि नियम 4 की शर्तें पूरी होती हैं, कर–निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए उसकी मकान–सम्पत्ति शीर्षक की आय निकालिए।

प्रश्नोत्तर :

मकान–सम्पत्ति से कर योग्य आय की गणना
(कर–निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए)

1– प्रथम मकान :		
वार्षिक मूल्य (ए0वी0) – स्वयं निवास के लिए प्रयोग		शून्य
घटाया– गत वर्ष 2018–19 का ब्याज	रु. 15,000	
मकान का शुद्ध वार्षिक मूल्य (एन0ए0वी0)	(–) रू.15,,000	
2– द्वितीय मकान :		
सकल वार्षिक मूल्य (जी0ए0वी0)		
नगरपालिका मूल्यांकन 36,000 रु(सम्भावित किराया) ;		
वास्तविक किराया (48,,000–8,000)=40,000रु.		
दोनों में जो भी अधिक है।	रू.40,000	
घटाया : 1. नगरपालिका कर	रू. 7,000	
2. वसूल न हुआ किराया	रू.10,000	रू.17,000
वार्षिक मूल्य		रू.23,000
घटाया–		
मानक कटौती वार्षिक मूल्य का 30%		रू. 6,900
मकान का शुद्ध वार्षिक मूल्य (एन0ए0वी0)		रू. 16,,100
मकान–सम्पत्ति से कर योग्य आय (रू.(–)15,000+16,100)		रू. 1,100

5.9 सारांश

आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 14 के अनुसार कुल आय के पांच शीर्षकों में 'मकान–सम्पत्ति से आय' सकल कुल आय का दूसरा शीर्षक है। धारा 22

के अनुसार इस शीर्षक में केवल वही मकान कर योग्य होते हैं जो कि किराए पर उठाए हुए हों, अथवा स्वयं के रहने के लिए प्रयोग हो रहे हों, अथवा अंशतः स्वयं के प्रयोग में हों एवं अंशतः किराए पर उठाए हुए हों; परन्तु वे मकान इस शीर्षक में कर योग्य नहीं हैं जिन्हें करदाता अपने ही व्यापार में प्रयोग करता है। मकान–सम्पत्ति की कर–मुक्त आयें दो प्रकार की होती हैं– 1–पूर्णतया कर–मुक्त आयें आयें जो न सकल कुल आय में शामिल की जाती हैं और न उन पर कर लगता है। 2– कटौती–योग्य आयें, जो करदाता की सकल कुल आय में तो शामिल होती हैं परन्तु वे कुल आय में शामिल नहीं होतीं। मकान–सम्पत्ति से आय की गणना के लिए सर्वप्रथम उसका सकल वार्षिक मूल्य निर्धारित किया जाता है । सम्भावित किराया या
उचित किराया एवं वास्तविक किराये में जो अधिक हो, वह वार्षिक मूल्य होगा, किन्तु सम्भावित किराया मानक किराये से अधिक नहीं सकता, परन्तु यह मानक किराये से कम हो सकता है। नगरपालिका कर की मालिक द्वारा वहन की गई रकम उस मकान के उपरोक्त प्रकार से निर्धारित सकल वार्षिक मूल्य में से घटाकर अवशेष राशि उसका वार्षिक मूल्य होगी। किराये पर उठाई गई मकान–सम्पत्ति की कर–योग्य आय निकालने के लिए उसके वार्षिक मूल्य में से कटौतियां – (1) मानक कटौती एवं (2) ऋण पर ब्याज स्वीकृत होती हैं।

धारा 24 (a) के अनुसार मानक कटौती वार्षिक मूल्य का अधिकतम 30% दी जाती है, चाहे मकान के लिए कोई खर्चा किया गया हो या नहीं। स्वंय के रहने के मकान के संबंध में मानक कटौती नहीं दी जाती है। मकान–सम्पत्ति के क्रय, निर्माण, मरम्मत या इसका पुनर्निर्माण कराने के लिए लिये गये ऋण पर देय ब्याज की राशि की कटौती स्वीकृत है , चाहे ब्याज का भुगतान किया गया हो अथवा नहीं ।यदि मकान निर्मित होकर तैयार होने अथवा क्रय करने से पूर्व के गत वर्षों से सम्बन्धित ऋण पर ब्याज देय है और ऐसा ब्याज इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के अन्तर्गत कटौती योग्य नहीं है तो ऐसा ब्याज मकान के क्रय अथवा निर्मित होकर तैयार होने वाले गत वर्ष से आरम्भ होकर पांच समान वार्षिक किस्तों में कटौती योग्य होगा। धारा 25–एए के अनुसार कटौती पाने के प्श्चात न वसूल हुए किराये की प्राप्ति होने पर आय कर लगेगा। मकान–सम्पत्ति शीर्षक की अशोधित हानि उसी वर्ष में अन्य किसी शीर्षक की आय में से घटायी जा सकती है। शेष हानि पूर्ति के लिए आगे ले जाकर अगले आठ वर्षों में मकान–सम्पत्ति से आय में से घटाई जा सकती है।

5.10 शब्दावली

मकान सम्पत्ति : इसमें उन मकानों अथवा उनसे लगी हुई जमीनों के वार्षिक मूल्यों पर आय कर लगाया जाता है जिनका करदाता स्वामी है।

सम्भावित किराया : वह रकम जितने में वह मकान प्रति वर्ष उचित रूप से किराये पर उठाया जा सकता है ।

नगरपालिका मूल्यः कर लगाने के लिए स्थानीय सत्ता द्वारा निर्धारित किया जाता है।

उचित किराया : समान प्रकार के स्थान में समान प्रकार के मकान से अन्य मकान मालिक द्वारा प्राप्त किया जा रहा किराया है।

वार्षिक मूल्य : मकान के सकल वार्षिक मूल्य में से नगरपालिका कर की मालिक द्वारा वहन की गई रकम को घटाकर अवशेष राशि उसका वार्षिक मूल्य होती है।
मकान–सम्पत्ति से हानि : मकान–सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य की तुलना में उससे सम्बन्धित व्ययों के अधिक होने पर मकान–सम्पत्ति से हानि होती है। यह हानि किसी दूसरे मकान की आय में से घटायी जा सकती है।
एच0यू0एफ0 : हिन्दू अविभाजित परिवार
एम0वी0 : नगरपालिका मूल्य
जी0ए0वी0 : सकल वार्षिक मूल्य
ए0वी0 : वार्षिक मूल्य
एन0ए0वी0 : शुद्ध वार्षिक मूल्य

5.11 बोध प्रश्न

(अ) रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए :

(1) यदि किसी करदाता के पास कोई मकान पट्टे पर है तो उसे पुनः किराये पर उठाने से करदाता को जो आय प्राप्त होती है वह ....शीर्षक में आती है।

(2) मानक कटौती वार्षिक मूल्य का ....होती हैं।

(3) .... कटौती तब भी दी जाएगी चाहे मकान के लिए कोई खर्चा किया गया हो या नहीं।

(4) स्वयं के रहने के एकमात्र मकान का वार्षिक मूल्य .... होता है।

(5) स्वयं के रहने का मकान को 30.3.1999 के पश्चात् ऋण लेकर क्रय अथवा निर्माण किया जाता है तो ब्याज की कटौती ....तक स्वीकृत होगी ।

(ब) सत्य/असत्य बताइए।

(1) करदाता द्वारा अपने ही व्यापार अथवा पेशे में प्रयोग होने वाले मकान से आय कर योग्य मानी जाती है।

(2) स्वयं के रहने के मकान या उसके भाग का वार्षिक मूल्य शून्य माना जाता है, तो ब्याज की कटौती स्वीकृत नहीं होती है।

(3) मकान–सम्पत्ति के क्रय, निर्माण, मरम्मत या इसका पुर्ननिर्माण कराने हेतु ऋण लेने के लिए दी गई दलाली या कमीशन की कटौती स्वीकृत नहीं है।

(4) नगरपालिका कर उस गत वर्ष में घटाए जाएंगे जिसमें उनका वास्तव में भुगतान हुआ हो ।

(5) स्वयं के रहने वाले मकान के सम्बन्ध में अशोधित हानि किसी भी शीर्षक की आय से पूरी की जा सकती है।

5.12 बोध प्रश्नों के उत्तर

(अ) (1) अन्य साधनों से आय (2) 30% (3) मानक कटौती (4) शून्य (5) 2,00,000 रु.
(ब) (1) असत्य (2) असत्य (3) सत्य (4) सत्य (5) सत्य

5.13 स्वपरख प्रश्न

1. मकान–सम्पत्ति से क्या तात्पर्य है ? मकान–सम्पत्ति से आय की उन मदों को समझाइए जिन पर कर नहीं लगता है । इनकी गणना कैसे की जाती है?
2. वार्षिक मूल्य के आशय को समझाइए। उन मकान–सम्पत्ति से आय के सम्बन्ध में वार्षिक मूल्य में से स्वीकृत कटौतियों का वर्णन कीजिये।
3. मकान–सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य को निर्धारित करने के संबंध में आय कर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों को उदाहरणों के द्वारा समझाइये।
4. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए।
   (क) उचित किराया (ख) सम्भावित किराया (ग) वास्तविक किराया (घ) मानक किराया।
5. स्वयं के आवास में प्रयुक्त मकान–सम्पत्ति का वार्षिक मूल्य कैसे निर्धारित किया जाता है ?
6. मकान–सम्पत्ति शीर्षक में हानि की पूर्ति एवं उसे आगे ले जाने के संबंध में प्रावधानों को उदाहरण के द्वारा समझाइये।

5.14 सन्दर्भ पुस्तकें

1. Singhania : Direct Taxes, Taxman, New Delhi. (2019).
2. मेहरोंत्रा एच0सी0 एवं जोशी सीवएस0 : आय कर– कर निर्धारण वर्ष 2019–20, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा (2019) ।

इकाई : 6 ह्रास

इकाई की रुपरेखा

6.1 प्रस्तावना
6.2 ह्रास का अर्थ
6.3 ह्रास के संबंध में महत्वपूर्ण बातें
6.4 प्लाण्ट तथा मशीन पर अतिरिक्त ह्रास
6.5 सम्पत्ति की वास्तविक लागत
6.6 परिस्थितियॉ जिनमें वास्तविक लागत माना हुआ मूल्य, मूल्य होता है।
6.7 अपलिखित मूल्य
 6.7.1 विभिन्न दशाओं में अपलिखित मूल्य
6.8 सम्पत्तियों का समूह एवं ह्रास की दरें
6.9 अशोधित ह्रास
6.10 ह्रास की गणना प्रक्रिया
6.11 ह्रास सम्बन्धी सम्पत्तियों के सम्बन्ध में पूंजी लाभ
6.12 विनियोग भत्ता
6.13 सारांश
6.14 शब्दावली
6.15 बोध प्रश्न
6.16 बोध प्रश्नों के उत्तर
6.17 स्वपरख प्रश्न
6.18 सन्दर्भ पुस्तकें

उददेश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप इस योग्य हो सकेंगे कि :

- आयकर अधिनियम में ह्रास के प्रावधान की जानकारी प्राप्त कर सकें।
- अतिरिक्त ह्रास के नियम की व्याख्या कर सकें।
- सम्पत्ति की वास्तविक लागत का अर्थ जान सकें।
- अपलिखित मूल्य का अर्थ जान सकें।
- ह्रास की गणना किस प्रकार की जाती है, की व्याख्या कर सकें।

6.1 प्रस्तावना

व्यापार में सम्पत्तियों का प्रयोग होने के कारण, उनका जीवन समाप्त की ओर अग्रसर होता है। निरन्तर प्रयोग के कारण सम्पत्तियॉ बेकार हो जाती है। उस समय उनकी पुर्नस्थापना की आवश्यकता पड़ती है। अतः व्यापार और पेशा के लाभों में से एक निश्चित राशि प्रतिवर्ष सम्पत्ति के मूल्य में होने वाली कमी की राशि से अलग कर दी जाए। यह अलग की गई राशि जिसे ह्रास के नाम से जाना जाता है, संस्था में विनियोजित रहती है। जब भी सम्पत्ति का पुर्नस्थापन किया जाता है, यही राशि प्रयुक्त हो जाती है। इससे संस्था के स्त्रोतों पर विपरीत प्रभाव भी नहीं पड़ता है।

6.2 ह्रास का अर्थ

व्यवसाय में अनेक प्रकार की सम्पत्तियों के लगातार प्रयोग के कारण इन सम्पत्तियों के आन्तरिक मूल्य में आने वाली कमी को ह्रास कहते है। अन्य शब्दों में किसी स्थायी सम्पत्ति के पुस्तकीय मूल्य में हुई कमी ह्रास कहलाती है। ऐसी कमी टूट फूट या अप्रचलन के कारण होती है। सम्पत्ति के जीवनकाल में स्थायी सम्पत्ति के लागत मूल्य को ह्रास के द्वारा अपलिखित किया जाता है। लागत मूल्य को ह्रास के द्वारा अपलिखित किया जाता है।

6.3 ह्रास के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण बातें

1. ह्रास एक वास्तविक क्षय एवं स्वीकृत कटौती है और आयकर के उद्‌देश्य के लिए आय की गणना करते समय इसको कटौती के रुप में स्वीकृत किया जाता है। इस प्रकार आयकर केवल उन्हीं लाभों पर दिया जाता है जो ह्रास घटाने के बाद बचते है।
2. धारा 32 (1) के अनुसार ह्रास मूर्त तथा अमूर्त दोनों प्रकार की सम्पत्तियों पर मिलता है। मूर्त सम्पत्तियों में भवन, मशीन अथवा प्लाट तथा फर्नीचर पर ह्रास स्वीकृत होता है। भवन से तात्पर्य भूमि पर बने ढांचे से हैं इसमें भूमि शामिल नहीं है। भवन के अर्न्तगत पुल, पुलियॉ, सड़क, कुॅआ, नलकूप आदि भी शामिल है। प्लाण्ट में समुद्री जहाज, गाडियॉ, पुस्तके वैज्ञानिक यन्त्र शल्यकर्म आदि शामिल है। परन्तु इसमें पशु, चाय के पौधे, भवन, फनीचर फिटिंग शामिल नहीं है।
3. अमूर्त सम्पत्तियों में तकनीकी ज्ञान, पेटेण्ट कापीराईट ट्रेडमार्क लाइसेस विशेषाधिकार जो 31—3—1998 के पश्चात प्राप्त किए गए है, पर कर निर्धारण वर्ष 1999—2000 से ह्रास स्वीकार है।
4. करदाता सम्पत्ति का आंशिक या पूर्णतया स्वामी होना चाहिए। किराये या पट्‌टे पर सम्पत्ति लेने पर ह्रास के स्थान पर किराये या पट्‌टे पर कटौती मिलेगी।
5. सम्पत्ति गत वर्ष में करदाता के व्यापार अथवा पेशे में प्रयोग होनी चाहिए तथा सम्पत्ति गत वर्ष के अंतिम दिन भी प्रयोग में होनी आवश्यक है।
6. ह्रास सम्पत्तियों के खण्ड के आधार पर स्वीकृत होता है जो उस खण्ड के अपलिखित मूल्य पर निर्धारित दर से घटाया जाता हे। ऐसी मूर्त अथवा अमूर्त सम्पत्तियॉ, जो एक वर्ग की हो और जिन पर ह्रास की एक समान दर लागू है, सम्पत्तियों का एक खण्ड कहलाता है।
7. लेखांकन में सामान्यतः आयकर अधिनियम में वर्णित ह्रास की दरों को लागू किया जाता है। सामान्यतः सम्पत्तियों के खण्ड के अपलिखित मूल्य पर निर्धारित दरों से ह्रास स्वीकृत होता है। लेकिन यदि औद्योगिक अपक्रम शक्ति के उत्पादन अथवा उत्पादन एवं वितरण में लगा है, तो ऐसी सम्पत्तियों की वास्तविक लागत पर निधारित दरों से ह्रास स्वीकृत होगा ।

8. यदि गत वर्ष में प्राप्त की गई सम्पत्ति, व्यापार में 180 दिन से कम प्रयोग की जाए तो उस सम्पत्ति के संबंध में उस गत वर्ष के लिए सामान्य निर्धारित दर का 50 प्रतिशत ह्रास स्वीकृत होता है। यदि करदाता अपनी कुल करयोग्य आय की गणना करते समय ह्रास की कटौती नहीं करता तो भी उस करदाता को ह्रास की कटौती मिलेगी।
9. यदि भारत में व्यवसाय या पेशे के प्रयोग हेतु विदेश में निर्मित मेाटर–कार 31–03–2001 के बाद खरीदी गई तो उस पर ह्रास स्वीकृत होगा ।
10. यदि कोई करदाता किराये पर भवन लेकर अपना व्यापार चला रहा है तो उसे ह्रास की कोई भी कटौती नही ं मिलेगी। उसे किराये की कटौती मिलेगी। यदि वह उस भवन में विकास, नवीनीकरण अथवा सुधार के लिए कुछ बनवाता है तो ऐसे पूंजीगत व्यय के लिए ह्रास स्वीकृत होगा ं।
11. भूमि पर कोई ह्रास स्वीकृत नहीं होगा।
12. यदि कोई सम्पत्ति गत वर्ष में बेच दी जाए तो अपलिखित मूल्य से घटा दी जायेगी ।

6.4 प्लाण्ट तथा मशीन पर अतिरिक्त ह्रास

वह करदाता जो किसी वस्तु के निर्माण या उत्पादन कार्य में संलग्न है, और गत वर्ष में एक नया प्लाण्ट या मशीन खरीद कर अपने व्यवसाय में प्रयोग में लाया जाता है तो उसे 20 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त ह्रास स्वीकार किया जाता है। यह नियम पोत या वायुयान पर लागू नहीं होता हे। यदि सम्पत्ति 180 दिन से कम प्रयोग की जाए तो तब 10 प्रतिशत की दर से ह्रास स्वीकृत होगा । परन्तु उपरोक्त 10 प्रतिशत (बचा हुआ) उसे अगले वित वर्ष में स्वीकृत होगा। अतिरिक्त ह्रास ऐसे औद्योगिक उपक्रम का भी स्वीकार होगा, जो विद्युत के उत्पादन या पारेशण या वितरण में लगा हो । यदि कोई कर दाता किसी वस्तु के निर्माण या उत्पादन के लिए कोई उपक्रम आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, विहार, पश्चिम बंगाल के अधिसूचित पिछडे क्षेत्र में 31–03–2015 के बाद स्थापित करता है एवं 01–04–2020 से पूर्व नई प्लाण्ट या मशीनरी (पोत एवं वायुयान को छोड़कर) लगाता है तो उसे 35 प्रतिशत की दर से ''अतिरिक्त ह्रास'' स्वीकृत होगा परन्तु ऐसे प्लाण्ट या मशीनरी के सम्बन्ध में निम्न बातों का ध्यान रखना होगा । प्लाण्ट तथा मशीनरी पर अतिरिक्त कटौती निम्न दशाओं में स्वीकृत नहीं होगी ।

- यदि प्लाण्ट करदाता द्वारा स्थापित करने से पूर्व भारत या विदेश में काम में लिया गया था ।
- ऐसा प्लाण्ट या मशीन कार्यालय या रिहाईश मकान या अतिथिगृह में काम लिया गया ।
- प्लाण्ट या मशीन जिसकी सम्पूर्ण वास्तविक लागत को किसी एक पूर्व वर्ष के व्यापार या पेशे के लाभ के रुप में कटौती स्वीकार की गई हों।

6.5 सम्पत्तियों की वास्तविक लागत

आयकर अधिनियम की धारा 43 (1) के अनुसार, वास्तविक लागत का अर्थ करदाता के लिए सम्पत्ति की उस वास्तविक लागत (सभी कर सहित) से है, जिसमें से किसी अन्य व्यक्ति या अधिकारी द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से चुकाई गयी कोई भी राशि घटा दी गई है।

उदाहरण के लिए, यदि कोई सम्पत्ति 2,50,000 रुपये की खरीदी और सरकार ने इसमें 25,000 रुपये का अनुदान/ सहायता दी, तब करदाता के लिए सम्पत्ति की वास्तविक लागत 2,25,000रु. होगी। यदि किसी मशीन या उसके भाग के क्रय या प्राप्ति हेतु एक दिन में किया गया कोई एक भुगतान या अनेकों भुगतानों की राशि 10,000 रुपये से अधिक है, तथा वह भुगतान या अनेकों भुगतान खाते में देय चैक या बैंक ड्राफट अथवा बैंक के माध्यम से भुगतान करने की किसी भी यांत्रिंक विधि द्वारा नहीं किया गया, तो ऐसे ऐक भुगतान या अनेकों भुगतानों को उस क्रय की गई मशीन या मशीन के भाग की वास्तविक लागत में नहीं जोड़ा जाएगा । सम्पत्ति की प्राप्त लागत में निम्नलिखित राशियॉ सम्मिलित की जाती हैं –

1. <u>सम्पत्ति को प्राप्त करने के लिए किए गए व्यय–</u> ऐसे व्यय जैसे सम्पत्ति का क्रय मूल्य, उस पर देय ब्याज। सम्पत्ति क्रय करने हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज, बैंक व्यय विनिमय दरों में परिवर्तन के कारण सम्पत्ति के मूल्य में वृद्धि आदि
2. सम्पत्ति को स्थल तक लाने, उसको स्थापित करने तथा प्रयोग हेतु सक्षम बनाने में किए गए व्यय , जैसे चढ़ाने उतारने के व्यय, आगम भाड़ा, लगाने के व्यय, आधारशिला रखने के आयोजन का व्यय आदि (CIT Vs Nirlon Synthetic Fibres & Chemicals Ltd.)
3. सम्पत्तियों के प्रयोग को सुगम बनाने के लिए किए गए व्यय जैसे सम्पत्ति को प्रयोग से पूर्व उसे प्रयोग हेतु उपयुक्त बनाने के लिए उसकी मरम्मत तथा सुधार में किए गए व्यय, स्टाफ के प्रशिक्षण व्यय, आवश्यक निर्माणकार्यो जैसे भवन निर्माण, कूलिंग टॉवर, स्टोरेज रुम आदि के व्यय ।
4. सम्पत्ति के प्रयोग से पूर्व उसके बीमा, शक्ति तथा परीक्षण दौड़ आदि के लिए किए गए व्यय –

धारा 43 (1) के स्पष्टीकरण 8 के अनुसार, यदि सम्पत्ति क्रय हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज सम्पत्तियों के प्रथम प्रयोग के बाद देय है ऐसा ब्याज सम्पत्ति का वास्तविक लागत में नहीं जोड़ा जायेगा। यह ब्याज व्यापार या पेशे की एक स्वीकृत कटौती है। इस प्रकार सम्पत्ति को प्रथम बार प्रयोग में लाने से पूर्व उसके सम्बन्ध में किए गए समस्त व्यय सम्पत्ति की लागत में जोड़े जाते हैं।

6.6 परिस्थितियॉ जिनमें वास्तविक लागत माना हुआ मूल्य, मूल्य होता है

1. <u>भेट स्वरुप प्राप्त सम्पत्ति अथवा पैतृक सम्पत्ति के रुप में प्राप्त सम्पत्ति का वास्तविक मूल्य</u>–

यदि करदाता ने कोई सम्पत्ति भेट स्वरुप अथवा पैतृक सम्पत्ति के रुप में प्राप्त की हो तो करदाता के लिए उस सम्पत्ति की वास्तविक लागत निम्न होगी –

- पूर्व स्वामी की वास्तविक लागत में से पूर्व स्वामी को स्वीकार की गयी ह्रास की राशि घटाकर उसका अपलिखित मूल्य इस अपलिखित मूल्य पर उतना ह्रास स्वीकार किया जाएगा जितना पूर्व स्वामी को स्वीकृत होता है। जैसे कि माना संबंधित ब्लॉक में केवल यही एक सम्पत्ति होती ।
- सम्पत्ति की प्राप्ति की दिनांक पर सम्पत्ति का बाजार मूल्य, इस दशा में वास्तविक लागत ज्ञात करने के लिए ध्यान में नहीं रखा जाएगा ।

2. <u>पुरानी सम्पत्ति क्रय करना –</u>

यदि कोई करदाता ने किसी अन्य से उसके व्यापार में प्रयोग होती हुई सम्पत्ति खरीदी है और कर निर्धारण अधिकारी की सम्पत्ति में क्रेता ने इस सम्पत्ति पर अधिक ह्रास की छूट की मॉग करने के उद्देश्य से सम्पत्ति अधिक मूल्य पर खरीदी तो इस सम्पत्ति की वास्तविक लागत वह होगी, जो सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कर– निर्धारण अधिकारी की सम्मति में उचित हो परन्तु इसके लिए संयुक्त कमिश्नर की पूर्व अनुमति लेनी होगी ।

3. <u>सम्पत्ति जिसको पुनः क्रय किया गया हो –</u>

जब एक सम्पत्ति को विक्रय करने के बाद जब करदाता पुनः प्राप्त या क्रय कर लेता है तो ह्रास स्वीकार करने के लिए उसकी वास्तविक लागत निम्न में सबसे कम राशि होगी

- प्रथम बार की लागत में से उस सम्पत्ति पर करदाता को पूर्व में स्वीकृत कुल ह्रास घटाने के बाद शेष बची राशि अथवा करदाता द्वारा दुबारा प्राप्त करने के लिए चुकाई गयी वास्तविक लागत की राशि

4. <u>सम्पत्ति का विक्रय एवं उसी सम्पत्ति को पुनः पटटे पर प्राप्त किया हो –</u>

यदि करदाता किसी सम्पत्ति को बेचने के उपरान्त पुनः वही करदाता उस सम्पत्ति को किराए पर अथवा पट्टे पर अथवा अन्यथा प्राप्त कर लेता है तो ह्रास स्वीकार करने के लिए उसकी वास्तविक लागत उसका वह अपलिखित मूल्य माना जाएगा जो उसे हस्तान्तरण करते समय विक्रेता का था ।

5. <u>भवन सम्पत्ति के व्यक्तिगत उपयोग से व्यापार में प्रयोग करने पर –</u>

यदि कोई भवन सम्पत्ति करदाता की सम्पत्ति हो और वह करदाता के व्यक्तिगत उपयोग या किराए पर उठाया गया और बाद में अपने व्यापार के उपयोग में लाए तो जिस गत वर्ष में ऐसी सम्पत्ति का व्यापार में प्रयोग होना शुरु हुआ हो उस पर उस गत वर्ष से ह्रास स्वीकृत होगा। ऐसी सम्पत्ति का अपलिखित मूल्य निम्न होगा –

सम्पत्ति की वास्तविक लागत –– गत वर्ष से पूर्व के वर्षो का ह्रास (गत वर्ष की दर से) =

अपलिखित मूल्य

6.7 अपलिखित मूल्य

धारा 43 (6) के अनुसार अपलिखित मूल्य का आशय –

1. <u>गत वर्ष में प्राप्त सम्पत्ति की दशा में</u>– करदाता की सम्पत्ति की वास्तविक लागत से है।

2. <u>गत वर्ष से पूर्व प्राप्त की गई सम्पत्ति की दशा में</u>– करदाता के लिए सम्पत्ति की वास्तविक लागत में से गत वर्ष से पूर्व तक वास्तव में स्वीकार की गई, ह्रास की राशि घटाकर जो राशि वचेगी, वही सम्पत्ति का गत वर्ष के प्रारंभ का अपलिखित मूल्य होगा ।

3. <u>सम्पत्ति समूह (खण्ड) का अपलिखित मूल्य निम्न प्रकार ज्ञात किया जाएगा –</u>

- तुरन्त पूर्व वाले गत वर्ष में सम्पत्ति खण्ड का अपलिखित मूल्य ज्ञात करें अर्थात तुरन्त पूर्व वाले गत वर्ष के 01 अप्रैल को सम्पत्ति समूह का अपलिखित मूल्य ज्ञात करें तथा सम्पत्ति खण्ड के अपलिखित मूल्य में से उस गत वर्ष का स्वीकृत ह्रास घटा दीजिये ।
- इस राशि में, गत वर्ष के दौरान खरीदी गई सम्पत्ति की वास्तविक लागत जोड़ दीजिये ।
- इस योग में से इन सम्पत्तियों को (जो गत वर्ष में खण्ड से बेची गयी) को घटा दीजिये परन्तु ऐसी राशि का योग उपरोक्त में गर्णित अपलिखित मूल्य से अधिक नहीं हो सकता। इस प्रकार किसी भी स्थिति में सम्पत्ति समूह का अपलिखित मूल्य शून्य हो सकता है किन्तु शून्य से कम नहीं हो सकता। उक्त प्रक्रिया में गर्णित राशि, गत वर्ष के ह्रास की गणना के लिए सम्पत्ति समूह का अपलिखित मूल्य होगा ।

4. <u>एक मुश्त विक्रय की दशा में –</u> अपलिखित मूल्य की गणना निम्न प्रकार की जायेगी –

एक मुश्त विक्रय की दशा में हस्तान्तरित समूह में आने वाली

किसी सम्पत्ति की वास्तविक लागत–		0 0 0 0
घटाइये– स्वीकृत ह्रास	––	0 0
	अपलिखित मूल्य	0 0 0 0

<u>6.7.1 विभिन्न दशाओं में अपलिखित मूल्य –</u>

विभिन्न दशाओं में सम्पत्तियों का अपलिखित मूल्य ज्ञात करने के निम्न प्रावधान है :–

1. <u>व्यापार एवं पेशों में उत्तराधिकार –</u>

धारा 43 (6) के स्पष्टीकरण 1 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को व्यापार या पेशा एकाधिकार में प्राप्त होता है, और कर निर्धारण उत्तराधिकारी पर किया जाता है तो सम्पत्तियों के ब्लॉक का अपलिखित मूल्य वह राशि होगी जो उस समय होती है, जब व्यापार या पेशे का उत्तराधिकार परिवर्तित नहीं हुआ होता। अन्य शब्दों में, उत्तराधिकार परिवर्तन हो जाने पर भी अपलिखित मूल्य सामान्य प्रक्रिया में निर्धारित अपलिखित मूल्य होगा, जैसे कि मान लो व्यापार या पेशे का स्वामित्व बदला ही ना हो ।

2. <u>सूत्रधारी कम्पनी द्वारा सहायक कम्पनी को तथा सहायक सम्पनी को सम्पत्ति ब्लॉक का हस्तातरण की</u> दशा में –

सम्पत्ति पाने वाली कम्पनी के लिए उस सम्पत्ति ब्लॉक की वास्तविक लागत वह राशि होगी जो हस्तान्तरणकर्ता कम्पनी के तरन्त पूर्व वाले गत वर्ष के अपलिखित मूल्य में से उसी वर्ष गत वर्ष का स्वीकृत ह्रास घटाकर आती है। बशर्ते सूत्रधारी कम्पनी के

पास सहायक कम्पनी के सम्पूर्ण अंश है तथा हस्तान्तरण प्राप्तकर्ता एक भारतीय कम्पनी है।

3. <u>एकीकरण के समय सम्पत्ति ब्लॉक का हस्तान्तरण की दशा में</u>–

एक कम्पनी किसी दूसरी भारतीय कम्पनी को एकीकरण की किसी योजना के अर्न्तगत गत वर्ष में कोई सम्पत्ति ब्लॉक का हस्तान्तरण करती है तो एकीकृत भारतीय कम्पनी के लिए एस सम्पत्ति ब्लॉक की वास्तविक लागत वह राशि होगी जो हस्तान्तरणकर्ता कम्पनी के लिए हस्तान्तरण से तुरन्त पूर्व वाले गत वर्ष के अपलिखित मूल्य में से उसी वर्ष गत वर्ष का स्वीकृत ह्रास घटाकर आएगी ।

4. <u>विभक्तिकरण पर सम्पत्ति समूह का हस्तान्तरण की दशा में</u>–

यदि किसी गत वर्ष में किसी विभक्त कम्पनी द्वारा किसी सम्पत्ति समूह की किसी सम्पत्ति को परिणामी कम्पनी को हस्तान्तरित किया जाता है, तो तुरन्त पूर्व वाले गत वर्ष के लिए विभक्त कम्पनी के उस सम्पत्ति समूह का अपलिखित मूल्य विभक्तिकरण के अर्न्तगत परिणामी कम्पनी को हस्तान्तरित की गई सम्पत्ति के अपलिखित मूल्य की राशि से कम कर दिया जाएगा ।

5. <u>अंशतः कृषि आय एवं अंशत' व्यापारिक आय की दशा में अपलिखित सूचना –</u>

यदि किसी गत वर्ष में करदाता को होने वाले आय अंशतः कृषि आय है तथा अंशतः कर योग्य आय है जो व्यापार एवं पेशे से लाभ या प्राप्तियॉ शीर्षक में कर योग्य है, तो गत वर्ष से पूर्व प्राप्त पूंजी सम्पत्तियों के संबंध में ह्रास की गणना यह मानकर की जाएगी कि जैसे सम्पूर्ण आय व्यापार एवं पेशे से आय या प्राप्तियॉ शीर्षक की ही आय है। इन सम्पत्तियों के अपलिखित मूल्य की गणना सम्पत्तियों की प्राप्त लागत में से इस प्रकार से गर्णित सम्पूर्ण ह्रास को घटाकर की जायेगी, इस प्रकार, सम्पूर्ण ह्रास की राशि को कटौती के रुप में स्वीकृत की जाएगी ।

6.8 सम्पत्तियों का समूह एवं ह्रास की दरें

व्यापार में सम्पत्ति समूह के संबंध में ह्रास स्वीकृत किया जाता है धारा 2 (11) के अनुसार '' सम्पत्ति समूह से तात्पर्य उन सम्पत्तियों से है जो किसी एक ही वर्ग की सम्पत्तियों में आती हैं ।

1. मूर्त सम्पत्तियॉ– भवन मशीनरी, प्लाण्ट एवं फर्नीचर
2. अमूर्त सम्पत्तियॉ– पैटेन्ट, नो– हाऊ, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क , लाइसेन्स, फ्रेन्चाइल आदि

इन सम्पत्तियों को 13 सम्पत्ति समूह में विभक्त किया गया हे। भवन के 3 समूह , फर्नीचर का 1 समूह, प्लाण्ट तथा मशीनरी के 8 समूह तथा अमूर्त सम्पत्तियों के 1 समूह ।

<u>ह्रास की दरें –</u>

1. यदि कोई औद्यौगिक उपक्रम शक्ति के उत्पादन अथवा उत्पादन एवं वितरण में लगा है तो उसकी सम्पत्तियों की वास्तविक लागत पर निर्धारित दरों से ह्रास लिया जा सकता है।
2. अन्य दशा में सम्पत्तियों के खण्ड के अपलिखित मूल्य पर निर्धारित दरों से ह्रास स्वीकृत होगा ।

ह्रास की निर्धारित दरें आयकर नियम 1962 की अपैन्डिक्स – 1 के भाग–1 में दी हुई है। वर्तमान में लागू दरें निम्नलिखित हैं –

<u>मूर्त सम्पत्तियॉ</u>

अपलिखित मूल्य पर ह्रास दर

w,e.f. 01-04-2017

A– भवन

1. जो रिहायशी प्रयोग में है (होटल तथा बोर्डिग हाऊस को छोड़कर 5 %
2. जो रिहायशी प्रयोग नहीं है (उपरोक्त 1 व 3 को छोड़कर) 10%
3. ऐसे भवन जो 31–08–2002 के बाद पानी प्रदाय योजना या जल उपचार प्रणाली के लिए मशीन एवं प्लाण्ट स्थापित करने 40% के लिए प्राप्त किए जाते है।
4. पूर्णतया अस्थायी निर्माण –लकड़ी का खोखा 40%

B–फर्नीचर तथा फिटिंग्स

फर्नीचर तथा फिटिंग्स इलैक्ट्रिकल, फिटिंग्स 10%

C– मशीन तथा प्लाण्ट –

क–सामान्य दरें 15%

ख– विशिष्ट दरें

1. हवाई जहाज तथा हवाई इंजन 40%
2. मोटरकार जो 01 अप्रैल 1990 या उसके बाद क्रय की गई 15%
3. पेशे के लिए पुस्तकें –

–पुस्तकें जिनका वार्षिक प्रकाशन होता है 40%

–अन्य पुस्तकें 40%

4. कम्प्यूटर (साफटवेयर शामिल है) 40%
5. वातावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण यंत्र 40%
6. जीवनरक्षक चिकित्सीय उपकरण 40%
7. रिन्यूवल एनर्जी, डिवाइस, जैसे सोलर वाटर, हीटर, पम्प विन्ड 40% सोलर कुकर, विन्ड मिल, एनर्जी वायोगैस प्लाण्ट आदि

D–जहाजरानी

1. समुद्र में चलने वाली जहाज 20 %

2. आन्तरिक पानी पर चलने वाले बैसल 20 %

(स्पीड बोट को छोड़कर)

3. आन्तरिक पानी पर चलने वाले स्पीड बोट 20 %

<u>**E**–अमूर्त सम्पत्तियॉ</u>

1– तकनीकी ज्ञान, पैटेण्ट ट्रेडमार्क लाइसेन्स आदि 25 %

6.9 अशोधित ह्रास

धारा 32 (2) के अनुसार, यदि किसी करदाता के गत वर्ष के व्यापार अथवा पेशे की आय पर कर निर्धारण करते समय कम लाभों अथवा लाभ न होने के कारण उस गत वर्ष के स्वीकृत सामान्य ह्रास की कटौती ना दे सकने पर, तब जितने ह्रास को उस गत वर्ष में कटौती नहीं मिल पाई उसे अशोधित ह्रास कहते है। ऐसे अशोधित ह्रास को उसी गत वर्ष में अन्य लाभों से (अन्य व्यापार के) से अपलिखित किया जा सकता है। यदि अशोधित ह्रास की पूरी राशि अभी भी अपलिखित ना हो पाए तो ऐसी बिना अपलिखित राशि को उसी गत वर्ष की किसी अन्य शीर्षक (वेतन शीर्षक को छोड़ कर) अपलिखित किया जा सकता हे। शेष बची अशोधित ह्रास की राशि को अगले वर्षो में अपलिखित करने के लिए ले जाया जाता है।

अशोधित ह्रास को अपलिखित करने एवं आगे ले जाने के नियम निम्न प्रकार है।

<u>**अशोधित ह्रास को अपलिखित करने एवं आगे ले जाने की विधि –**</u>

1. चालू ह्रास उसी वर्ष के व्यापारिक लाभों से घटाना
2. चालू ह्रास उसी वर्ष के अन्य शीर्षकों की आय से घटाना
3. अशोधित ह्रास को आगे के वर्षो के लिए ले जाना
4. <u>अशोधित ह्रास को आगामी वर्ष या वर्षो की किसी भी शीर्षक की कर योग्य आय से घटाना</u>– अगले कर निर्धारण वर्षो में यह अशोधित ह्रास करदाता की किसी भी कर योग्य (वेतन शीर्षक को छोड़कर) में से पूरा किया जा सकता है। अशोधित ह्रास आगामी वर्षो में किसी भी अवधि तक आगे ले जाया जा सकता है। आगे ले जाने के लिए कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं है। इस प्रकार अशोधित ह्रास को आगामी वर्षो की किसी भी शीर्षक की कर योग्य आय से पूरा किया जाएगा। और तब तक आगे ले जाया जाएगा, जब तक अशोधित ह्रास पूरा समायोजित ना हो जाए। आगामी वर्षो में अशोधित ह्रास की कटौती के लिए अग्रलिखित क्रम अपनाया जायेगा।

- चालू ह्रास घटाया जाए
- आगे लाई गई व्यापार या पेशे की हानियॉ घटाया जाए
- आगे लाया गया अशोधित ह्रास घटाया जाए

यदि आगामी वर्षो के लिए हानियां आगे नहीं लाई गई है तो, अशोधित ह्रास की राशि को चालू ह्रास के साथ जोड़कर भी कटौती प्रदान की जा सकती है।

5. व्यापार बन्द होने की दशा में– अशोधित ह्रास को आगामी वर्षो की आयों से समायोजित करने के लिए यह आवश्यक नहीं है किवह व्यापार चालू रहे, जिस व्यापार का यह अशोधित ह्रास है।

6. केवल उसी करदाता , जिसको ह्रास स्वीकृत हुआ था, अशोधित ह्रास को समायोजित कर सकता है। निम्न परिस्थितियॉ इस नियम का अपवाद है।

- एकीकरण की दशा में
- डीमरजर की दशा में
- किसी फर्म का कम्पनी में परिवर्तन होने पर, की दशा में ।

7. अशोधित ह्रास किसी भी दशा में धारा 115 जे बी के अर्न्तगत कर निर्धारित आय से अधिक नहीं हो सकता। अन्य शब्दों में, यदि कम्पनी के लाभों पर कर–निर्धारण धारा 115 जे बी के अर्न्तगत होता है, तो अशोधित आय किसी भी दशा में पुस्तकीय लाभों के 18.5 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता ।

6.10 ह्रास की गणना प्रक्रिया

ह्रास की गणना करने के लिए विभिन्न चरणों में निम्न क्रियाएं करनी पड़ती हैं –

1. सम्पत्ति की वास्तविक लागत का निर्धारण
2. सम्पत्ति के अपलिखित मूल्य का निर्धारण
3. गत वर्ष में बेची गई प्रयोग से बाहर की गई अथवा नष्ट हुई सम्पत्ति के संबंध में देय राशि की गणना करना
4. ह्रास की गणना करना
5. ह्रास गणना नियम के अपवाद

उपरोक्त एक, दो, तीन का वर्णन पूर्व में हो चुका है। चतुर्थ का विवरण निम्न प्रकार है

ह्रास की गणना करना –

- सर्वप्रथम समस्त सम्पत्तियों को सम्पत्ति समूहों में विभाजित करें ।
- सम्पत्ति समूह से तात्पर्य उन सभी सम्पत्तियों से है, जिनपर एक ही दर से ह्रास लगता हें
- प्रत्येक सम्पत्ति समूह का उपरोक्त वर्णित नियमों के अनुसार अपलिखित मूल्य अथवा प्रत्येक सम्पत्ति वर्ग की वास्तविक लागत ज्ञात कीजिये ।
- प्रत्येक समूह के अपलिखित मूल्य पर उसी समूह पर लागू होने वाली ह्रास की दरों से ह्रास की गणना कीजिये
- यदि किसी सम्पत्ति पर अतिरिक्त ह्रास भी मिलना है तो उसकी गणना करें।

ह्रास की गणना नियम के अपवाद –

सामान्यतः ह्रास की गणना किसी सम्पत्ति समूह के अपलिखित मूल्य पर निर्धारित प्रतिशत से की जाती हे। यह नियम निम्न दशाओं में लागू नहीं होता –

- जब कोई सम्पत्ति समूह का अपलिखित मूल्य शून्य हो जाए तो कोई ह्रास स्वीकृत नहीं होगा ।चाहे
  गत वर्ष के अंतिम दिन उस सम्पत्ति समूह में कुछ सम्पत्तियॉ विद्यमान है।

- यदि किसी सम्पत्ति समूह की सारी सम्पत्तियॉ हस्तान्तरित या बेच दी गई हो और उसमें भौतिक रुप से सम्पत्तियॉ विद्यमान ना हो तो भी कोई ह्रास स्वीकृत नहीं होगा चाहे उसका अंतिम दिन मूल्य (पुस्तकीय) क्यों ना हों ।
- यदि सम्पत्ति खरीदे गए गत वर्ष में 180 दिन से कम प्रयोग में लाने पर निर्धारित दर से 50 प्रतिशत दर पर ह्रास स्वीकृत होगा ।
- अतिरिक्त ह्रास केवल एक बार प्रथम वर्ष में ही मिलेगा ।

6.11 ह्रास सम्बन्धी सम्पत्तियों के संबंध में पूंजी लाभ

किसी सम्पत्ति समूह का अपलिखित समूह का अपलिखित मूल्य निम्न दशाओं में शून्य हो सकता है –

1. करदाता द्वारा गत वर्ष में हस्तान्तरित या विक्रय की गई सम्पत्तियों का मूल्य (अवशेष मूल्य सहित) यदि गत वर्ष में प्राप्त सम्पत्तियों की वास्तविक लागत जोड़कर आने वाले अपलिखित मूल्य से अधिक हो जाने पर अन्य शब्दों में –

Sale Price + Scrap value is greater than WDV + Actual cost of asset acquired within the block = Nil or Zero WDV

2. यदि सम्पत्ति समूह की समस्त सम्पत्तियॉ गत वर्ष में हस्तान्तरित कर दी गई हों –

धारा 50 (1) के अनुसार, यदि किसी सम्पत्ति समुह की समस्त सम्पत्तियॉ हस्तान्तरित या समाप्त नहीं होती, परन्तु गत वर्ष में सम्पत्ति समूह से हस्तान्तरित ह्रास योग्य सम्पत्तियों से प्राप्त या अर्जित प्रतिफल निम्न के योग से अधिक हो जाता है –

- ऐसे हस्तान्तरण के सम्बन्ध में किए गए व्ययएवं
- गत वर्ष के प्रारम्भ में सम्पत्ति समूह का अपलिखित मूल्य तथा,
- सम्पत्ति समूह में गत वर्ष में प्राप्त सम्पत्ति की वास्तविक लागत

तेा ऐसी आधिक्य राशि अल्पकालीन पूंजी लाभ होगा ।

Short term Capital Gain = Sale Price – (Expenses regarding sale + WDV of the block of assets at the beginning of the previous year + Actual cost of assets acquired during the previous year)

धारा 50 (2) के अनुसार, यदि गत वर्ष में किसी सम्पत्ति समूह में कोई भी सम्पत्ति ना हो (क्योंकि सभी सम्पत्तियाँ गत वर्ष में हस्तान्तरित कर दी) तो समूह की सम्पत्तियों की प्राप्ति की लागत निम्न प्रकार होगी।

- समूह की सम्पत्तियों का गत वर्ष के प्रारम्भ में अपलिखित मूल्य तथा
- गत वर्ष में समूह के अर्न्तगत प्राप्त सम्पत्तियों की वास्तविक लागत

ऐसे हस्तान्तरण से प्राप्त या अर्जित लाभ अल्पकालीन पूंजी लाभ कहलाते है।

6.12 विनियोग भत्ता

धारा 32 ए डी के अनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2016–17 से, एक नए प्लाण्ट या मशीन में विनियोग करने के संदर्भ में, सभी प्रकार के करदाताओं को कटौती मिलेगा ।

<u>कटौती करदाता – सभी करदाताओं को कटौती की शर्ते –</u>
यदि किसी वस्तु का निर्माण या उत्पादन के लिए आन्ध्रप्रदेश राज्य या बिहार या तेंलंगाना या पश्चिम बंगाल में अधिसूचित पिछड़े क्षेत्र में 31–3–2015 के बाद उद्यम स्थापित करता है। और उसमें 01–04–2020 से पूर्व नया प्लाण्ट या मशीनरी लगाता है । सम्पत्ति को जिस वर्ष लगाया जाएगा उस गत वर्ष में कटौती मिलेगी ।

कटौती की मात्रा –– वास्तविक लागत का 15 %

<u>शर्ते –</u> यदि सम्पत्ति को उसके लगाये जाने के पॉच वर्ष के अन्दर बेच देती है। (समामेलन या अविलयन को छोड़ कर) तब कटौती की राशि उस गत वर्ष में कर योग्य हो जाएगी, जिस गत वर्ष में बेची गई।

कर योग्य शीर्षक – व्यापार एवं पेशा

क्रियात्मक प्रश्न एवं उनके हल

<u>उदाहरण 01 –</u>

01 अप्रैल 2018 को मनोज कुमार की सम्पत्तियॉ निम्न है । ह्रास की दर 15 प्रतिशत है। मशीन का अपलिखित मूल्य (01.04.2018) को रु. 5,00,000 । 01 जुलाई 2018 को एक नई मशीन (ह्रास दर 15 प्रतिशत) रु. 2,00,000 की खरीदी । कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए ह्रास की गणना कीजिये ।

<u>हल</u>

<u>हास की गणना</u>
<u>(कर निर्धारण वर्ष 2019–20)</u>

<u>ब्लॉक 1 (मशीनरी) : ह्रास दर **@ 15% :**</u>

WDV on 01-04-2018	= Rs. 5,00,000
Add : Purchase on 01-07-2018	= Rs. 2,00,000
	= Rs. 7,00,000
Less : Depreciation 7,00,000 x 15/ 100	= Rs. 1,05,000
31-03-2019 = अपलिखित मूल्य	= Rs.5,95,000
ह्रास की राशि	= Rs. 1,05,000

<u>उदाहरण 02 –</u>

<u>ह्रास की गणना कीजिये–</u>

31 मार्च 2018 को मशीन की लागत 12 लाख है। इनमें 01 जनवरी 2016 को क्रय की गई मशीन की 50,000 रुपये की लागत तथा 01 जनवरी 2018 को खरीदी गई। 1,50,000 रुपये की लागत शामिल है। कर निर्धारण वर्ष 2018–19 में 3,60,000 रुपये का कुल ह्रास स्वीकृत हुआ था। ह्रास की दर 15 प्रतिशत है।

<u>हल–</u>

<u>ह्रास की गणना (कर निर्धारण वर्ष 2019–20)</u>

मशीन की लागत रु.
12,00,000

घटाओ –ह्रास upto Ay 2018-19रु. 3,60,000WDV on 31.03.2018 रु. 8,40,000

ह्रास की राशि (कर निर्धारण वर्ष 2019–20) रु. 1,26,000 (8,40,000 X 15 / 100)

उदाहरण 03

श्री गगन सिंह एक कारखाने के मालिक है। 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वित वर्ष के लिए ह्रास की गणना कीजिये

	रु.		दर
भवन –कारखाना भवन (अपलिखित मूल्य)	80,000		10 %
ऊपर के भवन में नयी वृद्धि 01.09.2018	40,000		
कार्यालय भवन (अपलिखित मूल्य)	50,000		10 %
मशीन – मशीन का अपलिखित मूल्य	1,00,000		15 %
01–04–2018 को नई मशीन खरीदी		60,000	
01.11.2018 को पुरानी मशीन खरीदी		50,000	
01–11–2018 को पुरानी मशीन बेची		40,000	
फर्नीचर : फर्नीचर का अपलिखित मूल्य	15,000		10 %
01–12–2018 को नया फर्नीचर खरीद		5,000	

हल

ह्रास की गणना (कर निर्धारण वर्ष 2019–20)

ब्लांक 1 :

भवन – 80,000 + 40,000 + 50,000 = 1,70,000

Depreciation on 01,70,000= 17,000

ब्लॉक 2–

Machine : 1,00,000 + 60,000 + 50,000 = 2,10,000 -- 40,000 = 1,70,000

15 % depreciation on 1,20,000 = 18,000

7.5% Depreciation on 50,000 = 3,750 = 21,750

Additional Depreciation on New Machine @ 20% = 12,000

ब्लांक 3 :

Furniture : 15,000 + 5000 = Rs. 20,000

10% Depreciation on 15000 = 1500

5% Depreciation on 5000 = 750 = 1,750

= 52,500

उदाहरण – 04 :

श्री कृष्ण कुमार ने 04 अप्रैल 2015 को अपने निजी प्रयोग के लिए एक कार रु. 3,60,000 की खरीदी । 12 अगस्त 2018 को उसने यह कार अपने पुत्र को उपहार में

दी, जिसने उसे अपने पेशे के लिए प्रयोग किया उपहार के दिन कार का बाजार मूल्य 2, 00,000 रुपये था । कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के ह्रास की गणना करने के लिए कार की लागत की गणना कीजिये ।

हल–

कार की लागत की गणना

पूर्व मालिक की कार की लागत	= रु. 3,60,000
घटाओ : माना गया ह्रास गत वर्ष 2016–17 @ 15%	= रु. 54,000
	= रु. 3,06,000
घटाओ : माना गया ह्रास गत वर्ष 2017–18 @ 15%	= रु. 45,900
कार की लागत 01.04.2018	= रु. 2,60,100

उदाहरण 05 –

श्री संजय कुमार बंसल ने 06 अगस्त 2015 को एक भवन 18 लाख में क्रय किया । उसने यह भवन 30,000 रुपये प्रतिमाह पर किराये पर उठा दिया। 1 अप्रैल 2018 को उसने किरायेदार से अपना भवन वापिस लेकर, अपने व्यवसाय में प्रयोग करने लगा। गत वर्ष 2018–19 के लिए ह्रास की गणना के लिए वास्तविक लागत ज्ञात कीजिये । यदि ह्रास की दर 10 प्रतिशत है।

हल–

भवन की वास्तविक लागत की गणना –

मूल लागत 06.08.2015	= रु. 18,00,000
घटाया : माना गया ह्रास (PY: 2016-17)	= रु. 1,80,000
	= रु. 16,20,000
घटाया : माना गया ह्रास: (PY 2017-18)	= रु. 1,62,000
सम्पत्ति की लागत(01-04-2018)	=रु. 14,58,000

उदाहरण 06

मिस्टर विभोर कुमार ने अपनी सम्पत्ति के विवरण निम्नलिचित है। –

अवमूल्यन मूल्य	डब्लू डी.बी.(01.04.2018)	
मशीन अ	25 प्रतिशत	2,50,000
फर्नीचर	15 ʻʻ	1,00,000
मशीन ब	25 ʻʻ	80,000
मशीन स	40 ʻʻ	1,20,000
कम्प्यूटर	40 ʻʻ	2,00,000

मशीन ब (25 प्रतिशत अवमूल्यन दर) बेची रु. 60,000 में मई 2018 में ।

एक मशीन (25 प्रतिशत अवमूल्यन दर) कम्प्यूटर क्रमशः रु. 1,20,000 तथा रु. 40,000 नवम्बर 2018 में खरीदे अवमूल्यन भत्ता गी गत वर्ष 2018–19 के लिए गणना कीजिये ।

हल

अवमूल्यन भत्ता गणना (गत वर्ष 2018–19)

ब्लाक 1 – अवमूल्यन 25 प्रतिशत की दर से

01–04–2018 WDV Machine I (A)		रु. 2,50,000
Machine II (B)		रु. 80,000
नबम्वर 2018 में मशीन खरीद		रु. 1,20,000
		रु. 4,50,000
घटाओ : मशीन बेची		60,000
		रु. 3,90,000
अवमूल्यन 1,20,000 X 12.5 / 100 = 15,000 (मशीन 180 दिन से कम प्रयोग)		
अवमूल्यन 2,70,000 X 25 / 100 =67,500रु.	82,500	
WDV on 31.03.2019		रु .3,07,500

ब्लाक 2 – अवमूल्यन 15 प्रतिशत की दर से

01–04–2018 WDVफर्नीचर	रु. 1,00,000
अवमूल्यन 1,00,000 X 15 / 100	रु. 15,000
WDV on 31.03.2019	रु. 85,000

ब्लाक 3 – अवमूल्यन 40 प्रतिशत की दर से

01.04.2018 WDV मशीन स	रु. 1,20,000
अवमूल्यन 1,20,000 X 40 / 100	रु. 48,000
WDV on 31-03-2019	रु. 72,000

ब्लाक 4 –अवमूल्यन 40 प्रतिशत की दर से

1.4.2018 WDV Computer	रु. 2,00,000
नवम्बर खरीद	रु. 40,000
	रु. 2,40,000
अवमूल्यन रु. 40,000 X 20 / 100 = 8,000	
अवमूल्यन रु. 40,000 X40 / 100 = 80,000 रु.	88,000
	रु.1,52,000

<u>कुल अवमूल्यन भत्ता –</u>

ब्लाक 1	रु. 82,500
ब्लाक 2	रु. 15,000
ब्लाक 3	रु. 48,000
ब्लाक 4	रु. 88,000
	रु.2,33,500

6.13 सारांश

आयकर अधिनियम में दृश्य तथा अदृश्य सम्पत्तियों पर ह्रास मिलता हे। व्यापार में प्रयुक्त सम्पत्तियों को प्रयोग करने पर इनमें घिसावट तथा टूट फुट होती है। अतः यह जरुरी है कि व्यापार और पेशों के लाभों में से, एक निश्चित राशि प्रति वर्ष सम्पत्ति के मूल्य में होने वाली कमी के लिए अलग कर दी जाए। यह राशि संस्था में विनियोजित होने से, पुर्नस्थापना के समय यही राशि प्रयोग कर ली जाती है। यह एक 0वास्तविक तथा स्वीकृत कटौती है। करदाता को स्वामी होना तथा व्यापार में प्रयुक्त सम्पत्तियों पर ह्रास मिलता है। ह्रास सम्पत्तियों के समूह पर मिलता है। एक समूह में खरीद को जोड़ा तथा बिक्री को घटाया जाता है। ह्रास प्रत्येक सम्पत्ति के अपलिखित मूल्य के योग पर स्वीकृत होता है। आयकर में तेरह सम्पत्ति समूह है। भवन के तीन समूह, फर्नीचर का एक समूह, प्लान्ट एवं मशीनरी के आठ समूह एवं अदृश्य सम्पत्तियों का एक समूह ।

6.14 शब्दावली

ह्रास सम्पत्ति के मूल्य में कमी

कटौती ह्रास राशि से सम्पत्ति के मूल्य में कमी करना

ब्लॉक समूह सम्पत्तियों का

अदृश्य दिखाई ना देने वाली सम्पत्ति

दृश्य दिखाई देने वाली सम्पत्ति

6.15 बोघ प्रश्न

<u>निम्न में कौन सा कथन सत्य है अथवा असत्य –</u>

1. भूमि पर ह्रास स्वीकृत है।
2. फर्नीचर पर ह्रास दर 20 प्रतिशत है।
3. न्योन साईन बोर्ड पर ह्रास दर 30 प्रतिशत है।
4. ह्रास सम्पत्ति की वास्तविक लागत पर मिलता है।
5. विदेश निर्मित कार को टैक्सी प्रयोग करने पर ह्रास दर 30 प्रतिशत है।
6. पशुओं पर ह्रास उपलब्ध है।

<u>रिक्त स्थान भरें :–</u>

1. आयकर में ह्रास ––––––––––– मूल्य पर मिलता है।
2. अशोधित ह्रास को अगले––– वर्ष तक समायोजन हेतु आगे ले जाया जा सकता है।

3. समूह सम्पत्तियों पर ह्रास दर ––– हे।
4. फर्नीचर पर ह्रास दर–––– है।
5. कम्प्युटर पर ह्रास दर ––– है।
6. नए प्लान्ट पर अतिरिक्त ह्रास दर––– है।

6.16 बोध प्रश्नों के उत्तर

सत्य है अथवा असत्य

1–असत्य 2–असत्य 3–असत्य 4–असत्य 5– सत्य 6– असत्य

रिक्त स्थान

1– अपलिखित मूल्य 2– अनिश्चित काल 3–**20 %** 4–**10 %**

5– 40 **%** 6–**20 %**

6.17 स्वपरख प्रश्न

1. सम्पत्तियों का खण्ड क्या होता है ? सम्पत्तियों के किसी खण्ड का अपलिखित मूल्य निकालने की क्या विधि है ?
2. ह्रास के सम्बन्ध में आयकर अधिनियम के अर्न्तगत सम्पत्तियॉ कितने प्रकार की होती है।
3. अशोधित ह्रास पर टिप्पणी लिखें ।
4. अतिरिक्त ह्रास से क्या तात्पर्य है।
5. क्या पशुओं पर ह्रास लिया जा सकता है।
6. करदाता की वास्तविक लागत को संक्षेप में समझायें

6.18 सन्दर्भ पुस्तकें

1. Singhania : Direct Taxes, Taxman, New Delhi. (2019).
2. मेहरोंत्रा एच0सी0 एवं जोशी सीवएस0 : आय कर– कर निर्धारण वर्ष 2019–20, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा (2019) ।

इकाई 7 : व्यापार एवं पेशे से आय

इकाई की रुपरेखा

7.1 प्रस्तावना

7.2 व्यापार अथवा पेशा अथवा व्यवसाय का अर्थ

7.3 व्यापार/व्यवसाय/पेशा के मुख्य सिद्धात

7.4 व्यापार अथवा पेशे के लाभ एवं प्राप्तियॉ

7.5 स्वीकृत कटौतियॉ

    7.5.1 स्वीकृत व्यय एवं हानियॉ

    7.5.2 स्वीकृत भत्तों के सम्बन्ध में कटौती

    7.5.3 सामान्य कटौतियॉ

7.6 अस्वीकृत व्यय, क्षतियॉ या हानियॉ

7.7 वास्तविक भुगतान पर स्वीकृत कटौतियॉ

7.8 माने गए लाभ

7.9 अप्रकट आयें अथवा विनियोग एवं अस्पष्ट व्यय

7.10 खाते रखना

7.11 बहीखातों का अनिवार्य अंकेक्षण

7.12 व्यापारिक रहतिये का मूल्यांकन

7.13 कतिपय व्यापार या पेशे की आय का अनुमानित आधार पर निर्धारण

    7.13.1 पात्र व्यवसाय के लाभों का निर्धारण

    7.13.2 पेशे से लाभों का निर्धारण

    7.13.3 माल ढोने के वाहनों को किराया पर अथवा पटटे पर अथवा स्वयं चलाने के व्यापार से लाभों का निर्धारण

    7.13.4 भारतीय जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट आदि के एजेन्ट की कमीशन आय

7.14 विविध व्यावहारिक प्रश्न

7.15 सारांश

7.16 शब्दावली

7.17 बोध प्रश्न

7.18 बोध प्रश्नों के उत्तर

7.19 स्वपरख प्रश्न

7.20 सन्दर्भ पुस्तकें

उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप इस योग्य हो सकेंगे कि :

- व्यापार तथा पेशा का अर्थ समझ सकें ।
- व्यापार तथा पेशे के लाभ एवं प्राप्तियॉ को जान सकें।
- व्यापार तथा पेशे में स्वीकृत कटौतियॉ काजान सकें।
- व्यापार तथा पेशा में लाभों की गणना विधि की व्याख्या कर सकें।

7.1 प्रस्तावना

इस इकाई में आप आयकर अधिनियम के अनुसार व्यापार एवं पेशा की गणना कर पायेगें। इसमें आयकर अधिनियम में विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन से आय की गणना की जाती है। व्यापार तथा पेशा के लाभ एवं प्राप्तियॉ आय का तीसरा शीर्षक है। इससे सरकार को सबसे अधिक राजस्व प्राप्त होता है। आयकर अधिनियम की धाराऍ 28 से 43 डी तक इसी शीर्षक से सम्बन्धित हैं।

7.2 व्यापार अथवा पेशा अथवा व्यवसाय का अर्थ

व्यापार–

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2 (13) के अनुसार '' व्यापार में कोई भी कारोबार या लेनदेन वाणिज्य या निर्माण या कोई साहस अथवा कोई संस्था जो कारोबार, वाणिज्य या निर्माण प्रकृति की हो, सम्मिलित होती है।'' व्यापार शब्द व्यापक है जिसमें वे सभी कार्य सम्मिलित है जो लाभ कमाने के उद्देश्य से किए जाए। व्यापार में लेनदेन, वाणिज्यिक एवं निर्माण क्रियायों के साथ–साथ सेवाओं को प्रदान करना शामिल है। व्यापार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के आपसी व्यवहार से उत्पन्न होता है। लाभ या प्राप्तियॉ स्वयं से व्यापार करने के फलस्वरुप उत्पन्न नहीं हो सकती है। व्यापार में क्रियाओं की निरन्तरता भी होनी चाहिये । लेकिन विशिष्ठ परिस्थितियों में कभी–कभी एक ही क्रिया सम्मिलित हो जाती है। ध्यान देने योग्य यह है कि यदि वाणिज्यिक सम्पत्तियों को यदि किराए पर दिया जाए तो, उसे भी व्यापारिक आय माना जाएगा । उदाहरण के लिए यदि एक सिनेमाहॉल को किराएपर उठाया जाए, तो उसे व्यापारिक आय माना जाएगा ।

व्यापार में लेन–देन (ट्रेड) भी है, जिनमें माल के बदले माल अथवा माल के बदले मुद्रा की क्रियाऍ पुनः है, इसमें निर्माण भी शामिल है। निर्माण में कच्चा माल को निर्मित माल बनाकर लाभ कमाने के उद्देश्य से बेचा जाता हे। कपड़ा को वस्त्र बनाना भी निर्माण में शामिल है।

पेशा –

आयकर अधिनियम की धारा 2 (36) के अनुसार,'' पेशे में व्यवसाय भी शामिल है। सामान्यतः पेशे से तात्पर्य उस कार्य या व्यवसाय से है जो ऐसे मानसिक या शारीरिक श्रम से पूरे किया जाता है। इसके लिए विशिष्ट योग्यता, ज्ञान या कुशलता अपेक्षित है जो कि निरन्तर अध्ययन से प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए,'' चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, एडवोकेट, इन्जीनियर्स, आर्किटेक्ट आदि । एक कम्पनी कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति होने के कारण ना तो मस्तिष्क रखती है तथा ना ही शरीर अतः वह स्वयं पेशे केरुप में नहीं हो सकती है।

व्यवसाय –

इसमें वे कार्य होते हैं जो किसी व्यक्ति द्वारा अपनी प्राकृतिक योग्यता के कारण किए जाते है। व्यवसाय आय कमाने या ना कमाने के उद्देश्य से किए जाते हैं यदि किसी व्यक्ति के द्वारा अपना जीवन चलाने के उद्देश्य से तथा ऐसे कार्य करने पर जिनके लिए प्राकृतिक रुप से उपयुक्त है कोई लाभ हो जाता है, तो वह लाभ उस पेशे का

माना जाएगा। जैसे अभिनेता, गायक, कलाकार, पुजारी आदि । व्यवसाय में दलाली, बीमा ऐजेन्सी, संगीत, नृत्य, चोरी भी शामिल है। एक करदाता चाहे व्यापार या व्यवसाय या पेशे से कमाए उसको इसी शीर्षक में शामिल किया जाएगा ।

7.3 व्यापार / व्यवसाय / पेशा के मुख्य सिद्धात

व्यापार एवं पेशा से सम्बन्धित मुख्य सिद्धात निम्न हैं –

1. व्यापार एवं पेशा करदाता द्वारा संचालित हो। इसका तात्पर्य करदाता के स्वामित्व से होता है। व्यापार को स्वयं संचालित करने से तात्पर्य, अपने कर्मचारियों, प्रतिनिधियों, प्रबन्धकों आदि के माध्यम से संचालन से है। यदि कर दाता को न्यायालय द्वारा संचालन अधिकार समाप्त करने पर उसे संचालनकर्ता नहीं माना जाएगा। एक अव्यस्क अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति अथवा दिवालिये के संरक्षण , ट्रस्टी / रिसिवर को इनके व्यापार चलाने का अधिकार प्राप्त है अतः वे आयकर अधिनियम के अनुसार करदाता है।
2. लाभकारी या वैधानिक स्वामित्व का होना आवश्यक है, जो व्यक्ति वास्तव में लाभ का प्राप्तकर्ता होगा वही उन लाभों पर आयकर देने के लिए उत्तरदायी है। अतः बेनामीदार द्वारा संचालित व्यापार के लाभों पर वास्तविक स्वामी (लाभकारी स्वामी) ही आयकर देने को उत्तरदायी होगा ।
3. व्यापार या पेशा गत वर्ष में संचालित किया गया हो अर्थात गत वर्ष के आरंभ से अंत के मध्य कभी भी संचालित किए गए हो । अन्य शब्दों में व्यापार या पेशे को सम्पूर्ण वर्ष में चलाना आवश्यक नहीं है।
4. आयकर अधिनियम में वैधानिक तथा अवैधानिक दोनों प्रकार के व्यापार या पेशा करयोग्य है। अन्य शब्दों में अवैधानिकता से आयकर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता ।
5. वास्तविक अनुमानित या काल्पनिक लाभ धारा 28 के अनुसार, केवल वास्तविक लाभों पर ही आयकर दायित्व उत्पन्न करती है। अनुमानित या काल्पनिक लाभों पर आयकर नहीं लगाया जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन लागत मूल्य या बाजार मूल्य दोनों में से कम पर मूल्यांकन किया जाता है।
6. करदाता के सभी व्यापारों या पेशों के लाभों पर एक साथ कर लगाया जाता है, उसके सभी व्यापारों का अलग–अलग लाभों की गणना कर, व्यापार एवं पेशा लाभ शीर्षक में कर लगता है। करदाता को प्रत्येक व्यापार या पेशा पर अलग–अलग आयकर नहीं देना होता, बल्कि सभी व्यापारों या पेशों के लाभों को एक साथ मिलाकर इनके सम्मिलित लाभों पर आयकर देना पड़ता है।
7. सट्टा व्यापार – धारा 45 (5) के अनुसार, सटटे के व्यापार से तात्पर्य वस्तुओं स्टॉक या अंशों के क्रय–विक्रय के इस अनुबन्ध से है, जिसमें सौदे का निस्तारण एक निश्चित समयावधि पर अन्ततोगत्वा मूल्यों के अंतर का लाभ या हानि ले देकर किया जाता है। इसमें वास्तविक सुपुदर्गी ना ली जाती है और ना ही दी जाती है। सट्टा व्यापार के लाभ भी, सामान्य व्यापार की भॉति कर योग्य होगें।

8. एक निवासी कर दाता के लिए इस बात पर कोई अंतर नहीं पड़ता कि व्यापार भारत में स्थापित हो या विदेश में । विदेश में स्थापित व्यापार या पेशा भी इसी शीर्षक में कर योग्य होगी ।
9. यदि कोई व्यापार या पेशा बन्द दिया जाता है, और उसकी सम्पत्तियों के विक्रय पर करदाता को लाभ होता है तो ये लाभ व्यापार या पेशों के लाभ ना होकर पूंजीगत लाभ कहलाते है। परन्तु स्टॉक की विक्रय राशि को व्यापारिक लाभ कहलाते है।
10. व्यापार एवं पेशा के लाभों की गणना वाणिज्यिक सिद्धातों के आधार पर किया जाता है। पूंजीगत तथा आयकर लाभों को पृथक ढ़ंग से रखना होगा ।
11. यदि प्रतिभूतियों को व्यापारिक स्टॉक की तरह रखते हैं तो इनका ब्याज व्यापारिक लाभ होगा अन्यथा ''आय के अन्य साधन '' शीर्षक में करयोग्य होगा ।
12. पेशेवर खिलाडियों को प्राप्त आय पुरस्कार, व्यापार एवं पेशा शीर्षक में करयोग्य होगा। परन्तु गैर पेशेवर खिलाडियों को प्राप्त पुरस्कार उपहार माना जाने के कारण कर योग्य नहीं होता है। (सरकुलर संख्या 447 दिनांक 22–01–1986)
13- यदि कृषि भूमि के टुकड़े करके मकान बनाने के लिए बेचा जाए तो यह व्यापारिक लाभ होगा । (CIT Vs R.Ramaih and Others)
14. अंशों के अभिगोपन पर अभिगोपक को जो कमीशन मिलता है वह व्यापारिक आय होगी।

    परन्तु स्वयं के लिए अंशों के ऊपर जो कमीशन मिलता है उन स्वयं लिए गए अंशों की लागत, कमीशन की राशि से कम हो जाएगी ।
15. यदि बीमा प्राप्ति लाभ की क्षतिपूर्ति के रुप में प्राप्त हुई है तो ऐसी प्राप्ति व्यापार एवं पेशा शीर्षक में कर योग्य होगी। यदि बीमा प्राप्तियॉ माल की क्षतिपूर्ति के संबंध में प्राप्त होती है, तो प्राप्त क्षतिपूर्ति की वह राशि जो क्षतिग्रस्त माल की लागत से अधिक है व्यापारिक लाभ मानी जाती है।
16. मकान सम्पत्ति से प्राप्त किराया, मकान सम्पत्ति शीर्षक में करयोग्य होता है। यदि करदाता मकान खरीदने या बेचने या निर्माण या किराये पर देने का व्यापार करता है तथा मकान सम्पत्ति उसके पास स्टॉक की तरह रखता है, तो उसकी आय व्यापार एवं पेशा शीर्षक में कर योग्य होगी । (Salisbury House Estate Ltd. Vs Fly)
17. यदि कम्पनी ने अपने कर्मचारियों को सम्पत्तियों को किराए पर देता है और कर्मचारियों को सम्पत्तियों से किराये पर देना व्यापार के लिए आवश्यक समझा गया है तो किराये से प्राप्त आय व्यापार तथा पेशे की आय मानी जाएगी ।
18. लॉटरी दौड़ आदि से प्राप्तियॉ अन्य साधनों से आय शीर्षक में करयोग्य होगी। भले ही ये प्राप्तियॉ नियमित व्यापारिक क्रिया के फलस्वरुप हुई हों ।

19. क्षतिपूर्ति अथवा बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति पर ब्याज इस शीर्षक में करयोग्य आय नहीं है। इस ब्याज पर ब्याज प्राप्ति के वर्ष में अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर लगाया जाता है, भले ही यहनियमित व्यापारिक क्रियाओं का भाग है, किन्तु इस ब्याज में से 50 प्रतिशत की कटौतीप्रदान की जाएगी। इस प्रकार, ऐसे ब्याज की 50 प्रतिशत राशि की अन्य साधनों से आयशीर्षक में करयोग्य होगी।
20. ग्राहकों से लिया गया धर्मादा व्यापार की आय नहीं है। अतः यह कर योग्य नहीं है।
21. यदि करदाता को गत वर्ष में अपने व्यापार से सम्बन्धित कोई ऐसी रकम प्राप्त हो जाए, जो गत वर्ष से पूर्व किसी वर्ष में कर योग्य लाभ निकालने के लिए हानि, खर्चे अथवा दायित्व केरुप में घटा दी गयी हो, तो उस रकम पर गत वर्ष कर लगाया जाता है ।

7.4 व्यापार अथवा पेशे के लाभ एवं प्राप्तियॉ

निम्नलिखित आयों को व्यापार एवं पेशा शीर्षक में कर योग्य होगी । (धारा 28)

1. करदाता द्वारा गत वर्ष में किसी भी समय किए गए किसी व्यापार अथवा पेशा के आयगत लाभ
2. किसी व्यापार के प्रबन्धकों की सेवायें अथवा एजेन्सी समाप्त करने पर अथवा सेवा की शर्तो या ऐजेन्सी की शर्तो में संशोधन करने पर क्षतिपूर्ति की प्राप्त राशि ।
3. व्यापार से सम्बन्धित किसी अनुबन्ध की शर्तो को भंग करने या उसमें संशोधन के कारण क्षतिपूर्ति की राशि ।
4. व्यापारिक एवं पेशा के संघों द्वारा अपने सदस्यों को विशिष्ट सेवाऍ प्रदान करने से आय।
5. आयात नियंत्रण आदेश, 1955 के अर्न्तगत मिले हुए लाइसेन्स को बेचने से लाभ ।
6. भारत सरकार की योजना में निर्यात के लिए प्राप्त नकद सहायता।
7. निर्यात के संबंध में सीमा शुल्क अथवा आबकारी शुल्क की वापिस की गई राशि।
8. आयात निर्यात नीति के अर्न्तगत शुल्क प्राप्ति पास बुक योजना के अन्तरण से प्राप्त लाभ
9. व्यापार तथा पेशा शीर्षक के सम्बन्ध में करदाता को मिलने वाले अनुलाभ का मूल्य।
10. प्रतिभूतियों पर ब्याज से आय, यदि कर दाता का व्यवसाय प्रतिभूतियों की खरीद /बेच है।
11. फर्म के साझेदार को फर्म से प्राप्त ब्याज, कमीशन वेतन बोनस आदि जो फर्म के करयोग्य लाभों की गणना करने में घटा दिएगए हों, तो व्यापार या पेशा में करयोग्य है।
12. कीमैन इश्योरेन्स से प्राप्त राशि, बोनस सहित।

13. रहतिये (स्टॉक) को पूंजी सम्पत्ति में परिवर्तन करने पर परिवर्तन तिथि को उचित बाजार मूल्य व्यापारिक आय मानी जायेगी ।
14. किसी व्यापारिक कार्य को ना करने के अनुबन्ध को करने पर मिलने वाली गाय।
15. सट्टा से आय ।

7.5 स्वीकृत कटौतियॉ

एक करदाता की करयोग्य आय की गणना करते समय कटौतियॉ स्वीकृत है। इसके अर्न्तगत व्यय, हानि एवं भत्ते है। कटौतियॉं को तीन भागों में बॉटा जा सकता है।

क– स्वीकृत व्यय एवं हानियॉ ।

ख– स्वीकृत भत्ते ।

ग– सामान्य कटौतियॉ

7.5.1 स्वीकृत व्यय एवं हानियॉ

आयकर अधिनियम की धारा 30, 31, 32, 35, 35ए 35 डी एवं 36 के अन्तर्गत निम्न व्यय एवं हानियॉ कटौतियॉ के रुप में स्पष्टतया स्वीकार किए जाते है।

1. करदाता के व्यापार एवं पेशा में प्रयुक्त भवन का किराया, कर मरम्मत, बीमा की कटौती । यदि भवन किराये पर लिया है तो किराये की दी राशि कटौती योग्य है। यदि अपना स्वयं का है तो चालू मरम्मत, स्थानीय कर, नगरपालिका कर बीमा प्रीमियम की राशि कटौती योग्य है।
2. मशीनरी प्लाण्ट एवं फर्नीचर की मरम्मत एवं बीमा के संबंध में व्यय, जिसमें चालू मरम्मत शामिल है। इसके अतिरिक्त ह्रास की राशि भी अनुमन्य है।
3. ह्रास करदाता द्वारा व्यापार में प्रयुक्त होने वाली तथा कर दाता के पूर्ण अथवा आंशिक स्वामित्व की सम्पत्तियों पर समूह के अनुसार, निर्धारित दर से ह्रास स्वीकृत है।
4. नए प्लाण्ट एवं मशीनरी में विनियोग के संबंध में कटौतियॉ धारा 32 ए सी – यदि निम्न शर्ते पूरी करने पर –
   - कम्पनी किसी वस्तु के निर्माण या उत्पादन करें ।
   - नई सम्पत्ति 31 मार्च 2013 के बाद किन्तु 01 अप्रैल 2017 से पूर्व प्राप्त एवं स्थापित की है।
   - करदाता ने 25 करोड़ से अधिक लागत की नयी सम्पत्ति किसी भी गत वर्ष में प्राप्त की है तथा 31 मार्च 2017 तक स्थापित कर दी है। स्वीकृत कटौतियॉ की राशि वास्तविक लागत का 15 प्रतिशत है यह केवल एक बार प्रदान की जाएगी। यह नई सम्पत्ति स्थापना की तिथि से 5 वर्षो के अंदर न तो बेच सकते है या हस्तान्तरित कर सकते है। अन्यथा कटौती की राशि करदाता की उस गत वर्ष की आय मानी जायगी जिस वर्ष विक्रय की गई हैं।

5. निर्दिष्ट राज्यों के अधिसूचित पिछडे क्षेत्रों में नयी प्लाण्ट एवं मशीनरी में विनियोग के संबंध में कटौती धारा 32 ए डी –यह कटौती नए प्लान्ट एवं मशीन की वास्तविक लागत का 15 प्रतिशत है जो उस गत वर्ष के लिए प्रदान किया जाएगा जिस वर्ष नया प्लाण्ट एवं मशीन स्थापित की गयी है। निम्न शर्तो के पूरे करने पर कटौती स्वीकृत है –

- करदाता कम्पनी या अन्य व्यक्ति है।
- करदाता ने नया उद्यम 01 अप्रैल 2015 को या उसके बाद किसी वस्तु के निर्माण या उत्पादन के लिए की है।
- ऐसा नया उद्यम आन्ध्रप्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया हैं
- ऐसे उद्यम में केवल नयी सम्पत्तियॉ लगाई गई है।

यदि नयी सम्पत्ति स्थापना की तिथि से 5 वर्षो के अंदर ना तो विक्रय या हस्तान्तरण किया जा सकता है अन्यथा कटौती की राशि कर योग्य लाभ में जोड़ा जाएगा। अतः 5 वर्षो में नयी सम्पत्ति केहस्तान्तरण या विक्रय पर निम्न आय उस गत वर्ष में कर योग्य होगी जिस गत वर्ष में नयी सम्पत्ति का विक्र्य याहस्तान्तरण हुआ है।

कुल आय = अब तक प्रदान कटौती + विक्रय पर पूॅजी लाभ

अब तक प्रदान कटौती व्यापार एवं पेशा शीर्षक में करयोग्य हे तथा विक्रय पर पूंजी लाभपूॅजी लाभ शीर्षक में कर योग्य है। परन्तु यदि नयी सम्पत्ति का विक्रय या हस्तान्तरण किसी एकीकरण अथवा

विलय के संदर्भ में 5 वर्षो के अंदर कर दिया जाता हे। तो ऐसे विक्रय या हस्तान्तरण की दशा में प्रदान की गई कटौती वापिस नहीं होगी परन्तु एकीकृत या विलयित कम्पनी उस नयी सम्पत्ति को उसकी स्थापना की तिथि से 5 वर्षो के अन्दर ना तो विक्रय करेगी और ना ही हस्तान्तरण ।

नोट–

धारा 32 ए डी की कटौती धारा 32 ए सी की कटौती के अतिरिक्त है। अतः यदि कर दाताइन दोनों धाराओं की शर्ते पूरी करता है तो उसे धारा 32 ए सी के अनुसार 15 प्रतिशत ह्रास एवं धारा 32 ए डी के अनुसार 15 प्रतिशत विनियोग कटौती मिल सकती है।

6. वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय (धारा 35 (1))

वैज्ञानिक अनुसंधान के अर्न्तगत प्राकृतिक विज्ञान अथवा व्यावहारिक विज्ञान जिसमें कृषि, पशुपालन एवं मछलीपालन शामिल है, के क्षेत्र में अनुसंधान करने से है। इसमें किया जाने वाला पूंजीगत या आयगत दोनो को वैज्ञानिक अनुसंधान कहाजाता है। कटौती के प्रावधान निम्न है –

❖ –करदाता द्वारा किया गया आयगत व्यय :–

यदि करदाता स्वयं वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य में संलग्न है तब सम्पूर्ण आयगत व्यय कटौती के रुप में स्वीकृत होगा। लेकिन यह अनुसंधान कार्य व्यापार से संबंधित होना चाहिए । कर्मचारियों का वेतन या अनुसंधान की सामग्री के क्रय पर व्यय, वह उस

गत वर्ष में स्वीकृत होगा, जिसमें व्यय किया गया हो किन्तु यदि ऐसे व्यय व्यापार प्रारम्भ करने की तिथि से पूर्व ठीक 3 वर्षो में तथा उक्त तिथि के बाद ही किए गए है तो 3 वर्षो के व्ययों का योग, उस सीमा तक जिस सीमा तक इन्हें प्रदिष्ट अधिकारी द्वारा प्रमाणित कर दिया जाता है। उस गत वर्ष में कटौती के रुप में स्वीकृत होगा, जिसमें व्यापार प्रारम्भ होगा ।

❖ <u>–अनुमोदित अनुसंधान संगठनों को भुगतान –</u>

जब करदाता स्वयं वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यो में संलग्न संस्थाओं को दान देता है, तो ऐसे दान की राशि का 15 प्रतिशत कटौती के रुप में स्वीकृत होगा, बशर्ते –

- दान अनुमोदित अनुसंधान संघ को दिया, जिसका उददेश्य वैज्ञानिक अनुसंधान करना है, चाहे वे अनुसंधान व्यापार से संबंधित है अथवा नहीं ।
- यदि दान अनुमोदित विश्वविद्यालय, कॉलेज या संस्था को वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यों के लिए दिया गया है, भले ही वह व्यापार से सेंबंधित है अथवा नहीं ।

❖ <u>– एक भारतीय कम्पनी को वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए भुगतान –</u>

यदि करदाता किसी भारतीय के कम्पनी को वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रयुक्त करने के लिए कोई धनराशि भुगतान की जाती है, तो एक भुगतानित धनराशि के बराबर राशि की 100 प्रतिशत कटौती प्रदान की जाती है। इसमें निम्न शर्ते पूरी करनी आवश्यक है –

- भारत में कम्पनी पंजीकृत हो ।
- कम्पनी का मुख्य उददेश्य वैज्ञानिक अनुसंधान एवं विकास है।
- कम्पनी को निर्धारित अधिकारी द्वारा अनुमोदित हो ।
- कम्पनी निर्धारित शर्तो को पूरा करता है ।

❖ <u>–विश्वविद्यालय कॉलेज या अन्य संस्था को भुगतान –</u>

यदि करदाता किसी विश्वविद्यालय, कॉलेज या अन्य संस्था को सामाजिक विज्ञान में सांख्यिकी अनुसंधान के भुगतान किया जाता है, तो 100 प्रतिशत कटौती मान्य होगा ।

❖ <u>– पूंजीगत व्यय</u>–

यदि करदाता द्वारा पूंजीगत व्यय किया जाता है तब समस्त पूजींगत व्यय गत वर्ष में मान्य होगा, जिस वर्ष व्यय किया गया हो । यदि व्यापार आरम्भ करने की तिथि से पूर्व तीन वर्षो के अन्दर किए गए है तब समस्त व्यय, व्यापार आरम्भ करने वाले वर्ष में मान्य होगा। यदि गत वर्ष के लाभ, पूंजीगत कार्यो को पूरा ना कर पाए, तब अशोधित पूंजीगत व्यय अगले वर्षो के व्यापार एवं पेशा के लाभों में से पूरा किया जा सकता है। पूजींगत सम्पत्ति पर कोई भी ह्रास मान्य नहीं होगा । भूमि यदि इस उददेश्य के लिए खरीदी गई तो यह मूल्य, व्यय के रुप में मान्य नहीं होगा ।

❖ <u>–राष्ट्रीय अनुसंधानशाला को भुगतान (धारा 35 (2 एए)–</u>

यदि करदाता किसी राष्ट्रीय अनुसंधानशाला या किसी तकनीकी संस्थान या किसी विश्वविद्यालय को भुगतान करता है तथा यह भी निर्देशित करें कि उसका प्रयोग अनुमोदित वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम में प्रयुक्त किया जाए । ऐसी स्थिति में 150 प्रतिशत राशि की कटौती स्वीकृत होगी। कर निर्धारण वर्ष 2021–22 से कटौती 100 प्रतिशत मान्य है ।

❖ – <u>अनुमोदित आन्तरिक – शोध एवं विकास सुविधाओं पर किए गए वैज्ञानिक अनुसंधान व्यय (धारा 35 (2 ए बी))</u>

यदि कोई कम्पनी जैव–तकनीकी व्यापार या औषधि फार्मास्युटिकल बिजली उपकरण, कम्प्यूटर, दूर संचार, उपकरण, रसायन, अथवा बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी अन्य वस्तु के निर्माण या उत्पादन में संलग्नहै, आन्तरिक शोध एवं विकास सुविधाओं (भूमि तथा भवन की लागत छोड़कर) पर किए गए व्यय की राशि का 150 प्रतिशत कटौती मान्य होगी। कर निर्धारण वर्ष 2021–22 से कटौती की राशि 100 प्रतिशत मान्य होगी।

7. <u>तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने पर व्यय(धारा 35 ए बी)</u>

यदि करदाता ने 01 अप्रैल 1998 या उसके बाद तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यय किया है, उसे पूंजीगत व्यय माना जाता है। उस पर धारा 32 के अनुसार अपलिखित मूल्य पर 25 प्रतिशत की दर से ह्रास स्वीकृत होगा । तकनीकी ज्ञान के अर्न्तगत किसी औद्यौगिक सूचना का ज्ञान निर्माण प्रक्रिया की जानकारी माल के प्रसंस्करण से संबंधित तकनीकी ज्ञान अथवा किसी खान तेल का कुँआ या खनिज पदार्थ आदि को खोजने का ज्ञान प्राप्त करना सम्मिलित है।

8. <u>पेटेन्ट राईट, कॉपीराईट प्राप्त करने के व्यय–</u>

धारा 35 ए के अनुसार किसी जानकारी , गुप्त सूत्र रुपरेखा या विशिष्ट विवरण के प्रयोग करने के अधिकार से है। इसके लिए किया गया व्यय पूंजीगत व्यय माना जाता है। ऐसी अदृश्य सम्पत्ति पर किया गया पूंजीगत व्यय पर अपलिखित मूल्य का 25 प्रतिषत की दर से ह्रास स्वीकृत है।

9. <u>दूरसंचार सेवाओं के लिए स्पैक्ट्रम के प्रयोग के अधिकार प्राप्त करने के लिए किए गए व्यय – (धारा 35 एबीए) –</u>

दूरभाष सेवाओं को संचालित करने का अधिकार का लाइसेस प्राप्त करने के लिए करदाता द्वारा वास्तव में भुगतान किए गए पूंजीगत व्यय के सम्बन्ध में कटौती निम्न प्रकार मिलेगी ।

- यदि फीस भुगतान दूरसंचार सेवाओं के प्रचालन के व्यवसाय को प्रारम्भ करने वाले वर्ष से लाइसेंस समाप्त होने वाले वर्ष तक समान किस्तों में स्वीकृत होगा ।
- यदि फीस का भुगतान दूर संचार सेवाओं के प्रचालन के व्यवसाय को प्रारम्भ करने के बाद किया जाता है तो कटौती उस वर्ष आरम्भ होगी, जिस वर्षभुगतान किया गया है, और उस वर्ष तक समान किश्तों में स्वीकृत होगी, जिस वर्ष में लाइसेस अवधि समाप्त होगी ।

उदाहरण के लिए, यदि ए लिमिटेड में यदि 01'04–2017 को 10 वर्ष के लिए 28 लाख रुपये दूरसंचार सेवाओं के लिए दिए जिसकी लाइसेस फीस 14 लाख 10–04–2017 तथा 14 लाख 10–04–2018 को दिए । अतः गत वर्ष 2018–19 में कटौती की गणना निम्न प्रकार की जाएगी–

1/10 का 14 लाख	= 1.400 लाख
1/9 का 14 लाख	= 1.555 लाख
	= 2.955 लाख

उपरोक्त नियम दूरसंचार सेवाओं के संचालन के लिए स्पैक्ट्रम का उपयोग का अधिकार पर भी लागू है।

10. <u>विनिर्दिष्ट व्यवसाय पर व्यय के संबंध में कटौती (धारा 35 एडी)</u>

यदि करदाता गत वर्ष में विनिर्दिष्ट व्यवसायों के संबंध में पूंजीगत व्यय किया है ते उसे इसकी पूंजी कटौती मिलेगी। लेकिन यह व्यय भू ख्याति, वित्रिय प्रलेख पर लागू नहीं है। ऐसा पूंजीगत व्यय जिसके संबंध में किसी व्यक्ति को किसी एक दिन में किसी बैंक पर आधारित किसी खाते में देय चैक या ड्राफट या इलेक्ट्रानिक माध्यम से भिन्न नकद रुप में 10,000 रुपये से अधिक भुगतान की कोई कटौती नहीं मिलेगी। (कर–निर्धारण वर्ष 2018–19 से)

यदि व्यय व्यवसाय आरम्भ करने से पूर्व किया गया है, तथा व्यवसाय आरम्भ की तिथि को करदाता की खाता पुस्तकों में ऐसे खर्चो को पूंजीगत किया गया है, तब कटौती उस गत वर्ष में मिलेगी, जिसमें उसने व्यवसाय प्रारम्भ किया है।

विनिर्दिष्ट व्यापार से तात्पर्य नए व्यवसाय की –

- शीत श्रंखला सुविधा की स्थापना एवं प्रचालन
- कृषि उत्पाद के भंडारणगृह की स्थापना एवं प्रचालन
- क्रास कन्ट्री प्राकृतिक गैस या पैट्रोलियम तेल, वितरण के लिए नेटवर्क पाइपलाइन बिछाना प्रचालन करना।
- कर निर्धारण वर्ष 2011–12 से भारत में दो सितारा या इससे उच्च वर्ग के नए होटल का निर्माण और प्रचालन । भारत में अस्पताल का निर्माण, एवं प्रचालन जिसमें कम से कम सौ बिस्तर हों ।

केन्द्रीय या राज्य सरकार की स्लम पुर्नविकास आवासीय परियोजना का विकास एवं निर्माण ।

- कर निर्धारण वर्ष 2012 –13 से केन्द्रीय या राज्य सरकार की अफोर्डएबल आवास योजना में आवासीय योजना का विकास और निर्माण भारत में उर्वरक उत्पादन संयत्र लगाना ।
- कर निर्धारण वर्ष 2013–14 से आन्तरिक कन्टेनर डिपो या कन्टेनर फ्रेट स्टेशन की स्थापना एवं प्रचालन । मधुमक्खी पालन, शहद, मधुमक्खी मोम का उत्पादन का व्यवसाय चीनी भंडारण गृह का निर्माण एवं प्रचालान ।
- कर निर्धारण वर्ष 2015–16 से लौट अयस्क परिवहन के लिए प्रचालन। बोर्ड द्वारा अधिसूचित नियमों .के अनुसार सेमी कंडक्टर वॉटर फैबिक्रेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना एवं प्रचालन
- कर निर्धारण वर्ष2018–19 से आधारभूत सुविधाओं के विकास, प्रचालन एवं अनुरक्षक । आधारभूत में सड़क, टोल सड़क, पुल, रेल तन्त्र राजमार्ग परियोजना, पानी प्रदाय, परियोजना जल उपचार प्रधाली सिंचाई परियोजना, स्वास्थ्य एवं सीवरेज व्यवस्था एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्ध प्रधाली पत्तन, हवाई अड्डा अर्न्तदेशीय जलमार्ग, अर्न्तदेशीय पतन आदि है।

कटौती की शर्ते उपरोक्त सभी के लिए निम्न हैं –

- व्यवसाय पूर्णतया नया हो, तथा पुराने व्यवसाय का पुर्नगठन से ना बना हो ।

- व्यवसाय में पुरानी मशीने कुल मशीनों की लागत का 20 प्रतिशत से अधिक ना हो ।
- व्यवसाय 01–04–2009 को या उसके पश्चात अपना कार्य आरम्भ करता हो ।
- इस धारा में कटौती मिलने पर अन्य धाराओं में कटौती नहीं मिलेगी ।
- इस व्यवसाय को धारा 10 एए एवं 80 आई ए से 80 आर आर बी के अर्न्तगत कटौती नहीं मिलेगी
- विनिर्दिष्ट व्यवसाय की हानि केवल, इसी व्यवसाय के लाभों से घटाया जाएगा।

11–<u>ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाने के लिए संघों एवं संस्थाओं को भुगतान (धारा 35 सीसीए)</u>

करदाता को सम्पूर्ण राशि पर कटौती मिलेगी, बशर्ते

- गत वर्ष में संस्थाओं को भुगतान किया जाए
- ऐसे संस्थान का उददेश्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को चलाना (अनुमोदित) तथा व्यकितयों को प्रशिक्षण देना
- केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित एक ग्रामीण विकास कोष को किया गया भुगतान
- केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय नगरीय गरीबी उन्मूलन कोष में भुगतान यदि किसी व्यय को इस धारा में कटौती मिलेगी तो उस व्यय को धारा 35 सी, धारा 35 सीसी, या 80 जी में कटौती नहीं मिलेगी ।

12. <u>कृषि विस्तार परियोजना पर व्यय (धारा 35 सी सी सी)</u>

कर दाता द्वारा अधिसूचित कृषि विस्तार परियोजनाओं में किए गए व्यय की राशि का 150 प्रतिशत कटौती मान्य होगी। यदि इस धारा में कटौती दी जाएगी तो अन्य धाराओं में कटौती स्वीकृत नहीं होगी। कर निर्धारण वर्ष 2021–22 से कटौती केवल 100 प्रतिशत मान्य होगी, वो भी वास्तविक व्यय पर ।

13. <u>निपुणता या दक्षता विकास परियोजना पर व्यय (धारा 35 सी सी डी)</u>

यदि कोई कम्पनी करदाता बोर्ड द्वारा अधिसूचित कौशल विकास परियोजना पर व्यय करता है (सिवाय भूमि या भवन की लागत) तो उस कम्पनी करदाता को ऐसे व्यय की राशि का 150 प्रतिशत के बराबर कटौती मान्य होगी। यदि इस व्यय की कटौती इस धारा में प्रदान कर दी गई है तो अन्य धाराओं में कटौती स्वीकृत नहीं होगी। कर निर्धारण वर्ष 2021–22 से यह कटौती की राशि का 150 प्रतिशत के स्थान पर 100 प्रतिशत प्रदान की जाएगी ।

14. <u>प्रारम्भिक व्ययो को अपलिखित करना (धारा 35 डी)</u>

प्रारम्भिक व्ययों से तात्पर्य किसी नए उपक्रम या व्यापार की स्थापना से पूर्व किए गए व्यय से है।एक भारतीय कम्पनी या किसी निवासी व्यक्ति द्वारा 01 अप्रैल 1998 से पूर्व किए गए प्रारम्भिक व्ययों को 10 बराबर किश्तों में कटौती के रुप में स्वीकार किया जाता है अर्थात 1/10 प्रत्येक वर्ष । परन्तु 01 अप्रैल 1998 या उसके बाद किए गए प्रारम्भिक व्ययों का 1/5 अर्थात 5 बराबर किश्तों में स्वीकार किया जाता है।

प्रारम्भिक व्ययों से तात्पर्य, सम्भावना रिपोर्ट तैयार करने के व्यय, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के व्यय, बाजार या अन्य सर्वेक्षण व्यय, प्रसविदे के कानूनी व्यय, पार्षद सीमा नियम एवं अन्तर नियम तैयार करने के व्यय, छपवाने पंजीकरण की स्टाम्प फीस व्यय, निर्गमन व्यय, अभिगोपन, कमीशन दलाली, प्रविवरण तैयार, छपवाना, स्टाम्प डयूटी आदि से है। प्रारम्भिक व्ययों का योग प्रोजेक्ट लागत के 2.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए । 31 मार्च 1998 के बाद किए गए प्रारम्भिक व्ययों का कुल योग 5 प्रतिशत अधिक नहीं होने चाहिए ।

15. <u>एकीकरण या विभक्तिकरण की दशा में व्ययों का बपलिखित करना (धारा 35 डी डी)</u>

एक भारतीय कम्पनी करदाता 31 मार्च 1999 के बाद पूर्णतया एवं मुख्यतः किसी उपक्रम के एकीकरण या विभक्तिकरण के उदेश्यों के लिए कोई व्यय 1/5 भाग के बराबर कटौती प्रदान की जायेगी। यह कटौती लगातार 5 वर्षो तक एकीरण तथा विभक्तिकरण वाले गत से आरंभ होगी। इस धारा में स्वीकृत कटौती होने पर अन्य धाराओं में कटौती मान्य नहीं होगी

16. <u>स्वैच्छिक अवकाश ग्रहण योजना के अन्र्तगत किए गए व्यय (धारा 35 डी डी ए)</u>

यदि कर दाता अपने कर्मचारी को स्वेच्छा से सेवानिवृति के सम्बन्ध में किसी गत वर्ष में कुछ राशि देता है तो ऐसा व्यय पॅाच समान वार्षिक किश्तों में कटौती के रुप में , व्यय वाले वर्ष से स्वीकृत होगा

17. <u>खनिज पदार्थो की खोज पर किए गए व्ययों का अपलिखित करना (धारा 35 ई)</u>

एक निवासी करदाता या एक भारतीय कम्पनी द्वारा किसी खनिज पदार्थ की खोज अथवा उसकी खान के विकास के लिए कोई भी व्यय का 1/10 भाग प्रतिवर्ष लगातार 10 वर्षो तक कटौती के रुप में मान्य होगा । यह कटौती उस गत वर्ष से आरम्भ होगी, जिस गत वर्ष व्यापारिक उत्पादन प्रारंभ होगा। खनिज पदार्थो में एल्युमिनियम, तॅाबा, लोहा, कोयला, चॅादी, टिन जस्ता मैगनीज आदि से है।

निम्न को इस धारा की कटौती की योग्य राशि में सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।

- खान अथवा खान से संबंधित कोई अधिकार प्राप्त करने में व्यय
- खनिज को प्राप्त करने या अधिकार प्राप्त करने में व्यय
- भवन, प्लान्ट मशीनरी, तथा फर्नीचर के संबंध में किए गए व्यय जिन पर ह्रास स्वीकार किया जाता है।
- ऐसे व्ययों के परिणामस्वरुप अस्तित्व में आने वाली किसी सम्पत्ति या अधिकार के संबंध में प्राप्त विक्रय राशि अथवा हर्जाना अथवा बीमा राशि अथवा अन्य कोई वचत की राशि ।

18. <u>बीमा प्रीमियम–(धारा 36 (1)(क))</u>

स्टौक, कच्चा माल निर्मित माल को क्षति या विनाश से बचाने के लिए भुगतान की गई बीमा प्रीमियम की राशि कटौती के रुप में स्वीकृत है।

19. <u>जानवरों के जीवन बीमा प्रीमियम– (धारा 36 (1) **(ia)**</u>

एक संघीय दुग्ध सहकारी समिति द्वारा पशुओं के जीवन बीमा पर किया गया प्रीमियम पूर्णतया कटौती योग्य है परन्तु निम्न शर्तो का पूरा होना आवश्यक है।

- पशुओं के स्वामी ऐसे व्यक्ति है तो किसी प्राथमिक दुग्ध सहकारी समिति के सदस्य है।
- यह सहकारी समिति उक्त संघीय दुग्ध सहकारी समिति के साथ सम्बद्ध है।
- अपने सदस्यों से एकत्र दूध को उक्त संघीय दुग्ध सहकारी समिति को देने के कार्यो में संलग्न है।

20. **कर्मचारियों के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम –(धारा 36 (1) (ib)**

किसी योजना के अर्न्तगत अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य बीमा के नकद के अलावा किसी भी अन्य माध्यम जैसे चैक, ड्राफट NEFT आदि द्वारा चुकाया गया प्रीमियम पूर्णत' कटौती योग्य है।

- जीवन बीमा निगम की किसी योजना के अर्न्तगत जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है अथवा
- किसी अन्य बीमा कर्ता की किसी अनुमोदित योजना के अर्न्तगत । बीमा नियंत्रक एवं विकास प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होना चाहिए ।

21. **कर्मचारियों को बोनस या कमीशन (धारा 36 (i) (ii)]**

किसी कर्मचारी को उसकी सेवाओं के बदले दी गई बोनस या कमीशन की राशि जो उस कर्मचारी को, यदि यह बोनस या कमीशन ना दिया गया होता तो लाभ या लाभांश की तरह नहीं दिया जा सकताथा। बोनस या कमीशन की राशि उचित होनी चाहिए जो –

- कर्मचारी के वेतन एवं नौकरी की शर्ते
- गत वर्ष में व्यापार या पेशा के सामान्य लाभ
- ऐसे व्यापार अथवा पेशेा के सामान्य चलन को देखते हुए उचित हों

22. **उधार ली गई पूंजी पर व्यय [धारा 36 (i) (iii)]**

यदि करदाता व्यापार अथवा पेशा के उददेश्य के लिए उधार लेता है और उसका ब्याज देता है, तो कटौती के रुप में स्वीकृत होगा । चाहे पूंजीगत और आयगत उददेश्य के लिए किया गया ऋण हो। ऋण दीर्धकालीन या अल्पकालीन हो सकता है। पूंजीगत सम्पत्ति के लिए, लिया गया ऋण की स्थिति में सम्पत्ति के प्रथम प्रयोग की तिथि तक की अवधि का ब्याज का पूंजीकरण किया जाएगा। स्टाम्प की लागत, पंजीकरण फीस, वकील की फीस, ऋण निर्गमन की कमीशन, दलाली एवं अन्य निर्गमन के व्यय स्वीकृत कटौतियॉ है।,

23. **जीरो कूपन बाण्डों पर छूट (धारा 36 (i) (iii a)]**

जीरो कूपन बाण्डों की छूट को आनुपातिक आधार पर कटौती के रुप में स्वीकार किया जायेगा। आनुपातिक छूट ऐसे बाण्डों के जीवनकाल के लिए प्रदान की जायेगी। आनुपातिक छूट का तात्पर्य है कि ऐसे बाण्डों पर प्राप्त डिस्काउन्ट अर्थात छूट को उस बाण्ड के सम्पूर्ण जीवनकाल में विभक्त करके कटौती दी जायेगी। यह

अवधि या तो पूर्ण वर्षो में महीनों में या दिनों में से किसी भी एक तरीके से विभक्त करेगें।

छूट अर्थात डिसकाउन्ट से तात्पर्य निर्गमन के समय प्राप्त राशि एवं इन बाण्डों के शोधन अथवा परिपक्वता पर निर्गमन कम्पनी द्वारा देय राशि के अंतर को छूट कहते है। जीरों कूपन बॉण्ड आधारभूत पूंजी कम्पनी अथवा आधारभूत पूंजी कोष अथवा सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी अथवा अनूसूचित बैंक द्वारा निर्गमित किए जा सकते है। बॉण्ड के जीवनकाल से तात्पर्य निर्गमन तिथि से शोधन या परिपक्वता तिथि से है।

जीरो कूपन बॉण्ड का आशय धारा 2(48) के अनुसार आधारभूत पूंजी कम्पनी अथवा आधारभूत पूंजी कोष अथवा सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी अथवा अनूसूचित बैंक द्वारा, 01 जून 2005 को अथवा उसके बाद निर्गमित किए गए है।

24– प्रमाणित प्रॉविडेन्ट फण्ड एवं अनुमोदित सुपरनुएशन फॉण्ड में नियोक्ता का अंशदान (धारा 36 (i) (iv)]

यदि करदाता नियोक्ता के रुप में अंशदान करता है तो उस सीमा तक कटौती मान्य होगी, जो सीमा इन फण्डों को अनुमोदन देते समय निर्धारित कर दी गई थी, प्रमाणित प्रोविडैनट फण्ड में दिया गया अंशदान कटौती योग्य है।

25. केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी पैशन योजना के अर्न्तगत नियोक्ता का अंशदान (धारा 36 (i) (iva)]

आयकर अधिनियम में नियोक्ता द्वारा किसी पैशन योजना में दिया गया अंशदान, कर्मचारी के वेतन के 10 प्रतिशत के बराबर तक कटौती योग्य होगा। वेतन से तात्पर्य मंहगाई भत्ता यदि वेतन शर्तो में है, तथा मूल वेतन के योग से है। परन्तु उसमें अन्य भत्ते या अनुलाभ सम्मिलित नहीं है। यह योजना अधिनियम की धारा 80 सीसीडी में संदर्भित है।

26. अनुमोदित ग्रेच्यूटी फण्ड में नियोक्ता का अंशदान (धारा 36 (i) (v)]

करदाता द्वारा नियोक्ता के रुप में ऐसे अनुमोदित ग्रेच्यूटी फण्ड में अंशदान जो उसने अपने कर्मचारियों के हित के लिए एक अखंण्ड (Irrevocable) ट्रस्ट के अर्न्तगत बनाया हे। फण्ड में नियोक्ता का अंशदान की कटौती कर्मचारी के वार्षिक वेतन के 8.33 प्रतिशत से अधिक नहीं है। नियोक्ता द्वारा जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के लिए समूह ग्रेच्युटी फण्ड में किया गया प्रत्यक्ष भुगतान भी कटौती योग्य है।

27. प्राविडेन्ट फण्ड अथवा कर्मचारियों के कल्याण के अन्य कोषों में कर्मचारी का अंशदान (धारा 36 (i) (va)]

यदि करदाता नियोक्ता के रुप में कर्मचारियों से कुछ कोषों के लिए अंशदान प्राप्त करता है तो यह अंशदान करदाता नियोक्ता की आय मानी जाती है, परन्तु यदि नियोक्ता इस अंशदान को देयतिथि तक जमा करा देता है तो सम्पूर्ण राशि कटौती के लिए मान्य होगी। देय तिथि में ग्रेस पीरियड भी शामिल है।

28. पशुओं के सम्बन्ध में हानि – (धारा 36 (i) (vi)]

व्यापार अथवा पेशे में प्रयुक्त पशु (जो स्टॉक में नहीं है) की मृत्यु होने पर इनकी लागत को हानि माना जाएगा। यदि मृत पशु की बिक्री से कोई राशि प्राप्त होती है तो कटौती की राशि प्राप्त राशि से कम हो जायेगी।

29. **डूबत ऋण (धारा 36 (i) (vii)]**

यदि कोई ऋण या उसका कोई भाग करदाता का डूब जाता है तो कटौती के रुप में मान्य है। यदि करदाता ''डूबत एवं संदिग्ध ऋण आयोजन'' किया है। तब डूबत ऋण की उतनी ही राशि कटौती के रुप में स्वीकृत होगी जितनी डूबत एवं संदिग्ध ऋण आयोजन से अधिक होगी। लेकिन यह ऋण करदाता के व्यापार और पेशे से संबंधित होना चाहिए तथा ऋण का अस्तित्व होना चाहिए। यदि डूबत ऋण के संबंध में प्राप्त अंतिम राशि उस अंतर से कम है, तो सम्पूर्ण ऋण एवं स्वीकृत डूबत ऋण की राशि में है तो यह कभी भी उस गत वर्ष के लिए डूबत ऋण की कटौती के रुप में स्वीकार की जायेगी। उदाहरण, यदि ऋण 80000 का है और 25000 डूबत ऋण के रुप में स्वीकार हो चुका है, और अब 47000 की रिकवरी हो गई तब 8000 ही ऋण डूबत माना जायेगा। और यदि भविष्य में प्राप्त हो जाए तो उस गत वर्ष की आय मानी जाएगी जिस गत वर्ष में प्राप्त हो जायेगा ।

यदि एक बैंक या सार्वजनिक वित्तीय संस्था या एक राज्य वित्तीय निगम अथवा राज्य औद्यौगिक विनियोग निगम द्वारा प्रदत्त अग्रिम का भाग है तो ऐसे डूबत ऋण को तब तक कोई कटौती प्रदान नहीं की जायेगी जब तक ऐसे ऋण की राशि को करदाता ने उस गत वर्ष में डूबत ऋण आयोजन खाते के नाम पक्ष में ना ड़ाल दिया हो। यदि कोई व्यापार गत वर्ष के प्रारम्भ में बन्द हो गया है तो उस व्यापार के डूबत ऋण को कोई कटौती प्रदान नहीं की जायेगी। ऐसे डूबत ऋण को किसी अन्य विद्यमान व्यापार के लाभों में से कटौती प्रदान नहीं की जायेगी।

यदि कोई फर्म समाप्त या बन्द हो जाए तो फर्म के देय ऋण साझेदारों में पूंजी की भॉति वितरित कर दिए जाते है,और यदि ये ऋण वसूल नहीं हो पाते है, तो साझेदारों के लिए पूंजीगत हानि होती है, किन्तु यदि फर्म के समापन के बाद एक साझेदार उस व्यापार को चालू रखता है तो वह फर्म के डूबत ऋण की राशि के लाभों में से घटा सकता हे। डूबत ऋण की राशि को उत्तराधिकारी कटौती के रुप में तभी मॉग कर सकता है जबकि व्यापार में निरन्तरता रही हो ।

30. **बैंकों के डूबत ऋण आयोजन की कटौती (धारा 36 (i) (vii a)]**

एक सूचीकृत बैंक (विदेशी बैंक अथवा एक सहकारी बैंक को छोड़कर) द्वारा निर्मित डूबत एवं संदिग्ध ऋण प्रावधान के संबंध में निम्न सीमा तक कटौती दी जायेगी । बैंक की कुल आय (इस कटौती एवं धारा 80 की कटौतियॉ घटाने से पूर्व) का 7.5 प्रतिशत + बैंक की ग्रामीण शाखाओं द्वारा दिये गये औसत ऋणों का 10 प्रतिशत भारत के बाहर पंजीकृत बैंकों की दशा में बैंक की कुल आय का 5 प्रतिशत एक सार्वजनिक वित्तीय संस्था राज्य वित्तीय निगम अथवा राजकीय औद्यौगिक विनियोग निगम की दशा में कुल आय का पॉच प्रतिशत एक गैर वित्तीय कम्पनी की दशा में कुल आय का पॉच प्रतिशत तक की राशि ।

31. <u>वित निगम के विशेष संचय में हस्तान्तरण के लिए कटौती (धारा 36 **(i) (viii)]**</u>

एक विशेष अस्तित्व करदाता द्वारा बनाये गये एवं रखे गए विशेष संचय के संबंध में इनकी वांछनीय व्यापार से उत्पन्न व्यापार और पेशा के लाभों के 20 प्रतिशत तक कटौती स्वीकार की जायेगी। करयोग्य लाभ से तात्पर्य व्यापार एवं पेशा शीर्षक के लाभ । विशिष्ट अस्तित्व करदाता से तात्पर्य कम्पनी अधिनियम के अनुसार एक वित्तीय निगम, बैंकिग कम्पनी, सहकारी बैंक आवासीय वित्तीय कम्पनी से है। वाघनीय व्यापार से तात्पर्य अस्तित्व करदाता के लिए कृषि या औद्यौगिक विकास के लिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने का व्यापार, आधारभूत सुविधाओं के लिए दीर्धकालीन ऋण प्रदान करने का व्यापार, आवासीय मकानों के निर्माण अथवा क्रय के लिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने के व्यापार से है। दीर्धकालीन ऋण से तात्पर्य 5 वर्ष या इससे अधिक अवधि के ऋण से है, अर्थात यदि कोई ऋण 5 वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए प्रदान किया गया है।

यदि विशिष्ट अस्तित्व करदाता द्वारा बनाया गया विशेष संचय इसकी दत्त पूंजी एवं सामान्य संचय की 200 प्रतिशत से अधिक हो जाए तो ऐसी अधिक राशि के विशेष संचय के संबंध में कोई भी कटौती प्रदान नहीं की जायेगी ।

32. <u>परिवार नियोजन पर व्यय (धारा 36 **(i) (ix)]**</u>

कम्पनी द्वारा अपने कमचारियों को परिवार नियोजन के प्रोत्साहन पर किया गया व्यय वास्तविक कटौती के लिए मान्य है। यदि कोई पूंजीगत व्यय किया गया तो 1/5 भाग समान रुप से पॉच वर्षो में कटौती के लिए मान्य हैं।

33. <u>किसी निगम अथवा समायोजित संस्था द्वारा किए गए आयगत व्यय (धारा 36 **(xii)]**</u>

सरकारी गजट में अधिसूचित द्वारा आयगत व्यय जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किए जाते हैं कटौती के लिए मान्य है।

34. <u>बैंकिग नकद व्यापार कर (धारा 36 **(i) (xiii)]**</u>

यदि करदाता द्वारा बैंकिग नकद व्यवहार कर का भुगतान किया गया हो तो यह राशि कटौती के लिए स्वीकृत है।

35. <u>क्रेडिट गारण्टी फण्ड ट्रस्ट में अंशदान (36 **(i) (xiv)]**</u>

किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्था द्वारा लघु उद्यौगों के लिए स्थापित किसी ऐसे क्रेडिट गारन्टी फण्ड ट्रस्ट में अंशदान कटौती योग्य है।

36. <u>प्रतिभूति व्यवहार कर (धारा 36 **(i) (xv)]**</u>

गत वर्ष में व्यापार के दौरान किए गए कर–योग्य प्रतिभूतियों व्यवहार कर का भुगतान करने की कटौती मिलेगी ।

37. <u>वस्तु व्यवहार कर (धारा 36 **(i) (xvi)]**</u>

करदाता द्वारा वस्तु व्यवहार कर की भुगतान की गई राशि कटौती योग्य है।

38. <u>गन्ना क्रय करने हेतु सहकारी समिति द्वारा किए गए व्यय (धारा 36 **(i) (xvii)]**</u>

एक सहकारी समिति जो चीनी के उत्पादन व्यापार में संलग्न है, द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर गन्ना क्रय करने के लिए किया गया व्यय, कटौती के लिए अनुमन्य हैं ।

39. <u>अधिसूचित व्यय जो व्यापारिक हानि या अन्य अनुमानित हानि का कारण (धारा 36 **(i) (xviii)]**</u>

यदि ऐसा व्यय 145 (2) में अधिसूचित ''आय की गणना तथा प्रकृटीकरण मानक'' के अनुसार गर्णित किए गए हैं तथा यह व्यय व्यापारिक हानि या किसी अन्य अनुमानित हानि का कारण हो सकते है तो ऐसे व्यय कटौती के रुप में स्वीकृत होगें।

7.5.2 स्वीकृत भत्तों के सम्बन्ध में कटौतियॉ :–

1. <u>चाय,रबर या काफी विकास खाता (धारा 33 ए बी)</u>

ऐसे करदाता जो भारत में चाय, रबर या काफी का उत्पादन एवं निर्माण कर रहे हैं, तो अनुमादित योजना के अर्न्तगत : ''कृषि एवं ग्राम्य विकास राष्ट्रीय बैंक' NABARD के विशेष खाते में या केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से चाय बोर्ड, रबर बोर्ड या कॉफी बोर्ड द्वारा बनाई गई किसी योजना में जमा खाते में जमा राशि पर एवं यह धनराशि गत वर्ष की समाप्ति के बाद 6 माह के अंदर अथवा आय का विवरण दाखिल करने की देय तिथि से पूर्व (दोनों में जो पूर्व में पडे) में जमा करने पर करदाता को निम्न कटौती मिलेगी ।

कटौती की राशि होगी –

1. जमा की गई राशि अथवा
2. ऐसे व्यापार के लाभों का 40 प्रतिशत

दोनों में जो भी कम हो । इस धारा में कटौती तभी मिलेगी जब खातों का अंकेक्षण किया जाए।

इस धारा के अर्न्तगत विशेष खाते में अथवा जमा खाते में जमा राशि, केवल जमा योजनाओं में निर्दिष्ट उददेश्यों के लिए अथवा निम्न परिथितियों में आहरित की जा सकती है।

- व्यापार बन्द होने पर
- करदाता की मृत्यु पर
- हिन्दू अविभाजित परिवार के विभाजन पर
- फर्म के विघटन पर
- कम्पनी के समापन पर

यदि उक्त जमा राशि निकालने की अनुमति दी जाती है तो इसका प्रयोग निर्दिष्ट उददेश्यों के लिए करना आवश्यक है। यदि राशि का प्रयोग नहीं किया जाता तो वह करयोग्य हो जायेगी ।

यदि गत वर्ष में राष्ट्रीय बैंक द्वारा जमा राशि को जारी करने पर करदाता निम्न क्रम से सम्पत्तियों में विनियोजित करेगा –

- कार्यालय, भवन रहने का भवन, अतिथि भवन में कोई मशीन या यंत्र लगवाने के लिए
- कम्प्यूटर को छोड़कर कोई कार्यालय उपकरण खरीदने के लिए
- ऐसी मशीन या संयंत्र खरीदने के लिए जिसकी पूरा धनराशि क्रय वाले वर्ष में ही ह्रास की कटौती के रुप में स्वीकृत हो जाती हे।
- ग्यारहवीं अनुसूची में दी गई किसी वस्तु के निर्माण या उत्पादन के लिए नई मशीन या संयंत्र क्रय करने के लिए

नोट – इस योजना में प्राप्त सम्पत्ति को प्राप्त करने वाले गत वर्ष के बाद 8 वर्ष के अंदर किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय या हस्तान्तरित कर दिया जाए तो लागत का वह भाग जिसके संबंध में इस धारा की कटौती मिल चुकी है, विक्रय या हस्तान्तरण वाले गत वर्ष की करदाता की कर योग्य आय मान लिया जाएगा किन्तु निम्न बिक्रय या हस्तान्तरण को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा ।

- ऐसा विक्रय या हस्तातरण जो सरकार स्थानीय निकाय, वैधानिक निगम अथवा सरकारी कम्पनी को किया जाए ।
- एक फर्म द्वारा उस कम्पनी को किया जाए जिसने उस फर्म की सभी सम्पत्तियों एवं दायित्वों का क्रय कर लिया हो ।

2. <u>स्थल पुर्नस्थापन कोष (धारा 33 ए बी ए)</u>

- यह कटौती ऐसे करदाता को प्रदान की जाती है जो भारत में केन्द्रीय सरकार के साथ हुए प्रसंविदे के अर्न्तगत पैट्रोलियम अथवा प्राकृतिक गैस अथवा दोनों को निकालने, विकास या उत्पादन के व्यापार को संचालित कर रहा हो ।
- कर दाता गत वर्ष समाप्त होने से पूर्व निम्न में जमा करें स्टेट बैक ऑफ इण्डिया के विशेष खाते में राशि या स्थल पुर्नस्थापना खाता में जमा करने पर ।
- करदाता को चालू वर्ष के व्यापारिक लाभों में से निम्न की न्यूनतम राशि के बराबर की कटौती मिलेगी । उक्त खाते में जमा राशि अथवा उन लाभों का 20 प्रतिशत ।
- कर दाता द्वारा खातों का अंकेषण एक चाटर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा कराना होगा।
- जमा धनराशि का प्रयोग किसी कार्यालय भवन या रिहायशी भवन (अतिथि गृह सहित) में स्थापित करने के लिए मशीन या प्लाण्ट का क्रय या ऐसी मशीनरी प्लाण्ट जिसकी सम्पूर्ण लागत 100 प्रतिशत ह्रास वाली या ग्यारहवीं अनुसूची में निर्दिष्ट वस्तु के उत्पादन निर्माण के लिए मशीनरी खरीदने के लिए प्रयोग किया जाए ।
- यदि विशेष खाते अथवा स्थल पुनस्थापना खाते से आहरित अथवा मुक्त की गई राशि को योजना में निर्दिष्ट विशेष व्यापारिक उददेश्यों के लिए प्रयुक्त नहीं किया गया तो ऐसी अप्रयुक्त राशि करदाता कीउस गत वर्ष की कर योग्य आय मानी जायगी, जिस गत वर्ष में यह राशि आहरित या मुक्त की गई है।

- यदि उक्त योजना के प्रावधानों के अनुसार प्राप्त कोई सम्पत्ति करदाता द्वारा प्राप्ति के आठ वर्षो के अंदर हस्तान्तरित या विक्रय कर दे तो सम्पत्ति की लागत का वह भाग जिसको कटौती प्रदान की जा चुकी है उस गत वर्ष का कर योग्य लाभ माना जायेगा, जिस गत वर्ष में सम्पत्ति बेची या हस्तान्तरित की गई ।

3. <u>खनिज तेलों के विकास हेतु व्यय (धारा 42)</u>

खनिज तेलों (पेट्रोल या गैस) निकालने, विकास, उत्पादन के कार्य में संलग्न व्यापार के लाभों की गणना करने में निम्न व्ययों की कटौती स्वीकृत होगी ।

- करदाता द्वारा किसी क्षेत्र की खोज पर किया गया निष्फल व्यय ।
- करदाता द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने से पूर्व या बाद में किया गया कोई कार्य पर व्यय जो उसने जमीन में बरपा करने या तेल खोजने या इस संदर्भ में प्रयुक्त सम्पत्तियों को खरीदने पर किया हो ।

यह कटौती तभी मिलेगी जब केन्द्रीय सरकार किसी व्यक्ति से साझेदार बन गयी हो ।

7.5.3 सामान्य कटौतियॉ–

धारा 37 (1) के अनुसार, ऐसा व्यय जो धारा 30 से 36 में नहीं आता। इस धारा में कटौती योग्य हैं, इसके साथ ही निम्न शर्तो को पूरा करना होगा ।

- व्यय धारा 30 से 36 तक कटौती मान्य ना हो ।
- पूंजीगत व्यय ना हो
- व्यक्तिगत व्यय ना हो
- व्यय पूर्णतया करदाता के व्यापार या पेशा के लिएगत वर्ष में किया गया हो ।
- किसी भी अधिनियम में प्रतिबन्धित ना हो ।

अतः मनोरंजन व्यय, विज्ञापन व्यय, यात्रा व्ययों अवकाश गृह या अतिथि गृहों के संबंध में किए गए व्ययों को धारा 37 (1) एवं 37 (2 बी) के अर्न्तगत कटौती मिलेगी। अतः करदाता द्वारा किये गये कुछ भुगतान जैसे – संरक्षण राशि, छीनना, जबरदस्ती से लेना, हफता, रिश्वत आदि व्यापारिक व्यय के रुप में कटौती योग्य नहीं है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अर्न्तगत कम्पनियॉ जिनका किसी वित्तीय वर्ष में शुद्ध धन 500 करोड़ या अधिक है अथवा शुद्ध लाभ 5 करोड़ या अधिक है, अपनी आय का एक निश्चित प्रतिशत राशि निगमीय सामाजिक दायित्व से सम्बन्धित कार्यो पर व्यय करनी होगी। कर–निधारण वर्ष 2015–16 से निगमीय सामाजिक दायित्व के संबंध में व्यय की गयी राशि को धारा 37 (1) के अर्न्तगत कटौती प्रदान नहीं की जाएगी ।

<u>सामान्य कटौतियों के उदाहरण</u>

1. माल के क्रय या निर्माण के व्यय ।
2. वस्तु के विक्रय एवं वितरण के व्यय ।
3. कर्मचारियों को दी गयी पैंशन, ग्रेच्युटी या अन्य भुगतान ।
4. श्रम कल्याण के लिए किए गए व्यय ।

5. कर्मचारी के खाने पीने पर किया गया व्यय (प्रति कर्मचारी प्रतिदिन 50 रुपये अधिकतम)
6. विज्ञापन व्यय
7. कर्मचारी द्वारा किया गया गबन की क्षति ।
8. ऋणी से ऋण के प्रतिफल में प्राप्त सम्पत्ति के विक्रय पर हानि।
9. माल के दोष के कारण ग्राहक को होने वाली क्षति की क्षतिपूर्ति करना ।
10. चोरी या डकैती में रोकड़ की क्षति (बैंकिंग कम्पनी को)
11. व्यापार के कार्यशील घन्टों में चोरी अथवा उठाईगिरी के कारण फैक्टरी या दुकान में होने वाली क्षति ।
12. दिन के लेन देन में रोकड़ की कमी।
13. विक्रय एजेन्सी के समापन पर देय हर्जाना।
14. बिक्री कर /जी.एस.टी. में अपील व्यय ।
15. व्यापारिक अनुबन्ध के भंग करने पर देय क्षति–पूर्ति।
16. दुशमन की बमवारी के कारण स्टॉक की क्षति ।
17. अनिवार्य चन्दे जो व्यापार में आवश्यक है।
18. सम्पत्ति के अदत्त क्रय मूल्य पर देय ब्याज।
19. स्वयं का टेलीफोन योजना में किया गया प्रारम्भिक भुगतान ।
20. छंटनी वाले कर्मचारी को नोटिस के बदले दी गयी राशि।
21. प्रतियोगी व्यापारी को कम मूल्य की निविदा ना देने के लिए दिया गया भुगतान ।
22. व्यापार हित में किसी कर्मचारी को दिया गया हर्जाना।
23. मुहुर्त, दीपावली, दशहरा पर उपहार, भेंट का उचित व्यय ।
24. व्यवसाय कर का भुगतान
25. कर्मचारी का दुर्घटना बीमा पर देय प्रीमियम।
26. करदाता द्वारामाल की सुपुर्दगी स्वीकार ना करने पर हानि।
27. व्यापार चिन्ह को पंजीकृत कराने के व्यय ।
28. चिट्ठे की तिथि को विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के कारण होने वाली प्रावधान ।
29. नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को स्वैच्छिक अवकाश ग्रहण योजना के अर्न्तगत किया गया भुगतान ।
30. मशीनरी क्रय पर किए स्थगित भुगतान पर ब्याज ।
31. ए एस–7 के अर्न्तगत प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली हानि के लिए किया गया प्रावधान ।
32. फैक्टरी में बिजली आपूर्ति के लिए राज्य बिजली बोर्ड को ट्रासफॉर्मर तथा बिजली लाईन बिछाने का व्यय ।
33. यू.पी.एस. या प्रिण्टर का अपग्रेड या बदलने का व्यय ।
34. क्लब की सदस्यता प्राप्त करने के लिए शुल्क ।
35. करदाता द्वारा अपने व्यापार के हित में किया गया व्यय ।

7.6 अस्वीकृत व्यय, क्षतियॉ या हानियॉ

निम्न हानियॉ एवं क्षतियों को व्यापार या पेशा के लाभों की गणना करते समय नहीं घटाया जाएगा ।

1. पूंजीगत सम्पत्ति के विनाश के कारण होने वाली क्षति यापूंजीगत व्यय।
2. ऐसा व्यय जो व्यापार से संबंधित नहीं है।
3. विनियोग के रुप में अंशों एवं अन्य प्रतिभूतियों की बिक्री पर होने वानी हानि।
4. अधिनियम भंग करने पर चुकाई गई क्षतिपूर्ति हर्जाना ।
5. किसी कर्मचारी को आपराधिक गतिविधि से बचाने के व्यय ।
6. राजनैतिक पार्टी के विज्ञापन पर व्यय ।
7. भारत के बाहर किसी भी व्यक्ति को कोई ब्याज, रॉयल्टी, तकनीकी सेवाओं के प्रतिफल में फीस, जिस पर आयकर का टी.डी.एस. ना किया हो ।
8. किसी भी साझेदारी फर्म के लिए यदि फर्म द्वारा किए गए भुगतान को उसकी कर योग्य आय की गणना करते समय कटौती के रुप में स्वीकृत नहीं किया जाएगा। किसी ऐसे साझेदार को, जो कार्यशील साझेदार नहीं है, दिया गया वेतन, बोनस, कमीशन या अन्य प्रारिश्रमिक । किसी कार्यशील साझेदार को दिया गया पारिश्रमिक जो साझेदारी संलेख द्वारा अधिकृत नहीं है । साझेदार को दिया गया ब्याज जो साझेदारी संलेख द्वारा अधिकृत ब्याज का वह भुगतान जो 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज की दर से अधिक है। कार्यशील साझेदार को संलेख द्वारा अधिकृत राशि से अधिक पारिश्रमिक (निर्धारित सीमा से)

निर्धारित सीमा निम्नलिखित है –

<u>लाभो की सीमा</u>	<u>अधिकतम कटौती राशि</u>
• पुस्तकीय लाभों के प्रथम रु. 3,00,000 का पर अथवा हानि की दशा में	**रु. 1,50,000 अथवा पुस्तकीय लाभों 90 प्रतिशत (दोनों में जो ज्यादा है)**
• शेष पुस्तकीय लाभों पर प्रत्येक कार्यशील साझेदार	**ऐसे लाभों का 60 प्रतिशत**

साझेदारों के पारिश्रमिक के संबंध में कटौती तभी मान्य है, जब संलेख में पारिश्रमिक की राशि का स्पष्ट उल्लेख (प्रत्येक कार्यशील साझेदार) तथा गणना की विधि स्पष्ट हो ।

<u>नोट</u>– कार्यशील साझेदार से तात्पर्य उस साझेदार से है जो फर्म के व्यवसाय अथवा पेशे के संचालन में मुख्य रुप से संलग्न है।

- पुस्तकीय लाभों से तात्पर्य लाभ – हानि खाते द्वारा प्रदर्शित ऐसे शुद्ध लाभों से है, जो सझेदारों को देय पारिश्रमिक का ब्याज घटाने के बाद गर्णित किए गए है।
- यदि कोई व्यक्ति फर्म में प्रतिनिधि साझेदार हैं और उसे व्यक्तिगत रुप में (प्रतिनिधि साझेदार की हैसियत से नहीं) फर्म से ब्याज प्राप्त होती है, तो ऐसी ब्याज फर्म के लिए स्वीकृत कटौती होगी

- यदि प्रतिनिधि साझेदार को साझेदार के रुप में फर्म द्वारा कोई भुगतान दिया जाता है, तो ऐसे ब्याज को धारा 40 (बी) के अर्न्तगत कटौती मान्य है।

9. किसी भी व्यक्तियों के संघ या व्यक्तियों के समुदाय द्वारा (कम्पनी या सहकारी समिति को छोड.कर) अपने सदस्य को दिया गया कोई ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या अन्य किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक अस्वीकृत है एक सदस्य द्वारा व्यक्तियों के समुदाय या संघ को प्रदत्त ऋण पर ब्याज अस्वीकृत है परन्तु व्यक्यिों के समुदाय द्वारा किसी अन्य संस्था से ब्याज स्वीकृत है। इसमें निम्न अति महत्वपूर्ण है –

- यदि व्यक्तियों का समुदाय अपने किसी सदस्य को ब्याज देता है तथा वह सदस्य भी व्यक्तियों के समुदाय को ब्याज देता है तो ब्याज की अस्वीकृत राशि समुदाय द्वारा दिये गये ब्याज का सदस्य से प्राप्त ब्याज पर आधिक्य के बराबर होगी ।
- यदि कोई व्यक्ति का समुदाय में किसी अन्य व्यक्ति के प्रतिनिधि के रुप में सदस्य है तथा उसने व्यक्तिगत हैसियत से संघ को ऋण दिया है तो इस ऋण पर संघ द्वारा देय ब्याज स्वीकृत कटौती होगी।
- यदि कोई व्यक्ति संघ में किसी अन्य व्यक्ति या संस्था के प्रतिनिधि के रुप में सदस्य है तथा अपने प्रतिनिधि सदस्य के रुप में फर्म से ब्याज प्राप्त किया है तथा प्रतिनिधि सदस्य के रुप में संघ को ब्याज दिया है, तो ब्याज की अस्वीकृत राशि संघ या समुदाय द्वारा दिए गए ब्याज का प्रतिनिधि सदस्य से प्राप्त ब्याज पर आधिक्य के बराबर होगी ।

10. <u>रिश्तेदारों को अधिक भुगतान (धारा 40 ए (2) :</u>

यदि कोई कर दाता द्वारा कोई व्यय करे जिसका भुगतान उसके किसी रिश्तेदार या सहयोगी संस्था को किया गया है, एवं कर निर्धारण अधिकारी की निगाह में यह भुगतान अधिक या अनुचित है तब यह अधिक राशि कटौती के लिए स्वीकृत नहीं होगी । रिश्तेदार से तात्पर्य करदाता के पति, पत्नी, भाई, बहिन, माता, पिता, दादा, दादी पुत्र या पुत्री पौत्री से है। सहयोगी संस्था से तात्पर्य ऐसी संस्था से है जिसका करदाता के व्यापार में साखान हित है अथवा जिसमें करदाता के रिश्तेदार का साखान हित है।

11. <u>व्यय का नकद भुगतान (धारा 40 ए (3))</u>

यदि कर दाता द्वारा रु. 10,000 से अधिक धनराशि का भुगतान (एक दिन में) करा जाए और पाने वाले यह राशि नकद दी जाए तो यह अस्वीकृत व्यय है। रोकड़ से तात्पर्य नकद या धारक को देय या सेल्फ या बिना एकाउन्ट पेयी के चैक से है । अन्य शब्दों में यह भुगतान क्रॉस एकाउन्ट देय चैक, इलैक्ट्रानिक माध्यम से देय अनिवार्य है। लेकिन यदि भुगतान मालवाहक को चलाने किराये या पटटा पर लेने के लिए दी जाए तब यह राशि रु. 10,000 के स्थान पर रु. 35,000 होगी। नियम 6 डी. डी नियम 6 डी.डी. के अर्न्तगत ऐसी परिस्थितियॉ दी गई है जिनमें रु. 10,000 से अधिक नकद व्यय भुगतान स्वीकृत कटौती है।

12. <u>ग्रेंच्युटी के लिए आयोजन (धारा 40 ए (7))</u>

यदि कोई करदाता अपने कर्मचारियों के रिटायरमैन्ट या सेवा समाप्ति के लिए देय ग्रेच्युटी का आयोजन करता है तो ऐसा आयोजन कटौती योग्य नहीं है। परन्तु अनुमोदित ग्रेच्युटी फण्ड में अंशदान करने पर कटौती योग्य है।

13. कर्मचारी हित के लिए कोषों में अंशदान (धारा 40 ए (9))

करदाता द्वारा कर्मचारियों के हित के लिए बनाए गए गैर अनुमोदित फण्डों में अंशदान कटौती के लिए स्वीकृत नहीं है। परन्तु मान्यता प्राप्त कोषों में निर्धारित तिथि तक जमा करने पर मान्य कटौती है।

14. निम्नलिखित अन्य व्यय अस्वीकृत है –

- मालिक अथवा साझेदार के आहरण
- अधिनियम में अस्वीकृत आयोजन एवं संचय
- दान अथवा भेंट के रुप में रकम
- लाभ हानि खाते में पुरानी हानियॉ
- ऐसा व्यय जो व्यापार से संबंधित ना हो ।
- प्रतिस्पर्धा रोकने के लिए किया गया व्यय
- करदाता द्वारा सोल सैलिंग एजेन्ट को भुगतान
- अंशों के रजिस्ट्रेशन के संबंध में मुकदमे के व्यय
- ठेके की पूर्ति में देर करने के कारण सरकार को दिया गया हर्जाना यदि उचित नहीं है।
- रजिस्टर्ड कार्यालय के स्थान परिवर्तन पर व्यय
- किसी राजनैतिक पार्टी का चन्दा देना

7.7 वास्तविक भुगतान पर स्वीकृत कटौतियॉ (धारा 43 बी)

1. करदाता द्वारा कर्मचारी को देय बोनस, कमीशन,
2. करदाता द्वारा देय कोई कर, डयूटी या सेस
3. किसी अनुसूचित बैंक या सार्वजनिक वित्तीय संस्था अथवा राज्य वित्तीय निगम अथवा राज्य औद्योगिक विनियोग निगम के लिए गए ऋण पर देय ब्याज
4. कर्मचारी के खाते में जमा किसी छुटटी के बदले में देय राशि
5. करदाता द्वारा भारतीय रेलवे को रेल सम्पत्तियों के प्रयोग के लिए देय राशि।
6. कर्मचारी के खाते में जमा किसी छुटटी के बदले में देय राशि
7. नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों के प्राविडैन्ट फण्ड, ग्रेच्युटी फण्ड या कल्याण कोष अनुमोदित में देय निर्धारित तिथि तक जमा राशि

7.8 माने गए लाभ

निम्नलिखित प्राप्तियॉ व्यापार एवं पेशा शीर्षक में कर–योग्य है।

1. यदि किसी व्यक्ति को किसी गत वर्ष में कुछ हानि, व्यय की कटौती मिल चुकी है और बाद में वह राशि या इनका आंशिक भाग नकद या अन्य तरीके से प्राप्त हो जाता है तो व्यापार और पेशा शीर्षक में करयोग्य है।

2. उपरोक्त एक में यदि उत्तराधिकारी को प्राप्त हो जाए तो उत्तराधिकारी के लिए करयोग्य होगी।
3. धारा 41 (2) के अनुसार, '' यदि करदाता के स्वामित्व वाली कोई व्यापारिक सम्पत्ति अर्थात कोई भवन, मशीनरी, प्लान्ट या फर्नीचर जिस पर धारा 32 (1)(i) के अर्न्तगत ह्रास लगाया जाता है । उस सम्पत्ति को बेच नष्ट या बाहर कर देने पर, उसका देय राशि एवं अवशेष मूल्य उस सम्पत्ति के अपलिखित मूल्य से अधिक है, तो आधिक्य का वह भाग जो अब तक उस सम्पत्ति पर स्वीकृत हुए ह्रास के बराबर है, उस गत वर्ष की व्यापार तथा पेशे की आय माना जाएगा ।
4. यदि कोई सम्पत्ति जो वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यो में प्रयुक्त होती थी, तथा उसे बेच देने पर विक्रय से प्राप्त राशि + इसके संबंध में स्वीकृत कटौतियों का योग, यदि सम्पत्ति की लागत से अधिक है तो ऐसा आधिक्य अथवा अब तक स्वीकृत कटौतियॉ दोनों में जो कम हो उस गत वर्ष की व्यापारिक आय मानी जाएगी ।

करयोग्य व्यापारिक आय – सम्पत्ति का विक्रय मूल्य + स्वीकृत कटौतियॉ (अब तक) —— सम्पत्ति की लागत अथवा सम्पत्ति पर अब तक स्वीकृत की गयी कटौतियॉ (दोनों में जो कम हो)

5. <u>डूबत ऋण की बसूली (धारा 41 (4) –</u>

यदि पूर्व के वर्षो में कटौती के रुप में स्वीकृत डूबत ऋण, बाद के वर्षो में वसूल हो जाए, तो वसूल
की गई राशि उस वर्ष की आय मानी जाएगी जिस वर्ष राशि वसूल की गई है।

6. <u>विशेष संचय से आहरण (धारा 41 (4ए)–</u>

के अनुसार, जब धारा 36 (1)(VIII) के अर्न्तगत किसी संचय की कटौती पूर्व में आयकर में प्रदान की जा चुकी है। (जो किसी वित्तीय निगम द्वारा बनाया एवं रखा गया है और बाद में ऐसे विशेष संचय में से राशि आहरित की जाए तब आहरित राशि, आहरण वाले वर्ष में व्यापार एवं पेशा शीर्षक में करयोग्य होगी। चाहे यह व्यापार बन्द कर दिया गया हो, तब भी कर योग्य होगा ।

7. <u>व्यापार अथवा पेशा की समाप्ति के बाद बसूली (धारा 176 (3 ए)</u>

यदि कोई व्यापार अथवा पेशा किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण के कारण अथवा मृत्यु के कारण समाप्त हो जाए और बाद में किसी साझेदार को किसी कटौती की राशि की वसूली हो जाए तो वसूल हुई राशि उस साझेदार के लिए करयोग्य होगी जिसने प्राप्त की है।

7.9 अप्रकट आयें अथवा विनियोग एवं अस्पष्ट व्यय

निम्नलिखित राशियॉ व्यापार या पेशा शीर्षक की अप्रकट स्त्रोत की आय मानी जाएगी। ऐसी सम्पूर्ण आय बिना किसी व्यय या कटौती के करयोग्य आय में शामिल किया जाएगा ।

1. <u>अस्पष्ट रोकड़ जमा (धारा 68)</u>

यदि करदाता द्वारा अस्पष्ट रोकड़ अपने गतवर्ष के खातों में जमा करता है अर्थात आयकर अधिकारी को स्पष्ट विवरण नहीं देपाता है तब वह राशि आय में शामिल हो जाएगी। एक कम्पनी करदाता की दशा में, (जिसमें जनता का साखान हित है) में अंश आवेदन राशि अंश प्रीमियम अंश पूंजी नकद जमा होने पर आय नहीं मानी जाएगी ।

2. <u>अस्पष्ट विनियोग (धारा 69)</u>

यदि करदाता ने गत वर्ष में निवियोग किए जो लेखा पुस्तकों में दर्ज है, तो स्पष्टीकरण ना देने पर आय मानी जाएगी ।

3. <u>अस्पष्ट मुद्रा (धारा 69 ए)</u>

यदि किसी वित्तीय वर्ष में करदाता किसी ऐसी मुद्रा, धातु, या ज्वैलरी का स्वामी या उसके पास पाई जाए, जो कर दाता की पुस्तकों में प्रदर्शित नहीं है और उसके द्वारा कोई स्पष्टीकरण कर निर्धारण अधिकारी की सम्मति में पर्याप्त एवं संतोषजनक नहीं है, ऐसी स्थिति में इनका बाजार मूल्य उसकी गत वर्ष की आय माना जाएगा ।

4. <u>अपूर्ण अप्रकट विनियोग(धारा 69 बी)</u>

यदि किसी गत वर्ष में करदाता ऐसे विनियोगों, मुद्रा ज्वैलरी धातु या अन्य बहुमूल्य वस्तुओं का स्वामी पाया जाये और पुस्तकों में उनका प्रदर्शित मूल्य बाजार मूल्य से कम हो और कर दाता इस आधिक्य का संतोषजनक उत्तर ना दे पाए तब ऐसी स्थिति में आधिक्य मूल्य उस वित्त की आय मान ली जाएगी।

5. <u>अ–प्रकट व्यय(धारा 69 सी)</u>

यदि किसी गत वर्ष में लेखा पुस्तकों में कोई व्यय लिखा गया हो, जिसका उचित स्पष्टीकरण कर निर्धारण अधिकारी को संतोषजनक उत्तर ना दे तब ऐसा व्यय को कर योग्य आय मानी जाएगी ।

6. <u>हुण्डी पर उधार ली गई तथा भुगतान की गई राशि (धारा 69 डी)</u>

यदि कोई करदाता कोई धनराशि हुण्डी पर प्राप्तकर्ता को देय, चैक या ड्राफट या इलैक्ट्रानिक माध्यम के अलावा किसी और प्रकार से उधार ले या भुगतान करे तो कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उस राशि को कर योग्य माना जा सकता है।

7.10 खाते रखना (धारा 44 ए ए)

एक करदाता को अपने व्यापार और पेशा के खाता रखने के नियम निम्न प्रकार से वर्णित है । इनको तीन वर्गो में बॉटा गया है ।

1. विशिष्ट पेशे
2. गैर–विशिष्ट पेशे अथवा व्यापार
3. धारा 44 AD, 44 ADA & 44 AE के अर्न्तगत व्यापार

1. <u>विशिष्ट पेशे –</u>

विशिष्ट पेशे में वकालत, चाटर्ड एकाउन्टेन्ट ,चिकित्सा, शिल्पकार, इंजीनियर, तकनीकी सलाहकार, आन्तरिक साज सज्जा, आर्किटेक्ट फिल्म कला, सूचना एवं प्राद्यौगिकी से है। ऐसे पेशे के अर्न्तगत ऐसे व्यक्ति करदाता की दशा में जिसकी

पिछले तीन गत वर्षो में किसी भी वर्ष में पेशे से सकल प्राप्तियॉ रु. 1,50,000 से अधिक थी, अथवा नए स्थापित पेशे की दशा में ऐसे पेशे से सकल प्राप्तियॉ रु. 1,50,000 से अधिक होने की संभावना है, तो निर्धारित खाता पुस्तकें तथा प्रपत्र रखने अनिवार्य होगें। निर्धारित खाता पुस्तकें एवं प्रपत्र निम्नलिखित है –

- रोकड़ पुस्तकें
- जर्नल (यदि खाता पुस्तकें व्यापारिक पद्धति से रखे जाने पर)
- लेजर
- रु. 25 से अधिक के बिल की कार्बन प्रति
- प्राप्त मूल बिल
- रु. 50 से अधिक के खर्च की रसीदें ।

  (नोटिफिकेशन संख्या 11319 दिनांक 06–04–2000)

2. <u>गैर–विशिष्ट पेशे अथवा व्यापार–</u>

एक गैर विशिष्ट पेशे अथवा व्यापार में लगे करदाता द्वारा के संदर्भ में प्रावधान निम्नलिखित है–

- पिछले तीन गत वर्षो में किसी भी वर्ष की ऐसे पेशे या व्यापार की आय रु. 1,20,000 (कर निर्धारण वर्ष 2018–19से एक व्यक्ति या हिन्दु अविभाजित परिवार की दशा में रु. 2,50,000) से अधिक रही होअथवा
- कुल बिक्री या आवर्त या सकल प्राप्तियॉ रु. 10,00,000 (कर निर्धारण वर्ष 2018–19 से एक व्यक्ति या हिन्दु अविभाजित परिवार की दशा में रु. 25,00,000) से अधिक रही है।

  अथवा
- नए स्थापित व्यापार या पेशा की दशा में आय या कुल बिक्री या अवर्त या सकल प्राप्तियॉ

उपरोक्त राशियॉ में से अधिक होने की सम्भावना है।

उपरोक्त स्थिति में करदाता के लिए आवश्यक है कि खाता बहियॉ तथा प्रपत्र रखने अनिवार्य है जिससे कर निर्धारण अधिकारी गणना कर सकें।

3. धारायें 44 AD, 44 ADA & 44 AE के अर्न्तगत करदाता द्वारा निर्दिष्ट पात्र व्यवसाय के लाभ धारा 44 ADअथवा माल ढोने के वाहनों को किराये पर अथवा पटटे पर उठाने से आय धारा 44 AE या पेशे से आय धारा 44 ADA इन सभी धाराओंके अर्न्तगत माने गए लाभों से गणना की जाएगी। यदि कर दाता यह कहे कि उसकी आय आयकर अधिनियम की उपरोक्त धाराओं में निर्दिष्ट आय से कम है तो उसे व्यापार की पुस्तकों को रखना अनिवार्य है।

7.11 बहीखातों का अनिवार्य अंकेक्षण (धारा 44 एबी)

1. यदि गत वर्ष की उसकी कुल बिक्री अथवा आवर्त अथवा सकल प्राप्तियॉ एक करोड़ रुपये से अधिक हो , ऐसी स्थिति में आयका रिटर्न दाखिल करने की देय तिथि से पूर्व अपना हिसाब–किताब चाटर्ड एकाउन्टैन्ट से अंकेक्षण कराना अनिवार्य है।

2. यदि धारा 44 ए डी के अर्न्तगत पात्र व्यवसाय के लाभ अनुमानित आय के आधार पर ज्ञात किए जाते है तथा उसकी गत वर्ष की कुल बिक्री या आवर्त दो करोड़ रुपये से अधिक नहीं है तो खातों का अंकेक्षण अनिवार्य नहीं है।
3. यदि पेशे से प्राप्त गत वर्ष की कुल प्राप्तियॉ 50 लाख से अधिक होने पर चाटर्ड एकाउन्टेन्ट से अंकेक्षण कराना अनिवार्य है।
4. धारा 44 AD, 44 ADA & 44 AE के अर्न्तगत करदाता द्वारा कम आय का दावा करने की दशा में अंकेक्षण अनिवार्य है।

7.12 व्यापारिक रहतिये का मूल्याकंन (धारा 145 ए)

1. व्यापारिक रहतिये का मूल्य लागत या बाजार दोनों में, जो कम हो, पर मूल्यांकन किया जाएगा ।

7.13 कतिपय व्यापार या पेशे की आय का अनुमानित आधार पर निर्धारण

7.13.1 पात्र व्यवसाय के लाभों का निर्धारण (धारा 44 ए डी)

1. धारा 44 ए डी के प्रावधान उस पात्र करदाता पर लागू होते हैं जो पात्र व्यवसाय में संलग्न हो ऐसे व्यवसाय से आय की गणना निम्न प्रकार से होगी।

- कुल आवर्त या सकल प्राप्तियॉ जो गत वर्ष में अथवा धारा 139(1) में वर्णित किसी बैक पर आहरित चैक अथवा इलैक्ट्रानिक के माध्यम से करता है, उसका 6 प्रतिशत आय मानी जाएगी। यदि उपरोक्त के अलावा प्राप्त आवर्त या सकल प्राप्तियों का 8 प्रतिशत माना जाएगा ।

2. धारा 44 ए डी में अनुमानित आय के कारण इसमें से धारा 30 से 38 में वर्णित कटौती स्वीकार नहीं की जाएगी। अनुमानित लाभ से ह्रास की राशि नहीं घटाई जाएगी परन्तु सम्पत्ति का अपलिखित मूल्य ज्ञात करने के लिए ह्रास की गणना करके ह्रास घटाया जाएगा ।
3. यदि कर दाता गत वर्ष में अनुमानित आय पर गणना करता है और अगले पॉच कर निर्धारण वर्षो में से किसी भी गत वर्ष अपनी आय की गणना अनुमानित आधार पर नहीं करता तब जिस गत वर्ष वह अपनी गणना अनुमानित आधार पर नहीं करता, उस गत वर्ष से अगले पॉच कर निर्धारण वर्ष में भी वह आय की गणना अनुमानित आधार पर नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में उसे खातों का अंकेक्षण कराकर अंकेक्षण रिपोर्ट इलैक्ट्रानिक रुप से दाखित करेगा ।
4. इस धारा के प्रावधान ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगें जो धारा 44 ए ए में वर्णित पेशा या कमीशन या ब्रोकरेज या ऐजेन्सी का व्यवसाय चलाता हो ।
5. ऐसी स्थिति (जब धारा 44 एडी लागू हो) तो धाराएं 2843 सी के प्रावधान लागू नहीं होगें।
6. चालू वर्ष की हानियों एवं आगे लाई गई हानियों की पूर्ति अनुमानित आय में से की जा सकती है
7. अनुमानित आय से धारा 80 सी से 80 GGC, 80 TTA ,80TTB & 80 U की कटौती ली जा सकती है।

8. पात्र करदाता से तात्पर्य एक व्यक्ति, हिन्दु अविभाजित परिवार, साझेदारी फर्म (सीमित दायित्व वाली साझेदारी फर्म को छोड़कर) निवासी से है।
9. पात्र व्यवसाय में मालवाहक वाहनों को किराये पर अथवा पटटे पर अथवा स्वयं चालाने के व्यवसाय को छोड़कर (धारा 44 एई में वर्णित) कोई भी व्यवसाय जिसकी गत वर्ष में कुल बिक्री या सकल प्राप्तियॉ दो करोड़ रुपये से अधिक नहीं है।

उदाहरण 01 –

एक व्यापारी ने अपनी व्यवसाय की सूचना निम्नलिखित है आय की गणना करें। बैंक खाते के माध्यम से इलैकट्रानिक प्रणाली से प्राप्त राशि रु. 90 लाख तथा अन्य विक्रय राशि रु. 80 लाख ।

हल–

व्यापारिक आय की गणना (धारा 44 ए डी)

Electronic प्रणाली प्राप्त	90,00,000 x 6 /100	= 5,40,000
अन्य राशि	80,00,000 x 8 /100	= 6,40,000
	व्यापारिक आय	= 11,80,000

7.13.2 पेशे से लाभों का निर्धारण (धारा 44 ADA)

1. भारत में निवासी व्यक्ति जो 44 AA(I) में वर्णित पेशे में लगा है और जिसकी गत वर्ष की सकल प्राप्तियॉ पचास लाख से अधिक नहीं है।
2. सकल प्राप्तियों का 50 प्रतिशत आय (अनुमानित) मानी जाएगी करदाता चाहे तो इससे अधिक भी घोषित कर सकता है।
3. धारा 30 से 38 में वर्णित कटौती मान्य नहीं है।
4. ह्रास की कटौती नहीं मिलेगी परन्तु सम्पत्ति का अपलिखित मूल्य निकालने में ह्रास की गणना की जायेगी ।

5. यदि करदाता अनुमानित आय से कमका दाावा करता है तथा उसकी आय करमुक्त सीमा से अधिक है तो उसे अपने पेशे के हिसाब रखना, अंकेक्षण अंकेक्षण रिपोर्ट इलैक्ट्रानिक अनिवार्य है।

7.13.3 मालढोने के वाहनों को किराया पर अथवा पटटे पर अथवा स्वयं चलाने के व्यापार से लाभों का निर्धारण (धारा 44 ए ई)

1. ऐसा करदाता जो मालवाहक वाहनों को किराये या पटटे या स्वयं चलाने के व्यापार में लगा है और गत वर्ष में किसी भी समय 10 वाहनों से अधिक का मालिक नहीं है। यदि वाहन किराया क्रय पद्धति पर या किश्तों पर है तब भी इसी श्रेणी में माना जायेगा ।
2. आय की गणना में भारी मालवाहक के लिए, खाली वाहक वाहन के सकल वजन का रु. 1000 प्रतिटिन, प्रतिमाह अथवा माह का अंश पर माना जाता हे। भारी वाहन से तात्पर्य सकल भार 12 टन से अधिक हो ।

3. अनुमानित लाभ में से धारा 30 से 38 तक वर्णित कटौती मान्य नहीं हे। परन्तु फर्म करदाता की दशा में साझेदारों को दिया गया वेतन (पारिश्रमिक) तथा ब्याज (धारा 40 (बी) के अनुसार) घटा दिया जायगा।
4. ह्रास की कटौती स्वीकार नहीं की जाएगी परन्तु सम्पत्ति की अपलिखित मूल्य की गणना में ह्रास की गणना की जायेगी ।
5. उक्त व्यापार के लिए धारा 44 ए ए के अर्न्तगत हिसाब–किताब नहीं रखना है और अंकेक्षण भी अनिवार्य नहीं है।
6. यदि करदाता अनुमानित आय से कम का दावा करता है तो उसे हिसाब किताब रखना, अंकेक्षण ,तथा इलेक्ट्रानिक अपलोड करना अनिवार्य है।

<u>उदाहरण 02 –</u>

एक ट्रक आपरेटर करदाता के पास गत वर्ष में 5 भारी वाहन (सकल भार प्रत्येक 15 टन) 9 माह 16 दिन तथा 3 हल्के वाहन 8 माह 24 दिन प्रयोग में रहे। उसने भाड़े का हिसाब नहीं रखा। धारा 44 ए ई के अर्न्तगत व्यापार की आय गणना कीजिये ।

<u>हल–</u>

भारी माल वाहक :

5 x 000 x 15 x 10 Rs. 7,50,000

हल्के माल वाहक

3 x 7500 x 9 <u>Rs. 2,02,500</u>

धारा 44 ए ई में आय Rs.<u>9,52,500</u>

<u>उदाहरण 03–</u>

एक साझेदारी फर्म 9 हल्के मालवाहक वाहनों की स्वामी है। एक माल वाहक 20–02–2019 को किराया क्रय से खरीदा गया। साझेदारी संविदा के अनुसार आकाश एवं भारत प्रत्येक को 14,000 प्रतिमाह वेतन एवं प्रत्येक की 4 लाख पॅूजी पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज मान्य है।

<u>हल</u>

<u>फर्म की धारा 44 ए ई में व्यापार आय की गणना</u>

<u>कर निर्धारण वर्ष 2019–20</u>

हल्का वाहन	7500 x 8 x 12	= 7,20,000
	7500 x 1 x 2	= <u>15,000</u>
		= 7,35,000
घटा साझेदारों को ब्याज		
आकाश	48,000	
भारत	<u>48,000</u>	=<u>96,000</u>
	पुस्तकीय लाभ	= 6,39,000

घटा साझेदारों को पारिश्रमिक

प्रथम 3,00,000 का 90% = 2,70,000

अगले3,39,000 का 60% = 2,03,400 = 4,73,400

अथवा 14,000 x 2 x 12 = 3,36,000 = 3,36,000

दोनों में जो कम है घटाया जायेगा 3,03,000

7.13.4 – भारतीय जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट आदि के एजेन्ट की कमीशन आय –

1. यदि कमीशन रु. 60,000 तक है जिसमें प्रथम वर्ष का कमीशन, नवीकरण कमीशन एवं बोनस कमीशन शामिल है। तब निम्न प्रकार नियमों से अनुमानित आय की गणना की जाएगी ।

अ. एल आई सी के एजेन्ट –

- प्रथम वर्ष के कमीशन का कटौती 50 प्रतिशत
- बाद के वर्षो के कमीशन का कटौती 15 प्रतिशत कुल कटौती अधिकतम रु. 20000
- पृथक धनराशि उपलब्ध ना होने पर सकल कुल कमीशन का 33.33 प्रतिशत
- बोनस कमीशन के लिए कोई कटौती मान्य नहीं

ब. यूनिट ट्रस्ट डाकखाना, सरकारी प्रतिभूतियों, अधिसूचित म्युचल फण्ड के एजेन्ट के लिए कमीशन का 50 प्रतिशत कटौती योग्य है।

2. यदि कमीशन रु. 60,000 से अधिक है तब कोई भी कटौती स्वीकृत नहीं है उसे आयकर अधिनियम की धाराओं 30 से 43 बी की कटौती मान्य है।

3–यदि बीमा व्यवसाय के कमीशन की राशि का योग 15,000 रुपये ये अधिक है तो कमीशन की राशि का 10 प्रतिशत (एक व्यक्ति की दशा में 5 प्रतिशत) उदगम स्थान पर काटा जायेगा ।

7.14 विविध व्यावहारिक प्रश्न

उदाहरण 01 :

एक करदाता द्वारा निम्नलिखित के संदर्भ में कटौतियॉं की मॉग करता है कारण सहित उत्तर दीजिये

1. ग्राहकों एवं वितरकों को एक–एक ब्रीफकेस उपहार में दिया जिसकी कीमत प्रत्येक रु. 750 है।
2. स्थानीय समाचार पत्र में विज्ञापन दिया जिसका भुगतान रु. 25,000 नकद में किया ।
3. एक कर्मचारी ने रु. 2000 का गबन किया ।
4. एक कर्मचारी की मृत्यु पर उसकी विधवा को मानवता के आधार पर रु. 2500 पैशन का प्रतिमाह भुगतान किया ।
5. व्यापार के लिए एक हैण्डपम्प का कार्य आरम्भ किया जिसपर रु. 2300 व्यय किया, परन्तु हैण्ड पम्प में पानी नहीं मिला ।
6. पैटेन्ट अधिकार प्राप्त करने के लिए रु. 50,000 व्यय किया ।

हल–

1. स्वीकृत व्यय– धारा 37 (1) में

2. अस्वीकृत व्यय– नकद देने के कारण रु. 10,000 से अधिक
3. स्वीकृत व्यय– व्यापार में किया गबन
4. अस्वीकृत व्यय– मानवता के आधार पर हैं
5. स्वीकृत व्यय– भले ही कुछ पानी नहीं निकला
6. अस्वीकृत व्यय– पूंजीगत व्यय का 50,000 का 25 प्रतिशत रु. 12,500 का व्यय ही प्रतिवर्ष ह्रास के रुप में स्वीकृत है।

उदाहरण 02 :

कारण सहित बताइये कि निम्न व्ययों/हानियॉ को व्यापार या पेशे के लाभ ज्ञात करते समय कटौती के रुप में स्वीकार किया जाएगा अथवा नहीं –

1. सामान्य बोनस के अलावा कर्मचारियों को दीपावली के त्यौहार पर विशेष बोनस दिया गया।
2. नीलामी विक्रय में बोली न लगाने के लिए किया गया भुगतान ।
3. व्यापार के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए दिया गया कमीशन, दलाली तथा अन्य निर्गमन व्यय ।
4. कर्मचारियों में परिवार नियोजन के प्रोत्साहन हेतु रु. 2,00,000 के पूँजीगत व्यय किये ।
5. तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने के लिए दी गई एक मुश्त राशि रु. 1,20,000 ।
6. कर्मचारियों के मनोरंजन हेतु एक 'मनोरंजन गृह' का निर्माण कराया, जिसमें रु. 2,50,000 का व्यय हुआ ।
7. एक संचालक ने व्यापार के लिए मशीन खरीदने के संबंध में विदेश यात्रा की जिस पर रु. 25,000 व्यय हुआ । मशीन अगले वर्ष लगाई गयी ।
8. नया टेलीफोन लगवाने में रु. 2100 व्यय किया गया।
9. उधार माल क्रय करने पर अउत्त राशि पर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज चुकाया।
10. बैंक से लाभंश वितरित करने के लिए अल्प अवधि का अधि–विकर्ष लिया जिस पर रु. 20,000 का ब्याज चुकाया।
11. न्योन साइन बोर्ड लगाने का व्यय रु. 20,000 जो कार्यालय भवन पर अपने माल का विज्ञापन करता है।
12. कुछ माह पूर्व लगाये गये न्योन साइन बोर्ड के टयूब बदलवाने पर रु. 5000 व्यय किये ।

हल–

1. त्यौहार पर किया गया बोनस धारा 36 (1)(ii) के अर्न्तगत स्वीकृत है।
2. यह आयगत व्यय है, अतः स्वीकृत कटौती है।
3. व्यापार के लिए ऋण लेने पर किये गये व्यय जैसे – कमीशन, दलाली आदि स्वीकृत कटौती है।
4. परिवार नियोजन के प्रोत्साहन पर किये गये पूँजीगत व्यय 5 समान किश्तों में कटौती के रुप में स्वीकृत होते है, अतः रु. 40,000 प्रति वर्ष (2,00,000/5) स्वीकृत कटौती है।

5. तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने के लिए दी गई एक मुश्त राशि अस्वीकृत व्यय है। तकनीकी ज्ञान एक अदृश्य पूँजीगत सम्पत्ति है। इसको प्राप्त करने हेतु 31 मार्च 1998 के बाद व्यय की गई राशि पूँजीगत व्यय है, अतः कटौती योग्य नहीं है। हॉ ,इस पर 25 प्रतिशत की दर से ह्रास स्वीकृत किया जाता है।
6. मनोरंजन गृह का निर्माण एक पूँगत व्यय है, अतः अस्वीकृत होगा।
7. मशीन के क्रय के लिए की गई विदेश यात्रा व्यय भी पूजीगत प्रकृति का है, अतः अस्वीकृत है।
8. नया टेलीफोन लगवाने के व्यय विभागीय निर्देशानुसार स्वीकृत कटौती है।
9. क्रय मूल्य की अदत्त राशि पर देय ब्याज व्यापारिक व्यय है, अतः स्वीकृत है।
10. लाभांश भुगतान हेतु उधार ली गई पूँजी पर ब्याज स्वीकृत कटौती है।
11. विज्ञापन के पूजीगत व्ययों के संबंध में कटौती प्रदान नहीं की जायेगी। अतः न्योन साइन बोर्ड लगाने के व्यय धारा 37 (1) के अर्न्तगत अस्वीकृत कटौती है। पूँजीगत व्ययों के संबंध में ह्रास स्वीकार किया जायेगा ।
12. न्योन साइन बोर्ड के टयूबों को बदलवाने के संबंध में किया गया रु. 5000 का व्यय आयगत व्यय है, अतः कटौती के रुप मे स्वीकृत होगा ।

<u>उदाहरण 03–</u>

श्री प्रदीप कुमार का लाभ हानि खाता का गत वर्ष 2018–19 का विवरण निम्न प्रकार है –

<u>लाभ हानि खाता</u>

प्रारम्भिक रहतिया क्रय	10,000 50,000	विक्रय अतिम रहतिया	90,000 24,000
मजदूरी किराया	20,000 4,000	कार की बिक्री डूबत ऋणेा से वसूली (पूर्व कर निर्धारण वर्षो में स्वीकृत)	17,000 4,000
कार की मरम्म्त धन कर चुकाया	3,000 2,000	लाभांश	3000
पूँजी पर ब्याज सामान्य व्यय	5,000 6,000	आयकर वापसी	2000
कार का ह्रास अग्रिम आयकर चुकाया	4,000 2,000		
दान वर्ष का शुद्ध लाभ	3,000 31,000		
	1,40,000		1,40,000

निम्न अतिरिक्त सूचनायें दी गयी हैं –

1. मि. प्रदीप अपना व्यापार किराये के भवन में चला रहे है। जिसका आधा भाग उनके रहने में प्रयुक्त हो रहा है।
2. मि. प्रदीप ने गत वर्ष में रु. 20,000 की कार क्रय की । उन्होंने कार के मूल्य पर 20 प्रतिशत ह्रास लगाया। गत वर्ष में कार रु. 17,000 की बेची गयी। कार का प्रयोग 3/4 व्यापार के लिए तथा 1/4 व्यक्तिगत कार्य के लिए हुआ ।
3. मजदूरी में मि. प्रदीप के ड्राइवर का रु. 250 प्रति माह से 10 माह का वेतन शामिल है।

हल–

श्री प्रदीप की व्यापारिक आय की गणना

	रु.	रु.
शुद्ध लाभ	31,000	
जमा– अमान्य व्यय		
1/4 ड्राइवर मजदूरी व्यक्तिगत	625	
1/2 मकान स्वयं के रहने का	2,000	
1/4 रिपेयर कार व्यक्तिगत	750	
धनकर	2,000	
पूंजी पर ब्याज	5,000	
कार का ह्रास (गत वर्ष में बेचा)	4,000	
अग्रिम आयकर	2,000	
दान	3000	19,375
		50,375
घटा – गैर व्यापारिक आय		
कार का विक्रय		17,000
लाभांश		3,000
आयकर रिफण्ड	2,000	22,000
व्यापारिक आय	28,375	

नोट– मोटर कार उसी वर्ष क्रय की तथा उसी वर्ष बेच दी, अतः ह्रास स्वीकृत नहीं है। कार एक

पॅूजीगत सम्पत्ति है। अतः यह व्यापारिक आय नहीं है।

उदाहरण – 04

श्री अनुपम खेर ने अपनी हार्डवेयर दुकान का लेखा निम्न लिखित हैं–

लाभ हानि खाता

(31 मार्च 2019 को समाप्त गत वर्ष)

वेतन एवं मजदूरी	43,000	सकल लाभ	3,54,725
किराया	1,600	रिश्तेदारों से उपहार	275

गृह व्यय	92,000		
आयकर	900		
विज्ञापन	800		
डाक व्यय	600		
रिश्तेदार को उपहार	900		
अग्नि बीमा प्रीमियम	400		
जीवन बीमा प्रीमियम	2,100		
अशोध्य ऋण संचिति	800		
अंकेक्षण शुल्क	400		
पूंजी खाते में अन्तरण	2,11,500		
शुद्ध लाभ			
	3,55,000		3,55,000

व्यापार से आय की गणना कीजिये ।

हल–

व्यापार से आय की गणना
(कर निर्धारण वर्ष 2019–20)

	रु.	रु.
शुद्ध लाभ		2,11,500
जमा : अस्वीकृत व्यय :		
गृह व्यय	92,000	
आयकर	900	
रिश्तेदार को उपहार	900	
जीवन बीमा प्रीमियम	2,100	
अशोध्य ऋण संचिति	800	96,700
		3,08,200
घटा– रितेदारों से उपहार		275
व्यापार से आय		3,07,925

उदाहरण–05–

श्री आनन्द स्वरुप के व्यापारिक लाभ–हानि खाते का विवरण निम्नलिखित है।

लाभ–हानि खाता
31 मार्च 2019 को समाप्त गत वर्ष

वेतन	1,00,000	सकल लाभ	6,96,260–00
विज्ञापन	45,500	मकान सम्पत्ति किराया	48,000–00
कार्यालय व्यय	92,500		3000–00
माल बीमा व्यय	86,000	अशोध्य ऋण वसूली	7,800–00

मकान का अग्नि बीमा	34,000	आयकर रिफण्ड	
जीवन बीमा प्रीमियम	30,000		
मोटर ह्रास	13,000		
आयकर प्रावधान	1,000		
मनोरंजन व्यय	18,500		
पैटेन्ट लागत	21,000		
मोटर व्यय	12,000		
अशोध्य ऋण	2,500		
सामान्य व्यय	3,000		
शुद्ध लाभ	4,04,060		
	7,55,060		7,55,060—00

अन्य सूचनायें —

1. विज्ञापन में निम्न शामिल है —
   - ग्राहकों को भेट (30 वस्तुयें प्रति वस्तु 800 रुपये)
   - ग्राहकों को दो टी.वी. पुरस्कार बतौर प्रति सेट 4500 रु.
   - डायरी रु. 3000
   - शेष राशि विज्ञापन समाचार पत्र में
2. अशोध्य ऋण वसूली में 6000रु. शामिल है। जिसको 2016—17 में आयकर अधिकारी ने कटौती अस्वीकार कर दी थी।
3. मोटर की लागत 2,00,000 रुपये है जिस पर 15 प्रतिशत की दर से ह्रास मान्य है।

हल—

व्यापारिक आय की गणना
कर निर्धारण वर्ष 2019—20

	रु.	रु.
शुद्ध लाभ		4,04,060
जमाः जीवन बीमा प्रीमियम	30,000	
मकान का अग्नि बीमा	3,400	
आयकर प्रावधान	1,000	
पैटेन्ट लागत	21,000	55,400
		4,59,460
घटा —मकान सम्पत्ति किराया	48,000	
आयकर रिफण्ड	3,000	
अशोध्य ऋण वसूली (पूर्व में मान्य नहीं)	6000	57,000
		4,02,460

घटा – पेटेन्ट ह्रास (21,000 X 25 / 100)	5250	
कार ह्रास (30,000 ––13,000)	17000	22,250
व्यापार से आय		3,80,210

उदाहरण 06 –

श्री मनोज कुमार एक सिविल ठेकेदार हैं गत वर्ष 2018–19 में उन्होंने निम्न ठेकों पर कार्य किया।

1. सड़क ठेका मूल्य 10 लाख सम्पूर्ण
2. अस्पताल भवन ठेका मूल्य 30 लाख कार्यपूर्ण 8 लाख
3. पुल– ठेका 30 लाख कार्य पूर्ण 50 लाख
4. स्कूल भवन ठेका 30 लाख कार्य पूर्ण 15 लाख 50 हजार

करदाता द्वारा निमाण के लिए 25 लाख लागत का प्लाण्ट प्रयुक्त किया गया। मिस्टर मनोज ने एक व्यापारिक ऋण बैंक से 18 प्रतिशत वार्षिक व्याज पर 20 लाख का लिया। आयकर अधिनियम धारा 44 ए डी में गणना करें ।

हल–

श्री मनोज की करयोग्य आय की गणना
कर निर्धारण 2019–20

कार्यपूर्ण कार्य मूल्य

सड़क	40,00,000
अस्पताल	25,00,000
पुल	50,00,000
स्कूल	20,00,000
	1,35,00,000

कर योग्य आय – 1,35,00,000 X 8 / 100 = 10,80,000

नोट– श्री मनोज कुमार का ठेका मूल्य 2 करोड़ से अधिक है, परन्तु पूर्ण कार्यो का मूल्य 2 करोड़ से कम है अतः 44 ए डी मान्य है।

उदाहरण 07 –

श्री वरुण व्यापारिक माल वाहकों के स्वामी है।

1. पॉच भारी वाहक दो– 11 माह, दो 10 माह, 14 दिन एवं एक चार दिन के लिए प्रयुक्त
2. 4 हल्के माल वाहक – दो 12 माह 10 दिन, एक एक माह 15 दिन, एक 2 माह 10 दिन के लिए प्रयुक्त कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए व्यापारिक आय की गणना करें ।

हल

व्यापारिक आय की गणना (धारा 44 **AE)**

1- (7500 x 2 x 11) + (7500 x 2 x 11) + (7500 x 1 x 1) = 3,37,500
2- (7500 x 2 x 13) + (7500x 2 x 1) + (7500 x 1 x3) = 2,32,500

5,79,000

नोट – करदाता 10 से कम वाहनों का मालिक है। एक दिन या अधिक को एक माह माना जाएगा। हल्के या भारी वाहनों दोनों के लिए 7500 प्रतिमाह आय मानी जाएगी ।

उदाहरण 08 –

डा0 संजय कुमार बंसल एक पंजीकृत चिकित्सक है। वह अपने हिसाब रोकड़ी आधार पर रखता है। 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए उसका रोकड़ खाता संक्षेप में निम्न प्रकार से है।

शेष लाये गये	1,22,000	दवाओं की लागत	10,000
बैंक से ऋण निजी	3,000	शल्यकर्म यंत्र	8,000
कार्य के लिए	25,250	मोटरकार	1,20,000
दवाओं का विक्रय	1,55,000	कार व्यय	6,000
परामर्श देने का शुल्क	24,000	वेतन	4,600
घर जाने का शुल्क	4,500	औषधालय का	1,600
सरकारी प्रतिभूतियों पर	3,600	किराया	300
ब्याज		सामान्य व्यय	1,11,800
सम्पत्ति से किराया		व्यक्तिगत व्यय	3,000
(स्थानीय कर नहीं		जीवन बीमा प्रीमियम	300
लगेगा)		बैंक ऋण पर ब्याज	200
		सम्पत्ति का बीमा	71,550
		शेष ले गये	
	3,37,350		3,37,350

कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए पेशे तथा मकान सम्पत्ति से आय की गणना कीजिये

अ. मोटर –कार के खर्चो का एक तिहाई भाग उसके व्यक्तिगत प्रयोग के संबंध में है।

आ. मोटर कार तथा शल्य कर्म यंत्रों पर ह्रास 15 प्रतिशत की दर से स्वीकृत है।

हल–

डा0संजय बंसल की मकान सम्पत्ति एवं व्यापार एवं पेशा की आय गणना

करनिर्धारण वर्ष 2019–20

पेशा आय :	रु.	रु.
दवाई की बिक्री	25,250	
परामर्श	1,55,000	
घर जाने का शुल्क	24,000	2,04,250
घटा – व्यय मान्य –		

दवाई की लागत	10,000	
2/3 कार व्यय	4,000	
वेतन	4,600	
डिस्पेन्सरी किराया	1,600	
सामान्य व्यय	300	
सर्जिकल यन्त्र 15 प्रतिशत	1,200	
कार ह्रास 15 प्रतिशत की दर से		
$1,20,000 \times \frac{15}{100} \times \frac{2}{3}$	12,000	33,700
		1,70,550
पेशा की आय		
मकान सम्पत्ति आय :	3,600	
वार्षिक मूल्य	1,080	2,520
घटा 30 प्रतिशत		

7.15 सारांश

व्यापार एवं पेशा शीर्षक में कर योग्य आय की गणना करने में व्यापार एवं पेशा का अर्थ जानना आवश्यक है। व्यापार से तात्पर्य किसी वस्तु को लाभ के उददेश्य से क्रय–विक्रय करना अथवा वस्तुओं का निर्माण से है। पेशे से आशय ऐसे कार्य करना जिसमें सेवाओं को प्रदान किया जाता है, जिसके लिए मस्तिष्क या शारिरिक योग्यता की आवश्यकता होती हे। व्यापार में आयगत लाभ, क्षतिपूर्ति लाभांश एवं ब्याज की प्राप्ति से है। इसमें विभिन्न स्वीकृत कटौतियॉ तथा विशिष्ट कटौतियॉ प्रदान की जाती है।

लाभ की गणना में आयकर के प्रावधानों का पालन करते हुए कटौतियॉ स्वीकृत करके व्यापार एवं पेशा की गणना की जाती है। इनका विस्तृत विवरण पिछले पृष्ठों पर दिया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ व्यय वास्तविक भुगतान करने पर ही स्वीकृत होते है। उदाहरण के लिए, कर, डयूटी, सेस, कर्मचारियों के प्राविडेन्ट फण्ड में नियोक्ता का अंशदान,कर्मचारियों को बोनस तथा कमीशन वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण पर ब्याज , कर्मचारियों को छूटटी के बदले देय राशि आदि । विशिष्ट पेशा एवं व्यापार में खातों को रखना, तथा अंकेक्षण अनिवार्य है। गैर विशिष्ट पेशा एवं व्यापार को खाते रखना आवश्यक है।

7.16 शब्दावली

व्यापार– किसी वस्तु का लाभ के उददेश्य के क्रय– विक्रय या निर्माण करना

पेशा– पेशा का आशय उन कार्यो या सेवाओं से है जिसमें मस्तिष्क की योग्यता अथवा शारिरिक योग्यता की आवश्यकता है।

व्यवसाय– ऐसे कार्य जो जीविकोपार्जन के लिए किए जाते है।

क्षतिपूर्ति– व्यापार के प्रबन्धकों की सेवायें अथवा ऐजेन्सी समाप्त करने या सेवा शर्तो में संशोधन पर प्राप्त राशि ।

सटटा– वस्तुओं या अंशों का क्रय– विक्रय जिनका निपटारा वस्तुओं अथवा प्रलेक्षों की बिना सुपुर्दगी दिए अथवा बिना हस्तान्तरण किए हुए होता है।

7.17 बोध प्रश्न

अ– निम्न कथन सत्य है या असत्य –

1. धारा 44 ए बी के अर्न्तगत निर्दिष्ट तिथी से आशय 30 जून से है।
2. धारा 44 ए बी के अर्न्तगत हिसाब–किताब का अंकेक्षण अनिवार्य है। यदि कुल बिकी 40 लाख से अधिक है।
3. एक फर्म द्वारा साझेदारों को दिया गया पूंजी पर ब्याज 12 प्रतिशत दर से स्वीकृत है।
4. मनोरंजन व्यय व्यापार में स्वीकृत व्यय कटौती है।
5. ग्राहकों से प्राप्त धर्मादा व्यवसाय की आय नहीं होती हे।
6. अनुमोदित विश्वविद्यालय को सामाजिक विज्ञान पर अनुसंधान हेतु दी राशि की 200 प्रतिशत कटौती मिलेगी ।
7. मालवाहक भाड़े का रु. 60,000 भुगतान नकद में किया गया।

ब– रिक्त स्थान भरें –

1. प्रारम्भिक व्यय की कटौती ——————— है।
2. ————— करदाता को कुछ दशाओं में आतरिंक शोध के लिए भारित कटौती का 150 प्रतिशत स्वीकृत होता है।
3. एक डाक्टर का कार्य ——— है।
4. एक चाटर्ड एकाउन्टैन्ट का कार्य ——— है।
5. गायकी का कार्य ——— है।
6. मालवाहक भाड़ा का विशिष्ट प्रतिमाह / प्रतिवाहन आय ——— है।
7. परिवार नियोजन का पूजींगत व्यय रु. 1,00,000 है। गत वर्ष में कटौती की मात्रा ——— है।

7.18 बोध प्रश्नों के उत्तर

कथन सत्य है या असत्य

उत्तर– 1– असत्य 2– असत्य 3– सत्य 4– सत्य 5– सत्य 6– असत्य 7– असत्य

रिक्त स्थान

उत्तर – 1– 1/5 2– कम्पनी 3– पेशा 4– पेशा 5– वोकेशन (व्यवसाय) 6– 7500 7– 20,000

7.19 स्वपरख प्रश्न

1. एक व्यापारी करदाता को लाभों की गणना में क्या–क्या कटौतियॉ स्वीकृत है ?
2. प्रारम्भिक व्ययों की कटौती समझाइये ।

3. पेशे से प्राप्तियों की दो प्राप्तियॉ लिखो ।
4. सटटे के व्यापार को परिभाषित करें ।
5. आयकर अधिनियम की धारा 36 की कटौतियॉ का वर्णन करें।
6. फर्म में पुस्तकीय लाभ को समझाइये।

7.20 सन्दर्भ पुस्तकें

1. Singhania : Direct Taxes, Taxman, New Delhi. (2019).
2. मेहरोंत्रा एच0सी0 एवं जोशी सीवएस0 : आय कर– कर निर्धारण वर्ष 2019–20, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा (2019) ।

इकाई–8 पूॅजी लाभ से आय

इकाई की रूपरेखा

8.1 प्रस्तावना
8.2 पूॅजी सम्पत्ति का आशय
8.3 पूॅजी सम्पत्ति के प्रकार
8.4 पूॅजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण का आशय
8.5 हस्तान्तरण न माने जाने वाले व्यवहार
8.6 पूॅजी लाभों की गणना
8.6.1 सम्पत्ति के प्रतिफल का पूर्ण मूल्य
8.6.2 सम्पत्ति प्राप्ति की लागत
8.6.3 सम्पत्ति में सुधार की लागत
8.6.4 सम्पत्ति प्राप्ति की सूचकांक लागत
8.6.5 विशेष स्थितियों में पूॅजी लाभों की गणना
8.7 कर मुक्त पूॅजी लाभ
8.8 पूंजी हानि की पूर्ति
8.9 सारांश
8.10 शब्दावली
8.11 बोध प्रश्न
8.12 बोध प्रश्नों के उत्तर
8.13 स्वपरख प्रश्न
8.14 सन्दर्भ पुस्तकें

उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप इस योग्य हो सकेंगे कि :

- पूॅजी सम्पत्ति, पूॅजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण एवं पूॅजी लाभ का आशय को समझ सकें।
- पूॅजी लाभों की गणना की विधि को स्पष्ट कर सकें।
- कर मुक्त पूॅजी लाभों को समझ कर उनका विवेचन कर सकें।

8.1 प्रस्तावना

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 14 के अनुसार कुल आय को पांच शीर्षकों में विभक्त किया गया है। इनमें चतुर्थ शीर्षक पूॅजी लाभ है। इस शीर्षक में पूॅजी सम्पत्तियों के हस्तान्तरण से उत्पन्नअथवा हानि की गणना उन्हें कुल आय में सम्मिलित करने हेतु की जाती है। पूॅजी सम्पत्ति में चल एवं अचल, मूर्त एवं अमूर्त सम्पत्तियां जैसे भूमि एवं भवन, प्लाण्ट एवं मशीन, फर्नीचर, प्रतिभूतियां, ख्याति, पट्टा, लाइसेन्स अधिकार आदि सम्मिलित होती हैं। किन्तु व्यापारिक स्टाक एवं व्यक्तिगत उपयोग की चल सम्पत्तियां जैसे पहनने के कपड़े, फर्नीचर, मोटर कार, कम्प्यूटर,

टी0वी0 आदि पूॅंजी सम्पत्तियों में सम्मिलित नहीं होते हैं। इस अध्याय में आय कर अधिनियम , 1961 की धारा 45 से 54 जी को विस्तार से समझाया जायेगा।

8.2 पूॅंजी सम्पत्ति का आशय

आय कर अधिनियम , 1961 की धारा 2(14) पूॅंजी सम्पत्ति का आशय किसी भी सम्पत्ति से है, चाहे वह करदाता के व्यापार से सम्बन्धित हो अथवा नही । इस प्रकार पूॅंजी सम्पत्ति में चल एवं अचल , मूर्त एवं अमूर्त सम्पत्तियां जैसे भूमि एवं भवन, प्लाण्ट एवं मशीन, फर्नीचर, प्रतिभूतियां, ख्याति, पट्टा, लाइसेन्स अधिकार आदि सम्मिलित होती हैं।

पूॅंजी सम्पत्ति में सम्मिलित न होने वाली सम्पत्तियां :

निम्नलिखित सम्पत्तियां पूॅंजी सम्पत्ति में सम्मिलित नहीं होती हैं:

(1) **व्यापारिक स्टॅाक** : व्यापार अथवा पेशे में उपयोग के लिये रखा हुआ रहतिया, कच्चा माल अथवा उपभोग्य सामान ।

(2) **व्यक्तिगत सम्पत्तियां** : निजी उपयोग के लिए करदाता अथवा उसके आश्रित द्वारा रखी हुयी चल सम्पत्तियां जैसे वस्त्र, फर्नीचर , विद्युत उपकरण एवं अन्य घरेलू सामान पूॅंजी सम्पत्ति में सम्मिलित नहीं किये जाएगे, किन्तु आभूषण, मूर्तियां, कलाकृतियां, आदि सम्मिलित होंगे।

(3) **कृषि भूमि** : 10000 अथवा कम जनसंख्या वाले स्थान में अवस्थित कृषि भूमि सामान पूॅंजी सम्पत्ति में सम्मिलित नहीं की जाएगी, किन्तु 10000 अथवा अधिक जनसंख्या वाले स्थान में अवस्थित कृषि भूमि को पूॅंजी सम्पत्ति माना जाएगा। स्थानीय सीमा से दूरी के आधार पर निम्न कृषि भूमि पूॅंजी सम्पत्ति में सम्मिलित की जाती हैं :

स्थानीय सीमा से दूरी	जनसंख्या
2 कि0मी0 के क्षेत्र में	10,000–1,00,000
6 कि0मी0 के क्षेत्र में	1,00,000–10,00,000
8 कि0मी0 के क्षेत्र में	10,00,000 से अधिक

(4) स्वर्ण बॅाण्ड्स : केन्द्र सरकार द्वारा निर्गमित 6.5 % स्वर्ण बॅाण्ड्स ‘1977 या, 7 % स्वर्ण बॅाण्ड्स 1980, अथवा नेशनल डिफेन्स बॅाण्ड्स, 1980 जो अब प्रचलन में नहीं हैं, पूॅंजी सम्पत्ति में सम्मिलित नहीं किये जाते हैं ।

(5) स्पेशल बियरर बॅाण्ड्स , 1991 जो अब प्रचलन में नहीं हैं, पूॅंजी सम्पत्ति में सम्मिलित नहीं किये जाते हैं ।

(6) स्वर्ण निक्षेप बॅाण्ड्स 1999 एवं स्वर्ण की मुद्रीकरण योजना, 2015 में निर्गत निक्षेप सर्टीफिकेट्स।

स्वयं उपार्जित सम्पत्तियां :

निम्नलिखित सम्पत्तियां स्वयं उपार्जित सम्पत्तियां हैं। यह पूॅंजी सम्पत्ति में सम्मिलित होती हैं:

1. व्यापार की ख्याति (पेशे को छोड़कर)
2. किरायेदारी या पट्टे के अधिकार या लाइसेन्स

3. किसी वस्तु के उत्पादन या व्यवसाय अथवा पेशे के संचालन का अधिकार
4. फर्म में साझेदार का भाग
5. वाहन संचालन का परमिट आदि ।

8.3 पूँजी सम्पत्ति के प्रकार

पूँजी सम्पत्ति को दो प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है :

1. **अल्पकालीन पूँजी सम्पत्ति**–अल्पकालीन पूँजी सम्पत्ति वह है, जो करदाता के पास हस्तान्तरण की तिथि से ठीक पूर्व 36 माह से अधिक से नहीं होती है। कम्पनी के अंशों के किसी मान्यता प्राप्त स्कन्ध विपणि में सूचीबद्ध न होने पर यह अवधि 24 माह होगी, जबकि सूचीबद्ध प्रतिभूतियों, यू0टी0आई0 के यूनिटों, शून्य कूपन बॉण्डों एवं सामान्य निधि के यूनिटों की दशा में अल्पकालीन पूँजी सम्पत्ति कि लिये यह अवधि 12 माह होगी ।
2. **दीर्घकालीन पूँजी सम्पत्ति**–दीर्घकालीन पूँजी सम्पत्ति वह है, जो करदाता के पास हस्तान्तरण की तिथि से ठीक पूर्व 36 माह से अधिक अवधि से होती है। कम्पनी के अंशों के किसी मान्यता प्राप्त स्कन्ध विपणि में सूचीबद्ध न होने पर 24 माह से अधिक एवं सूचीबद्ध प्रतिभूतियों, यू0टी0आई0 के यूनिटों, शून्य कूपन बॉण्डों एवं सामान्य निधि के यूनिटों की दशा में यह अवधि 12 माह से अधिक होने पर दीर्घकालीन पूँजी सम्पत्ति मानी जायेगी।

8.4 पूँजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण का आशय

पूँजी लाभों की उत्पत्ति पूँजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण के फलस्वरूप होती है। धारा 2(47) के अनुसार पूँजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण में निम्नांकित को सम्मिलित किया जाता है :

1. सम्पत्ति का विक्रय, विनिमय अथवा सम्पत्ति को छोड़ देना।
2. सम्पत्ति से संबंधित कतिपय अधिकारों का समाप्त हो जाना।
3. सम्पत्ति का अनिवार्य विधिक अधिग्रहण।
4. सम्पत्ति के स्वामी द्वारा सम्पत्ति का स्टॉक में परिवर्तन या उसे स्टॉक मान लेना।
5. कोई ऐसा व्यवहार जिसके परिणामस्वरूप सम्पत्ति हस्तान्तरण अधिनियम 1882 की धारा 53ए के अर्न्तगत संविदा के आंशिक निष्पादन पर सम्पत्ति पर अधिकार प्राप्त हो जाय या उस पर अधिकार बना रहे।
6. कोई ऐसा व्यवहार जिसके परिणामस्वरूप किसी अचल सम्पत्ति का हस्तान्तरण हो जाय या उसके प्रयोग का अधिकार प्राप्त हो जाय।
7. किसी नवीन कम्पनी द्वारा विद्यमान फर्म का क्रय या व्यापार का सीमित दायिप्व वाली कम्पनी में परिवर्तन।

8.5 हस्तान्तरण न माने जाने वाले व्यवहार (धारा 47)

धारा 47 के अनुसार निम्नांकित व्यवहारहस्तान्तरण न माने जाने के कारण पूँजी लाभ नहीं मो जायेंगे :

1. हिन्दू अविभाजित परिवार (एच0यू0एफ0) के विभाजन पर पूँजी सम्पत्तियों का वितरण,
2. भेंट एवं वसीयत, अखण्डनीय ट्रस्ट के अर्न्तगत पूँजी सम्पत्तियों का हस्तान्तरण (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना या ई0एस0ओ0पी0 के अर्न्तगत कर्मचारियों को अंशों का निःशुल्क या रियायती आबण्टन को छोड़कर) ।
3. भारतीय सूत्रधारी एवं उसकी सहायक कम्पनियों के मध्य पूँजी सम्पत्ति हस्तान्तरण बशर्तें कि सूत्रधारी कम्पनी उसकी सहायक कम्पनियों के समस्त अंशों की स्वामी है।
4. एकीकरण की किसी योजना के अन्तर्गत एकीकरण की जाने वाली कम्पनी द्वारा एकीकरण करने वाली कम्पनी को पूंजी सम्पत्ति का हस्तान्तरण, बशर्ते कि एकीकरण करने वाली कम्पनी भारतीय कम्पनी है।
5. किसी बैंकिंग कम्पनी की केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर की गई एवं लागू की गई योजना के अधीन किसी अन्य बैंकिंग संस्था के साथ समामेलन की दशा में पूंजी सम्पत्ति का हस्तान्तरण।
6. दो विदेशी कम्पनियों के बीच एकीकरण की किसी योजना के अन्तर्गत एक विदेशी कम्पनी द्वारा दूसरी विदेशी कम्पनी को भारतीय कम्पनी के अंशों का हस्तान्तरण यदि :

   (अ) एकीकरण की जाने वाली कम्पनी के कम–से–कम 25%अंशधारी विदेशी एकीकरण करने वाली कम्पनी के अंशधारी बने रहते हैं; तथा

   (ब) उस देश में जिसमें एकीकरण की जाने वाली कम्पनी समामेलित है, ऐसे हस्तान्तरण से होने वाले पूंजी लाभ पर कोई कर नहीं लगता है।

   7–एकीकरण की किसी योजना के अन्तर्गत एकीकरण की जाने वाली कम्पनी के किसी अंशधारी द्वारा इस कम्पनी के अपने अंशों का हस्तान्तरण, बशर्तें कि : (क) हस्तान्तरण एकीकृत कम्पनी के अंशों के प्रतिफल में हुआ हो तथा (ख) एकीकृत कम्पनी भारतीय कम्पनी है।
8. किसी ऐसी पूंजी सम्पत्ति जो कला, पुरातत्व, वैज्ञानिक अथवाकला के संग्रह का काम हो, अथवा पुस्तक, हस्तलिपि, ड्राइंग, पेण्टिंग, फोटोग्राफ अथवा प्रिण्ट हो, को सरकार अथवा विश्वविद्यालय, अथवा राष्ट्रीय म्यूजियम, राष्ट्रीय आर्ट गैलरी, राष्ट्रीय आरचिब्स अथवा ऐसे सार्वजनिक म्यूजियम अथवा संस्था को हस्तान्तरण जिन्हें सरकार द्वारा राजपत्र में राष्ट्रीय महत्व का अथवा राज्य भर में प्रसिद्ध घोषित कर दिया है।
9. किसी कम्पनी के बॉण्ड्स अथवा ऋणपत्रों अथवा जमा प्रमाण–पत्रों को उसी कम्पनी के अंशों अथवा ऋणपत्रों में परिवर्तन करने से होने वाला हस्तान्तरण।
10. एक अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किये भारतीय कम्पनी के बॉण्ड्स अथवा वैश्विक जमा रसीदों का अनिवासी को हस्तान्तरण ।
11. भारत में 1 मार्च, 1970 से पूर्व किया गया कृषि भूमि का हस्तान्तरण ।

12. कारीगरों की सहकारी संस्था द्वारा प्रबन्धित एक रूग्ण औद्योगिक कम्पनी द्वारा रूग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत रूग्ण अवधि में किया गया अपनी भूमि का हस्तान्तरण।
13. एक कम्पनी द्वारा किसी फर्म के व्यवसाय को लेने की दशा में फर्म की सम्पत्तियों का हस्तान्तरण बशर्तें कि निर्धारित शर्तें पूरी हों।
14. भारत में मान्य किसी स्टॉक एक्सचेंज का विपारस्पीकरणया निगमीकरण के अर्न्तगत व्यक्तियों के संघ या समूह द्वारा अपनी स्टॉक एक्सचेंज की सम्पत्तियों का कम्पनी को हस्तान्तरण बशर्ते कि निर्धारित शर्तें पूरी हों।
15. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड–"सेबी" (SEBI) द्वारा अनुमोदित विपारस्परीकरण या निगमीकरण की योजना के अनुसार एक व्यक्ति द्वारा स्टॉक एक्सचेंज की अपनी सदस्यता के अधिकार का हस्तान्तरण ।
16. किसी एकल व्यवसाय को एक कम्पनी द्वारा ले लेने पर ,उस व्यवसाय की सम्पत्तियों का कम्पनी को हस्तान्तरण बशर्ते कि निर्धारित शर्तें पूरी हों।
17. "सेबी"या भारतीय रिजर्व बैंक मार्गनिर्देशनुसार किसी दूसरे व्यक्ति को किसी ठहराव के अधीन प्रतिभूतियों उधार देना ।
18. अविलयित कम्पनी द्वारा परिणामी भारतीयकम्पनी को पूंजी सम्पत्ति का हस्तान्तरण या परिणामी विदेशी कम्पनी को भारतीय कम्पनी के अंशों का हस्तान्तरण बशर्ते कि निर्धारित शर्तें पूरी हों।
19. किसी सहकारी बैंक या उसके अंशधारी द्वारा द्वारा व्यवसाय का पुनर्गठन होने पर पूंजी सम्पत्ति या अपने अंशों (पूंजी सम्पत्ति) का दूसरे सहकारी बैंक को हस्तान्तरण ।
20. विदेशी मुद्रा में खरीदे गए बंधपत्रों का किसी कम्पनी के अंशों या ऋणपत्रों में परिवर्तन के रूप में हस्तान्तरण ।
21. केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित योजना के अर्न्तगत प्रतिवर्ती बंधक के रूप में किसी पूंजी सम्पत्ति का हस्तान्तरण ।
22. किसी निजी कम्पनी या असूचीबद्ध लोक कम्पनी द्वारा या उसके अंशधारियों द्वारा पूंजी सम्पत्ति या अमूर्त सम्पत्ति या अंशों का सीमित दायित्व भागीदारी (एल0एल0पी0)को हस्तान्तरण, बशर्ते निर्धारित शर्ते पूरी हों।
23. किसी अनिवासी द्वारा किसी दूसरे अनिवासी को ऐसी सरकारी प्रतिभूति जिस पर ब्याज का सावधिक भुगतान किया जाता है, भारत के बाहर हस्तान्तरण ।
24 किसी न्यास को विशेष प्रयोजन वाहक के अंश का कारोबार न्यास के यूनिटों के प्रतिफल में हस्तान्तरण ।
25. किसी व्यक्ति द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी, संप्रभुत्वकारी स्वर्ण बन्धपत्र का विमोचन।
26. यदि किसी यूनिट धारक के द्वारा पारस्परिक निधि के यूनिटों को पारस्परिक निधि समेकन योजना के अन्तर्गत यूनिटों के बदले समेकित योजना के यूनिटों का आवटन ।

27. किसी अनिवासी द्वारा दूसरे अनिवासी भारतीय कम्पनी के भारत से बाहर निर्गमित किए गए रुपए में अंकित बाण्डों का हस्तान्तरण ।
28. किसी कम्पनी के पूर्वाधिकार अंशों को उस कम्पनी के साधारण अंशों में परिवर्तित करना ।

8.6 पूंजी लाभ की गणना (Computation of Capital Gains)

'पूंजी लाभ' के शीर्षक में पूंजी लाभ की गणना अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन पूंजी सम्पत्तियों के संबंध में निम्न प्रकार की जाती है :

1. अल्पकालीन पूंजी लाभ की गणना–

प्राप्त अथवा प्राप्य प्रतिफल के सम्पूर्ण मूल्य ....

घटाया :

(i) पूंजी सम्पत्ति को प्राप्त करने की लागत ....

(ii) सुधार की लागत ....

(iii) पूर्णतया हस्तान्तरण के सम्बन्ध में किये गय व्यय ....
(दलाली या कमीशन, स्टाम्प व्यय,
विज्ञापन, यात्रा व्यय आदि)

अल्पकालीन पूंजी लाभ / हानि ....

....

किन्तु प्रतिभूति संव्यवहार कर की राशि नहीं घटाई जाती है।

---

2. दीर्घकालीन पूंजी लाभ की गणना–

प्राप्त अथवा प्राप्य प्रतिफल का सम्पूर्ण मूल्य ....

घटाया :

(i) पूंजी सम्पत्ति को प्राप्त करने की सूचकांक लागत ....

(ii) सुधार की लागत/सूचकांक लागत ....

(iii) पूर्णतया हस्तान्तरण के सम्बन्ध में किये गय व्यय ....
(दलाली या कमीशन, स्टाम्प व्यय,
विज्ञापन, यात्रा व्यय आदि)

अल्पकालीन पूंजी लाभ / हानि ....

....

किन्तु प्रतिभूति संव्यवहार कर की राशि नहीं घटाई जाती है ।

उदाहरण : 1

निम्नलिखित लेन देनों के संबंध में कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए पूंजी लाभ की गणना कीजिए।

1. एक्स को एक कम्पनी से 200 बोनस अंश वर्ष 2012–13 में प्राप्त हुए जिन्हें उसने वर्ष 2018–19 में 50 रू0 प्रति अंश की दर से विक्रय कर दिया।

2. वाई को एक कम्पनी से 10 रू प्रति अंश की दर से 200 अधिकार अंश वर्ष 2017–18 में प्राप्त हुए जिन्हें उसने वर्ष 2018–19 में 40 रू0 प्रति अंश की दर से विक्रय कर दिया।
3. जेड ने एक मकान को जिसे उसने 1 अप्रैल 1997 को 1,00,000 रू0 में क्रय किया था, 1 अगस्त , 2018 को रू0 18,00,000 में विक्रय कर दिया। विक्रय पर रू0 30,000 दलाली के व्यय हुए। 1 अप्रैल 2001 को मकान का उचित बाजार मूल्य रू0 1,50,000 माना गया। वर्ष 2018–19 लागत सूचकांक 280 है।

प्रश्नोत्तर :

कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए पूंजी लाभ की गणना

1.	200 बोनस अंशों के विक्रय से प्राप्त राशि (200 X 50)	रू0 10,000
	घटाया– 200 बोनस अंशों की प्राप्ति लागत	शून्य
	दीर्घकालीन पूंजी लाभ	रू0 10,000
2.	200 अधिकार अंशों के विक्रय से प्राप्त राशि (200 X 40)	रू0 8,000
	घटाया– 200 बोनस अंशों की प्राप्ति लागत(200 X 10)	रू0 2,000
	अल्पकालीन पूंजी लाभ	रू0 6,000
3.	मकान के विक्रय से प्राप्त राशि	रू0 18,00,000
	घटाया– विक्रय व्यय–दलाली	रू0 30,000
	शुद्ध विक्रय प्रतिफल	रू0 17,70,000
	घटाया– प्राप्ति की सूचकांक लागत	
	(1,50,000 X 280 / 100)	रू0 4,20,000
	दीर्घकालीन पूंजी लाभ	रू0 13,50,000

अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन पूंजी लाभ की गणना करने में सम्पत्ति के प्रतिफल का पूर्ण मूल्य, सम्पत्ति प्राप्ति की लागत, सम्पत्ति प्राप्ति की सूचकांक लागत, सम्पत्ति में सुधार की लागत तथा सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य आदि के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान हैं :

8.6.1 सम्पत्ति के प्रतिफल का पूर्ण मूल्य

सम्पत्ति के प्रतिफल से आशय उस मूल्य से है जिसे सम्पत्ति का हस्तान्तरक सम्पत्ति के प्रतिफल के रूप में प्राप्त करता है। इस संबंध में निम्नलिखित प्रावधान हैं–

1. सम्पत्ति के **पूर्ण** प्रतिफल का अर्थ प्रसंविदा में तय विक्रय मूल्य से है।
2. कर्मचारी स्टाक आप्सन प्लान (ई0एस0ओ0पी0) के अर्न्तगत अंश, ऋण पत्र, अधिपत्र आदि का भेंट या अखण्डनीय ट्रस्ट को हस्तान्तरण की स्थिति में हस्तान्तरण की तिथि को बाजार मूल्य **पूर्ण** प्रतिफल होगा।

3. भूमि, भवन या दोनों के हस्तान्तरण से प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल के स्टाम्प ड्यूटी के लिए निर्धारित या निर्धारणीय मूल्य से कम होने पर स्टाम्प ड्यूटी के लिए निर्धारित या निर्धारणीय मूल्य **पूर्ण** प्रतिफल होगा।
4. मान्यताप्राप्त स्टाक विपणि पर गैर सूचीबद्ध अंशों का निर्धारित उचित मूल्य **पूर्ण** प्रतिफल माना जाएगा।
5. पूंजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण से प्राप्त प्रतिफल ज्ञात न हो सकने की स्थिति में हस्तान्तरण की तिथि को उचित बाजार मूल्य **पूर्ण** प्रतिफल माना जाएगा।

8.6.2 सम्पत्ति प्राप्ति की लागत।

सम्पत्ति प्राप्ति की लागत वह राशि होती है , जितने में उसे प्राप्त या क्रय या निर्मित किया गया है। इसमें स्थापना व्यय, पंजीकरण शुल्क, यात्रा व्यय आदि भी सम्मिलित होते हैं। इस संबंध में निम्नलिखित प्रावधान हैं –

1. पूंजी सम्पत्ति को उसके पूर्व स्वामी ने जितने में प्राप्त किया था उसमें सुधार के व्ययों को जोड़कर आयी राशि प्राप्ति की लागत मानी जाएगी।(धारा 49 (2))
2. करदाता द्वारा कोई अंश या प्रतिभूति 1 अप्रैल 2001 से पूर्व प्राप्त करने पर उसकी वास्तविक लागत या 1 अप्रैल 2001 को उसका उचित बाजार मूल्य, दानों में जो करदाता के लिए लाभदायक हो, प्राप्ति की लागत मानी जाएगी। अंश या प्रतिभूति 1 अप्रैल 2001 के बाद प्राप्त करने पर उसकी वास्तविक लागत प्राप्ति की लागत मानी जाएगी। बोनस अंश 1 अप्रैल 2001 से पूर्व प्राप्त करने पर 1 अप्रैल 2001 को उसका उचित बाजार मूल्य एवं अन्य दशा में शून्य राशि प्राप्ति की लागत मानी जाएगी। अधिकार अंश का प्राप्ति की लागत इनके लिए वास्तव में भुगतान की गयी राशि मानी जाएगी।(धारा 55 (2))
3. ख्याति एवं अन्य अमूर्त पूंजी सम्पत्ति की प्राप्ति की लागत (1) पूर्व स्वामी से क्रय करने पर क्रय मूल्य (2) अन्य किसी दशा में शून्य एवं (3) धारा 49(1) में वर्णित दशाओं में पूर्व स्वामी की लागत मानी जाएगी।(धारा 55 (2))
4. एकीकृत कम्पनी के अंशों की प्राप्ति की लागत वही होगी जो एकीकरण होने वाली की थी। परिणामी कम्पनी में अंशों की की प्राप्ति की लागत अविलयित कम्पनी के अंशों की प्राप्ति की लागत का वह अनुपात होगी जिसमें अविलयित कम्पनी ने अपनी नैट वर्थ में से सम्पत्तियों का हस्तान्तरण किया है। अविलयित कम्पनी के अंशों की लागत उसके मूल अंशों की लागत में से इस लागत को घटाकर आयी राशि होगी। उदाहरणार्थ यदि एक्स अंशधारी जिसके पास एक अविलयित कम्पनी के 5000 अंश हैं, और परिणामी कम्पनी को अविलयित कम्पनी ने अपनी 10,00,000 की नैट वर्थ में से 5,00,000 की सम्पत्तियों का हस्तान्तरण किया है, तो उसके अंशों की प्राप्ति की लागत रू0 5,000 X 1/2 =2,500 होगी। अविलयित कम्पनी के अंशों की लागत रू0 5000–2,500=2,500 होगी। (धारा 49 (2))

5. स्कन्ध विपणि के विपारस्पीकरण या निगमीकरण की दशा में सदस्यता के स्थान पर अंशों के निर्गमन की प्राप्ति की लागत वही होगी जो सदस्यता प्राप्ति के समय थी।(धारा 55 (2))
6. कर्मचारी स्टाक आप्सन प्लान (ई0एस0ओ0पी0) के अर्न्तगत निर्गमित समता अंशों की लागत वेतन शीर्षक में अनुलाभ के अर्न्तगत मानी गयी लागत के समान होगी।(धारा 49 (2))
7. निजी कम्पनी को सीमित दायित्व वाली साझेदारी में परिवर्तित कर देने पर साझेदारी के हिस्से की लागत वही होगी जो ऐसी कम्पनी में अंशों की लागत थी।(धारा 49 (2))
8. पूर्वाधिकार अंश के बदले साधारण अंश की लागत पूर्वाधिकार अंश की लागत होगी। (धारा 49 (2))
9. किसी पूंजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण के संबंध में प्राप्त अग्रिम राशि के हरण या जब्त करने पर ऐसी राशि पूंजी सम्पत्ति की प्राप्ति लागत में से घटाकर शेष राशि प्राप्ति की लागत होगी। (धारा 51)
10. बिना प्रतिफल या अपूर्ण प्रतिफल के हस्तान्तरण की गयी अचल पूंजी सम्पत्ति की प्राप्ति लागत स्टाम्प ड्यूटी के लिए निर्धारित मूल्य मानी जाएगी।
11. आय घोषणा योजना , 2016 के अर्न्तगत सम्पत्ति की प्राप्ति लागत वही होगी जो उस में योजना में मानी गयी है।(धारा 49 (5))
12. रहतिए को पूंजी सम्पत्ति में परिवर्तित करने पर ऐसी पूंजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण की दशा में प्राप्ति लागत वही होगी जो रहतिए की मानी गयी है।(धारा 49 (9))

8.6.3 सम्पत्ति में सुधार की लागत

पूंजी सम्पत्ति प्राप्ति के पश्चात उसमें विस्तार, नवीनीकरण आदि सुधार की लागत कही जाती है, किन्तु मरम्मत के व्यय को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। इस संबंध में निम्नलिखित प्रावधान हैं –

1. ख्याति या किसी वस्तु के निर्माण, उत्पादन या प्रक्रिया, पेशे या वयवसाय करने के अधिकारों की दशा में सुधार की लागत शून्यमानी जाती है।
2. अन्य पूंजी सम्पत्ति की दशा में, 1 अप्रैल 2001 से पूर्व किये गए पूंजीगत व्यय के संबंध में सुधार की लागत शून्य मानी जाती है, जबकि उसे 1 अप्रैल 2001 के बाद किये गए पूंजीगत व्यय को सुधार की लागत माना जाता है।

8.6.4 सम्पत्ति प्राप्ति की सूचकांक लागत

दीर्घकालीन पूंजी सम्पत्ति की प्राप्ति एवं उन्हें हस्तान्तरण करने के समय में प्रायः लम्बा अन्तराल होता है। करदाता के हित में यह आवश्यक है कि सम्पत्ति प्राप्ति एवं सम्पत्ति में सुधार करने की लागत को स्फीति सूचकांक से समायोजित कर दिया जाय, ताकि रूपये के समय मूल्य में कमी के अनुसार मूल लागत बढ़ जाय एवं कर योग्य पूंजी लाभ तद्नुसार कम हो जाय। दीर्घकालीन पूंजी सम्पत्ति सूचकांक लागत की गणना निम्न प्रकार की जायेगी:

प्राप्ति की लागत x विक्रय वाले वर्ष का लागत स्फीति सूचकांक

सम्पत्ति प्राप्ति के वर्ष अथवा 1.4.2001 का लागत स्फीति सूचकांक, जो बाद में हो

भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2001–02 पर आधरित निम्न लागत स्फीति सूचकांक घोषित किये गए हैं:

वित्तीय वर्ष	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06
लागत स्फीति सूचकांक	100	105	109	113	117
वित्तीय वर्ष	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11
लागत स्फीति सूचकांक	122	129	137	148	167
वित्तीय वर्ष	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
लागत स्फीति सूचकांक	184	200	220	240	254
वित्तीय वर्ष	2016–17	2017–18	2018–19		
लागत स्फीति सूचकांक	264	272	280		

सम्पत्ति में सुधार करने की सूचकांक लागत की गणना निम्न प्रकार की जाती है:

सुधार की लागत x विक्रय वाले वर्ष का लागत स्फीति सूचकांक

सुधार करने वाले वर्ष का लागत स्फीति सूचकांक

यदि 1.4.2001 से पूर्व सम्पत्ति के सुधार पर व्यय की दशा में इसकी कटौती नहीं मिलती है।

सरकार द्वारा निर्गमित सूचकांक बॉण्ड्स , संप्रभुत्वकारी स्वर्ण बन्धपत्र के विक्रय पर लाभ की गणना के लिए प्राप्ति की लागत की सूचकांक लागत ज्ञात की जाएगी। किन्तु बॉण्ड्स अथवा ऋणपत्रों के हस्तान्तरण से होने वाले दीर्घकालीन पूंजी लाभ तथाएक कम्पनी के साधारण अंश या शेयरोन्मुखी निधि के यूनिट या व्यवसायिक ट्रस्ट के यूनिटों पर सूचकांक प्राप्त करने की लागत तथा सूचकांक सुधार करने की लागत के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

उदाहरण : 2

एक्स ने वर्ष 2000 में एक मकान 1,50,000 में क्रय किया तथा उसी वर्ष मकान में रू0 1,00,000 में एक और मंजिल निर्मित कर दी। अप्रैल, 2003 में मकान में रू0 50,000 में एक और कमरा निर्मित कर दिया। यह मकानएक्स ने 1 जनवरी को रू0 35,00,000

में विक्रय कर दिया। एक्स ने इस संबंध में विज्ञापन पर रू0 20,000 और पंजीकरण शुल्क एवं विक्रय व्यय के 4,50,000 रू0 व्यय किए । उसने पहले किरायेदार को मकान खाली कराने के लिये 3,00,000रू0 भुगतान किए। यह मानते हुए कि 1.4.2001 को मकान का उचित बाजार मूल्य 3,50,000 रू0 था, कर निर्धारण वर्ष 2018–19 के लिए कर योग्य पूॅंजी लाभ की गणना कीजिए। लागत स्फीति सूचकांक 2001–02, 2003–04, और 2018–19 में क्रमशः 100, 109 एवं 280 है।

प्रश्नोत्तर :

कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए पूंजी लाभ की गणना

3.	मकान के विक्रय से प्राप्त राशि		रू0 35,00,000
	घटाया– स्वीकृत व्यय–		
	विज्ञापन	रू0 20,000	
	पंजीकरण शुल्क एवं विक्रय व्यय	रू0 4,50,000	
	मकान खाली कराने के लिये भुगतान	रू0 3,00,000	रू0 7,70,000
	शुद्ध विक्रय प्रतिफल		रू0 27,30,000
	घटाया– (1)प्राप्ति की सूचकांक लागत		
	(3,50,000 X 280 / 100)	रू0 9,80,000	
	(2)सुधार की सूचकांक लागत		
	(1,09,000 X 280 / 109)	रू0 2,80,000	रू0 12,60,000
	दीर्घकालीन पूंजी लाभ		रू0 14,70,000

नोट –1.04.2001 से पूर्व मकान में किए गए सुधार के व्यय के संबंध में कटौती स्वीकृत नही है।

8.6.5 विशेष स्थितियों में पूॅंजी लाभों की गणना

1. पूंजी सम्पत्ति को बाढ़ , तूफान, चक्रवात, भूकम्प या अन्य प्राकृतिक कारणों ; या बलवा या सिविल उपद्रव; या आकस्मिक आग या विस्फोट; या किसी शत्रु के विरूद्ध की गयी कार्यवाही आदि से हुए नुकसान या उसके विना"ा होने पर बीमाकर्ता से कोई धन या सम्पत्ति प्राप्त होती है, तो पूंजीगत लाभ उस गत वर्ष का लाभ माना जायेगा जिस गत वर्ष में धन या सम्पत्ति प्राप्त होती है तथा प्राप्त की तिथि को धन का मूल्य या सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य प्रतिफल का सम्पूर्ण मूल्य माना जायेगा। । { धारा 45 (1A) }
2. पूंजी सम्पत्ति को अपने व्यापार के रहतिये के रुप में परिवर्तित करने उत्पन्न लाभ होता है विक्रय या हस्तान्तरण के वर्ष में कर–योग्य होगा तथा उसके रहतिये के रुप में परिवर्तित होने के दिन का उचित बाजार मूल्य, प्राप्त अथवा प्राप्य पूर्ण प्रतिफल माना जायेगा। ऐसे माल के रहतिये का वास्तविक शुद्ध विक्रय मूल्य जितना उस दिन के उचित बाजार मूल्य से अधिक होगा

(जिस दिन पूंजी सम्पत्ति को रहतिये में परिवर्तित किया था) व्यापारिक लाभ माना जाएगा। { धारा 45 (2) }

3. प्रतिभूतियॉ को जमादाता के पास जमा करा देने पर ऐसी प्रतिभूतियों के जमादाता अथवा स्वामी द्वारा हस्तान्तरित कर देने पर उत्पन्न होने वाला लाभ स्वामी का उस गत वर्ष का लाभ माना जाएगा जिस गत वर्ष में इनका हस्तान्तरण किया गया है। { धारा 45 (2A) }

4. सम्पत्ति का फर्म अथवा व्यक्तियों के समुदाय को हस्तान्तरण होने पर, ऐसा पूंजीगत लाभ उस गत वर्ष में कर–योग्य होगा जिस गत वर्ष में पूंजी सम्पत्ति हस्तान्तरित की गई है। फर्म या समुदाय की पुस्तकों में सम्पत्ति जिस मूल्य पर लिखी गई है वही मूल्य ऐसी सम्पत्ति के प्रतिफल का पूर्ण मूल्य माना जाएगा। संस्था या व्यक्तियों के समुदाय के विघटन के समय या किसी अन्य प्रकार से पूंजी सम्पत्तियॉ साझेदार/समुदाय के सदस्य को वितरित करने पर हस्तान्तरण की तिथि को ऐसी सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य माना जाएगा।{धारा 45 (4) }

5. किसी कानून के अर्न्तगत अनिवार्य रुप से ले ली गई पूंजी सम्पत्ति उस गत वर्ष में कर–योग्य होगी , जिस वर्ष सम्पूर्ण अथवा आंशिक प्रतिफल प्राप्त हुआ है। यदि प्रतिफल या क्षतिपूर्ति राशि को न्यायालय द्वरा या किसी अन्य पदाधिकारी द्वारा बढ़ा देने पर अतिरिक्त प्रतिफल की राशि प्राप्त होने वाले गत वर्ष में कर–योग्य होगी । प्रतिफल को कम कर दिये जाने पर उस वर्ष के पूंजी लाभ की गणना कम किए गए प्रतिफल को ध्यान में रखकर पुनः की जाएगी।

   जिस वर्ष अतिरिक्त प्रतिफल की राशि प्राप्त होगी उस वर्ष सम्पत्ति के अधिग्रहण की लागत एवं सुधार की लागत शून्य मानी जाएगी। अतिरिक्त प्रतिफल की राशि प्राप्त होने से पूर्व ही करदाता की मृत्यु हो जाने पर मृत्यु के पश्चात् अथवा किसी अन्य कारण से प्रतिफल के प्राप्तकर्ता को प्राप्त राशि पूंजीगत लाभ शीर्षक में कर योग्य होगी। क्ष धारा 45 (5)

6. विशिष्ट ठहराव के अन्तर्गत भूमि या भवन का हस्तान्तरण : ऐसी दशा में पूर्ण प्रतिफल में से विशिष्ट ठहराव के अन्तर्गत अन्तरित सम्पत्ति की लागत घटाकर शेष राशि पूंजी लाभ होगा। उसे गत वर्ष की आय माना जाऐगा जिस गत वर्ष में संबंधित सक्षम प्राधिकारी सम्पूर्ण परियोजना या उसके भाग के लिए समापन प्रमाण–पत्र जारी करता है।{धारा 45 (5A) }

7. पारस्परिक कोष या यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्ड़िया की इक्विटी लिंक्ड बचत योजना के यूनिट पुनः क्रय करने पर उत्पन्न पूंजीगत लाभ इनके हस्तान्तरणकर्ता के हाथों में कर–योग्य होगा। जिस गत वर्ष में यूनिट पुनः खरीदे जाते हैं उस वर्ष पुनः क्रय मूल्य एव क्रय मूल्य का अन्तर पूंजी लाभ माना जाएगा। {धारा 45 (6 }

8. मंदी विक्रय का आशय एक या अधिक उपक्रमों को एकमुश्त प्रतिफल के बदले में हस्तान्तरित करने से है। किसी उपक्रम या उसके किसी प्रभाग के मंदी विक्रय के अन्तर्गत हस्तान्तरित किये जाने पर सूचकांक लागत की गणना नहीं की जायेगी बल्कि प्राप्त की लागत तथा सुधार की लागत उस उपक्रम या प्रभाग का 'शुद्ध मूल्य' या नैट वर्थ मानी जायेगी ।

शुद्ध मूल्य (Net Worth) = (ह्रास योग्य सम्पत्तियों का अपलिखित मूल्य + अन्य सम्पत्तियों का पुस्तक मूल्य) – दायित्व ।

8.7 कर मुक्त पूँजी लाभ

कर मुक्त पूँजी लाभ वह हैं जो न तो करदाता की कुल आय में जोड़े जाते हैं और न उन पर कर लगता है। निम्नलिखित पूँजी लाभ पूर्णतया कर मुक्त हैं : (धारा–54)

1. शून्य प्राप्ति लागत वाली पूँजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण से पूँजी लाभ।
2. ऐसे पूँजी लाभ जो हस्तान्तरण न माने जाने व्यवहारों के अर्न्तगत आने के कारण पूँजी लाभ नहीं माने जाते हैं जैसे उत्तराधिकार, भेंट आदि से प्राप्त पूँजी सम्पत्ति।
3. निवास के लिए प्रयुक्त मकान सम्पत्ति के विक्रय पर पूँजी लाभ निम्नलिखित शर्तों के पूर्ण होने पर पूर्णतया कर मुक्त हैं : (धारा–54)

   (1) मकान सम्पत्ति या उससे लगी भूमि व्यक्ति या हिन्दू अविभाजित परिवार के द्वारा हस्तान्तरित है तथा यह दीर्घकालीन पूँजी सम्पत्ति है,

   (2) मकान सम्पत्ति रहने के उद्देश्य के लिये है चाहे उसें मकान मालिक या किरायेदार स्वयं रहता हो तथा मकान सम्पत्ति या उससे लगी भूमि की आय मकान सम्पत्ति से आय शीर्षक में कर योग्य है।

   (3) करदाता ने हस्तांतरण से पूर्व 01 वर्ष में या हस्तांतरण के पश्चात 02 वर्ष में एक नया स्वयं के रहने का मकान क्रय कर लिया हो या हस्तांतरण के पश्चात 03 वर्ष में एक नया स्वयं के रहने का मकान भारत में निर्मित कर लिया हो। ऐसा करने पर करदाता इस मकान का हस्तांतरण 03 वर्ष से पूर्व नहीं कर सकता है अन्यथा यह छूट रद्द होकर अल्पकालीन पूंजी लाभ मानकर उस वर्ष में करयोग्य होगी जिसमें ऐसा किया गया है।

   (4) यदि करदाता उपरोक्त 3–(3) के अनुसार विक्रय राशि या पूँजी लाभ का उपयोग नहीं कर पाता है, तो वह आय की विवरणी दाखिल करने की देय तिथि तक इस राशि को पूँजी लाभ खाता योजना के अर्न्तगत बैंक मे खाता खुलवाकर जमा करा देने पर इस कटौती को प्राप्त कर सकता है।
4. एक व्यक्ति या हिन्दू अविभाजित परिवार के द्वारा हस्तान्तरित शहरी क्षेत्र में अवस्थित अपनी कृषि भूमि जो 2 वर्ष पूर्व से कृषि कार्य में प्रयुक्त हो रही थी, पर छूट प्राप्त होगी यदि :

(1) हस्तांतरण के पश्चात 02 वर्ष में एक नयी कृषि भूमि कृषि कार्य में प्रयुक्त होने के लिए क्रय कर ली है, जिसका हस्तान्तण वह क्रय के 03 वर्ष तक नही

कर सकेगा । ऐसा करने पर इसे उस वर्ष का अल्पकालीन पूॅंजी लाभ मानकर कर लगेगा।

(2) यदि करदाता उपरोक्त उत्पन्न पूॅंजी लाभ का उपयोग नहीं कर पाता है, तो वह आय की विवरणी दाखिल करने की देय तिथि तक इस राशि को पूॅंजी लाभ खाता योजना के अर्न्तगत बैंक मे खाता खुलवाकर जमा करा देने पर इस कटौती को प्राप्त कर सकता है।:(धारा–54 बी0)

5. एक औद्यौगिक उद्यम की भूमि या भवन, जो 2 वर्ष पूर्व से उद्योग में प्रयुक्त हो रही थी, के अनिवार्य अधिग्रहण पर पूॅंजी लाभ पर छूट प्राप्त होगी यदि (धारा–54 डी0)

(1) हस्तांतरण के पश्चात 02 वर्ष में एक नयी कृषि भूमि उस कार्य में प्रयुक्त होने के लिए क्रय कर ली है, या भवन निर्मित कर लिया गया है । (इसका हस्तान्तण वह क्रय के 03 वर्ष तक नही कर सकेगा ।ऐसा करने पर इसे उस वर्ष का अल्पकालीन पूॅंजी लाभ मानकर कर लगेगा।

(2) यदि करदाता उपरोक्त उत्पन्न पूॅंजी लाभ का उपयोग नहीं कर पाता है, तो वह आय की विवरणी दाखिल करने की देय तिथि तक इस राशि को पूॅंजी लाभ खाता योजना के अर्न्तगत बैंक मे खाता खुलवाकर जमा करा देने पर इस कटौती को प्राप्त कर सकता है।

6. दीर्घकालीन पूंजी लाभ निर्दिष्ट दीर्घकालीन बॉण्ड्स में विनियोग करने पर पूर्णतया कर मुक्त हैं बशर्ते कि निम्नलिखित शर्तें पूर्ण हों :(धारा–54 ई0सी0)

(1) लाभ की राशि सम्पत्ति के हस्तान्तरण के छः माह के अन्दर निर्दिष्ट दीर्घकालीन बॉण्ड्स में विनियोजित कर दी गयी है।

(2) विनियोग की गई राशि के पूंजी लाभ से कम होने पर निर्दिष्ट सम्पत्ति की लागत तक पूंजी लाभ कर–मुक्त होगा ।

(3) हस्तान्तरण के वित्तीय वर्ष के बाद के वित्तीय वर्ष में अधिकतम पचास लाख रुपए तक ही विनियोग किया जा सकेगा।

(4) निर्दिष्ट बॉण्ड्स की लागत (जिस पर धारा 54 ई0सी0की छूट मिल चुकी है) धारा 80सी0 में कटौती के योग्य नहीं है।

निर्दिष्ट बॉण्ड्स को प्राप्ति की तिथि से तीन वर्ष में हस्तांतरित करने या मुद्रा में परिवर्तित करने पर , ऐसा करने के वर्ष में कर लगाया जाएगा ।

7. दीर्घकालीन पूंजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण से होने वाला पूंजी लाभ पूर्णतया कर मुक्त हैं यदि दीर्घकालीन पूंजी लाभ का विनियोग, विनियोग से सम्बन्धित सम्पत्ति–यूनिट या यूनिटों, जो 1.4.2019 से पूर्व ऐसी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित निधि द्वारा जारी की जाएं, में कर दिया जाता है। (धारा 54ईई)।

8. एक व्यक्ति अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार का रिहायशी मकान छोड़कर कोई भी अन्य दीर्घकालीन पूंजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर पूंजी लाभ की प्रतिफल की राशि रिहायशी मकान में विनियोग करने पर पूंजी लाभ कर–मुक्त होगा, बशर्ते कि निम्नलिखित शर्तें पूर्ण हों :(धारा–54 एफ)

(1) हस्तान्तरण की तिथि को करदाता के पास एक से अधिक रिहायशी मकान नहीं हो,

(2) करदाता हस्तान्तरण की तिथि से एक वर्ष पूर्व या दो वर्ष बाद के अन्दर एक रिहायशी मकान भारत में क्रय कर लेता है अथवा 3 वर्ष के अन्दर एक रिहायशी मकान भारत में निर्मित कर लेता है, और करदाता को नये रिहायशी मकान से प्राप्त आय 'मकान सम्पत्ति से आय' शीर्षक में कर–योग्य होगी।

(3) यदि नये मकान की लागत, पूंजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण से प्राप्त शुद्ध प्रतिफल से अधिक हो तो सम्पूर्ण पूंजी लाभ कर–मुक्त होगा। यदि कम हो तो आनुपातिक पूंजी लाभ कर–मुक्त होगा।

अर्थात कर–मुक्त राशि पूंजी लाभ x नए मकान की लागत/ शुद्ध विक्रय प्रतिफल

(4) यदि करदाता उपरोक्त उत्पन्न पॅूजी लाभ का उपयोग नहीं कर पाता है, तो वह आय की विवरणी दाखिल करने की देय तिथि तक इस राशि को पॅूजी लाभ खाता योजना के अर्न्तगत बैंक मे खाता खुलवाकर जमा करा देने पर इस कटौती को प्राप्त कर सकता है।

किन्तु यदि करदाता हस्तान्तरण की तिथ से दो वर्ष के अन्दर एक अन्य रिहायशी मकान क्रय कर लेता है अथवा 3 वर्ष के अन्दर एक अन्य रिहायशी मकान बनवा लेता है या नए क्रय किए गए अथवा बनवाए गए रिहायशी मकान का 3 वर्ष के अन्दर हस्तान्तरण कर देता है तो छूट **रद्द** कर दी जाएगी और इसे दीर्घकालीन पूंजी लाभ मानकर कर लगाया जाएगा।

9. शहरी क्षेत्र से औद्योगिक उद्यम को हटाकर गैर–शहरी क्षेत्र में ले जाने के सम्बन्ध में पर दीर्घकालीन अथवा अल्पकाली पूंजी सम्पत्तियों के हस्तान्तरण पर पूंजी लाभ निम्न शर्तें पूरी होने पर कर–मुक्त होता है (धारा 54 G)

(1) हस्तान्तरण से एक वर्ष पूर्व अथवा 3 वर्ष बाद के अन्दर पूंजी लाभ की राशि नयी मशीन अथवाप्लाण्ट क्रय करने के लिए तथा नयी भूमि अथवा भवन प्राप्त करने अथवा बनवाने , सम्पत्तियों को उस क्षेत्र में ले जाने अथवा संस्था को ले जाने पर हुए व्यय के लिए प्रयोग कर ली जानी चाहिए,

(2) प्राप्त नये मशीन अथवा प्लाण्ट अथवा भूमि अथवा भवन का कम–से–कम तीन वर्ष तक हस्तांतरण नही होगा।

(3) पूंजी लाभ उस राशि तक ही कर–मुक्त होगा जहां तक यह राशि उपर्युक्त वर्णित उद्देश्यों के लिए प्रयोग कर ली गयी हो। शेष पूंजी लाभ कर–योग्य होगा।

(4) यदि पूंजी लाभ की सम्पूर्ण राशि उपर्युक्त उद्देश्यों हेतु प्रयोग नहीं की जा पाती है तो आय का विवरण दाखिल करने की देय तिथि तक इस प्रकार न प्रयोग हुई राशि पूंजी लाभ खाता योजना में जमा कर दी जाए तो सम्पूर्ण पूंजी लाभ कर–मुक्त हो जाएगा।

8.8 पूंजी हानि की पूर्ति

अल्पकालीन पूंजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण से उत्पन्न अल्पकालीन पूंजी हानि की पूर्ति किसी अन्य अल्पकालीन पूंजी लाभ या दीर्घकालीन पूंजी लाभ से ही की जा सकती है।

दीर्घकालीन पूंजी हानि की पूर्ति– दीर्घकालीन पूंजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण से उत्पन्न दीर्घकालीन पूंजी हानि की पूर्ति किसी अन्य दीर्घकालीन पूंजी लाभ से ही की जा सकती है।

8.9 सारांश

पॅूजी सम्पत्तियों के कर योग्य लाभपॅूजी सम्पत्ति के उन हस्तान्तरणों से उत्पन्न होते हैं, जिन्हें धारा 45 के अनुसार हस्तान्तरण माना जाता है। किन्तु धारा 47 के अनुसार कुछ व्यवहार जैसे भेंट एवं वसीयत, अखण्डनीय ट्रस्ट के अर्न्तगत हस्तान्तरण, हिन्दू अविभाजित परिवार (एच0यू0एफ0) के विभाजन पर पॅूजी सम्पत्तियों का वितरण, भारतीय सूत्रधारी एवं सहायक कम्पनियों के मध्य पॅूजी सम्पत्ति हस्तान्तरण आदि हस्तान्तरण नहीं माने जाते हैं। धारा 48 के अनुसार पॅूजी लाभों एवं हानियों की गणना के लिए उन्हें अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन पॅूजी लाभों एवं हानियों में विभक्त किया गया है। सम्पत्ति हस्तान्तरण के कुल प्रतिफल में से सम्पत्ति को प्राप्त करने एवं उसमें सुधार की लागत, हस्तान्तरण के व्ययों को घटा दिया जाता है। धारा 54 के अनुसार कुछ शर्तों के पूरा करने पर कतिपय पॅूजी लाभों को पूर्णतया कर मुक्त किया गया है।

8.10 शब्दावली

पॅूजी सम्पत्ति : पॅूजी सम्पत्ति में चल एवं अचल, मूर्त एवं अमूर्त सम्पत्तियां जैसे भूमि एवं भवन, प्लाण्ट एवं मशीन, फर्नीचर, प्रतिभूतियां, ख्याति, पट्टा, लाइसेन्स अधिकार आदि सम्मिलित होती हैं, चाहे वह करदाता के व्यापार से सम्बन्धित हो अथवा नही ।

अल्पकालीन पॅूजी सम्पत्तिः अल्पकालीन पॅूजी सम्पत्ति वह है, जो करदाता के पास हस्तान्तरण की तिथि से ठीक पूर्व 36 माह से अधिक से नहीं होती है।

दीर्घकालीन पॅूजी सम्पत्ति :दीर्घकालीन पॅूजी सम्पत्ति वह है, जो करदाता के पास हस्तान्तरण की तिथि से ठीक पूर्व 36 माह से अधिक अवधि से होती है।

डी0सी0एफ0(एच0यू0एफ0) : हिन्दू अविभाजित परिवार

एल0टी0सी0जी0 : दीर्घकालीन पॅूजी लाभ

एस0टी0सी0जी0: अल्पकालीन पॅूजी लाभ

ई0एस0ओ0पी0 : कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना

सी0जी0ए0एस0 : लाभ खाता योजना

डब्ल्यू0डी0वी0 : ह्रासित अपलिखित मूल्य

8.11 बोध प्रश्न

(अ) रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए :

(1) यदि सम्पत्ति का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य से कम है तो यह कमी ....होती है।

(2) मूर्तियां, कलाकृतियां एवं आभूषण............. सम्पत्तियांनहीं मानी जाती है, अतः इनके हस्तान्तरण से पूँजी लाभ ....हैं।

(3) .... से पूर्व किये गये पूँजीगत व्यय को सुधार नहीं माना जाता है।

(4) रहने के मकान के हस्तान्तरण से पूँजी लाभ की छूट.................. को प्राप्त होती है।

(5) कृषि भूमि के हस्तान्तरण से पूँजी लाभकी छूट ....में स्थित भूमि को मिलेगी।

(ब) सत्य/असत्य बताइए।

(1) पूँजी सम्पत्ति को स्टॉक में परिवर्तित करके ऐसे स्टॉक के हस्तान्तरण से होने वाला लाभ कर योग्य पूँजी लाभ नहीं माना जाता है।

(2) अल्पकालीन पूँजी सम्पत्ति वह है, जो करदाता के पास हस्तान्तरण की तिथि से ठीक पूर्व 36 माह से अधिक से नहीं होती है।

(3) दीर्घकालीन पूँजी हानि की पूर्ति किसी अन्य दीर्घकालीन पूँजी लाभ से ही की जा सकती है।

(4) पूँजी सम्पत्ति की मरम्मत आदि का व्यय सुधार की लागत नहीं है।

(5) पूँजी सम्पत्ति की क्षति अथवा उसके नष्ट होने पर बीमाकर्ता से प्राप्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य पूर्ण प्रतिफल माना जाता है।

8.12 बोध प्रश्नों के उत्तर

(अ)

(1) पूँजी हानि (2) व्यक्तिगत, कर योग्य (3) 1अप्रैल , 2001 (4) एक व्यक्ति अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार (5) शहरी क्षेत्र में ।

(ब)

(1) असत्य (2) सत्य (3) सत्य (4) सत्य (5) सत्य

8.13 स्वपरख प्रश्न

1. पूँजी लाभों एवं हानियों को समझाइए । इनकी गणना कैसे की जाती है?
2. पूँजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण का आशय को उदाहरणों की सहायता से समझाइए। उन व्यवहारों को बताइये जिन्हें हस्तान्तरण नहीं माना जाता है।
3. पूँजी लाभों के प्रकार बताइये। अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन पूँजी लाभों में अन्तर भी कीजिये।
4. पूँजी सम्पत्ति को प्राप्त करने की लागत कैसे निर्धारित की जाती है ? लागत वृद्वि सूचकांक की अवधारणा को उदाहरण के द्वारा समझाइये।
5. पूर्णतया कर मुक्त पूँजी लाभों को समझाइये।

8.14 सन्दर्भ पुस्तकें

1. Singhania V.K. : Direct Taxes, Taxman, New Delhi. (2019).
2. मेहरोत्रा एच0सी0 एवं जोशी सीवएस0 : आय कर– कर निर्धारण वर्ष 2019–20, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा (2019)।

इकाई 9 अन्य साधनों से आय

इकाई की रूपरेखा

9.1 प्रस्तावना
9.2 कर योग्यता
 9.2.1 उपर्युक्त आयों के अतिरिक्त निम्न आयें भी 'अन्य साधनों से आय' में कर–योग्य होंगी
 9.2.2 कर–योग्य अन्य लाभ
9.3 कुछ प्रमुख आयों का विवेचन
9.4 न काटी जाने वाली राशियां
9.5 कटौतियां
9.6 सारांश
9.7 शब्दावली
9.8 बोध प्रश्न
9.9 बोध प्रश्नों के उत्तर
9.10 स्वपरख प्रश्न
9.11 सन्दर्भ पुस्तकें

उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप इस योग्य हो सकेंगे कि :

- अन्य साधनों से आय किसे कहते है ?
- अन्य साधनों से आय शीर्षक में आय की गणना करने की विधि;
- अन्य साधनों से आय शीर्षक में आय की गणना के विभिन्न वैधानिक पहलुओं का अध्ययन करेंगे।

9.1 प्रस्तावना

आय के पाँच शीर्षकों में पाँचवाँ शीर्षक अर्थात् अन्तिम शीर्षक **'अन्य साधनों की आय'** है। आय–कर अधिनियम 1961 की धारा 56 से 59 में परिभाषित किया गया है।

धारा 56(1)के अनुसार, सभी प्रकार की आय, जो इस अधिनियम के अन्तर्गत कुल आय में शामिल की जानी है, परन्तु **धारा 14** में उल्लिखित आय के प्रथम चार शीर्षक में कर–योग्य नहीं है, 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक में कर योग्य होगी।

निम्न दो शर्ते पूर्ण होने पर ही कोई आय इस शीर्षक में कर–योग्य मानी जायेगी:–

(1) आय, आय–कर अधिनियम 1961 के अन्तर्गत कर–योग्य हो और

(2) जो 'वेतन', 'मकान–सम्पत्ति से आय', 'व्यापार अथवा पेशों के लाभ एवं प्राप्तियाँ' अथवा 'पूँजी लाभ', के शीर्षक में सम्मिलित नही होती है।

9.2 कर योग्यता

भारत सरकार द्वारा अधिसूचित लेखा प्रमाणकों का पालन करना करदाता के लिए अनिवार्य होगा। यदि करदाता रोकड़ के आधार पर खाता तैयार करता है तो

आय की गणना 'प्राप्ति के आधार' पर तथा यदि करदाता व्यापारिक आधार पर खाते तैयार करता है तो 'देय आधार' पर किया जायेगा।

धारा 56(2) के अनुसार इस शीर्षक में व्यक्तिगत आय कर–योग्य मानी जाती है। निम्न आयें 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक में कर–योग्य होंगी :–

(1) लाभांश

(2) **आकस्मिक आय** जैसे – घुड़–दौड़ से आय, लॉटरी से आय, ताश, जुआ से आय, वर्ग पहेलियों से आय;

(3) कर्मचारियों से प्राप्त सुपरऐनुएशन फण्ड, प्रॉवीडेण्ड फण्ड , कल्याण हेतु स्थापित अन्य फण्ड, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत स्थापित किसी फंड में अंशदान।

(4) 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक के अन्तर्गत प्रतिभूतियो पर ब्याज कर–योग्य होगा।

(5) फर्नीचर, प्लान्ट , मशीनरी , भवन आदि किराये पर उठाने से आय।

(6) मुख्य व्यक्ति बीमा पॉलिसी के अन्तर्गत प्राप्त राशि बोनस सहित 'अन्य साधनों से आय' में कर–योग्य होगा।

(7) नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी की मृत्यु पर उसके परिवार को दी गई पेंशन 'अन्य साधनों से आय' के अन्तर्गत कर–योग्य होगा।

(8) प्रतिफल रहित राशियाँ या सम्पत्तियाँ – किसी गत वर्ष में एक व्यक्ति या हिन्दू अविभाजित परिवार द्वारा 1 अक्टूबर 2009 अथवा इसके बाद, बिना प्रतिफल के कोई धनराशि अथवा चल या अचल सम्पत्तियाँ पायी जाती है तो गत वर्ष में 50,000 रूपये से अधिक होती है तो कर लगाया जायेगा।

परन्तु उपर्युक्त वर्णित प्रावधान में यदि ऐसी धनराशि अथवा सम्पत्ति निम्न प्रकार से प्राप्त की जाती है, तो वह धनराशि या सम्पत्ति 50,000 रूपये से अधिक हो कर–योग्य नही होगी –

(क) करदाता के किसी रिश्तेदार से प्राप्त

(ख) स्थानीय सत्ता से प्राप्त राशि

(ग) वसीयत या उत्तराधिकारी के अन्तर्गत प्राप्त राशि

(घ) विवाह के अवसर पर प्राप्त राशि

(ङ) धारा 12 A या 12 AA के अन्तर्गत ऐसे ट्रस्ट या संस्था से मिले जो पंजीकृत हो।

(च) धारा 10(23) में वर्णित अस्पताल, चिकित्सा संस्थान या अन्य शिक्षण संस्थान से

प्राप्त।

नोटः–**(A)** सम्पत्ति से आ**शय** –

1. आभूषण
2. चित्र
3. मूर्तियां

4. कलाकृतिया
5. रंगचित्र
6. अंश एवं प्रतिभूतियाँ
7. अचल सम्पत्ति

(**B**) **रिष्तेदार से आशय –**

1. एक व्यक्ति का जीवन साथी
2. जीवन साथी का भाई अथवा बहन
3. माता–पिता में से किसी का भाई–बहन
4. जीवन–साथी का कोई वंशानुगत उत्तराधिकारी
5. व्यक्ति के भाई–बहन
6. एक हिन्दू अविभाजित परिवार की दशा में कोई भी सदस्य

(9) किसान विकास पत्र से प्राप्त होने वाला ब्याज
(10) राष्ट्रीय बचत पत्र के भाग 8 पर मिलने वाला ब्याज
(11) यदि क्षतिपूर्ति पर ब्याज , जिस वर्ष प्राप्त की गयी है उसके गत वर्ष की 'अन्य साधनो से आय' में कर–योग्य मानी जायेगी।
(12) नौकरी से निकाले जाने पर अथवा सेवा में परिवर्तन के कारण प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि 'अन्य साधनों से आय' में शामिल किया जायेगा।

9.2.1 उपर्युक्त आयों के अतिरिक्त निम्न आयें भी 'अन्य साधनों से आय' में कर–योग्य होंगी –

(1) संसद सदस्यो का वेतन
(2) मछली बाजार से आय
(3) बंजर भूमि से आय
(4) व्यापारिक सम्पत्तियों का प्रयोग से प्राप्त
(5) रॉयल्टीसे आय
(6) संचालक शुल्क
(7) भूमि से आय
(8) अस्पष्ट साधनों से आय
(9) अदृश्य स्त्रोतों से आय
(10) व्यापार चिन्हो को किराये पर देने से आय
(11) धारा 80-CCA में जमा राशि, जो निकाली गई राशि
(12) भारत के बाहर कृषि भूमि से आय
(13) पट्टे पर दी गयी सम्पत्ति से आय
(14) भारत के लिए खेलने वाले क्रिकेट खिलाड़ियो की आय
(15) बीमा कमीशन जो व्यापार अथवा पेशे के लाभो में कर–योग्य न हो
(16) अन्य व्यक्तियों की आय जो करदाता की कुल आय में जोड़ी जाती है।
(17) अप्रमाणित प्रॉविडेण्ट फण्ड में कर्मचारी के अंशदान पर ब्याज

(18) संचालक से प्राप्त ग्रेच्युइटी , जो कम्पनी के कर्मचारी नही है

(19) होटल के वेटर अथवा टैक्सी चालक को प्राप्त बक्शीश जो नियोक्ता से न मिली हो।

(20) सरकारी प्रतिष्ठानो की सावधि जमा योजना पर अर्जित ब्याज

9.2.2 कर–योग्य अन्य लाभ

पूर्व के वर्षो की यदि कोई हानि , व्यय या व्यापारिक दायित्व जो इस शीर्षक में कटौती के रूप में माना गया हो और गत् के वर्ष में कुछ प्राप्त हो जाए तो उस वर्ष की 'अन्य साधनों से आय' में शामिल किया जाएगा।

उदाहरण

आय के अन्य षीर्शक के अन्तर्गत कर–योग्य राषि की गणना

चल सम्पत्ति	उचित बाजार मूल्य	क्रय मूल्य	अन्तर
(क) हीरे की अंगूठी का उपहार	30,000	–	30,000
कलाकृति का उपहार	20,000	–	20,000
कुल	50,000	–	50,000
(ख) हीरे की अंगूठी का उपहार	1,60,000	1,22,000	38,000
कलाकृति का उपहार	40,000	29,000	11,000
कुल	2,00,000	1,51,000	49,000

(क) के अन्तर्गत गत् वर्ष में प्राप्त उपहारो का उचित बाजार मूल्य ₹ 50,000 तक है इसलिए कर–योग्य नहीं होगा।

(ख) के अन्तर्गत कुल उचित बाजार मूल्य ₹ 50,000 से अधिक है परन्तु कुल अन्तर की राशि ₹ 49,000 है जो कि ₹ 50,000 से कम है अतः अन्य साधनों से आय के अन्तर्गत राशि कर–योग्य नही है।

9.3 कुछ प्रमुख आयों का विवेचन

लाभांश–

लाभांश आयकर अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है। लाभांश का अर्थ कम्पनी के अंशधारी को कम्पनी के लाभो से प्राप्त राशि है जो कम्पनी द्वारा अंशधारियों कों बाँटी गयी हो।

लाभांश का कर निर्धारण

लाभांश तीन प्रकार के हो सकते हैः–

(1) घरेलू कम्पनी द्वारा घोषित लाभांश

(2) विदेशी कम्पनी द्वारा घोषित लाभांश

(3) निगम या संस्था द्वारा घोषित लाभांश

सामान्य, अन्तिम अथवा वार्षिक लाभांश– धारा 8(a) के अन्तर्गत , सामान्य लाभांशकी आय उस गत् वर्ष की कर–योग्य में शामिल किया जाता है जिस गत् वर्ष में यह

घोषित किया गया हो। इस लाभांशकी घोषणा कम्पनी की वार्षिक साधारण सभा में की जाती है इसे वार्षिक लाभांशा भी कहा जाता है।

अन्तरिम लाभांश–धारा 8(b) के अन्तर्गत कम्पनी द्वारा वार्षिक साधारण सभा से पूर्व घोषित किया गया लाभांश को अन्तरिम लाभांश के नाम से जाना जाता है। अन्तरिम लाभांशउस गत् वर्ष की आय माना जायेगा जिस वर्ष में कम्पनी में भुगतान किया गया हो।

प्रतिभूतियों पर ब्याज –

प्रतिभूति को आय–कर अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है। प्रतिभूति का अर्थ सुरक्षा से है। प्रतिभूति का आशय ऋण की वापसी की गारण्टी के लिए ऋणी द्वारा प्रस्तुत कीमती वस्तु, सम्पत्ति या व्यक्ति के साख से होता है।

परन्तु आय की दृष्टि के अनुसार प्रतिभूति किसी ऋण का कागजी सबूत है जो ऋणी द्वारा ऋणदाता के नाम से जारी किया जाता है तथा जिसमें ऋण की राशि, ब्याज की दर तथा ऋण की वापसी की शर्त एवं समय स्पष्ट रूप से दिया होता है और ऋणी द्वारा, उसकी ओर से अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होता है।

अंश प्रतिभूति नहीं हैं, क्योंकि–

– अंश की धनराशि कम्पनी के जीवनकाल में नही लौटती
– अंशो पर आय अनिश्चित होती है।
– अंश ऋण का प्रमाण नहीं बल्कि स्वामित्व का प्रमाण है।

प्रतिभूतियों पर ब्याज की कर योग्यता

(क) करदाता प्रतिभूतियों का क्रय–विक्रय करता है अथवा प्रतिभूतियों को व्यापारिक रहतिये के रूप में रखता है तो प्रतिभूतियों पर ब्याज की आय व्यापार अथवा पेशे के लाभ के अन्तर्गत कर–योग्य होगी।

(ख) प्रतिभूतियां विनियोग की तरह है तो ब्याज को अन्य साधनों से आय में कर–योग्य होगी।

प्रतिभूतियों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण नियम

(1) यदि करदाता द्वारा लेखा पद्धति नियमित रूप से न रखी गयी हो तो प्रतिभूतियों पर ब्याज की आय गत् वर्ष की आय मान ली जायेगी जिस गत् वर्ष में ब्याज देय होता है। क्यों न वो बाद में ही प्राप्त हो।

(2) प्रतिभूतियों के क्रय–विक्रय पर कमीशन अथवा अन्य व्यय प्रतिभूतियों से ब्याज की आय में से कटौती–योग्य नही है। ऐसा व्यय यदि क्रेता द्वारा किया जाय तो उसकी प्रतिभूतियों को प्राप्त करने की लागत में जोड़ दिया जायेगा और यदि विक्रेता द्वारा किया गया हो तो उसके विक्रय मूल्य से घटा दिया जायेगा।

(3) प्रतिभूतियों का क्रय–विक्रय होने पर दो ब्याज की तिथियों के बीच अगली ब्याज की तिथि पर मिलने वाले ब्याज पर कर वही देगा जो उस तिथि पर प्रतिभूतियों का मालिक हो।

प्रतिभूतियों के प्रकार

- सरकारी प्रतिभूतियाँ
  - कर मुक्त
  - कर योग्य
- गैर–सरकारी प्रतिभूतियाँ
  - कर मुक्त
  - कर योग्य

सरकारी प्रतिभूतियाँ–केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्गमित समस्त प्रकार की प्रतिभूतियाँ सरकारी प्रतिभूतियाँ कहलाती है। इस पर देय ब्याज भारत से ही अर्जित माना जाता है, क्यों न इसका भुगतान भारत के बाहर हुआ हो।

(अ) **कर मुक्त** –इन प्रतिभूतियों पर ब्याज कुल आय में शामिल नही किया जाता है और न ही इस पर कर लगाया जाता है। अर्थात् ब्याज अधिनियम की धारा 10(15) के अन्तर्गत पूर्णतया कर मुक्त है। करदाता इस ब्याज को कुल आय में प्रदर्शित नहीं करता है।

निम्न प्रतिभूतियों, बाँण्ड्स, जमा पर ब्याज पूर्णतया कर–मुक्त है –

(क) सभी करदाता के लिए :–

(1) विशेष वाहक बाड्स , 1991 ।

(2) ट्रेजरी सेविंग्स डिपॉजिट सर्टिफिकेट 10 वर्षीय।

(3) राष्ट्रीय बचत वार्षिकी प्रमाण पत्र 12 वर्षीय।

(4) नेशनल प्लान सर्टिफिकेट 10 वर्षीय ।

(5) राष्ट्रीय सुरक्षा स्वर्ण बाँण्ड्स 1980 ।

(6) डाकखाना राष्ट्रीय बचत–पत्र ।

(7) डाकखाना कैश सर्टिफिकेट ।

(8) डाकखाना संचयी सावधि जमा खाता।

(9) विशेष जमा खाता , 1981 ।

(10) स्थायी जमा योजना।

(11) डाकखाने का पब्लिक खाता ₹ 5000 तक ।

(ख) अनिवासी भारतीयो के लिए अधिसूचित बॉण्ड्स पर।

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों के ऋणपत्रो पर ब्याज तथा अधिसूचित बॉड्स।

(ब) **कर–योग्य सरकारी प्रतिभूतियाँ** –वे समस्त प्रतिभूतियाँ, जो सरकार द्वारा निर्गमित की गयी है तथा जो ब्याज 10(15) के अन्तर्गत कर–मुक्त नहीं है कर योग्य सरकारी प्रतिभूतियाँ कही जाती है। इन प्रतिभूतियों का ब्याज करदाता की कुल आय में जोड़ा जाता है। इन प्रतिभूतियों पर प्राप्त लाभांशही सकल लाभांशहै।

धारा 193(IV) के अनुसार –केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार की किसी प्रतिभूति पर ब्याज का भुगतान करते समय स्त्रोत पर आय–कर की कटौती नही की जायेगी । अर्थात् सरकारी प्रतिभूतियों की दशा में प्राप्त ब्याज ही सकल ब्याज होगा।

अपवाद –8% बचत (कर–योग्य) बाँण्ड्स, 2003 के ब्याज पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती होगी बशर्ते वित्त वर्षो में ब्याज की राशि 10000 से अधिक है।

सरकारी प्रतिभूतियों के ब्याज को सकल बनाने के सूत्र

(i) केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार की कर–युक्त प्रतिभूतियों पर प्राप्त ब्याज सकल नही किया जाता है।

(ii) 8% बचत (कर–योग्य) बॉण्ड्स 2003

यदि ब्याज की राशि 10000 से अधिक हो

प्राप्त ब्याज × 100÷90

(iii) सरकारी कर–मुक्त प्रतिभूतियों पर ब्याज कभी सकल नही किया जाता है।

गैर सरकारी प्रतिभूतियाँ

इसे व्यापारिक प्रतिभूतियाँ भी कहा जाता है। वे प्रतिभूतियाँ जो केन्द्र सरकार, राज्य सरकार के अतिरिक्त किसी कम्पनी, निगम, संस्था, ट्रस्ट, स्थानीय सत्ता अथवा केन्द्र, राज्य या प्रान्तीय अधिनियम द्वारा स्थापित निगम द्वारा निर्गमित की जाती है, गैर–सरकारी प्रतिभूतियाँ कहलाती है।

गैर–सरकारी प्रतिभूतियाँ सूचीकृत तथा असूचीकृत हो सकती है।

ऐसी प्रतिभूतियाँ जो क्रय–विक्रय हेतु किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेन्ज में पंजीकृत अथवा सूचीकृत है, उन्हे सूचीकृत प्रतिभूतियाँ कहते है।

जो प्रतिभूतियाँ किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेन्ज में सूचीकृत अर्थात् पंजीकृत नही है उसे असूचीकृत प्रतिभूतियाँ कहा जाता है।

कर मुक्त –इस ब्याज पर देय कर प्रतिभूति निर्गमित करने वाली निगम या संस्था अपने पास से देती है। इसलिए वास्तव में इनका ब्याज कर–मुक्त नही होता। इसको कर–मुक्त इसलिए कहा जाता है क्योकि ब्याज की रकम करदाता को प्राप्त हो जाती है और उसे इस पर अपने पास से कर नही देना पड़ता है।

कर–मुक्त गैर–सरकारी प्रतिभूतियों के ब्याज को सकल करने के तरीके –

(1) कम्पनी के कर–मुक्त ऋण–पत्र जो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में असूचीकृत है।

ब्याज की राशि×100÷90

(2) कम्पनी के कर–मुक्त ऋण–पत्र जो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीकृत है।

ब्याज की राशि×100÷90

(3) स्थानीय सत्ता, वैधानिक निगम के कर–मुक्त बॉण्ड्स अथवा ऋण–पत्र

ब्याज की राशि×100÷90

उदाहरणः–

एक कम्पनी ने ₹100 वाले 10,00,000 का 10% कर–मुक्त ऋण–पत्र निर्गमित किये।

श्री कृष्ण ने 54000 ऋण–पत्र क्रय किये। ये ऋण–पत्र मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेन्ज में क्रय–विक्रय हेतु सूचीकृत है। बताइये कि कर–निर्धारण वर्ष 2019–20 में श्री कृष्ण की कर–योग्य आय में इनके ब्याज की कितनी राशि जोड़ी जायेगी।

इन ऋण–पत्रो पर प्राप्त ब्याज को सकल करने के तरीके –

$$\frac{540000 \times 100}{90} = 600000$$

कर–योग्य

वे गैर–सरकारी प्रतिभूतियाँ जो कर–मुक्त नहीं है वे कर–योग्य है। जिन पर ब्याज का जो प्रतिशत दिया रहता है उसके हिसाब से निकाली हुई ब्याज की रकम में से आय कर काटकर शेष रकम प्रतिभूतिधारियों को दी जाती है।

यदि ब्याज की दर प्रतिशत में हो तो इसे सकल नही बनाया जा सकता है। क्योंकि वह स्वयं सकल होती है।

प्रतिभूतियों पर ब्याज को सकल बनाने के तरीके –

(i) स्थानिय सत्ता, वैधानिक निगम के कर–योग्य बॉण्ड्स या ऋणपत्र का शुद्ध ब्याज

शुद्ध ब्याज×100 ÷90

(ii) कम्पनी के कर–योग्य ऋण–पत्र जो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीकृत है

शुद्ध ब्याज×100 ÷90

(iii) कम्पनी के कर–योग्य ऋण–पत्र जो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में असूचीकृत है

शुद्ध ब्याज×100 ÷90

आपसी कोष या निर्दिष्ट कम्पनी के यूनिटो से आय

(अ) आय वितरण करने वाले व्यक्ति को निर्धारित दर से कर देना होगा।

(ब) यूनिटो से प्राप्त आय जो विनियोगकर्ताओ के हाथो में दिया जाता है वह आय कर–मुक्त है।

ताश का खेल, जुआ, लॉटरी, क्रासवर्ड पजिल्स, घुड़–दौड़ आदि

धारा 56(2)(ib) के अनुसार –ताश का खेल , जुआ, लॉटरी , क्रासवर्ड पजिल्स , दौड़ (घुड़–दौड़ सहित) या किसी रूप में शर्त की जीत अन्य साधनों से आय में कर–योग्य होता है। ये आकस्मिक आयें है।

उपर्युक्त जीतो की आय से, जीत की राशि 10000 रूपये से अधिक नही है तो उद्गम स्थान पर कटौती नही की जायेगी और प्राप्त राशि को आय में शामिल किया जायेगा। यदि लॉटरी अथवा घुड़दौड़ से आय ₹10000 से अधिक है अर्थात् उपर्युक्त सीमा से अधिक है तो उद्गम स्थान पर 30% की दर से कटौती करके राशि का भुगतान किया जाता है।

लॉटरी =प्राप्त राशि ×100 ÷70

<u>उदाहरण</u> –विकास को लॉटरी से जीत के ₹ 21000 प्राप्त हुए तो सकल जीत की राशि निम्न होगी

सकल राशि = 21000 ×100 ÷70

= 30000

दिखावटी लेन–देन – धारा 94

यह कर बचाने का एक तरीका है। ये लेन–देन वास्तविक नहीं होते है। कर को बचाने के लिए ब्याज की देय तिथि के आस–पास उच्च आय वाले द्वारा निम्न आय वालों को प्रतिभूतियों का हस्तान्तरण कर दिया जाता है। प्रतिभूतियों पर ब्याज की तारीखे निश्चित होती है तथा प्रतिभूतियों पर ब्याज छमाही अथवा वार्षिक दिया जाता है। कुछ लोग ब्याज के देय तिथि के आस–पास अपने किसी नजदीकी मिलने वाले व्यक्ति को बेच देते है तथा ब्याज की देय तिथि बीत जाने पर पुनः खरीद लेते है ऐसे में देय तिथि पर प्रतिभूतियों के स्वामी नही रहते है और उन्हे ब्याज पर कर का भुगतान नही करना होता है।

इससे आयकर विभाग को हानि होती है। इसे रोकने के लिए नियमों का निर्धारण किया गया है। यदि इस तरह का लेन–देन किया जायेगा तो कर–निर्धारण अधिकारी उसी व्यक्ति की कुल आय में ब्याज को जोड़ा जायेगा जिसने इस प्रकार से कर बचाने की कोशिश की थी।

अपवाद–

निम्न दशाओं में नियम लागू नहीं हो–

(i) कर निर्धारण अधिकारी को यदि करदाता संतुष्ट कर दे कि कर की कोई चोरी नहीं हुई है।

(ii) यह व्यवहार कभी अकस्मात हो गयी। यदि करदाता कर निर्धारण अधिकारी को इस बात पर विश्वास दिला सके और संतुष्ट कर सके। तथा पिछले तीन साल में इस प्रकार का व्यवहार नही किया गया हो।

ब्याज के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण प्रावधान –

बैंक में जमा पर ब्याज – सहकारी बैंक या बैंक से प्राप्त ब्याज राशि 'अन्य साधनों से आय' के अन्तर्गत कर–योग्य है। यदि राशि सावधि खाते में जमा है और उस राशि पर गत् वर्ष में 10000 रू से अधिक ब्याज प्राप्त होता है तो उद्गम स्थान पर बैंक 10% की दर से कर की कटौती करके शेष राशि ग्राहको को भुगतान करेगा।

सहकारी समिति से ब्याज –इस ब्याज पर उद्गम स्थान पर कटौती नही की जाती है। तथा यह ब्याज अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर–योग्य है।

राष्ट्रीय बचत–पत्र viii निर्गमन एव ix निर्गमन पर ब्याज –राष्ट्रीय बचत पर ब्याज इस शीर्षक में करयोग्य है।

अन्य जमाओ पर ब्याज – किसी अन्य जमाओ से प्राप्त ब्याज 'अन्य साधनो से आय' के अन्तर्गत कर–योग्य होगा।

विधानसभा सदस्यों एवं संसद सदस्यों का वेतन तथा भत्ते

(i) वेतन इसी शीर्षक के अन्तर्गत कर–योग्य है।

(ii) विधानसभा सदस्य को प्राप्त निर्वाचन क्षेत्र भत्ता एवं दैनिक भत्ता कर–मुक्त होते है।

(iii) संसद सदस्य को प्राप्त भत्ता कर–मुक्त होता है।

9.4 न काटी जाने वाली राशियां

धारा 58 –

कर–योग्य आय निकालने के लिए 'अन्य साधनो से आय' शीर्षक में निम्न राशियाँ नही काटी जायेगी।

1. धन कर की चुकायी गयी राशि।
2. भारत के बाहर दिया हुआ कोई ब्याज, जिस पर कर न काटा गया हो।
3. करदाता के व्यक्तिगत व्यय।
4. आकस्मिक आय से सम्बन्धित कोई व्यय अथवा हानियाँ।
5. यदि किसी व्यय का भुगतान ₹ 10000/35000 से अधिक का हो।

उदाहरण –

मोहन की आय के निम्न विवरण से 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कर–योग्य आय की गणना किजिए :–

(क) वर्मा में उसकी एक कृषि भूमि है जिससे वर्ष में 250000 की आय हुई , मथुरा में एक भूमि है जिसे गैर–कृषि समान रखने के लिए ₹ 10000 प्रतिमास किराया उठाया हुआ है। इस तरह बराबर में एक और जमीन है जिस पर गाँव का बाजार लगता है इस जमीन से वर्ष में 25000 की हुई।

(ख) उसकी उदयपुर में एक पत्थर की खान है उसने उसे अमन को निकाले गये पत्थर पर 25 पैसे प्रति टन की अधिकार शुल्क पर किराये पर दे दिया है। गत् वर्ष में कुल 100000 टन पत्थर निकाला गया था। उसने अधिकार शुल्क की आय कमाने के सम्बन्ध में ₹4000व्यय किया जो कर निर्धारण अधिकारी ने स्वीकृत कर दिया है।

(ग) गत् वर्ष में उसने उद्यमियों को प्रबन्ध सम्बन्धी सलाहकार सेवाएं प्रदान की। इससे उसे ₹ 750000 की आय हुई।

(घ) पूंजी सम्पत्ति के अन्तरण के सम्बन्ध में अग्रिम राशि प्राप्त हुई परन्तु अनुबन्ध असफल होने पर अग्रिम राशि जब्त कर ली गई ₹500000 ।

अन्य स्त्रोतो से कर–योग्य आय की गणना

1. गैर–कृषि भूमि से आय		120000
2. वर्मा में कृषि से आय		250000
3. बाजार के लिए प्रयोग जमीन से आय		25000
4. प्रबन्ध सम्बन्धी सलाह		750000
5. अधिकार शुल्क से आय		25000
(–) खर्च	4000	21000
6.जब्त की गई राशि		500000
	कर–योग्य आय	16,66,000

9.5 कटौतियां

धारा –57

कर योग्य आय निकालने के लिए 'अन्य साधनो से आय' शीर्षक में निम्न कटौतियाँ दी जाती है –

(1) यदि प्राविडेण्ट फण्ड , आदि में कर्मचारियो का अंशदान करदाता की आय माना गया हो तो यदि नियोक्ता द्वारा यह राशि कर्मचारियों के खाते में सम्बन्धित फण्ड में देय तिथि तक जमा कर दी जाय तो वह कटौती–योग्य होगी।

(2) शिकमी किरायेदार से प्राप्त किराये में से मकान के स्वामी को चुकाया गया मरम्मत व्यय एवं किराया कटौती योग्य है।

(3) लांभाश संग्रह करने के लिए किसी बैंक या अन्य व्यक्तियो को दिये कमीशन अथवा प्रतिभूतियों का ब्याज अथवा परिश्रमिक की उचित राशि।

(4) ऐसा कोई भी व्यय जो पूर्ण रूप से आय कमाने के लिए किया गया हो।

(5) अंशो या प्रतिभूतियों में विनियोग करने के लिए लिये गये ऋण पर ब्याज भी कटौती योग्य है।

(6) क्षतिपूर्ति पर प्राप्त ब्याज का 50% कटौती योग्य है।

(7) मृतक कर्मचारी की विधवा अथवा उसके उत्तराधिकारियो को प्राप्त परिवारिक पेंशन के सम्बन्ध में आय के $33\frac{1}{3}\%$ अथवा 15000₹ जो दोनों में कम हो, वैधानिक कटौती दी जायेगी।

प्रश्न –कृष्ण जो भारत में निवासी है को वित्तीय वर्ष 2018–19 में निम्न आयें हुई :–

संचालक शुल्क	20000
कृषिभूमि से आय (पाकिस्तान स्थित)	50000
पंजाब में स्थित भूमि से किराया	100000
डाकघर बचत बैंक खाते पर ब्याज	1000
भारतीय औद्योगिक वित्त निगम में जमा पर ब्याज	5000
विदेशी कम्पनी से लांभाश	7000
शिकमी किरायेदारी पर दिये गये मकान का कृष्णा द्वारा देय किराया	12000
शिकमी किरायेदार से मिला किराया	262500
शिकमी किराये पर दिये मकान पर किये गये अन्य व्यय	10000
प्रतिभूतियो से ब्याज	40000
घुड़–दौड़ जीत राशि	123000

कर निर्धारण वर्ष 2019–20 हेतु 'अन्य साधनो से आय' शीर्षक में कृष्ण की आय की गणना कीजिए।

कर–योग्य आय की गणना

निदेशक शुल्क 20000	
पाकिस्तान स्थित कृषि भूमि से आय	50000
पंजाब में स्थित भूमि से किराया	100000

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम पर जमा ब्याज	5000		
विदेशी कम्पनी से लांभाश			7000
शिकमी किरायेदार से मिला किराया	262500		
(–) देय किराया	12000		
अन्य व्यय	10000	22000	240500
घुड़–दौड़ जीत राशि			123000
प्रतिभूतियों से ब्याज			40000
कर योग्य आय			585500

नोटः–डाकघर बचत बैंक खाते पर ब्याज कर–मुक्त है।

प्रश्न –प्रशान्त के विनियोग 31 मार्च 2019 को निम्न थे :–

(i) 7% सरकारी प्रतिभूतियाँ	250000
(ii) 9% मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट बॉण्ड	200000
(iii) 8% इलाहाबाद म्युनिसिपल बॉण्ड	150000
(IV) 6% विदेशी सरकार की प्रतिभूतियाँ	150000
(v) 7% सरकारी बॉण्ड	180000
(vi) सुकन्या समृद्धि खाते में ब्याज जमा	30000

उसने प्रतिभूतियों पर कर योग्य ब्याज को संग्रहित करने के लिए 60₹ कमीशन का भुगतान किया। मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट बॉण्ड को क्रय करने के लिए लिये गये ऋण पर उसने 1200 ₹ ब्याज चुकाए।

कर–योग्य आय की गणना कीजिए।

कर–योग्य आय की गणना

(i) 7% सरकारी प्रतिभूतियाँ		17500
(ii) 8% इलाहाबाद म्युनिसिपल बॉण्ड		12000
(iii) 9% मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट बॉण्ड		18000
(IV) 6% विदेशी सरकार की प्रतिभूतियाँ		9000
(v) 7% सरकारी बॉण्ड		12600
		69100
(–) संग्रह व्यय	60	
ऋण पर ब्याज	1200	1260
कर–योग्य आय		67840

9.6 सारांश

इस इकाई में हमने 'अन्य साधनों से आय' के विषय में जाना जो कि यह आय का पाँचवाँ शीर्षक है। यह आय–कर अधिनियम 1961 की धारा 56 से 59 में परिभाषित किया गया है। इसमें हमने 'अन्य साधनों से आय' के सम्बन्ध में समस्त विधियों और नियमों के वैधानिक पहलुओं को भी पढ़ा।

9.7 शब्दावली

लाभांश –कम्पनी के अंशधारी को कम्पनी के लाभो से प्राप्त राशि है जो कम्पनी द्वारा अंशधारियों को बाँटी गयी हो।

प्रतिभूतिः प्रतिभूति का आशय ऋण की वापसी की गारण्टी के लिए ऋणी द्वारा प्रस्तुत कीमती वस्तु, सम्पत्ति या व्यक्ति के साख से होता है।

आकस्मिक आयः घुड़–दौड़ से आय, लॉटरी से आय, ताश, जुआ से आय, वर्ग पहेलियों से प्राप्त आय आकस्मिक आय कहलाती है

सरकारी प्रतिभूतियाँः केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्गमित समस्त प्रकार की प्रतिभूतियाँ सरकारी प्रतिभूतियाँ कहलाती है।

9.8 बोध प्रश्न

(अ) बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य :

(i) करदाता के किसी रिश्तेदार से प्राप्त आय 'अन्य साधनों से आय' में शामिल नहीं है।

(ii) राष्ट्रीय बचत पत्र के भाग 8 पर मिलने वाला ब्याज कर–योग्य है।

(iii) अंश प्रतिभूति नहीं है।

(IV) सरकारी कर–मुक्त प्रतिभूतियों पर ब्याज सकल किया जाता है।

(ब) रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएः

(i) लाभांश आयकर अधिनियम में..............नहीं किया गया है।

(ii) प्रतिभूति का अर्थ............से है।

(iii) सरकारी कर–मुक्त प्रतिभूतियों पर ब्याज कुल..........में शामिल नहीं किया जाता है।

(IV) डाकघर के बचत खाते पर ब्याज...........तक कर–मुक्त है।

9.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

(अ) [उत्तर (i)असत्य (ii)सत्य (iii)सत्य (IV)असत्य]

(ब) [उत्तर–(i)परिभाषित (ii)सुरक्षा (iii)आय (IV)3500₹]

9.10 स्वपरख प्रश्न

(अ) कर–युक्त सरकारी प्रतिभूतियाँ

(ब) कर–मुक्त गैर–सरकारी प्रतिभूतियाँ

2) 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक में आय गणना करने की विधि का वर्णन कीजिए।

(3) विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियाँ बताइए।

(4) लाभांश के सम्बन्ध में आय–कर अधिनियम के प्रावधान समझाइये।

(5) लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, घुड़–दौड़ एवं निम्न आकस्मिक प्राप्तियों के सम्बन्ध में आय–कर अधिनियम के प्रावधान समझाइए।

(6) टिप्पणी लिखिए –

(क) दिखावटी लेन–देन

(ख) ब्याज को सकल बनाना

(ग) लॉटरी से आय।

(घ) प्रतिभूतियों के विक्रय पर लाभ अथवा हानि।

9.11 सन्दर्भ पुस्तकें

1. आयकर विधान एवं लेखे, डॉ. एच. सी. मेहरोत्रा एवं डॉ. एस. पी. गोयल
2. आयकर विधान एवं लेखे, डॉ. बी. के. अग्रवाल एवं डॉ राजीव अग्रवाल
3. आयकर विधान एवं लेखे, डॉ. आर. के. जैन।

इकाई 10 सकल कुल आय से कटौतियां

इकाई की रूपरेखा

10.1 प्रस्तावना

10.2 आय में से धारा 80 की कटौतियों के सामान्य सिद्धान्त

10.3 भुगतानों के सम्बन्ध में दी जाने कटौतियां

10.3.1 जीवन बीमा प्रीमियम, प्रॉविडेन्ट फण्ड में अंशदान (धारा 80 c)

10.3.2 पेंशन फण्ड में अंशदान (धारा 80 CCC)

10.3.3 केन्द्रीय सरकार की पेंशन स्कीम (धारा 80 CCD)

10.3.4. धारा C, 80 CCC, 80CCD (1) (धारा 80 CCE)

10.3.5 सूचीकृत साधारण अंशों में विनियोग (धारा 80 CCG)

10.3.6 चिकित्सा बीमा प्रीमियम (धारा 80 D)

10.3.7 निः शक्त आश्रित की चिकित्सा व्यय अथवा किए गए जमा (धारा 80DD)

10.3.8 विशिष्ट बीमारियों की चिकित्सा व्यय (धारा 80 DDB)

10.3.9 उच्च शिक्षा के ऋण पर ब्याज (धारा 80 E)

10.3.10 आवासीय गृह सम्पत्ति के लिए ऋण पर ब्याज (धारा 80 EE)

10.3.11 विशिष्ट कोषों या पुण्यार्थ संस्थाओं को दिए दान (धारा 80 G)

10.3.12 किराए के भुगतान के सम्बन्ध (धारा 80 GG)

10.3.13 वैज्ञानिक अनुसंधान अथवा ग्राम विकास के लिए दान (धारा 80 GGA)

10.3.14 भारतीय कम्पनी द्वारा किसी राजनीतिक दल को अंशदान (धारा 80 GGB)

10.3.15 एक व्यक्ति द्वारा राजनीतिक दल को अंशदान (धारा 80 GGC)

10.4 कतिपय आय/आयों के सम्बन्ध में कटौतियां

10.4.1 अवसंरचना विकास उपक्रम (धारा 80 IA)

10.4.2 विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास (धारा 80 I AB)

10.4.3 निर्दिष्ट कारोबार के लाभ (धारा 80 IAC)

10.4.4 अवसंरचना विकास उपक्रमो से भिन्न उपक्रमों के लाभ (धारा 80 IB)

10.4.5. आवासीय परियोजना के लाभ (धारा 80 IBA)

10.4.6 विशेष राज्यों में स्थापित उपक्रम विशेष (धारा 80 IC)

10.4.7 पूर्वोत्तर राज्यों में स्थापित उपक्रम (धारा 80 IE)

10.4.8 जैव– श्रेणीकरणीय अवशिष्ट संग्रहण एवं प्रसंस्करण व्यापार (धारा 80 JJA)

10.4.9 किसी व्यावसायिक उपक्रम में नए कर्मचारियों की नियुक्ति (धारा 80 JJAA)

10.4.10 अन्तर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केन्द्र या बैंक की अपतट ईकाई (धारा 80 LA)

10.4.11 सहकारी समितियों की आय (धारा 80 P)

10.4.12 पुस्तकों के लेखक की आय (धारा 80QQB)
10.4.13 पेटेंन्ट पर रायल्टी की आय (धारा 80RRB)
10.4.14 बचत खातों पर अर्जित/प्राप्त ब्याज (धारा 80TTA)
10.4.15 वरिष्ठ नागरिक को जमा पर ब्याज (धारा 80TTB)
10.4.16 निःशक्त व्यक्ति को कटौती (धारा 80 U)
10.5 सारांश
10.6 शब्दावली
10.7 बोध प्रश्न
10.8 बोध प्रश्नों के उत्तर
10.9 स्वपरख प्रश्न
10.10 सन्दर्भ पुस्तकें

उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप इस योग्य हो सकेंगे कि :

- सकल कुल आय से कौन–कौन सी कटौतियां उपलब्ध है, की व्याख्या कर सकें।
- कटौतियां किस किस करदाता के प्रकार को मिलेंगी, को जान सकें।
- कटौतियां प्राप्त करने के प्रावधान है, की व्याख्या कर सकें।
- कटौतियों की मात्रा क्या है, की व्याख्या कर सकें।
- सम्बन्धित धाराओं का विस्तृत शर्तें एवं प्रावधान की जानकारी प्राप्त कर सकें।

10.1 प्रस्तावना

इस इकाई में आप यह अध्ययन करेंगे कि सकल कुल आय से कौन–कौन सी कटौतियां, एक करदाता को मिलती है। आयकर अधिनियम के अनुसार कुछ भुगतानों तथा आयों के सम्बन्ध में कटौतियां दी जाती है। जिन्हें सकल कुल आय से दी जाने वाली कटौतियां कहते है। ऐसी कटौतियां धारा 80C से 80U तक, विभिन्न प्रावधानों के अन्तर्गत दी जाती है। यह प्रत्येक करदाता की व्यक्तिगत भुगतानों एंव आयों के सम्बन्ध में होती है। इस ईकाई के माध्यम से इनके बारे में विस्तृत जानकारी आपको मिलेगी।

कुल आय की गणना करने के लिए, किसी भी करदाता को विभिन्न पांच शीर्षकों के अन्तर्गत कर योग्य आयों के योग में से हानियों की पूर्ति के बाद की सकल कुल आय में से कटौतियां दी जाती है। ऐसी कटौतियां धारा 80C से 80U के अन्तर्गत प्रदान की जाती है। विभिन्न प्रकार के करदाताओं के लिए विभिन्न कटौतियों के प्रावधान आयकर अधिनियम 1961 में वर्णित है।

10.2 आय में से धारा 80 की कटौतियों के सामान्य सिद्धान्त

1. सकल कुल आय में से धारा 80C से 80U के अन्तर्गत कटौतियों स्वीकृत की जाती है।
2. कटौतियों की राशि सकल कुल आय से अधिक नहीं हो सकती।

3. धारा 111 A में वर्णित अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ में से कटौती नहीं मिलेगी।
4. व्यक्तियों के संघ/ समुदाय को कटौतियां दे देने पर, उनके सदस्यों को कटौतियों की राशि स्वीकृत नहीं होगी।
5. करदाता द्वारा कटौतियों की मांग की जानी चाहिए।
6. प्रत्येक करदाता का कर्त्तव्य है कि वह कटौतियों के बारे में साक्ष्य प्रस्तुत करें।
7. यदि धारा 10 AA या 80IA से 80RRB के अन्तर्गत इन आयो में से किसी कर –निर्धारण वर्ष में कटौती ली गई है तो उन आयो के सम्बन्ध में किसी अन्य प्रावधान के अन्तर्गत कटौती नहीं मिलेगी।
8. कटौतियां दो प्रकार की होती है।
    अ. भुगतानों के सम्बन्ध में
    ब. आयो के सम्बन्ध में

10.3 भुगतानो के सम्बन्ध में में दी जाने वाली कटौतियां

10.3.1 जीवन बीमा प्रीमियम, प्रॉविडेन्ट फण्ड में अंशदान, आस्थगित वार्षिकी आदि के सम्बन्ध में कटौती (धारा 80 C)

क. करदाता – एक व्यक्ति तथा हिन्दू अविभाजित परिवार

ख. कटौती की मात्रा– भुगतान की गई राशि, जमा की गई राशि अथवा रू0 1,50,000 दोनों मे जो कम है।

ग. कटौती योग्य भुगतान (एक व्यक्ति)

1. अपने, अपनी पत्नी (अथवा पति), अपने व्यस्क अथवा अवयस्क बच्चों, विवाहित पुत्री सहित के
   जीवन बीमा का प्रीमियम।

a. यदि जीवन बीमा पॉलिसी 01.04.2012 से पूर्व ली गई, तब प्रीमियम की राशि, वास्तविक पूंजी राशि की 20% से अधिक नहीं होगी।

b. यदि जीवन बीमा पॉलिसी 01.04.2012 या उसके पश्चात ली गई तो प्रीमियम की राशि वास्तविक पूंजी की 10% से अधिक नहीं होगी।

c. यदि जीवन बीमा पॉलिसी, किसी निः शक्त व्यक्ति या गम्भीर निः शक्त व्यक्ति या धारा 80DDB में वर्णित निर्धारित रोग या व्याधि से पीड़ित व्यक्ति के जीवन पर 01.04.2012 के पश्चात ली गई है तो प्रीमियम की राशि , वास्तविक पूंजी राशि की 15% से अधिक नहीं होगी।

यदि प्रशन में यह सूचना ना हो कि जीवन बीमा पॉलिसी किस तिथि को ली गई है तो यह माना जाएगा कि जीवन बीमा पॉलिसी 01.04.2012 से पहले ली गई थी।

2. अपने स्वयं , जीवन साथी एवं बच्चों के नाम से भारतीय यूनिट ट्रस्ट की ULIP–1971में अंशदान की राशि।

3. धारा 10 (23 D) में वर्णित भारतीय जीवन बीमा निगम के पारस्परिक कोष (म्यूचल फण्ड) के यूनिट लिंकण्ड इंश्योरेन्स प्लान में अपने अथवा जीवन साथी अथवा अपने बच्चों के नाम में अंशदान की राशि।
4. धारा 10 (23 D) में वर्णित म्यूचअल फण्ड के यूनिटों में विनियोग, जो बोर्ड द्वारा अनुमोदित हो। उदाहरण के लिए म्यूचअल फण्ड की टैक्स सेवर योजनाएं।
5. केन्द्रिय सरकार द्वारा अधिसूचित जीवन बीमा निगम या अन्य किसी बीमाकर्त्ता की किसी वार्षिकी योजना में भुगतान की गई राशि (नवजीवन धारा, नवजीवन धारा I, नवजीवन अक्षय, नवजीवन अक्षय I प्लान, II प्लान, III प्लान जो भारतीय जीवन बीमा निगम की योजनाएं अधिसूचित की गई हैं।
6. एक सरकारी कर्मचारी के वेतन में से स्थगित वार्षिकी के लिए गत वर्ष में काटी गयी राशि, जो उसके वेतन के $\frac{1}{5}$भाग तक है।
7. वैधानिक प्रॉविडेन्ट फण्ड में एक कर्मचारी का अंशदान ।
8. प्रमाणित प्रॉविडेन्ट फण्ड में एक कर्मचारी का अंशदान ।
9. एक व्यक्ति द्वारा अपने, अपने जीवनसाथी अथवा अपने बच्चे के नाम में सार्वजनिक प्रॉविडेन्ट फण्ड में योगदान ।
10. अनुमोदित निवृति कोष में दिया गया कर्मचारी का अंशदान ।
11. केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित स्कीम के अनुसार किसी अनुसूचित बैंक में पाँच वर्ष या अधिक की नियत अवधि के लिए जमा की गई राशि।
12. राष्ट्रीय बचत पत्र VIII निर्गम एवं IX निर्गम में गत वर्ष में विनियोग।
13. रिहायशी मकान खरीदने अथवा बनवाने के सम्बन्ध में लिये गये ऋण का गत वर्ष में वापसी भुगतान । इस मकान की आय मकान सम्पत्ति से आय के शीर्षक में कर–योग्य होनी चाहिए।
14. राष्ट्रीय आवास बैंक के गृह ऋण खाते में जमा की गई राशि अथवा इस बैंक द्वारा स्थापित पेंशन फण्ड में अंशदान ।
15. डाकखाने के पाँच वर्षीय सावधि जमा खाते में जमा की गई राशि ।
16. राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक द्वारा जारी किये गये अधिसूचित बॉण्ड में अंशदान।
17. केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिभूतियों एवं जमा योजनाओं में विनियोग की गई राशि।
18. एक व्यक्ति द्वारा भारत में स्थित किसी विश्वविधालय, महाविधालय, विद्यालय या शैक्षिक संस्था को अपने बच्चों की पूर्णकालिक शिक्षा के लिए टयूशन फीस का भुगतान। फीस प्रवेश के समय या उसके पश्चात दी जा सकती है। परन्तु इसमें विकास फीस, दान या अन्य भुगतान शामिल नहीं है। छूट अधिकतम दो बच्चों तक मान्य होगी।
19. वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम 2004 के अधीन जमा की गई राशि।
20. सुकन्या समृद्धि खाते में जमा की गई राशि।

21. आधारभूत सुविधा प्रदान करने वाली तथा/अथवा बिजली के उत्पादन तथा/अथवा वितरण में लगी हुई अथवा दूरभाषी सेवाएं प्रदान करने में लगी हुई (चाहे Basic हो अथवा Cellular) अथवा औधोगिक पार्क या विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास आदि कार्य में लगी हुई सार्वजनिक कम्पनी द्वारा निर्गमित समता अंशों अथवा ऋणपत्रों में किया गया विनियोग। यह निर्गमन सार्वजनिक तथा पात्र होना चाहिए। इसका अनुमोदन बोर्ड द्वारा होना चाहिए।

उदाहरण

डा0 मनोज कुमार की निम्नलिखित सूचना के आधार पर धारा 80 C के अन्तर्गत स्वीकार्य कटौती की गणना कीजिए।

1. स्वयं के जीवन पर बीमा पॉलिसी का प्रीमियम , पॉलिसी 01.04.2009 को ली। (Sum Assured Rs.1,00,000) रू0 26,000
2. जीवन बीमा निगम के म्युचुअल फण्ड में अंशदान रू0 10,000
3. पिताजी के जीवन बीमा में अंशदान रू0 6,000
4. पत्नी के जीवन बीमा प्रीमियम रू0 8,000 (Sum Assured रू0 1,60,000)
5. व्यस्क पुत्र की जीवन बीमा प्रीमियम रू0 16,000 (पॉलिसी 1.4.2012 को ली। Sum Assured Rs. 1,50,000)
6. अप्रमाणित प्रॉविडेन्ट फण्ड में अंशदान रू0 6,000
7. सार्वजनिक प्रॉविडेन्ट फण्ड में अंशदान रू0 9,000
8. राष्ट्रीय बचतपत्र VIII में क्रय रू0 21,000
9. मकान निर्माण के लिए गए बैंक ऋण का भुगतान (मूलराशि रू0 7,000 एवं ब्याज रू0 1,500)
10. राष्ट्रीय बचत पत्र VIII निगर्म पर एक वर्ष पूर्ण होने पर अर्जित ब्याज रू0 3,000
11. ग्रुप बीमा प्रीमियम दिया रू0 1,000
12. विवाहित पुत्री के जीवन पर ली गयी रू0 18,000 की जीवन बीमा पॉलिसी पर प्रीमियम चुकाया रू0 1,000
13. अपने पुत्र की शिक्षा के लिए टयूशन फीस दी। रू0 15,000
14. HDFC MF के Tax सेवर म्यूचुअल फण्ड यूनिट क्रय रू0 5000
15. भारतीय स्टेट बैंक में टैक्स सावधि जमा रू0 10,000

हल धारा 80 C के अन्तर्गत राशि की गणना

(कर निर्धारण वर्ष 2018–2019)

1. स्वयं जीवन बीमा प्रीमियम (अधिकतम रू0 1,00,000 का 20%)	रू0 20,000
2. जीवन बीमा निगम के म्युचूअल फण्ड में अंशदान	रू0 10,000
3. पिताजी के जीवन बीमा पर प्रीमियम राशि	NIL
4. पत्नी की जीवन बीमा प्रीमियम	रू0 8,000
5. व्यस्क पुत्र के जीवन बीमा प्रीमियम (1.4.2012 को क्रय के कारण अधिकतम 10% of Rs. 1,50,000	रू0 15,000

6.	अप्रमाणित प्रॉविडेन्ट फण्ड में अंशदान	NIL
7.	सार्वजनिक प्रॉविडेन्ट फण्ड में अंशदान	रू0 9000
8.	राष्ट्रीय बचत पत्र VIII क्रय	रू0 21,000
9.	मकान निर्माण के बैंक ऋण का भुगतान (मूल राशि)	रू0 7000
10.	राष्ट्रीय बचत पत्र VIII का अर्जित ब्याज	रू0 3,000
11.	ग्रुप बीमा प्रीमियम	रू0 1,000
12.	विवाहित पुत्री की जीवन बीमा प्रीमियम	रू0 1,000
13.	पुत्र की टयूशन फीस	रू0 15,000
14.	HDFC MF के टैक्स सेवर यूनिट क्रय	रू0 5,000
15.	भारतीय स्टेट बैंक में टैक्स सावधि जमा	रू0 10,000
		....
	Amount Entitled to Deduction is Rs. 1,25,000	1, 25,000
		....

नोटः– अप्रमाणित प्रॉविडेन्ट फण्ड एवं पिताजी के जीवन प्रीमियम राशि पर धारा 80 C की कटौती मान्य नहीं है।

उदाहरण 02

निम्न सूचनाओं के आधार पर धारा 80 C की कटौती की गणना कीजिए।

1.	अपने जीवन साथी की जीवन बीमा प्रीमियम	रू0 5,000
2.	प्रमाणित प्रॉविडेन्ट फण्ड में अंशदान	रू0 60,000
3.	ULIP में अंशदान	रू0 10,000
4.	राष्ट्रीय बचत पत्र VIII निर्गम में विनियोग	रू0 90,000
5.	स्वयं जीवन का बीमा प्रीमियम रू0 12,000 का भुगतान कृषि आय से दिया गया।	
6.	सुकन्या समृद्धि खाते में जमा	रू0 10,000

हलः– धारा 80 C के अन्तर्गत राशि की गणना (कर निर्धारण वर्ष 2018–2019)

1.	जीवन साथी की जीवन बीमा प्रीमियम	रू0 5,000
2.	प्रमाणित प्रॉविडेन्ट फण्ड में अंशदान	रू0 60,000
3.	ULIP में अंशदान	रू0 10,000
4.	राष्ट्रीय बचत पत्र VIII निर्गम में विनियोग	रू0 90,000
5.	स्वयं जीवन का बीमा प्रीमियम	रू0 12,000
6.	सुकन्या समृद्धि खाते में जमा	रू0 10,000
		—————————
	Amount Entitled to deduction	रू0 1,87,000
		—————————

Qualifying amount for deduction u/s 80 C restricted to Rs. 1,50,000

10.3.2 पेंशन फण्ड में अंशदान के सम्बन्ध में कटौती (धारा 80 ccc)

क. करदाता – एक व्यक्ति

ख. कटौती की मात्रा – जमा की गई राशि अथवा रू0 1,50,000
दोनों में जो कम हो, की कटौती स्वीकृत होगी।

ग. विशेषः–

1. यदि कोई व्यक्ति भारतीय जीवन बीमा निगम या किसी अन्य बीमाकर्त्ता की वार्षिकी योजना में पेंशन प्राप्त करने के उद्देश्य से कोई धनराशि जमा करता है।
2. राशि गत वर्ष की करयोग्य आय से जमा करे।
3. यदि करदाता अथवा उसका नामांकी वार्षिकी परिपक्व होने की तिथि से पूर्व वार्षिकी समर्पित करता है तो उसे गत वर्ष में समर्पण मूल्य की राशि प्राप्त होती है तो वह कर–योग्य होगी।
4. करदाता या नामांकि व्यक्ति द्वारा पेंशन के रूप में प्राप्त राशि, प्राप्त होने वाले गत वर्ष में कर योग्य होगी।
5. यदि करदाता इस धारा में अंशदान कर कटौती प्राप्त कर लेता है तब उसे धारा 80 C में कटौती नहीं मिलेगी।

10.3.3 केन्द्रीय सरकार की पेंशन स्कीम में जमा के सम्बन्ध में कटौती (धारा 80 CCD)

क. करदाता

1. केन्द्रीय सरकार का कर्मचारी जिसकी नियुक्ति 1.1.2004 या उसके पश्चात् हुई हो।
2. किसी अन्य नियोक्ता का कर्मचारी
3. कोई भी अन्य व्यक्ति (Individual)

ख. कटौती का सम्बन्ध – केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित पेंशन योजना के खाते में गत
वर्ष में जमा राशि

ग. कटौती की मात्रा–

1. कर्मचारी करदाता की दशा में कटौती की मात्रा–

   अ. कर्मचारी द्वारा गत वर्ष में केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित पेंशन योजना के अपने खाते में अंशदान के रूप में जमा की गई राशि अथवा उक्त कर्मचारी के वेतन का 10% जो भी दोनों में कम हो। (धारा 80 CCD (2),

तथा

   ब. केन्द्रीय सरकार अथवा अन्य नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी के खाते में पेंशन अंशदान के रूप में दी गई राशि या कर्मचारी के वेतन का 10% दोनो में जो भी कम होगा।

अतः इस धारा के अन्तर्गत कर्मचारी को कटौती(उसके एवं नियोक्ता दोनों के अंशदान) उसके वेतन के 20 % तक दी जा सकती है।

2. **किसी अन्य व्यक्ति की दशा में कटौती की मात्राः–** अन्य व्यक्ति की दशा में सकल कुल आय का 20% तक। (धारा 80CCD(1),

उपरोक्त (1) तथा (2) में वर्णित कटौती मिली हो अथवा नहीं, तब भी , इसके अतिरिक्त धारा 80 CCD (1B) में रू0 50,000 की अतिरिक्त कटौती मिलेगी।

3. यदि कोई व्यक्ति अटल पेंशन योजना में गत वर्ष में कोई राशि जमा कराता है, तब उसे धारा 80CCD(1) तथा धारा 80CCD (1B) में कटौती मिलेगी। यदि करदाता को धारा 80CCD(2) या अन्य धाराओं (पेंशन से सम्बन्धित) में कटौती मिली हो, तब धारा 80 C में कटौती नहीं मिलेगी।

   उपरोक्त में वेतन से तात्पर्य मूल वेतन तथा मंहगाई भत्ता (यदि सेवा शर्तो के अन्तर्गत मिले) के जोड़ से है।

4. यदि करदाता व्यक्ति पेंशन खाते में से (जिसकी कटौती करदाता ले चुका है) आंशिक या सम्पूर्ण राशि (अर्जित आय के साथ) निकालता है तो जिस गत वर्ष में निकालता है, उस गत वर्ष में कर योग्य होगी। यह नियम पेंशन निकालने पर भी लागू होगा। इसके अतिरिक्त यह नियम नांमित व्यक्ति की निकासी पर भी लागू होगा।

5. यदि पेंशन खाते से राशि निकालकर , उसी गत वर्ष में वार्षिकी योजना क्रय में उपयोग किया जाए तो यह राशि करमुक्त होगी।

6. यदि करदाता की मृत्यु हो जाए, तथा नामित व्यक्ति पेंशन खाता बन्द कर दे, तब धारा 80 CCD (1) या 80 CCD (1B) के अन्तर्गत प्राप्त राशि कर मुक्त होगी।

7. उपरोक्त राशि को टीयर –I में जमा करने पर कटौती मिलेगी।

10.3.4- धारा 80 C, धारा 80CCC एवं धारा 80CCD(1) के अधीन कटौतियों की कुल

राशि रू0 1,50,000 से अधिक नहीं होगी। (धारा 80CCE)

धारा 80CCD(2) में वर्णित, नियोक्ता का पेंशन स्कीम में अशंदान रू0 1,50,000 की सीमा में शामिल नहीं किया जाएगा।

धारा 80CCD (1B) के अन्तर्गत जमा कराई गई रू0 50,000 तक की राशि की अतिरिक्त कटौती मिलेगी। यह राशि भी धारा 80CCE में वर्णित रू0 1,50,000 की सीमा में शामिल नहीं किया जाएगा।

उदाहरणः–

श्री कृष्ण कुमार ने निम्नलिखित राशियां जमा की ।

1.	सार्वजनिक प्रॉविडेन्ट फण्ड	रू0 70,000
2.	राष्ट्रीय बचत पत्र खरीद	रू0 20,000
3.	केन्द्रीय सरकार पेंशन फण्ड में स्वयं	रू0 1,10,000

का योगदान (वेतन का 10%)

हल :–

1. सार्वजनिक प्रॉविडेन्ट फण्ड U/s 80C रू0 70,000
2. राष्ट्रीय बचत पत्र खरीद U/s 80 C रू0 20,000

....

रू0 90,000

3. पेंशन फण्ड में अंशदान (रू0 1,10,000में से) रू0 60,000

....

U/S 80C रू0 1,50,000

4. पेशंन फण्ड में अंशदान अतिरिक्त US 80CCD (1B) में (1,10,000– 60,000) रू0 50,000

10.3.5. सूचीकृत साधारण अंशों में विनियोग (धारा 80 CCG)

(क) **करदाता** –भारत में निवासी व्यक्ति

(ख) **कटौती की मात्रा–** साधारण सूचीकृत अंश अथवा साधारण सूचीकृत शेयरोन्मुख निधि की यूनिटों में गतवर्ष में विनियोजित राशि का 50% या रू0 25,000 दोनों में जो कम हो।

(ग) विशेष :–

1. करदाता स्वयं प्रथमबार खुदरा विनियोजक है।
2. इस धारा में 1.4.2018 या इसके पश्चात् कर निर्धारण वर्ष में नहीं मिलेगी।
3. कटौती के लिए 1.4.2017 को या पहले खरीदने पर , कटौती प्राप्त करने के पश्चात्, लगातार कर निर्धारण वर्ष 2019–20 तक कटौती मिलेगी।
4. करदाता की सकल कुल आय बारह लाख रूपये से अधिक नहीं हो।
5. केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट योजना के सूचीबद्ध अंशों या यूनिटों में निवेश किया जाए।
6. अंशो / यूनिटों को प्राप्त करने की तिथि से 3 वर्ष तक रखना होगा।
7. करदाता लगातार तीन वर्ष तक खरीद कर लाभ ले सकता है।
8. यदि करदाता किसी वर्ष शर्त भंग करता है तो कटौती की राशि, उस गत वर्ष की आय मानी जाएगी जिस गतवर्ष में शर्त भंग की गई है और यह राशि कर–योग्य होगी।

10.3.6 चिकित्सा बीमा प्रीमियम के सम्बन्घ में (धारा 80 D)

क. करदाता –एक व्यक्ति, हिन्दू अविभाजित परिवार

ख. कटौती की मात्रा–

1. **एक व्यक्ति**
   अ. स्वयं एवं जीवन साथी एवं आश्रित
   बच्चों की अधिकतम कटौती रू0 25,000
2. करदाता के माता–पिता के लिए अतिरिक्त
   अधिकतम कटौती रू0 25,000

3. उपरोक्त अ तथा ब में वरिष्ठ नागरिक या अति वरिष्ठ नागरिक भी है तो कटौती की राशि अधिकतम रू0 30,000

2. हिन्दू अविभाजित परिवारः

अ. परिवार के सदस्यों का चिकित्सा बीमा प्रीमियम रू. 25,000

ब. यदि परिवार का सदस्य वरिष्ठ या अति वरिष्ठ तब कटौती की राशि रू0 30,000

कर निर्धारण वर्ष 2019 –20 से

स्थिति	कटौती (Up to) चिकित्सा बीमा प्रीमियम राशि		कुल मान्य कटौती की राशि जिसमें निवारक जांच पड़ताल के रू0 5000 शामिल है।
	चिकित्सा बीमा प्रीमियम राशि	माता–पिता की राशि	
सभी सदस्यों की आयु 60 वर्ष से कम	रू0 25,000	रू0 25,000	रू0 50,000
करदाता जीवनसाथी, आश्रित बच्चे 60 वर्ष से कम तथा माता–पिता 60 से अधिक	रू0 25,000	रू0 30,000	रू0 55,000
करदाता, जीवनसाथी एवं माता–पिता 60 वर्ष से अधिक	रू0 30,000	रू0 30,000	रू0 60,000

ग. शर्तेः–

1. वरिष्ठ नागरिक से तात्पर्य भारत में निवासी ऐसे व्यक्ति से है जिसकी आयु गत वर्ष के किसी भी दिन 60 वर्ष या अधिक हो।
2. चिकित्सा बीमा प्रीमियम नकद के अलावा, किसी अन्य माध्यम से करना है।
3. अति –वरिष्ठ से तात्पर्य भारत में निवासी ऐसे व्यक्ति से है, जिसकी आयु गत वर्ष के किसी भी दिन 80 वर्ष या अधिक हो।
4. स्वास्थ्य बीमा योजना, बीमा विनियात्मक और विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए।
5. राशि गत वर्ष की कर योग्य आय से दी जानी चाहिए।
6. स्वास्थ्य निवारक जांच पड़ताल, स्वयं, अपने जीवन साथी, आश्रित बच्चे एवं माता–पिता पर किए जाने वाले व्यय से है। यह व्यय की राशि का योग रू0

5,000 से अधिक नहीं होगा। यह राशि नकद भुगतान भी की जा सकती है। परन्तु यह राशि रू0 25000 या रू0 30,000 में शामिल किया जाएगा।

7. कर निर्धारण वर्ष 2019 –20 से पूर्व अधिकतम कटौती रू0 30,000 है।

उदाहरण

श्री मनोज कुमार के द्वारा निम्नलिखित चेक द्वारा दिए गए ।

1. चिकित्सा बीमा प्रीमियम –स्वयं एवं पत्नी रू0 23,000
2. चिकित्सा बीमा प्रीमियम –माताजी उम्र 72 वर्ष रू0 25,000
3. स्वास्थ्य निवारक जांच पड़ताल –पत्नी रू0 3,000
4. स्वास्थ्य निवारक जांच पड़ताल –पिता उम्र 73 वर्ष रू0 7,000

हलः

1. चिकित्सा बीमा प्रीमीयम –स्वयं एवं पत्नी रू0 23,000
   स्वास्थ्य निवारक जांच पड़ताल –पत्नी रू0 2,000
   (रू0 2000 अधिकतम) रू0 25,000

2. चिकित्सा बीमा प्रीमियम – माता जी उम्र 72 वर्ष रू0 25,000
   स्वास्थ्य निवारक जांच पड़ताल –पिता रू0 3,000
   रू0 7000 –2000 = 4000
   अथवा
   रू0 5000– 2000 = रू0 3,000
   दोनों में कम जो हो रू0 28,000

अधिकतम कटौती (धारा 80 D) रू0 25000 + रू0 28000 = रू0 53,000

उदाहरण :

श्रीवरद कुमार ने चेक द्वारा चिकित्सा बीमा प्रीमियम का भुगतान किया।

1. स्वयं रू0 12,000
2. पत्नी का रू0 10,000
3. अविवाहित पुत्री रू0 4,000
4. विवाहित पुत्र रू0 3,000
5. आश्रित माता–पिता (70 वर्ष) रू0 27,000
6. विवाहित पुत्री रू0 8,000

हलः–

1. स्वयं, पत्नी, अविवाहित पुत्री की राशि होगी।
   रू0 12000+ रू0 10,000 + रू0 4000 = रू0 26,000
   अधिकतम कटौती राशि = रू0 25,000

2. विवाहित पुत्र, विवाहित पुत्री की कोई कटौती नहीं मिलेगी।
3. आश्रित माता–पिता की कटौती राशि–रू0 27,000

   कुल कटौती – रू0 25000 + रू0 27000 = रू0 52,000

नोटः– कर निर्धारण वर्ष 2019–20 से यह राशि 30,000 से बढ़ाकर रू0 50,000 कर दी गई।

10.3.7 निशक्त आश्रित की चिकित्सा व्यय अथवा/और उसके जीवन निर्वाह के लिए किए गए जमा के सम्बन्ध में (धारा 88 DD)

क. **करदाता** – एक व्यक्ति , हिन्दू अविभाजित परिवार जो भारत में निवासी रहा हो।

ख. **कटौती की मात्रा–** सामान्य रू0 75,000 यदि आश्रित गंभीर निशक्तता से पीड़ित है तो रू0 1,25,000

ग. शर्तेः–

1. व्यय आश्रित निः शक्त व्यक्ति की चिकित्सा पर व्यय, परिचर्या, पुनर्वास के लिए किया हो।
2. यदि निःशक्त व्यक्ति के पालन के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित योजना में, जीवन बीमा निगम या अन्य बीमाकर्ता के पास राशि जमा कराई गई हो।
3. करदाता द्वारा इस निःशक्त व्यक्ति को भुगतान प्राप्त करने के लिए नामांकित किया गया हो।
4. करदाता की मृत्यु के बाद, उस निःशक्त व्यक्ति को एक मुशत जमा–धन अथवा वार्षिकी के रूप में भुगतान किया जाएगा।
5. चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र की प्रति आयकर विवरणी के साथ जमा की गई हो।
6. आश्रित से तात्पर्य किसी व्यक्ति की दशा में उसका पति/ पत्नी, पुत्र/पुत्री, माता–पिता, भाई बहिन आदि।
7. आश्रित का तात्पर्य हिन्दू अविभाजित परिवार की दशा में परिवार का कोई भी सदस्य।
8. यदि निःशक्त व्यक्ति की मृत्यु करदाता से पूर्व हो जाती है तो जमा की गई राशि करदाता को प्राप्त होगी तथा सम्पूर्ण राशि कर योग्य होगी।

10.3.8 विशिष्ट बीमारियों की चिकित्सा पर व्यय (धारा 80DDB)

क. करदाता – एक व्यक्ति अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार जो भारत में निवासी हो।

ख. कटौती की मात्रा–

1. वास्तव में भुगतान की गई राशि अथवा रू0 40,000 दोनों में जो भी कम हो।
2. यदि वरिष्ठ नागरिक (जिसकी आयु गत वर्ष में 60 वर्ष या अधिक हो) के सम्बन्ध में रू0 60,000 अथवा वास्तव में भुगतान की गई राशि दोनों में जो कम हो। (कर निर्धारण वर्ष 2019–20 से रू0 1,00,000 या वास्तव में भुगतान राशि दोनों में जो कम है।

3. यदि अति वरिष्ठ नागरिक (जिसकी आयु गत वर्ष में 80 वर्ष या अधिक हो) के सम्बन्ध में रू0 80,000 अथवा वास्तव में भुगतान की गई राशि दोनों में जो कम हो (कर निर्धारण वर्ष 2019–20 से रू0 1,00,000 या वास्तव में भुगतान की गई राशि दोनों में जो कम हैं)
4. यदि नियोक्ता द्वारा किसी राशि की प्रतिपूर्ति की जाती है या बीमा कम्पनी से कुछ राशि प्राप्त होने पर प्राप्त राशि को निर्दिष्ठ राशि से घटा दिया जायेगा।

ग. शर्तेः– 1. व्यय स्वयं अपने लिए या आश्रित के लिए अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार के किसी सदस्य के लिए किया गया हो।

2. करदाता को चिकित्सीय पर्ची प्राप्त करनी होगी।

3. आश्रित से तात्पर्य किसी व्यक्ति की दशा में उसका पति/पत्नी, पुत्र/पुत्री, माता–पिता, भाई –बहन शामिल होगें।

4. निर्दिष्ट रोग के अन्तर्गत – Neurological diseases, Cancer, AIDS, Craonic renal failure, Hemophila, Thalassaemia

उदाहरण

श्रीमान प्रभुदयाल ने निम्नलिखित चिकित्सीय व्यय किए।

1.	स्वयं का उपचार	रू0 55,000
2.	पुत्र (निर्दिष्ट बीमारी) पर व्यय	रू0 45,000
3.	पिता (आश्रित नहीं) पर व्यय	रू0 27,000
4.	चिकित्सीय बीमा क्लेम प्राप्त किया	
	पुत्र	रू0 12,000
	पिता	रू0 9,000
5.	नियोक्ता द्वारा स्वयं की प्रतिपूर्ति	रू0 15,000

धारा 80 DDB की कटौती की गणना कीजिए।

हल –

1.	स्वंय उपचार	रू0 55,000
2.	पुत्र उपचार	रू0 45,000
	कुल	रू0 1,00,000

कटौती रोगी रू0 40,000 और रू0 1,00,000 दोनों में जो कम है।

अतः		रू0 40,000
Less अ. नियोक्ता द्वारा स्वंय की प्रतिपूर्ति	रू0 15,000	
ब. बीमा कम्पनी (पुत्र)	रू0 12,000	रू0 27,000
धारा 80DDB की क्लेम राशि		रू0 13,000

चूंकि पिता आश्रित नहीं है, अतः उनकी कोई भी कटौती नहीं मिलेगी।

10.3.9 उच्च शिक्षा के लिए गए ऋण के ब्याज का भुगतान (धारा 80 E)

क. करदाता – एक व्यक्ति

ख. कटौती की मात्रा– ब्याज का भुगतान की वास्तविक राशि जो करयोग्य आय से दी गई है।

ग. शर्ते –

1. करदाता द्वारा स्वयं या जीवन साथी, अपनी संतान (पुत्र या पुत्री) या विधार्थी जिसका वह वैधानिक संरक्षक है।
2. उच्च शिक्षा– केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा मान्यता किसी विद्यालय, विश्वविद्यालय, बोर्ड से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या समतुल्य कोई परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् लिया गया अध्ययन पाठ्यक्रम भी शामिल है।
3. यह कटौती उस गत वर्ष से प्रारम्भ होकर जिसमें करदाता ने ब्याज का भुगतान करना आरम्भ किया हो, तब उसके पश्चात के लगातार सात वर्ष तक अथवा सम्पूर्ण ब्याज के भुगतान की अवधि दोनों में जो अवधि पहले समाप्त हो।

10.3.10. आवासीय गृह सम्पत्ति के लिए प्राप्त ऋण पर ब्याज की कटौती (धारा 80 EE)

क. करदाता – एक व्यक्ति

ख. कटौती की मात्रा– ऋण के सम्पूर्ण भुगतान होने तक रू0 50,000 प्रतिवर्ष।

ग. शर्ते–1 आवासीय गृह सम्पत्ति के सम्बन्ध में लिया गया ऋण पर ब्याज के सम्बन्ध में

2. ऋण की राशि रू0 35 लाख से अधिक ना हो।

3. आवासीय गृह सम्पत्ति का मूल्य रू0 50 लाख से अधिक ना हो।

4. यह ऋण किसी वित्तिय संस्था से 1.4.2016 से 31.3.2017 तक स्वीकार होना चाहिए।

5. ऋण स्वीकृति की तिथि को, अन्य आवासीय ईकाई का स्वामी नहीं होना चाहिए।

6. ब्याज की राशि की कटौती इस धारा में लेने पर , आयकर के किसी भी अन्य प्रावधान में कटौती नहीं मिलेगी।

10.3.11. विशिष्ट कोषों या पुण्यार्थ संस्थाओं को दिए दान (धारा 80 G)

क. करदाता – सभी प्रकार के करदाता

ख. कटौती की शर्तें

1. कटौती के लिए दान वस्तु के रूप में ना होकर मुद्रा के रूप में होना चाहिए।
2. दान की राशि रू0 2,000 से अधिक होने पर, रोकड़ में ना देकर किसी अन्य माध्यम जैसे चेक, ड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिग या अन्य माध्यम (डिजिटल) के द्वारा दिया जाए।

3. दान किसी विशेष जाति, धर्म आदि के हित में ना हो।
4. दान दो प्रकार के होगें।
   अ. जिनकी योग्य राशि की सीमा नहीं है।
   ब. जिनकी योग्य राशि की सीमा है।
5. बिना सीमा वाले दान की कटौती 100% या 50% होगी। (जो निर्दिष्ट किए गए है)
6. सीमा वाले दान में योग्य राशि की अधिकतम सीमा है।
   अ. सकल कुल आय में से दीर्धकालीन पूंजी लाभ, धारा 111 में वर्णित अल्पकालीन पूंजी लाभ तथा धाराएं 80 C से 80 U तक में वर्णित कटौतियां (सिवाय धारा 80 G)
   ब. इनमें से कुछ को 100% कटौती तथा कुछ को 50% कटौती मिलेगी।
7. बिना सीमा वाले दान जो 100% कटौती हेतु है।
8. दोनों में जो कम है वह राशि ही योग्य राशि (सीमा) होगी।
9. बिना सीमा वाले दोनों का योग करें।
10. उपरोक्त योग्य राशि (सीमा) को बिना सीमा वाले योग्य राशि में जोड़ें।
11. इस कुल योग्य राशि जो कटौती हेतु योग्य है, में से 100 % तथा शेष को 50% की दर से कटौती की राशि ज्ञात करें।

1. **बिना सीमा वाले दान जिनकी 100% कटौती स्वीकृत है।**
   (a) राष्ट्रीय सुरक्षा कोष
   (b) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष
   (c) जिला साक्षरता समिति
   (d) राष्ट्रीय खेल कोष
   (e) प्रधानमंत्री आरमीनिया भूकम्प सहायता कोष
   (f) अफ्रीका फण्ड
   (g) भारतीय विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय महत्व प्रतिष्ठान
   (h) राष्ट्रीय रक्त ट्रांस्क्यूजन काऊन्सिल
   (i) राष्ट्रीय सांस्कृतिक कोष
   (j) महाराष्ट्र मुख्यमंत्री भूकम्प राहत कोष
   (k) बीमारियों का राष्ट्रीय सहायता कोष
   (l) केन्द्रीय सरकार का स्वच्छ भारत कोष
   (m) केन्द्रीय सरकार का राष्ट्रीय प्रौधोगिकी (तकनीकी) विकास और उपयोजन निधि
   (n) राष्ट्रीय औषिधि दुरूपयोग नियन्त्रण निधि में दान

2. बिना सीमा वाले दान जिनकी 50% कटौती स्वीकृत होगी।
   (a) जवाहरलाल नेहरू स्मृति कोष
   (b) इन्दिरा गांधी मैमोरियल ट्रस्ट
   (c) राजीव गांधी फाऊन्डेशन
   (d) प्रधानमंत्री अकाल सहायता कोष
3. सीमा वाले दान जो 100% कटौती स्वीकृत है।
   (a) परिवार नियोजन प्रोत्साहन हेतु
   (b) कम्पनी द्वारार भारतीय ओलम्पिक एसोसिएशन
4. सीमावाले दान जो 50 % कटौती हेतु स्वीकृत है।
   (a) सरकार या स्थानीय सत्ता को पुण्यार्थ कार्य हेतु
   (b) पुण्यार्थ हेतु स्थापित संस्था या कोष जो आयकर अधिनियम में अनुमोदित हो।
5. कटौती की गणना निम्नलिखित विधि से की जाए।
   (a) समस्त दानों का योग करें। जो सीमा वाले हैं।
   (b) सकल कुल आय में से दीर्धकालीन पूंजी लाभ, धारा 111 A में वर्णित अल्पकालीन पूंजी लाभ, धारा 80C से 80 U (सिवाय धारा 80 G) को घटाकर, शेष राशि को ज्ञात करें।
   (c) इस शेष राशि का 10% या सीमा वाले दानों का योग।

उदाहरण –

श्री कमल मोहन की सकल कुल आय रू0 7,50,000 है। उन्होनें रू0 50,000 सार्वजनिक निधि खाता में जमा किए। इसके अतिरिक्त उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में रू0 40,000, जिला साक्षरता समिति रू0 5,000 राष्ट्रीय खेल कोष रू0 7,000 जवाहर लाल नेहरू स्मृति कोष रू0 14,000, राजीव गांधी फाऊन्डेशन रू0 3,000 परिवार नियोजन रू0 9,000, अनुमोदित पुण्यार्थ संस्था 16,000 जमा किए। धारा 80 G की कटौती की गणना करें।

हल – सकल कुल आय (Adjusted) = 7,50,000–50,000 =7,00,000

रू0 50,000 धारा 80 C में है।

सीमा के बिना दोनों का योग होगा।

रू0 40,000 + रू0 5,000 + रू0 7,000 + रू03,000+14,000= रू0 69,000 (योग्य राशि)

–सीमा वाले दान का योग होगा

रू0 9,000 + रू0 16,000 = रू0 25,000

सकल कुल आय (Adjusted) का 10% =70,000

रू0 25,000 या रू0 70,000 दोनों में जो भी कम है।

योग्य राशि (सीमावाले दान) रू0 25,000

कुल योग्य राशि रू0 69,000 + 25,000 = रू0 94,000

100% वाले दान का योग होगा।

40,000 + 5,000 + 7000 + 9,000 = रू0 61,000

अतः कटौती राशि रू0 61,000 का 100 % = रू0 61,000

50 % वाले दान का योग होगा।

रू0 94000 – रू0 61,000 = रू0 33,000

अतः कटौती योग्य राशि रू0 33,000 का 50% = रू0 16,500

धारा 80 G की कुल कटौती

रू0 61,000 + रू0 15,500 = रू0 77,500

उदाहरण

श्री विभोर कुमार की सकल कुल आय रू0 12,00,000 है।

उन्होंने धारा 80 C में रू0 1,50,000, धारा 80 डी में रू0 25,000 जमा किए। इसके अतिरिक्त उन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष में रू0 40,000, आई0आई0टी0 दिल्ली– राष्ट्रीय प्रतिष्ठा में रू0 50,000, राष्ट्रीय बाल कोष में रू0 60,000 दिए। इन्दिरा गांधी स्मृति कोष रू0 9,000 परिवार नियोजन के लिए रू0 70,000, पुण्यार्थ संस्था में रू0 12,000 स्पोटर्स एसोसिएशन में रू0 35,000 दिए। धारा 80 G की गणना करें।

हल ।

(A) बिना सीमा के दान ; (100 %)

1. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष		रू0 40,000
2. आई0आई0टी0 दिल्ली		रू0 50,000
3. राष्ट्रीय बालकोष		रू0 60,000
कुल	रू0 1,50,000	= रू0 1,50,000

B. बिना सीमा के दान (50 %)

1. इन्दिरा गांधी स्मृति कोष		रू0 9,000
कुल	रू0 9,000	= रू0 4,500

C- सीमा सहित दान

1. परिवार नियोजन	रू0 70,000
2. पुण्यार्थ संस्था	रू0 12,000
3. स्पोटर्स एसोसिएशन	रू0 35,000

कुल रू0 1,17,000

योग्य राशि होगी ।

(रू0 12,00,000 – रू0 1,20,000 –रू0 50,000) रू0 = 10,30,000

रू0 10,30,000 का 10% =103,000 अथवा रू0 1,17,000 दोनो में जो भी कम है। अर्थात् रू0 1,17,000

कटौती@ 100% परिवार नियोजन = रू0 70,000

@ 50 % (1,17,000–70,000) = रू0 23,500

रू0 93,500

अतः कुल कटौती होगी।

रू0 1,50,000 + रू0 4,500 + रू0 70,000 + रू0 23,500 = रू0 2,48,000

10.3.12 किराए के भुगतान के सम्बन्ध में (धारा 80 G)

(क) करदाता – एक व्यक्ति

(ख) कटौती की मात्रा

निम्न में सबसे न्यूनतम राशि की कटौती

1. कुल आय के 10% से अधिक देय किराए की राशि
2. कुल आय का 25%
3. रू0 5,000 प्रति माह

(ग) शर्तेः–

1. एक गैर–वेतनभोगी करदाता अथवा वेतनभोगी ऐसा करदाता जिसे मकान किराया भत्ता नहीं मिलता हो एवं किराए के मकान में रहता हो।
2. कुल आय आय से तात्पर्य सकल कुल आय में से धारा 80 C से 80 U तक की स्वीकृत कटौतियां (सिवाय धारा 80 GG) घटाने के पश्चात शेष राशि। उसके बाद उसमें से दीर्घकालीन पूंजीलाभ एवं धारा 111 में वर्णित अल्पकालीन पूंजी लाभ के पश्चात् बची आय से है।
3. निम्नलिखित दशाओं में कटौती नहीं दी जाएगी।

   अ. यदि करदाता का स्वयं, जीवन साथी, अवयस्क बच्चों अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार जहां वह निवास करता है अथवा उसका व्यापार/ कार्यालय स्थित

   ब. मकान किसी अन्य स्थान पर स्थित है तथा उसे स्वयं निवास के लिए आयकर अधिनियम में छूट लेता है।

   स. नियोक्ता ने किराया मुक्त मकान प्रदान किया है।

उदाहरण

श्री मनोज कुमार की सकल कुल आय रू0 8,00,000 है। वह किराए के मकान का 12,000 प्रतिमाह किराया देता है। धारा 80 C में रू0 40,000 तथा धारा 80 D में रू0 15,000 की स्वीकृति कटौती है धारा 80 GG की कटौती की गणना कीजिए।

हल – कुल आय = रू0 8,00,000 – रू0 40,000 – रू0 15,000

= रू0 7,45,000

निम्न में सबसे कम की कटौती मान्य है।

अ. 1,44,000 – 74,500 = रू0 69,500

ब. 745,000 का – 25% = रू0 1,86,250

स. रू0 5,000 x 12 = रू0 60,000

अतः कटौती की कुल राशि– रू0 60,000

10-3-13 वैज्ञानिक अनुसंधान अथवा ग्राम विकास के लिए दिया दान (धारा 80 GGA)

क. करदाता– सभी करदताओं

ख. कटौती की मात्रा– भुगतान की गई राशि का 100%

ग. शर्तें–

1. सभी करदाताओं जिनकी कोई आय व्यापार एवं पेशे शीर्षक में नहीं है।
2. भुगतान अनुमोदित अनुसंधान संघ, विश्वविद्यालय , कॉलेज अथवा वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए दिया जाए।
3. केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित तथा अधिसूचित ग्राम विकास कोष में दी गई राशि
4. सार्वजनिक क्षेत्र की किसी कम्पनी अथवा स्थानीय सत्ता की पात्र परियोजना।
5. केन्द्रिय सरकार द्वारा स्थापित तथा अधिसूचित ''नगरो की गरीबी को दूर के राष्ट्रीय कोष'' में दी राशि।
6. दान रू0 10,000 से अधिक होने पर, नकद के अलावा अन्य किसी माध्यम से दिया जाए।

10.3.14 एक भारतीय कम्पनी द्वारा किसी राजनीतिक दल को अंशदान (धारा GGB)

क. एक भारतीय कम्पनी करदाता

ख. कटौती की मात्रा– 100 % राशि

ग. शर्ते

1. नकद के अलावा , अन्य माध्यम से भुगतान
2. कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 182 में निर्धारित राशि से अधिक की कटौती नहीं मिलेगी।

10.3.15. व्यक्ति द्वारा राजनीतिक दल को अंशदान (धारा 80 GGC)

क. करदाता– व्यक्ति (सिवाय स्थानीय सत्ता, कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति)

ख. कटौती की मात्रा –100%

ग. शर्ते–

1. नकद के अलावा, अन्य माध्यम से भुगतान

10.4 कतिपय आय/आयों के सम्बन्ध में कटौतियां

10.4.1 अवसंरचना विकास उपक्रमों के लाभ (धारा 80 IA)

क. **करदाता**– कम्पनी (उपक्रम) जो निर्दिष्ट है। (सभी करदाता)

ख. **कटौती की मात्रा**–10 कर निर्धारण वर्षों तक ऐसे लाभों का 100%

ग. **शर्ते** –

1. ऐसे उपक्रम (भारतीय कम्पनी) जो आधारभूत संरचना के विकास, प्रचालन, प्रचालन में हो। आधारभूत संरचना से आशय सड़क, पुल, हवाई अड्डा, जलमार्ग, रेलमार्ग या सार्वजनिक निर्माण 1.4.1995 को या उसके पश्चात् परन्तु 1.4.2017 से पूर्व अनुरक्षण, प्रचालन या विकास करे।
2. उपक्रम किसी औधोगिक पार्क को 31.3.97 के बाद परन्तु 1.4.2011 से पूर्व, विशेष आर्थिक क्षेत्र में 1.4.97 से 31.3.2006 तक विकसित, प्रचालित अथवा अनुरक्षित करें।
3. विधुत उपक्रम 1.4.93 से 31.3.17 के मध्य विधुत उत्पादन एवं वितरण करे। 1.4.99 से 31.3.2017 के मध्य नई वितरण लाईन का नेटवर्क बिछाए।
4. विधुत उत्पादित वाले प्लान्ट का पुनर्निमार्ण या पुनः चालू करना।
5. करदाता को अपने हिसाब किताब का अंकेक्षण कराके उसकी रिपोर्ट आयकर विवरणी के साथ दाखिला करे।

10.4.2 विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास के लाभ (धारा 80 I AB)

क. **करदाता** – विकासकर्त्ता (सभी करदाता)

ख. **कटौती की मात्रा** – व्यवसाय के लाभों का दस कर निर्धारण वर्षो तक 100%

ग. शर्ते–

1. ऐसा विकासकर्ता जो विशेष आर्थिक क्षेत्र का विकास करे।
2. दस कर निर्धारण वर्ष के लाभों का 100%
3. पन्द्रह में से कोई भी दस वर्ष में मांग सकता है।
4. यदि धारा 80IA में कटौती ली जा चुकी है, तब उतने वर्ष धारा 80 IAB=80IAB के लिए कम कर दिए जाएगें।
5. विकासकर्ता 1.4.2005 से 31.3.2017 के मध्य विकास करे।
6. हिसाब किताब का अंकेक्षण कराके उसकी रिपोर्ट आयकर विवरणी के साथ संलग्न करे।

10.4.3 निर्दिष्ट कारोबार के लाभ के सम्बन्ध में कटौती (धारा 80 IAC)

क. **करदाता**– कम्पनी या सीमित दायित्व वाली कम्पनी

ख कटौती की मात्रा– ऐसे व्यवसायों के लाभों का 100% (लगातार तीन कर निर्धारण वर्षों तक)

ग. शर्ते–

1. पात्र कारोबार से तात्पर्य पात्र स्टार्टअप
2. ऐसी कम्पनी या फर्म 1.4.2016 को या इसके बाद परन्तु 1.4.2021 से पहले निगमित की गई हो।
3. गत वर्ष जिसके लिए कटौती मांगी जा रही है, उस वर्ष कुल आवर्त पच्चीस करोड़ रूपये से अधिक नहीं हो।
4. केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित अन्तर–मन्त्रालयी बोर्ड से पात्र कारोबार का प्रमाणपत्र होना चाहिए।
5. पात्र कारोबार से तात्पर्य ऐसे कारोबार से है जो उत्पादों या सेवाओं या प्रक्रियाओं के विकास, सुधार अथवा नवप्रवर्तन या रोजगार सृजन की उच्च सम्भावना वाला कोई मापनीय कारोबार मॉडल से है।
6. करदाता चाहे तो निगमित होने वर्ष से अगले सात वर्षों में से कोई तीन वर्ष लगातार कटौती ले सकता है।
7. विद्यमान व्यवसाय का पुनर्गठन या विभाजन को नही माना जाएगा अर्थात कटौती ऐसी अवस्था में नहीं मिलेगी।
8. पहले से प्रयोग में ली हुई मशीन या प्लान्ट (20% से अधिक होने पर) कटौती नहीं मिलेगी।

उपरोक्त यह शर्त विदेश से पुरानी आयातित मशीन या प्लान्ट पर लागू नहीं होगी।

10.4.4 अवसंरचना विकास उपक्रमों से भिन्न उपक्रमों के लाभ (धारा 80 IB)

क. करदाता– सभी करदाताओं के लिए

ख. कटौती की मात्रा–

1. खनिज तेल के उत्पादन में लगे हुए उपक्रम, जो 1.4.1997 या उसके पश्चात्, परन्तु 1.4.2017 से पूर्व खनिज तेल की Refining 30.9.1998 के पश्चात परन्तु 1.4.2012 से पूर्व आरम्भ करने वाले उपक्रम को प्रथम सात वर्षो में 100% की कटौती मिलेगी।
2. एक आवासीय परियोजना की जो स्थानीय सत्ता द्वारा 31.3.2008 से पूर्व अनुमोदित हो। प्लांट का एरिया एक एकड़ से कम हो। तब आय का 100% कटौती मिलेगी। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तें पूरी करनी होगी।

   a. आवासीय ईकाई का Build up area 1000 वर्ग फुट से अधिक ना हो, यदि यह ईकाई दिल्ली, मुम्बई अथवा इन शहरों में 25 किलोमीटर के दायरे में हो। अन्य स्थानों पर 1500 वर्ग फुट से अधिक ना हो।

   b. आवासीय ईकाई परियोजना 1.10.98 या उसके बाद आरंभ हो।

c. 1.4.2004 से पूर्व स्वीकृत परियोजना 31.3.2008 तक पूर्ण होनी चाहिए।

d. 1.4.2004 या उसके बाद, परन्तु 1.4.2005 से पूर्व स्थानीय सत्ता द्वारा स्वीकृत होने पर, यह परियोजना वर्ष समाप्ति के चार वर्षों में पूर्ण होनी चाहिए।

e. 1.4.2005 या उसके बाद स्वीकृत परियोजना अगले पांच वर्षो में पूर्ण होनी चाहिए।

f. एक व्यक्ति (Individual) को छोड़कर, किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक आवासीय ईकाई का आबंटन नहीं होना चाहिए।

g. इस आवासीय परियोजना में वाणिज्यक निर्मित क्षेत्र आवासीय निर्मित क्षेत्र का 3% या 5000 वर्गफुट दोनों में जो ज्यादा हो, से अधिक ना हो।

3. खाद्यानों का भण्डारन, परिवहन, उठाना–धरना की स्थिति में 1.4.2001 या उसके पश्चात् व्यापार आरम्भ करने की स्थिति में प्रथम पांच वर्षों में व्यापार के लाभ का100% तथा अगले पांच वर्षों में कम्पनी की दशा में 30% एवं अन्य दशा में 25% की कटौती मिलेगी। यह उन सभी उपक्रमों जो फल एवं सब्जियों के प्रसंस्करण, परिरक्षण एवं पैकेजिंग में 2005 –2006 कर निर्धारिण वर्ष से कटौती मिलेगी। 1.4.2009 से मीट, पॉल्ट्री, मैरीन, डेरी उत्पाद के प्रसंस्करण, परिरक्षण, पैकेजिंग को भी कटौती मिलेगी।

10.4.5 आवासीय परियोजना के लाभ (धारा 80 IBA)

क. करदाता – सभी करदाता

ख. कटौती की मात्रा– आवासीय परियोजना की आय का 100% की कटौती, परियोजना अनुमोदन की तिथि से पांच वर्ष तक मिलेगी।

ग. शर्तें–

1. ऐसी परियोजना केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी के द्वारा 1.6.2016 के बाद परन्तु 1.4.2019 से पहले अनुमोदित होनी चाहिए।
2. एक से अधिक बार अनुमोदन लेने पर प्रथम बार प्राप्त अनुमोदन तिथि से पाँच वर्ष की गणना होगी।
3. परियोजना का समापन प्रमाणपत्र लेना अनिवार्य है।
4. परियोजना मे ंसम्मिलत वाणिज्यक स्थान का कार्पेट क्षेत्र, सकल कार्पेट क्षेत्र के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
5. प्लॉट का क्षेत्रफल
   अ. दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, कोलकत्ता में कम से कम एक हजार वर्ग मीटर
   ब. किसी अन्य स्थान पर–कम से कम दो हजार वर्गमीटर
   स. आवासीय ईकाई का आकार उपरोक्त अ. दशा में अधिकतम 30 वर्गमीटर ब. दशा में 60 वर्गमीटर अधिकतम ।
6. कम से कम 90% अनुज्ञेय फर्श क्षेत्र अनुपात

7. करदाता पृथक बही रखेगा।

10.4.6 कुछ विशेष राज्यों में स्थापित उपक्रम विशेष (धारा 80 IC)

क. करदाता – सभी करदाता

ख. कटौती की मात्रा–

1. प्रथम पाँच वर्षों में 100 % लाभ
2. अगले पाँच वर्षों में

   अ. कम्पनी दशा में – 30%

   ब. अन्य दशा में –25%

ग. शर्ते

1. इस धारा में कटौती की मांग करने पर अन्य धाराओं 80 C से 80 U में कोई कटौती नहीं मिलेगी।
2. पुराने व्यापार के पुनर्गठन या तोड़ने से ना हो।
3. पुराना प्लाण्ट एवं मशीन 20% से अधिक का हस्तान्तरण ना हो।
4. चार्टड एकाऊन्टेंट से अंकेक्षण हो।
5. हिमाचल प्रदेश अथवा उत्तराखण्ड में 07.01.2013 से 31.03.2012 के मध्य निर्माण/ उत्पादन किया जाये।
6. निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र, एकीकृत अवसंरचना विकास केन्द्र या औधोगिक संवर्धन केन्द्र या औधोगिक सम्पदा या औधोगिक/प्रौधोगिकी पार्क या थीम पार्क या सॉफ्टवेयर में किसी वस्तु (13वीं अनुसूची को छोड़कर) का निर्माण या उत्पादन आरम्भ करता है।

10.4.7 पूर्वोत्तर राज्यों में स्थापित उपक्रम (धारा 80 IE)

क. करदाता –सभी करदाता

ख. कटौती की मात्रा –व्यावसाय के लाभों का 100% (प्रथम दस कर–निर्धारण वर्षों में)

ग. शर्ते–

1. 1.4.2007 से 31.3.2017 के मध्य किसी पूर्वोत्तर राज्य में किसी मान्य वस्तु का उत्पादन करें।
2. ऐसे व्यवसाय की आय को धारा 10AA या धारा 80C से 80U की कोई भी कटौती नहीं मिलेगी।
3. व्यवसाय (नया) पुराने व्यवसाय को तोड़ने या पुनर्गठन से ना बना हो।
4. पुराना प्लान्ट 20% से अधिक ना प्रयोग किया जाए।
5. चार्टर्ड एकाऊन्टेन्ट से अंकेक्षण अनिवार्य है।
6. पूर्वोत्तर राज्य में –अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड सिक्किम और त्रिपुरा शामिल हैं।

7. मान्य व्यवसाय के अन्तर्गत कम से कम 2 star टोटल, रोपवे, कम से कम पच्चीस बिस्तर का नर्सिंग होम, वृद्धाश्रम चलाना, सूचना प्रौधोगिकी ट्रेनिंग केन्द्र चलाना, Bio- technology, व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान चलाना।

10.4.8 जैव –श्रेणीकरणीय अवशिष्ट संग्रहण एवं प्रसंस्करण व्यापार (धारा 80 JJA)

क. **करदाता**– सभी करदाता

ख. कटौती की मात्रा– प्रथम पाँच कर निर्धारण वर्षों में ऐसे व्यवसाय के लाभ का 100% कटौती

ग. शर्तें–

1. करदाता कुछ विशिष्ट प्रकार के व्यवसाय करता हो।
2. विशिष्ट से तात्पर्य शक्ति का उत्पादन, जैव नाशक जीवमार, जैव कर्मक का उत्पादन, बायो–गैस , ईधन गुटिका बनाना, कार्बनिक खाद, अवशिष्ट का संग्रह एवं प्रसंस्करण आदि से है।

10.4.9 किसी व्यावसायिक उपक्रम में नए कर्मचारियों की नियुक्ति (धारा 80 JJAA)

क. करदाता – सभी करदाता

ख. कटौती की मात्रा–1. अतिरिक्त कर्मचारी की लागत का 30% प्रतिशत

2. जिस गत वर्ष कर्मचारी की नियुक्ति की गई हो उसे मिलाकर तीन गत वर्ष तक

ग. शर्तें –

1. व्यवसाय, पुराने व्यवसाय के पुनर्गठन या विभाजन से ना हो।
2. अंकेक्षण अनिवार्य है।
3. पारिश्रमिक का भुगतान नकद के अलावा किसी अन्य माध्यम से हो।
4. अतिरिक्त कर्मचारी की लागत से तात्पर्य

   अ. विधमान संस्थान में –गत वर्ष के अन्तिम दिन जितने कर्मचारी थे इनकी संख्या में वृद्धि ना होने पर शून्य

   ब. नए व्यवसाय संस्थान में – उस गत वर्ष में जितने कर्मचारी नियुक्त किए गए, उनको दिया गया पारिश्रमिक
5. अतिरिक्त कर्मचारी से तात्पर्य गत वर्ष की तुलना में कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि से है।

   परन्तु इसमें निम्न शामिल नहीं है।

   अ. जिसका मासिक पारिश्रमिक 25,000 से अधिक है।

   ब. जिसका समस्त अंशदान , कर्मचारी भविष्य निधि में सरकार द्वारा दिया हो।

   स. गत वर्ष में कम से कम 240 दिन की अवधि के लिए नियोजित ।

   द. वस्तु में लगा होने पर नियोजन की अवधि 240 दिन की अपेक्षा 150 दिन होगी।

य. फुटवियर या चमड़े के उत्पाद की दशा में 240 दिन की अपेक्षा 150 दिन होगी (कर निर्धारण वर्ष 2019–20 से)

6. नियोजन के बदले देय धनराशि में पेंशन निधि में अंशदान, छंटनीके कारण क्षतिपूर्ति या रिटायर या स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण का भुगतान, ग्रेच्यूइटी, अर्जित अवकाश वेतन शामिल नहीं है।

10.4.10 अन्तर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केन्द्र या बैंक की अपतट ईकाई (धारा 80 LA)

क. करदाता– अनुसूचित बैंक

ख. कटौती की मात्रा–

1. प्रथम पाँच कर निर्धारण वर्ष– आय का 100%
2. अगले पांच वर्ष– आय का 50%

ग. शर्ते –

1. किसी अनुसूचित बैंक या विदेशी बैंक की अपतट ईकाई को या अन्तर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केन्द्र की आय।
2. अर्न्राष्ट्रीय वित्त सेवा केन्द्र की ईकाई, विशेष आर्थिक क्षेत्र में या बैंकिग रेगूलेशन एक्ट 1949 की धारा 6 (1) में वर्णित ऐसे उपक्रम से आय या विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थापित ईकाई से आय
3. बैंकिग रेगूलेशन एक्ट 1949 की धारा 23 (1) (a) के अन्तर्गत स्वीकृति पत्र
4. चार्टर्ड एकाऊन्टेंट का प्रमाणपत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।

10.4.11 सहकारी समितियों की आय (धारा 80 P)

क. करदाता – सहकारी समिति

ख. कटौती की मात्रा–

1. यदि सहकारी समिति अपने सदस्यों को साख देने, कुटीर उद्योग का काम करने, सदस्यों द्वारा उपजित कृषि उपज को बेचने से, सदस्यों को खेती के उपकरण उपलबध कराने, कृषि उपज को प्रंसस्करण, मछली पकड़ने आदि प्राप्त लाभों की कटौती मिलेगी।
2. समिति अपने सदस्यों द्वारा उत्पादित दूध, Oil Seeds, फल अथवा सब्जियां किसी अन्य सहकारी समिति, स्थानीय सत्ता, सरकार, सरकारी कम्पनी या वैधानिक निगम को बेचती है तो सम्पूर्ण लाभ की कटौती।
3. उपरोक्त (1) और (2) के अतिरिक्त अन्य सहकारी समितियों के लाभ में से रू0 50,000 एवं उपभोक्ता सहकारी समिति की दशा में रू0 1,00,000 की कटौती दी जाएगी।
4. अन्य सहकारी समितियों में विनियोग से प्राप्त ब्याज या लाभांश की सम्पूर्ण राशि सकल कुल आय से घटाई जाएगी।
5. वस्तुओं को भण्डारन से प्राप्त आय सम्पूर्ण घटाई जाएगी।

6. प्रतिभूतियों तथा मकान सम्पत्ति से आय की कटौती तभी मिलेगी जब उसकी सकल कुल आय रू0 20,000 से अधिक ना हो।

10.4.12 पुस्तकों के लेखक को (धारा 80 QQB)

क. करदाता– व्यक्ति जो पुस्तक का लेखक या संयुक्त लेखक हो तथा भारत में निवासी हो।

ख. कटौती की मात्रा– सम्पूर्ण आय या रू0 3,00,000 दोनों में जो भी कम है।

ग. शर्ते–

1. एक व्यक्ति जो भारत में निवासी हो।
2. पुस्तक का लेखक या संयुक्त लेखक हो।
3. पुस्तक की स्वामित्व या प्रतिलिप्याधिकार फीस (एक मुशत या प्राप्त)
4. रायल्टी की दर, पुस्तक मूल्य का 15% से अधिक ना हो।
5. भारत के बाहर प्राप्त होने पर, 6 माह के भीतर विदेशी मुद्रा भारत में लाई/ प्राप्त की जाए।
6. पुस्तक साहित्यक, कलात्मक या वैज्ञानिक प्रकृति की हो।
7. पुस्तक में डायरी, समीक्षा, निर्देशिका, मार्गदर्शिका, पत्रिका, जर्नल, समाचार–पत्र, विवरणिका, पाठ्य पुस्तकें शामिल नहीं है।
8. करदाता रायल्टी देने वाले से प्रमाणपत्र ले।

10.4.13 पेटेंन्ट पर रायल्टी की आय (धारा 80RRB)

क. करदाता –भारत में निवासी व्यक्ति तथा पैटेटी

ख. कटौती की मात्रा– सम्पूर्ण आय या रू0 3,00,000 दोनों मे ंजो भी कम हो।

ग. शर्तेः–

1. एक व्यक्ति जो भारत का निवासी तथा पैटेंटी है।
2. पैंटेंटी से आशय, जो अविष्कार का असली एवं मूल अविष्कारक है तथा उसका पैटेंट पैटेंट अधिनियम 1970 में पंजीकृत है।
3. एक से अधिक होने पर, सभी व्यक्ति पैटेंटी माने जाएगें।
4. 1.4.2003 या उसके पश्चात पंजीकृत हो।
5. निर्धारित अधिकृत व्यक्ति का प्रमाणपत्र होना चाहिए।
6. भारत के बाहर से उपार्जित होने पर, गत वर्ष की समाप्ति के छः माह के भीतर या बढ़ाई गई अवधि के भीतर परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा भारत में लाई गई।

10.4.14 बचत खातों पर अर्जित / प्राप्त ब्याज (धारा 80TTA)

क. करदाता– एक व्यक्ति (Individual) या हिन्दू अविभाजित परिवार

ख. कटौती की मात्रा–

1. ब्याज की राशि की मात्रा का योग या दस हजार रूपये दोनों में जो कम हो।
2. कर निर्धारण वर्ष 2019–20 से वरिष्ठ नागरिक को धारा 80TTA में कटौती नहीं मिलेगी। उसे धारा 80TTB के अन्तर्गत कटौती मिलेगी।

ग. शर्ते

1. बचत खाता किसी बैंक, सहकारी समिति जो बैंक का कार्य करती है या डाकघर में खोला गया है।

10.4.15 वरिष्ठ नागरिक को जमा कर ब्याज (धारा 80TTB)

क. करदाता – भारत में निवासी व्यक्ति (Individual) जिसकी आयु सम्बन्धित गत वर्ष में 60 वर्ष या अधिक हो।

ख. कटौती की मात्रा– ब्याज की राशियों का योग या पचास हजार रूपये दोनों में जो कम हो।

ग. शर्ते–

1. कर निर्धारण वर्ष 2019–20 से लागू
2. ब्याज का अर्जन किसी बैंक, बैंक व्यावसाय में सहकारी समिति, डाकघर में से।
3. किसी भी प्रकार का ब्याज जो जमा पर अर्जित हो।

10.4.16 निःशक्त व्यक्ति को कटौती (धारा 80 U)

क. करदाता – व्यक्ति , भारत में निवासी

ख. कटौती की मात्रा

1. निश्चित राशि रू0 75,000
2. गम्भीर निःशक्तता की स्थिति में निश्चित राशि रू0 1,25,000

ग. शर्ते–

1. भारत में निवासी व्यक्ति (Individual)
2. चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र
3. प्रमाणपत्र रिटर्न के साथ जमा होना चाहिए।

उदाहरण 01

श्री मोहन कुमार वेतन से करयोग्य आय रू0 5,00,000, मकान शीर्षक से करयोग्य आय रू0 2,00,000 है। उन्होने निम्नलिखित विनियोग /भुगतान किये।

1. प्रमाणित/पॉविडेन्ट फण्ड में जमा रू0 40,000
2. पुत्र की टयूशन फीस रू0 6,000
3. भारतीय जीवन बीमा निगम में स्वयं जीवन बीमा प्रीमियम रू0 7,000
4. मेडिकल इंश्योरेन्स प्रीमियम रू0 9,000
5. राजनीतिक दल को रू0 3,000
6. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष रू0 10,000

उसने अपने पर आश्रित निः शक्त की चिकित्सा पर व्यय किए रू0 40,000

कुल आय की गणना कीजिए।

<u>हल– कुल आय की गणना</u>

वेतन से आय	रू0 5,00,000
मकान सम्पत्ति से आय	रू0 2,00,000

————————

सकल कुल आय	रू0 7,00,000
घटाएं (कटौतियां) :–	
1. धारा 80 C	
प्रमाणित प्रॉविडेन्ट फण्ड अंशदान	रू0 40,000
पुत्र की टयूशन फीस	रू0 6,000
भारतीय जीवन बीमा प्रीमियम	रू0 7,000
	————————
	रू0 53,000
	————————
2.धारा 80 D	रू0 9,000
मेडिकल इंश्योरेन्स प्रीमियम	
3. धारा 80DD	
निःशक्त की चिकित्सा व्यय रू0 40,000	रू0 75,000
4. धारा 80 G	
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष	रू0 10,000
5. धारा 80GGC	रू0 3,000
राष्ट्रीय दल	
	————————
कुल कटौतियां रू0 1,50,000	रू0 1,50,000
	————————
कुल आय	रू0 5,50,000

————————

उदाहरण :02

श्री वरूण कुमार की सकल कुल आय में से कटौतीयोग्य राशि की गणना करें। सकल कुल आय रू0 8,70,000

1. पत्नी का जीवन बीमा प्रीमियम रू0 9,000
2. राष्ट्रीयकृत बैंक में Tax FDR रू0 50,000
3. गृहऋण का मूलराशि का भुगतान रू0 11,000
4. चिकित्सा बीमा प्रीमियम रू0 20,000
5. अपने बेटे की उच्च शिक्षा ऋण पर ब्याज रू0 50,000
6. मकान किराया दिया रू0 10,000 मासिक। मकान किराया भत्ता नहीं मिलता है।
7. जिला साक्षरता समिति में दान रू0 12,000

हलः– कटौतियां

1. धारा 80. C

पत्नी की जीवन बीमा प्रीमियम रू0 9,000
राष्ट्रीय कृत बैंक में Tax FDR रू0 50,000
गृहऋण की मूल राशि रू0 11,000

रू0 70,000

2. धारा 80 D
चिकित्सा बीमा प्रीमियम रू0 20,000

3. धारा 80 E
उच्च शिक्षा ऋण पर ब्याज रू0 50,000

4. धारा 80 G जिला साक्षरता समिति रू0 12,000

5. धारा 80 GG
Least is exempt

(a) Rent Paid – 10% of Adju total income
Rs 1,20,000- 71,800 = 48,200

(b) 25% of total income
25% of 7,18,000 = 1,79,500

(c) 5000 x 12 = Rs. 60,000
Adj Total Income =8,70,000 – 70,000– 2000 – 50,000 – 12000= 7,18,000

करमुक्त –48,200

10.5 सारांश

आयकर अधिनियम के अनुसार कुछ भुगतानों तथा आयों के सम्बन्ध में कटौतियां दी जाती है। जिन्हें सकल कुल आय से दी जाने वाली कटौतियां कहते है। सकल कुल आय में से धारा 80C से 80U के अन्तर्गत कटौतियों स्वीकृत की जाती है। कटौतियों की राशि सकल कुल आय से अधिक नहीं हो सकती। यह प्रत्येक करदाता की व्यक्तिगत भुगतानों एंव आयों के सम्बन्ध में होती है। विभिन्न पांच शीर्षकों के अन्तर्गत कर योग्य आयों के योग में से हानियों की पूर्ति के बाद की सकल कुल आय में से कटौतियां दी जाती है। करदाता द्वारा कटौतियों की मांग की जानी चाहिए। प्रत्येक करदाता का कर्त्तव्य है कि वह कटौतियों के बारे में साक्ष्य प्रस्तुत करें। इस इकाई में आपने सकल कुल आय में से होने वाली कटौतियों को पढ़ा। संक्षेप में पूरे अध्याय में दी गई कटौतियों का विवरण निम्न प्रकार है।

धारा	करदाता	विवरण	कटौती
80 C	एक व्यक्ति एवं हिन्दू अविभाजित परिवार	जीवन बीमा प्रीमियम, राष्ट्रीय बचत पत्र, टैक्स फिक्स जमा, प्रॉविडेन्ट फण्ड में कर्मचारी का अंशदान, टयूशन फीस आदि	अधिकतम रू0 1,50,000 तक

80CCC	एक व्यक्ति	पेंशन फण्ड में व्यक्ति द्वारा अंशदान	अधिकतम रू0 1,50,000 तक 80 C में सम्मिलत
80CCD	एक व्यक्ति	पेंशन फण्ड में अंशदान (NPS)	अ. वेतन का 10% या कर्मचारी का अशंदान दोनो में जो भी कम हो। एवं ब. वेतन का 10% या नियोक्ता का अंशदान दोनों में जो भी कम हो। स. अन्य व्यक्ति सकल कुल आय का 20% तक
80CCE	एक व्यक्ति	धारा 80C, 80CCC, 80 CCD की कटोतियां का अधिकतम योग	अधिकतम योग (कटौती) रू0 1,50,000
80CC G	एक व्यक्ति (निवासी)	सूचीबद्ध साधारण अंशों या यूनिटों में विनियोग	विनियोजित राशि का 50% या 25000 दोनों में जो भी कम हो। रू0 25,000 अधिकतम
80D	एक व्यक्ति एवं हिन्दू अविभाजित परिवार	नकद रूप में छोड़कर अन्य किसी भी रूप में स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम जमा कराने पर	(स्वयं, जीवन साथी, आश्रित बच्चे या हिन्दू अविभाजित परिवार का सदस्य रू0 25,000 माता–पिता रू0 30,000 वरिष्ठ नागरिक
80 DD	एक व्यक्ति (निवासी) एवं हिन्दू अविभाजित परिवार (निवासी)	निःशक आश्रित की चिकित्सा पर व्यय या निःशक आश्रित के जीवन–निर्वाह के लिए जमा	अ निःशक्तता की दशा में रू0 75,000 ब. गम्भीर निःशक्तता की दशा में रू0 1,25,000
80DDB	एक व्यक्ति (निवासी) एवं हिन्दू अविभाजित परिवार (निवासी)	स्वास्थ्य चिकित्सा (निर्देशित बीमारियों के सम्बन्ध में)	सामान्यतः रू0 40,000 तक वरिष्ठ नागरिक रू0 60,000 तक अति वरिष्ठ नागरिक रू0

80 E	एक व्यक्ति	अपने स्वयं, बच्चों , रिशतेदार की उच्चतर शिक्षा के लिए ऋण पर ब्याज का भुगतान	80,000 तक ब्याज की भुगतान की गई सम्पूर्ण राशि
80EE	एक व्यक्ति	मकान खरीदने के लिए ऋण पर ब्याज	रू0 50,000 तक
80 G	सभी करदाता	विशिष्ठ संस्थानों / कोषो अनुमोदित पुण्यार्थ कोषों में दिये धन के रूप में दान	कुछ दानों का Qualifying Amount का 100% एवं कुछ का 50%
80GG	एक व्यक्ति	गैर–वेतन भोगी व्यक्ति एंव मकान किराया भत्ता ना पाने वाले वेतनभोगी के द्वारा किराया देने पर	देय किराये का कुल आय के 10% पर आधिक्य या कुल आय का 25% या रू0 5000 प्रति माह जो सबसे कम होगा।
80GGA	सभी करदाता	वैज्ञानिक अनसंधान या सामाजिक या सांख्यिकी अनुसन्धान संस्था, विश्वविधालय या कालिज ग्राम विकास कोष	दी गई राशि
80GGB	भारतीय कम्पनी	राजनीतिक दल को अंशदान	दी गई राशि का 100%
80GGC	अन्य व्यक्ति (80GGB को छोड़कर)	राजनीतिक दल को अंशदान	दी गई राशि का 100%
80IA	सभी करदाता	अवसंरचना विकास उपक्रम के लाभ	दस कर निर्धारण वर्ष के लाभों का 100%
80IAB	विकासकर्ता	विशेष आर्थिक क्षेत्र का विकास से प्राप्त लाभ	दस करनिर्धारण वर्ष के लाभों का 100%
80 IAC	कम्पनी या सीमित	निर्दिष्ट कारोबार से प्राप्त लाभ	लगातार तीन कर –निर्धारण

	दायित्व वाली साझेदारी सभी करदाता		वर्षों में लाभों का 100%
80IB	सभी करदाता	गैर–अवसंरचना विकास उपक्रमों के लाभ	लाभों का 100 %
80 IC	सभी करदाता	विशेष राज्यों में स्थापित किए गए उपक्रम	प्रथम पांच कर निर्धारण वर्ष 100% एवं अगले पांच कर निर्धारण वर्ष कम्पनी 30% (अन्य कम्पनी की दशा में 25%)
80IE	सभी करदाता	पूर्वोत्तर राज्य में स्थापित उपक्रम	सम्पूर्ण लाभ अगले दस निर्धारण वर्ष तक
80JJA	सभी करदाता	जैव–श्रेणीकरण अवशिष्ट के संग्रहण एंव प्रंसस्करण व्यापार से लाभ	पांच कर निर्धारण वर्षों के सम्पूर्ण लाभ
80JJAA	सभी करदाता	नए नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति	कर्मचारियों को दिए वेतन का 30% केवल तीन कर–निर्धारण वर्ष तक
80 LA	अनुसूचित बैंक	अपतट इकाई आदि की आय	पांच कर निर्धारण वर्ष 100% एवं अगले पांच कर निर्धारण वर्ष 50%
80 P	सहकारी समितियों की आय	सहकारी समितियों की आय	अ कृषि, विपणन, बैंकिंग डेरी की आय 100% ब. अन्य क्रिया में रू0 50,000 स. उपभोक्ता सहकारी समिति की दशा में 1,00,000 तक द. सहकारी समिति से प्राप्त लाभांश अथवा ब्याज की आय का 100 %
80QQB	निवासी व्यक्ति (लेखक)	पुस्तकों की रॉयल्टी	तीन लाख रूपये अधिकतम
	निवासी व्यक्ति पैटेंटी	पैंटेट से आय	तीन लाख रूपये अधिकतम

80RRB			
80TTA	एक व्यक्ति एवं हिन्दू अविभाजित परिवार	बचत खातों का ब्याज	रू0 10,000 रूपये अधिकतम
80TTB	एक व्यक्ति एवं हिन्दू अविभाजित परिवार	ब्याज	रू0 50,000 अधिकतम
80 U	निवासी व्यक्ति	निःशक्त व्यक्तियों की आय	निः शक्तता रू0 75,000 गम्भीर निः शक्तता रू0 1,25,000

10.6 शब्दावली

कटौती– कटौती से तात्पर्य , ऐसी राशि को सकल कुल आय से घटाना, जो आयकर प्रावधानों के अनुरूप मान्य है।

सकल कुल आय– विभिन्न शीर्षकों की कर योग्य आयों के योग से है।

कुल आय– सकल कुल आय में से धारा 80 C से 80 U की कटौतियां घटाने के बाद जो राशि शेष बचती है।

अनुमोदित–केन्द्रीय सरकार या निर्दिष्ट प्राधिकार द्वारा स्वीकृति।

असमर्थता–शारिरिक रूप से कार्य करने में असमर्थ। (सामान्यतः 40% या अधिक)

गम्भीर असमर्थता– शारिरिक रूप से 80% या अधिक असमर्थ

10.7 बोध प्रश्न

क. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए

1. धारा 80 C की कटौती केवल ———————करदाता को मिलती है।
2. धारा 80 DD के अन्तर्गत निःशक्तता के सम्बन्ध में स्वीकृत कटौती की राशि————— है।
3. राष्ट्रीय खेल कोष की कटौती ——————है।
4. धारा 80 C की अधिकतम कटौती की राशि——————है।
5. वरिष्ठ नागरिक की उम्र ———————है।
6. अति वरिष्ठ नागरिक की उम्र ——————— है।
7. एक व्यक्ति सार्वजनिक भविष्य निधि में वित्त वर्ष में अधिकतम ——————रूपये जमा कर सकते है।
8. वस्तुओं का दान की कटौती ——————है।

निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य और कौन सा असत्य है।

1. धारा 80 P की कटौती सहकारी समितियों के सम्बन्ध में है।
2. धारा 80 E, उच्च शिक्षा के लिए, लिये गये ऋण पर ब्याज भुगतान के सम्बन्ध में है।
3. धारा 80 U की अधिकतम कटौती रू0 40,000 है।
4. धारा 80 G की कटौती केवल नकद दान पर है।
5. यदि एक व्यक्ति अपने मकान में निवास करे तो उसे धारा 80GG के अन्तर्गत कटौती मिलेगी।

6. धारा 80 C की कटौती केवल कम्पनी करदाता को मिलती है।

10.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

रिक्त स्थानों के उत्तर

1. व्यक्ति एवं हिन्दू अविभाजित परिवार
2. रू0 75,000
3. 100%
4. रू0 1,50,000
5. 60 वर्ष
6. 80 वर्ष
7. रू0 1,50,000
8. मान्य नहीं

सत्य व असत्य प्रश्नों के उत्तर

1. सत्य 2. सत्य 3. असत्य 4. सत्य 5. असत्य 6. असत्य

10.9 स्वपरख प्रश्न

1. धारा 80 C की कटौती के क्या प्रावधान है।
2. धारा 80GG के आयकर प्रावधान लिखें।
3. धारा 80 D की कटौती कौन ले सकता है तथा अधिकतम कितनी राशि की।
4. ऐसे चार दानों के नाम लिखिए, जिन पर 100% कटौती स्वीकृत है।
5. श्री मनोज कुमार की कुल आय की गणना करें।
   (a) वेतन से आय रू0 6,00,000
   (b) सार्वजनिक प्रॉविडेन्ट फण्ड में जमा रू0 60,000
   (c) रिहायशी मकान के ऋण की किशत रू0 50,000
   (d) राजनीतिक दल को चंदा रू0 5,000
   (e) स्कूल को रू0 15,000 की पुस्तकें दान की।
   (f) पत्नी का स्वास्थ्य चिकित्सा बीमा प्रीमियम नकद में रू0 8,000 दिया।

उत्तर कुल आय रू0 4,85,000

6. निम्न सूचनाओं के आधार पर धारा 80 C की कटौती की गणना करें।

(a) सार्वजनिक प्रॉविडेन्ट फण्ड में अंशदान	रू0 25,000
(b) पत्नी की जीवन बीमा प्रीमियम	रू0 22,000
(c) प्रमाणित प्रॉविडेन्ट फण्ड में जमा	रू0 13,000
(d) राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदे	रू0 12,000
(e) टयूशन फीस (दो बच्चों की)	रू0 13,000

उत्तर – रू0 85,000

10.10 सन्दर्भ पुस्तकें

1. Singhania : Direct Taxes, Taxman, New Delhi. (2019).
2. मेहरोंत्रा एच0सी0 एवं जोशी सीवएस0 : आय कर– कर निर्धारण वर्ष 2019–20, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा (2019) ।

इकाई 11 हानियों की पूर्ति एवं उन्हें आगे ले जाना

इकाई की रुपरेखा

11.1 प्रस्तावना
11.2 आय के शीर्षक एवं आय के स्त्रोत में अन्तर
11.3 हानियों की पूर्ति के सम्बन्ध में प्रावधान
11.3.1 एक ही शीर्षक में
11.3.2 एक शीर्षक की हानि, अन्य शीर्षक से
11.3.3 गैर सट्टा व्यापार
11.3.4 सट्टा व्यापार
11.3.5 घुड़दौड़ के घोड़ों का स्वामित्व वं रखरखाव
11.3.6 पूंजीगत हानियाँ
11.3.7 जुआ, लाटरी, पहेली, शर्ते
11.3.8 व्यक्तियो का समूह
11.3.9 साझेदारी फर्म
11.4 हानियों को आगे ले जाना तथा उनकी पूर्ति करना
11.4.1 हानियों को आगे ले जाना – अर्थ
11.4.2 मकान सम्पत्ति
11.4.3 गैर सट्टा व्यापार या पेशा
11.4.4 सट्टा व्यापार
11.4.5 अल्पकालीन पूंजीगत
11.4.6. दीर्घकालीन पूंजीगत
11.4.7 घुड़दौड़
11.4.8 एकीकरण
11.4.9 अविलयन
11.4.10 उत्तराधिकार
11.4.11 बैंकिग कम्पनी का समामेलन
11.4.12 सहकारी बैंक का पुर्नगठन
11.4.13 घटाने का क्रम
11.5 सारांश
11.6 शब्दावली
11.7 बोध प्रश्न
11.8 बोध प्रश्नों के उत्तर
11.9 स्वपरख प्रश्न
11.10 सन्दर्भ पुस्तकें

उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप इस योग्य हो सकेंगे कि :

- आय की नकारात्मक प्रभाव (हानि) को जान सकें।

- हानि की पूर्ति करदाता किस प्रकार कर सकता है व किस हानि की पूर्ति गत वर्ष में नहीं कर सकता, की व्याख्या कर सकें।
- आय कौन सी से पूर्ति गत वर्ष में कर सकता है व कौन–कौन सी हानि को अगले वर्षो में ले जाया जा सकता है, की व्याख्या कर सकें।
- कौन–कौन सी हानि किस शीर्षक से एवं किस स्त्रोत से समायोजित की जा सकती है, की व्याख्या कर सकें।

11.1 प्रस्तावना

इस इकाई में आप यह जानकारी प्राप्त करेगें कि आय की गणना में हानि की पूर्ति को किस प्रकार समायोजित कर सकते है। इसमें एक ही गत वर्ष में विभिन्न प्रकार के स्त्रोतों के मध्य आपस में कितनी मात्रा में समायोजित एवं किस–किस स्त्रोत का आपस में समायोजन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य आने वाले वर्षो में उन्हें आगे ले जाकर भी पूर्ति की जा सकती है। आप इन सभी का अध्ययन करेगें।

एक करदाता की करयोग्य आय को पाँच शीर्षकों में अलग–अलग ज्ञात किया जाता है। ऐसा जरूरी नहीं कि उसे प्रत्येक स्त्रोत या शीर्षक में लाभ ही हो, उसे कभी हानि भी हो सकती है। कुछ स्त्रोतों में उसे आय एवं कुछ स्त्रोतों में हानि भी हो सकती है। अतः उस हानि का समायोजन आय से किया जाए ।

11.2 आय के शीर्षक एवं आय के स्त्रोतों में अन्तर

एक करदाता की आय पाँच शीर्षकों में विभाजित की जाती है जैसे वेतन, मकान सम्पत्ति, व्यापार एवं पेशा, पूंजीगत लाभ, आय के अन्य साधन । इन शीर्षकों में प्रत्येक शीर्षक में विभिन्न स्त्रोत हो सकते है – जैसे कर दाता के पांच मकान किराये पर दिए गए हों तो यह पांच स्त्रोत आय के होगें। इसी प्रकार यदि एक व्यक्ति तीन व्यवसाय करता है तो उसके व्यवसाय शीर्षक में तीन आय के स्त्रोत होगें।

11.3 हानियों की पूर्ति के सम्बन्ध में प्रावधान

हानियों की पूर्ति से तात्पर्य है कि जिस वर्ष आय के किसी स्त्रोत से हानि होने पर उसकी पूर्ति उसी वर्ष की आय से की जाए । अर्थात प्रत्येक कर दाता किसी एक स्त्रोत की हानि को किसी दूसरे स्त्रोत की आय से समायोजित कर सकता है, बशर्ते शीर्षक एक ही हो, तो ऐसी अवस्था में हानि घटाकर ही उस शीर्षक में शुद्ध करयोग्य आय ज्ञात की जाती है। इसको एक शीर्षक के अर्न्तगत हानि को पूर्ति करना कहा जाता है। यदि एक शीर्षक में स्त्रोतों की हानियों का योग, आय स्त्रोतों से अधिक होगा, ऐसी स्थिति में शीर्षक में आय के स्थान हानि प्रदर्शित होगी ।

यदि एक करदाता के एक से अधिक शीर्षकों में हानि एवं अन्य शीर्षकों में लाभ, तब ऐसी स्थिति में हानि वाले शीर्षकों की हानियों को, आय वाले शीर्षकों से पूर्ति करके सकल कुल आय ज्ञात की जायेगी। ऐसी स्थिति को शीर्षकों के अर्न्तगत हानियों की पूर्ति कहा जाएगा ।

अन्य शब्दों में, एक शीर्षक के अन्दर विभिन्न स्त्रोतों को आपस में पूर्ति करना अन्तर स्त्रोत पूर्ति कहलाता है। जबकि एक शीर्षक की हानि को अन्य शीर्षकों से समायोजित करना अन्तर शीर्षक पूर्ति कहलाता है।

अन्त में, हानि की पूर्ति का अर्थ हानि को लाभों में से समायोजित करने से है। यदि हानि की राशि विभिन्न शीर्षकों की आयों से अधिक है, तो हानि के अधिक को गत वर्ष में पूरा न किया जा सके, तब ऐसी ना पूर्ण हुई हानि को अगले वर्ष या वर्षो में उसी शीर्षक से पूरा करने के लिए आगे ले जाने को हानि को आगे ले जाना कहा जाता है।

11.3.1 एक ही शीर्षक में

आयकर अधिनियम की धारा 70 के अनुसार, यदि पूंजींगत लाभों को छोड़कर आय के किसी शीर्षक में किसी एक स्त्रोत से हानि है तो करदाता उसी शीर्षक के अन्य स्त्रोतों की आय से उसकी पूर्ति कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि एक व्यक्ति कें दो मकान किराये पर चढ़े हुए हैं मकान अ से लाभ के 40,000 रुपये तथा मकान ब की हानि 10,000 रुपये को समायोजित करेगा । मकान सम्पत्ति शीर्षक की कुल करयोग्य आय 30,000 रुपये होगी । इसी प्रकार यदि एक करदाता के दो व्यापार लोहे तथा कपड़े का हो, लोहे के व्यापार में रु. 30,000 की हानि तथा कपड़े के व्यापार में रु. 70,000 का लाभ हो, तो

व्यापार एवं पेशे शीर्षक की करयोग्य आय रु. 40,000 होगी। यदि हानि वाला व्यापार गत वर्ष में बहुत थोड़े समय के लिए चला हो और बाद में बन्द कर दिया गया हो तो भी उस हानि को उसी गत वर्ष में अन्य व्यापारों के लाभों से पूर्ति की जा सकती है।

परन्तु इस नियम के निम्नलिखित अपवाद हैं –

1. सट्टे के व्यापार का हानि की पूर्ति केवल सट्टे के व्यापार के लाभों से की जा सकती है, अर्थात गैर सट्टे के व्यापार पर यदि हानि हो जाए तब उसे तो सट्टे या गैर सट्टे के व्यापार के लाभ से पूर्ति की जा सकती है।
2. लॉटरी, घुड़दौड़, ताश, जुआ, क्रासवर्ड, पजैल या जुआ प्रकृति वाले किसी भी साधन से, जीत की आय से, कोई भी हानि की पूर्ति नहीं की जा सकती है।
3. घुड़दौड के घोड़ों के रखरखाव के व्यापार की हानि किसी भी अन्य आय से पूरी नही की सकती है।
4. करमुक्त आय वाले स्त्रोत की हानि की पूर्ति, किसी भी अन्य स्त्रोत की आय से नहीं की जा सकती है।
5. अल्पकालीन पूंजी सम्पत्ति हानि को केवल अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन पूंजी सम्पत्ति लाभ से पूर्ति की जा सकती है।
6. दीर्घकालीन पूंजी सम्पत्ति हानि को केवल दीर्घकालीन पूंजी सम्पत्ति लाभ से पूर्ति की जा सकती है।

11.3.2 एक शीर्षक की हानि, अन्य शीर्षक से

आयकर अधिनियम की धारा 71 के अनुसार, यदि आय के किसी एक शीर्षक में हानि है, एवं अन्य शीर्षक में लाभ है तो ऐसी हानि को अन्य शीर्षक के लाभों से समायोजित किया जा सकता है।

1. मकान सम्पत्ति से आय शीर्षक की हानि किसी भी अन्य शीर्षक की आय से पूर्ति की जा सकती है।
2. धारा 71 (3 ए) के अनुसार, अधिकतम 2,00,000 रुपये तक की मकान सम्पत्ति हानि को अन्य शीर्षक से पूर्ति की जा सकती है।
3. सट्टा व्यापार की हानि किसी भी अन्य आय से पूर्ति नहीं कर सकते हैं ऐसी हानि को केवल सट्टा व्यापार के अन्य लाभों से पूरा कर सकते है।
4. पूंजी लाभ शीर्षक की हानि, आय के किसी भी शीर्षक से पूर्ति नहीं कर सकते है।
5. व्यापार एवं पेशे शीर्षक में हानि को अन्य किसी भी शीर्षक (सिवाय वेतन शीर्षक) से पूरी किया जा सकता है। अन्य शब्दों में, यदि करदाता को वेतन शीर्षक में आय एवं व्यापार एवं पेशे शीर्षक में हानि है, तो उसे आपस में समायोजित नहीं कर सकते ।
6. घुड़दौड़ के घोंड़ो के रखरखाव के व्यापार से हानि किसी अन्य आय से पूरी नहीं कर सकते है।
7. जुआ प्रकृति जैसे ताश, लाटरी, पजल्स, शर्त आदि की आय से किसी भी हानि को पूरा नहीं किया जा सकता ।
8. करमुक्त आय वाले स्त्रोत की हानि की पूर्ति किसी भी अन्य करयोग्य आय के स्त्रोत से पूरी नहीं कर सकते।
9. जिस शीर्षक की करयोग्य आय होती है, उसी शीर्षक की हानि को पूरा किया जा सकता है।
10. धारा 35 एडी में दिए गए विशिष्ट व्यापार की हानि को, किसी भी अन्य व्यापार के लाभ से पूरा नहीं किया जा सकता है।

11.3.3 <u>गैर सट्टा व्यापार की हानि की पूर्ति –</u>

1. गैर सट्टा व्यापार अथवा पैशे की हानि की पूर्ति व्यापार एवं पेशा शीर्षक के सभी स्त्रोतों से पूरी की जा सकती है। सट्टा व्यापार की आय से भी इसकी पूर्ति की जा सकती है। इसके अतिरिक्त वेतन शीर्षक को छोड़कर , किसी भी अन्य शीर्षक से इस व्यापार (गैर सट्टा) एवं पेशे की हानि को पूरा किया सकता है।
2. निर्दिष्ट व्यापार एवं पेशा की हानि की पूर्ति, केवल किसी अन्य निर्दिष्ट व्यापार एवं पेशा की आय से पूरा किया जा सकता है।
3. गैर सट्टा व्यापार एवं पेशा की हानि को, सट्टा व्यापार एवं पेशा से कर सकते है परन्तु सट्टा व्यापार की हानि को गैर सट्टा से पूरा नहीं कर सकते ।

4. यदि कोई व्यापार या पेशा गत वर्ष में बन्द कर दिया जाता है, तो उस बन्द व्यापार या पेशे की हानि को उसी वर्ष के या अगले कर–निर्धारण वर्षो के अन्य व्यापार या पेशा के लाभों से पूरा किया जा सकता है।
5. अवैधानिक व्यापार की हानियाँ केवल अवैधानिक व्यापार के लाभों से ही पूरा किया जा सकता है। अर्थात अवैधानिक व्यापार की हानियाँ, वैधानिक व्यापार के लाभों से पूर्ति नहीं कर सकते ।
6. गैर सट्टा व्यापार की हानि की पूर्ति किसी भी अन्य शीर्षक से पूरा नहीं कर सकते ।

11.3.4 सट्टा व्यापार की हानि

1. धारा 73 (1)के अनुसार सट्टे व्यापार की हानि को, केवल सट्टे के किसी अन्य व्यापार के लाभों से पूरा किया जा सकता है।
2. गैर कानूनी सट्टे के व्यापार की हानि की पूर्ति कानूनी सट्टे के व्यापार के लाभों से पूरा नहीं कर सकते ।
3. इस हानि को किसी भी अन्य शीर्षक से पूरा नहीं कर सकते ।

11.3.5 घुड़दौड़ के घोड़ों का स्वामित्व एवं रखरखाव

1. धारा 74 (ए)(3) के अनुसार, यदि करदाता घुड़दौड़ के घोड़ों का स्वामी है तथा घुड़दौड़ के लिए उनका रखरखाव करता है और उसे हानि हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में वह उस हानि की पूर्ति इस स्त्रोत के अलावा किसी भी अन्य स्त्रोत या शीर्षक की आय से नहीं कर सकता । ऐसी हानि को केवल घुड़दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व एवं रखरखाव की क्रियाओं से होने वाले लाभों से किया जा सकता है।

11.3.6 पूंजीगत हानियाँ –

1. पूंजीगत हानियों को, धारा 74 के अनुसार, किसी भी अन्य शीर्षक के लाभों से समायोजित नहीं किया सकता है।
2. अल्पकालीन पूंजीगत हानि को अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन दोनों लाभों से उस कर–निर्धारण वर्ष में पूरा किया जा सकता है।
3. दीर्घकालीन पूंजीगत हानियों को केवल दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ से पूरा किया जा सकता है।

11.3.7 जुआ, लॉटरी, पहेली, शर्ते से हानि

1. इन सभी जुआ प्रकृति की हानि को किसी भी अन्य आय से पूरित नहीं कर सकते ।
2. इन हानियों को इन्हीं के स्त्रोतों की आय से समायोजित किया जा सकता है।

11.3.8. व्यक्तियों का समूह की हानियाँ

व्यक्तियों के समूह की हानियाँ, यदि इन्हीं की आय के किसी शीर्षक की आय से पूरी नहीं की जा सकती है, तो इन्हीं सदस्यों को अपनी निजी आय से, ये हानियाँ समायोजित करने का अधिकार नहीं है।

11.3.9. साझेदारी फर्म की हानियाँ

साझेदारी फर्म की हानियाँ साझेदारी फर्म स्वयं अपनी आय से पूरा कर सकती है। साझेदार अपने हिस्से की हानि को अपनी निजी आय से समायोजित नहीं कर सकता ।

11.4 हानियों को आगे ले जाना तथा उनकी पूर्ति करना

11.4.1 हानियों को आगे ले जाने – अर्थ –

जब किसी गत वर्ष की हानि, उसी वर्ष के विभिन्न स्त्रोतों या शीर्षकों के लाभों में से पूरी नहीं की जा सकती है तो ऐसी अपूरित हानियों को अगले वर्षो के लाभों में से पूरा करने के लिए आगे ले जाया जा सकता है। इसको हानियों को आगे ले जाना तथा उनकी पूर्ति करना कहा जाता है।

कुछ हानियाँ ऐसी भी है कि यदि उनकी पूर्ति उसी वर्ष में नहीं हो पाती है, जिस वर्ष में हानि होती है तो उनकी पूर्ति आगे ले जाकर नहीं कर सकते है।

केवल निम्नलिखित हानियों ही आगे ले जाकर अगले वर्षो से पूरित किया जा सकता है

1. मकान सम्पत्ति से आय शीर्षक की हानियाँ
2. गैर–सट्टा व्यापार अथवा पेशे की हानियाँ
3. सट्टा व्यापार की हानियाँ
4. निर्दिष्ट व्यापार की हानियाँ
5. पूंजीगत (अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन) हानियाँ
6. घुडदौड़ के घोड़ों के स्वामित्व एवं रखरखाव के कार्य से उत्पन्न ''अन्य साधनों से आय'' शीर्षक की हानियाँ

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कोई भी हानि आगे नहीं ले जायी जा सकती है जिससे आगे आने वाले वर्ष/वर्षो में उसकी पूर्ति की जा सके। केवल वही करदाता ,जिसे हानि हुई है,उसको पूर्ति हेतु आगे ले जाया जा सकता है। अन्य कोई भी व्यक्ति या व्यापार का उत्तराधिकारी हानि को आगे नहीं ले जाया जा सकता परन्तु निम्नलिखित स्थितियों में उत्तराधिकारी या अन्य कोई व्यक्ति हानि को पूर्ति हेतु आगे ले जा सकता है।

1. यदि व्यापार का उत्तराधिकार वंशानुगत है।
2. यदि एकाकी व्यापार को साझेदारी फर्म में परिवर्तित कर दिया हो, एवं एकाकी व्यापारी उस फर्म का साझेदार हो ।
3. एकीकरण होने वाली कम्पनी की हानि हो ।
4. साझेदारी फर्म की हानि हो

11.4.2 मकान सम्पत्ति से हानि – (धारा 71 बी)

यदि मकान सम्पत्ति शीर्षक में हानि है और ऐसी हानि को उसी कर–निर्धारण वर्ष में किसी अन्य शीर्षक की आय से उसे पूरा नहीं किया जा सकता, तब ऐसी अपूरित हानि को अगले आठ वर्षो में (अधिक से अधिक) आगे ले जाया जा सकता है। उसे किसी अन्य शीर्षक की आय से नहीं ।

11.4.3 गैर सट्टा व्यापार या पेशा की हानि (धारा 72)

गैर सट्टा व्यापार या पेशा की ना पूर्ति हुई हानि को, अधिक से अधिक आठ वर्षो तक पूर्ति के लिए आगे ले जाया जा सकता है। अगले आठ वर्षो में केवल व्यापार एवं पेशे शीर्षक की आय से पूरित किया जा सकता है।

1. यदि व्यापार या पेशा बन्द कर दिया जाता है तो व्यापार एवं पेशे शीर्षक से पूरित किया जा सकता है।
2. ऐसी हानि को सट्टे के व्यापार के लाभों से भी, अगले वर्षो में पूरित किया जा सकता है।
3. किसी विशिष्ट व्यापार (धारा 35 ए डी. में संदर्भित) की आगे लाई गई हानि को आगामी वर्षो में किसी भी अन्य विशिष्ट व्यापार के लाभों से पूरित किया जा सकता है।

11.4.4 सट्टा व्यापार की हानि धारा 73 (2)

ऐसे सटटे के व्यापार की हानि जो उसी वर्ष में पूरी ना की जा सके; उसे आगे अधिक से अधिक चार वर्षो में पूर्ति के लिए आगे ले जाया जा सकता है। ऐसी हानि को केवल सट्टे के व्यापार के लाभों से पूरा किया जा सकता है।

11.4.5 अल्पकालीन पूंजीगत हानि

ऐसी अल्पकालीन पूंजी हानि जो उसी वर्ष में पूंजी लाभ के शीर्षक में किसी आय से पूरी ना की जा सके तो शेष अशोधित अल्पकालीन पूंजीगत हानि को, जिस वर्ष हानि हुई थी, उससे अधिक से अधिक आठ कर–निर्धारण वर्षो तक आगे ले जाकर किसी भी पूंजीलाभ अल्पकालीन या दीर्घकालीन से पूरित किया जा सकता है।

11.4.6 दीर्घकालीन पूंजीगत हानि

ऐसी दीर्धकालीन पूंजी हानि जो उसी वर्ष में दीर्धकालीन पूंजीलाभ से पूरी ना की जा सके, तो शेष अशोधित हानि को, जिस वर्ष हानि हुई थी, उससे अगले आठ वर्षो (अधिकतम आठ कर–निर्धारण वर्षो में) आगे ले जाकर दीर्धकालीन पूंजी लाभ से पूरा कर सकते है।

11.4.7 घुड़दौड़ के घोड़े रखने से हानि

यदि करदाता घुड़दौड़ के घोड़े रखता है और उनके रखरखाव के कार्य से उसे हानि होती है, जो उस गत वर्ष में पूरित नहीं हो पाती है। तब ऐसी बिना पूरित की गई हानि को अगले अधिकतम चार वर्षो में केवल इसी स्त्रोत से लाभों में से पूरा किया जाएगा। शर्त यह

है कि करदाता द्वारा यह कारोबार, जिसकी हानि आगे ले जाई जा रही है, चालू रहता है।

11.4.8. एकीकरण की दशा में गैर–सट्टा व्यापार की संचित हानि तथा अशोधित हास

एकीकरण होने वाली कम्पनी की एकत्रित हानियाँ एवं अशोधित ह्रास एकीकृत कम्पनी की उस गत वर्ष की हानि एवं ह्रास मानी जायेगी जिस गत वर्ष में एकीकरण हुआ है, तथा हानियों की पूर्ति एवं उनको आगे ले जाने वाले प्रावधान लागू होगें बशर्ते –

1. एक औद्योगिक उपक्रम या एक जहाज या एक होटल के स्वामित्व वाली को किसी अन्य दूसरी कम्पनी के साथ एकीकरण।
2. एक बैकिग कम्पनी का किसी विशिष्ट बैंक के साथ एकीकरण।
3. एक या अधिक सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी या कम्पनियाँ जो हवाई जहाज के संचालन के व्यापार में संलग्न है।
4. एकीकरण होने वाली कम्पनी किसी औद्यौगिक उपक्रम या एक जहाज अथवा होटल का स्वामी हो ।
5. एकीकरण कम्पनी कम से कम तीन वर्ष से उस व्यवसाय में लगी है,जिसमें हानियां एकत्रित हुई हैं, या ह्रास की कटौती नहीं मिली है।
6. एकीकरण की तिथि को एकीकरण की तिथि के पूर्व दो वर्षो तक पुस्तक मूल्य की कम से कम 75 प्रतिशत स्थिर सम्पत्तियां इसके पास रही हो ।
7. एकीकरण में प्राप्त सम्पत्तियों में से कम से कम 3/4 मूल्य की सम्पत्तियां एकीकृत कम्पनी के पास एकीकरण के बाद कम से कम पाँच वर्ष तक धारित रहती है।
8. एकीकरण के बाद एकीकृत कम्पनी एकीकरण होने वाली कम्पनी का व्यापार कम से कम 5 वर्ष तक चालू रखती है।
9. यदि उपरोक्त शर्तो को पूरा नहीं किया जाता है तो एकीकृत कम्पनी द्वारा किसी भी गत वर्ष में पूरित की गई हानि या ह्रास की राशि एकीकृम कम्पनी की उस वर्ष की आय मान ली जाएगी, जिस गत वर्ष में ऐसी शर्ते पूरी नहीं की गई हैं ।

<u>11.4.9. अविलयन की दशा में हानि</u>

जब किसी उपक्रम का अविलयन हो और इससे सम्बन्धित अविलयित कम्पनी की संचित हानियाँ एवं अशोधित ह्रास परिणामी कम्पनी को हस्तान्तरित कर दिए जायेगें तथा परिणामी कम्पनी इन्हें आगे ले जाकर अपने लाभों में से घटा सकेगी। परिणामी कम्पनी अविलयित कम्पनी की हानि तथा अशोधित ह्रास केवल उस शेष अवधि तक आगे ले जाकर अपने आय से पूरी कर सकेगी, जिस अवधि में अविलयित कम्पनी इसे आगे ले जाकर पूरी कर सकती थी।

<u>11.4.10 उत्तराधिकार में गैर–सटटा व्यापार की संचित हानि एवं अशोधित हास</u>

जब किसी फर्म अथवा एकाकी व्यक्ति का व्यवसाय किसी कम्पनी द्वारा ले लिया जाता है तो ऐसी दशा में स्वामित्व परिवर्तन होने पर गैर सट्टा व्यापार की हानि तथा अशोधित ह्रास कम्पनी की उस वर्ष की संचित हानि एवं अशोधित ह्रास माना जाएगा। जिस वर्ष कम्पनी ने व्यवसाय लिया है और कम्पनी को इनकी पूर्ति का अधिकार सामान्य नियमों के अनुसार होगा। यह नियम उस दशा में भी लागू होगा जब किसी प्राइवेट कम्पनी या असूचीबद्ध पब्लिक कम्पनी का सीमित दायित्व वाली भागीदारी में परिवर्तित होना ।

<u>11.4.11. बैंकिग कम्पनी का समामेलन होने की दशा में गैर–सट्टा व्यापार की संचित हानि तथा अशोधित ह्रास</u>

धारा 72 एए, यदि किसी बैंकिग कम्पनी का किसी अन्य बैकिंग संस्थान के साथ एकीकरण होता है, तो ऐसी बैकिंग कम्पनी की एकत्रित हानियाँ एवं अशोधित ह्रास ऐसे बैंकिग संस्थान की उस गत वर्ष की हानि एवं ह्रास माने जायेगें जिस वर्ष में एकीकरण की योजना का कार्यान्वयन हुआ था। उपरोक्त प्रावधान तभी लागू होगा, जबकि एकीकरण की योजना केन्द्रीय सरकार द्वारा बैंकिग नियमन अधिनियम 1949 की धारा 45 (7) के अर्न्तगत अनुमोदित की गयी तथा कार्यान्वित की गई ।

11.4.12 सहकारी बैंक का पुनर्गठन

धारा 72 एबी के अनुसार,यदि दो सहकारी बैको का एकीकरण हो, तो पूर्ववर्ती सहकारी बैक की एकत्रित हानियाँ एवं अशोधित ह्रास, उत्तराधिकारी सहकारी बैंक द्वारा आगे पूरित एवं पुनः आगे ले जाई जा सकती है परन्तु इसके लिए निम्न शर्तो का पूरा होना आवश्यक है –

1. पूर्ववर्ती सहकारी बैंक तीन अथवा अधिक वर्षो से बैंकिग व्यापार कर रही हो तथा एकत्रित हानियाँ इसी अवधि की हों ।
2. पूर्ववर्ती सहकारी बैंक के स्वामित्व में पुनर्गठन तिथि तक लगातार दो वर्षो से कम से कम 75 प्रतिशत (पुस्तकीय मूल्य) सम्पत्तियॉ रही हो।
3. उत्तराधिकारी सहकारी बैंक में, पूर्ववर्ती बैंक से प्राप्त स्थायी सम्पत्तियों के पुस्तकीय मूल्य का 75 प्रतिशत या अधिक पुर्नगठन की तिथि से अगले पॉच वर्ष तक प्रयोग में रहेगी ।

11.4.13 घटाने का कम

आगे लायी गई अशोधित ह्रास, हानियॉ, पूंजीगत व्यय आदि की पूरित करने हेतु मांग करता है तब ऐसी स्थिति में गत वर्ष के लाभों में पूरित करते समय निम्नलिखित प्राथमिकता के आधार पर पूरित करा जाएगा ।

1. चालू वैज्ञानिक अनुसंधान के व्यय
2. चालू ह्रास
3. आगे लाई गई व्यापार अथवा पेशे की हानियॉ
4. अशोधित परिवार नियोजन सम्वर्धन व्यय
5. अशोधित ह्रास
6. वैज्ञानिक अनुसंधान के अशोधित पूंजीगत व्यय

उदाहरण

श्रीमान प्रमोद कुमार, एक व्यक्ति निम्न सूचनाएं प्रेषित करता है –

1. वेतन शीर्षक की कर योग्य आय	रु. 2,00,000
2. मकान सम्पत्ति से आय –	
मकान दिल्ली किराये से	रु. 2,10,000
मकान मुम्बई किराये से	(–) रु. 1,00,000
मकान मेरठ (स्वयं प्रयोग) ब्याज राशि	(–) रु. 50,000
3. व्यापार एवं पेशे से आय	
लोहे का व्यापार	रु. 1,20,000
खिलौने का व्यापार	रु. 1,25,000

कपडे का व्यापार	(–) रु. 1,60,000
सट्टा व्यापार	(–) रु. 40,000
4. पूंजी लाभ से	
अल्पकालीन लाभ	रु. 1,40,000
अल्पकालीन हानि	(–)रु 1,60,000
दीर्घकालीन लाभ	रु 90,000
5. अन्य साधनों से आय	
प्रतिभूतियों पर ब्याज	रु. 60,000
ताश एवं जुआ	रु. 1,70,000

हल

करयोग्य आय की गणना

वेतन शीर्षक से आय		रु. 2,00,000
मकान सम्पत्ति से आय		
मकान दिल्ली	रु. 2,10,000	
मकान मुम्बई	(–) रु. 1,00,000	
मकान मेरठ स्वयं प्रयोग	(–) रु. 50,000	रु. 60,000
व्यापार एवं पेशा		
लोहा व्यापार	रु. 1,20,000	
खिलौना व्यापार	रु. 1,25,000	
कपड़ा व्यापार	(–)रु.1,60,000	रु. 85,000
सट्टा व्यापार हानि अगले वर्ष ले जाएगी	**रु. 40,000**	
पूंजी लाभ		
अल्पकालीन पूंजी लाभ	रु. 1,40,000	
अल्पकालीन पूंजी हानि	(–) रु. 1,60,000	
दीर्घकालीन पूंजी लाभ	रु. 90,000	रु. 70,000
अन्य साधनों से आय –		
प्रतिभूतियों पर ब्याज	रु. 60,000	
ताश एवं जुआ	रु. 1,70,000	रु. 2,30,000
सकल कुल आय		रु. 6,45,000

उदाहरण – 2

श्री प्रवीन कुमार रस्तोगी ने निम्न सूचनाएँ दी –

	आय (रु)	हानि (रु,)
वेतन से करयोग्य आय	3,60,000	
मकान सम्पत्ति से करयोग्य आय		
मकान मेरठ	1,20,000	
मकान श्रीनगर	3,60,000	

मकान अल्मोड़ा	10,000	
व्यापार से करयोग्य आय		
कपड़ा	4,00,000	
लोहा	40,000	
सट्टा अ	45,000	
सट्टा ब	65,000	
पूंजी लाभ		
अल्पकालीन पूंजी लाभ	60,000	
अल्पकालीन पूंजी हानि	42,000	
दीर्घकालीन पूंजी लाभ	90,000	
दीर्घकालीन पूंजी हानि	75,000	
अन्य साधनों से आय		
घुड़दौड़ हानि	10,000	
ताश आय	16,000	
प्रतिभूतियों की आय	9,000	
मकान का उपकिराया	12,000	

<u>हल</u>

<u>सकल कुल आय की गणना</u>

1–वेतन शीर्षक आय	<u>3,60,000</u>	3,60,000
2– मकान सम्पत्ति से आय		
मकान मेरठ		1,20,000
मकान श्रीनगर	(3,60,000)	
मकान अल्मो़ड़ा	<u>(10,000)</u>	
मकान सम्पत्ति से हानि	<u>(2,50,000)</u>	
3' व्यापार से आय		
कपड़ा	4,00,000	
लोहा	<u>(40,000)</u>	
व्यापार से आय	3,60,000	
घटाया– मकान सम्पत्ति से हानि अधिकतम	<u>2,00,000</u>	1,60,000
मकान सम्पत्ति की बची हानि– 2,50,000 – 2,00,000		
50,000 आगे ले जाया जायेगा		
सट्टा व्यापार –अ	45,000	
सट्टा व्यापार – ब	<u>(65,000)</u>	

		(20,000)	

सट्टा व्यापार 20,000 आगे ले जायेगा

4–पूंजी लाभ

अल्पकालीन पूंजी लाभ		60,000	
अल्पकालीन पूंजी हानि		(42,000)	
		18,000	
दीर्घकालीन पूंजी लाभ	90,000		
दीर्घकालीन पूंजी हानि	(75,000)15,000	33,000	

5– अन्य साधनों से आय –

ताश	16,000	
प्रतिभूतियों	9,000	
मकान का उपकिराया	12,000	
	37,000	37,000
सकल कुल आय		5,90,000

उदाहरण –3

श्री अमित कुमार की गत वर्ष की आय 2016–17 तथा 2017–18 का विवरण निम्न प्रकार हैं –

	गत वर्ष	
	2016–17	2017–18
व्यापारिक लाभ/हानि (ह्रास से पूर्व)	(–) 67,000	42,000
चालू ह्रास	30,000	16,000
अन्य साधनों से आय	41,000	46,000

सकल कुल आय की गणना कीजिये

हल

गत वर्ष 2016–17

अन्य साधनों से आय	41,000
घटाओ : व्यापारिक हानि	41,000
सकल कुल आय	शून्य

व्यापारिक हानि आगे ले जाई जाएगी रु. 67,000 – रु. 41,000 = रु. 26,000

चालू ह्रास आगे ले जाए जाएगा रु. 30,000

गत वर्ष 2017–18

व्यापारिक लाभ	42,000
घटाया : चालू ह्रास	16,000
	26,000
घटाया व्यापारिक हानि आगे लाई गई	26,000
	शून्य
अन्य साधनों से आय	46,000
घटाया : अशोधित ह्रास	30,000
सकल कुल आय	16,000

उदाहरण –4

श्री प्रकाश कुमार की गत वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 की सूचनाएॅं निम्नलिखित हैं –

विवरण	गत वर्ष 2017–18	गत वर्ष 2018–19
1–व्यापारिक लाभ / हानि	(1,45,000)	26,,000
2–दीर्घकालीन पूंजी लाभ	39,000	28,000
3–प्रतिभूतियों पर ब्याज	41,000	20,000
4–मकान सम्पत्ति से आय	21,000	21,000
5–अन्य साधनों से आय	5,000	7,000
6–विशिष्ट व्यापार (धारा 35 ए डी)	(40,000)	37,000

सकल कुल आय की गणना कीजिये

हल :

गत वर्ष 2017 – 18

		लाभ	हानि
मकान सम्पत्ति से आय		21,000	
व्यापारिक हानि			1,45,000
निर्दिष्ट व्यापार धारा 35 ए डी हानि			40,000
दीर्घकालीन पूंजी लाभ		39,000	
अन्य साधनों से आय			
प्रतिभूतियों पर ब्याज	41,000		
अन्य साधनों पर आय	5,000		
	46,000	46,000	
		1,06,000	
घटाया : गत वर्ष की व्यापारिक हानि		1,06,000	
सकल कुल आय		शून्य	

नोट–

1. व्यापारिक हानि शेष 1,45,000 – 1,06,000 = 39,000 को आगे वर्षो में ले जाया गया।
2. निर्दिष्ट व्यापारिक हानि आगे अगले वर्षो में निर्दिष्ट व्यापारिक लाभ से पूरित किया जाएगा ।

11.5 सारांश

एक करदाता की करयोग्य आय को पाँच शीर्षकों में अलग–अलग ज्ञात किया जाता है। ऐसा जरूरी नहीं कि उसे प्रत्येक स्त्रोत या शीर्षक में लाभ ही हो, उसे कभी हानि भी हो सकती है। कुछ स्त्रोतों में उसे आय एवं कुछ स्त्रोतों में हानि भी हो सकती है। अतः उस हानि का समायोजन आय से किया जाए । हानियों की पूर्ति से तात्पर्य है कि जिस वर्ष आय के किसी स्त्रोत से हानि होने पर उसकी पूर्ति उसी वर्ष की आय से की जाए । अर्थात प्रत्येक कर दाता किसी एक स्त्रोत की हानि को किसी दूसरे स्त्रोत की आय से समायोजित कर सकता है। हानि की पूर्ति का अर्थ हानि को लाभों में से समायोजित करने से है। यदि हानि की राशि विभिन्न शीर्षकों की आयों से अधिक है, तो हानि के अधिक को गत वर्ष में पूरा न किया जा सके, तब ऐसी ना पूर्ण हुई हानि को अगले वर्ष या वर्षो में उसी शीर्षक से पूरा करने के लिए आगे ले जाने को हानि को आगे ले जाना कहा जाता है।

हानियों की पूर्ति के सम्बन्ध में प्रावधान –

1. एक ही शीर्षक में एक स्त्रोत की हानि की पूर्ति उसी शीर्षक के किसी भी अन्य स्त्रोत के लाभ से की जा सकती है। परन्तु कुछ अपवादों को भी ध्यान में रखना होगा ।
2. आय के एक शीर्षक की हानि को अन्य शीर्षक की आय से पूरित किया जा सकता है परन्तु कुछ अपवादों का ध्यान रखना होगा ।

क्रम संख्या	पूर्ति की जाने वाली चालू वर्ष की हानियाँ	लाभ/आय जिनसे हानियों की पूर्ति चालू कर–निधारण वर्ष में की जा सके
1.	वेतन शीर्षक की आय	लागू नहीं
2.	मकान सम्पत्ति शीर्षक की हानि	किसी भी शीर्षक की आय से (अधिकतम रु. 2,00,000)
3.	व्यापार एवं पेशा शीर्षक की हानि	
	1– सामान्य व्यापार हानियाँ	वेतन शीर्षक को छोड़कर किसी भी अन्य शीर्षक से
	2–सट्टा व्यापार हानियाँ	केवल सट्टा व्यापार से लाभ
	3–विशिष्ट व्यापारिक हानियाँ	किसी भी विशिष्ट व्यापार से लाभ
4	पूजींगत हानियाँ	
	1– अल्पकालीन पूजींगत हानियॉ	दीर्घकालीन या अल्पकालीन या दोनों
	2–दीर्घकालीन पूंजीगत हानियॉ	केवल दीर्घकालीन पूंजी लाभ से

5.	अन्य साधनों से हानियॉ 1—लॉटरी, क्रासवर्ड, पजल्स, जुआ,शर्त की हानियॉ 2—घुड़दौड़ के घोड़ों के रखरखाव एवं स्वामित्व से हानियॉ	केवल ऐसे ही स्त्रोतों के लाभ से केवल इसी स्त्रोत की आय से
6.	कर मुक्त आय स्त्रोत की हानियॉ	कर मुक्त आय से (कर मुक्त आय में से किसी भी हानि की पूरित नहीं कर सकते)

<u>हानियों को आगे ले जाना तथा उनकी पूर्ति करने के संबंध में प्रावधान</u>

यदि कोई हानि, जिस गत वर्ष की हो उसी वर्ष में उसकी पूर्ति ना हो सके तो उसे आगे अगले वर्षो में ले जाएंगे। अन्य शब्दों में, केवल मकान सम्पत्ति ,गैर सट्टा व्यापार एवं पेशा, सट्टा व्यापार, पूंजी हानियॉ, घुड़दौड़ के घोड़ों को रखने की हानियों को आगे ले जाया जा सकता है। उसको संक्षिप्त रुप में निम्न तालिका से दिखाया जा सकता है।

क्रम संख्यां.	हानियॉ जिन्हें आगे ले जाना है	आय जिनसे अगले वर्षो में पूर्ति करनी है	हानियों को पूर्ति करने की अवधि
1.	मकान सम्पत्ति की हानियॉ	मकान सम्पत्ति की आय से	8 वर्ष
2.	व्यापार एवं पेशा शीर्षक की हानियॉ 1—सामान्य व्यापार की हानियॉ 2—सट्टे के व्यापार की हानियॉ 3—विशिष्ट व्यापार की हानियॉ (धारा 35 एडी) 4—सामान्य व्यापार का अशोधित ह्रास,परिवार नियोजन सम्बर्धन एवं	किसी भी अन्य व्यापारिक लाभ (सटटा व्यापार के लाभ सहित) सट्टे के व्यापार के लाभ किसी अन्य विशिष्ट व्यापार के लाभों से वेतन शीर्षक आय के अलावा अन्य सभी आय से	8 वर्ष 4 वर्ष अनिश्चित समय तक अनिश्चित समय तक
3.			8 वर्ष तक

4.	वैज्ञानिक अनुसंधान व्यय पूंजीगत हानियॉ 1—अल्पकालीन पूंजी हानियॉ 2—दीर्घकालीन पूंजी हानियॉ घुड़दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व एवं रखरखाव के व्यापार की हानियॉ	किसी भी पूंजी लाभ से अल्प एवं दीर्घ दोनों दीर्घकालीन पूंजी लाभ से इसी व्यापार के लाभो से	8 वर्ष तक

11.6 शब्दावली

पूरित करना – किसी स्त्रोत अथवा शीर्षक में हानि होने पर उस हानि को उसी शीर्षक में अन्य स्त्रोत से अथवा किसी अन्य शीर्षक से समायोजित करना पूरित करना कहलाता है।

आगे ले जाना – यदि गत वर्ष में हानियॉ लाभों से अधिक है और उस गत वर्ष में समायोजित नहीं होती, तब उन हानियों को अगले वर्षो के आय से समायोजित करना आगे ले जाना कहलाता है।

अपवाद – अधिनियम में वर्णित सामान्य प्रावधानों के लागू होने की दशा में, कुछ विशेष दशाओं में प्रावधान का लागू ना होना अपवाद कहलाता है।

सट्टा व्यापार–ऐसा व्यापार जिनमें व्यापारिक सौदों में वस्तुओं की सुपुदर्गी नहीं दी जाती है।

11.7 बोध प्रश्न

क–रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिये

1. अल्पकालीन पूंजी हानि की पूर्ति ———— पूंजी लाभ से किया जा सकता है।
2. अशोधित ह्रास की पूर्ति भविष्य में ——— वर्षो में किया जा सकते है।
3. सट्टे के व्यापार की हानि को ——— व्यापार लाभ से पूरा कर सकते है।
4. दीर्घकालीन पूंजी हानि की पूर्ति ——— पूंजी लाभ से कर सकते है।
5. हानि की विवरणी दाखिल करना —— धारा के अर्न्तगत आता है।
6. मकान सम्पत्ति की हानि अगले वर्षो में ———शीर्षक के लाभों से पूरा कर सकते है।
7. सामान्य व्यापार की हानियों को अगले ——— वर्षो तक पूरा कर सकते है।

ख– निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य और कौन सा असत्य है

1. आय के शीर्षक एवं स्त्रोत दोनों में अन्तर है।
2. सट्टा व्यापार की हानियों को आगे नहीं समायोजित कर सकते ।
3. सामान्य व्यापार की हानियों को सट्टा व्यापार के लाभों से समायोजित कर सकते है।
4. यह आवश्यक है कि एक करदाता की पॉचों शीर्षक में आय हो ।
5. व्यापारिक हानियों को वेतन शीर्षक से पूरित कर सकते है।
6. सट्टे के व्यापारिक हानि को केवल सट्टे से पूरित कर सकते है।
7. फर्म की हानि की पूर्ति साझेदार अपनी आय से कर सकते है।
8. अवैधानिक व्यवसाय की हानि को आगे नहीं ले जाया जा सकता है।

11.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

क

1. अल्पकालीन एवं दीर्धकालीन
2. अनिश्चित
3. केवल सट्टा व्यापार
4. केवल दीर्घकालीन
5. 80 धारा
6. मकान सम्पत्ति
7. आठ वर्षो तक

ख

1–सत्य 2– असत्य 3– सत्य 4– असत्य 5– असत्य
6–सत्य 7–असत्य 8–सत्य

11.9 स्वपरख प्रश्न

1. हानियों की पूर्ति के क्या प्रावधान है ?
2. पूंजीगत हानियों के प्रावधान लिखें ।
3. वे हानियॉ लिखे जिन्हें आगे ले जाया जा सकता है।
4. क्या पूंजीगत हानियॉ व्यापारिक लाभ से पूरा किया जा सकता है ?
5. निम्नलिखित हानियों को पूरित करने के क्या प्रावधान है –
   अ फर्म की हानियॉ
   ब लाटरी एवं ताश खेल
   स घुड़दौड़ के घोंड़ों के रखरखाव से हानियॉ
6. श्री पी.के. वार्ष्णेय की सकल कुल आय की गणना करें –

वेतन से आय	रु. 72,000
मकान सम्पत्ति से हानि	रु. 25,000
सामान्य व्यापार हानि	रु. 90,000
दीर्घकालीन पूंजी लाभ	रु. 75,000

उत्तर– सकल कुल आय रु. 47,000

7. श्री राधावल्लभ शर्मा की सकल कुल आय की गणना करें–

जीवन बीमा निगम ऐजेन्सी व्यापार से आय	रु. 3,50,000
स्वयं के आवास की ऋण पर ब्याज	रु. 50,000
किराये पर उठा आवास पर ऋण पर ब्याज	रु. 1,00,000
सट्टा व्यापार की हानि	रु. 50,000
दीर्घकालीन पूंजी हानि	रु. 25,000
भारतीय कम्पनी से लाभांश	रु. 20,000
एकाकी व्यापार से हानि	रु. 1,00,000

उत्तर – सकल कुल आय रु. 1,00,000 (– 150,000 (एच पी) + 250,000 (बीपी)

8. श्री प्रदीप कुमार ने निम्नलिखित सूचनाएं प्रदान की उनकी कुल आय की गणना कीजिये

	लाभ(रु.)	हानि (रु.)
मकान सम्पत्ति – हरिद्वार	14,000	
मकान सम्पत्ति – देहरादून		4,000
व्यापार एवं पेशा –		
जूट		15,000
कपड़ा	16,000	
लोहा		8,000
सट्टा –अंश	5,000	
सट्टा – चॉदी		12,000
पूंजी लाभ		
अल्पकालीन	10,000	
दीर्घकालीन		9,000
अन्य साधनों से आय		
ताश	12,000	

उत्तर– कुल आय रु. 25,000

11.10 सन्दर्भ पुस्तकें

1. Singhania : Direct Taxes, Taxman, New Delhi. (2019).
2. मेहरोंत्रा एच0सी0 एवं जोशी सीवएस0 : आय कर– कर निर्धारण वर्ष 2019–20, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा (2019) ।

इकाई 12 आय का मिलाना एवं आय का संकलन

इकाई की रुपरेखा

12.1 प्रस्तावना
12.2 आय का मिलाना
12.2.1 सम्पत्ति का हस्तान्तरण किए बिना आय का हस्तान्तरण
12.2.2 सम्पत्ति का खण्डनीय हस्तान्तरण
12.2.3 जीवन साथी को प्राप्त वेतन, कमीशन, फीस, अथवा अन्य पारिश्रमिक
12.2.4 जीवन साथी को हस्तान्तरित सम्पत्ति की आय
12.2.5 पुत्रवधु को हस्तान्तरित सम्पत्ति से आय
12.2.6 जीवनसाथी के लाभार्थ किसी अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के संघ को सम्पत्ति का हस्तान्तरण
12.2.7 पुत्रवधु के हित के लिए किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के संघ को सम्पत्ति का हस्तान्तरण
12.2.8 हस्तान्तरित सम्पत्ति के विनियोग से जीवन–साथी अथवा पुत्रवधु को होने वाली आय
12.2.9 अव्यस्क बच्चे की आय
12.2.10 परिवर्तित सम्पत्ति से आय
12.2.11 बेनामी व्यवहार
12.2.12 हानियों को मिलाना
12.2.13 हस्तान्तरित सम्पत्ति में वृद्धि से आय
12.3 अन्य मानी गयी आय
12.3.1 नकद साख
12.3.2 अस्पष्ट विनियोग
12.3.3 अस्पष्ट मुद्रा
12.3.4 अपूर्ण प्रकट विनियोग
12.3.5 अप्रकट व्यय
12.3.6 हुण्डी पर उधार ली गई या भुगतान की गयी राशि
12.4 कर की वसूली
12.5 आय का संकलन
12.6 सारांश
12.7 शब्दावली
12.8 बोध प्रश्न
12.9 बोध प्रश्नों के उत्तर
12.10 स्वपरख प्रश्न
12.11 सन्दर्भ पुस्तकें

उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप इस योग्य हो सकेंगे कि :

- आय का मिलाना से सम्बन्धित आय कर प्रावधानों की व्याख्या कर सकें।
- अन्य मानी गयी आय, जिनका एक व्यक्ति की आय में जोड़ा जाना है, की व्याख्या कर सकें।
- आय का संकल्न क्या है, को जान सकें।

12.1 प्रस्तावना

सामान्यतः एक व्यक्ति अपनी आयों पर कर का भुगतान करता है, परन्तु आयकर में कुछ दशाओं में वह अन्य व्यक्ति की आय पर आयकर देने के लिए उत्तरदायी होगा । यद्यपि आयकर के इस सामान्य सिद्धान्त कि " प्रत्येक करदाता अपनी आय पर कर का भुगतान करता है, " का उल्लघंन होता है। आयकर अधिनियम के अनुसार एक कर दाता की आय बढ़ने पर उसे बढ़ती कर की दर से अधिक कर का भुगतान करना पड़ता है। अतः वह अपनी आयों का हस्तान्तरण अपनी पत्नी या बच्चों के पक्ष में करता है जिससे उसे अपनी आय पर कर कम देना पड़े । क्योंकि सभी व्यक्तियों को आयकर की न्यूनतम सीमा में छूट मिलती है। करदाता द्वारा इस प्रकार के प्रयास को कर वचाव कहते है। अतः इस प्रकार की प्रवृति को रोकने के लिए ,आयकर अधिनियम की धारा 60 से 64 तक महत्वपूर्ण है। इन धाराओं में उन दशाओं का वर्णन है कि व्यक्तियों की आयों को अन्य व्यक्तियों की आयों में कब जोड़ा जाएगा ।

12.2 आय का मिलाना

जब एक करदाता की आय में अन्य व्यक्तियों की आयों को जोड़ा जाता है तो उसे मानी गई आय माना जाता है। इस प्रकार जब जोड़ा जाता है तो इस प्रक्रिया को आय का मिलाना कहा जाता है।

12.2.1 सम्पत्ति का हस्तान्तरण किए बिना आय का हस्तान्तरण

धारा 60 के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को किसी सम्पत्ति का हस्तान्तरण न करके उससे उत्पन्न या उदय या प्राप्त आय हस्तान्तरित कर दी जाती है। ऐसी स्थिति में, ऐसा हस्तान्तरण खण्डनीय या अखण्डनीय हो सकता है। सभी स्थितियों में ऐसी आय का हस्तान्तरण अप्रभावी होता है और आय हस्तान्तरणकर्ता की मानी जाएगी और करयोग्य आय में जोड़ा जाएगा। अन्य शब्दों में, चूंकि हस्तान्तरणकर्ता ही उस सम्पत्ति का स्वामी है, अतः उसी को उस आय पर कर देना होगा ।

उदाहरण के लिए यदि रमेश दो मकान का स्वामी है और उसे प्रतिवर्ष 60,000 दोनों मकानों का कुल किराया प्राप्त करने का अधिकार अपने मित्र कमलेश को देता है तो ऐसी स्थिति में कमलेश आय तो प्राप्त कर सकता है परन्तु रमेश की कर योग्य आय में यह किराया कर योग्य होगा ।

12.2.2 सम्पत्तियों का खण्डनीय हस्तान्तरण

धारा 61 के अनुसार, खण्डनीय हस्तान्तरण के अर्न्तगत प्राप्त हुई सम्पत्ति से आय हस्तातरण करने वाले की आय मानी जाएगी और उसी की कुल आय में जोड़ी

जायेगी। ऐसी स्थिति में हस्तान्तरण कर्ता ही उस आय पर कर देने के लिए उत्तरदायी होगा।

धारा 63 (a) के अनुसार, एक हस्तान्तरण खण्डनीय होगा, यदि इसमें ऐसा कोई प्रावधान है जिसके द्वारा यह सम्पूर्ण सम्पत्ति अथवा इसका कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से हस्तान्तरणकर्ता को पुनःहस्तान्तरित हो सकते है। इसके अतिरिक्त यदि इसके अर्न्तगत हस्तान्तरणकर्ता को यह अधिकार प्राप्त है कि वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से सम्पूर्ण सम्पत्ति या आय अथवा इसके किसी भाग पर पुनः अधिकार प्राप्त कर सकता है। हस्तान्तरण में धारा 63 (b) के अनुसार कोई भी बन्दोवस्त, ट्रस्ट प्रसंविदा शामिल है।

उदाहरण के लिए, कमल ने प्रदीप के नाम अपना मकान चार वर्ष के लिए कर दिया और इसका किराया भी प्रदीप को मिला। यह किराये की आय कमल के लिए कर योग्य होगी ।

12.2.3 जीवनसाथी को प्राप्त वेतन, कमीशन ,फीस अथवा अन्य पारिश्रमिक

जीवनसाथी से तात्पर्य पति–पत्नी से है । पति के लिए पत्नी जीवन–साथी है तथा पत्नी के लिए उसका पति उसका जीवन साथी है। विशेष दशाओं में जीवनसाथी की आय को शामिल किया जाता है।

एक व्यक्ति के जीवन–साथी को एक ऐसी व्यापारिक संस्था से मिला हुआ वेतन, कमीशन, फीस अथवा अन्य पारिश्रमिक जिसमें उस व्यक्ति का सारवान हित है। सारवान हित वाले व्यक्ति की कुल आय में जीवन साथी का ऐसा पारिश्रमिक शामिल होगा। परन्तु इसका अपवाद यह है कि यदि जीवन साथी तकनीकी और पेशेवर योग्यता के कारण उसको पारिश्रमिक की आय में नहीं जोड़ा जाएगा। सारवान हित से तात्पर्य एकल स्वामी या फर्म की दशा में कम से कम 20 प्रतिशत भाग गत वर्ष में किसी भी समय वह व्यक्ति तथा उसके रिश्तेदार मिलाकर पाने के अधिकारी है। एक कम्पनी की दशा में, जब किसी व्यक्ति अथवा उसके रिश्तेदारों के पास कम से कम 20 प्रतिशत मताधिकार वाले अंश गत वर्ष में उस कम्पनी में किसी भी समय रहे हो ।

यदि किसी संस्था में पति एवं पत्नी दोनों का सारवान हित हो तथा दोनों को उस संस्था से वेतन, कमीशन, फीस आदि प्राप्त होते है तो उस जीवन साथी आय में दोनों की वेतन, कमीशन फीस में जोड़ी जाएगी जिसकी कुल आय (उसे संस्थान से प्राप्त आय को छोड़कर) दोनों में अधिक हो ।

उदाहरणः एक साझेदारी फर्म में श्री कमल मोहन एवं श्रीमती कमल मोहन, श्री प्रमोद कुमार एवं श्रीमती प्रमोद कुमार बराबर के साझेदार हैं प्रत्येक साझेदार रु. 60000/– वार्षिक वेतन पाता है । फर्म के लाभ के अतिरिक्त उनकी अन्य व्यक्तिगत आय निम्न प्रकार है –

श्री कमलमोहन	1,60,000 रु.
श्रीमती कमलमोहन	1,10,000 रु.
श्री प्रमोद कुमार	90,000 रु.
श्रीमती प्रमोद कुमार	1,20,000 रु.

अतः कर योग्य आय होगी

श्री कमल मोहन की 1,60,000. + 60,000 + 60,000 = 2,80,000

(व्यक्तिगत आय + फर्म से वेतन + पत्नी का फर्म से वेतन)

श्रीमती कमल मोहन की 1,10,000 रु. (केवल व्यक्तिगत आय)

श्री प्रमोद कुमार की 90,000 रु. (केवल व्यक्तिगत आय)

श्रीमती प्रमोद कुमार 1,20,000रु.+ 60,000 + 60,000 = 2,40,000

12.2.4 जीवन साथी को हस्तान्तरित सम्पत्ति की आय :

यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन साथी को बिना पर्याप्त प्रतिफल अथवा अलग–अलग रहने के प्रसंविदे के कोई सम्पत्ति, मकान सम्पत्ति को छोड़कर, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से हस्तान्तरण कर देता है, तो ऐसी सम्पत्ति से प्राप्त आय भी उस व्यक्ति की कुल आय में जोड़ी जायेगी, ना कि जीवन साथी की कुल आय में। यह ध्यान देने योग्य है कि पति–पत्नी का सम्बन्ध सम्पत्ति हस्तान्तरण करते समय तथा उस पर आय प्राप्त करते समय , दोनों ही समय होना आवश्यक है। अत : विवाह से पूर्व सम्पत्ति के हस्तान्तरण की दशा में सम्पत्ति की आय हस्तान्तरणकर्ता की आय में नहीं, बल्कि हस्तान्तरिती की आय में जोड़ी जाएगी। इसी प्रकार यदि जीवन साथी ने कोई सम्पत्ति अपना जेबखर्च बचाकर क्रय कर ली है तो वह सम्पत्ति जीवनसाथी की मानी जाएगी, पति की नहीं ।

डदाहरण के लिए, मनोज ने नमिता को विवाह से पूर्व एक सम्पत्ति हस्तान्तरित की। कुछ समय बाद मनोज ने नमिता से विवाह कर लिया। नमिता ने ऐसी हस्तान्तरित सम्पत्ति से 75,000 रु. आय अर्जित कर ली। इस 75000/– रु. पर श्रीमती नमिता ही कर चुकायेगी ।

12.2.5 पुत्रवधू को हस्तान्तरित सम्पत्ति से आय :

पुत्रवधु को बिना प्रतिफल के बदले में 31–05–1973 के बाद हस्तान्तरण की गई सम्पत्ति से आय करदाता की कुल आय में शामिल की जाऐगी ।

12.2.6 जीवन साथी के लाभार्थ किसी अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के संघ को सम्पत्ति का हस्तान्तरण

एक व्यक्ति की आय में उसके द्वारा बिना पर्याप्त प्रतिफल लिए किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के संघ को हस्तान्तरित की गयी सम्पत्ति से आय उस सीमा तक शामिल की जाती है, जहॉ तक ऐसी सम्पत्ति की आय उसके जीवन साथी के तत्काल अथवा भावी हित के लिए हों ।

12.2.7 पुत्रवधु के हित के लिए किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के संघ को हस्तान्तरण की गयी सम्पत्ति से आय –

यदि एक व्यक्ति की कुल आय में उसके द्वारा बिना पूरा प्रतिफल लिए किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के संघ को 31–5–1973 के बाद हस्तान्तरित की गयी सम्पत्ति से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रुप से होने वाली अर्जित या प्राप्त आय उस सीमा की राशि तक शामिल की जायेगी जहॉ तक ऐसी सम्पत्ति की आय उसकी पुत्रवधु के तत्काल अथवा भावी हित के लिए हो ।

12.2.8 हस्तान्तरित सम्पत्ति के विनियोग से जीवन साथी अथवा पुत्रवधु को होने वाली आय :

यदि किसी व्यक्ति ने कोई सम्पत्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से अपने जीवन साथी अथवा पुत्रवधु को हस्तान्तरित कर दी है तथा जीवन साथी अथवा पुत्रवधु ने उस सम्पत्ति को निम्न प्रकार से विनियोजित कर दिया है :–

1. किसी ऐसे व्यापार में जिसमें फर्म के साझेदार बनने अथवा फर्म के लाभों में भाग पाने के लिए पूंजी अंशदान के रुप में नहीं तो निम्न प्रकार से गर्णित राशि हस्तान्तरणकर्ता की आय में जोड़ी जाएगी ।

$$\frac{\text{Value of Assets transferred by Transferor On the Ist day of Previous year} \times \text{Income from Business to Transferee}}{\text{Total Investment in the business by the Transferee as on the Ist day of Previous year}}$$

2. किसी व्यापार में पूंजी के रुप में तो निम्न प्रकार से गर्णित राशि हस्तान्तरणकर्ता की आय में जोड़ी जाएगी ।

$$\frac{\text{Such Capital contribution of the Transferee as on Ist day of Previous year} \times \text{Total Income receivable by the Transferee from the firm}}{\text{Total Capital contribution by the Transferee as on Ist Day of Previous year}}$$

12.2.9 अव्यस्क बच्चे की आय

एक अव्यस्क बच्चे की आय यदि 1500 रु. प्रति बच्चा प्रतिवर्ष से अधिक होने पर, अधिक राशि उसके माता–पिता की आय में शामिल की जाएगी। इस संबंध में निम्न विचार करने योग्य है।

1. यदि वैवाहिक सम्बन्ध ठीक है तब माता–पिता जिसकी आय अधिक हो ।
2. यदि वैवाहिक सम्बन्ध ठीक ना हो तो जो माता–पिता गत वर्ष में अव्यस्क बच्चे का भरण पोषण करता है लेंकिन निम्नलिखित परिस्थितियों पर जोड़ने का नियम लागू नहीं होगा। अपितु उसकी आय की अलग से गणना की जायेगी।

1. अव्यस्क द्वारा शारीरिक श्रम करने से प्राप्त आय ।
2. अव्यस्क द्वारा कला, बुद्धि अथवा विशिष्ट योग्यता अनुभव अथवा ज्ञान का प्रयोग करें ।
3. अव्यस्क शारीरिक रुप से विकलांग हो ।

12.2.10 परिवर्तित सम्पत्ति से आय

आयकर अधिनियम में जब एक हिन्दु अविभाजित परिवार का कोई सदस्य अपनी स्वयं की अर्जित या प्राप्त सम्पत्ति को, हिन्दु अविभाजित परिवार (अपने परिवार) की सम्पत्ति में परिवर्तित कर देता है अथवा बिना किसी भी उचित प्रतिफल के 31 दिसम्बर 1969 के बाद अपने हिन्दु अविभाजित परिवार को हस्तान्तरित कर देता हैं तब ऐसी स्थिति में उस सम्पत्ति से प्राप्त होने वाली आय हस्तान्तरणकर्ता की कुल आय में जोड़ी जाएगी। यह आय परिवार प्राप्त तो करेगा परन्तु परिवार की आय में नहीं जोड़ी जायेगी।

12.2.11 बेनामी व्यवहार

यदि कोई व्यक्ति कर बचाने के उद्देश्य से कोई व्यवहार किसी अवास्तविक व्यक्ति के नाम में करता है तो ऐसे व्यवहार को बेनामी व्यवहार कहते है और उस अवास्तविक व्यक्ति को बेनामीदार कहते है। यदि कर–निर्धारण अधिकारी की राय में कोई व्यवहार बेनामी है तो वह उस व्यवहार की आय वास्तविक व्यक्ति की आय मानकर और उसी व्यक्ति से उस व्यवहार की आय पर कर लिया जाएगा ।

12.2.12 हानियों का मिलाना

धारा 64 (2) के स्पष्टीकरण 2 के अनुसार , यदि उपरोक्त दशाओं में यदि हस्तान्तरित सम्पत्ति से आय की अपेक्षा हानि होती है तो जिस व्यक्ति की आय में हस्तान्तरित सम्पत्ति की आय जोड़ी जाती है, उसे यह अधिकार है कि वह अपनी आय से उस हानि को धारा 70 से धारा 80 के प्रावधानों के अनुसार घटा ले ।

12.2.13 हस्तान्तरित सम्पत्ति में वृद्धि से आय –

उपरोक्त स्थितियों में जब कोई व्यक्ति अपनी सम्पत्ति का हस्तान्तरण करता है तो ऐसी सम्पत्ति की आय हस्तान्तरणकर्ता की आय मानी जाती है और उसी की कुल आय में शामिल की जाती है। परन्तु हस्तान्तरी यदि इस आय को अन्यत्र पुनः निवेश कर उस पर आय अर्जित करे तो उस आय को हस्तान्तरी की आय माना जाएगा और कुल आय में शामिल किया जाएगा ।

उदाहरण के लिए यदि अमित ने अपनी पत्नी को दस लाख रुपये बिना किसी प्रतिफल के दिए और उस पर एक लाख रुपये की आय हुई। यह एक लाख रुपये अमित की करयोग्य आय में शामिल किया जाएगा। अमित की पत्नी इस एक लाख को पुनः विनियोग करके यदि 15000 रुपये की आय प्राप्त करती है तो इस 15000 की आय को अमित की पत्नी की आय मानी जाएगी और पत्नी के हाथों में करयोग्य होगी ।

12.3 अन्य मानी गयी आय

कुछ आय ऐसी होती है जो स्पष्टतया करदाता की आय नहीं है, परन्तु आयकर अधिनियम में ऐसे प्रावधान हैं, जिनके अनुसार उन्हें करदाता की आय मान लिया जाता है। ऐसी आयें निम्नलिखित हैं

12.3.1– नकद साख

यदि कर दाता की गत वर्ष की पुस्तकों में ऐसी राशि जमा हो जिसकी प्रकृति तथा स्त्रोत के संदर्भ में करदाता उत्तर ना दे पायें एवं उसके उत्तर देने पर उसके उत्तर से कर निर्धारण अधिकारी संतुष्ट ना हो, तब ऐसी जमा रकम को कर दाता की आय मान लिया जाता है। इसी प्रकार एक ऐसी कम्पनी जिसमें जनता का सारवान हित नहीं है, और कम्पनी अपनी पुस्तकों में शेयर आवेदन राशि, अंश पूंजी, प्रतिभूति प्रीमियम आदि जमा करती है तो इसे अस्पष्टीकृत माना जाएगा। लेकिन यदि राशि जोखिम पूंजी कम्पनी या जोखिम पूंजी निधि के नाम लिखी गई है तो यह नियम लागू नहीं होगा ।

12.3.2 अस्पष्ट विनियोग

धारा 69 के अनुसार, यदि कर दाता ने कर निर्धारण वर्ष से तुरन्त पूर्व वित्तीय वर्ष में कुछ विनियोग क्रय किए और उनके विनियोग के स्त्रोत के बारे में कोई स्पष्टीकरण ना दे, तथा जिस वर्ष विनियोग किए गये उस वर्ष की आय माने जाएगें।

12.3.3 अस्पष्ट मुद्रा

धारा 69 ए के अनुसार, यदि किसी वित्तीय वर्ष में करदाता के पास ऐसी मुद्रा ज्वेलरी, धातु, या बहुमूल्य वस्तुएं पायी जाती है जो करदाता की पुस्तकों में नहीं है, और ना ही उसके पास पर्याप्त स्पष्टीकरण हो तो उसे गत वर्ष की आय मानी जाएगी जिस गत वर्ष में ये सब उसके पास पाए गयें ।

12.3.4 अपूर्ण प्रकट विनियोग

धारा 69 बी के अनुसार यदि किसी वित्तीय वर्ष में कर दाता ऐसे विनियोगों, मुद्रा ज्वेलरी, या अन्य बहुमूल्य वस्तुओं का स्वामी पाया जाता है, जिनका पुस्तकीय मूल्य बाजार मूल्य से काफी कम है और करदाता इस आधिक्य मूल्य के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण नहीं दे पाता तो ऐसा आधिक्य मूल्य उस वर्ष की आय माना जाएगा जिस वर्ष यह प्रकट हो गए ।

12.3.5 अप्रकट व्यय

धारा 69 सी के अनुसार करदाता ने किसी वित्तीय वर्ष ऐसा व्यय किया है जिसके स्त्रोत के बारे में उसके पास कोई स्पष्टीकरण ना हो तो उस व्यय के बराबर की धनराशि उस वर्ष की आय मानी जायेगी जिस वर्ष में वास्तव में व्यय किया गया है।

12.3.6 हुण्डी पर उधार ली गयी एवं भुगतान की गयी राशि

धारा 69 डी के अनुसार, यदि करदाता ने कोई धनराशि हुण्डी पर प्राप्तकर्ता को देय चैक या ड्राफट के अलावा किसी और प्रकार से उधार ली गई या भुगतान की है, तो आयकर अधिकारी ऐसी उधार ली गई तथा भुगतान की गई राशि को करदाता की आय मान सकता है।

उदाहरण

श्री सन्त कुमार अपने खाते प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को बन्द करते है। गत वर्ष 2018–19 की उसकी पुस्तकों में उसके व्यक्तिगत खाते में 5 अप्रैल, 2018 को रु. 50,000 नकद जमा थी, उसका 15 मार्च 2018 को अंशों में रु. 70,000 का विनियोग पाया गया । यह विनियोग खातों में नहीं था।

श्री सन्त कुमार की गत वर्ष 2018–19 में सम्मिलित राशि 50,000 रु. होगी। जबकि गत वर्ष 2017–18 में रु. 70,000 होगी ।

12.4 कर की बसूली

यदि अन्य व्यक्तियों की आयें करदाता की कुल आय में सम्मिलित कर ली जाती है, तो ऐसी स्थिति में कर दाता ही उन आयों पर आयकर देने के लिए उत्तरदायी होता है। परन्तु धारा 65 के अनुसार, ऐसी आय का वास्तविक प्राप्तकर्ता मॉग का नोटिस दिए जाने पर , ऐसी आय पर, जो किसी अन्य व्यक्ति की आय में जोड़ दी गई है। कर चुकाने के लिए उत्तरदायी है। अतः कर निर्धारण अधिकारी चाहे तो, उस व्यक्ति से आय कर वसूल कर सकता है। जिसे यह आय वास्तव में` अर्जित हुई है।

उदाहरण –

श्री अनुभव कुमार ने कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए सूचनाएं प्रेषित की है :

1. वेतन शीर्षक से आय (गर्णित)		रु. 4,00,000
2. पत्नी को बिना प्रतिफल के हस्तान्तरित सम्पत्ति से आय		रु. 50,000
3. पुत्र–वधु को बिना प्रतिफल के हस्तान्तरित सम्पत्ति से आय		रु. 40,000
4. व्यापार अथवा पेशे से आय		रु. 1,60,000
5. श्रीमति अनुभव की वेतन शीर्षक से करयोग्य आय	(गर्णित)	रु. 5,75,000
6. श्री अनुभव कुमार द्वारा प्रतिफल के बिना हस्तान्तरित सम्पत्ति की आय में से		रु 1,55,000

एकत्रित कोषों की मदद से श्रीमती अनुभव को अर्जित आय

श्री अनुभव कुमार एवं श्रीमति अनुभव कुमार की कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए कर योग्य आय की गणना कीजिये । साथ ही यह भी बताइये कि उस पर आयकर कौन चुकाएगा।

हल–

श्री अनुभव कुमार की कर योग्य आय की गणना

कर निर्धारण वर्ष 2019–20

1– वेतन शीर्षक से आय		रु. 4,00,000
2– व्यापार अथवा पेशे से आय		रु. 1,60,000
3– पत्नी को बिना प्रतिफल हस्तान्तरित सम्पत्ति से आय		रु. 50,000
4–पुत्रवधु को बिना प्रतिफल हस्तान्तरित सम्पत्ति से आय		रु. 40,000
	कुल आय	रु. 6,60,000

आयकर देयता – 46280

श्रीमति अनुभव की कर योग्य आय की गणना

कर निर्धारण वर्ष 2019–20

1– वेतन शीर्षक की आय		रु. 5,75,000
2– एकत्रित कोषों की आय		रु. 1,55,000
	कुल आय	रु. 7,30,000

आयकर देयता – 60,840

नोट – श्री अनुभव कुमार को 6,60,000 की कुल आय पर 46,280 रु. कर चुकाने के लिए उत्तरदायी है। जबकि श्रीमति अनुभव कुमार अपनी 7,30,000 की आय पर 60,840 रु. कर चुकाने के लिए उत्तरदायी है। परन्तु कर निर्धारण अधिकारी अपने विवेक को प्रयोग करके निम्न प्रकार से कर को वसूल कर सकता है।

1. श्रीमति अनुभव से रु. 3,507 (50,000 x 46,280 / 6,60,000)
2. श्री अनुभव कुमार की पुत्रवधू से रु. 2805 (40,000 x 46,280 / 6,60,000)
3. श्री अनुभव कुमार से रु. 39970 (5,70,000 x 46,280 / 6,60,000)

अतः कर निर्धारण अगर चाहे तो आय प्राप्तकर्ता से आनुपातिक आयकर वसूल कर सकता है अथवा वह चाहे तो सम्पूर्ण कर करदाता से वसूल करें ।

उदाहरण

निम्नलिखित आयों पर कर चुकाने के लिए कौन उत्तरदायी है।

अ– 18 जुलाई 2009 को संजय ने 4 लाख रुपये की सम्पत्ति अपनी पुत्रवधू को हस्तान्तरित कर दी। इस सम्पत्ति से गत वर्ष 2018–19 में पुत्रवधु को 60,000 रुपये की आय हुई ।

ब– संजय ने अपनी 10 लाख रुपये की सम्पत्ति अपनी पत्नी को 27 अगस्त 2001 को दी । इस आय पर गत वर्ष 2001 से 2008 तक की अर्जित आय 4 लाख को उनकी पत्नी ने पुनः निवेश कर दिया और इस पुननिवेश से 75,000 रुपये की आय गतवर्ष 2018–19 में हुई ।

हल–

अ–चूंकि सम्पत्ति का हस्तान्तरण बिना प्रतिफल के हस्तान्तरित की है। अतः 60,000 रुपये की आय संजय के लिये कर योग्य होगी।

ब– इस दशा में गत वर्ष में 75000 की आय उनकी पत्नी के हाथ में करयोग्य होगी। हस्तान्तरित सम्पत्ति के आय के पुर्ननिवेश होने के कारण पत्नी कर देगीं हस्तान्तरित सम्पत्ति की आय के सम्बन्ध में कोई सूचना प्रश्न नहीं है।

उदाहरण

श्री प्रदीप सिंह एक व्यापारी है। उनकी तथा उनके परिवार के सदस्यों की आय निम्नलिखित हे। यह आय गत वर्ष 2018–19 से सम्बन्धित है। आप यह बतायें कि आय किस व्यक्ति के हाथों में कर योग्य है। श्री प्रदीप सिंह की कुल आय की गणना कीजिये ।

1–श्री प्रदीप की व्यवसाय की आय	रु. 6,00,000
2–श्रीमति प्रदीप की वेतन शीर्षक (गर्णित) आय	रु. 4,50,000
3–मास्टर अभिमन्यु (अव्यस्क पुत्र) को कम्पनी जमा पर व्याज (यह राशि उसके दादाजी ने उसके नाम जमा कराई थी,)	रु. 16,000
4–वंशिका सिंह (अव्यस्क पुत्री) को पेंटिग बेचने से प्राप्त राशि	रु. 80,000
5–मास्टर अभिमन्यु की लाटरी से आय	रु. 4,000

हल–

1. यह व्यवसाय की आय श्री प्रदीप सिंह के लिए करयोग्य है।
2. श्रीमति प्रदीप के लिय कर योग्य है।
3. मास्टर अभिमन्यु की यह आय रु. 16,000 तथा रु. 4000 (पॉचवां बिन्दु) श्री प्रदीप के लिए करयोग्य है तथा 1500 की कटौती भी मिलेगी ।
4. वंशिका सिंह की यह अपनी निजी आय है।
5. उपरोक्त तीन में वर्णित है।

श्री प्रदीप सिंह की आय (कर योग्य) की गणना –

1– व्यवसाय की आय			रु. 6,00,000
जमा : अभिमन्यु की आय	रु. 16,000		
अभिमन्यु की आय	रु. 4,000		
		रु. 20,000	
घटाओ कटौती (––)		रु. 1.500	रु. 18,500
		कर योग्य आय	रु. 6,18,500

उदाहरण

निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए श्री विष्णु प्रसाद एवं श्रीमति लक्ष्मी की सकल कुल आय की गणना कीजिये ।

1. श्री विष्णु प्रसाद एवं श्रीमति लक्ष्मी ज्वैलरी व्यवसाय में बराबर के साझेदार है।
2. श्री विष्णु प्रसाद ने उचित प्रतिफल के बदले अपनी एक मकान सम्पत्ति 31 अक्टूबर 2018 को श्रीमति लक्ष्मी को हस्तान्तरित कर दी। उस पर प्रतिमाह 6,000 रु. किराया आता है।
3. दो वर्ष पूर्व श्री विष्णु प्रसाद एवं श्रीमति लक्ष्मी के नाम में एक कम्पनी के क्रमशः रु. 50,000 तथा रु. 60,000 के 10 प्रतिशत ऋणपत्र क्रय किए गए। श्रीमति लक्ष्मी ने ये ऋणपत्र खरीदने के लिए अपनी आय में से रु. 15,000 श्री विष्णु प्रसाद को हस्तान्तरित किए थे ।
4. श्री विष्णु प्रसाद ने 10 वर्ष पूर्व श्रीमति लक्ष्मी को रु. 5,00,000 हस्तान्तरित किए थे, जिस पर श्रीमति लक्ष्मी ने गत वर्षो में रु. 2,50,000 का ब्याज अर्जित किया गया था। गत वर्ष में श्रीमति लक्ष्मी को रु. 7,50,000 पर 10 प्रतिशत की दर से ब्याज अर्जित हुआ।
5. श्री विष्णु प्रसाद ने रु. 1,00,000 एक ट्रस्ट को हस्तान्तरित किए थे जिस पर रु. 10,000 की आय प्राप्त हुई। यह आय उसके अव्यस्क पुत्र को पढ़ाने में व्यय की जायेगी ।
6. उसका दूसरा अव्यस्क पुत्र, एक अन्य साझेदारी फर्म में सुप्त साझेदार है, जिससे उसे गतवर्ष में रु. 25,000 का आय का भाग प्राप्त हुआ ।

हल

श्री विष्णु प्रसाद की सकल कुल आय की गणना

मकान सम्पत्ति से आय –

प्राप्त किराया	6000 x 7	रु. 42,000	
घटाओ वैधानिक कटौती	30 प्रतिशत की दर से	रु. 12,600	रु. 29,400
अन्य साधनों से आय			
ऋणपत्रों का ब्याज	$(50,000 - 15,000) \times \frac{10}{100}$	= 3,500	
श्रीमति लक्ष्मी को हस्तान्तरित	$50,000 \times \frac{10}{100}$	= 5,000	
ट्रस्ट की आय	(10,000 – 1500)	= 8,500	रु. 62,000
	सकल कुल आय		रु. 91,400

श्रीमति लक्ष्मी की सकल कुल आय की गणना

कर निर्धारण वर्ष 2019–20

मकान सम्पत्ति से आय

किराया प्राप्त 6000 X5 रु. 30,000 घटाओ
वैधानिक कटौती 30 प्रतिशत की दर से रु. 9,000 रु. 21,000

अन्य साधनों से आय

ऋणपत्रों का ब्याज (60,000 + 15,000) X10/100 = रु .7,500

स्वयं जमा राशि पर ब्याज 2,50,000 X10/100 = रु. 25,000 रु. 32,500

सकल कुल आय रु. 53,500

12.5 आय का संकलन

आयकर अधिनियम की धारा 2 (45) के अनुसार, '' कुल आय से तात्पर्य्र उस आय से है जिसपर एक करदाता आयकर चुकाने को दायी है तथा जिसकी गणना आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की गई है। '' अतः एक करदाता की कुल आय में सामान्तया ऐसी आय जोड दी जाती है जिन पर आयकर लगता है। परन्तु ऐसी आय जिन पर आयकर नहीं लगता, उनको भी करदाता की कुल आय में ऐसी आयों को सम्मिलित करने की प्रक्रिया को ही ''आय का संकलन'' कहा जाता है।

धारा 66 के अनुसार, एक करदाता की कुल आय की गणना करते समय ऐसी आयें भी उसकी आय में जोड़ी जाती है जिन पर आयकर नहीं लगता। धारा 86 के अनुसार, ऐसी आय व्यक्तियों के संघ या व्यक्तियों का समूह ही सदस्यता से करदाता को प्राप्त लाभ का भाग या अन्य पारिश्रमिक आदि है। इस संबंध में निम्नलिखित प्रावधान है –

1. व्यक्तियों के संघ अथवा व्यक्तियों के संमूह के सदस्य के रुप में करदाता को प्राप्त उसके लाभ का हिस्सा यदि ऐसे संघ या समूह पर सामान्य दर से कर लगा है तो उसके सदस्य की कुल आय में शामिल होगा, परन्तु इस पर कर नहीं लगेगा। अन्य शब्दों में, इस पर औसत दर से आयकर की छूट दी जायेगी।
2. यदि व्यक्तियों के संघ अथवा व्यक्तियों के समूह पर अधिकतम सीमान्त दर से या अधिक दर से कर लग चुका है तो उसके सदस्य की कुल आय में उसके लाभ का हिस्सा शामिल नहीं होगा ।
3. यदि व्यक्तियों के संघ या समूह द्वारा आय कर देय नहीं है, तो सदस्य के लाभ का हिस्सा उसकी व्यक्तिगत कुल आय में जोड़कर उस पर भी आय कर लगेगा।

इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि एओपी अथवा बीओआई की आय में सदस्य का भाग, हानि होने की दशा में इस हानि की पूर्ति किसी अन्य व्यक्तिगत आय से नहीं कर सकतें हैं।

12.6 सारांश

सामान्यतः एक करदाता अपनी आय पर कर देता है, परन्तु विशेष परिस्थितियों में अन्य व्यक्तियों की आय भी उसकी आय में जोडी जाती है। उदाहरण के लिए– सम्पत्ति के हस्तान्तरण के बिना आय का हस्तान्तरण, सम्पत्ति का खण्डनीय हस्तान्तरण, जीवनसाथी या पुत्रवधु को बिना प्रतिफल सम्पत्ति का हस्तान्तरण करना, अव्यस्क बच्चे की आय, बेनामी व्यवहार तथा परिवर्तित सम्पत्ति लेकिन यदि सम्पत्ति की आय को हस्तान्तरी पुनः निवेश कर आय अर्जित की जाती है तो ऐसी आय को नहीं जोड़ा जाता है।

12.7 शब्दावली

खण्डनीय – वापिसी लेने का अधिकार
खरवान हित – 20 प्रतिशत या अधिक का हित
अपवाद – नियम का लागू ना होना
मानी गई आय – आय को प्राप्त होना माना जाना
आय का मिलाना – आय को जोड़ना

12.8 बोध प्रश्न

बताइये निम्न कथन सत्य है अथवा असत्य –

1. अव्यस्क बच्चे में सौतेला बच्चा शामिल नहीं है।
2. विकलांग अव्यस्क बच्चे की आय माता–पिता की आय में शामिल की जाती है।
3. अव्यस्क विवाहित पुत्री की आय माता–पिता की आय में शामिल की जाती है।
4. अव्यस्क की आय 1,500 तक करमुक्त है।
5. पत्नी को दी गयी सम्पत्ति बिना प्रतिफल केवल पत्नी के लिए करयोग्य है।
6. पत्नी द्वारा पति को पर्याप्त प्रतिफल के बदले मकान हस्तान्तरित किया गया। यह पति के लिए कर योग्य है।
7. आय के मिलान की सम्बन्धित धाराएं 60 से 64 है।

12.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

उत्तर– 1– असत्य 2– सत्य 3– सत्य 4– सत्य 5– असत्य 6– सत्य 7–सत्य

12.10 स्वपरख प्रश्न

1. एक अव्यस्क की आय किसकी आय में शामिल की जाती है?
2. खण्डनीय हस्तान्तरण क्या है ?
3. मानी गयी आयें किसे कहते है?
4. आयकर अधिनियम में नकद साख, ना स्पष्ट किया गया व्यय के क्या प्रावधान है ?
5. परिवर्तित सम्पत्ति से क्या तात्पर्य है?

6. ''एक करदाता केवल अपनी ही आयों पर कर नहीं देता, बल्कि वह विशेष दशाओं में, दूसरों की आयों पर भी कर देता है। '' इस कथन की व्याख्या कीजिये ।

7. श्री देवेन्द्र एक फर्म में 50 प्रतिशत के साझेदार हैं जिसमें से उनकी पत्नी अलका रु. 30,000 प्रतिमाह वेतन लेती है। श्री देवेन्द्र एव श्रीमती अलका की क्रमशः आयें 7,00,000 तथा 6,50,000 है। क्या श्रीमति अलका की आय श्री देवेन्द्र की आय में जोड़ी जाएगी। श्री देवेन्द्र एवं श्रीमति अलका की कर योग्य आय क्या होगी ।

उत्तर हॉ श्री देवेन्द्र रु. 10,60,000 श्री मति अलका रु. 6,50,000

8. श्री अजय ने अपनी स्वयं अर्जित सम्पत्ति सन् 2004 में अपने हिन्दु अविभाजित परिवार को हस्तान्तरित कर दी। गत वर्ष में इस सम्पत्ति से 2,80,000 रुपये की आय हुई। 1 अप्रैल 2017 को हिन्दु अविभाजित परिवार का बंटवारा हो गया। सम्पत्ति बंटवारे में श्री अजय 1/8 भाग, श्री अजय के भाई 1/2 भाग, श्री अजय की पत्नी 1/8 भाग, श्री अजय का बड़ा पुत्र 1/8 भाग, श्री अजय का अव्यस्क पुत्र. 1/8 भाग कर निर्धारण वर्ष 2019–20 में इस सम्पत्ति की आय को किसकी आय में कितना सम्मिलित किया जाएगा।

उत्तर– श्री अजय रु. 1,03,500 (35,000 + 35,000 + 33,500)

12.11 सन्दर्भ पुस्तकें

1. Singhania : Direct Taxes, Taxman, New Delhi. (2019).
2. मेहरोंत्रा एच0सी0 एवं जोशी सीवएस0 : आय कर– कर निर्धारण वर्ष 2019–20, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा (2019) ।

इकाई 13 व्यक्तियों का कर निर्धारण

इकाई की रूपरेखा

13.1 प्रस्तावना
13.2 करदाता के प्रकार
13.3 व्यक्ति की आय के साधन
13.4 व्यक्ति की कुल आय की गणना
13.5 व्यक्ति की कुल आय गणना के चरण
13.6 आय की पूर्णाकिंत करना
13.7 आयकर दरें
13.8 व्यावहारिक प्रश्न
13.9 सारांश
13.10 शब्दावली
13.11 बोध प्रश्न एवं उनके उत्तर
13.12 बोध प्रश्नों के उत्तर
13.13 स्वपरख प्रश्न
13.14 सन्दर्भ पुस्तकें

उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप इस योग्य हो सकेंगे कि :

- करदाता कितने प्रकार के है, की व्याख्या कर सकें।
- एक व्यक्ति की आय के साधन कितने प्रकार के है, की व्याख्या कर सकें।
- कुल आय की गणना किस प्रकार की जाती है, को जान सकें।
- आय को पूर्णाकिंत करके, कर की राशि की गणना किस प्रकार करते है, को जान सकें।

13.1 प्रस्तावना

एक व्यक्ति का कर निर्धारण से तात्पर्य एक व्यक्ति की कर योग्य आय की गणना करके, उसके द्वारा देय आयकर की गणना से है। एक व्यक्ति की कर देयता इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी करयोग्य आय तथा गैर करयोग्य आय (जैसे कृषि आय) कितनी हैं कर निर्धारण में मुख्यतः दो बातें शामिल है।

1. व्यक्ति की कुल आय की गणना करना ।
2. गर्णित कर योग्य आय पर आयकर की गणना करना।

13.2 करदाता के प्रकार

जैसा कि प्रथम अध्याय में बताया गया है कि करदाता निम्न प्रकार से वर्गीकृत किए गए है।

1. एक व्यक्ति
2. हिन्दू अविभाजित परिवार
3. फर्म
4. व्यक्तियों का समूह
5. कम्पनी
6. स्थानीय सत्ता
7. कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति

इस अध्याय में हम व्यक्ति का करनिर्धारण का अध्ययन करेंगें।

13.3 व्यक्ति की आय के साधन

एक व्यक्ति की आय के बहुत सारे स्त्रोत हो सकते हैं। यह स्त्रोत भारत में या भारत के बाहर भी हो सकते है। प्रशन यह है कि क्या समस्त स्त्रोतों से (भारत तथा भारत के बाहर दोनों) पर कर देयता भारत में होगी या नहीं। इस प्रशन का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है। कि उसकी निवासीय स्थिति क्या होगी।

अतः सर्वप्रथम एक व्यक्ति की निवासीय स्थिति की गणना करेंगें। एक व्यक्ति साधारण निवासी, असाधारण निवासी या अनिवासी हो सकता है। साधारण निवासी को भारत में प्राप्त, अर्जित एवं भारत के बाहर से प्राप्त एवं अर्जित आय सभी पर कर देना होता है।

एक असाधारण निवासी को भारत में प्राप्त एवं अर्जित सभी आयों एवं भारत के बाहर व्यापार एवं पेशा से ऐसी आय जिसका भारत से नियंत्रण होता है, पर आयकर देना होगा। एक अनिवासी को केवल भारत में प्राप्त एवं भारत से उपार्जित आय पर कर देना होगा।

13.4 व्यक्ति की कुल आय की गणना

अतः इसके निवास स्थान के आधार पर यह निश्चित किया जाता है कि उसकी किन स्त्रोतों पर भारत में कर लगेगा। इसके पश्चात् उनकों शीर्षकों में बांटा जाता है। अर्थात आयकर अधिनियम के अनुसार, पांच शीर्षकों में बांटा जाता है।

उन पांच शीर्षकों की करयोग्य आय की गणना करने पर सकल कुल आय प्राप्त होगी। इन आय में अन्य मानी गयी आय एवं अन्य व्यक्तियों के वह आय, जिनको करदाता, की आय में जोड़ना अनिवार्य है, को भी सम्मलित किया जता है। इसके बाद स्त्रोंतों एवं शीर्षकों की हानि, अशोधित हास, अशोधित दरें आदि भी घटाते है। इसके बाद का योग सकल कुल आय कहलाता है। यदि करदाता की ऐसी उपरोक्त वर्णित आय नहीं है तो केवल पांच शीर्षकों की करयोग्य आय का जोड़ ही सकल कुल आय कहलाएगा। इस सकल कुल आय से धारा 80C से 80U तक की कटौतियां घटाएंगे। इसके बाद जो शेष बचता है वह कुल आय कहलाता है

उपरोक्त वर्णित अन्य व्यक्तियों की आय तथा मानी गई आयों में शामिल करने के निम्न प्रावधान है।

1. एक व्यक्ति को जब एक हिन्दू अविभाजित परिवार का सदस्य होने के नाते , परिवार की आय से प्राप्त राशि पर कर नहीं लगता, अतः आय में नहीं जोड़ा जाता है।
2. एक व्यक्तियों के संघ अथवा व्यक्तियों के समूह की सदस्यता से आय प्राप्त होने पर
   अ. यदि संघ की कुल आय पर अधिकतम सीमान्त दर से अथवा उच्चतर दर से कर लगा है तो सदस्य की आय का भाग उसकी व्यक्तिगत कुल आय में शामिल नहीं करेंगें।
   ब. यदि संघ की कुल आय पर आयकर नहीं है तो उसके सदस्य को इससे प्राप्त आय के भाग को अपनी कुल आय में शामिल करके आयकर देना पड़ेगा।
   स. यदि संघ ने अपनी कुल आय पर कर की सामान्य दरों से आयकर चुकाया है, तो सदस्य की आय का भाग सदस्य की कुल आय में शामिल किया जाएगा और करदाता व्यक्ति को आयकर के इस भाग पर आयकर की औसत दर से छूट दी जाएगी।
3. कम्पनी की सदस्य अर्थात अंशधारी होने के नाते लाभांश से है। घरेलू कम्पनी से प्राप्त लांभाश कर मुक्त है।

13.5 व्यक्ति की कुल आय गणना के चरण

1. प्रत्येक शीर्षक की कर योग्य आय की गणना करना।
2. मानी गई आयों को जोड़ना ।
3. व्यापारिक संस्थानों आदि की सदस्यता आय को जोड़ना।
4. आयकर गणना हेतू कुछ आयों को जोड़ना। उदाहरण के लिए कृषि आय को जोड़ना ।
5. पिछली हानियों को पूरित करना।
6. धारा 80 C से 80 U की कटौतियों को घटाना।
7. कुल आय को पूर्णांकिंत करना।
8. कुल आय पर कर की गणना करना।

13.6 आय का पूर्णांकिंत करना

1. कुल करयोग्य आय को रू0 10 के गुणन में पूर्णांकित करना है।
2. पूर्णांकिंत करने के लिए, आय का कोई अंश रू0 5 या उसके अधिक होने पर उस अन्तिम अंक को शून्य करते हुए अगली दहाई पर कर देते है। अर्थात पूर्व अंक (दहाई अंक)को एक से बढ़ा देते है। उदाहरण के लिए 12925 को 12930, 114728 को 114730, 190578 को 190580, 460319 को 460320 कर देगें।

3. यदि ईकाई का अंक 5 से कम है तो उस अंक को छोड़ देगें और उसके स्थान पर शून्य लिख देगें। उदाहरण के लिए 15674 को 15670, 125710 को 125710, 476911 को 476910, 572353 को 572350 कर देगें।

13.7 आयकर दरें

कर निर्धारण वर्ष 2018–19 एवं 2019 –20 के लिए विभिन्न व्यक्ति करदाताओं की कर की दरें प्रथम अनूसूची के भाग एक के पैराग्राफ A के अनुसार निम्नलिखित है।

1. **एक निवासी वरिष्ठ नागरिक** जो गतवर्ष में किसी भी दिन 60 वर्ष या अधिक की आयु का है,

परन्तु गतवर्ष के अन्तिम दिन 80 वर्ष से अधिक आयु का नहीं है की दशा में कर की दरें निम्न है।

शुद्ध आय खण्ड	आयकर की दरें
प्रथम रू0 3,00,000	शून्य
अगले रू0 2,00,000	5 %
अगले रू0 5,00,000	20 %
शेष आय पर	30 %

एक निवासी व्यक्ति करदाता, जिसकी कुल आय रू0 3,50,000 से अधिक नहीं है, धारा 87 A के अन्तर्गत कर कटौती मिलेगी। कर कटौती =100 % of आयकर अथवा रू0 2,500 दोनो में जो कम है।

यह कर कटौती घटाने के बाद शिक्षा उपकर 2% माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर 1% लगाया जाएगा।

2. **एक निवासी अति वरिष्ठ नागरिक व्यक्ति**, जो गत वर्ष में किसी भी दिन 80 वर्ष या अधिक आयु का हो जाए, की दशा में कर की दरें होगी।

शुद्ध आय खण्ड	आयकर की दरें
प्रथम रू0 5,00,000	शून्य
अगले रू0 5,00,000	20 %
शेष आय पर	30 %

शिक्षा उपकर 2%

माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर 1 %

3. अन्य प्रत्येक व्यक्ति, हिन्दू अविभाजित परिवार, व्यक्तियों का संघ पर कर की दरें निम्न है।

शूद्ध आय खण्ड	आयकर की दरें
प्रथम रू0 2,50,000	शून्य
अगले रू0 2,50,000	5 %
अगले रू0 5,00,000	20 %
शेष आय पर	30 %

धारा 87 A की कर कटौती भी मिलेगी, यदि कुल आय रू0 3,50,000 से अधिक नहीं है, धारा 87 A के अन्तर्गत कर कटौती = आयकर का 100% अथवा रू0 2500 दोनों में जो कम है।

इसके बाद शिक्षा उपकर 2% एंव माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर 1% लगाया जाएगा।

नोट

1. उपरोक्त 1, 2, 3, में यदि करदाता की करयोग्य आय 50 लाख से अधिक है परन्तु एक करोड़ तक है, ऐसी दशा में आयकर का 10% अधिभार लगाया जाएगा।
2. उपरोक्त 1, 2, 3 में यदि करदाता की करयोग्य आय 1 करोड़ से अधिक होने पर आयकर 15% अधिभार लगाया जायेगा।
3. देयकर राशि तथा वापिसी की राशि को दस के निकटतम तक पूर्णाकिंत किया जाएगा।
4. एक कम्पनी को छोड़कर सभी व्यक्तियों को वैकल्पिक न्यूनतम कर देना होगा, यदि उसने धारा 80IA, 80IAB, 80IC, 80IB , 80IBA, 80IE, 70JJA, 80JJAA, 80LA, 80QQB, 80RR या 10AA या 35 AD की कटौती ली है। उसके अतिरिक्त किसी गत वर्ष की नियमित आय पर देयकर वैकल्पिक न्यूनतम कर से कम है। एक अन्य शर्त के अनुसार यदि एक व्यक्ति की कुल आय समायोजित बीस लाख से अधिक नहीं है।
5. समायोजित कुल आय को उसकी कुल आय माना जाएगा और इस आय पर 18.5 % + अधिभार यदि देय है + शिक्षा उपकर एवं माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर 3 % की दर से कर देना होगा।

13.8 व्यावहारिक प्रश्न

<u>उदाहरण 01</u> श्री प्रवीण कुमार रस्तोगी ने निम्न विवरण प्रस्तुत किए। उनकी कुल आय की गणना कीजिए।

मूलवेतन रू0 20,000 प्रतिमाह, बोनस 3 माह का मूलवेतन, मनोरंजन भत्ता रू0 1,000 प्रतिमाह; 22 लाख जनसंख्या वाले शहर में एक किराया मुक्त असुसज्जित मकान मिला हुआ है जिसका उचित वार्षिक मूल्य 22000 रूपये है।

प्रमाणित प्रॉविडेन्ट फण्ड में अंशदानः वेतन का 12% स्वयं का योगदान एवं 12% कम्पनी का अंशदान ।

9.5 % वार्षिक की दर से प्रमाणित प्राविडेन्ट फण्ड पर ब्याज जमा किया जो वर्ष में रू0 6,575 हुआ।

उसने अपने जीवन पर 2016 में ली गई 30,000 रूपये की पॉलिसी पर 3600 रूपये तथा अपने अव्यस्क पुत्र के जीवन की 20,000 रूपये की पॉलिसी पर 850 रूपये प्रीमियम दिया। इसके अतिरिक्त उसे भारतीय कम्पनी से 4000 रूपये लाभांश, अनुसूचित बैंक में स्थायी जमा पर ब्याज 1800 रूपये एवं आपसी कोष यूनिटों पर आय 2600 रूपय प्राप्त हुए।

हलः

कुल आय की गणना

	रू0	रू0
वेतन से आयः		
मूल वेतन	2,40,000	
बोनस	60,000	
मनोरंजन भत्ता	12,000	
किराया मुक्त मकान	31,200	
सकल वेतन	3,43,200	
घटाओ : कटौती	शून्य	3,43,200
आय के अन्य साधनः		
भारतीय कम्पनी से लाभांश		
स्थायी जमा पर ब्याज	करमुक्त	
आपसी कोष यूनिटो से आय	1,800	
	कर मुक्त	
		1,800
सकल कुल आय		3,45,000
घटाओः धारा 80 C		32,650
कुल आय		3,12,350

नोटः 1 धारा 80 C की कटौती

प्रमाणित प्रॉविडेन्ट फण्ड में अंशदन = 28,800

अपनी जीवन बीमा प्रीमियम 10% of Sum Assured = 3,000

अव्यस्क पुत्र की जीवन बीमा प्रीमियम = 850

....

रू0 32,650

....

नोट : 2 किराया मुक्त मकानः

वेतन = 2,40,000 + 60,000 + 12,000 = रू0 3,12,000

3,12,000 का 10 प्रतिशत = 31,200

अतः किराया मुक्त मकान का मूल्यांकन रू0 31,200

उदाहरण 2 : डाक्टर अंशु रस्तोगी देहरादून में एसोसिएट प्रोफेसर है। उनका आय का विवरण निम्न है। मूल वेतन रू0 12,000 प्रतिमाह, मंहगाई भत्ता रू0 5,400 प्रति माह, वार्डनशिप भत्ता 400 रूपये प्रतिमाह, परीक्षक पारिश्रमिक 4000 रूपये, प्रतिभूतियों पर ब्याज रू0 4,000 स्कूल पुस्तक की रायल्टी 22500 रूपये, कर मुक्त ऋणपत्रों का ब्याज (सकल) रू0 3000। यह ऋणपत्र सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी द्वारा अधिसूचित है। मकान सम्पत्ति कर योग्य आय 1,10,000 रूपये।

विदेशी कम्पनी से प्राप्त लांभाश	रू0	2,500
वैधानिक प्रॉविडेन्ट फण्ड में स्वंय का अंशदान	रू0	5,000
सार्वजनिक प्रॉविडेन्ट फण्ड में अंशदान	रू0	12,000
आश्रित पिता के स्वास्थ्य चिकित्सा बीमा प्रीमियम	रू0	3,000

अनुमोदित पुण्यार्थ संस्था की दान रू0 10,000

इनकी कुल आय की गणना कीजिए।

हल : कुल आय की गणना

विवरण	रू0	रू0
<u>वेतन शीर्षक आयः</u>		
वेतन	1,44,000	
मंहगाई भत्ता	64,800	
वार्डनशिप भत्ता	4,800	
सकल वेतन	2,13,600	
घटायाः कटौतियां	शून्य	2,13,600
<u>मकान सम्पत्ति से आय</u>		1,10,000
अन्य साधनों से आयः		
परीक्षक पारिश्रमिक	4,000	
स्कूल पुस्तक की रायल्टी	22,500	
प्रतिभूतियों पर ब्याज	4,000	
करमुक्त ऋणपत्रों पर ब्याज	3,000	
विदेशी कम्पनी का लांभाश	2,500	36,000
सकल कुल आय		3,59,600
घटायाः कटौतियां		
धारा 80 C	17,000	
धारा 80 D	3,000	
धारा 80 G	5,000	
		25,000
कुल आय		3,34,600

नोटः 1 <u>घारा 80 C के अन्तर्गत</u>

वैधानिक प्रॉविडेन्ट फण्ड	रू0 5,000
सार्वजनिक प्रॉविडेन्ट फण्ड	रू012,000
	रू0 17,000

नोटः 2 धारा 80 G

समायोजित कुल आय = 3,59,600 – 3,000 – 17,000 = 3,39,600

अतः 3,39,600 का 10% या 10,000 दोनों में जो कम है

अतः 10,000

अतः कटौती = 10,000 का 50% = रू0 5,000

उदाहरण 3ः

श्री कमल मोहन ने निम्नलिखित आय विवरण दिया। उनकी कर योग्य आय की गणना करें।

1. मूल वेतन 25,000 रूपये प्रतिमाह
2. मकान सम्पत्ति किराया 4,000 प्रतिमाह
3. सामान्य व्यापार लाभ 2,10,000 रूपये
4. स्माल स्केल यूनिट आय 1,20,000 रूपये (यह पिछड़ा जम्मू कश्मीर क्षेत्र में स्थित है तथा 2010 में स्थापित है।)
5. विदेशी कम्पनी लांभाश 14,500 रूपये
6. लाटरी जीत 40,000 रूपये
7. शुद्ध कृषि आय 50,000 रूपये
8. अनाश्रित पुत्र का जीवन बीमा प्रीमियम 50,000 रूपये
9. सार्वजनिक प्रॉविडेन्ट फण्ड में जमा 85,000 रूपये
10. आश्रित पिता की जीवन बीमा प्रीमियम 10,000 रूपये
11. पंजीकृत राजनीतिक पार्टी को चैक से अंशदान 50,000 रूपये

कुल आय की गणना

हलः

विवरण	रू0	रू0
वेतन से आय :		
मूल वेतन 25000 x 12	3,00,000	
घटाओ : कटौती	शून्य	3,00,000
मकान सम्पत्ति से आयः		
वार्षिकी मूल्य	48,000	
घटायाः वैधानिक कटौती 30%	14,400	33,600
व्यापार एवं पेशा से आयः		
सामान्य व्यापार से लाभ	2,10,000	
स्माल स्केल व्यापार लाभ	1,20,000	3,30,000
अन्य साधनों से आयः		

विदेशी कम्पनी से लाभांश	14,500	54,500
लाटरी	40,000	7,18,100
सकल कुल आय		
धारा 80 C से 80 U कटौतियां		
धारा 80 C =50,000 +60,000 +25,000	1,35,000	
धारा 80 GGC	50,000	2,15,000
धारा 80 IB= 1,20,000 का 25 %	30,000	5,03,100
कुल आय		

नोट :

1. आश्रित पिता का जीवन बीमा प्रीमियम धारा 80 C में कटौती योग्य नहीं है।
2. कृषि आय करयोग्य नहीं है।
3. पंजीकृत राजनीतिक दल को दान 100 % कटौती योग्य है।
4. औद्योगिक स्माल स्केल की कटौती 25% तक है क्योंकि प्रथम पांच वर्ष 100% तथा अगले पांच वर्ष 25% तक।

उदाहरण 4 :–

श्री प्रकाश शर्मा की निम्नलिखित आय है:–

1. अनुपम लिमिटेड में 15,000 –500– 25000 के वेतन क्रम में 1 अगस्त 2011 से कार्यरत है। उन्हें 1000 रूपये प्रति माह मंहगाई भत्ता, 1250 रूपये प्रतिमाह नगर क्षतिपूरक भत्ता तथा 2000 रूपये प्रतिमाह यात्रा के लिए ट्रैवलिंग भत्ता मिलता है।

   आगरा में सुसज्जित मकान, जिसका उचित किराया 75000 रू0 प्रतिवर्ष है तथा जिसमें नियोक्ता का 1,00,000 रूपये की लागत का फर्नीचर भी लगा है।
2. उन्होनें अपनी 2,00,000 की जीवन बीमा पॉलिसी का प्रीमियम 25000 चुकाया। यह पॉलिसी 1–4–2012 से पूर्व ली गई थी। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक प्रॉविडेन्ट फण्ड खाता में 10,000 रूपये जमा किए।
3. उन्होने 10 % सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोग 50,000 रूपये, बैंक में स्थायी जमा 10% की दर से 50,000 रूपये तथा एक भारतीय कम्पनी के अंशों में 20,000 रूपये विनियोग किए। उन्होनें सुकन्या समृद्धि खाते में 12,000 रूपये जमा किए। उनकी कुल आय की गणना कीजिए।

हलः **कुल आय की गणना**

विवरण		रू0	रू0
वेतन शीर्षक से आयः			
वेतन 17500 x 4	70,000		
वेतन 18,000 x 8	144000	2,14,000	

मंहगाई भत्ता 1000 x 12	12,000	
नगर क्षतिपूरक भत्ता 1250 x 12	15,000	
ट्रैवलिंग भत्ता	शून्य	
किराया मुक्त मकान	32,900	
सकल वेतन	———————	
घटायाः कटौती	2,73,900	
	शून्य	2,73,900
<u>अन्य साधनों से आयः</u>	———————	
सरकारी प्रतिभूति ब्याज		
स्थायी जमा ब्याज	5,000	
लाभांश	5,000	
	कर मुक्त	
सकल कुल आय	———————	10,000
घटाया : कटौती		283,900
धारा 80 C		47,000
		———————
कुल आय		2,36,900

नोट : 1. मकान का मूल्यांकन

वेतन = 2,14,000 + 15,000 = 2,29,000

10 % = 22, 900

फर्नीचर का मूल्यांकन = 1,00,000 का 10% = 10,000

कुल मूल्यांकन = 22900 + 10,000 = 32,900

2. धारा 80 C :

जीवन बीमा प्रीमियम	रू0 25,000
सार्वजनिक प्रॉविडेन्ट फण्ड	रू0 10,000
सुकन्या समृद्धि योजना	रू0 12,000
	——————
	रू0 47,000
	——————

3. 1,4,2012 से पूर्व प्राप्त पॉलिसी पर जीवन बीमा पॉलिसी का 20 प्रतिशत से अधिक मान्य नहीं है।

उदाहरण : 5

श्री मनोज कुमार ने अपनी आय का निम्न विवरण दिया।

1. वेतन रू0 40,000 प्रतिमाह
2. नियोक्ता ने रू0 60,000 प्रमाणित प्रॉविडेन्ट फण्ड में दिया। उनका स्वयं का अंशदान 12 %

3. प्रमाणित प्रॉविडेन्ट फण्ड में 12.5 % की दर से ब्याज के 17,500 रूपये जमा किए।
4. भारतीय कम्पनी से लाभांश रू0 15,000
5. यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया के यूनिट का लांभाश रू0 22,000
6. सरकारी प्रतिभूति पर ब्याज रू0 5,000; बैंक द्वारा 100 रूपये कमीशन वसूली लिए।
7. सरकारी प्रतिभूति खरीदने के लिए नियोक्ता से ऋण पर ब्याज के 840 रूपये दिए।
8. एक अनुमोदित पुण्यार्थ संस्था को दान रू0 10,000 दिए एवं जीवन बीमा प्रीमियम 5,200 रूपये जमा किए।

उनकी कुल आय की गणना कीजिए।

कुल : **कुल आय की गणना**

विवरण		रू0	रू0
वेतन शीर्षक आयः			
वेतन 40,000 x 12		4,80,000	
नियोक्ता का प्रमाणित प्रॉविडेन्ट फण्ड में 12 % से अधिक का अंशदान		2,400	
प्रमाणित प्रॉविडेन्ट में 9.5 % से अधिक ब्याज		4,200	
सकल वेतन		4,86,600	
घटायाः कटौती		शून्य	
अन्य साधनों से आयः			4,86,600
सरकारी प्रतिभूति पर ब्याज			
भारतीय कम्पनी का लांभाश			
यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का लांभाश		5,000	
		कर मुक्त	
घटायाः ब्याज लोन	840	कर मुक्त	
वसुली चार्ज	100	5,000	
		940	
सकल कुल आय			4060
			4,90,660
घटाया :			
धारा 80 C		62,800	
धारा 80 G		5,000	
कुल आय			67,800
			4,22,860

नोटः– 1. धारा 80 C में कटौती

4000 200 + 57600 = 62800

2. धारा 80 G में कटौती

कुल समायोजित आय– 4,90,660 - 62,800= 4,27,860

427860 का 10 % = 42786 अथवा 10,000

दोनों में जो कम हो।

अतः 10,000 का 50% = रू0 5,000

उदाहरण 6 :–

श्री विभोर कुमार ने अपनी आय के निम्नलिखित विवरण प्रदान किए। उनकी कुल आय की गणना कीजिए।

1. मूल वेतन रू0 10,40,000
2. नगर क्षतिपूरक भत्ता रू0 54,000
3. मंहगाई भत्ता रू0 54, 800
4. उनको व्यक्तिगत एंव कार्यालय हेतू कार प्रदान की। नियोक्ता द्वारा उनके व्यक्तिगत व्ययों दी गई रू0 12,000, नियोक्ता ने उनसे रू0 5,000 लिए गए।
5. सूचीबद्ध ऋणपत्रों (अधिसूचित) पर शुद्ध ब्याज रू0 12,600
6. लांभाश– विदेशी कम्पनी के अंशों पर रू0 5,000
7. भारतीय कम्पनी से प्राप्त लांभाश रू0 4,800
8. सार्वजनिक प्रॉविडेन्ट फण्ड में अंशदान रू0 20,000
9. जीवन बीमा पॉलिसी प्रीमियम रू0 20,000 (पॉलिसी 1,20,000)
10. आश्रित पुत्र की शिक्षा रू0 12,500 (टयूशन फीस)
11. भारतीय जीवन बीमा निगम की पेंशन एन्यूटी प्लान रू0 10,000
12. केन्द्रीय सरकार की अधिसूचित पेंशन योजना रू0 75,000 (स्वयं का अंशदान एवं उतनी राशि का का नियोक्ता का अंशदान)
13. इक्विटी फण्ड में सूचीकृत यूनिटों में रू0 20,000 विनियोजित किए।

कुल : कुल आय की गणना

विवरण	रू0	रू0
वेतन शीर्षक आयः		
मूल वेतन	10,40,000	
नगर क्षतिपूरक भत्ता	54,000	
मंहगाई भत्ता	54,800	
कार (व्यक्तिगत प्रयोग) (12000–5000)	7,000	
सकल वेतन	11,55,800	
घटायाः कटौती	शून्य	
		11,55,800
अन्य साधनों से आयः		
सूचीबद्ध ऋणपत्रों पर ब्याज (12600 x 100 / 90)		

विदेशी कम्पनी से प्राप्त लांभाश	14,000	
भारतीय कम्पनी से प्राप्त लांभाश	5,000	19,000
सकल कुल आय	कर मुक्त	11,74,800
घटाया : **धारा 80C से 80U की कटौतियां**		
धारा 80 C	52,500	
80CCC–पेंशन ऐन्यूटी प्लान	10,000	
80 CC D (1)	25,000	
80CCD(1B)	50,000	
80CCD(2)	54,000	1,91,500
कुल आय		9,83,300

नोटः

1. कार एक अनुलाभ है। अतः इसका मूल्यांकन होगा 12,000 –5,000 = रू0 7,000
2. पेंशन ऐन्यूटी प्लान धारा 80ccc से सम्बन्धित है।
3. धारा 80 c की कटौती होगी। LIP, PPF, Tution Fee
   20,000 + 20,000 + 12500 = रू0 52,500
4. धारा 80CCD (1) में कर्मचारी का अंशदान वेतन के 10% 80CCD(1B) को छोड़कर, अतः कर्मचारी का अंशदान 75000 –50,000 = 25,000 है।
5. धारा 80 CCD(1B) कर्मचारी का उपरोक्त 4 का बचा 50,000 है।
6. धारा 80 CCD(2) नियोक्ता का अंशदान वेतन का 10% तक सीमित है। अर्थात 54,000 or 75000 दोनों में जो कम है।

उदाहरण 7 :–

प्रोफेसर संजय कुमार की कुल आय की गणना कीजिए।

1. मूल वेतन रू0 60,000 प्रतिमाह
2. मंहगाई भत्ता 140 % (सेवा शर्तों में शामिल)
3. नगर क्षतिपूरक भत्ता 2000 प्रतिमाह
4. मकान किराया भत्ता 8,000 प्रतिमाह
5. उन्हें एक 1600 CC की कार व्यक्तिगत एवं कार्यालय प्रयोग हेतू दी। जिसके समस्त व्यय नियोक्ता द्वारा व्यय किए गए।
6. प्रमाणित प्रॉविडेन्ट फण्ड में नियोक्ता एवं उनके द्वारा मूल वेतन एंव मंहगाई भत्ता का 15% अंशदान
7. प्रमाणित प्राविडेन्ट फण्ड में 12,00,000/– रूपये की जमाराशि पर 14% की दर से ब्याज जमा हुआ।

8. उनका एक मकान 15,000 प्रतिमाह पर किराए पर दिया गया। नगरपालिका का मूल्य 42,000 प्रति वर्ष एंव नगरपालिका कर चुकाया रू0 9,000 मकान के रिपेयर में 26,000 खर्च किए।
9. उनकी अन्य साधनों से कर योग्य आय 26,000 थी।
10. उन्होने टयूशन फीस के 90,000 रूपये अपने पुत्र के जमा किए। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक प्रॉविडेन्ट फण्ड में 60,000 रूपये जमा किए।
11. उन्होने मेडिकल प्रीमियम के 13,000 जमा किए।
12. उनके द्वारा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में 25,000 का योगदान किया गया।

हल : **कर योग्य आय की गणना**

विवरण	रू0	रू0
<u>वेतन शीर्षक आयः</u>		
मूल वेतन (60,000 x 12)	7,20,000	
मंहगाई भत्ता (7,20,000 x 140 / 100)	10,08,000	
नगर क्षतिपूरक भत्ता (2000 x 12)	24,000	
मकान किराया भत्ता (8000 x 12)	96,000	
कार (1800 x 12)	21,600	
प्रमाणित प्रॉविडेन्ट फण्ड में नियोक्ता का 12 % से अधिक अंशदान (17,28,000 x 3 / 100)	51,840	
प्रमाणित प्रॉविडेन्ट फण्ड में ब्याज (12,00,000x4,5 / 100)	54,000	
सकल वेतन	19,75,440	
घटायाः कटौती	शून्य	19,75,440
<u>मकान सम्पत्ति से आयः</u>		
सकल वार्षिक मूल्य	1,80,000	
घटाया : नगरपालिका कर	9,000	
निबल वार्षिक मूल्य	1,71,000	
घटायाः वैधानिक कटौती (1,71,000 x 30 / 100)	51,300	
		1,19,700
<u>अन्य साधनों से आयः</u>		<u>26,000</u>
सकल कुल आय		21,21,140
घटाया :		
<u>धारा 80 C =</u>		
प्रमाणित प्रॉविडेन्ट फण्ड = 259200		
टयूशन फीस 90000	1,50,000	
सार्वजनिक प्रॉविडेन्ट फण्ड 60000		

.... 4,09,200		
अधिकतम कटौती की मात्रा रू0 1,50,000		
धारा 80 D –मेडिकल प्रीमियम		
धारा 80 G– राष्ट्रीय साक्षरता मिशन	13,000	
	25,000	
कुल आय		1,88,000
		19,33,140

उदाहरण 8

श्री गोविन्द अग्रवाल ने 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के लिए निम्नलिखित सूचनाएं दी।

1. वेतन प्रतिमाह रू0 40,000
2. मंहगाई भत्ता प्रतिमाह रू0 10,000
3. मेडिकल भत्ता प्रति माह रू0 5,000
4. 24 वर्षो की सेवाकाल के बाद 1.2.2018 को अवकाश ग्रहण करने पर उन्हें रू0 10,000 प्रतिमाह पेंशन, रू0 7,00,000 ग्रेच्यूटी के प्राप्त किए। इसके अतिरिक्त रू0 8,00,000 अर्जित अवकाश प्राप्त किए। नियमानुसार उन्हें प्रतिवर्ष एक माह का अर्जित अवकाश मिलता था। उन्होनें चार माह का अवकाश ले लिया था। ग्रेच्यूटी भुगतान अधिनियम से संचालित है।
5. उन्हें रू0 2,10,000 अप्रमाणित प्रॉविडेन्ट फण्ड से प्राप्त किए। इसमें उनका एवं नियोक्ता दोनों का बराबर अंशदान था। इसमें रू0 40,000 ब्याज के शामिल है।
6. उन्होने अपने जीवनबीमा प्रीमियम के रू0 60,000 एवं सार्वजनिक प्रॉविडेन्ट फण्ड में रू0 1,00,000 जमा किए।
7. उन्होनें राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में रू0 5,000 एवं इन्दिरा गांधी स्मृति ट्रस्ट में 12,000 दान किए।
8. उन्होंने चिकित्सा बीमा प्रीमियम के 17,000 चैक से जमा किए।

उनकी कर योग्य आय की गणना कीजिए।

हलः

नोट 1: ग्रेच्यूटी :

वेतन = रू0 40,000 + रु0 10,000 = रू0 50,000 निम्न में जो सबसे कम है, वह करमुक्त है।

अ. वास्तव में प्राप्त राशि = 7,00,000

ब. अधिकतम = 10,00,000

स. 50,000 x 24 x 15 ／26 = 6,92.308

कर मुक्त = 6,92,308

कर योग्य = 7,00,000 – 6,92,308 = 7,692

नोट 2 : अर्जित अवकाश :

औसत वेतन – रू0 40,000 x 10／10 = रू0 40,000

Approved period = 24 – 4 =20

निम्न में जो सबसे कम है, वह करमुक्त है।

अ. वास्तव में प्राप्त राशि = रू0 8,00,000

ब. अधिकतम राशि = रू0 3,00,000

स. 10x 40,000 = रू0 4,00,000

द. 20 x 40,000 = रू0 8,00,000

कर मुक्त = रू. 3,00,000

कर योग्य = 8,00,000 – रू0 3,00,000 = रू0 5,00,000

नोट 3: अप्रमाणित प्रॉविडेन्ट फण्ड

अप्रमाणित प्रॉविडेन्ट फण्ड की कुल राशि = 2,10,000

ब्याज की राशि = 40,000

मूल राशि (रू0 2,10,000 –रू0 40,000) = 1,70,000

नियोक्ता का अंशदान 50% होने के कारण नियोक्ता का हिस्सा रू0 20,000 + रू0 85,000 = रू0 1,05,000 वेतन शीर्षक में करयोग्य होगा। कर्मचारी का अंशदान पर पूर्व में कर लग चुका है। कर्मचारी के अंशदान पर ब्याज रू0 20,000 अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य होगा।

नोट 4 : धारा 80 C

जीवन बीमा प्रीमियम रू0 60,000 एवं सार्वजनिक प्रॉविडेन्ट फण्ड में रू0 1,00,000 = कुल रू0 1,60,000 में से अधिकतम रू0 1,50,000 की कटौती धारा 80 C में मिलेगी।

नोट 5 : धारा 80 G :

राष्ट्रीय सुरक्षा कोष एवं इन्दिरा गांधी स्मृति कोष दोनों ही बिना सीमा के दान है एवं राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में कटौती 100% एवं इन्दिरा गांधी स्मृति कोष में 50% मिलेगी। अतः कुल कटौती राशि रू0 5,000 एवं रू0 6,000 = रू0 11,000 मिलेगी।

नोट 6 : चिकित्सा बीमा प्रीमियम :

चिकित्सा बीमा प्रीमियम की कटौती घारा 80 D में 100% मिल जाएगी।

कर योग्य आय की गणना

वेतन 40,000 x 10	= रू0 4,00,000
मंहगाई भत्ता 10,000 x 10	= रू0 1,00,000
मेडिकल भत्ता 5,000 x 10	= रू0 50,000
पेंशन 10000 x 2	= रू0 20,000
ग्रेच्यूटी	= रू0 7692
अर्जित अवकाश	= रू0 5,00,000
अप्रमाणित प्रॉविडेन्ट फण्ड	= रू0 1,05,000
कटौतियां :– धारा 80 C = रू0 1,50,000	= रू0 11,82,692
धारा 80 D = रू0 17,000	
धारा 80 G = रू0 11,000	रू0 1,78,000
कुल आय	रू0 10,04,692

उदाहरण –9

श्री राजेश (एक कम्पनी में कर्मचारी) की आय सम्बन्धी सूचनाएं निम्न है। करयोग्य आय की गणना करें।

1. वेतन रू0 10,000 प्रतिमाह
2. मंहगाई भत्ता रू0 7,000 प्रतिमाह (सेवा शर्तो के अधीन)
3. मनोरंजन भत्ता रू0 1,000 प्रतिमाह
4. प्रमाणित प्रॉविडेन्ट फण्ड में नियोक्ता का अंशदान रू0 20,000 एंव स्वयं का अंशदान रू0 20,000
5. निधि से संचित शेष पर ब्याज 10% वार्षिक दर से 15,000 रूपये।
6. नगर क्षतिपूरक भत्ता रू0 1,000 प्रतिमाह
7. चिकित्सा भत्ता रू0 2,000 प्रतिमाह
8. उसके नियोक्ता ने उसे एक बड़ी कार कार्यालय तथा निजी दोनों कार्यों के लिए दी है। कार के सभी व्यय नियोक्ता करता है।
9. नियोक्ता ने उसे 14 लाख जनसंख्या वाले शहर में असुजजित मकान सुविधा दी। नियोक्ता द्वारा उससे रू0 1,000 प्रतिमाह लिया जाता है। एक मकान का उचित वार्षिक किराया 40,000 रूपये हैं।
10. उन्होंने जीवन बीमा प्रीमियम के रू0 17,000 एवं राष्ट्रीय बचत पत्र रू0 18,000 खरीदे। उन्होनें राष्ट्रीय खेल कोष में रू0 8,000 एवं राष्ट्रीय सांस्कृतिक कोष में रू0 13,000 एवं राष्ट्रीय बाल कोष में रू0 3,000 जमा किए।

हल :– <u>कर योग्य आय की गणना</u>

वेतन 10,000 x 12	= 1,20,000	
मंहगाई भत्ता 7,000 x 12		= 84,000
मनोरंजन भत्ता 1,000 x 12		= 12,000

नियोक्ता का 12% से अधिक प्रमाणित प्रॉविडेन्ट फण्ड में अंशदान	
(20,000) – (17,000 x 12 x 12 ⁄ 100)	= शून्य
निधि में संचित शेष पर 9.5 % से अधिक ब्याज	= 750
(15,000 x 0.5 ⁄ 10)	
नगर क्षतिपूरक भत्ता (1000 x 12)	= 12,000
चिकित्सा भत्ता (2000 x 12)	= 24,000
कार (2400 x ग 12)	= 28,800
मकान सुविधा (नोट 1)	= 13,200
	....
सकल कुल आय	= 294,750

कटौतियां

धारा 80 C = 17,000 + 18,000 + 20,000 = 55,000

धारा 80 G = 8000 + 13000 + 3000 = 24,000 = 79,000

कुल आय = 2,15,750

नोट 1 मकान सुविधा :

वेतन से तात्पर्य = 1,20,000 + 84,000 + 12,000 + 12000 + 24000 = 2,52,000

रू0 2,52,200 का 10 % = 25,200

घटाया मकान किराया वसूल 1000 x 12 = 12,000

मकान का मूल्यांकन 13,200

उदाहरण 10

श्री किशोर कुमार की कुल आय की गणना कीजिए।

1. वेतन –प्रॉविडेन्ट फण्ड में अंशदान तथा आयकर घटाने के पश्चात् रू0 5,26,000
2. वेतन पर आयकर काटा गया रू0 14,000
3. प्रमाणित प्रॉविडेन्ट फण्ड में अंशदान रू0 40,000
4. प्रमाणित प्रॉविडेन्ट फण्ड में नियोक्ता का अंशदान रू0 40,000
5. चिकित्सा भत्ता रू0 60,000
6. प्रॉविडेन्ट फण्ड में 12.5% की दर से ब्याज रू0 25,000
7. घरेलू कम्पनी से प्राप्त लांभाश रू0 9,000
8. बचत बैंक खाता में ब्याज रू0 6,000
9. मकान का उपकिराया रू0 49,000
10. लाटरी से आय (सकल) रू0 60,000
11. उत्तर पूस्तिका मूल्यांकन रू0 16,000

12. जीवन बीमा पॉलिसी प्रीमियम रू0 16,000
13. फैमिली प्लानिंग में दिया दान रू0 2,000

हल : कुल आय की गणना

वेतन से आयः

वेतन 5,26,000 + 14,000 + 40,000		= रू0 5,80,000
चिकित्सा भत्ता		= रू0 60,000
		=रू0 6,40,000
धारा 16 की कटौती	शून्य	=रू0 6,40,000

अन्य साधनों से आयः

लाभांश	= कर मुक्त
बचत खाता ब्याज	= रू0 6,000
मकान का उपकिराया	= रू0 49,000
लाटरी	= रू0 60,000
उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन	= रू0 16,000

= रू0 1,31,000

सकल कुल आय = रू0 7,71,000

घटाएं –कटौतियां :–

धारा 80 C :

1. प्रमाणित प्रॉविडेन्ट फण्ड में अंशदान (कर्मचारी का)	40,000		
2. जीवन बीमा प्रीमियम	16,000	56,000	
धारा 80 G:-			
फैमिली प्लानिंग में दान		2,000	
धारा 80 TTA :			
बचत बैंक खाता में ब्याज	6,000		= रू0 64,000
कुल आय			= रू0 7,07000

उदाहरण : 11

नेहा सिंह के द्वारा अपनी आय का विवरण प्रस्तुत किया है। आप कुल आय की गणना कीजिएः

1. मूल वेतन रू0 60,000 प्रतिमाह , मंहगाई भत्ता रू0 25,000 प्रतिमाह, बोनस रू0 1,20,000, रू0 1,20,000, सवारी भत्ता (डयूटी करने में पूर्णतया व्यय) रू0

30,000 , उनके बिजली के बिलों का भुगतान उनके नियोक्ता ने रू0 44,000 किया।

2. उन्होंने अपना दिल्ली का मकान रू0 15,000 प्रतिमाह पर किराए पर दिया। मकान का नगरपालिका मूल्याकंन रू0 1,26000 है। नगरपालिका कर रू0 12,600 चुकाया।
3. असूचीकृत ऋणपत्रों पर रू0 18,000 ब्याज प्राप्त किया। बैंक की सावधि जमा कर ब्याज रू0 14,000, सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज रू0 5,000 , बचत बैंक खाते में अर्जित ब्याज रू0 17,500
4. अपनी जीवनबीमा पालिसी जो 2015 में ली थी उस पर रू0 10,000 प्रीमियम दिया। उसके अतिरिक्त उन्होने म्यूचअल फण्ड टैक्स सेवर में रू0 27,000 जमा किए।
5. चिकित्सा बीमा (स्वयं) की प्रीमियम रू0 12,000
6. परिवार नियोजन हेतू दिल्ली नगर निगम को रू0 60,000 जमा किए। प्रधानमंत्री अकाल सहायता कोष में रू0 9,000 एवं राष्ट्रीय सहायता कोष में रू0 11,000 जमा किए।
7. उन्होनें गांधी राष्ट्रीय स्मारक कोष में रू0 10,000 दान किए।

हल : कर योग्य आय की गणना

विवरण	रू0	रू0
<u>वेतन शीर्षक आयः</u>		
मूल वेतन (60,000 x 12)	7,20,000	
मंहगाई भत्ता (25,000 x 12)	3,00,000	
बोनस	1,20,000	
सवारी भत्ता	कर मुक्त	
बिजली बिल	44,000	
सकल वेतन	11,84,000	
कटौति –धारा 16	शून्य	11,84,000
<u>मकान सम्पत्ति से आयः</u>		
1,26,000 अथवा 1,80,000 दोनों में जो ज्यादा है।		
सकल वार्षिक मूल्य	1,80,000	
घटायाः नगरपालिका कर	12,600	
निबल वार्षिक मूल्य	1,67,400	
घटायाः 30 % (1,67,400 x 30 / 100)	50,220	
		1,17,180
<u>अन्य साधनों से आयः</u>		

असूचीकृत ऋणपत्रों पर ब्याज	20,000	
बैंक सावधि जमा पर ब्याज	14,000	
सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	5,000	56,500
बचत बैंक खाता ब्याज	17,500	13,57,680
	———	
सकल कुल आय		
धारा 80 C	37000	
धारा 80 D :	12000	1,39,000
धारा 80 G : 60,000 + 9000 + 11000	80000	12,18,680
धारा 80 TTA:	10000	
कुल आय		

नोट 1 : असूचीकृत ऋणपत्रों का ब्याज = 18,000 x 100 / 90 = 20,000

नोट 2: बचत बैंक खाते में अर्जित ब्याज अधिकतम
रू0 10,000 तक धारा 80TTA में कटौती योग्य है।

नोट 3 : धारा 80 C में कटौती योग्य राशि :

जीवन बीमा प्रीमियम = रू0 10,000
म्यूचअल फण्ड टैक्स सेवर = रू0 27,000
रू0 37,000

नोट 4: चिकित्सा बीमा प्रीमियम रू0 12,000 धारा 80 D में कटौती योग्य है।

नोट 5– गांधी स्मारक कोष में दिया दान धारा 80 G में कटौती योग्य है।

नोट 6 धारा 80 G की कटौती योग्य राशि

उदाहरण : 12

श्री अलफ्रेड, ब्रिटिश नागरिक, 1 जुलाई 2010 को सर्वप्रथम भारत आए और एक भारतीय कम्पनी में मैनेजर पद पर कार्यरत है। जनवरी एंव फरवरी माह में वे अपने देश घर पर लंदन गए। उनके द्वारा निम्न सूचना दी गई।

1. मूल वेतन , मंहगाई भत्ता, विवाह भत्ता, विदेश भत्ता क्रमशः रू0 16,000, रू0 8,000, रू0 5,000 तथा रू0 4,000 प्रतिमाह प्राप्त किए। दिल्ली में एक असुसज्जित मकान सुविधा दी गई, जिसका किराया कम्पनी रू0 10,000 प्रतिमाह मकानमालिक को देती है, परन्तु उससे केवल एक हजार रूपये उसके वेतन से काटती है।

2. प्रमाणित प्रॉविडेन्ट फण्ड में उसका अंशदान रू0 2500 प्रतिमाह एवं उतना अंशदान उसके नियोक्ता द्वारा दिया जाता है।
3. उनके स्वयं एवं पत्नी को छुट्टियों में ईग्लैंड घर जाने का यात्रा खर्च रू0 62,500 है।
4. कम्पनी द्वारा कार्यालय एवं निजि उपयोग के लिए छोटी कार दी है। उसका सम्पूर्ण व्यय कम्पनी द्वारा वहन किया गया।
5. छुट्टियों के दौरान मकान एवं मोटरकार सुविधा छोड़ दी थी।
6. अपने जीवन बीमा प्रीमियम रू0 6,000 भारतीय जीवन बीमा निगम को दिए। उनकी करयोग्य आय की गणना कीजिए।

हल : **कर योग्य आय की गणना**

विवरण	रू0	रू0
<u>वेतन शीर्षक आयः</u>		
मूल वेतन	1,92,000	
मंहगाई भत्ता	96,000	
विवाह भत्ता	60,000	
विदेश भत्ता	48,000	
नियोक्ता का 12% से अधिक प्रमाणित प्रॉविडेन्ट फण्ड में अंशदान	6,960	
यात्रा खर्च	62,500	11,84,000
कार 10 माह (1800 x10)	18000	
मकान 10 माह	27500	
सकल वेतन	5,10,960	
कटौती : धारा 16	शून्य	
सकल कुल आय	5,10,960	
घटौती : धारा 80 C = (30000 + 6000)	36,000	
कुल आय	4,74,960	

नोट 1:– भारत के बाहर रहने के दौरान मकान सुविधा एंव कार केवल 10 माह के लिए कर योग्य है।

नोट 2 : <u>मकान का मूल्यांकन</u>

वेतन = 1,92,000 + 60,000 + 48,000 = 3,00,000

15% of Salary = 45,000 ;

वार्षिक किराया (10 माह का) = 1,20,00 x $\frac{10}{12}$ = 1,00,000

10 माह का वेतन $\frac{10}{12}$ x 45000 = रू0 37500

37,500 अथवा 1,00,000 दोनों में जो कम है वह कर योग्य होगा।

अतः 37500 – 10,000 = 27,500

रू0 10,000 नियोक्ता द्वारा वसूले गए।

उदाहरण : 13

श्री गगन सिंह वैस्टर्न इण्डिया लिमिटेड में कार्यरत है। उनके द्वारा 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वित वर्ष की आय के विवरण निम्नलिखित है।

1. वेतन रू0 12,000 प्रतिमाह , छः माह के बराबर बोनस, सवारी भत्ता रू0 650 प्रतिमाह , मनोरंजन भत्ता रू0 500 प्रतिमाह; मकान किराया भत्ता रू0 3,000 प्रतिमाह, किराया भुगतान रू0 4,000 प्रतिमाह
2. व्यक्तिगत चिकित्सा बिल प्रतिपूर्ति रू0 10,000
3. कम्पनी एवं स्वयं का प्रमाणित प्रॉविडेन्ट फण्ड में अंशदान रू0 18,000 (बराबर राशि), फण्ड में 9.5 % दर से ब्याज के रू0 12000 जमा हुए।
4. सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज रू0 3000
5. आपसी कोष की आय रू0 5500
6. डाकखाने के बचत बैंक खाते में ब्याज रू0 6500
7. राष्ट्रीय अकाल कोष में दान रू0 2500
8. परिवार नियोजन में रू0 2,000 में दान
9. जीवन बीमा प्रीमियम रू0 4,200
10. करयोग्य आय की गणना कीजिए।

<u>हलः–</u>

<u>नोटः– 1</u> मकान किराए भत्ता के सम्बन्ध में निम्न में सबसे कम राशि

अ. मकान किराया भत्ता = 36000

ब. 48,000 – 14400 = 33,600

स. वेतन का 1/2 भाग = 72,000

कर मुक्त = 33,600

कर योग्य = 36000–33600 = 2400

नोट 2: प्रधानमंत्री अकाल सहायता कोष 50% कटौती मान्य है। परिवार नियोजन प्रोत्साहन के लिए दान कुल आय का 10% से अधिक नहीं है अतः सम्पूर्ण राशि रू0 2000 कटौती योग्य है।

नोट 3: चिकित्सा प्रतिपूर्ति 15000 तक कर मुक्त है।

नोट 4: सवारी भत्ता 1600 प्रतिमाह दर से कर मुक्त है।

हल : कर योग्य आय की गणना

विवरण	रू0	रू0
<u>वेतन शीर्षक आयः</u> मूल वेतन	 1,44,000	

बोनस	72,000	
मनोरंजन भत्ता	6,000	
मकान किराया भत्ता	2,400	
नियोक्ता का अंशदान	720	
सकल वेतन	225120	
कटौती धारा 16	शून्य	2,25,120
अन्य साधनों से आयः		
प्रतिभूतियों पर ब्याज	3000	
पोस्ट ऑफिस बचत खाता (6500–3500)	3000	6000
सकल कुल आय		231,120
कटौतियां		
धारा 80 C = 18000 + 4200	22,200	
धारा 80 G = 1250 + 2000	32500	
धारा 80 TTA = 3,000	3000	28450
कुल आय		202670

उदाहरण 14 :

डा0 सुनील कुमार के द्वारा निम्न आय की सूचना दी गई है। उनकी कुल आय ज्ञात कीजिए।

1. वेतन रू0 40,000 प्रतिमाह, वार्डन भत्ता रू0 60,000 , किराया मुक्त मकान जिसका किराया नियोक्ता ने रू0 60,000 दिया। पारिश्रमिक (परीक्षक) रू0 4,500.
2. घरेलू कम्पनी से लाभांश रू0 800 , सरकारी ऋण पर रू0 5,000 ब्याज प्राप्त किया ।
3. मकान सम्पत्ति का किराया रू0 12,000 , डाकघर बचत बैंक खाते में जमा पर ब्याज रू0 500
4. दीर्घकालीन पूंजी लाभ– आभूषण से रू0 8,000 एवं पुरानी कार बेचने से रू0 2,500, अल्पकालीन पूंजी लाभ रू0 9,000.
5. सार्वजनिक प्रॉविडेन्ट फण्ड में रू0 6,000 जमा किए एवं रू0 1,000 की पुस्तकें खरीदी।

हल : **कर योग्य आय की गणना**

विवरण	रू0	रू0
वेतन शीर्षक आयः		
वेतन	4,80,000	

वार्डन भत्ता	60,000	
मकान		
15% of Salary or रू0 60,000 Which ever is less	60,000	
	6,00,000	
घटायाः कटौती	शून्य	6,00,000
मकान सम्पत्ति से आयः		
मकान किराया	12,000	
घटायाः 30 %	3,600	8,400
पूंजी लाभ		
दीर्ध कालीन – आभूषण	8,000	
अल्पकालीन –	9,000	17,000
आय के अन्य साधन		
पारिश्रमिक परीक्षक	4,500	
घरेलू कम्पनी से लांभाश	कर मुक्त	
सरकारी ऋण पर ब्याज	5,000	
डाकघर बचत बैंक ब्याज	कर मुक्त	9,500
सकल कुल आय		6,34,900
घटाया : कटौती –धारा 80C = 6,000		6000
कुल आय		6,28, 900

उदाहरण 15:

श्री मनोज कुमार सिंह एक सरकारी कर्मचारी व भारतीय नागरिक है। उन्हें 1 जून 2017 को लंदन भेज दिया गया । वे 31 जनवरी 2018 तक वहीं रहे तथा उन्हें निम्न वेतन व भत्ते मिले। भारत में 4 माह का वेतन रू0 2,00,000, लन्दन में 8 माह का वेतन रू0 4,00,000, विदेशी भत्ता रू0 1,96,000, लन्दन में मुफ्त रहने का मकान (रू0 30,000 प्रतिमाह से 8 माह का किराया) रू0 2,40,000। उनके द्वारा 8 माह का सम्पूर्ण वेतन लन्दन में खर्च किया गया । मुम्बई में एक मकान स्वयं प्रयोग के लिए है। मकान का वार्षिकी मूल्य 2,42,000 रूपये है एवं नगरपालिका कर 26,000 है। उन्हें बचत खाते में ब्याज के 27000 प्राप्त हुए। उन्होंने पुण्यार्थ संस्था को चैक द्वारा रू0 20,000 का दान दिया। यह संस्था धारा 80 G के लिए Quality करती है।

हलः कुल आय की गणना (वित्त वर्ष 2017–2018)

<u>वेतन शीर्षक से आयः</u>

भारत में प्राप्त चार माह का वेतन	2, 00,000	
लंदन में प्राप्त आठ माह का वेतन	4, 00,000	
	6, 00,000	
घटायाः कटौती	शून्य	6,00,000
मकान सम्पत्ति से आय :		
स्वयं रहने का मकान –वार्षिक मूल्य	शून्य	शून्य
अन्य साधनों से आय :		
बचत बैंक खाते का ब्याज	27,000	27,000
सकल कुल आय		6,27,000

घटायाः धारा 80 G :– दान रू0 20,000 का 50%	=	10,000	
धारा 80 TTA बचत बैंक खाता का ब्याज	=	10,000	20,000
कुल आय			607,000

नोटः– 1. विदेशी भत्ता रू0 1,96,000 एवं मकान सुविधा (लंदन रहने के दौरान) कर मुक्त है।

2. दान की राशि सकल कुल आय (समयोजित) का 10% या वास्तविक राशि, दोनों में जो कम है,
का 50% कटौती योग्य होगा।

उदाहरण 16:

श्री विभोर कुमार अग्रवाल की 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले गतवर्ष की करयोग्य वेतन रू0 12,16,000 तथा मकान सम्पत्ति से रू0 3,65,000 (कर योग्य) आय है। उनकी कर की गणना करें।

हल : <u>श्री विभोर कुमार अग्रवाल की कर योग्य आय एवं कर की गणना (वित्त वर्ष 2017–2018)</u>

वेतन से आय	12,16,000
मकान सम्पत्ति से आय	3,65,000
सकल कुल आय / कुल आय	15,81,000

आयकर की गणना :	दर	कर राशि
प्रथम 2,50,000	शून्य	शून्य
अगले 2,50,000	5%	12,500
अगले 5,00,000	20%	1,00,000

अगले 5,81,000	30:%	1,74,300
		2,86,800
जमा : सरचार्ज		शून्य
		2,86,800
जमा : शिक्षा एवं माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर 3 %		8604
कर देयता		2,95,404

Rounded off Rs. 2,95,400

उदाहरण 17 :

श्रीमति राजरानी (आयु 63 वर्ष) की आय का विवरण निम्न प्रकार है

1. मकान –सम्पत्ति से कर –योग्य आय रू0 30,000
2. व्यापार से लाभ रू0 9,50,000
3. अल्पकालीन पूंजी लाभ रू0 15,000
4. दीर्घकालीन पूंजी हानि रू0 20,000

कर निर्धारण वर्ष 2018 –19 की कर देयता ज्ञात करें।

हल : मकान सम्पत्ति से आय		रू0 30,000
व्यापारिक आय		रू0 9,50,000
अल्पकालीन लाभ		रू0 15,000
	कुल आय	9,95,000

दीर्घकालीन पूंजी हानि अगले वर्षों में ले जाई जाएगी।

प्रथम 3,00,000 पर	शून्य
अगले 2,00,000 5%	10,000
अगले 4,95,000 20%	99000
	109,000
जमा शिक्षा एवं माध्यमिक एवं उच्च	3270
शिक्षा उपकर 3 %	112270
कर देयता –	

उदाहरणः—18

श्री अभय कुमार मीतल की कर निर्धारण वर्ष 2018—19 की कर की गणना कीजिए।

मकान सम्पत्ति से आय	रू0 90,000
सरकारी प्रतिभूतियों का ब्याज	रू0 20,000
दीर्धकालीन पूंजी लाभ	रू0 50,000
व्यवसाय से आय	रू0 11,00,000
कृषि आय	रू0 1,00,000
धारा 80 C की कटौती	रू0 1,25,000

हलः कर योग्य आय की गणना एवं कर की गणना

मकान सम्पत्ति से आय	रू0 90,000
व्यवसाय से आय	रू0 11,00,000
दीर्धकालीन पूंजी लाभ	रू0 50,000
अन्य साधनों से आय	रू0 20,000
सकल कुल आय	रू0 12,60,000
कटौती —धारा 80 C	रू0 1,25,000
कुल आय	रू0 11,35,000
जमा —कृषि आय	रू0 1,00,000
	रू0 12,35,000

कर की गणना :

दीर्धकालीन पूंजी लाभ / 20 : रू0, 10,000

अन्य आय :—

प्रथम 250,000	शून्य
अगले 250,000 @ 5%	12,500
अगले 5,00,000 @ 20%	1,00,000
अगले 1,85,000 @ 30%	55,500
	168,000
घटाओ —कृषि आय पर कर	
रू0 250000+रू0 1,00,000	5, 000
	163,000

जमा शिक्षा एवं SHEC उपकर @ 3 % 4890
——————————
कुलकर देयता 167890

13.9 सारांश

आय के पांच शीर्षकों की करयोग्य आय की गणना सम्बन्धित प्रावधानों से करेंगें। उन पांच शीर्षकों की करयोग्य आय की गणना करने पर सकल कुल आय प्राप्त होगी। इन आय में अन्य मानी गयी आय एवं अन्य व्यक्तियों के वह आय, जिनको करदाता, की आय में जोड़ना अनिवार्य है, को भी सम्मलित किया जता है। इसके बाद स्त्रोंतों एवं शीर्षकों की हानि, अशोधित हास, अशोधित दरें आदि भी घटाते है। इसके बाद का योग सकल कुल आय कहलाता है। अन्य शामिल की जाने वाली आयें भी शामिल करेंगें। शीर्षक की हानियां भी समयोजित की जाएंगी। धारा 80 C से 80 U की कटौतियां भी दी जाएंगी। कुल आय की गणना की जाएगी। कुल करयोग्य आय को रू0 10 के गुणन में पूर्णांकित करना है।

13.10 शब्दावली

कटौती – वह राशि जो प्रावधान के अनुसार घटाई जाएगी।
करदेयता– कर की देने वाली राशि
उपकर – आयकर राशि पर लगने वाला कर
समायोजन – एक राशि का दूसरी राशि से पूरित करना।

13.11 बोध प्रश्न

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए

1. आय के विभिन्न शीर्षकों का योग ————— कहलाता है।
2. —————— में से धारा 80 C की कटौती नहीं मिलेगी।
3. आयकर के ———— शीर्षक है।
4. ———— में से धारा 80 G की कटौती नहीं मिलेगी ।
5. यदि कुल आय रू0 4,18,926 है तो पूर्णाकिंत राशि होगी।
6. ———— आय को पूर्णाकिंत किया जाता है।

13.12 बोध प्रश्नों के उत्तर

उत्तर 1. सकल कुल आय 2. दीर्धकालीन पूंजी लाभ 3. पांच 4. धारा 111 A में वर्णित अल्पकालीन पूंजीगत लाभ 5. रू0 4, 18,930 6. कुल आय

13.13 स्वपरख प्रश्न

1. एक व्यक्ति की कुल आय की गणना किस प्रकार करेंगें।
2. धारा 80 C के प्रावधानों को स्पष्ट रूप से लिखें।
3. धारा 80 G के आयकर अधिनियम में प्रावधान लिखें।
4. एक व्यक्ति करदाता को धारा 80 C से 80 U में किन–किन कटौतियों की मान्य है।

5. श्रीगोपाल दास की गत वर्ष की कुल आय की गणना करें।
अ. प्रतिभूतियों पर ब्याज रू0 20,000
ख. ताश के खेल की प्राप्ति रू0 10,000
स. घुड़दौड़ से जीत रू0 25,000
द. 100 वर्ष पुराने मकान से विक्रय पर लाभ रू0 1,50,000
घ. बैंक की सावधी जमा ब्याज रू0 2,50,000
र. जीवन बीमा प्रीमियम के जमा किए रू0 1,40,000

उत्तर : रू0 3,15,000

6. श्रीकृष्ण कान्त एक कालेज में कार्यरत है। उनकी कुल आय की गणना कीजिए।
(i) वेतन से आय रू0 3,00,000
(ii) लेख लिखने से आय रू0 40,000
(iii) विश्वविद्यालय की पुस्तक की रायल्टी रू0 4,10,000
(iv) बैंक सावधि जमा ब्याज रू0 20,000
(v) पत्नी का जीवन बीमा प्रीमियम रू0 50,000
(vi) पुत्र की पूर्णकालिक शिक्षा पर व्यय रू0 80,000
(vii) सुकन्या समृद्धि में जमा रू0 12,000
(viii) स्वच्छ गंगा कोष दान रू0 20,000

उत्तर – कुल आय 3,18,000

7. श्री आशीष कुमार ने अपनी आय के निम्न विवरण दिये। उनकी कुल आय की गणना कीजिए।
अ. उनके पास दो मकान है। एक स्वयं निवास के लिए एवं अन्य रू0 20,000 pm किराए पर दिया।
ब. जेवरात रू0 5,00,000 में बेचे। ये 5 वर्ष पूर्व खरीदे गए थे। इन पर दीर्घकालीन पूंजीलाभ के
रू0 1,00,000 प्राप्त हुए।
स. बचत बैंक खाता में रू0 20,000 ब्याज अर्जित किया।
द. यूनिट इस्ट ऑफ इंडिया से रू0 25,000 लांभाश प्राप्त किया।
य. सड़क पर बटुआ मिला जिसमें 50,000 रूपये थे। उसके द्वारा स्वामी को ढ़ंढने पर रू0 10,000 व्यय किए।

उ0 – रू0 3,18,000

13.14 सन्दर्भ पुस्तकें

1. Singhania : Direct Taxes, Taxman, New Delhi. (2019).
2. मेहरोंत्रा एच0सी0 एवं जोशी सीवएस0 : आय कर– कर निर्धारण वर्ष 2019–20, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा (2019) ।

इकाई 14 फर्म का कर निर्धारण

इकाई की रूपरेखा

14.1 प्रस्तावना
14.2 साझेदारी फर्म का अर्थ
14.3 साझेदार
14.4 साझेदारी
14.5 सीमित दायित्व साझेदारी
14.6 सीमित साझेदारी का समामेलन
14.7 सीमित दायित्व साझेदारी में निर्दिष्ट साझेदार
14.8 साझेदारी फर्म की सदस्यता
14.9 फर्मो के कर–निर्धारण की विशेषताएं
14.10 साझेदारी फर्म के रुप में कर–निर्धारण होने वाली फर्म
14.11 फर्म सीमित दायित्व साझेदारी सहित की कुल आय की गणना
14.12 व्यापार एवं पेशा आय की गणना
14.13 फर्म की कर योग्य आय की गणना
14.14 फर्म का कर दायित्व
14.15 फर्म पर वैकल्पिक न्यूनतम कर
14.16 कर जमा
14.17 साझेदारों का व्यक्तिगत कर– निर्धारण
14.18 साझेदारी फर्म के रूप में कर निर्धारण होने वाली फर्म के व्यावहारिक प्रश्न
14.19 फर्म की हानियों का व्यवहार एवं उनके व्यावहारिक प्रश्न
14.20 साझेदारी फर्म के वैकल्पिक न्यूनतम कर के व्यावहारिक प्रश्न
14.21 साझेदारी फर्म, जिसका कर निर्धारण एक व्यक्तियों के समुदाय के रुप में हुआ हो
14.22 सारांश
14.23 शब्दावली
14.24 बोध प्रश्न
14.25 बोध प्रश्नों के उत्तर
14.26 स्वपरख प्रश्न
14.27 सन्दर्भ पुस्तकें

उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप इस योग्य हो सकेंगे कि :

- साझेदारी फर्म व निर्दिष्ट साझेदार का अर्थ जान सकें।
- फर्म की सदस्यता एवं फर्म कर–निर्धारण की विशेषताओं की व्याख्या कर सकें।
- फर्म की कुल आय की गणना कर सकें।
- पुस्तकीय मूल्य, वैकल्पिक न्यूनतम कर की गणना कर सकें।

- साझेदारों का व्यक्तिगत कर–निर्धारण कर सकें।
- साझेदारी फर्म का कर निर्धारण व्यक्तियों के समुदाय के रुप में कर सकें।

14.1 प्रस्तावना

आयकर अधिनियम 1961 में साझेदारी फर्म एवं व्यक्तियों के समूह का कर निर्धारण करने के प्रावधान अलग से है। आयकर अधिनियम के अर्न्तगत प्रावधानों से पूर्व यह समझना आवश्यक है कि साझेदारी फर्म, साझेदार, साझेदारी क्या है? इसके अतिरिक्त सीमित दायित्व साझेदारी क्या है ? आयकर अधिनियम में आयकर की दृष्टि से साझेदारी फर्म के कर निर्धारण संबंधी प्रावधान दोनों ही प्रकार की साझेदारी के लिए समान रुप से लागू होते है।

14.2 साझेदारी फर्म का अर्थ

भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी फर्म दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच आपसी सम्बन्ध है, जो किसी व्यापार के लाभों का आपस में बंटवारा करने के लिए अनुबन्धित हुए है। व्यापार उन सभी व्यक्तियों के द्वारा अथवा उसमें से एक या अधिक के द्वारा सभी साझेदारों के लिए चलाया जाए। आयकर में फर्म से यही तात्पर्य है जो साझेदारी अधिनियम 1932 में दिया गया है। इसमें सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008 के अर्न्तगत साझेदारी भी आयकर अधिनियम के अनुसार एक ही है। अन्य शब्दों में, फर्म एवं साझेदारी फर्म आयकर में एक ही है।

14.3 साझेदार

साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो साझेदारी में लाभ के लिए सम्मिलित किया गया है, ऐसा व्यक्ति व्यस्क एवं अव्यस्क दोनों शामिल है लेकिन अव्यस्क केवल लाभों का हिस्सेदार होता है । इसके अतिरिक्त सीमित दायित्व साझेदारी का कोई भी साझेदार जो सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008 में परिभाषित किया गया है।

14.4 साझेदारी

साझेदारी से तात्पर्य वही है जो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 एवं सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम में दिया गया है।

14.5 सीमित दायित्व साझेदारी

सीमित दायित्व साझेदारी प्रसंविदा से तात्पर्य उस लिखित समझौते से है जो सीमित दायित्व साझेदारी के साझेदारों के मध्य अथवा जो सीमित दायित्व साझेदारी एवं उसके साझेदारों के मध्य होता हे। इसके अतिरिक्त जो साझेदारों के आपसी अधिकारों एवं कर्तव्यों तथा सीमित दायित्व साझेदारी के प्रति उसके अधिकारों एवं कर्तव्यों को निर्धारित करता है।

एक सीमित दायित्व साझेदारी की निम्नलिखित विशेषताएं हैं –

1. एक सीमित दायित्व साझेदारी एक निकाय है जो सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008 के अर्न्तगत गठित एवं समामेलित है।

2. इसका साझेदारों से पृथक वैधानिक अस्तित्व है।
3. इसका सतत उत्तराधिकार होता है।
4. साझेदारों में किसी भी परिवर्तन सीमित दायित्व साझेदारी के अस्तित्व अथवा इसके अधिकारों एवं दायित्वों को प्रभावित नहीं करता । अन्य शब्दों में फर्म के अस्तित्व व उसके अधिकार एवं दायित्व पूर्ववत रहेगें।
5. साझेदारों का दायित्व फर्म में उनके द्वारा तय किए गए अंशदान तक ही सीमित होता है।
6. ऐसी साझेदारी में बाहरी व्यक्तियों का दायित्व केवल फर्म की सम्पत्तियों तक ही सीमित है।
7. कोई भी एक व्यक्ति अथवा समामेलित संस्था सीमित दायित्व साझेदारी फर्म में साझेदार होता है।
8. प्रत्येक सीमित दायित्व साझेदारी में कम से कम दो निर्दिष्ट साझेदार होगें जो केवल एक व्यक्ति ही होगें तथा उनमें से एक भारत का निवासी अवश्य होगें ।
9. एक सीमित दायित्व साझेदारी को एक निगम तथा फर्म दोनों के लाभ प्राप्त होते है।
10. आयकर के दृष्टिकोण से सीमित दायित्व साझेदारी एवं परम्परागत साझेदारी में कोई अन्तर नहीं होता है।

14.6 सीमित दायित्व साझेदारी का समामेलन

1. एक सीमित दायित्व साझेदारी का समामेलन कम्पनी के रजिस्ट्रार के पास समामेलन प्रपत्र एवं निर्धारित फीस के साथ जमा करना होगा ।
2. निर्धारत प्रारुप में एक विवरण जो चार्टड एकाउन्टेन्ट, कॉस्ट एकाउन्टेन्ट, कम्पनी सचिव या वकील द्वारा हस्ताक्षरित होगा ।
3. प्रपत्रों को प्राप्त करने के बाद रजिस्ट्रार पंजीयन करेगा तथा समामेलन प्रपत्र पर मोहर एवं हस्ताक्षर करके देगा।
4. इसके उपरान्त सीमित दायित्व साझेदारी अस्तित्व में आ जाती है।

14.7 सीमित दायित्व साझेदारी में निर्दिष्ट साझेदार

सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008 में निर्दिष्ट साझेदार के सम्बन्ध में निम्न बातों को ध्यान में रखना होगा–

1. कम से कम दो व्यक्ति निर्दिष्ट साझेदार होगें इनमें से एक व्यक्ति भारत का निवासी होगा ।
2. केवल वही व्यक्ति निर्दिष्ट साझेदार बन सकता है जिसने इसकी सहमति दी हो ।
3. केवल अनुबन्ध की शर्तो के अनुसार ही निर्दिष्ट साझेदार बन सकते है।
4. निर्धारित प्रारुप में निर्दिष्ट साझेदार अपनी सहमति रजिस्ट्रार के पास जमा करेगें।
5. केन्द्रीय सरकार से, प्रत्येक निर्दिष्ट साझेदार अपना निर्दिष्ट साझेदार पहचान नम्बर प्राप्त करेगा।

6. निर्दिष्ट साझेदार समस्त कार्यो के लिए जिम्मेदार होगा ।
7. वह अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन करने पर जुर्माना, दण्ड एवं सजा के लिए दायी होगा।

14.8 साझेदारी फर्म की सदस्यता

साझेदारी फर्म में निम्न व्यक्ति सदस्य बन सकते हैं –

1. एक व्यक्ति
2. हिन्दू अविभाजित परिवार
3. फर्म
4. कम्पनी
5. ट्रस्ट

14.9 फर्मो के कर–निर्धारण की विशेषताएं

1. फर्म के कर–निर्धारण की पृथक इकाई है। आयकर में फर्म उसके साझेदारों से अलग होते है।
2. फर्म में साझेदार के भाग को उसकी व्यक्तिगत करमुक्त माना जायेगा। फर्म के लाभों में साझेदार का भाग धारा 10 (2–ए) के अर्न्तगत कर मुक्त होता है।
3. साझेदार को देय वेतन, बोनस, कमीशन आदि की कटौती स्वीकृत होगी परन्तु निर्धारित शर्तो के अनुसार ही प्रत्येक साझेदार ऐसे वेतन, बोनस, कमीशन अथवा पारिश्रमिक पर अपने व्यक्तिगत कर– निर्धारण में कर देने को दायी होगें । ऐसी आय साझेदारी की व्यक्तिगत आय होगी और यह आय '' व्यापार अथवा पेशे से लाभ '' शीर्षक में कर योग्य होती है। साझेदार को प्राप्त वेतन, वेतन शीर्षक में कर योग्य नहीं होती परन्तु '' व्यापार अथवा पेशे के लाभ'' में कर योग्य होगी ।
4. फर्म द्वारा साझेदार को देय व्याज की कटौती 12 प्रतिशत या साझेदारी संलेख में उल्लिखित दर, दोनों में जो कम है, मिलेगी ।
5. फर्म अथवा सीमित दायित्व साझेदारी फर्म की कुल आय पर 30 प्रतिशत समान दर से आयकर लगाया जाता है।
6. फर्म अथवा सीमित दायित्व साझेदारी फर्म के लिए आय की कोई न्यूनतम कर योग्य सीमा नहीं है।
7. फर्म द्वारा ही हानियों की पूर्ति एवं उन्हें आगे ले जाना होता है।

<u>साझेदारी फर्म के प्रकार</u>

साझेदारी फर्मे दो प्रकार की होती है–

1. ऐसी साझेदारी फर्मे जिनका फर्म के रुप में कर–निर्धारित होने वाली फर्मे
2. व्यक्तियों के संघ या समुदाय के रुप में कर–निर्धारित होने वाली फर्मे

14.10 साझेदारी फर्म के रुप में कर–निर्धारण होने वाली फर्म

(Firm Assessed as such FAF)

भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 184 के अनुसार एक साझेदारी फर्म के द्वारा निम्नलिखित शर्तो के पूरा करने पर, उसका कर–निर्धारण एक फर्म के रुप में किया जाता है।

1. साझेदारी फर्म का निर्माण एक लिखित प्रलेख के द्वारा फर्म आरम्भ करने की तिथि से पहले किया हो।
2. इस प्रलेख में प्रत्येक साझेदार को प्राप्त होने वाले लाभ के भाग का स्पष्ट विवरण है।
3. साझेदारी प्रलेख की एक प्रतिलिपि फर्म के प्रथम आय विवरण के साथ संलग्न करके आय कर अधिकारी को भेजी जाए ।
4. यदि भविष्य में साझेदारी प्रलेख के प्रावधानों में परिवर्तन किया जाता है तो परिवर्तित प्रलेख की एक प्रतिलिपी आयकर अधिकारी को भेजी जाए ।
5. यदि फर्म द्वारा उपरोक्त प्रावधानों का पालन नहीं किया जाता हो तो धारा 144 के अर्न्तगत आयकर अधिकारी श्रेष्ठ निर्णय कर निर्धारण के अर्न्तगत सभी उपलब्ध विवरणों को ध्यान रखते हुए कर योग्य आय की गणना करेगा। सर्वोत्तम कर निर्धारण करदाता को लिखित रुप से नोटिस देकर तथा उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का मौका देकर ही किया जा सकता है। ऐसा केवल निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जाता है :–

- जब फर्म द्वारा आय का विवरण दाखिल नहीं किया गया है।
- जब फर्म द्वारा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा भेजे गये धारा 142 (1) के नोटिस का पालन नहीं किया हो ।
- जब फर्म द्वारा अपने लेखों का अंकेक्षण नहीं कराया गया हो ।
- जब फर्म द्वारा धारा 143 (2) के जॉच नोटिस पर अमल न किया गया हो ।
- जब कर निर्धारण अधिकारी फर्म द्वारा दाखिल किए गए आय विवरण से संतुष्ट न हो ।

6 प्रथम तीन शर्तो का अनुपालन होने से फर्म का कर–निर्धारण फर्म कर निर्धारित रुप में होगा ।

7 यदि किसी वर्ष किसी फर्म का कर–निर्धारण फर्म की भॅाति किया जाता है तो वह फर्म प्रत्येक अगले वर्ष अथवा वर्षो में फर्म के रुप में ही कर निर्धारित की जायेगी, बशर्ते

  - फर्म के संगठन में कोई भी परिवर्तन न हुआ हो ।
  - साझेदारों के लाभ–हानि के अनुपात में कोई परिवर्तन ना हुआ हो ।

8. फर्म के संगठन में परिवर्तन से तात्पर्य–

- जब कोई साझेदार फर्म छोड़ दे
- जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करें
- जब कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करे अथवा फर्म से निकाल दिया जाए

- जब किसी साझेदार की मृत्यु हो जाए
- जब साझेदार दिवालिया हो जाए
- जब एक अव्यस्क साझेदार व्यस्क होने पर फर्म से अलग होने का निर्णय ले।

9. जब सभी साझेदारों के आपसी लाभ–हानि अनुपात में परिवर्तन हो जाए या किसी अन्य या कुछ के लाभ–हानि अनुपात में परिवर्तन हो जाए तब इसको साझेदारों के मध्य अनुपात में परिवर्तन माना जाएगा
10. यदि साझेदारों को या उनमें से किसी एक या कुछ के देय वेतन, बोनस, ब्याज,कमीशन, पारिश्रमिक की राशि या दर में परिवर्तन होने पर, ऐसे परिवर्तन को लाभ–हानि के अनुपात में परिवर्तन नहीं माना जाएगा।
11. यदि साझेदारी फर्म के संगठन में अथवा लाभ–हानि अनुपात में परिवर्तन होने पर, परिवर्तन के बाद के गत वर्ष की आय–विवरण दाखिल करते समय संशोधित साझेदारी संलेख की प्रमाणित प्रति भी आय–विवरण के साथ अवश्य दाखिल करेगी ।

14.11 फर्म, सीमित दायित्व साझेदारी सहित की कुल आय की गणना

फर्म की आय की गणना में भी शीर्षकवार की जाती है। फर्म की मकान सम्पत्ति, व्यापार एवं पेशा शीर्षक, पूंजी लाभ, अन्य साधनों से आय शीर्षकों में आय हो सकती है। परन्तु फर्म में मुख्य रुप से व्यापार एवं पेशा शीर्षक में आय होती है। समस्त आय फर्म के आय–व्यय ,खाता अथवा प्राप्ति भुगतान
खाता, अथवा लाभ–हानि खाते में होती है। इनको विभिन्न शीर्षकवार छॅांटा जाता है। इसको आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार गणना की जायेगी और इसके बाद फर्म की कुल आय की गणना की जाएगी ।

14.12 व्यापार एवं पेशा आय शीर्षक की गणना

1. फर्म को व्यापार एवं पेशा में आकर प्रावधानों में वर्णित सभी कटौतियॉ स्वीकृत होगी। इन कटौतियों के साथ–साथ निम्न कटौती भी उसको मिलेगी। प्रथम फर्म के साझेदारों को देय ब्याज एवं द्वितीय साझेदारों को देय पारिश्रमिक । परन्तु साझेदारी प्रलेख में साझेदारों को देय ब्याज एवं पारिश्रमिक का उल्लेख होना आवश्यक है। साझेदारी के व्यापार में केवल वास्तविक रुप से कार्यरत साझेदारों को पारिश्रमिक साझेदारी प्रलेख में प्रावधान होना आवश्यक है। यदि कोई साझेदारी फर्म के व्यापार संचालन में कुछ भी कार्य नहीं करता तो उसे यह राशि नहीं मिलेगी । अन्य शब्दों में ऐसे साझेदार को अगर पारिश्रमिक दिया जाता है तो कटौती नहीं मिलेगी ।
2. फर्म के साझेदारों को देय ब्याज की गणना धारा 80 (बी) के अनुसार दी जायेगी ।

- साझेदारी प्रलेख से ब्याज भुगतान अधिकृत होना चाहिए। उसमें ब्याज की दर निश्चित उल्लेखित होना चाहिए ।
- ब्याज साझेदारी संलेख के पूर्व अथवा बाद का होने पर, साझेदारी संलेख से अधिकृत होना चाहिए तभी ब्याज की कटौती स्वीकृत होगी अन्यथा नहीं होगी ।

- ब्याज की दर साझेदारी प्रलेख में उल्लखित दर अथवा 12 प्रतिशत की दर दोनों में से जो भी कम हो इसकी कटौती की जायेगी ।
- यदि कोई व्यक्ति फर्म में प्रतिनिधि साझेदार है और उसे व्यक्तिगत रुप से (प्रतिनिधि साझेदार के रुप में नहीं) किसी ब्याज का भुगतान किया गया है तो उसे कटौती योग्य होगा । ऐसे ब्याज के संबंध में धारा 40 (बी) के प्रावधान लागू नहीं होगें।
- यदि प्रतिनिधि साझेदार को, साझेदार के रुप में किसी ब्याज का भुगतान किया जाता है, तो ऐसे ब्याज पर धारा 40 (बी) के प्रावधान लागू होगें। एवं उस पर ब्याज की कटौती स्वीकृत होगी। बशर्ते ब्याज संलेख से अधिकृत संलेख के बाद भी अवधि का एवं ब्याज दर 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से कम हो ।
- संक्षेप में साझेदारों को देय ब्याज की कटौती तभी स्वीकृत होगी जब साझेदारी संलेख में अधिकृत प्रावधानों के अन्र्तगत तथा 12 प्रतिशत से अधिक ना हो।

3. फर्म द्वारा साझेदारों को देय पारिश्रमिक को विशेष दशाओं में कटौती के रुप में मान्य होगा ऐसी कटौती फर्म की व्यापार एवं पेशा शीर्षक की आय से कटौती की जायेगी। पारिश्रमिक के रुप में कटौती धारा 40 (बी) के अनुसार की जाएगी।

- केवल कार्यशील साझेदार को पारिश्रमिक का भुगतान देय होगा। कार्यशील साझेदार से तात्पर्य ऐसे साझेदार से है जो उस फर्म के व्यापार अथवा पेशे से संचालन में भाग ले रहा है। ऐसे साझेदार को देय वेतन, कमीशन, बोनस, अथवा किसी भी नाम से देय पारिश्रमिक कटौती के रुप में स्वीकृत होगा ।
- कार्यशील साझेदार को देय भुगतान साझेदारी प्रलेख से अधिकृत होना आवश्यक है। कार्यशील साझेदार को देय वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक की कटौती मिलेगी । परन्तु प्रलेख में ना होने पर स्वीकृत नहीं होगी ।
- पारिश्रमिक साझेदारी संलेख के बाद की अवधि से सम्बन्धित होना आवश्यक है। यदि इससे पूर्व की अवधि का है तो साझेदारी संलेख से उसका अधिकृत होना आवश्यक है।
- कार्यशील साझेदारों को देय पारिश्रमिक निम्नलिखित सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए –

क– यदि फर्म का पुस्तकीय लाभ ऋणात्मक अर्थात हानि है तो रु. 1,50,000

ख– यदि फर्म का पुस्तकीय लाभ घनात्मक अर्थात लाभ है तो

- प्रथम पुस्तकीय लाभों का 3,00,000 रुपये तक रु. 1,50,000 अथवा पुस्तकीय लाभों का 90 प्रतिशत दोनों में जो भी अधिक है।
- शेष बचे हुए पुस्तकीय लाभों का 60 प्रतिशत की कटौती मान्य होगा ।

4. पुस्तकीय लाभ से तात्पर्य ऐसे व्यापारिक शुद्ध लाभ से है, जिनकी गणना धारा 28 से धारा 44–डी के प्रावधानों के अनुसार से है। पुस्तकीय लाभ की गणना इस प्रकार की जायेगी ।

- लाभ–हानि खाते द्वारा दिखाया गया शुद्ध लाभ
- •व्यापार तथा पेशे से सम्बन्धित धारा 28 से धारा 44 डी बी के अर्न्तगत समायोजन अर्थात कुछ खर्चो की मदों को अस्वीकृत करना (पूर्णतया या आंशिक रुप से)
- यदि निम्नलिखित आयें लाभ–हानि खाते में शामिल है तो इन्हे लाभ में से घटाना

  1–मकान सम्पत्ति की आय

  2–पूंजीगत लाभ

  3–अन्य साधनों से आय
- लाभ हानि खाते में डेबिट किया गया साझेदारों को देय पारिश्रमिक पुस्तक लाभ में जोड़ना
- पिछले वर्षो की इस वर्ष आगे लाई गई राशियॉ पुस्तक लाभ में से नहीं घटाई जाती।
- परन्तु आगे लाई गई असमायोजित ह्रास की राशि पुस्तक लाभ से घटाई जा सकती है।
- पुस्तक लाभ की गणना करते समय सकल कुल आय में से धारा 80 सी से 80 वी तक की कटौतियॉ नहीं घटाई जाती ।

5. संक्षेप में पुस्तकीय लाभों की गणना करने की प्रक्रिया निम्न है–

<u>Computation of Firms Book Profit</u>

Net Profit as per Profit and Loss A/C			x x x
Add : Items debited to P&L A/C But disallowed			
a) Expenses debited to P&L A/C but disallowed as per Provisions of the Income Tax Act	x x		
b) Salary, Bonus, Commission or Remuneration paid to Partners, if debited to P&L A/C	x x		
c) Interest paid to partners in excess of 12% per annum		x x	x x
Less : Items credited to P&L A/C but not chargeable under this head or expenses allowed but not debited			
a) Income chargeable under other heads of income but credited To P&L A/C	x x		
b) Expenses or Losses allowed as deduction but not Debited to P&L A/c	x x		x x
BOOK PROFIT			x x

<u>Computation of Firms Business Income</u>

Book Profit of the Firm :	x x
Less : Remuneration paid to working partners as per Section 40(b) :	

Actual Remuneration Paid or Payable

OR

Statutary Limit as per section 40(b) whichever is less x x

Taxable Business Income x x

14.13 फर्म की कर योग्य आय की गणना

साझेदारी फर्म या सीमित दायित्व साझेदारी फर्म की करयोग्य आय की गणना निम्न प्रकार की जाती है–

1. आय के विभिन्न प्रकार के आधार पर फर्म के हाथों में करयोग्य आय की निंम्न प्रकार गणना करना

क–मकान सम्पत्ति की आय– सामान्य आयकर प्रावधानों के अनुसार

ख– व्यापार अथवा पेशे की आय– उपरोक्त वर्णित प्रावधानों को ध्यान में रखकर

ग. पूंजीगत लाभ–सामान्य नियमानुसार

घ. अन्य साधनों से आय–आयकर सामान्य नियमानुसार

2. कर मुक्त आये धारा 10 से 13 ए को फर्म की करयोग्य आय में शामिल नहीं किया जाता।
3. पिछले वर्षो की आगे लाई गई हानियां तथा संशोधित ह्रास का नियमों के अनुसार समायोजन करना ।
4. इस प्रकार सकल कुल आय की गणना करना
5. इसमें से धारा 80 सी से 80 यू की कटौतियॉ घटाई जायेगी। एक फर्म को धारा 80 जी, 80 जीजीए, 80 जीजीसी , 80आई.ए, 80 आई.ए.बी., 80 आई, ए.सी. 80 आई.बी. 80 आई.बी.ए. 80 आई.सी., 80 आई.ए., 80 जे.जे.ए., 80 जे. जे.ए.ए., की कटौतियॉ आयकर के प्रावधानों के अनुसार मिलती है।
6. अंतिम राशि कुल आय होगी और इस पर कर लगेगा ।

14.14 फर्म का कर दायित्व

यदि फर्म का कर निर्धारण फर्म की भॉति हुआ है तो फर्म की कुल आय पर सम्बन्धित वर्ष के वित अधिनियम द्वारा निर्धारित दरों से आयकर गणना की जाएगी।

1. फर्म की कुल आय पर निम्नलिखित दरों से आयकर लगता है –

क– अल्पकालीन पूंजी लाभ पर 15 प्रतिशत

ख– दीर्घकालीन पूंजी लाभ पर 20 प्रतिशत

ग– लाटरी ,रेस आदि पर 30 प्रतिशत

घ– उपरोक्त के अतिरिक्त कुल आय पर 30 प्रतिशत

2. यदि कुल आय एक करोड़ से अधिक है तो कर राशि पर 10 प्रतिशत सरचार्ज
3. कर राशि तथा सरचार्ज जोड़कर आई राशि पर 4 प्रतिशत सैस
4. देय कुल कर
5. फर्म की करयोग्य आय पर न्यूनतम वैकल्पिक कर के प्रावधान लागू होगें।

14.15 फर्म पर वैकल्पिक न्यूनतम कर

एक फर्म (सीमित दायित्व फर्म सहित) 18.5 प्रतिशत की दर से वैकल्पिक न्यूनतम कर देने के लिए दायी होती है।

1. वैकल्पिक न्यूनतम कर = समायोजित कुल आयX19.24%

19.24% = 18.5 % + 2% EC + 1% SHEC + 1 %

अथवा

2. यदि समायोजित कुल आय 1 करोड़ रुपये से अधिक है तो वैकल्पिक न्यूनतम कर = समायोजित
कुल आय x 21.164%

21.164% = 18.5% + 10% + 2% EC + 1% SHEC + 1%

समायोजित कुल आय का निर्धारण निम्न प्रकार किया जाता है –

कुल आय सामान्य नियमों के अनुसार	XX
जमा : धारा 80 एच से 80 आर.आर.डी. तक क्लेम कटौतियॉ	X X
जमा : धारा 10 ए.ए. में क्लेम कटौतियाँ	X X
जमा : धारा 35 एडी. (धारा 32 का ह्रास कम करके)	X X
समायोजित कुल आय	X X

– वैकल्पिक न्यूनतम कर = समायोजित कुल आय X 19.24% or 21.164%

एक फर्म (सीमित दायित्व वाली फर्म भी शामिल है) के द्वारा देय कर की राशि निम्नलिखित होगी ।

सामान्य प्रावधानों के अर्न्तगत गर्णित कर

अथवा

वैकल्पिक न्यूनतम कर

(दोनों में जो भी अधिक है)

14.16 कर जमा

1. यदि एक फर्म के द्वारा न्यूनतम वैकल्पिक कर का भुगतान किया जाता है जो कि उसके सामान्य कर से अधिक है तो इस आधिक्य को कर जमा (Tax Credit) कहा जाता है। कर जमा की इस राशि को आगामी दस कर–निर्धारण वर्षो में समायोजित/ पूरित किया जा सकता है। परन्तु यह पूर्ति उसी वर्ष की जा सकती है जिस वर्ष सामान्य कर वैकल्पिक कर से अधिक है तो उसी आधिक्य में से कर जमा राशि की पूर्ति की जा सकती है। दस कर निर्धारण वर्षो के बाद इसकी पूर्ति नहीं कर सकते
2. यदि किसी फर्म की कुल आय या समायोजित कुल आय दोनों एक ही है तब फर्म की न्यनूतम वैकल्पिक कर की गणना की आवश्यकता नहीं है और कुल आय पर 31.2 प्रतिशत की दर से कर लगेगा। (गत वर्ष 2017–18 में 30.9 प्रतिशत)

14.17 साझेदारों का व्यक्तिगत कर निर्धारण

साझेदारों के व्यक्तिगत कर–निर्धारण को निम्नलिखित रुप से समझा जा सकता है –

1. साझेदार को प्राप्त या देय वेतन, कमीशन, बोनस या पारिश्रमिक यदि वैधानिक सीमा धारा 40 बी में है, तो ऐसी आय उस साझेदार की व्यक्तिगत आय होगी और उस व्यक्तिगत आय व्यापार एवं पेशे शीर्षक में करयोग्य होगी। परन्तु यदि वैधानिक सीमा से अधिक है और यह आधिक्य राशि फर्म की कुल आय की गणना करते समय स्वीकृत कटौती नहीं है तब साझेदार को ऐसी आधिक्य राशि पर आयकर नहीं चुकाना ।
2. साझेदार को फर्म देय ब्याज 12 प्रतिशत की दर तक सम्बन्धित साझेदार की व्यक्तिगत कर योग्य आय में जोड़ा जाता है । यदि 12 प्रतिशत से अधिक राशि है और यह आधिक्य कटौती के रुप में स्वीकृत नहीं है, तो यह आधिक्य साझेदार की आय नहीं मानी जाती है।
3. साझेदार को फर्म से प्राप्त वेतन, बोनस, कमीशन या किसी अन्य प्रकार पारिश्रमिक साझेदार की व्यापार एवं पेशा शीर्षक में करयोग्य आय होगी।
4. साझेदार को अपनी मकान सम्पत्ति फर्म को किराये पर देने से जो किराया मिलता है वह मकान सम्पत्ति शीर्षक में कर योग्य होगा ।
5. फर्म से प्राप्त लाभों का भाग उसी व्यक्तिगत कर निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा।
6. एक साझेदार को फर्म से प्राप्त विभिन्न सुविधाओं का मूल्यांकन उसकी आय में नहीं जोड़ा जाता क्योंकि फर्म को काई भी उसकी कटौती नहीं मिलती ।
7. एक साझेदार को फर्म से प्राप्त कर योग्य आय से कुछ कटौतियों का अधिकार प्राप्त है। उदाहरण के लिए उधार प्राप्त की गयी राशि का ब्याज, साझेदार द्वारा फर्म को अपनी पूँजी की कमी पर देय ब्याज आदि ।

14.18 साझेदारी फर्म के रुप में कर–निर्धारण होने वाली फर्म के व्यावहारिक प्रश्न

उदाहरण 01–

अनिल, विनोद एवं चंपक एक व्यापारिक फर्म में बराबर के साझेदार हे। साझेदारी संलेख के प्रावधानों के अनुसार तीनों साझेदार प्रतिमाह 15,000 रु. वेतन पाते है । साझेदारों को 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज क्रमशः रु. 3,600, रु. 5,400, रु. 4,500 है। कर निर्धारण वर्ष 2018–19 के लिए वेतन एवं ब्याज घटाने के बाद शुद्ध लाभ रु. 4,70,000 ।

कर निर्धारण वर्ष 2018–19 के लिए फर्म के पुस्तकीय लाभों की गणना कीजिये ।

हल

पुस्तकीय लाभ की गणना

लाभ–हानि खाते के अनुसार शुद्ध लाभ	रु. 4,70,000
जमा : वेतन 15,000 X 12 X 3	रु. 5,40,000
जमा : 12 प्रतिशत से अधिक ब्याज	

अनिल 3,600X 6/18	1,200			
विनोद 5,400X 6/18	1,800			
चपक 4,500X 6/18	1,500	4,500		....
		पुस्तकीय लाभ		रु. 10,14,500

<u>उदाहरण 02–</u>

नेहा, अनुपम, एवं अनुराधा एक फर्म मे साझेदार हैं। 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष को शुद्ध लाभ 1,99,750 रुपये है (निम्नलिखित को डेविट करने के पश्चात)

1. नेहा एवं अनुपम को 45,000 रुपये और 35,000 रुपये वेतन के रुप में दिए गए।
2. बोनस अनुराधा को मिला रु. 15,000–00
3. नेहा को 20 प्रतिशत की दर से पूंजी पर ब्याज रु. 8,000
4. अनुपम को व्यावसायिक संस्थान के किराये के रुप में 15,000 रुपये मिले ।
5. अनुराधा को कमीशन के 8,000 रुपये मिले ।

पुस्तकीय मूल्य एवं कुल आय की गणना कीजिये

<u>हल</u>

<u>पुस्तकीय लाभ की गणना</u>

शुद्ध लाभ	1,99,750
जमा :	
नेहा एवं अनुपम को वेतन रु. 45,000 + रु. 35,000	80,000
अनुराधा को बोनस	15,000
नेहा को 12 प्रतिशत से अधिक का पूंजी पर ब्याज (8,000 X 8/20)	3,200
अनुराधा को कमीशन	8,000
पुस्तकीय मूल्य	3,05,950

घटाओ –

साझेदारों को पारिश्रमिक :

प्रथम 3,00,000 रु. का 90 प्रतिशत अथवा 1,50,000 रु. दोनों में जो ज्यादा है = 2,70,000

अगले 5950 रु. का 60 प्रतिशत = 3,570

= 2,73,570

रु. 2,73,570 अथवा रु. 1,03,000 दोनों में जो कम है।

अतः कुल आय : 3,05,950 – 1,03,000 = रु. 2,02,950

उदाहरण 03–

एक चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट फर्म का आय व्यय खाता निम्न है –

व्यय	रु.	आय	रु.
कार्यालय व्यय	90,000	अंकेक्षण फीस	72,000
ह्रास	25,000	कर सुझाव फीस	69,000
साझेदारों को ब्याज	12,000		
साझेदारों को पारिश्रमिक	72,000	शुद्ध हानि	58,000
	1,99,000		1,99,000

अन्य सूचनायें –

1. कार्यालय व्यय में धारा 36, 37 (1) के अनुसार रु. 16,000 कटौती योग्य नहीं है।
2. ह्रास धारा 32 के अनुसार रु. 35,000 है।
3. धारा 40 बी के अनुसार ब्याज रु. 2,000 तक अनुमन्य नहीं है। साझेदारों को देय कटौती योग्य पारिश्रमिक की गणना करें ।

हल

धारा 40 बी में पुस्तकीय लाभ की गणना रु.

शुद्ध हानिः	58,000	
जमा : कार्यालय व्यय जो कटौती योग्य नहीं है	16,000	
पूंजी पर ब्याज	2,000	
साझेदारों को पारिश्रमिक 72,000 90,000	32,000	
घटाये : ह्रास (35,000 – 25,000)		रु. 10,000
पुस्तकीय लाभ		रु. 22,000

साझेदारों को पारिश्रमिक –

रु. 22,000 को 90 प्रतिशत अथवा रु. 1,50,000 दोनों में जो अधिक 1,50,000

अतः पारिश्रमिक रु. 1,50,000 अथवा डीड के अनुसार 72,000

दोनों में जो कम है अतः साझेदारों को पारिश्रमिक रु. 72,000 होगा ।

उदाहरण 04–

एक्स,वाई एवं जैड एक साझेदारी फर्म में 3 : 2 : 1 के साझेदार हैं फर्म के शुद्ध लाभ रु. 1,90,000 है । यह लाभ निम्नलिखित डेबिट करने के बाद है।

1–जैड को रु. 10,000 वेतन

2–एक्स को रु. 3,000 कमीशन

3–पुण्यार्थ संस्था को दान रु. 4,000

उपरोक्त शुद्ध लाभ में रु, 12,000 सरकारी प्रतिभूतियों पर व्याज शामिल है। फर्म के व्यापारिक लाभ की गणना करें ।

हल

फर्म के व्यापारिक लाभ की गणना			रु.
शुद्ध लाभ			1,90,000
जमा : जैड को वेतन		10,000	
एक्स को कमीशन	3,000 =		13,000
			2,03,000
जमा : पुण्यार्थ संस्था को दान			4,000
:			2,07,000
घटाओ : सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज			12,000
		पुस्तकीय लाभ	2,19,000

साझेदारों को पारिश्रमिक

1. जैड को वेतन रु. 10,000 + एक्स को कमीशन रु. 3,000 = रु. 13,000
2. पुस्तकीय लाभ रु, 2,19,000 का 90 प्रतिशत अथवा डीड के अनुसार रु, 13000 दोनों में जो अधिक है अर्थात रु. 1,97,100 ।

अतः उपरोक्त एक एवं दो में जो कम है ।

रु. 13,000 ही साझेदारों को पारिश्रमिक मान्य होगा ।

अतः व्यापारिक लाभ =रु. 2,19,000 – रु, 13,000 = रु, 2,06,000–00

उदाहरण 05–

अ, ब, एवं स एक फर्म में 2 : 2 : 1 के क्रमशः साझेदार हैं उनका लाभ हानि खाता निम्न प्रकार का है

लाभ हानि खाता (31 मार्च 2018 को समाप्त वित वर्ष)

व्यय	रु.	आय	रु.
व्यापारिक खर्च	1,42,000	निबल लाभ	6,74,000
पूंजी पर ब्याज 18 प्रतिशत की दर से		प्रतिभतियों पर ब्याज	26,000
अ 18,000			
ब 9,000			
स 9,000	36,000		
ब को मकान किराया	40,000		
ब को वेतन	1,08,000		
स को कमीशन	48,000		
शुद्ध लाभ	3,26,000		–––––
	7,00,000		7,00,000

उपरोक्त फर्म की कुल आय अ,ब,एवं स की करयोग्य आय की गणना कीजिये । ब एवं स कार्यशील साझेदार है।

हल

फर्म के कुल आयकी गणना			रु.
व्यापार एवं पेशा से आय			
शुद्ध लाभ			3,26,000
जमा :	12 प्रतिशत से अधिक पूंजी पर ब्याज		
अ रु. 6,000			
ब रु. 3,000			
स रु. 3,000		12,000	
	ब को वेतन	1,08,000	
	स को कमीशन	48,000	1,68,000
			4,94,000
घटाओं :	प्रतिभूतियों पर ब्याज		26,000
		पुस्तकीय लाभ	4,68,000

घटाओ : कार्यशील साझेदार ब एवं स को पारिश्रमिक

प्रथम –	रु. 3,00,000 का 90 प्रतिशत	2,70,000
अगले	रु. 1,68,000 का 60 प्रतिशत	1,00,800
		3,70,800

अथवा

डीड के अनुसार (1,08,000 + 48,000) = 1,56,000 1,56,000

दोनों में कम हो वही मान्य कटौती है।

व्यापारिक लाभ 3,12,000

साझेदारों अ,ब,स की व्यापारिक शीर्षक में कर योग्य आय

	अ	ब	स
पूंजी पर ब्याज	12,000	6,000	6,000
ब को वेतन	––	1,08,000	––
स को कमीशन	––	––	48,000
व्यापारिक कर योग्य आय	12,000	1,14,000	54,000

उदाहरण 06–

कृतिका एवं निहारिका एण्ड कम्पनी का 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वित वर्ष का लाभ हानि खाता निम्न है

विवरण	रु.	विवरण	रु.
स्टाक प्रारम्भिक	70,000	विक्रय	6,80,000
कच्चा माल	2,00,000	मकान सम्पत्ति का	32,000
पेनल्टी	60,000	किराया	36,000
कार्यालय व्यय	76,000	स्टॉक अंतिम	
विक्रय व्यय	28,000		
साझेदारों को ब्याज	36,000		
शुद्ध लाभ	2,78,000		
	7,48,000		7,48,000

1– साझेदारों को ब्याज 6 प्रतिशत की दर से बराबर पूंजी पर दिया गया।

2. अवैधानिक खरीद एवं बेच के कारण पेनल्टी दी गई

3. साझेदारों को पारिश्रमिक कृतिका को 1,50,000 रुपये एवं निहारिका को 1,20,000 रुपये दिया गया। यह राशि लाभ–हानि खाता में डेबिट नहीं की गई।

4. कृतिका एवं निहारिका दोनों बराबर के साझेदार हैं उनकी फर्म की एवं व्यक्तिगत कुल आय की गणना करें ।

हल–

नोट 1–मकान सम्पत्ति की आय –

मकान किराया	32,000 रुपये
घटाया (32,000 x 30 / 100)	9,600 रुपये
ए =	22,400 रुपये

नोट–2 व्यापारिक आय की गणना

	रुपये
शुद्ध लाभ	2,78,000
घटाया : मकान सम्पत्ति का किराया	32,000
	2,46,000
जमा पेनल्टी	60,000
पुस्तकीय लाभ	3,06,000

घटाया : साझेदारों के पारिश्रमिक

रु. 3,00,000 का 90 प्रतिशत या 1,50,000 = रु 2,70,000

दोनों में जो अधिक = रु 2,70,000

रु. 6000 का 60 प्रतिशत = रु 3,600

= रु 2,73,000

अथवा डीड के अनुसार रु. 2,70,000 दोनों में जो कम है
वही मान्य कटौती है।

कटौती = रु 2,70,000 2,70,000

व्यापारिक लाभ 36,000

फर्म की करयोग्य आय की गणना

व्यापारिक लाभ	36,000
मकान सम्पत्ति	22,400
सकल कुल आय / आय	58,400

फर्म की कर की गणना

कर की राशि रु. 58,400X 30 / 100 =	रु. 17,520
जमा 3 प्रतिशत ईसी + एसएचईसी	रु. 526
कर देयता	रु. 18,046

Rounded Off Rs. 18,050

साझेदारों की कर योग्य आय की गणना

	कृतिका	निहारिका
ब्याज	18,000	18,000
पारिश्रमिक	1,50,000	1,20,000
फर्म का लाभ का हिस्सा कर मुक्त	——	——
कुल आय	1,68,000	1,38,000

उदाहरण 07 :

अमित, सन्त एवं पवन एक फर्म के साझेदार है। लाभ–हानि अनुपात बराबर है। अमित एवं पवन
दोनों कार्यशील साझेदार हैं

विवरण	रु.	विवरण	रु.
वेतन – अमित	60,000	शेष लाया गया	2,90,000
पवन	90,000	हानिः	
बोनस अमित	25,000	अमित 6,000	
पवन	35,000	सन्त 6,000	
पूंजी पर 10 प्रतिशत की दर से ब्याज		पवन 6,000	18,000
अमित	36,000		
पवन	36,000		

सन्त	18,000		
ऋण पर 8 प्रतिशत की दर से ब्याज			
अमित	4,000		
सन्त	4,000		
	3,08,000		
			3,08,000

फर्म की कुल आय एवं कर दायित्व की गणना कीजिये । साझेदारों की कुल आय की गणना करें ।

हलः–

रु.

शुद्ध लाभ या हानि		18,000
जमा : वेतन (रु.60,000 + रु.90,000)		1,50,000
बोनस (रु.25,000 + रु.35,000)		60,000
पूंजी पर ब्याज (रु.12,000 + रु.12,000 + रु.6,000)	30,000	2,40,000
पुस्तकीय लाभ		रु. 2,22,000

घटाया : पारिश्रमिक

1. वास्तविक पारिश्रमिक (रु.60,000 + रु.90,000 + रु.25,000 + रु.35,000) = रु.2,10,000

2. रु.1,50,000 अथवा (रु.2,22,000 X90 / 100) = रु.1,99,800

   दोनों में जो अधिक है अर्थात रु.1,99,800

   उपरोक्त 1 और 2 दोनों में जो कम है कटौती योग्य 1,99,800

व्यापारिक लाभ 22,200

साझेदारों की कर योग्य आय

		अमित	सन्त	पवन
वेतन एवं बोनस (नोट –1)	85 : 125	80,871	––	1,18,929
पूंजी पर ब्याज		24,000	24,000	12,000
ऋण पर ब्याज		4,000	4,000	––
कर योग्य आय		1,08,871	28,000	1,30,929

फर्म की कर देयता

रु.22,200 पर 30 प्रतिशत की दर से	रु 6,660
जमा 3 प्रतिशत	रु 200
कुल देय कर	रु. 6,860

उदाहरण 08

प्रवीन, अंशु, एवं मनोज एक फर्म में 3 : 2 : 1 के साझेदार हैं 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ–हानि खाता निम्न राशियों को घटाने के बाद रु. 15,00,000 शुद्ध लाभ को प्रदर्शित करता है –

1. प्रवीन को वेतन रु. 80,000/–
2. प्रवीन के स्वामित्व वाले भवन का किराया रु. 60,000/– कार्यालय हेतु
3. प्रवीन, अंशु, एवं मनोज को कमीशन क्रमशः 20,000, रु. 35,000 एवं रु. 70,000/
4. प्रवीन अंशु, एवं मनोज को 20 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज राशि क्रमशः रु. 15,000, रु. 25,000 एवं रु, 35,000/–
5. मनोज को बोनस रु. 50,000/–
6. प्रवीन को भवन की मरम्मत एवं नवीनीकरण पर व्यय रु. 20,000/– (फर्म की मरम्मत एवं नवीनीकरण की कोई जिम्मेदारी नहीं है।)
7. मनोज की पत्नी के ऋण पर ब्याज रु. 30,000/–
8. प्रवीन का लड़का चार्टड एकाउन्टेन्ट है उनको अंकेक्षण शुल्क रु. 20,000/– दिया ।
9. अंशु को उसकी टैक्सी का किराया रु. 25,000/ अंशु अपनी पृथक रुप से टैक्सी चलाते हैं फर्म के कार्यो को करने के लिए अंशु की टैक्सी सेवाएं भाडे पर ली थी।
10. फर्म द्वारा अनुमोदित संस्थाओं एवं स्वच्छ गंगा कोष को क्रमशः रु. 8,000 एवं 5,000 का दान दिया।
11. फर्म की 15,00,000 की आय में सरकारी प्रतिभूतियों का ब्याज 45,000 रु. शामिल है।

फर्म की कुल आय एवं कर दायित्व की गणना कीजिये ।

फर्म की करयोग्य आय की गणना

	रु.	रु.
शुद्धलाभ		15,00,000
जमा प्रवीन को वेतन	80,000	
प्रवीन, अंशु मनोज को कमीशन	1,25,000	
12 प्रतिशत से अधिक पूंजी पर व्याज	30,000	
मनोज को बोनस	50,000	
प्रवीन को भवन मरम्मत	20,000	
दान	13,000	3,18,000

18,18,000		
घटा – प्रतिभूतियों पर ब्याज	45,000–00	45,000
		17,73,000
घटा –साझेदारों को पारिश्रमिक		
1–प्रथम रु. 3,00,000 X 90 / 100 अथवा रु. 1,50,000		
दोनों में जो अधिक है	=	2,70,000
शेष रु. 14,73,000 X 60 / 100	=	8,83,800
	=	11,53,800
अथवा		
2– वास्तविक पारिश्रमिक		
रु.80,000 + 1,25,000 + 50,000 = 2,55,000		2,55,000
एक या दो दोनों में जो कम है		
फर्म का व्यावसासिक लाभ		15,18,000
फर्म की अन्य साधनों से आय सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज		45,000
फर्म की सकल कुल आय 15,18,000 + 45,000 =		15,63,000
घटाया : 80 जी – 50 प्रतिशत 8,000/– का	4,000	
100 प्रतिशत 5,000/– का	5,000	9,000
कुल आय		15,54,000

कर की गणना

रु. 15,54,000 X 30 / 100	4,66,200
जमाः रु. 4,66,200 X 3 / 100	13,986
कुल कर देयता	रु. 4,80,186

वैकल्पिक न्युनतम कर –

रु. 15,54,000 X 20,96 05 / 100 = रु. 3,25,726

सामान्य कर से कम है। अतः फर्म सामान्य कर का भुगतान करेगी ।

14.19 फर्म की हानियों का व्यवहार एवं उनके व्यावहारिक प्रश्न

फर्म की हानियों को पूरित करने एवं आगे ले जाने वाले विभिन्न प्रावधानों का विवरण पूर्व में दिए गए अध्याय '' हानियों की पूरित एवं आगे ले जाना '' में दी गई है। संक्षेप में, एक ही शीर्षक के अर्न्तगत किसी एक स्त्रोत से पूरा किया जा सकता है। इसी प्रकार एक शीर्षक की हानि पुंजी हानि को छोड़कर उसी कर–निर्धारण वर्ष में किसी अन्य शीर्षक की आय से पूरा किया जा सकता है। कुछ अपवादों को ध्यान में रखना आवश्यक हे। जैसे पूंजी हानि को केवल पूंजी लाभों से पूरित किया जा सकता है।

यदि साझेदारों को वेतन एवं ब्याज देने के बाद व्यापारिक हानि होती है तो ऐसी हानि फर्म की अन्य शीर्षकों की आय से पूरी कर ली जायेगी। अपूरित हानि यथा नियमानुसार आगे जाएगी। यदि फर्म में साझेदारों को ब्याज एवं वेतन आदि देने से पूर्व ही हानि है तो भी साझेदारों को ब्याज एवं वेतन का भुगतान किया जायेगा तथा ब्याज एवं वेतन भुगतान के बाद व्यापारिक हानि ज्ञात की जायेगी ।

<u>उदाहरण 09</u>

निम्न सूचनाओं के आधार पर व्यापारिक फर्म की कुल करयोग्य आय ज्ञात कीजिये –

साझेदारों को वेतन एवं ब्याज चुकाने से पूर्व शुद्ध हानि	रु 21,000
साझेदारों को 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से चुकाया ब्याज	रु. 20,000
तीनों साझेदारों को दिया गया वेतन	रु. 90,000

<u>हल</u>

<u>फर्म की कुल आय की गणना</u>

शुद्ध हानि	रु.. 21,000
घटा : पूंजी पर ब्याज 12 प्रतिशत	रु. 20,000
पुस्तकीय हानि	रु. 41,000
घटा : वेतन रु. 90,000 अथवा रु. 1,50,000	रु. 90,000
हानि आगे ले जाई जायेगी	रु,1,31,000

फर्म का कर दायित्व शून्य होगा ।

14.20 साझेदारी फर्म के वैकल्पिक न्युनतम कर के व्यावहारिक प्रश्न

एक साझेदारी फर्म के वैकल्पिक न्यूनतम कर भुगतान के प्रावधान निम्नलिखित है –

1. साझेदारी फर्म की कुल आय ज्ञात करना
2. समायोजित कुल आय की गणना करना
3. वैकल्पिक न्यूनतम कर के लिए कर जमा
4. कर जमा राशि को पूरित करना
5. नियमित आयकर अथवा वैकल्पिक न्यूनतम कर की राशि में परिवर्तन

<u>उदाहरण 10 –</u>

लाभ हानि खाते द्वारा शुद्ध लाभ		10,56,000
जमा : अस्वीकृत व्यय		51,000
आधिक्य ह्रास		24,000
		11,31,000
घटाया धारा 10 ए ए	4,98,000	
धारा 10 बी	54,000	5,52,000
व्यापारिक आय		5,79,000
मकान– दीर्घकालीन पूंजी लाभ		90,000
भारतीय कम्पनी लाभांश रु. 3,00,000		कर मुक्त
सकल कुल आय		6,69,000

घटाया धारा 80 जी	4,800	
धारा 80 आई बी	70,200	75,000
	कुल आय	5,94,000

सामान्य प्रावधान के अनुसार कर की गणना

दीर्घकालीन पूंजी लाभ 90,000 x 20 / 1100	=	18,000
5,04,000 पर 30 प्रतिशत की दर से	=	1,51,200
	=	1,69,200
जमा 1,69,200 x 3 / 100	=	5,076
	=	1,74,276

समायोजित कुल आय की गणना

कुल आय		5,94,000
जमा : धारा 10 ए ए	रु. 4,98,000	
धारा 80 आई बी	रु. 70,200	रु 5,68,200
		रु.11,62,200

न्युनतम वैकल्पिक कर की गणना

11,62,200 x18.5 / 100	=	2,15,007
जमा : 2,15,007 x 3 / 100	=	6,450
	=	2,21,457

न्युनतम वैकल्पिक कर, सामान्य कर से अधिक है।

अतः कर देय रु. 2,21,457

कर जमा राशि = 2,21,457 – 1,74,276 = रु 47,181

14,21 साझेदारी फर्म जिसका कर निर्धारण एक व्यक्तियों के समुदाय के रुप में किया हो

व्यक्तियों के संघ या समुदाय का आयकर अधिनियम में कोई परिभाषा नहीं दी गई है। परन्तु इसका आशय है कि जब दो या दो से अधिक ऐसे व्यक्तियों का समूह ,जिसका उददेश्य लाभ कमाना अथवा किसी सम्पत्ति को प्राप्त करना या किसी विशेष कार्य के उददेश्य के संगठन से है परन्तु इसमें फर्म हिन्दू अविभाजित परिवार, सहकारी समिति या कम्पनी शामिल नहीं है। अन्य शब्दों में, दो या अधिक व्यक्ति किसी विशिष्ट उददेश्य या कार्य के साथ लाभ/आय कमाना है। इसमें दो बातें मुख्य रूप से ध्यान देने योग्य है –

1. समुदाय के प्रत्येक सदस्य का भाग निश्चित हो ।
2. समुदाय में फर्म अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार ना हो ।

एक फर्म का कर निर्धारण व्यक्तियों के समूह के रुप में निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जाता है –

1. यदि फर्म का साझेदारी प्रलेख नहीं है।
2. यदि फर्म के साझेदारों का लाभ–हानि का भाग, साझेदारी प्रलेख में स्पष्ट नहीं है।
3. फर्म के प्रथम कर–निर्धारण के समय फर्म के आय विवरण के साथ साझेदारी संलेख की प्रमाणित प्रति संलग्न न की हो ।
4. फर्म के संगठन में परिवर्तन होने के बाद, आने वाले प्रथम कर–निर्धारण वर्ष के आय–विवरण के साथ सरिवर्तित संलेख की ।
5. जब निम्न भूलों या चूकों के कारण कर–निर्धारण अधिकारी ने फर्म का सर्वोत्तम निर्णय कर–निर्धारण करने का निर्णय कर लिया हो –

- मूल आय विवरण दाखिल करने में त्रुटि करना तथा विलम्व से या संशाधित आय–विवरण दाखिल ना करना ।
- फर्म द्वारा धारा 142 (1) के अर्न्तगत निर्गत नोटिस के बाद आय–विवरण दाखिल करने में या खाता पुस्तकें प्रस्तुत करने में अथवा मांगे गए प्रपत्र या सूचनायें प्रस्तुत करने में त्रुटि करना ।
- धारा 142 (2–ए) के अर्न्तगत अपेक्षित होने पर भी फर्म द्वारा अपने खातों का अकेक्षण कराने में त्रुटि करना ।
- धारा धारा 143 (2) के अर्न्तगत निर्गत नोटिस के द्वारा दाखिल किए गए आय–विवरण के सम्बन्ध में मांगे गए साक्ष्य प्रस्तुत करने में त्रुटि करना ।

<u>व्यक्तियों के संघ या व्यक्तियों के समुदाय के कर–निर्धारण</u>

1. व्यक्तियों के संघ की कुल आय की गणना करने में शीर्षक बार कर निर्धारण किया जाता है।

- शीर्षक बार आय की गणना करना ।
- व्यापार अथवा पेशा की गणना उसी प्रकार की जाती है जिस प्रकार फर्म की गणना की जाती है। परन्तु साझेदारों / सदस्यों को ऋण, पूंजी अथवा उधार पर चुकाया गया ब्याज स्वीकृत कटौती नहीं है। इसके साथ ही उनको चुकाया गया वेतन, बोनस, पारिश्रमिक, कमीशन भी स्वीकृत कटौती नहीं है।
- ऐसा संघ, जिनका कर–निर्धारण 1992–93 कर– निर्धारण वर्षो तक अपंजीकृत फर्म की तरह किया जाता था, की आगे लाई गयी हानियां या कटौतियां 1993–94 कर निर्धारण वर्ष अथवा अगले कर निर्धारण वर्ष की कुल आय से धारा 70 से 74–ए के प्रावधानों के अर्न्तगत पूरित की जाएगी। ऐसे समायोजन अथवा पूर्ति के बाद बची आय से ही सकल कुल आय है।
- सकल कुल आय में से धारा 80 जी, 80 जी.जी.ए., 80 जी.जी.सी. 80 आई. ए., 80 आई. ए.बी, 80 आई बी. ,80 आई.सी. 80 आई.डी., 80 आई.ई. 80 जे.जे.ए. की कटौतियॉ ,जो भी हो, दी जाती है।
- शेष बची आय व्यक्तियों के समुदाय या संघ की कुल आय है।

2. संघ का कर दायित्व निर्धारित करना संबंधी नियम निम्न है –

- जब सदस्यों का भाग निर्धारित है तब संघ की कुल आय पर एक व्यक्ति की तरह ही आय–कर की गणना की जाएगी। परन्तु यदि संघ के किसी भी एक सदस्य की न्यूतम कर योग्य सीमा अर्थात रु. 2,50,000/ से अधिक है तो समुदाय या संघ की कुल आय पर अधिकतम सीमावर्ती दर से आय–कर लगाया जाएगा अर्थात 30 प्रतिशत की दर से ।
- यदि सदस्यों का भाग निर्धारित नहीं है, तब फर्म की कुल आय पर अधिकतम सीमावर्ती दर से आय–कर लगाया जाएगा ।

3. संघ की आय का वितरण निम्न प्रकार से सदस्यों में किया जाएगा ।

- व्यापार अथवा पेशे के लाभों को छोड़कर शेष सभी शीर्षकों की आय पृथक – पृथक रुप से प्रत्येक सदस्य में उसके लाभ–हानि के अनुपात में वितरित कर दी जाती है।
- व्यापार अथवा पेशे के लाभों या आय का वितरण निम्न प्रकार से किया जाता है –

क. प्रत्येक साझेदर को देय या प्राप्त वेतन, व्याज, बोनस, कमीशन अथवा पारिश्रमिक सर्वप्रथम उसकी आय में जोड़ दिया जाता है।

ख. व्यापार अथवा पेशे शीर्षक की आय में से उक्त वेतन, ब्याज, बोनस, कमीशन अथवा पारिश्रमिक के योग को घटाकर, जो आय बचती है,उस आय को प्रत्येक साझेदार में उसके लाभ–हानि के अनुपात में वितरित कर दिया जाता है।

ग. यदि किसी शीर्षक में बची आय हानि है, तो ऐसी हानि भी सदस्यों में लाभ–हानि अनुपात में वितरित की जाएगी जिसे उसी शीर्षक की अन्य आय से पूरा किया जायेगा ।

घ. यदि किसी सदस्य ने समुदाय या संघ में पूंजी लगाने के लिए ऋण लिया हो, तो उस ऋण पर देय ब्याज को उस साझेदार की समुदाय या संघ से अर्जित व्यापार अथवा पेशे की आय के भाग में घटा दिया जायेगा ।

च. यदि फर्म को धारा 80 की कटौतियॉ स्वीकृत हो गयी है तो उसके सदस्यों को उन सम्बन्धित धाराओं में कटौती नहीं मिलेगी ।

4. संघ के सदस्यों का कर–निर्धारण होकर कर दायित्व का निर्धारण इस बात पर निर्भर करेगा कि संघ या फर्म पर कर किस प्रकार लगा है। उस पर सामान्य दर से कर लगा है अथवा अधिकतम सीमान्त दर से ।

- यदि संघ की कुल आय पर आय–कर नहीं लगा है, तो इसके सदस्यों का संघ की आय में भाग, उसकी कुल आय में जोड़ दिया जायेगा और उस पर आय–कर लगाया जाएगा ।
- यदि संघ की कुल आय पर सामान्य दरों से आय–कर लगाया गया है तो इसके सदस्यों का इसी आय में भाग उनके व्यक्तिगत कर–निर्धारण में उनकी कुल आय में जोड़ दिया जाएगा तथा तदनुसार उस पर आय–कर लगेगा । किन्तु ऐसे सदस्यों को संघ की अपने हिस्से की आय पर आयकर की औसत दर से आयकर की छूट पाने की स्वीकृति है।

• यदि संघ पर अधिकतम सीमान्त दर या अधिक दर से आय कर लगा है तो सदस्य को प्राप्त लाभ का भाग उस सदस्य की कुल आय में नहीं जोड़ा जाएगा ।

उदाहरण 11

सार्थक, सोनू, संचित लिमिटेड एक फर्म जो व्यक्तियों का समुदाय है में साझेदार है। संचित लिमिटेड एक घरेलू कम्पनी है। लाभ हानि अनुपात 1 : 2 : 2 है। कर योग्य आय रु. 2,60,000/– सार्थक सोनू की आय रु. 2,50,000/. से अधिक है। फर्म की देय कर की गणना कीजिये ।

हल–

1. फर्म की आय का बंटवारा लाभ–हानि अनुपात के अनुसार
   सार्थक – रु. 52000/, सोनू रु. 1,04,000, संचित लि0 – रु. 1,04,000
2. संचित लिमिटेड वाली राशि पर कर = 1,04,000 X 30/100 = 31,200
3. सार्थक वाले हिस्से पर कर = 52,000 X 30/100 = 15,600
4. सोनू वाले हिस्से पर कर 1,04,000 X 30/100 = 31,200
5. फर्म का कुल कर 31,200 + 15,600 + 31,200 = 78,000
6. फर्म की कुल कर देयता 78,000 + 78,000 X 3/100 = 80,340

उदाहरण 12

विभोर, अरनव, सौम्य लिमिटेड एक FAOP के साझेदार हे। लाभ–हानि अनुपात 4 : 3 : 3 है।इनकी व्यक्तिगत आय क्रमशः 26,000 रु., 14,000 रु., एवं शून्य है।फर्म की कर योग्य आय रु. 2,80,000/ है जिसमें दीर्घकालीन पूंजी लाभ के 40,000/ रुपये शामिल है।

1. फर्म की कर देयता की गणना करें ।
2. यदि सौम्य लिमिटेड के स्थान पर सौम्य फर्म का साझेदार होता तो फर्म की स्थिति क्या होती

फर्म की कर की गणना

हल (अ)

	विभोर	अर्णव	सौम्य लिमिटेड
दीर्घकालीन पूंजी लाभ रु. 40,000/			
(4 : 3 : 3) अनुपात में	16,000	12,000	12,000
अन्य आय 2,80,000 – 40,000 =2,40,000/–	96,000	72,000	72,000

अन्य आय के अर्न्तगत सौम्य लिमिटेड पर 30 प्रतिशत की दर से कर–योग्य होगा। क्योंकि घरेलू कम्पनी की कर दर 30 प्रतिशत हे। परिणाम स्वरूप FAOP की कर देयता होगी –

72,000 X 30/100	21,600
40,000 X 20/100 (दीर्घकालीन पूंजी लाभ)	8,000
1,68,000 X30/100 (अन्य आय)	50,400
सकल कर देयता	80,000

जमा उप कर (80,000 x 3 / 100)	2,400
फर्म की कुल कर देयता	82,400

ब– यदि सौम्य लिमिटेड के स्थान पर सौम्य फर्म का साझेदार होता है –

दीर्घकालीन पूंजी लाभ पर 30,000 x 20 / 100	6,000
करमुक्त आय 2,50,000 / रु.	शून्य
	6,000
जमा शिक्षा, माध्यमिक, उच्च शिक्षा उपकर	
6,000 x 3 / 100	180
कुल कर देयता	6,180

साझेदारों के मध्य आय का बंटवारा

कुल आय	2,80,000
घटाओ – फर्म का कर	6,180
	2,73,820

रु. 2,73,820 तीनों के मध्य 4 : 3 : 3 के अनुपात में बांटे जाएगें

विभोर 1,09,528

अर्णव 82,146

सौम्य 82,146

इन तीनों की व्यक्तिगत आय में ये जोड़ी जायेगी तथा आयकर की औसत दर से आयकर की कटौती प्रदान की जायेगी

14.22 सारांश

साझेदारी एवं सीमित दायित्व साझेदारी पर कर की गणना विधि एक जैसी है। परन्तु फर्म को PFAS or PFAOP की तरह कर–निर्धारण किया जाता है। यदि साझेदारी संलेख पर निर्धारित मापदंडों एवं प्रावधानों का पालन होने पर PFAS अन्यथा PFAOP की तरह कर–निर्धारण एवं कर की गणना की जाएगी। इसी पर यह आधारित होगा कि साझेदारों को भी किस प्रकार इस आय को सम्मिलित करना होगा। विस्तृत रुप से प्रावधानों को उदाहरण के साथ पाठ में समझाया गया है।

14.23 शब्दावली

निर्दिष्ट साझेदारः जिसकी सहमति ली गई

साझेदारीः दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा लाभ–हानि का बंटवारा करने के उददेश्य से सहमति करना

सीमित दायित्वः जिसकी देयता सीमित है।

पूंजी : जिस राशि को साझेदार फर्म में पूंजी के बतौर लगाता है।

14.24 बोध प्रश्न

निम्न कथन सत्य है या असत्य

1. कार्यशील साझेदार को कोई भी पारिश्रमिक नहीं दिया जा सकता ।
2. फर्म की हानियों को साझेदार व्यक्तिगत आय से पूरित नहीं कर सकता ।
3. फर्म PFAS पर सामान्यतः एक व्यक्ति करदाता वाली दरें लागू होती है।
4. सीमित साझेदारी में साझेदारों के दायित्व सीमित होते है।
5. कर जमा की अवधि केवल एक वर्ष है।
6. व्यक्तियों के समुदाय को केवल 30 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाता है।
7. साझेदारों को PFAS फर्म में डीड में 5 प्रतिशत ब्याज पूंजी पर होने पर भी फर्म को 15 प्रतिशत की कटौती मिलती है।

14.25 बोध प्रश्नो के उत्तर

उत्तर– 1– असत्य 2– सत्य 3– असत्य 4– सत्य 5– असत्य 6– असत्य 7– असत्य

14.26 स्वपरख प्रश्न

1. फर्म के कर निर्धारण, आय कर अधिनियम में किस प्रकार होता है ?
2. सीमित दायित्व साझेदारी क्या है ? सीमित दायित्व साझेदारी के कर–निर्धारण किस प्रकार होता है
3. फर्म की कुल आय की गणना किस प्रकार की जाती है?
4. एक फर्म की कर दायित्व की गणना किस प्रकार की जाती है ?
5. फर्म की आय का साझेदारों में विभाजन के क्या प्रावधान है ?
6. कार्यशील साझेदार, धारा 40 बी के अर्न्तगत साझेदारों का पारिश्रमिक पर टिप्पणी लिखिये ।
7. वैकल्पिक न्यूनतम कर पर लेख लिखें उदाहरण सहित उत्तर लिखें ।
8. अ,ब,स बराबर के साझेदार हैं अ एवं ब कार्यशील साझेदार हैं इनको साझेदारी प्रलेख के अनुसार प्रत्येक को 25,000/ रु. प्रतिवर्ष वेतन मिलता है। सभी साझेदारों को 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का भुगतान किया जाता है। यह राशि क्रमशः 3,000 रु. 4,500 रु. एवं 4,000 रु. है। स ने अपना भवन फर्म को किराये पर उठा रखा है। जिसका उसे 2,000 रु. प्रतिमाह किराया मिलता है। वेतन के अतिरिक्त ब को 12,000 रु. बोनस पाने का अधिकारी हैं सभी साझेदारों को क्रमशः 8,000 रु., 10,000 रु., एवं 4,000 रु. कमीशन पाने का अधिकार है। लाभ–हानि खाते में नामित ह्रास 20,000रु. है तथा धारा 32 के अनुसार स्वीकृत ह्रास 25,000 रु. है तथा लाभ–हानि खाते में 18,000 रु. मनोरंजन व्यय डाले गए है। ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन घटाने के आद लाभ 30,000 रुपये है।
   फर्म की पुस्तकीय लाभ एवं कुल आय ज्ञात कीजिये ।

14.27 सन्दर्भ पुस्तकें

1. Singhania : Direct Taxes, Taxman, New Delhi. (2019).
2. मेहरोत्रा एच0सी0 एवं जोशी सीवएस0 : आय कर– कर निर्धारण वर्ष 2019–20, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा (2019) ।

इकाई–15 आयकर प्राधिकारी एवं कर निर्धारण की कार्यविधि

इकाई की रूपरेखा

15.1 प्रस्तावना
15.2 प्राधिकारी गण
15.3 नियुक्ति एवं नियंत्रण
15.4 प्रत्यक्ष करों के केन्द्रीय बोर्ड के अधिकार
15.5 कर निर्धारण अधिकारी
15.6 कर निर्धारण की कार्यविधि या प्रक्रिया
15.7 आयकर विवरणी दाखिल करने से संबंधित प्रावधान
15.8 आयकर विवरणी को दाखिल करने से अभिमुक्ति
15.9 आयकर विवरणी सत्यापित करने की विधि
15.10 स्थायी खाता संख्या (PAN)
15.11 आधार नंबर उद्घृत करने संबंधी कार्यविधि
15.12 कर निर्धारण के प्रकार
15.13 आयकर विवरणी दाखिल न करने पर अथवा देर से दाखिल करने पर ब्याज
15.14 सारांश
15.15 शब्दावली
15.16 बोध प्रश्न
15.17 बोध प्रश्नो के उत्तर
15.18 स्वपरख प्रश्न
15.19 सन्दर्भ पुस्तकें

उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप इस योग्य हो सकेंगे कि :

- आयकर प्राधिकारियों एवं कर–निर्धारण की अवधारणा तथा उसकी प्रक्रिया का वर्णन कर सकें।
- वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्राधिकारियों की भूमिका बता सकें।
- कर निर्धारण के कुछ सिद्धान्तों का विश्लेषण कर सकें।
- प्राधिकारियों की कार्योन्नति के महत्व एवं कर निर्धारण की सीमाओं के महत्व को बता सकें।
- विभिन्न प्रकार के प्राधिकारियों एवं कर निर्धारण के प्रकारों का वर्णन कर सकें।
- आयकर विवरणी को दाखिल करने के तरीके को जान सकें
- स्थायी खाता संख्या (PAN) तथा आधार संख्या के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकें।

- प्रत्यक्ष करों के केन्द्रीय बोर्ड के अधिकारों की समीक्षा कर सकें।
- कर निर्धारण प्रक्रिया के सापेक्षिक महत्व का वर्णन कर सकें।

15.1 प्रस्तावना

पिछली इकाइयों में हमने यह जाना कि आयकर से क्या तात्पर्य है और आयकर किसे देना होता है जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जिसकी पिछले वित्तीय वर्ष की कर–योग्य आय कर मुक्त सीमा से अधिक होती है, उसे चालू वित्तीय वर्ष में लागू रों से आय कर देना होता है।

यदि आय निर्धारित राशि से अधिक होती है तो आयकर लगता है। कर–मुक्त सीमा की आयकर पर कर नहीं लगता है। वर्ष 2018–19 के लिजये कर मुक्त सीमा है – वरिष्ठ नागरिकों के लिये 3 लाख रूपये, अतिवरिष्ठ नागरिकों के लिये 5 लाख रूपये तथा अन्य व्यक्तियों के लिये 2 लाख 50 हजार रूपये है।

15.2 प्राधिकारीगण

प्रशासनिक दृष्किोण को ध्यान में रखते हुये आयकर अधिनियम की धारा 116 में कुछ प्राधिकारियों का प्रावधान है जिन्हें न्यायिक सदृश एवं कार्यकारी अधिकार प्राप्त हैं, वह इस प्रकार है :–

(ए) प्रत्यक्ष करों का केन्द्रीय बोर्ड
(बी) आयकर प्रमुख निदेशक या मुख्य आयकर आयुक्त
(सी) आयकर निदेशक या आयकर कमिश्नर या आयकर कमिश्नर अपील
(डी) उप–निदेशक आयकर या उपकमिश्नर आयकर या उप–कमिश्नर आयकर (अपील)
(इ) सहायक निदेशक आयकर या सहायक कमिश्नर आयकर
(एफ) आयकर अधिकारी
(जी) कर वसूली अधिकारी
(एच) आयकर निरीक्षक

15.3 नियुक्ति एवं नियंत्रण

आयकर अधिनियम की धारा 117(2) के अनुसार प्रत्यक्ष करों का केन्द्रीय बोर्ड सहायक आयुक्त अथवा उपायुक्त से नीचे के पद के आयकर प्राधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है। इसी प्रकार अधिनियम की धारा 117(3) के अनुसार बोर्ड किसी भी आयकर प्राधिकारी को प्राधिकृत कर सकता है कि वह अपने कार्यों का सम्पादन करने हेतु अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकें। प्रधान निदेशक या प्रमुख निदेशक को यह अधिकार दिया जा सकता है कि वह किसी अन्य आयकर प्राधिकारी के वे कार्य करें जो उसे बोर्ड द्वारा दिये जाएं।

धारा 120(4) (बी) के अन्तर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी विशेष क्षेत्र अथवा विशिष्ट व्यक्तियों या कुछ विशेष प्रकार की आयों

के संबंध में, कर निर्धारण अधिकारी के कार्य अतिरिक्त निदेशक या अतिरिक्त कमिश्नर या संयुक्त आयुक्त या संयुक्त निदेशक को करने का आदेश दे सकता है।

प्रमुख निदेशक, मुख्य आयक्त तथा आयुक्त की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है। इसी प्रकार सयुक्त आयुक्त, उपनिदेशक तथा सहायक निदेशक की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है और उन पर केन्द्र सरकार का ही नियंत्रण रहता है।

केन्द्रीय सरकार उन व्यक्तियों को, जिन्हें वह उचित समझती है, आयकर प्राधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकती है । केन्द्रीय सरकार बोर्ड को या निदेशक या मुख्य आयुक्त या आयुक्त को प्राधिकृत करती है कि वह उप–आयुक्त या सहायक आयुक्त के नीचे के पदों पर नियुक्ति कर सकें। उक्त पदों की नियुक्ति एवं नियंत्रण केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित नियमों एवं विनियमों द्वारा किया जा सकेगा। आयकर प्राधिकारियों को अनेकानेक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं जैसे– साक्षय प्रस्तुत करने से संबंधित अधिकार, जाँच पड़ताल करने का अधिकार, जब्त करने का अधिकार, लेखा जोखा की जाँच का अधिकार आदि।

15.4 प्रत्यक्ष करों के केन्द्रीय बोर्ड के अधिकार

केन्द्रीय बोर्ड राजस्व अधिनियम 1963 के अन्तर्गत प्रत्यक्ष करों के बोर्ड का गठन हुआ है। इस अधिनियम के अन्तर्गत यह सर्वोच्च प्राधिकारी होता है। इसमें कुछ सदस्य होते हैं उन्हीं में से अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। बोर्ड की सदस्यता केन्द्र सरकार द्वारा बढ़ाकर पाँच तक की जा सकती है। यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अन्तर्गत कार्य करता है। यह सम्पूर्ण भारत अथवा उसके किसी भाग के लिये नियम बना सकता है और इन नियमों के बनने के बाद उन पर संसद द्वारा अनुमोदन होना आवश्यक होता है। कर निर्धारण की कार्यवाही अथवा राजस्व इकट्ठा करने के काम को भलीभांति रूप से चलाने के लिये यह निर्देशित कर स्पष्टीकरण जारी कर सकता है। चूंकि यह केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकृत होता है अतः इसे सहायक आयुक्त अथवा उप–आयुक्त से नीचे के पद के आयकर प्राधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार होता है। और यह किसी भी आयकर अधिकारी को प्राधिकृत कर सकता है कि वह अपने कार्य सुचारू रूप से चलाने हेतु आवश्यक स्टाफ की नियुक्ति कर सके। बोर्ड द्वारा अन्य आयकर प्राधिकारियों को आदेश व निर्देश देने का अधिकार प्राप्त होता है।

यह किसी संस्थान, संघ अथवा संगठन को किसी कर निर्धारण वर्ष के लिये कंपनी घोषित करने का अधिकार भी रखता है। इसके द्वारा प्रधान महानिदेशक या प्रमुख निदेशक या मुख्य आयुक्त को अधिकृत किया जा सकता है ताकि वे विशिष्ट व्यक्तियों या विशिष्ट क्षेत्रों के संबंध में आदेशित कर सकें कि कर–निर्धारण अधिकारी के कार्य अतिरिक्त निदेशक या

अतिरिक्त आयुक्त या संयुक्त आयुक्त अथवा संयुक्त निदेशक द्वारा किया जा सकेगा।

यदि कोई स्थिति ऐसी आती है कि कोई मामला एक कर–निर्धारण अधिकारी से दूसरे कर–निर्धारण अधिकारी को हस्ताक्षरित होना हो और दोनों ही कर निर्धारण अधिकारी एक ही मुख्य निदेशक या मुख्य आयुक्त के अन्तर्गत न आते हों और दोनों ही पदाधिकारी आपस में असहमत हों तो हस्तान्तरण का आदेश बोर्ड द्वारा दिया जा सकेगा।

बोर्ड द्वारा सिकी अतिरिक्त निदेशक या अतिरिक्त आयुक्त या संयुक्त निदेशक या संयुक्त कमिश्नर को प्राधिकृत किया जा सकता है ताकि वह खोज अथवा जब्त करने के संबंध में कार्यवाही कर सके। बोर्ड किसी भी उच्च पदानुक्रम के प्राधिकारी को निम्न पदानुक्रम के प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने एवं कार्यों को संचालित करने हेतु निर्देशित कर सकेगा।

आयकर निर्धारण के दौरान किसी भी प्रकार की कठिनाई आने पर बोर्ड उसे दूर करने में पूर्णतः सक्षम है। और स हेतु यह किसी भी आयकर प्राधिकारी (आयुक्त (अपील) को छोड़कर) को आदेशित कर प्राधिकृत कर सकता है कि वह यथोचित समय बीत जाने के बाद भी कोई प्रार्थना पत्र अथवा किसी कर वापसी की मांग, कटौती अथवा छूट की मांग को या प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर ले।

जनहित में बोर्ड द्वारा कर लगाने वाली किसी किसी भी अधिकारी को आदेशित किया जा सकता है कि वह किसी अन्य कानून के अन्तर्गत काम करने वाले किसी अधिकारी को कोई सूचना दे दे ताकि उस अधिकारी का काम यथासंभव हो सके।

केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत करने के उपरान्त उच्च पदाधिकारी सहायक आयुक्त या उपायुक्त से नीचे के आयकर पदाधिकारियों की नियुक्ति कर सकते हैं। अधिनियम की धारा 117 में स्टाफ की नियुक्ति का अधिकार प्रमुख निदेशक, मुख्य आयुक्त तथा आयुक्त को दिया गया है। उपरोक्त प्राधिकारीगण किसी मामले को अपने अन्तर्गत किसी कर–निर्धारिण अधिकारी से लेकर अपने ही अन्तर्गत आने वाले किसी अन्य कर निर्धारण अधिकारी को हस्तांतरित करने का अधिकार रखते हैं। बोर्ड द्वारा प्राधिकृत होने पर उपरोक्त प्राधिकारियों द्वारा अधिकृत संयुक्त निदेशक अथवा संयुक्त आयुक्त अथवा सहायक निदेशक अथवा आयकर अधिकारी खोज एवं जब्त करने का कार्य कर सकते हैं ।

अधिनियम की धारा 135 के अन्तर्गत सभी प्रकार के जांच पड़ताल संबंधी वे सभी अधिकार इन प्राधिकारियों को प्राप्त हैं जो एक कर निर्धारण अधिकारी को जांच के संबंध में प्राप्त होते हैं।

धारा 138 के तहत् यदि मुख्य आयुक्त अथवा आयुक्त को किसी करदाता के संबंध में कोई ऐसी सूचना प्रदान करने हेतु कोई आवेदन प्राप्त होता है, ओर यदि वह संतुष्ट हो जाए कि ऐसी सूचना देना जनहित में

नुकसान पहुंचाने वाली नहीं है, तो वह ऐसी आवेदनकर्ता को ऐसी सूचना प्रदान करने हेतु आदेशित कर सकेगा। ये प्राधिकारी ऐसे किसी बही खाते अथवा संपत्ति को मांगने का आदेश दे सकते हैं, जो किसी अन्य कानून के अन्तर्गत नियुक्त अधिकारी अथवा प्राधिकारी के पास हो।

यदि आयुक्त के संज्ञान में कर–निर्धारण अधिकारी द्वारा दिया गया कोई आदेश गलत है, एवं सरकारी राजस्व के लिये अहितकर भी है तो वह उस आदेश पर पुनर्विचार करके उचित आदेश दे सकता है जो न्यायोचित भी हो एवं जिसमें कर–निर्धारण को बहाल, संशोधन करना, रद्द करना तथा नये कर निर्धारण का निर्देश देना भी सम्मिलित है। धारा 271(1) के तहत आयुक्त लगे हुये अर्थदंड को घटा सकता है और माफ भी कर सकता है।

धारा 281(बी) के अन्तर्गत यदि कर निर्धारण अधिकारी की सम्मति में सरकारी आय को सुरक्षित रखने के लिये यह आवश्यक है कि करदता भी किसी सम्पत्ति की कुर्की की जाए, तो ऐसा आदेश देने के पूर्व प्रमुख निदेशक या मुख्य आयुक्त या आयुक्त की अनुमति आवश्यक है।

सरकार द्वारा देय ब्याज के संबंध में ब्याज की गणना करने के लिये कितनी अवधि छोड़ती है इस बात का निर्णय मुख्य आयुक्त अथवा आयुक्त द्वारा किया जायेगा एवं उसका निर्णय अंतिम होगा। धारा 234ए, 234 बी एवं 234 सी के अन्तर्गत लगाये गये ब्याज में कमी करने या माफी देने का अधिकार मुख्य आयुक्त या मुख्य निदेशक को है।

इसी प्रकार संयुक्त आयुक्त, उप–निदेशक, तथा सहायक निदेशकों की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है, इन्हें करदाता से आवश्यक सूचनाएं मांगने, अपने कार्य क्षेत्र के अन्दर किसी भी स्थान में प्रवेश करने, उस स्थान की जांच –पड़ताल करन, पूंछतांछ करने, कंपनी के रजिस्टरों का निरीक्षण करने का अधिकार प्राप्त हे। यदि कोई व्यक्ति अपनी आय छिपाता है या छिपाने की कोशिश करता है और सहायक निदेशक या उप निदेशक को इस बात का संदेह हो जाता है कि उक्त व्यक्ति द्वारा आय छुपा ली गयी है या आय का गलत ब्यौरा दिये जाने की संभावना है तो संयुक्त निदेशक अधिनियम के अधीन रहते हुये धारा 131(1)(ए) के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग कर सकता है, इसके साथ ही कर निर्धारण अधिकारी एवं संयुक्त आयुक्त को आयकर अधिनियम के अन्तर्गत किसी मुकदमें को सुनने के वे समस्त अधिकार प्राप्त होते हैं जो अपराधिक प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत एक न्यायालय को प्राप्त होते हैं।

15.5 कर– निर्धारण अधिकारी

आयकर अधिनियम की धारा 2(7ए) के अनुसार प्रत्यक्ष करों के केन्द्रीय बोर्ड के आदेश द्वारा कर–निर्धारण क्षेत्रों का कार्यभार निम्न पदाधिकारियों को सौंपा जा सकता है, जिनके द्वारा कर दाताओं के कर का निर्धारण किया जाता है:–

1. अतिरिक्त आयुक्त
2. अतिरिक्त निदेशक
3. संयुक्त आयुक्त
4. संयुक्त निदेशक,
5. सहायक आयुक्त
6. उप–निदेशक
7. उप–आयुक्त
8. सहायक निदेशक
9. आयकर अधिकारी ।

कर–निर्धारण अधिकारी आयकर विभाग का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। यह अपने कार्यक्षेत्र में आने वाले कर दाताओं का कर–निर्धारण करता है और इस हेतु यह करदाता से आवश्यक लेखा पुस्तकें तथा अनय सूचनाएं मांग सकता है। यदि किसी करदाता द्वारा उसकी आय भूलवश छूट गयी है अथवा कोई हानि हुई है या धिक छूट प्राप्त हो गयी है तो यह अधिकारी पुनः कर निर्धारण का भी अधिकार रखते हैं। किसी मामले की सुनवाई के समय दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत उपलब्ध समस्त अधिकार प्राप्त होते हैं।

इसी प्रक्रिया के तहत यह किसी व्यक्ति को शपथ दिला कर उससे गवाही या बयान ले सकते हैं। यदि करदाता द्वारा उद्गम स्थान पर कर कटौती के रूप में देय कर से अधिक राशि का भुगतान कर दिया गया है, तो उस अधिक राशि की वापिसी का आदेश अधिकारी द्वारा दिया जा सकता है तथा साथ ही यदि करदाता को किसी अन्य वर्ष का कर देना है तो कर –निर्धारण अधिकारी, आयुक्त की पूर्वानुमति लेकर वापिसी की राशि से देय कर का समायोजन कर सकता है। कर–निर्धारण अधिकारी के कार्य क्षेत्र में आने वाले करदाताओं को स्थायी खाता संख्या आबंटित करने का अधिकार है।

उक्त कर निर्धारण अधिकारियों को आय का विवरण प्रस्तुत करने हेु सूचना देनले, कम्पनी के रजिस्टरों का निरीक्षण करने, तलाशी लेने का अधिकार प्राप्त है। कर–निर्धारण अधिकारी आयुक्त के निर्देश पर किसी मामले में दिये गये निर्णय के विरूद्ध अपील कर सकता है, कर निर्धारण में हुई भूल को सुधार सकता है। आयकर अधिनियम की धारा 131, 133, 134 एवं धारा 251 के अन्तर्गत आयुक्त (अपील) को किसी मामले को सुनते समय दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत आने वाले समस्त अधिकार प्राप्त होते हैं सूचनाऐं मांगने, कम्पनी के रजिस्टरों का निरीक्षण करने तथा अपील के निपटारे के संदर्भ में आयुक्त (अपील) दायित्व कम कर सकता है, कर दायित्व बढ़ा सकता है, अर्थदंड के आदेश को रद्द कर सकता है अथवा

उसकी संपुष्टि कर सकता है या उसमें संशोधन करके अर्थदंड में कमी या वृद्धि कर सकता है बशर्ते कि अपीलकर्ता को ऐसा आदेश देने के विरूद्ध कारण बताने का उचित अवसर दे दिया जाए।

आयकर निरीक्षकों का कार्य नये करदाताओं का पता लगाना, कर–निर्धारण अधिकारी द्वारा सौंपे गये कार्य करना एवं उनके आदेशानुसार जांच करना, किसी भी स्थान में प्रवेश करके कर–निर्धारिण अधिकारी के अधिकारों का प्रयेाग करना है।

15.6 कर–निर्धारण की कार्य विधि या प्रक्रिया

आय की विवरणी तैयार करके उसे दाखिल करना तथा अनिवार्य रिटर्न (विवरणी) दाखिल करना कर, निर्धारण की प्रक्रिया में शामिल है। किसी कम्पनी या फर्म द्वारा, व्यक्ति या हिन्दू अविभाजित परिवार द्वारा, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसकी भारत के बाहर कोई संपत्ति है, पुरूषार्थ ट्रस्ट आदि के द्वारा राजनीतिक दल आदि को आयकर विवरणी दाखिल करनी होती है। ऐसे व्यक्ति जिन्हें धारा 10 के अन्तर्गत कर में छूट प्राप्त है और जिनकी आय छूट घटाने से पूर्व कर–योग्य सीमा से अधिक है, तो उन्हें भी देय तिथि तक अपनी आय का विवरण दाखिल करने का प्रावधान है। कम्पनी के संदर्भ में कर निर्धारण वर्ष की 30 सितंबर, करदाता जिन्हें धारा 92ई के अन्तर्गत अंतराष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है कर निर्धारण वर्ष की 30 नवंबर तथा कम्पनी के अतिरिक्त ऐसे करदाता जिनके खातों का अंकेक्षण या ऐसी फर्म में कार्यशील सांझेदार जिसके खातों का अंकेक्षण आयकर अधिनियम के अन्तर्गत करवाना निवार्य है उन्हें कर निर्धारिण वर्ष की 30 सितंबर तथा अन्य किसी दशा में कर निर्धारण वर्ष की 31 जुलाई तक आयकर विवरणी दाखिल कर देनी चाहिये। यदि किसी करदाता द्वारा उपरोक्त लिखित नियत तिथि तक आय की विवरणी दाखिल नहीं करता है तो कर–निर्धारण अधिकारी उसे सूचना की तामील कर विवरणी दाखिल करने का निर्देश दे सकता है, ऐसी विवरणी सूचना में अंकित अवधि में दाखिल करनी होगी और यदि फिर भी करदाता द्वारा उक्त अवधि में विवरणी दाखिल नहीं की जाती है तो उस पर अधिनियम की धारा 234ए के अन्तर्गत ब्याज लगाया जायेगा। वर्ष 2018–19 के लिये कर निर्धारण राशि की सीमा 50 लाख रूपये तक निश्चित की गयी है। आयकर विवरणी के फार्म आई.टी. आर.–1 (सहज), आई.टी.आर.–2 आई.टी.आर–3, आई.टी.आर.–4 (सुगम) के नाम से जाने जाते हैं। आयकर विवरण की ई फाइलिंग भी होती है। जिन कर दाताओं द्वारा आयकर विवरणी की ई फाइलिंग की जाती है उन्हें अयकर विभाग द्वारा आनलाइन जांच की सुविधा एवं रिफण्ड बैंकर योजना द्वारा पैसा वापिस पाने की सुविधा दी जाती है।

आयकर अधिनियम की धारा 139(4) में यह प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति गत वर्ष की आयकर विवरणी स्वीकृत समय के अन्दर दाखिल नहीं कर पाता है तो वह संबंधित कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति तक अपनी गत

वर्ष की आयकर विवरणी दाखिल कर सकता है। जिसे विलंबित विवरणी के नाम से जाना जायेगा।

15.7 आयकर विवरणी दाखिल करने संबंधी प्रावधान

आयकर अधिनियम की धारा 139(1) के अन्तर्गत दो प्रकार से आय की विवरणी तैयार एवं दाखिल की जाती है– (1) स्वेच्छा से आयकर विवरणी दाखिल करना (धारा 139(1) एवं (2) अनिवार्य आयकर विवरणी दाखिल करना (धारा 142(1) । विभिन्न प्रकार के भारतीय आयकर फार्म के माध्यम से विवरणी दाखिल की जाती है– उदाहरणार्थ – सहज, सुगम आदि । अतः प्रत्येक करदाता को यह जानते हुये कि वह व्यक्ति, कम्पनी या फर्म इनमें से जिस श्रेणी में आता है तथा उसकी आय किस शीर्षक में कर –योग्य है, अपने लिये उचित आयकर विवरणी फार्म का चयन करना चाहिये। यदि करदाता आयकर हेतु विवरणी की ई फाइलिंग नहीं कर पाता है या असंभव है तो वह उसे हाथ से भरकर तथा सत्यापित कर के आयकर विभाग में जमा कर सकता है।

आय की विवरणी दाखिल करने का तरीका :–

संख्या	व्यक्ति	शर्त	आय का विवरण दाखिल करने के तरीके
1	व्यक्ति या हिन्दू अविभाजित परिवार	(अ) धारा 44एबी के अन्तर्गत खातों का अंकेक्षण अनिवार्य होगा। (ब) यदि किसी व्यक्ति की गत वर्ष की कुल आय कर योग्य है– 1. एक व्यक्ति जिसकी गत वर्ष में आयु 80 वर्ष या अधिक है, या 2. उसकी आय पांच लाख रूपये से अधिक नहीं है, उसके वापिसी की मांग नहीं की है तथा उसके विवरणी सुगम या सहज में दाखिल की है	इलेक्ट्रानिक तरीके से अंकीय हस्ताक्षर के द्वारा ए. इलेक्ट्रानिक रूप से अंकीय हस्ताक्षर के द्वारा या बी. इलेक्ट्रानिक रूप से – इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड के अन्ततर्गत सी. इलेक्ट्रानिक रूप से– तत्पश्चात् आई. टी. आर. फार्म सख्या व्ही को सत्यापित करके भेजना या

			डी. कागज का फार्म ।
2	कम्पनी आई.टी. आर.–6	सभी स्थितियों में	केवल इलेक्ट्रानिकी माध्यम में, उसमें अंकीय हस्ताक्षर आवश्यक ।

आयकर विवरणी (रिटर्न) ई–फाइल निम्नलिखित तरीकों से किया जा सकता हैः–

1. सर्वप्रथम पर www.incometaxindiaeffiling.gov.in जाना होगा।
2. तत्पश्चात् अपनी आवश्यकतानुसार अथवा चाहा गया आई.टी.आर. फार्म चुन कर, एक रिटर्न प्रिपरेशन साफ्टवेयर का अधोभारण (डाउनलोड) करना होगा।
3. विवरणी हाथ से भर कर तैयार करने के पश्चात् उस विवरणी को उद्भारित (अपलोड) करने हेतु प्रक्रिया अपनायी जायेगी।
4. यदि विवरणी पर अंकीय या आंगुलिक हस्ताक्षर हैं तो सफल उद्धारित करने के बाद पावती का प्रिन्ट प्राप्त करें।
5. यदि विवरणी पर अंकीय हस्ताक्षर नहीं हैं तो आई.टी.आर.– V फार्म पर हस्ताक्षर एवं सत्यापित करके विवरणी दाखिल करने की तिथि से 120 दिन के भीतर साधारण डाक या स्पीड पोस्ट से आयकर विभाग के बैंगलुरू स्थित कार्यालय में भेजा जावेगा।
6. यदि किसी व्यक्ति द्वारा आयकर विवरणी की ई–फाईल की जाती है तो वह अपने द्वारा भरी गयी रिटर्न की स्थिति को स्वयं ही आन लाइन परख सकता है, जांच पड़ताल कर सकता है। इस प्रकार आयकर विवरणी के ई दाखिल से आंकड़ों की सत्यता सर्वोच्च होती है, विवरणी की प्रक्रिया तीव्र गति से होती है और पैसा वापिसी का भुगतान भी शीघ्रातिशीघ्र होता है। इस प्रकार विवरणी दाखिल करने से कागज की भी बचत होती है, पर्यावरण की दृष्टि से भी यह सर्वाधित लाभदायक कदम है।

15.8 आयकर विवरणी दाखिल करने से अभिमुक्ति

आयकर अधिनियम की धारा 139(1) (सी) के अनुसार केन्द्रीय सरकार अधिसूचना जारी करके किसी एक वर्ग या किसी वर्ग समूह के निर्दिष्ट शर्तो को ध्यान में रखते हुये आयकर विवरणी दाखिल करने छूट प्रदान कर सकती है। इसी प्रकार किसी वर्ग या किन्हीं वर्ग के व्यक्तियों को दस्तावेज प्रमाण–पत्र, रसीदें, अंकेक्षण रिपोर्ट, विवरण आदि आयकर विवरणी के साथ दाखिल करने से छूट दी जा सकती है, किन्तु इसके लिये आवश्यक शर्त यह

है कि बोर्ड द्वारा इस संबंध नियम बनाया गया हो। किन्तु यदि कर–निर्धारण द्वारा इन दस्तावेजों की मांग की जाती है तो करदाता द्वारा इन्हें प्रस्तुत करना होगा।

इसी प्रकार अधिनियम की धारा 139(बी) में यह प्रावधान है कि कुछ व्यक्ति या कुछ वर्गों के व्यक्ति किसी प्राधिकृत विवरणी तैयार करने वाले व्यक्ति से अपनी विवरणी तैयार करवाकर उसी के माध्यम से दाखिल करा सकते हैं, परंतु बोर्ड द्वारा ऐसी योजना प्राधिकृत होना आवश्यक है । इस तरह विवरणी तैयार करने वाले व्यक्ति द्वारा उक्त विवरणी पर अपने हस्ताक्षर किये जायेंगे। विवरणी पर अपने हस्ताक्षर किये जायेंगे। विवरणी तैयार करने वाले प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा विवरणी दाखिल करने में ऐसे व्यक्तियों का वर्ग शामिल है जिन्हें कम्पनी एवं ऐवे व्यक्ति शामिल नहीं हैं जिन्हें अपने खातों का अंकेक्षण कराना अनिवार्य होता है।

15.9 आयकर विवरणी सत्यापित करने की विधि

आयकर विवरणी तीन तरीकों से दाखिल की जा सकती है– (1) विलंबित विवरणी (2) संशोधित विवरणी एवं (3) दोषपूर्ण आयकर विवरणी।

यदि किसी व्यक्ति द्वारा स्वीकृत समय के अन्दर विवरणी दाखिल नहीं की जाती है और यदि कर–निर्धारण वर्ष की समाप्ति तक अथवसा कर–निर्धारण होने से पूर्व अपनी गत वर्ष की आयकर विवरणी दाखिल करता है, तो यह विलंबित विवरणी की श्रेणी में आती है।

इसी प्रकार किसी व्यक्ति द्वारा विवरणी दाखिल करने के बाद यह ज्ञात होता है कि उसमें कुछ गलती हो गयी है तो संबंधित कर–निर्धारण वर्ष समाप्त होने तक संशोधित विवरणी प्रस्तुत की जा सकती है।

तीसरी प्रकार की विवरणी में कर–निर्धारण अधिकारी की सम्मति से ज्ञात होता है कि विवरणी में कोई दोष है जबकि उपरोक्त दो प्रकार की विवरणियों में कर दाता का संज्ञान ही पर्याप्त है। तीसरी प्रकार की विवरणी दोषपूर्ण आयकर विवरणी में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा करदाता को विवरणी के दोषपूर्ण होने की सूचना दी जाती है और उस सूचना प्राप्त होने के बाद 15 दिनों के अन्दर उस दोष को ठीक करने का अवसर प्रदान किया जाता है। कर–निर्धारण अधिकारी द्वारा 15 दिन की समयावधि में वृद्धि की जा सकती है। यदि कर दाता द्वारा 15 दिनों के अन्दर दोष ठीक नहीं किया जाता है तो ऐसी आयकर विवरणी व्यर्थ मानी जायेगी और ऐसा माना जायेगा कि करदाता ने विवरणी दाखिल ही नहीं की है। यदि कर योग्य सकल कुल आय की गणना के संबंध में संलग्नक, विवरणों को अपूर्ण भरा गया है, आय की गणना का विवरण नहीं लगाया गया है, तो ऐसी विवरणी दोषपूर्ण विवरणी की श्रेणी में आती है।

आयकर अधिनियम की धारा 140 में आयकर विवरणी को सत्यापित करने संबंधी प्रावधान दिया गया है। धारा 140 के अनुसार किसी व्यक्ति की स्थिति में वह व्यक्ति स्वयं या यदि व्यक्ति कहीं विदेश गया है तो उसके

द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, यदि उस व्यक्ति के मानसिक अस्वस्थ होने की दशा में उसके संरखक द्वारा, या यदि कोई ऐसी स्थिति है जिसमें वह व्यक्ति सत्यापित करने की स्थिति में नहीं है तो उस व्यक्ति द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा विवरणी सत्यापित की जायेगी ।

हिन्दू अविभाजित परिवार की स्थिति में परिवार के कर्ता अथवा परिवार के किसी अन्य व्यस्क व्यक्ति द्वारा विवरणी का सत्यापन किया जा सकेगा। कम्पनी के प्रबंध संचालक द्वारा या उसके अनुपलब्ध होने पर किसी भी संचालक द्वारा विवरणी सत्यापित की जा सकेगी।

साझेदारी फर्म की विवरणी प्रबन्ध करने वाले साझेदार के द्वारा या अन्य किसी वयस्क साझेदार द्वारा सत्यापित की जा सकेगी।

किसी राजनीतिक दल के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सचिव आदि) द्वारा, किसी अन्य एसोसियेशन के प्रमुख अधिकारी या किसी सदस्य द्वारा सत्यापन किया जा सकेगा। अतः निष्कर्ष यह है कि आयकर विवरणी का सत्यापन किसी सक्षम अथवा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जायेगा।

15.10 स्थायी खाता संख्या (PAN)

स्थायी खाता संख्या या पैन पूरे भारत में दस अंकीय वर्णात्मक संख्या है (जैसे ABRP+ 52 10K) जो आयकर विभाग द्वारा लेमिनेटेड कार्ड के रूप में जारी किया जाता है। यह पता या स्थान परिवर्तन के साथ नहीं बदलता है। पैन संबंधी सूचना प्राप्त करने के लिये आयकर विभाग ने निम्नलिखित को प्राधिकृत किया है:–

(ए) यू.टी.आई. प्रौद्योगिकी सेा लिमिटेड,

(बी) राष्ट्रीय सुरक्षा डिपोजिटरी लिमिटेड।

चूंकि किसी वित्तीय वर्ष की आय पर बाद के वर्ष में कर लगाया जाता है जिसे निर्धारण वर्ष कहा जाता है इसलिये संबंधित निर्धारण वर्ष के 30 जून के पहले पैन के लिये आवेदन करना उचित रहता है। आयकर अधिनियम में यह व्यवस्था की गयी है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसकी कुल आय उस अधिकतम राशि से अधिक है जिस पर कर नहीं लगता या प्रत्येक व्यक्ति जो कोई व्यापार करता है जिसकी कुल आय लाभ किसी भी विगत वर्ष में 5 लाख रूपये से अधिक हुआ है या कोई व्यक्ति जिसे आय विवरणी प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, वह पैन हेतु आवेदन करेगा। इसके अतिरिक्त कोई व्यक्ति जो उपर्युक्त शर्तें पूरी नहीं करता है, वह भी पैन आबंटन के लिये आवेदन कर सकता है। दिनांक 01.06.2000 से केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा किसी वर्ग या वर्ग या वर्ग के व्यक्तियों को विनिर्दिष्ट करेगी।

आयकर अधिनियम की धारा (139ए) के अनुसार स्थायी खाता संख्या (PAN) से आशय उस संख्या से है जो कर निर्धारण अधिकारी किसी व्यक्ति को उसकी पहचान के लिये आबंटित करता है। कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिनमें उसे स्थायी खाता संख्या (PAN) प्राप्त करना आवश्यक है:–

(i) उसकी आय कर मुक्त सीमा से अधिक है,

(ii) वह सिकी अन्य व्यक्ति की ओर से कर चुकाने हेतु उत्तरदायी है,

(iii) पुण्यार्थ ट्रस्ट

(iv) यदि कोई व्यक्ति व्यवसाय कर रहा है और उसकी वित्तीय वर्ष की कुल बिक्री 5,00,000/– रू. से अधिक हैं अथवा अधिक होने की संभावना है।

(v) भारत में निवासी कोई भी व्यक्ति,

(vi) सेवा शुल्क के अन्तर्गत करदाता,

(vii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम के अन्तर्गत करदाता

(viii) केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम का राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश में वहां के अधिनियम के अन्तर्गत कर दाता,

(ix) आयातक या निर्यातक।

स्थायी लेखा संख्या हेतु आबंटन के लिये कर–निर्धारण अधिकारी को आवेदन करना होगा। ऐसे व्यक्तियों को अधिसूचना में उल्लिखित अवधि में स्थायी लेखा संख्या के आबंटन के लिये आवेदन करना होगा।

एक बार PAN आबंटन होने के बाद करदाता को अपने सभी विवरणों, कर चुकाने के चालानों व अन्य प्रपत्रों पर च।छ लिखना आवश्यक है।

ऐसी अचल सम्पत्ति जिसका क्रय–विक्रया मूल्य दस लाख रूपये से अधिक है,ऐसा मोटर वाहन (दपहिया वाहन छोड़कर) जिसकी स्टाम्प ड्यूटी के लिये प्राधिकारी द्वारा निर्धारित मूल्य दस लाख रूपये से अधिक सभी खरीद/बिक्री पर किसी भी बैंक, सहकारी बैंक, डाक खाना जिसमें जमा राशि पाँच हजार से अधिक है, एक लाख रूपयों से अधिक की प्रतिभूतियों के क्रय–विक्रय के प्रत्येक संव्यवहार संबंधी अनुबन्ध पर, किसी होटल या रेस्टोरेन्ट जिसमें एक बार का बिल पचास हजार से अधिक भुगतान किया गया है, कोई विदेश यात्रा करने जिसमें पचास हजार से अधिक का भुगतान किया गया है, पत्रास हजार से अधिक के ऋण पत्र या बाण्ड खरीदने पर, किसी भी वित्तीय वर्ष में पचास हजार रूपये से अधिक का जीवन बीमा प्रीमियम के भुगतान पर स्थायी लेखा संख्या (पैन) का उल्लेख करना आवश्यक है।

यदि कोई अवयस्क उपर्युक्त वर्णित कोई संव्यवहार करता है और उसकी कोई कर–योग्य आय नहीं है तो उसे अपने पिता या माता या संरक्षक का स्थायी खाता संख्या (PAN) देना होगा। यदि किसी व्यक्ति के पास पैन नंबर नहीं है और वह उपर्युक्त वर्णित कोई संव्यवहार करना है तो उसे फार्म संख्या 60 में उपरोक्त से संबंधित विवरण की घोषणा करनी होगी।

किसी क्रेता अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदाय को कोई प्रमाण–पत्र जारी करने पर, आयकर प्राधिकारी को कर एकत्रित करने से संबंधित दिये जाने वाले विवरण पर अपना स्थायी खाता संख्या ;च्।छद्ध लिखना होगी।

यदि कोई व्यक्ति बिना पर्याप्त कारण के जानबूझकर निर्धारित समय के अन्दर स्थायी खाता संख्या के आबंटन के लिये प्रार्थना पत्र नहीं देता है अथवा अपने प्रपत्रों आदि पर स्थायी खाता संख्या नहीं लिखता है तो उस पर धारा (272बी) के तहत् 10,000 रू. का अर्थदंड लगाया जायेगा।

15.11 आधार नंबर उदघृत करने संबंधी प्रावधान

आधार कार्ड एक परिचय पत्र है जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नाम से जाना जाता है। हमारे देश में भिन्न भिन्न पहचान पत्र का उपयोग किया जाता है जिसके कारण विभिन्न समस्याओं की उत्पत्ति होती है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस को हर जगह पहचान पत्र की मान्यता नहीं है । उसी तरह पैन कार्ड में भी निवास स्थान का पता न होने के कारण उसके साथ निवास स्थान को सिद्ध करने हेतु पता सिद्धि पत्र लगाना होता है, मतदाता प्रमाण–पत्र एक उचित प्रमाण–पत्र माना गया है, जो सभी जगह मान्य होता है लेकिन यह प्रमाण–पत्र 18 वर्ष की आयु के बाद ही बनता है। इसी समस्या से निपटने हेतु भारत सरकार द्वारा आधार कार्ड की सुविधा प्रदान की गयी है।

आधार कार्ड एक अद्वितीय कार्ड है। यह एक महत्वपूर्ण परिचय पत्र होता है, जो कि किसी भी व्यक्ति को उसे भारत का नागरिक होने का सबूत देता है जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) एजेंसी से जरिए भारत में लाया गया । 2009 में भारत सरकार ने आधार कार्ड को विशेष एवं आवश्यक पहचान के तौर पर देश में लागू किया गया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण योजना आयोग का ही एक भाग है, इनका मुख्य उद्देश्य भारत के प्रत्येक नागरिक को एक अप्रतिम पहचान पत्र प्रदान करना होता है।

आधार कार्ड बनाने के लिये नागरिकों को विशेष दस्तावेज जैसे पते का प्रमाण (मतदाता पहचान, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली बिल) इसके अलावा बायोमेटिक विवरण जैसे अंगुलि चिह्न एवं आँखों के चिह्न को प्रस्तुत करना होता है। इसके बादर उस नारिक को एक पहचान संख्या प्रदान की जाती है जो कि इस बात को सिद्ध करती है कि वह भारत का नागरिक है और उसकी पूरी जानकारी भारत के विशेष डाटाबेस में सुरक्षित होती है जो कि देश की सुरक्षा हेतु अति महत्वपूर्ण है यह आंकड़ों का संकलन यू.आई.डी.ए. आई. एजेंसी के पास होता है जिसका मुख्य संचालन अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। अतः ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो आधार नंबर लेने के लिये मान्य है उसे निम्न जगहों पर 1 जुलाई 2017 से अपना आधार नम्बर लिखना होगाः–

(i) स्थायी खाता संख्या (PAN) जारी करने के लिये आवेदन पत्र देना।

(ii) आय की विवरणी देने पर।

प्रत्येक व्यक्ति को केन्द्रीय सरकार की अधिसूचना में निर्धारित तिथि तक निर्धारित प्राधिकारी को अपना आधार नंबर सूचित करना होगा। यदि किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो ऐसे जो स्थायी खाता संख्या जारी की गयी है वह अमान्य मानी जायेगी और यह माना जायेगा कि उसने स्थायी संख्या जारी करने के लिये आवेदन ही नही दिया है। ऐसी स्थिति में आयकर अधिनियम के अन्य प्रावधान लागू होंगे।

केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित राज्य या राज्य के हिस्सों या किसी वर्ग के व्यक्तियों पर यह प्रावधान लागू नहीं होंगे। कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जिन्हें आधार नंबर उद्घृत करना आवश्यक नहीं है किन्तु शर्त यह है कि आधार संख्या या नामांकन संख्या नहीं है, असम, जम्मू एवं कश्मीर, मेघालय राज्य में रहने वाले व्यक्तियों को, आयकर अधिनियम 1961 के अन्तर्गत आने वाले अनिवासी व्यक्तियों को, गत वर्ष में किसी व्यक्ति की आयु 80 वर्ष या अधि के व्यक्तियों को एवं वह व्यक्ति जो भारत के नागरिक नहीं हैं उन्हें आधार संख्या उद्घृत करना आवश्यक नहीं होता है।

आधार कार्ड पर गलत जानकारी को ठीक व सुधार भी किया जासकता है, अर्थात ससमें यदि कुछ बदलाव करने हैं, तो ये भी आसानी से हो सकता है।

एल.पी.जी. गैस कनेक्शन, लेने हेतु, कोई छूट या रियायत का लाभ उठाने हेतु ओर यहाँ तक कि आयकर विवरणी दाखिल करने हेतु आधार की आवश्यकता होती है।

वह सभी व्यक्ति जिन्होंने विभिन्न वित्तीय सेवाओं से अपने आधार संख्या को जोड़ा नहीं है उन्हें भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा कुछ सहायता प्रदान की गयी है। उच्च तम न्यायालय ने कहा है कि विभिन्न सेवाओं से आधार को जोड़ने हेतु अंतिम तिथि को पिटीशन की सुनवाई रहने तक बढ़ा दिया गया है।

सभी सेवाओं में छूट नहीं प्रदान की गयी है। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिये आज भी आधार संख्या होना आवश्यक है।

जानने योग्य बात यह है कि यह आधार क्या है ? यह 12 संख्या का एक अद्वितीय संख्या है जिसे यूआई.डीए. आई के द्वारा जारी किया गया है जिसमें कि व्यक्ति के जैविक (बायोमैट्रिक) विवरण उपलब्ध है जैसे आँखों का स्कैन अंगुलि चिह्न, जन्म तिथि और पता आदि अंकित होता है। पैन एवं आधार से वित्तीय सेवाओं को जोड़ने की अंतिम तारीख मार्च 2019 तक बड़ा दी गयी है।

यू.आई.डी.ए.आई. अगले वर्ष से एक नयी सेवा प्रारंभ करने जा रही है जो उन लोगों के लिये सहायक होगी जिसके पास तत्कालीन निवास स्थान उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में यह प्राधिकरण एक गुप्त पिन देगा। इस सेवा का 13 अप्रैल 2019 से प्रारंभ होना प्रस्तावित है।

हाल ही में हुये एक सर्वेक्षण के द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि केवल 7 प्रतिशत लोग ही आधाार प्राधिकृत प्रक्रिया से अवगत थे। जबकि 85 प्रतिशत जनता अंगुलि चिह्न प्राधिकृत से अवगत थे, 41.6 को यह जानकारी थी कि आधार का नामांकन निःशुल्क होता है।

कोई भी नयी मोबाइल सिम प्राप्त करने के लिये आधार कार्ड का होना आवश्यक नहीं है। इसी तरह केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को पेंशन प्राप्ति के लिये आधार कार्ड आवश्यक नहीं है।

भारतीय रेल ने भी कहा है कि वे आधार और डाइविंग अनुज्ञप्ति की प्रतिलिपि को मान्यता प्रदान करेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.08 करोड़ आंकी गयी है, जबकि 15 जुलाई के आंकड़े 121.75 करोड़ आधार नामांकित बताते हैं।

सरकार के उमंग एप के माध्यम से सरकार की विभिन्न सरकारी सेवाओं को जाचा परखा जा सकता है।

निष्कर्ष में यह कहा जा सकता है कि आधार के बिना जीवन दुरूह होता जायेगा मोबाइल नंबर लेने से लेकर सरकारी रियायतें ,पेंशन, वित्तीय कार्यो को करने हेतु आधार की आवश्यकता होगी। आप आधार से बच नहीं पायेंगे। हमें अपने दस्तावेजों और खातों को आधार से अवश्य जोड़ना चाहिये, हालांकि आधार को उद्धृत करना आवश्यक नहीं है, किन्तु यदि ऐसा कर लिया जाता है तो जीवन सुगम हो जायेगा।

उपरोक्त सामग्री से निम्नलिखित प्रश्नों का समाधान हो सकेगा– क्या सभी बैंक खातों को आधार से जोड़ा जाना चाहिये, क्या कोई बैंकखाता खोलने के लिये आधार पर्याप्त है ? क्या बिना आधार के बैंक खाता खोला जा सकता है ? क्या क्रेडिट कार्ड लेने के लिये आधा कार्ड आवश्यक है।

इन सभी प्रश्नों का उत्तर उपर्युक्त चर्चा में दिया गया है।

15.12 कर–निर्धारण के प्रकार

छात्रों के समक्ष सह प्रश्न सदैव रहता है कि कर निर्धारण क्या होता है और यह कितने प्रकार का होता है। कर निर्धारण से तात्पर्य है करदाता की कुल आय की गणना करना एवं इस पर देय कर की भी गणना करना।

कर निर्धारण निम्न प्रकार तरीकों से किया जाता है अर्थात् कर निर्धारण के निम्नलिखित प्रकार हैः–

1. स्वयं कर निर्धारण
2. नियमित कर निर्धारण
3. पुनः कर निर्धारण
4. सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण।

(1) स्वयं का निर्धारणः– आय कर विवरणी कई तरीकों से जमा की जाती है, इन्हीं में से एक तरीका है– स्वयं कर निर्धारण । जैसा कि नराम से ही विदित है कि इस कर को कर दाता स्वयं ही जमा करता है, तथा इसे

वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद जमा किया जाता है। वास्तविकता में यह कर देनदारियों का एक अंतिम लेखा जोखा होता है वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद जो भी कर की देनदारियां बनती है वो स्वयचं निर्धारण कर मानी जाती है एक करदाता किन परिस्थितियों में स्वयं कर निर्धारण जमा करता है उन परिस्थितियों की जानकारी होना आवश्यक है।

यदि कोई व्यक्ति जिसे नियमित वेतन नहीं मिलता है और उसकी कमाई पर कर, दस हजार रूपये से कम बनता है तो ऐसी स्थिति में वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद स्वयं कर निर्धारित करके कर देना होगा।

दूसरी स्थिति तब उत्पन्न हो सकती है जब किसी कर दाता ने अपनी कम्पनी के सभी निवेषों की जानकारी पूर्णरूपेण न दे सका हो। इस प्रकार बकाया रकम का स्वयं निर्धारण करने के पश्चात् कर के रूप में जमा होगा।

इसी प्रकार किसी वित्तीय वर्ष के दौरान कर अदायगी दस हजार रूपये के ज्यादा बनती है तो अनिवार्य कर जमा करना आवश्यकता होता है लेकिन आय इस सीमा को पार कर रही है ऐसा अनुमान न होने पर अग्रिम कर का भुगतान न करने पर स्वयं द्वारा कर का निर्धारण किया जाता है और कर का भुगतान किया जाता है।

दाखिल की जाने वाली आयकर विवरणी के आधार पर अपने टैक्स स्लैब के आधार पर अपनी वार्षिक आमदनी पर बनने वाला कुल कर का मूल्यांकन करना होगा। अग्रिम कर का जो हिस्सा जमा नहीं हुआ है, उस पर लगने वाला ब्याज भी इसमें जोड़ा जायेगा, ऐसा धारा 234ए/234बी/234 (सी) के तहत किया जायेगा।

इस प्रकार सकल आयकर और बकाया अग्रिम कर की ब्याज को जोड़ने से मिली रकम से धारा 90/90ए/के तहत् मिलने वाली राहत को घटा दिया जायेगा। तात्पर्य यह है कि कर दाता को आयकर विवरणी दाखिल करने स पूर्व कर तथा ब्याज दोनों ही चुकाने होंगे।

इस प्रकार के कर निर्धारण को स्वयं कर निर्धारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें करदाता स्वयं अपनी आय की गणना करता है, फिर इस आय पर लगने वाले कर की गणना करता है, तत्पश्चात् कर की राशि का भुगतान करता है।

इस तरह उपर्युक्त बताये तरीके से कर भुगतान में चूक होने की स्थिति में करदाता को चूक की स्थिति का माना जायेगा और उस पर लागू अधिनियम में सभी प्रावधान लागू होंगे।

अधिनियम की धारा 234 (एफ) के अन्तर्गत यदि करदाता द्वारा आय की विवरणी देरी से दाखिल की जाती है तो करदाता को स्वयं कर निर्धारण करके, कर ब्याज तथा शुल्क की राशि भी जमा करानी होगी। धारा 234ए तथा 234बी के अन्तर्गत देय ब्याज की गणना इस प्रकार की जावेगी –

(i) विवरणी में घोषित आय पर कर में से ।

(ii) अग्रिम कर की राशि एवं उद्गम स्थान पर कर की कटौती एवं संग्रह की राशि को घटाया जायेगा।

आयकर विवरणी देय तिथि के बाद दाखिल करने पर धारा 234(ए) के अन्तर्गत ब्याज लगाया जाता है तथा अग्रिम कर भुगतान चूक होने पर धारा 234(बी) के अन्तर्गत ब्याज लगाया जाता है।

उदाहरण– अ जिसका कोई व्यापार या पेशा नहीं है उसने स्वयं कर निर्धारण कर अपनी कुल आय की गणना 5,20,500 रूपये की । उसने 10,700 रूपये अग्रिम कर चुकाया तथा उद्गम स्थान पर 10000/– रूपये की कर की कटौती हुई। कर निर्धारण वर्ष 2018–19 के लिये उसने अपनी आयकर विवरणी 10 सितंबर 2018 को दाखिल की। क्या धारा 234ए के अन्तर्गत वह स्वयं कर–निर्धारण के करके साथ ब्याज तथा शुल्क देने के लिये भी उत्तरदायी है ? यदि हाँ, तो ब्याज की राशि तथ फीस की गणना क्या होगी ?

हल – अ द्वारा आयकर विवरणी 31.07.2018 तक दाखिल कर दी जानी चाहिए थी अन्यथा उसे कुल देय कर में से अग्रिम चुकाये कर की राशि तथा उद्गम स्थान पर कटे हुये कर की राशि घटाकर शेष राशि पर एक प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज चुकाना होगा। अतः धारा 234(ए) के अन्तर्गत देय ब्याज की गणना निम्नानुसार होगीः–

5,20,500/– रूपये पर कर		
घटाया (1) अग्रिम कर	10,700/–	
(2) उद्गम स्थान पर कर की कटौत्री	10,000/–	20,700/–

(2) नियमित कर निर्धारण :– इसे अन्तरिम कर निर्धारण के नाम से भी जाना जाता है। इसे संक्षिप्त कर निर्धारण अथवा आयकर विवरणी के आधार पर कर निर्धारण कहते है। धारा 143(1) के अन्तर्गत आयकर विभाग करदाता को एक सूचना भेजता है।

वित्तीय वर्ष की समाप्ति के एक वर्ष के अन्दर धारा 143(1) के तहत् कर निर्धारण किया जा सकता है। आयकर विवरणी दाखिल करने के बाद कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिना करदाता को बुलाये तथा बिना पूँछतांछ के कर निर्धारण कर दिया जाता है । कुल आय या हानि की गणना निम्न समायोजन करने के पश्चात् की जा सकेगी।

(i) विवरणी में गणितीय गलती होने पर,

(ii) कोई गलत दावा होने पर,

(iii) जिस गत वर्ष की हानि समाने आई है उस गत वर्ष की विवरणी निर्धारित तिथि के पश्चात् दाखिल करने पर हानि की पूर्ति अमान्य होगी।

(iv) इसी प्रकार यदि कोई व्यय प्रतिवेदन में कौती योग्य नहीं आंका गया है, किन्तु आय की गणना करने में इसे आय में सम्मिलित नहीं किया गया है, तो इसे इस आय में शामिल किया जायेगा।

(v) यदि धारा 10एए, 80 एल.ए, 80 एल.ए.बी., 80 1बी, 80 1सी या 801ई के अन्तर्गत कटौती मांगी गयी है, किन्तु विवरणी निर्धारित तिथि के पश्चात् दाखिल की गयी है, तो कटौती अमान्य होगी।

उपर्युक्त समस्त समायोजनों का करदाता को लिखित में या इलेक्ट्रानिक माध्यम से सूचना प्रेषित की जायेगी । यदि सूचना देने की तिथि से 30 दिन के भीतर करदाता का उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो समस्त समायोजन कर दिये जायेंगे। कर निर्धारण वर्ष 2018–19 से यदि कोई आय फार्म 26एएस या 16ए या 16 में लिखी गयी हैं और वह कुल आय में सम्मिलित नहीं है तो उसे कुल आय में समायोजित नहीं किया जायेगा।

इसी प्रकार कर निर्धारण वर्ष 2018–19 में यदि कोई कर और ब्याज एवं फीस है तो उसकी गणना निर्धारित कुल आय के आधार पर की जायेगी इसकी गणना निम्न प्रकार से की जा सकेगी–

निर्धारित कर एवं ब्याज एवं फीसकी राशि –

उद्गम पर कर की कटौती

उद्गम पर एकत्रित कर

अग्रिम कर,

कर में कटौती

स्वयं कर निर्धारण पर भुगतान

कर एवं ब्याज एवं फीस को छोड़कर अन्य भुगतान

देय कर / वापसी

निर्धारित राशिया के आधार पर करदाताओं को देय कर या वापसी की सूचना भेजी जाएगी। यदि कर दाता की कोई वापसी या रिफण्ड है या उसने अपनी विवरणी में कोई हानि दर्शित की है तो ऐसी राशि का समायोजन किया जावेगा और इसकी सूचना भी करदाता को भेजी जाएगी। विवरणी दाखिल करने वाले वित्तीय वर्ष के एक वर्ष बाद सचूना नहीं दी जा सकेगी। और यदि कोई राशि वापिसी योग्य नहीं है तो विवरणी को अभिस्वीकृत मान लिया जावेगा।

(3) पुनः कर निर्धारण (E Assessment)

आयकर अधिनियम की धारा 148 से 153 तक में पुनः कर निर्धारण का प्रावधान है। जैसा कि नाम से ही विदित होता है कि यदि कर निर्धारण अधिकारी ऐसा लगता है कि किसी कर निर्धारण के वर्ष में कोई कर योग्य आय कर लगने से बच गयी या छूट गयी है तो ऐसी छूटी हुई या बची हुई आय का कर निर्धारण पुनः किया जा सकता है। इस प्रकार की स्थिति तभी उत्पनन हो सकती है जब या तो आयकर दाता के कुल आय न्यूनतम कर योग्य सीमा से अधिक होने के बावजूद भी विवरणी दाखिल नहीं की हो या

यदि करदाता ने विवरणी को दाखिल कर दी किन्तु विवरणी में करदाता ने अपनी आय कम दिखायी है या अधिक हानि या कटौती की मांग की हो। या फिर कोई ऐसी एन्ट्री (आस्ति) जो भारत से बाहर स्थित हो और कर योग्य हो किन्तु कर निर्धारण से बच गयी हो।

यदि किसी छूटी हुई आय के संबंध में एक बार कोई कर –निर्धारण पुनः खोला जाता है और ऐसी कार्यवाही के दौरान हीं यदि किसी अन्य छूटी हुई आय का पता चलता है तो कर निर्धारण अधिकारी ऐसी आय को भी कर निर्धारण में सम्मिलित कर सकता है । धारा 147 के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु करदाता को नोटिस तामील किये जाने का प्रावधान है। धारा 148 के अन्तर्गत यदि बची हुई आय एक लाख रूपये से कम है तो संबंधित कर निर्धारण वर्ष के बाद चार वर्ष के अंदर नोटिस दिया जाना चाहिये। यदि बची हुई आय एक लाख से अधिक है तो संबंधित कर निर्धारण वर्ष के बाद छः वर्ष के अन्दर एवं भारत से बाहर स्थित किसी अस्ति से आय जो कर निर्धारण से बच गयी है, संबंधित कर निर्धारण वर्ष के बाद सोलह वर्ष के अन्दर नोटिस दिया जाना चाहिये।

कर निर्धारण अथवा पुनः कर निर्धारण पूरा होने की समय सीमा इस प्रकार है– जिस कर निर्धारण वर्ष में आय पहली बार निर्धारणीय थी उसके अंत से कर निर्धारण वर्ष 2017–18 – 21 महीने, कर निर्धारण वर्ष 2018–19 – 18 महीने, कर निर्धारण वर्ष 2019–20 – 12 माह में दिया जास कता है । धारा 147 के अन्तर्गत हुये कर निर्धारण अथवा पुनः कर निर्धारण अथवा पुनः गणना का आदेश उस वित्तीय वर्ष के अन्त से नौ माह में दिया जा सकता है। यदि अपीलीय प्राधिकरण या प्रधान आयुक्त या आयुक्त के पुनर्विचार आदेश के अनुसार नये सिरे से कर–निर्धारण करना है तो जिस वित्तीय वर्ष में अपीलीय प्राधिकरण का आदेश प्राप्त हुआ था या पुनर्विचार आदेश दिया गया है उसकी समाप्ति से नौ माह में कर निर्धारण हेतु आदेश दिया जा सकेगा।

धारा 154 भूल सुधार हेतु प्रावधानित करती है। इसके अन्तर्गत यदि किसी करदाता द्वारा भूल सुधार हेतु आवेदन दिया जाता है तो सक्षम प्राधिकारी को यह अधिकार है कि वह आवेदन प्राप्त होने वाले माह से छः माह की समाप्ति में या तो भूल सुधार करने का आदेश दे सकेगा या आवेदन को अस्वीकार करने का आदेश देगा। भूल सुधार या आदेश केवल वही अधिकारी दे सकता है जिसका कि वह आदेश था न कि कोई उससे उच्चतर अथवा निम्न अधिकारी । कभी कभी ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि आदेश देने वाले अधिकारी का स्थानांतरण हो जाए, तो ऐसी स्थिति में उस पद पर उपस्थित किसी अधिकारी के आदेश की भूल सुधार उसी पद पर आने वाले अन्य पदाधिकारी द्वारा किया जा सकेगा।

वर्ष 2017–18 में कर निर्धारण हेतु समय सीमा 21 माह तथा कर निर्धारण वर्ष 2018–19 में 18 माह एवं 2019–20 में कर निर्धारण हेतु समय

सीमा 12 माह निश्चित की गयी है। आयकर अधिनियम की धारा 147 के अन्तर्गत पुनः कर निर्धारण का आदेश उस वित्तीय वर्ष के अन्त से नौ माह में दिया जा सकता है।

(4) सर्वोत्तम निर्णय कर–निर्धारण :–

सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण दो प्रकार का होता है – एक अनिवार्य और दूसरा स्व–विवेकीय । यदि किसी व्यक्ति या फर्म द्वारा आयकर विवरणी दाखिल नहीं की गयी हो या किसी प्रकार के प्रपत्र या लेखे या सूचनाओं की मांग की गयी हो और उसका प्रस्तुतीकरण न हो सका हो अथवा अंकेक्षण नहीं करा पाने की स्थिति में, विवरणी के पक्ष में मांगे गये सबूतों के आदेश का पालन नहीं करने पर अनिवार्य कर निर्धारण किया जाता है।

दूसरी ओर जब कर निर्धारण अधिकारी करदाता के हिसाब–किताब की परिपूर्णता एवं सही आंकलन से असंतुष्ट हो एवं करदाता द्वारा किसी नियम का नियमबद्ध तरीके से पालन न किया गया हो तो विवेकीय कर निर्धारण किया जाता है। यदि किसी करदाता पर सर्वोत्तम कर निर्धारण की प्रक्रिया अपनायी जाती है तो उसके द्वारा कमिश्नर के यहाँ पुनः कर निर्धारण या भूल सुधार हेतु अपील की जा सकती है। अब किसी करदाता द्वारा पुनः कर निर्धारण की अपील कमिश्नर के यहाँ की जाती है तो उसके निराकरण हेतु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि उक्त कर निर्धारण वर्ष में कर योग्य आय का कर निर्धारण नहीं हो पाया है तो ऐसी आय का पुनः कर निर्धारण हेतु कमिश्नर द्वारा धारा 148 के तहत करदाता को एक निर्दिष्ट अवधि के अन्दर आयकर विवरणी प्रस्तुत करने हेतु नोटिस तामील किया जायेगा।

इसी प्रकार यदि आयकर अधिकारी को स्वयं के ही निर्णय में किसी भूल का संज्ञान होता है तो उस वित्तीय वर्ष के बाद चार वर्ष के भीतर उक्त अधिकारी द्वारा भूल सुधार की जा सकेगी।

सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण के अन्तर्गत करदाता को सजा दी जा सकती है, अर्थदंड भी लगाया जा सकता है या यदि करदाता द्वारा उक्त कर निर्धारण के निर्णय के विरूद्ध अपील की जाती है तो उसे नये तथ्य प्रस्तुत करने से रोका जा सकता है एवं यदि कर वापिसी की अपील की गयी हे तो उसे अस्वीकार भी किया जा सकता है।

दूसरे शब्दों में ऐसा भी कहा जा सकता है कि जब कर निर्धारण के लिये करदाता कर निर्धारण अधिकारी को सहयोग नहीं करता है, तो अधिकारी अपने पास एकत्रित सामग्री एवं तथ्यों के आधार पर अपने विवेक से जो कर निर्धारण करता है सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण कहते है। ऐसे कर निर्धारण को एकपक्षीय कर निर्धारण भी कहा जाता है।

यदि किसी करदाता की कुल आय का निर्धारण करते समय यह सुनिश्चित हो जाए कि करदाता को हानि हुई है जिसे वह भविष्य में होने वाले लाभों से पूर्तिकर सता है तो कर निर्धारण अधिकारी द्वारा करदाता को

आयकर अधिनियम की धारा 157 के अन्तर्गत एक लिखित आदेश तामील किया जावेगा।

15.13 आयकर विवरणी दाखिल न करने पर या विलंब से दाखिल करने पर लगने वाला ब्याज

जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जिसकी स्वय की कुल आय अथवा अन्य व्यक्ति की कुल आय यदि करमुक्त सीमा से अधिक है तो उस देय तिथि तक आयकर विवरणी दाखिल करनी होती है। अब प्रश्न यह उठता है कि उक्त आय कर विवरणी दाखिल करने की देय तिथि क्या होगी। यह कंपनी करदाता, गैर कम्पनी कर दाताओं के लिये भिन्न भिन्न होती है। जैसे कि किसी कम्पनी करदाता के लिये यह तिथि कर–निर्धारण वर्ष की 30 सितम्बर होगी। इसी प्रकार एक गैर कम्पनी करदाता के लिये आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की तिथि कर निर्धारण वर्ष की 30 सितम्बर निर्धारित की गयी है। और अन्य किसी और परिस्थिति में यह तिथि 31 जुलाई निर्धारित है।

आयकर धिनियम की धारा 234(ए) में यह निर्धारित तिथि तक आयकर विवरणी दाखिल नहीं करता है तो उसे विवरणी दाखिल करने की निर्धारित तिथि से विवरणी दाखिल करने की तिथि तक का और यदि विवरणी दाखिल ही नहीं की जाती है तो विवरणी दाखिल करने की निर्धारित तिथि से सर्वोत्तम कर निर्धारण तिथि तक का ब्याज अदा करना होगा, एवं 1 प्रतिशत प्रतिमाह साधारण ब्याज दर से उक्त ब्याज की गणना की जायेगी।

ब्याज लगाने संसबंधी प्रावधानों का तो हमने आकलन कर लिया किन्तु अब प्रश्न यह उठता है कि ब्याज की गणना किस प्रकार की जावेगी । आयकर अधिनियम की धारा 235(ए) में ब्याज की गणना करने संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया है।

नियम –1 के अनुसार यदि वार्षिक ब्याज लगना है तो ब्याज लगाने की अवधि में यदि माह का कोई अंश आता है तो उसे छोड़ दिया जायेगा और सम्पूर्ण माह पर ही ब्याज की गणना की जावेगी।

दूसरे, यदि ब्याज लगाने की अवधि में सम्पूर्ण माह के अतिरिक्त एक माह का अंश शमिल है तो उसे सम्पूर्ण माह का कर ब्थ्याज की अवधि की गाना की जावेगी।

तीसरे, किसी अर्थदण्ड, कर या अन्य कोई धन जिस पर ब्याज लगना है उस राशि को 100 के गुणनफल के निकटतम कर लिया जावेगा, और 100 का कोई अंश यदि इस राशि में शामिल है तो उसे छोड़ दिया जावेगा।

दृष्टान्त :–

निम्नलिखित पर आधारित एक व्यक्ति द्वारा देय ब्याज की गणना कीजिए :–

कर निर्धारण वर्ष	–	2018–19
आयकर विवरणी दाखिल करने की तिथि	–	20.10.19
आयकर विवरणी दालि करने की देय तिथि	–	31.07.18
उद्गम स्थान पर कटा हुआ कर	–	5000/–
अग्रिम चुकाया कर	–	15000/–
विवरणी दाखिल करते समय स्वयं कर निर्धारण पर चुकाया गया कर	–	2000/–
निर्धारित आय पर देय कर	–	25180/–

समाधान :–

कर निर्धारण

कटौती :	अग्रिम कर निर्धारण	1500/–
	अप्रेल पर कर कटौती	5000/–
	देयक कर 20000	
	5180	

कुल 5100/– रूपये ।

प्रतिमाह 1 प्रतिशत ब्याज या माह के मध्य में 5100/– रूपये वसूला जावेगा । यदि विवरणी दाखिल करने में विलम्ब हो जाता है। विवरणी दाखिल करने में यदि 5 महीने 20 दिनों का विलंब हुआ है तो इसे पूरा पूरा 6 महीने माना जायेगा।

अतः देय ब्याज = $\frac{5100 \times 1 \times 6}{100}$ = 306 रूपये

15.14 सारांश

प्रस्तुत इकाई का विस्तार पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् हम सरल शब्दों में यह कह सकते हैं कि आय पर लगने वसाला वार्षिक कर आयकर कहलाता है। यह प्रत्येक वर्ष में करदाता द्वारा वर्ष भर कमाई गयी कर योग्य आय पर लगाया जाता है। उदाहरण स्वरूप यदि किसी व्यक्ति की कुल आय 6,80,000/– रूपये है तो 2,50,000/– रूपये घटाकर शेष 4,30,000/– रूपये पर आयकर अधिनियम के प्रावधानों के तहत निर्धारित दरों से आय कर लगाया जायेगा। और इसी संदर्भ में प्रत्येक व्यक्ति जिसकी स्वयं की कुल आय जिसके लिये वह कर दायी है, यदि उक्त आय करमुक्त सीमा से अधिक है तो उसे देय तिथि तक आयकर विवरणी प्रस्तुत करनी होगी। और इसी प्रक्रिया को इस इकाई में भलीभाति समझाने का प्रयास किया गया है।

मूलतः इकाई दो चीजों पर केन्द्रित है – प्रथम आकयर विवरणी, दाखिल करना और दूसरे कर निर्धारण की कार्य प्रक्रिया एवं अवधि । कर निर्धारण के विभिन्न पकारों को प्रस्तुत इकाई में भली भांति इंगित किया गया है। आयकर अधिनियम को कार्यान्वित करने हेतु विभाग का प्रशासन सुचारू रूप से चलाने के लिये भारत सरकार ने कुछ प्राधिकारियों की नियुक्ति का

प्रावधान किया है। इन प्राधिकारियों को आयकर प्राधिकारी कहा जाता है। इन अधिकारियों का प्रावधान धारा 16 में किया गया है।

कर निर्धारणः–प्रस्तुत अध्याय में चार प्रकार के कर निर्धारण की व्यवस्था की गयी है – (1) स्वयं कर निर्धारण (2) सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण, (3)नियमित कर निर्धारण, (4) पुनः कर निर्धारण । नियमित कर निर्धारण को पुनः दो भागों में विभक्त किया गया हैः– (1) विवरणी के आधार पर कर निर्धारण एवं (2) सबूतों के आधार पर नियमित कर निर्धारण।

उपर्युक्त अध्याय में हमने यह भी बताने का प्रयत्न किया है कि जब सर्वोत्तम निर्णय द्वारा कर निर्धारण किया जाता है तो उसमें करदाता पर अर्थदंड लगाया जा सकता है, दंड दिया जा सकता है, और यदि सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण के विरूद्ध कोई शिकायत है तो कर दाता को पुनः कर निर्धारण का उपाय उपलब्ध है, साथ ही भूल सुधार करने का भी प्रावधान उपलब्ध है।

15.15 शब्दावली

स्थायी खाता संख्या :– स्थायी खाता संख्या जिसे अंग्रेजी में PAN के नाम से जाना जाता है और आज के परिवेश में प्रत्येक व्यक्ति के पास PAN का होना अत्यनत आवश्यक है । आयकर विभाग द्वारा प्रत्यक करदाता को एक स्थायी खाता संख्या दी जाती है, जिसे कर दाता को विभाग संबंधी सीाी पत्र–व्यवहारों एवं प्रपत्रों पर अंकित करनी होती है। यदि विभाग द्वारा किन्ही खास परिस्थितियों में PAN नहीं आवंटित किया गया है तो करदाता द्वारा इसके आबंटन हेतु प्रार्थना पत्र देना होता है।

आयकर विवरणी :– ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसकी –आय कर मुक्त सीमा से अधिक है तो उसे आयकर देय तिथि तक अपनी आय की विवरणी प्रस्तुत करनी होती है। कंपनी के संदर्भ में देय तिथि 30 सितंबर होती है, गैर कम्पनी करदाता के लिये देय तिथि 30 सितम्बर तथा अन्य किसी दशा में यह तिथि 31 जुलाई निश्चित की गयी है।

15.16 बोध प्रश्न

1. कर–निर्धारण अधिकारी होता है :
   (क) सहायक कमिश्नर (ख) उप–कमिश्नर
   (ग) आयकर अधिकारी (घ) ये सभी
2. आयकर पदउाधिकारियों में सर्वोच्च पदाधिकारी है –
   (क) वित्तमंत्री (ख) वित्त सचिव
   (ग) प्रत्यक्ष करों का केन्द्रीय बोर्ड (घ) मुख्य कमिश्नर
3. नीचे दिया गया कथन सही है या गलत :–
   आयकर अपीलेट प्राधिकरण आयकर अधिनियम के अन्तर्गत आय कर प्राधिकारी है।

4. संजीव, जिसकी आयु 62 वर्ष है, को आय की विवरणी दाखिल करनी होगी, बशर्तें उसकी सकल कुल आय निम्न से अधिक है :–
   (क) 2,00,000 रूपये (ख) 2,50,000 रूपये
   (ग) 3,00,000 रूपये (घ) 5,00,000/– रूपये
5. स्वयं कर निर्धारण की धारा है:–
   (क) 140 (ख) 140ए (ग) 143 (घ) 144

15.17 बोध प्रश्नों के उत्तर

उत्तर :– 1. (घ) 2. (ग), 3. गलत 4. (ग) 5 (ख)

15.18 स्वपरख प्रश्न

1. भारतीय आयकर अधिनियम में किन–किन प्राधिकारियों का वर्णन किया गया है तथा उनके क्या कार्य हैं ?
2. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये :–
   (क) कर निर्धारण अधिकारी (ख) आयुक्त (अपील)
3. स्थायी खाता संख्या से आप क्या समझते है ? इसके आबंटन के लिये प्रार्थना पत्र देने में चूक करने के क्या परिणाम होते हैं ?
4. सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण से आप क्या समझते हैं ? क्या इस प्रकार के कर निर्धारण के विरूद्ध करदाता के प ास कोई उपाय है?
5. एक पक्षीय कर निर्धारण से क्या तात्पर्य है । किन परिस्थितियों में यह किया जा सकता है, इसके क्या परिणाम होते हैं ?
6. विलम्बित विवरण दाखिल करने से क्या समझते हैं?
7. आधार संख्या उद्घृत करने संबंधी प्रावधानों पर प्रकाश डालिये।
8. आयकर विवरणी दाखिल करने से संबंधित प्रावधानों की व्याख्या कीजिए।
9. प्रत्यक्ष करों के केन्द्रीय बोर्ड अथवा आयकर आयुक्त के अधिकारों का वर्णन कीजिए।
10. आयकर अधिनियम के अन्तर्गत आयकर विवरणी को दाखिल करने से छूट संबंधी प्रावधानों की चर्चा कीजिए ।
11. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये :–
    (क) पुनः कर निर्धारण
    (ख) कर–निर्धारण अधिकारी
    (ग) स्थायी खाता संख्या
    (घ) प्रत्यक्ष करों के केन्द्रीय बोर्ड के तीन कार्य ।

15.19 सन्दर्भ पुस्तकें

1. Singhania : Direct Taxes, Taxman, New Delhi. (2019).
2. मेहरोंत्रा एच0सी0 एवं जोशी सीवएस0 : आय कर– कर निर्धारण वर्ष 2019–20, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा (2019) ।

इकाई–16 उद्गम स्थान पर कर की कटौती

इकाई की रूपरेखा

16.1 प्रस्तावना

16.2 उद्गम स्थान पर कर की कटौती

16.2.1 वेतन

16.2.2 प्रमाणित प्राविडेन्ट फंड की राशि

16.2.3 प्रतिभूतियों पर ब्याज

16.2.4 लाभांश

16.2.5 लाटरी या वर्ग पहेली आदि के इनाम से आय

16.2.6 घुड़ दौड़ से जीत

16.2.7 ठेकेदारों व उपठेकेदारों को किये गये भुगतान

16.2.8 बीमा कमीशन

16.2.9 अनिवासी खिलाड़ियों अथवा खेल के संघों या मनोरंजनकर्ता को भुगतान

16.2.10 राष्ट्रीय बचत योजना में जमा में से भुगतान करने पर कर की कटौती

16.2.11 पारस्परिक कोष अथ्वा भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा यूनिटों के पुनः क्रय पर भुगतान

16.2.12 लॉटरी की टिकटों को बेचने के संबंध में कमीशन आदि पर कर की कटोती

16.2.13 कमीशन या दलाली की आय में से कर की कटौती।

16.2.14 किराए के भुगतान के संबंध में कर की कटौती।

16.2.15 कृषि भूमि से अतिरिक्त स्थायी संपत्ति के अन्तरण के प्रतिफल में से कर की कटौती

16.2.16 व्यक्तियों या हिन्दू अविभाजित परिवार द्वारा किराये का भुगतान

16.2.17 विनिर्दिष्ट करार के अर्न्तगत भुगतान

16.2.18 पेशे अथवा तकनीकी सेवाओं के लिये फीस आदि की आय पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती ।

16.2.19 स्थायी संपत्ति के अधिग्रहण पर प्रतिफल में से कर की कटौती

16.2.20 व्यावसायिक ट्रस्ट से यूनिट से आय

16.2.21 प्रतिभूतिकरण न्यास में विनियोग से आय पर कर कटौती

16.3 प्रतिभूतियों पर ब्याज तथा अन्य आय पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती की दरें एवं संबंधित धाराएं

16.3.1 कंपनी के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति की स्थिति में

16.3.2 कंपनी की दशा में

16.3.3 प्रतिभूतियों पर ब्याज
16.3.4 लाभांश
16.3.5 लाटरी अथवा वर्ग पहेली आदि के इनाम से आय
16.3.6 घुड़दौड़ से जीत
16.3.7 ठेकेदारों व उप ठेकेदारों को किये गये भुगतान
16.4 सारांश
16.5 शब्दावली
16.6 बोध प्रश्न
16.7 बोध प्रश्नों के उत्तर
16.8 स्वपरख प्रश्न
16.9 सन्दर्भ पुस्तकें

उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप इस योग्य हो सकेंगे कि :

- उद्गम स्थान पर कर की कटौती की व्याख्या कर सकें।
- उद्गम स्थान पर कर की कटौती योग्य भुगतान का वर्णन कर सकें।
- वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कर की कटौती संबंधी प्रावधान की जानकारी प्राप्त कर सकें।
- कर कटौती के सिद्धान्तों का विश्लेषण कर सकें।
- विभिन्न स्रोतों से होने वाली आय पर कर कटौती से संबंधित प्रक्रिया एवं प्रावधान की व्याख्या कर सकें।
- स्वयं कर निर्धारण पर कर का भुगतान का वर्णन कर सकें।
- मांग का नोटिस से संबंधित प्रावधानों की भी जानकारी प्राप्त कर सकें।

16.1 प्रस्तावना

पिछली इकाई में हमने विभिन्न आयकर प्राधिकारियों एवं कर निर्धारण की कार्यविधि के विषय में अध्ययन किया । इस इकाई में हम यह जानने कास प्रयास करेंगे कि उद्गम स्थान पर कटौती से क्या तात्पर्य है ? यदि कोई व्यक्ति आय का भुगतान करते समय उस आय पर निर्धारित दर से करू, काट ले तथा शेष रकम आय प्राप्तकर्ता को देरक काटी हुई रकम सरकारी खजाने में जमा करा देता है तो इस प्रकार की कटौती को उद्गम स्थान पर कर की कटौती कहा जाता है। हम इस इकाई में अध्ययन करेंगे कि स्रोत पर कर कटौती या टी.डी.एस. का क्या मतलब होता है ? यह क्यों लगाया जाता है ? और यह कितनी आय पर लगता है ? टी.डी.एस. प्रारंभ करने का मकसद यह था कि स्रोत पर ही कर काट लिया जाए। दूसरे शब्दों में यदि किसी व्यक्ति को आय होती है तो उस आय से कर काटकर बाकी

रकम दी जाती है तो कर के रूप में काटी गयी रकम को टी.डी.एस. कहते हैं।

सरकार इस कर के माध्यम से कर जुटाती है, यह विभिन्न स्रोतों पर काटा जाता है, उदाहणार्थ वेतन, किसी निवेश पर मिले ब्याज या कमीशन आदि पर ।

16.2 उद्गम स्थान पर कर की कटौती

उद्गम स्थान पर कर की कटौती हर आय कर और प्रत्येक लेन देन पर लागू नहीं होता है। जैसे यदि एक व्यक्ति भारतीय है और उसने म्यूचुअल फंडस में निवेश कियाा है तो इस पर जो आय प्राप्त हुई उस पर कोई टी.डी.एस. नहीं लगेगा लेकिन यदि कोई व्यक्ति अप्रवासी भारतीय है तो इस फंड से हुये आय पर उसे टी.डी.एस. देना होगा। जो व्यक्ति भुगतान कर रहा है वह टी.डी.एस. भरने के लिये उत्तरदायी है ओर सरकार के खाते में जमा करना जरूरी है। फार्म 26 AS एक कर स्टेटमेंट होता है जिसमें यह दिखाया जाता है कि काटा गया कर और व्यक्ति नाम या पैन में जमा किया गया है।

यह बात ध्यान देने योग्य है कि एक निश्चित स्तर से ज्यादा भुगतान पर ही टी.डी.एस. कटता है, अगर निश्चित रकम से ज्यादा भुगतान नहीं है तो टी.डी.एस. नहीं कटता है उदाहरण के लिये यदि एक साल में एफ.डी. से अगर 10 हजार से कम ब्याज मिलता है तो उस पर टी.डी.एस. नहीं चुकाना पड़ेगा। नवभारत टाइम्स के अनुसार टी.डी.एस. आयकर का एक हिस्सा है। यह आयकर को आंकने का एक तरीका है । आय करसे टी.डी.एस. अधिक होने पर वापिसी का दावा किया जाता है और कम होने की स्थिति में अग्रिम कर या स्वनिर्धारण कर जमा करना होता है।

कम्पनी के मामले में अगर कर योग्य आय पर देय कर कुल फायदे के 15 फीसदी से कम है तो कुल फायदे को आय मानकर 15 फीसदी आयकर देना होगा।

16.2.1 वेतन

आयकर अधिनियम की धारा 192 में यह प्रावधानित है कि यदि किसी कर्मचारी का अनुमानित कर योग्य वेतन कर मुक्त सीमा से अधिक है तथा निर्धारित कर राहत जो कि धारा 89 के अन्तर्गत प्राप्त है, घटाने के बाद भी कर देय है तो वेतन देने वाले व्यक्ति का दायित्व है कि वेतन का भुगतान करने से पूर्व कर की कटौती करके सरकारी खजाने में जमा करायें।

वित्तीय वर्ष (कर–निर्धारण वर्ष) 2018–19 में वेतन से उद्गम स्थान पर कर की कटोती करने के लिये निम्न दरें लागू हैं :–

(1) वरिष्ठ नागरिक (भारत में निवासी जिनकी आय गत वर्ष में 60 वर्ष या अधिक है परंतु 80 वर्ष से कम है) :–

प्रथम 3,00,000 रूपये पर	–	शून्य
अगले 2,00,000 रूपये पर	–	5 प्रतिशत

अगले 5,00,000 रूपये पर	–	20 प्रतिशत
शेष आय पर	–	30 प्रतिशत

(2) भारत में निवासी जिनकी आयु गत वर्ष में 80 वर्ष या अधिक है–

प्रथम 5,00,000 रूपये पर	–	शून्य
अगले 5,00,000 रूपये पर	–	20 प्रतिशत
शेष आय पर	–	30 प्रतिशत

(3) अन्य व्यक्ति :–

प्रथम 2,50,000 रूपये पर	–	शून्य
अगले 2,50,000 रूपये पर	–	5 प्रतिशत
अगले 5,00,000 रूपये पर	–	20 प्रतिशत
शेष आय पर	–	30 प्रतिशत

यदि भारत में निवासी एक व्यक्ति की कुल आय 3,50,000/– रूपये से अधिक नहीं है तो देय कर में से 3500/– रूपये तक की कटौती मिलेगी। यदि कुल आय पचास लाख रूपये से अधिक है परन्तु एक करोड़ रूपये से अधिक नहीं है तो 10 प्रतिशत और यदि आय एक करोड़ रूपये से अधिक है तो 15 प्रतिशत अधिभार लगेगा।

वेतन पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती करने के कुछ नियम हैं जो कि इस प्रकार है:–

- यदि किसी वित्तीय वर्ष में किसी करदाता के एक से अधिक नियोक्ता हैं चाहे वह एक साथ हों या एक के बाद दूसरा, तो वह अपनी इच्छानुसार किसी एक नियोक्ता को अन्य नियोक्ताओं से मिलने वाली वेतन रूपी आय का विवरण तथसा उनके द्वारा स्रोत पर कर की कटौती का विवरण दे सकता है। और वही चयनित नियोक्ता कर का समायोजन करने के बाद कर की कटौती करेगा।
- यदि किसी कर्मचारी की वेतन की आय के अतिरिक्त अन्य किसी शीर्षक में उसी वित्तीय वर्ष में कर योग्य है तो वह अपने नियोक्ता को ऐसी अन्य आय तथा स्रोत पर कटे हुये कर का विवरण दे देता है तो नियोक्ता ऐसी अन्य आय तथा उस पर कटे हुये कर को ध्यान में रखकर वेतन पर स्त्रोत पर कर की कटौती करेगा।
- यदि वेतन का भुगतान विदेशी मुद्रा में किया जाता है तो उस मुद्रा को निर्धारित विनिमय दर से रूपये में ज्ञात करके कर की कटौती की जायेगी।

नियोक्ता को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 30 जून, 30 सितम्बर 31 दिसंबर एवं 31 मार्च तक का त्रैमासिक उद्गम स्थान पर वेतन से कर की कटौती का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है। इस विवरणी में कर काटने वाले व्यक्ति की कर कटौती संख्या (TAN) एवं उन कर्मचारियेां का PAN भी लिखना होगा जिनके वेतन से कर की कटौती की गयी है।

16.2.2:—प्राविडेन्ट फंड की राशि का कर्मचारी को भुगातान :—

कर्मचारी भविष्य निधि भारत के वेतन भोगी व्यक्तियों के लिये सबसे लाभदायक एवं लोकप्रिय निवेश माना जाता है। भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अन्तर्गत कार्य करने वाला एक निकाय होता है जिसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नम से जाना जाता है। जिनका उद्देश्य निर्धारित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का क्रियान्वयन करना होता है। इस योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों को भविष्य निधि, पेंशन एवं बीमा संबंधी लाभ प्रदान कियेजाते है। बीस या बीस से अधिक कार्यरत कर्मचारियों वाले सभी संगठनों को भविष्य निधि खाता रखना आवश्यक होता है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा हाल ही में एक नयी सेवा प्रारंभ की गयी है जिसके अन्तर्गत अब अगर कोई कर्मचारी अपनी नौकरी बदल कर एक संस्था से दूसरी संस्था में जाता है तो वह अपने भविष्य निधि खाते की राशि के स्थानांतरण के लिये आनलाइन आवेदन कर सकता है।

यदि प्रमाणित भविष्य निधि की राशि का भुगतान करते समय करते समय योग्य है तो उस पर दस प्रतिशत की दर से स्त्रोत पर कर की कटौती की जायेगी। यदि ऐसा कर्मचारी नियोक्ता को अपना च।छ नही बताता है तो अधिकतम सीमान्त दर से कर की कटौती की जाएगी। किन्तु यदि भुगतान की गयी राशि 50,000/— रूपये से कम है तो कर की कटौती नहीं की जावेगी।

16.2.3 प्रतिभूतियों पर ब्याज :—

धारा 193 में प्रतिभूतियों पर ब्याज के सम्बन्ध में कर की कटौती के संदर्भ में प्रावधान किया गया है । राष्ट्रीय विकास पत्र, या राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र या किसी सहकारी समिति अर्थात किसी संस्था या सत्ता या सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी द्वारा निर्गमित ऋण पत्र पर देय ब्याज या केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार की किसी भी प्रतिभूति पर ब्याज की देय राशि पर स्त्रोत पर कर की कटौती नहीं की जायेगी किन्तु इसका एक अपवाद भी है कि यदि 8 प्रतिशत बचत पत्र, 2003 या 7.75 प्रतिशत बचत पत्र, 2018 पर वित्त वर्ष में ब्याज की राशि 10,000/— रूपये से अधिक है तो कर की कटौती की जा सकेगी।

इसी प्रकार भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय साधारण बीमा निगम या इसकी चार कम्पनियों में से किसी कम्पनी का यदि प्रतिभूतियों पर स्वामित्व हैं तो ब्याज की देय राशि पर स्त्रोत कर की कटौती नहीं की जायेगी।

किसी कम्पनी के यदि ब्याज का भुगतान एकाउन्ट पेयी चैक के द्वारा किया हो तब भी स्त्रोत पर कर की कटौती नहीं की जायेगी।

प्रतिभूतियों पर मिलने वाले ब्याज पर स्त्रोत पर कर की कटौती या तो भुगतान करते समय की जा सकती है या राशि खाते में जमा करते समय जो भी पहले ही की जा सकती है। स्त्रोत पर कर कटौती की दर 10

प्रतिशत निर्धारित की गयी है। कर कटौती का प्रमाण पत्र फार्म नं. 16–ए में दिये जाने का प्रावधान है।

16.2.4 लाभांश :– धारा 194 कहती है कि घरेलू कम्पनी के मुख्य अधिकारी का यह दायित्व है कि वह एक निवासी या घरेलू कम्पनी, अंशधारी को धारा 2(2) (इ) में दिये वर्णित लाभांशों पर स्त्रोत पर निर्धारित दर 10 प्रतिशत से कर की कटौती करे। किन्तु यदि अंशधारी कोई व्यक्ति है और कम्पनी लाभांश का भुगतान एकाउन्टपेयी चेक द्वारा करती है तथा लाभांश की राशि जो इस वित्तीय वर्ष में व्यक्ति को भुगतान की गयी है, या भुगतान किये जाने की सम्भावना है, वह 2,500/– रूपये से अधिक नहीं है, एवं यदि लाभांश भारतीय जीवन बीमा निगम भारतीय साधारण बीमा निगम या इसकी सहयोगी चार कम्पनियों में से किसी कम्पनी को या किसी अन्य बीमाकर्ता को या उनके खाते में लाभांश दिया गया है और उसका अंशों पर स्वामित्व है, उन लाभांश पर स्त्रोत पर कर कर कटौती नहीं की जायेगी । इसी प्रकार, धारा 2(2)(ए) (बी1), (सी) एवं (डी) में वर्णित लाभांश भी धारा 10(34) के अन्तर्गत करमुक्त है। अब प्रश्न यह उठता है कि लाभांश किसे माना जायेगा। तो इस संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि एक ऐसी कम्पनी जो जनता से बहुत हित नहीं रखती, यदि वह अपने किसी वास्तविक अंशधारी को दिया गया कोई ऋण जिसमें ऐसे अंशधारी का सारवान हित है, धारा 2(22) (इ) के अन्तर्गत लाभांश माना जायेगा ।

16.2.5 लाटरी या वर्ग पहेली आदि के इनाम से होने वाली आयः–

अब हम चर्चा करेंगे कि किसी व्यक्ति के द्वारा लाटरी द्वारा होने वाली आय या किसी वर्ग पहेली से जीतने वाली आय से होने वाली आय पर कर की कटौती का क्या प्रावधान है। अधिनियम की धारा 194(बी) इसी मामले से संबंधित है। वर्ग पहेली, लॉटरी, ताश के खेल एवं किसी अन्य प्रकार के खेल के इनाम का भुगतान करने वाले व्यक्ति का दायित्व है कि यदि वह घरेलू कम्पनी या निवासी व्यक्ति को 10,000/– रूपये से अधिक इनाम का भुगतान कर रहा है तो इसी भुगतान की गयी राशि पर कटौती स्त्रोत पर ही एक निर्धारित दर से कर ली जानी चाहिये। इनाम की राशि 10,000/– रूपये से कम होने पर स्त्रोत पर कर की कटौती नहीं की जायेगी। वित्तीय वर्ष 2018–19 में कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिये लॉटरी वर्ग पहेली आदि के इनाम पर 30 प्रतिशत की दर से कर की कटौती की जायेगी।

लॉटरी के टिकिट बेचने वाले अभिकर्ताओं को दी जाने वाली कमीशन राशि अथवा बोनस से स्त्रोत पर कर की कटौती धारा 194(बी) के अन्तर्गत नहीं की जा सकेगी।

16.2.6 घुड़दौड़ से जीत :– धारा 194(बी.बी) के तहत कोई भी ऐसा व्यक्ति जो घड़दौड़ की रकम का भुगतान करने के दायित्वाधीन है, 10,000/– रूपये से अधिक का भुगतान घरेलू कम्पनी या रहवासी को

करने पर स्त्रोत पर वित्तीय वर्ष 2018–19 में 30 प्रतिशत की दर से कर की कटौती करेगा।

16.2.7 ठकेदारों व उपठेकेदारों को किये गये भुगतान :–

निम्नलिखित भुगतानों पर आय कर की कटौती की जा सकेगी :–

(1) केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा, या

(2) किसी स्थानीय सत्ता द्वारा, या

(3) किसी निगम द्वारा, या

(4) किसी कम्पनी द्वारा, या

(5) किसी विधि द्वारा गठित प्राधिकरण द्वारा जो कि गांवों, कस्बों या नगरों के विकास में संलग्न है, या

(6) किसी सहकारी समिति द्वारा, या

(7) पंजीकृत सोसायटी द्वारा,या

(8) किसी मान्य विश्वविद्यालय द्वारा, या

(9) किसी ट्रस्ट द्वारा, या

(10) किसी फर्म द्वारा,

(11) या किसी हिन्दू आविभाजित परिवार जिनके खातों का अंकेक्षण धारा 44एबी के अन्तर्गत अनिवार्य है। यदि किसी ठेकेदार उपठेके का प्रतिफल 30,000/– रूपये से अधिक है तो कर की कटौती की जायेगी या यदि किसी ठेकेदार या उप ठेकेदार को गतवर्ष में दी गयी राशि का योग 1 लाख रूपये से अधिक है तो भी कर की कटौती की जायेगी।

इसी प्रकर एक व्यक्ति या हिन्दू अविभाजित परिवार को भुगतान की गयी राशि पर एक प्रतिशत एवं किसी अन्य व्यक्ति को भुगतान की गयी राशि पर दो प्रतिशत की दर से कर की कटौती की जा सकेगी।

16.2.(8) बीमा कमीशन :– कोई बीमा व्यापार लाने अथवा उसे नवीनीकृत काने के प्रतिफल में यदि एक निवासी या घरेलू कम्पनी को बीमा कमीशन प्राप्त होता है तो प्रतिफल देने वाले का दायित्व है कि वह ऐसी आय को भुगतान प्राप्तकर्ता के खाते में जमा करते समय या भुगतान करते समय जो भी पहले हो, ऐसी आय पर निम्न दर से आय की कटौती कर ले, किन्तु यदि किसी वित्तीय वर्ष में ऐसी आय 15000/– रूपये से अधिक नहीं है तो स्त्रोत पर कटौती नहीं की जा सकेगी।

यदि कोई व्यक्ति किसी निवासी को जीवन बीमा पालिसी के अधीन किसी राशि का भुगतान करता है तो वह एक प्रतिशत की दर से कर की कटौती करेगा किन्तु यदि किसी वित्तीय वर्ष में ऐसी भुगतान राशि एक लाख रूपये से कम है तो कर की कटौती नहीं की जायेगी।

16.2.9 अनिवासी खिलाड़ियों या खेल संघों या मनोरंजनकर्ताओं को भुगतान :–

ऐसा कोई खिलाड़ी जो भारत का नागरिक नहीं है अनिवासी खेल संघ अथवा संस्था अथवा अनिवासी मनोरंजनकर्ता को निम्न आय का भुगतान करने वाला दायित्वाधीन है कि वह ऐसी किसी आय को भुगतान प्राप्तकर्ता के खाते में जमा करते समय अथवा भुगतान करते समय, जो पहले हो, उस राशि पर 20 प्रतिशत + अधिभार, + स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर 4 प्रतिशत की दर से आय पर काटे :–

(अ) यदि वह भारत में किसी खेल में भाग लेने से या विज्ञापन से या भारत में किसी खेल के संबंध में किसी पत्रिका अथवा समाचार पत्र में लेख देने से किसी आय का भुगतान करता है या

(ब) यदि वह कोई खेल संघ या संस्था है तो भारत में खेले गये किसी खेल के संबंध में उसे भुगतान करने के लिये जो राशि प्रतिभूति की गयी है।

16.2.10 राष्ट्रीय बचत योजना में जमा में भुगतान करने पर कर की कटौती:–

ऐसा करदाता जो धारा 80 सीसी.ए. के अन्तर्गत जमा राशि का भुगतान करता है, उसका दायित्व है कि वह ऐसा भुगतान करते समय 10 प्रतिशत की दर से आय कर की कटौती कर लजे। यदि किसी वित्तीय वर्ष में कुल भुगतान की राशि 2500/– रूपये से कम है अथवा भुगतान करदाता के उत्तराधिकारियों को किया जा रहा है तो कर की कटौती नहीं की जायेगी।

16.2.11पारस्परिक कोष अथवा भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा यूनिटों के पुनः क्रय पर भुगतान :– भारतीय यूनिट ट्रस्ट के अन्तर्गत यूनिटों के पुनः क्रय में विनियोगित धनराशि अथवा योजना समाप्त होने पर कोई धनराशि वापिस की जाती है तो पारस्परिक कोष अथवा यूनिट ट्रस्ट भुगतान करते समय विनियोग की गयी राशि पर 20 प्रतिशत की दर से आयकर काटेगा।

16.2.12लाटरी की टिकटों को बेचने के संबंध में कमीशन आदि पर कर की कटौती :–

ऐसा व्यक्ति जो लाटरी के टिकटों को बेचने हेतु स्टॉक रखता है या बिना स्टॉक के ही बेचता है और ऐसे विक्रय से यदि उसे 15000/– रूपये से अधिक कोई कमीशन, पारिश्रमिक का इनाम प्राप्त होता है तो उक्त राशि का भुगतान करने वाले व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह ऐसे भुगतान करते समय या खाते में जमा करते समय उक्त राशि में से 5 प्रतिशत की दर से कटौती कर लजे।

16.2.13 कमीशन या दलाली की आय से कर की कटौती :–

यदि कोई व्यक्ति जिसे अर्जन खातों का अंकेक्षण करवाना अनिवार्य है एवं कोई अन्य करदाता जो बीमा कमीशन छोड़कर कमीशन या दलाली का भुगतान किसी निवासी को करता है और यह भुगतान की राशि 15000/–

रूपये से अधिक है तो ऐसा भुगतान करने वाले व्यक्ति का यह दायित्व है कि वह इस राशि पर 5 प्रतिशत की दर से कर कटा ले। ठीक इसी प्रकार यदि कोई हिन्दू अविभाजित परिवार किसी निवासी को 15000/– रूपये से अधिक कमीशन या दलाली का भुगतान करता है तो उसका भी यह दायित्व है कि वह भुगतान करते समसंख्या राशि जमा करते समय 5 प्रतिशत की दर से कर काट ले।

16.2.14किराये के भुगतान के संबंध में कर की कटौतीः–

एक व्यक्ति, हिन्दू अविभाजित परिवार तथा अन्य करदाता यदि भारत में निवासी को एक वित्तीय वर्ष में 1,80,000/– रूपये के अधिक किराये का भुगतान करते हैं वो कटौती की दर निम्नानुसार होगी–

(अ)	मशीनरी, प्लान्ट के प्रयेाग के लिये	–	2 प्रतिशत
(ब)	अन्य सम्पत्तियों के प्रयोग के लिये	–	10 प्रतिशत

यहाँ एक बात स्पष्ट कर देना आवश्यक होगा कि किराये शब्द में पट्टा, उपपट्टा, किरायेदारी आदि सभी कुछ सम्मिलित है चाहे भले ही भुगतान प्राप्तकर्ता उसका स्वामी न हो। करकी कटौती के लिये किराये की राशि में सेवा कर की राशि शामिल नहीं होगी।

16.2.15 कृषि भूमि से भिन्न स्थायी सम्पत्ति के अन्तरण के प्रतिफल में से कर की कटौती :–

जैसा कि शीर्षक से ही स्पष्ट हो रहा है कि जब किसी अचल सम्पत्ति (इसमें कृषि भूमि सम्मिलित नहीं है) या ावन या उसके किसी भाग का अन्तरण भारत में निवास करने वाले किसी व्यक्ति को किया जाता है, तो भुगतान करने वाले व्यक्ति का दायित्व है कि वह भुगतान करते समय ऐसी राशि में से एक प्रतिशत की दर से आयकर की कटौती करे। यदि स्थायी सम्पत्ति के प्रतिल की राशि पचास लाख रूपये से कम है तो किसी भी प्रकार के कर की कटौती नहीं की जायेगी।

16.2.16 व्यक्ति या हिन्दू अविभाजित परिवार द्वारा किराये का भुगतानः–

ऐसा व्यक्ति जो हिन्दू अविभाजित परिवार जिसे अपने खातों का निरीक्षण कराना अनिवार्य नहीं है, भारत में निवासी किसी व्यक्ति को, किसी भूमि या भवन या दोनों जिनका किराया 50,000/– रूपये प्रतिमाह से अधिक है,ऐसी आय का 5 प्रतिशत दर के अनुसार कर की कटौती करेगा।

16.2.17 विनिर्दिष्ट करार के अधीन भुगतान :–

विनिर्दिष्ट संविदा के अन्तर्गत किसी भवन या भूमि या दोनों के अन्तरण पर भुगतान करने वाला व्यक्ति भारत में निवासी किसी व्यक्ति को प्रतिफल की राशि का 10 प्रतिशत की दर से कटौती करेगा। ऐसी कटौती राशि प्राप्त कर्ता के खाते में जमा करते समय या भुगतान करते समय जो पहले हो, की जायेगी।

16.2.18 पेशे अथवा तकनीकी सेवाओं के लिये फीस आदि की आय पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती :–

एक व्यक्ति अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार अथवा अन्य करदाता जो किसी निवासी को पेशे की सेवाओं के लिये या तकनीकी सेवाओं के लिये या रॉयल्टी के संबंध में भुगतान करता है या खाते में जमा करता है तो वह ऐसी राशि पर 10 प्रतिशत की दर से कर की कटौती करेगा।

किसी काल सेन्टर को चलाने के कारोबार से प्राप्त राशि पर 2 प्रतिशत की दर की कटौती की जावेगी।

16.2.19 स्थायी सम्पत्ति के अधिग्रहण पर प्रतिफल से कर की कटौती :

किसी अधिनियम के तहत् किसी अचल सम्पत्ति के अधिग्रहण होने पर, भारत में निवासी को इसका प्रतिफल या क्षतिपूर्ति की राशि मिलने पर, राशि देने वाला दायित्वाधीन हो जाता है कि वह भुगतान करते समय उस राशि में से 10 प्रतिशत की दर से आयकर की कटौती कर ले।

किन्तु यदि अचल सम्पत्ति कृषि भूमि है, चाहे वह शहरी क्षेत्र में हो या ग्रामीण क्षेत्र में, या जब वित्तीय वर्ष में ऐसे भुगतान का योग दो लाख पचास हजार रूपये से अधिक नहीं है या ऐसा भुगतान किसी अवार्ड या करार के अन्तर्गत किया गया है तो इन पर अयकर की कटौती नहीं की जा सकेगी।

16.2.20 व्यावसायिक ट्रस्ट के यूनिटों से आय :–

व्यावसायिक ट्रस्ट द्वारा अपने निवासी यूनिटधारियों को विरित आय पर 10 प्रतिशत की दर से कर कटौती करेगा।

16.2.21 प्रतिभूतिकरण न्यास में विनियोग से आय पर कर कटौती :–

यदि विनियोगकर्ता निवासी कोई व्यक्ति या हिन्दू अविभाजित परिवार है तो 25 प्रतिशत एवं यदि आय पाने वाला कोई अन्य व्यक्ति है तो 30 प्रतिशत की दरों से कर की कटौती की जायेगी ।

16.3 प्रतिभूतियों पर ब्याज तथा अन्य आय पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती से संबंधित धाराएं

प्रतिभूतियों पर ब्याज तथा अन्य आय पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती से संबंधित धाराएं हैं धारा 193, 194, 194(ए), 194(बी), 194(डी) 194 एल.बी.ए., 194 एल.एल.बी., 194 एल.बी.सी. तथा 195 हैं। इन धाराओं के अन्तर्गत कर की कटौती की विभिन्न दरों का वर्णन किया गया है। इसकी हम विस्तार में चर्चा करेंगे।

16.3.1 कम्पनी के अतिरिक्त अन्य किसी अन्य व्यक्ति की स्थिति में :–

यदि वह अन्य व्यक्ति भारत में निवासी है तो प्रतिभूतियों पर ब्याज छोड़कर अन्य ब्याज पर 10 प्रतिशत कर की दर से कटौती की जा सकेगी। स्थानीय सत्ता द्वारा अथवा केन्द्रीय अथवा राज्य अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित किसी निगम द्वारा निगमित ऋण पत्रों अथवा अन्य प्रतिभूतियों पर ब्याज पर दस प्रतिशत की दर से कटौती तथा एक कम्पनी द्वारा निर्गमित ऋणपत्रों पर ब्याज, यदि ये ऋण पत्र भारत में किसी मान्य स्टॉक एक्सचेन्ज

पर अधिसूचित है, तथा केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार की प्रतिभूतियों पर ब्याज पर 10 प्रतिशत की दर से कटौती की जायेगी। बीमा कमीशन पर 5 प्रतिशत लॉटरी, क्रासवर्ड पजल्स, ताश के खेल एवं किसी अन्य प्रकार के इनाम पर 30 प्रतिशत, घुड़दौड़ में जीत के इनाम पर 30 प्रतिशत एवं किसी अन्य आय पर 10 प्रतिशत की दर से कटौती की जायेगी।

16.3.2 कम्पनी की दशा में :–

घरेलू कम्पनी की स्थिति में प्रतिभूतियों के ब्याज के अतिरिक्त अन्य ब्याज पर 10 प्रतिशत, लॉटरी, क्रासवर्ड पजल्स, ताश के खेल एवं किसी प्रकार के खेल से इनाम पर 30 प्रतिशत, घुड़दौड़ की जीत से इनाम पर 30 प्रतिशत, तथा अन्य किसी आय पर 10 प्रतिशत की दर से आय कर की कटौती की जा सकेगी।

इसी प्रकार घरेलू कम्पनी न होने की स्थिति में लॉटरी, क्रासवर्ड पहेली, ताश के खेल एवं किसी प्रकार के खेल से इनाम पर 30 प्रतिशत, घुड़दौड़ की जीत से इनाम पर 30 प्रतिशत, अल्पकालीन पूंजी लाभ पर 15 प्रतिशत, दीर्घकालीन पूंजी लाभ पर 20 प्रतिशत, सरकार अथवा भारतीय संस्था द्वारा विदेशी मुद्रा में लिये गये ऋण पर देय ब्याज की आय पर 20 प्रतिशत, रॉयल्टी तथा तकनीकी फीस पर 10 प्रतिशत तथा अन्य किसी आय पर 40 प्रतिशत की दर से आय कर की कटौती की जायेगी।

चर्चा योग्य विषय यह भी है कि कर्मचारी को प्राविडेन्ट फण्ड की राशि का भुगतान करने पर यदि वह कर योग्य है तो उस पर दस प्रतिशत की दर से स्त्रोत पर कर की कटौती की जायेगी । यदि प्रोविडेन्ट फण्ड प्राप्त करने वाली कर्मचारी नियोक्ता को अपना PAN नहीं बताता तो अधिकतम सीमान्त दर से कर की कटौती की जाएगी। इसी के साथ यदि कर्मचारी को भुगतान की जाने वाली राशि 50,000/– रूपये से कम है तो कर की कटौती नहीं की जायेगी।

16.3.3 प्रतिभूतियों पर ब्याज :–

अब हम चर्चा करेंगे प्रतिभूतियों पर लगने वाले ब्याज पर होने वाले कर की कटौती के संबंध में । भारत में निवासी व्यक्ति या घरेलू कम्पनी भुगतान करते समय या खाते में जमा करते समय 10 प्रतिशत की दर से कर की कटौती की जायेगी एवं कर कटौती का प्रमाण–पत्र फार्म नं. 16ए के अन्तर्गत दिया जायेगा। राष्ट्रीय विकास बाण्ड, राष्ट्रीय बचत प्रमाण–पत्र, किसी सहकारी समिति अथवा किसी संस्था या सत्ता या सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी द्वारा निर्गमित ऋण पत्र पर देय ब्याज या केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार की किसी भी प्रतिभूति पर ब्याज की दशा में उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की जायेगी। किन्तु इसका एक अपवाद है कि यदि ब्याज की राशि 10,000/– से अधिक है तो कर की कटौती की जायेगी।

16.3.4 लाभांश :

किसी भी घरेलू कम्पनी के शेयर धारकों को लाभांश दिया जाता है। अतः घरेलू कम्पनी के मुख्य अधिकारी का यह दायित्व होता है कि वह एक निवासी या घेरलू कम्पनी अंशधारी को दिये जाने वाले लाभंशों पर स्त्रोत पर 10 प्रतिशत की निर्धारित दर से कटौती करे। धारा 194 आगे वर्णित करती है कि यदि अंशधारी एक व्यक्ति है और कम्पनी लाभांश का भुगतान एकाउन्टपेयी चेक के द्वारा करती है तथा यह राशि उस व्यक्ति को वित्तीय वर्ष में भुगतान की यी है या किये जाने की संभावना है ऐसी राशि 2500/– रूपये से अधिक नहीं है तथा लाभांश भारतीय जीवन बीमा निगम भारतीय साधारण बीमा निगम या इसकी चार कम्पनियेां में से किसी एक कम्पनी को दिया गया है तो लाभांश पर स्त्रोत पर कर की कटौती नलहीं की जायेगी।

16.3.5 लाटरी अथवा वगै पहेली आदि के इनाम से आय :

यदि घरेलू कम्पनी या निवासी व्यक्ति को लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल एवं किसी अन्य प्रकार के खेल के इनाम के फलस्वरूप 10,000/– रूपये से अधिकर का भुगतान किया जाता है इस राशि पर निर्धारित दर से उद्‌गम स्थान पर ही कर की कटौती की जा सकेगी तथा यदि इनाम की राशि दस हजार रूपये से कम है तो कर की कटौती नहीं की जायेगी। यदि लॉटरी का इनाम नकद में न देकर, इनाम में वस्तु दी जाती है तो वस्तु के मूल्य पर आय कर की कटौती की जायेगी। यदि इनाम आंशिक नकद तथा आंशिक वस्तु के रूप में दिया जाये तो दोनों इनामों के कुल मूल्य पर आय कर की कटौती की जायेगी।

16.3.6 घुड़दौड़ से जीत :

जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि वह व्यक्ति जो घुड़दौड़ से होने वाली जीत की रकम का भुगतान करने के दायित्वाधीन है और ऐसा भुगतान वह किसी निवासी या घरेलू कम्पनी को करने हेतु दायित्वाधीन है तो वित्तीय वर्ष 2018–19 में 30 प्रतिशत की दर से कर की कटौती स्त्रोत पर ही कर लेगा। किन्तु उसके लिये आवश्यक है कि ऐसी जीत से प्राप्त होने वाली राशि 10,000/– रूपये से अधिक हो।

16.3.7 ठेकेदारों व उप–ठेकेदारों को किये गये भुगतान :

धारा 194(सी) में यह प्रावधानित है कि किसी पंजीकृत सोसायटी, सहकारी समिति, कम्पनी, किसी वैधानिक निगम, किसी स्थानीय सत्ता, केन्द्रीय या राज्य सरकार, किसी ट्रस्ट, किसी मान्य विश्वविद्यालय, किसी विदेशी राज्य की सरकार विदेशी उद्यम किसी फर्म, व्यक्तियों के संघ आदि इनमें से किसी के द्वारा किसी निवासी ठेकेदार को कोई काम करने के प्रतिफल के रूप में भुगतान किया जाता है तो आयकर की कटौती स्त्रोत पर ही करनी होगी। किन्तु यदि व्यक्ति या हिन्दू अविभाजित परिवार ठेकेदार को अपने निजी कार्य या परिवार के सदस्य के निजी कार्य के लिये भुतान करता है तो कर की कटौती नहीं की जा सकेगी। किसी एक व्यक्ति या हिन्दू अविभाजित परिवार को भुगतान की गयी राशि में एक प्रतिशत तथा किसी

अन्य व्यक्ति को भुगतान की गयी राशि पर दो प्रतिशत की दर से कर की कटौती हो सकेगी। ठेके के अन्तर्गत उप–ठेका भी सम्मिलित है।

परन्तु इस नियम का अपवाद भी है कि यदि माल वाहन चलाने, किरोय पर देने या लीज पर देने के कारोबार के अनुक्रम में भुगतान किया जाता है तो स्त्रोत पर कर की कटौती नहीं की जा सकेगी, किन्तु शर्त यह है कि ठेकेदार के पास गत वर्ष में दस से अधिक मालवाहन नहीं होने चाहिये।

16.4 सारांश

उपरोक्त अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यवसाय वृत्ति या नौकरी से जो भी आय होती है, उस आय की कर सीमा से अधिक होने पर सरकार द्वारा कर की वसूली की जाती है जिसे सरकार विभिन्न योजनाओं में लगाकर शासन का कार्यान्वयन करती है। सरकार द्वारा आय कर एकत्रित करने के विभिन्न प्राकर हैं जिैसे स्त्रोत पर कर की कटौती, स्त्रोत पर कर का संग्रह, कर का अग्रिम भुतान, स्वयं कर निर्धारण पर कर का भुगतान आदि। प्रस्तुत अध्याय में हमने स्त्रोत या उद्गम स्थान पर कर की कटौती से संबंधित प्रावधानों को पढ़ा एवं विस्तार से चर्चा की। सारांश में यह कहा जा सकता है कि उद्गम स्थन पर कर की कटौती से तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति आय का भुगतान करते समय उस आय पर निर्धारित दर से कर काट ले तथा शेष रकम आय प्राप्तकर्ता को देकर काटी हुई रकम सरकारी खजाने में जमा करा दे ताकि सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा सके एवं विकास तथ प्रगति का मार्ग प्रशस्त हो सके।

16.5 शब्दावली

लाभांश — लाभ या फायदे को वह अंश जो किसी कंपनी के हिस्सेदारों या शेयरधारकों को उनके द्वारा लगायी गयी पूंजी के अनुपात में मिलता है।

बीमा कमीशन — बीमा प्रतिफलज रूप से प्राप्त होने वाली राशि को कमीशन कहा जाता है।

विनिर्दिष्ट करार — विशेष कार्य हेतु दिया गया प्रत्येक वचन या वचनों तथा प्रत्येक समूह जो एक दूसरे का प्रतिफल हो, विनिर्दिष्ट करार कहलाता है।

प्रतिफल — जब वचन दाता की इच्छा पर वचनग्रहिता अथवा किसी अन्य व्यक्ति ने कोई कार्य किया है अथवा करने से विरल रहा है अथवा कोई कार्य करता है अथवा करने से विरत रहता है तो ऐसा कार्य का विरति या वचन उस वचन का प्रतिफल कहलाता है। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2(डी) में यह प्रावधानित है।

16.6 बोध प्रश्न

1. बताइये कि नीचे दिये गये कथन सही हैं अथवा गलत :–
1 घरेलू कम्पनी द्वारा जारी प्रतिभूतियों के ब्याज पर उद्गम पर कर की कटौती नहीं होती ।
2 एक व्यक्ति 20000 रूपये मासिक किराया देता है वह उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं कर सकता।
3 उद्गम स्थान पर कर की कटौती अग्रिम कर है।
4 यदि लॉटरी का इनाम वस्तु के रूप में दिया जाता है तो उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं होती।
2. वस्तुनिष्ठ प्रश्न :
1 ए ने एक्स कम्पनी से एक शोरूम 10,000/– रूपये मासिक किराये पर लिया। यह वित्तीय वर्ष 2018–19 में उद्गम स्थान पर कर की कटौती करेगा।
(अ) 29,376 रू. (ब) 22,932 रू. (स) शून्य (द) 14,400 रू.
2 लॉटरी की जीत पर कर की कटौती की दर है:
(अ) 10: (ब) 25: (स) 20: (द) 30.9:
3. वित्तीय वर्ष में यदि बैंक में स्थायी जमा पर ब्याज की रकम....... से अधिक हो तो कर की कटौती की जायेी।
(अ) 5000 रू. (ब) 10000 रू. (स) 15000 (द) 20000 रू.
4. उद्गम स्थान पर कर की कटौती :–
(अ) प्राप्ति मानी जाती है। (ब) व्यय मानी जाती है।
(स) न प्रापति मानी जाती है न व्यय मानी जाती है ।
(द) जुर्माना माना जाता है।

16.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

1.
उत्तर :– (1) गलत (2) गलत (3) सही (4) सही
2.
उत्तर – 1 (स), 2. (स), 3. (ब), 4. (अ),

16.8 स्वपरख प्रश्न

1 वे भुगतान कौन से है जिनसे उद्गम स्थान पर कर काटा जाता है?
2 गत् वर्ष 2018–19 में (कर–निर्धारण वर्ष 19–20 के लिये) लॉटरी से जीत पर किस दर से उद्गम स्थान पर कर की कटौती होगी।
3. उद्गम स्थान पर काटे जाने वाले भुगतानों के बारे में लिखिए ।
4. निम्नांकित आयों पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती के संबंध में कानून के क्या प्रावधान है :–
(क) घुड़दौड़ से जीत का इनाम
(ख) वर्ग पहेली से प्राप्त होने वाला इनाम

(ग) बीमा कमीशन
(घ) ठेकेदारों व उप ठेकेदारों को किये गये भुगतान
(ङ) प्रतिभूतियों पर ब्याज तथा अन्य आय पर उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती संबंधी प्रावधानों का वर्णन कीजिए।

16.9 सन्दर्भ पुस्तकें

1. Singhania : Direct Taxes, Taxman, New Delhi. (2019).
2. मेहरोंत्रा एच0सी0 एवं जोशी सीवएस0 : आय कर– कर निर्धारण वर्ष 2019–20, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा (2019) ।

इकाई–17 अर्थदण्ड, जुर्म एवं अभियोजन

इकाई की रूपरेखा

17.1 प्रस्तावना
17.2 अर्थदण्ड
17.2.1 अर्थदण्ड के सामान्य सिद्धान्त
17.2.2 अर्थदण्ड के विभिन्न प्रकार
17.2.3 अधिनियम की धारा (270एए) के अनुसार
17.2.4 अर्थदण्ड माफी का प्रावधान
17.3 जुर्म अथवा अपराध एवं अभियोजन
17.3.1 अभियोजन के विभिन्न आधार (धारा 275, 276)
17.3.2 अभियोजन की प्रक्रिया के क्रियान्वयन हेतु विशेष न्यायालयों की स्थापना
17.4 सारांश
17.5 शब्दावली
17.6 बोध प्रश्न
17.7 बोध प्रश्नों के उत्तर
17.8 स्वपरख प्रश्न
17.9 सन्दर्भ पुस्तकें

उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप इस योग्य हो सकेंगे कि :

- आयकर अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर किस प्रकार की शास्ति दी जा सकती है, की जानकारी प्राप्त कर सकें।
- अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर किस प्रकार अभियोजन चलाया जाता है, की भी जानकारी प्राप्त कर सकें।
- सजा के विभिन्न प्रावधानों एवं सिद्वान्तों की व्याख्या कर सकें।

17.1 प्रस्तावना

पिछली इकाईयों में हमने विभिन्न प्रकार के करों के संबंध में जानकारी प्राप्त की और यह भी जाना कि किन–किन प्रकारों से कर की कटौती की जा सकती है। जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है कि अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को अर्थदंड भुगतान होता है। पैनाल्टी अर्थदंड होता है । वित्तीय क्षेत्र में जब कम्पनियां सरकार और सरकार के द्वारा नियुक्त किये गये अधिकारी संस्थाओं के नियमों की अनदेखी करती है या जानबूझ कर उन नियमों का उल्लंघन करती हैं तब कंपनियों के अनैतिक आचरण के दंडस्वरूप अर्थदंड लगाया जाता है।

17.2 अर्थदण्ड

जैसा कि विदित है कि अधिनिमय कि अधिनियम के प्रावधानों की अवहेलना करने पर अर्थ दंड दिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति अधिनियम की कई धाराओं के प्रावधानों की अवहेलना करता है और कई .त्रुटियाँ करता है तो उस पर एक साथ कई धाराओं के तहत् अर्थदंड लगाया जा सकता है।

17.2.1 अर्थदण्ड के सामान्य सिद्धान्त

दंड संहिता का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि किसी को दंडित करने के पूर्व उसे सुने जाने का पूर्ण अधिकार है। अतः अर्थदण्ड लगाने के पूर्व करदाता को भी अपना पक्ष रखने का उचित अवसर दिया जाता है। यदि करदाता के पक्ष में सुनवायी नहीं होती है या उसे उसका पक्ष रखने का समुचित अवसर नहीं दिया जाता है और अर्थदंड लगा दिया जाता है तो यह गैर कानूनी करार दिया जायेगा और अमान्य भी घोषित होगा। सहायक आयुक्त या उपायुक्त 20,000/– रूपये तक का तथा आय कर अधिकारी 10,000/– रूपये तक का अर्थदंड लगा सकते हैं यदि उक्त राशि से अधिक का अर्थदंड लगाया जाता है तो ऐसे दंडादेश के पूर्व संयुक्त आयुक्त की आज्ञा लेना आवश्यक होता है अर्थात् बिना संयुक्त आयुक्त की अनुमति के उक्त राशि से अधिक अर्थदंड का आदेश नहीं दिया जास कता है। साथ ही प्रत्येक दंड आदेश की प्रतिलिपि कर निर्धारण अधिकारी के पास भेजी जाना आवश्यक है और यदि दंडादेश देने वाला आय कर प्राधिकारी स्वयं ही कर निर्धारण अधिकारी है तो दंडादेश की प्रतिलिपि भेजना आवश्यक नहीं है।

अधिनियम में न्यूनतम अर्थदंड निर्धारित होने की स्थिति में उससे कम अर्थदंड नहीं लगाया जा सकता है। अर्थदंड की राशि वही होगी जो चूक करने के दिन प्रावधानित थी न कि वह जो कर निर्धारण वर्ष में प्रावधान में हो। अर्थात् कहने का तात्पर्य यह है कि कानून भूतलक्षी या पूर्वव्यापी प्रभाव ही रखता है।

किसी वैधानिक दायित्व की अवहेलना करने पर अर्थदंड लगाना या न लगाना आयकर प्राधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है। किसी मामले की समस्त परिस्थितियों का आकलन करने के बाद ही आयकर प्राधिकारी किसी निष्कर्ष पर पहुँचता है। जैसा कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड बनाम् उड़ीसा राज्य (1972) मामले में विनिर्धारित किया गया कि यदि सिकी मामले में न्यूनतम अर्थदंड की राशि निर्धारित है, और यदि सक्षम प्राधिकारी यह समझता है कि वर्णित प्रावधान की अवहेलना जानबूझकर नहीं की गयी है, त्रुटिवश नियम पर ध्यान नहीं गया, तो वह यदि अर्थदंड न भी लगाये तो न्यायोचित होगा।

17.2.2 अर्थदंड के विभिन्न प्रकार :–

करदाता चूक करने पर निम्न प्रकार के अर्थदण्ड लगाये जा सकते हैं:– कम आय दिखाने और मिथ्या रिपोर्ट करने पर धारा 270(ए) में अर्थदंड का प्रावधान दिया गया है। यह दंड कर निर्धारण अधिकारी, आयुक्त

(अपील) मुख्य आयुक्त या आयुक्त द्वारा लगाया जा सकता है। निर्धारित की गयी आय मुक्त सीमा से अधिक होने पर, पहले निर्धारित की गयी आय से अधिक पुनः निर्धारित आय होने पर, आय के निर्धारण या पुनः निर्धारण के कारण हानि की राशि में कमी होने पर अर्थदंड का प्रावधान है। कम रिपोर्ट की गयी आय पर देयकर की राशि का 50 प्रतिशत जब आय का रिटर्न दाखिल नहीं किया गया है तथा आय प्रथम बार निर्धारित की यी है तथा जब पहले कर–निर्धारण आदेश के अन्तर्गत हानि निर्धारित की गयी तो यह मानते हुये कर की गणना की जाएगी कि कम रिपोर्ट की गयी आय की कुल आय है। कर की राशि निम्न सूत्र के आधार पर निर्धारित की जाएगी ($x-y$) ।

जहाँ $x =$ पहले निर्धारित आय में कम रिपोर्ट की गयी राशि जोड़कर जो राशि आयेगी उस पर देय कर । $y =$ पहले निर्धारित की गयी आय पर देय कर। इसी प्रकार करदाता द्वारा कर की मिथ्या रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर भी अर्थदंड का प्रावधान है। मिथ्या रिपोर्ट करने पर कम रिपोर्ट की गयी आय पर देय कर की राशि का 200 प्रतिशत अर्थदंड के रूप में लगाया जायेगा। धारा 221 के अनुसार जब करदाता स्वयं कर निर्धारण पर या मांग का नोटिस मिलने पर कर चुकाने में चूक करता है तो उस पर कर–निर्धारण अधिकारी द्वारा जितना उचित समझेगा, अर्थदंड लगाया जायेगा परन्तु यदि चूक जारी रहती है तो अर्थदण्ड समयानुसार बढ़ाया जा सकता है परन्तु किसी भी स्थिति में यह अर्थदण्ड बकाया कर की राशि तक ही हो सकती है।

17.2.3 – अधिनियम की धारा (270एए) के अनुसारः–

यदि करदाता निम्नलिखित शर्तें पूरी करता है कुछ शर्तों की पूर्ति करता है तो वह अर्थदंड लगाने अथवा अभियोजन कार्यवाही से छूट प्राप्ति हेतु कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष आवेदन दे सकता है। जैसे कि यदि धारा 143(3) या धारा 147 के अन्तर्गत कर एवं ब्याज के भुगतान नोटिस में दी गयी अवधि के अन्दर ही कर दिया गया है एवं उपरवर्णित आदेश के अपील न किये जाने पर अर्थदंड से उन्मुक्ति हेतु आवेदन किया जा सकता है। किन्तु ऐसा आवेदन प्रार्थना पत्र आदेश प्राप्ति के महीने की समाप्ति से एकमाह के भीतर दिया जाना चाहिये । यदि अर्थदण्ड लगाने की कार्यवाही, प्रारंभ कर दी गयी है तो कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अर्थदंड उन्मुक्ति का आदेश नहीं दिया जा सकता है। जब किसी करदाता द्वारा अर्थदण्ड से उन्मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र कर निर्धारण अधिकारी के सम्मुख प्रेषित कर दिया गया है तो कर निर्धारण अधिकारी का भी यह दायित्व हो जाता है कि वह ऐसा प्रार्थना पत्र प्राप्ति महीने की समाप्ति से एक माह के अन्दर उक्त प्रार्थना पत्र की स्वीकृति या अस्वीकृति का आदेश दे। यदि प्रार्थना पत्र स्वीकृत किया जाता है तब तो कार्यवाही आगे बढ़ेगी किन्तु प्रार्थना पत्र अस्वीकृत होने की दशा में प्रार्थी को सुने जाने का अधिकार प्राप्त है अर्थात् प्रार्थी को सुनवायी का अवसर देना होगा।

धारा 271(ए) कहती है कि बही खाते रखना अनिवार्य होने की दशा में यदि कोई व्यक्ति बही खाते आदि नहीं रखता है तो कर–निर्धारण अधिकारी अथवा आयुक्त (अपील) उस पर 25000/– रूपये अर्थदंड लगा सकता है।

इसी प्रकार यदि 01.06.2007 को या इसके पश्चात् परन्तु 01.07. 2012 से पूर्व तलाशी ली जाती है तो गत वर्ष की छिपायी गयी आय पर करके अतिरिक्त छिपायी गयी आय के 10 प्रतिशत के बराबर अर्थदण्ड देना होगा। किन्तु यदि तलाशी के समय छिपायी गयी आय पर स्वीकृति हो जाती है और आय प्राप्ति के प्रकार के विषय में बताया जाता है, और यह सिद्ध किया जाता है कि किस प्रकार छिपायी गयी आय प्राप्त की गयी, एवं छिपायी गयी के संबंध में कर एवं ब्याज का भुगतान किया जाता है तो अर्थदण्ड नहीं लगाया जायेगा।

यदि 30.06.2012 के पश्चात् किन्तु 15.12.2016 से पूर्व तलाशी ली जाती है तो कर दाता को विनिर्दिष्ट गत वर्ष की छिपायी गयी आय पर करके अतिरिक्त निम्नानुसार अर्थदंड देना होगाः–

(क) छिपायी गयी आय के 10 प्रतिशत के बराबर

(ख) छिपायी गयी आय के 20 प्रतिशत के बराबर, किन्तु शर्त यह है कि छिपायी गयी आय कहीं स्वीकृत की जाती है,

(ग) यदि करदाता उपरवर्णित शर्तें पूरी नहीं करता है तो छिपायी गयी आय का 60 प्रतिशत के बराबर अर्थदण्ड लागया जायेगा ।

15.12.2016 या इसके पश्चात् तलाशी लेने पर करदाता को विनिर्दिष्ट गत वर्ष की छिपायी गयी आय पर कर के अतिरिक्त निम्नानुसार अर्थदण्ड लगेगा :–

(1) छिपायी गयी आय के 30 प्रतिशत के बराबर।

(2) छिपायी गयी आय के 60 प्रतिशत के बराबर।

यदि कोई व्यक्ति किसी कर–निर्धारण वर्ष से संबंधित वर्ष के लेखे का अंकेक्षण कराने या आयकर विवरणी दाखिल करने में चूक करता है तो उस पर उक्त वर्ष की कुल बिक्री अथवा सम्पूर्ण प्राप्तियों के आधे प्रतिशत के बराबर अथवा 1,50,000/– रूपये जो भी कम हो, अर्थदण्ड के रूप में लगाया जा सकेगा।

यदि किसी व्यक्ति द्वारा स्त्रोत पर कर की कटौती का दायित्व है और ऐसी कटौती करने में चूक करता है तो उस पर अथवा राशि के बराबर अर्थदण्ड लगाया जायेगा जितनी कर की राशि उसने स्त्रोत पर काटने में चूक की है। इसमें लाभांश पर देय कर, वस्तओं के रूप में लॉटरी की जीत पर कर आदि सम्मिलित है।

जब कोई व्यक्ति दो लाख रूपये या अधिक की राशि किसी व्यक्ति से एक दिन में सम्पूर्ण राशियाँ किसी एक संव्यवहार के संबंध में या किसी एक अवसर के संबंध में, किन्हीं संव्यवहारों के लिये किसी व्यक्ति से, पाने वाले

के खाते में देय चेक खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या किसी बैंक खाते के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के सिवाय प्राप्त नहीं करेगा, किन्तु सरकार, बैकिंग कम्पनी, डाकघर, बचत, बैंक या सहकारी बैंक उक्त नियम के अपवाद स्वरूप हैं। राशि प्राप्तकर्ता द्वारा यह सिद्ध कर देने पर कि उल्लंघन हेतु ठोस और पर्याप्त कारण थे तो उस पर अर्थदंड नहीं लगाया जायेगा । इस प्रकार का अर्थदण्ड संयुक्त आयुक्त द्वारा लगाया जा सकता है।

यदि कर निर्धारण अधिकारी या आयुक्त अपील को इस अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करते समय यह पता चले कि किसी लेखापाल या वाणिज्यिक बैंक कर ने इस अधिनियम के अधीन नियमानुसार किसी रिपोर्ट या प्रमाण–पत्र में गलत जानकारी दी है तो वह उस पर प्रत्येक ऐसी रिपोर्ट या प्रमाण–पत्र के लिये दस हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाएगा।

यदि किसी व्यक्ति के द्वारा कर निर्धारण के संबंध में आयकर प्राधिकारी द्वारा पूछे गये प्रश्नों का उत्तर देने से मना किया जाता है या उसके अपने बयान पर हस्ताक्षर करने से मना किया जाता है या उसे नियत तिथि को नियत स्थान पर उपस्थित होकर सबूत प्रस्तुत करने हेतु सम्मन दिया गया है परन्तु वह ऐसा नहीं करता है, नोटिस की अवहेलना की जाती है तो ऐसे व्यक्ति पर प्रत्येक चूक के लिये 10,000/– अर्थदंड लगाया जायेगा।

यदि कोई व्यक्ति मांगी गयी कुछ सूचनाओं को देने में चूक करता है तो उस व्यक्ति को 1000/– रूपये तक का अर्थदण्ड देना होगा। इसी प्रकार स्थायी खाता संख्या से संबंधित प्रावधानों में चूक करने, की स्थिति में 10,000/– रूपये का अर्थदण्ड लगाया जा सकेगा।

17.2.4 अर्थदंड माफी का प्रावधान :–

किसी भी प्रकार की चूक होने की स्थिति में अर्थदण्ड लगाने की अवस्था में उसे माफ करने का अधिकार प्रधान आयुक्त या आयुक्त को प्राप्त है। उसे यह अधिकार अधिनियम की धारा 273(ए) के तहत प्राप्त है।

आय छिपाने की दशा में मुख्य आयुक्त या आयुक्त अर्थदंड कम अथवा माफ कर सकता है किन्तु शर्त यह है कि उस व्यक्ति द्वारा अपनी छिपी हुई आय पूर्णतया तथा सही सही बता दी गयी हो, उस व्यक्ति द्वारा किसी जांच में विभागीय सहयोग दिया गया हो तथा अधिनियमानुसार देय कर या ब्याज चुका दिया गया है।

यदि छिपायी गयी कुल आय 5 लाख रूपये से अधिक है तो प्रधान आयुक्त या आयुक्त को अर्थदण्ड कम करने के लिये प्रधान मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक या महानिदेशक की पूर्वानुमति लेनी होगी।

अर्थदण्ड कम करने अथवा माफी करने हेतु यदि करदाता द्वारा कोई प्रार्थना पत्र दिया जाता है तो प्रधान आयुक्त या आयुक्त को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अर्थदण्ड कम कर दे या माफ कर दे या उसे वसूल करने की कार्यवाही को रोक सकता है। किन्तु इस कार्यवाही हेतु प्रधान आयुक्त या

आयुक्त का इस बात पर संतुष्ट होना आवश्यक है कि वास्तव में करदाता ने विभागीय जांच में हर संभव सहयोग किया है। माफ करने के कारणों को लिखकर रखना आवश्यक होगा। धारा 273(ए) के अन्तर्गत अर्थदण्ड की माफी या कम करने के प्रधान आयुक्त या आयुक्त के आदेश को किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकारी के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकेगी, उनका आदेश अंतिम होकगा। यदि करदाता यह सिद्ध कर दे कि चूक के लिये पर्याप्त कारण था तो उस पर निर्धारित धाराओं के अंतर्गत अर्थदण्ड नहीं लगाया जा सकेगा।

17.3 जुर्म अथवा अपराध एवं अभियोजन

जुर्म अथवा अपराध शब्द आयकर अधिनियम द्वारा दण्डनीय किसी बात का द्योतक है। भारती की भूमि पर यदि कोई ऐसा कार्य किया जाता है तो विधि के नियमों के विपरीत है तो वह अपराध अथवा जुर्म की श्रेणी में आयेगा और वह अभियोजन योग्य है तथा दोषी पाये जाने पर दंडित किया जा सकता है। किसी व्यक्ति के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करना ही अभियोजन कहलाता है।

धारा 275, 276, 278 के अन्तर्गत जुर्म करने पर किसी व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही प्रधान आयुक्त अथवा आयुक्त (अपील) की पूर्वानुमति से ही की जा सकती है। इसके अलावा प्रधान मुख्य आयुक्त अथवा मुख्य आयुक्त अथवा प्रधान महानिदेशक अथवा निदेशक उपर्युक्त पदाधिकारियों को अभियोजन की कार्यवाही करने के लिये उचित निर्देश दे सकता है। बिना पूर्वानुमति के अभियोजन का आदेश दिये जाने के आधार पर अभियोजन गैर कानूनी होगा।

यदि किसी व्यक्ति के द्वारा जानबूझकर, ब्याज अर्थदण्ड आदि बचाने का प्रयत्न विचार जाता है और इस संबंध में ले हुये अर्थदण्ड को कम कर दिया जाता है या माफ कर दिया गया है तो उपरोक्त अभियोजन की कार्यवाही नहीं की जायेगी।

17.3.1 अभियोजन के विभिन्न आधार :

किसी करदाता द्वारा निम्नलिखित आधारों पर अभियोजन किया जा सकता हैः– धारा 132(3) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिये गये आदेश का उल्लंघन करने पर अधिक से अधिक 2 वर्ष तक की कड़ी कैद की सजा का प्रावधान है साथ ही जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। उक्त आदेश में बहीखाते, धन, सोना, चांदी, जेवर अथवा अन्य मूल्यवान वस्तुओं को बिना उस अधिकारी की पूर्वानुमति के किसी को हस्तान्तरित न करने का उल्लेख होता है। और यदि प्राधिकृत अधिकारी, की पूर्वानुमति के बिना ऐसा कोई हस्तांतरण किया जाता है तो वह दो वर्ष तक की सजा तथा जुर्माने के दंड से दंडित किया जा सकेगा।

ऐसा कोई व्यक्त्ति जिसका यह दायित्व है कि वह एक प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष लेखाबहियों या अन्य दस्तावेजों को निरीक्षण हेतु प्रस्तुत

करें और यदि वह उक्त प्रस्तुतीकरण में कोई अवहेलना करता है या असफलत रहता है तो उसे दो वर्ष तक की कड़ी कैद तथा जुर्माने का प्रावधान है।

इसी धारा 276 कहती है कि जब कोई व्यक्ति किसी सम्पत्ति को कपटपूर्वक हटाया है, छिपाता है, हस्तांतरण कर देता है अथवा किसी को दे देता है जिससे कि उस सम्पत्ति से कर की वसूली न हो पाये तो उसे अधिक से अधिक दो वर्ष तक की कड़ी कैद की सजा दी जायेगी तथा जुर्माना भी लगेगा।

एक कम्पनी का लिक्विडेटर अपनी नियुक्ति के 30 दिनों के भीतर इसकी सूचना कर निर्धारण अधिकारी को नहीं देता है, कंपनी द्वारा देय कर की राशि को सुरक्षित नहीं करता है अथवा आयोजनों के विरूद्ध कंपनी की कोई संपत्ति त्याग देता है तो उसे कम से कम 6 माह तथा अधिकाधिक 2 वर्ष तक की कड़ी कैद की सजा दी जायेगी। किन्ही विशेष परिस्थितियों में सजा की अवधि में कमी के कारणों का उल्लेख न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में किया जाना आवश्यक है।

उप परिस्थितियों में जहां कर की कटौती स्त्रोत या उद्‌गम स्थान पर की जाती है या की गयी है, और कटौती की गयी रकम को केन्द्रीय सरकार के कोष में जमा नहीं कराया गया है तो उसे कम से कम 3 माह और अधिक से अधिक 7 वर्ष की कड़ी कारावास की सजा होगी और जुर्माना भी लगेगा।

यदि कोई व्यक्ति 25 लाख रूपये से अधिक बचाने का प्रयत्न करता है जिस पर कि कर लगना है तो उसे कम से कम 6 माह तथा अधिक से अधिक 7 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा होगी, और जुर्माना भी लगेगा। जब कोई व्यक्ति जानबूझकर आदि का भुगतान करने से बचता है तो उसे अधिनियम के अधीन वर्णित अर्थदण्ड के अतिरिक्त भी कम से कम 3 माह तथा अधिक से अधिक 2 वर्ष तक के सश्रम कारावास की सजा हो सकती है। ऐसे मामलों में जुमाना न्यायालय के स्वविवेक पर निर्भर करता है।

किसी व्यक्ति द्वारा नियत तिथि पर आय का विवरण जानबूझकर चूक करने की दशा में यदि ऐसी चूक की कर की राशि 25 लाख रूपये से अधिक है तो कम से कम 6 माह और अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कडत्री केद की सजा होगी तथा जुर्माना भी लगेगा । किन्तु करदाता ने यदि अनजाने में आयकर विवरणी प्रस्तुत करने में चूक की है तो उसे उपरवर्णित सजा भी नहीं होगी और न ही जुर्माना लगेगा।

कम्पनी यदि अपना विवरण प्रस्तुत नहीं करती है तो उसे सजा मिलेगी। आयकर अधिकारियों द्वारा करदाता को कोई नोटिस तामील होने पर, उसमें पूंछी गयी जानकारी या प्रपत्र प्रस्तुत करने में यदि चूक होती है तो एक वर्ष तक की कड़ी सजा तथा जुर्माने का प्रावधान है।

यदि कोई व्यक्ति किसी झूठी बात को जानते हुये भी कि यह झूठ है, सत्यापन में उसके सही होने की घोषणा करता है, और यदि वह बयान

सही मान लिया जाता है तो जो कर की राशि बच जाती वह पच्चीस लाख रूपये से अधिक होगी तो कम से कम 6 माह और अधिक से अधिक 7 वर्ष तक का सश्रम कारावास की सजा दी जायेगी तथा जुर्माना भी लगाया जायेगा। यदि किसी व्यक्ति को किसी जुर्म के लिये एक बार सजा हो जाती है और पुनः वही जुर्म करता है जिसमें एक बार सजा हो चुकी है तो उसे प्रत्येक बार के जुर्म के लिये उसे कम से कम 6 माह तथा अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कड़ी कैद की सजा दी जाएगी तथा जुर्माना भी लगेगा।

आयकर अधिनियम के अन्तर्गत कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है तो प्रत्येक व्यक्ति जो कम्पनी के व्यापार को चलाने का जिम्मेदार हो तो उस जुर्म के लिये कम्पनी के साथ–साथ जिम्मेदार माना जायेगा तथा उसके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी तथा सजा दी जायेगी।

यदि इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई जुर्म हिन्दू अविभाजित परिवार द्वारा किया जाता है तो उसका कर्ता द्वारा इस जुर्म के लिये जिम्मेदार होगा तथा उसे सजा दी जायेगी परन्तु यदि वह सिद्ध कर देता है कि इस जुर्म की उसे कोई जानकारी नहीं थी अथवा उसने इस जुर्म के होने से रोकने का पूरा प्रयत्न किया था तो उसे कोई सजा नहीं दी जायेगी।

17.3.2 अभियोजन प्रक्रिया के क्रियान्वयन हेतु विशेष न्यायालयों की स्थापनाः–

शीघ्र कार्यान्वयन एवं त्वरित निर्णय हेत तथा अभियोजन की प्रक्रिया सशक्त करने हेतु अधिनियम में धारा 280ए, 280 बी, 280सी, 280 डी में प्रावधान दिया गया है । जो कि निम्नानुसार हैः–

1. इस अधिनियम के अन्तर्गत विशेष न्यायालय किसी अपराध पर न्यायिक विचार करते समय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के तहत् भी अभियुक्त पर कार्यवाही कर सकता है।
2. एक विशेष न्यायालय केवल उन्हीं अपराधों की सुनवायी कर सकता है जो उ सके अधिसूचित अधिकार क्षेत्र में किये गये हों।
3. केन्द्रीय सरकार उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश से सलाह मशविरा करके दंडनीय अपराधों पर न्याधिक कार्यवाही करने के लिये एक या अधिक प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय की स्थापना कर सकती है।
4. समन मामलों में कार्यवाही की प्रक्रिया बहुत सरल होती है तथा निर्णय देने में समय भी कम लगता है अतः विशेष न्यायालय उन अपराधों पर समन केस के रूप में कार्यवाही कर सकता है जिसमें अधिकतम सजा दो वर्ष या जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। विशेष न्यायालय में अभियोजन संचालित करने वाले व्यक्ति को लोक अभियोजक माना जायेगा ।

17.4 सारांश

अर्थदंड एवं अभियोजन का संक्षेप में इस प्रकार वर्णन किया जा सकता है। इसे हम चूक का विवरण एवं अर्थदण्ड के रूप में आसानी से समझने का प्रयास करेंगे:–

कर चुकाने में चूक करना	अधिकतम बकाया कर की राशि तक
आय की कम रिपोर्ट करना	कम रिपोर्ट की गयी आय पर देय कर की राशि का 50 प्रतिशत
बहीखाते आदि रखने में चूक करना	25,000/– रूपये
छिपायी गयी आय	देयकर का 10 प्रतिशत
स्त्रोत पर कर की कटौती करने में चूक करना	न काटे गये कर की राशि के बराबर
सेकेण्ड में 2 लाख या अधिकतम भुगतान	दी गयी राशि के बराबर
विवरण के गलत सूचना देने पर	50000/– रूपये
रिपोर्ट या प्रमाण पत्र में गलत सूचना देना	प्रत्येक रिपोर्ट के लिये 10000/–
वांछनीय सूचना देने में चूक करने पर	1000/– रूपये तक
स्थायी खाता संख्या के संबंध में चूक करने पर	10000/– रूपये

इसी प्रकार अपराध एवं अभियोजन को भी सारांश में इस प्रकार समझा जा सकता है :–

किन्ही पुस्तकों अथवा वस्तुओं को अपने स्थान से न हटाने के आदेश की अवहेलना करना	जुर्माना तथा 2 वर्ष तक का कारावास
लेखा पुस्तकों के निरीक्षण हेतु सुविधा न प्रदान करना	2 वर्ष तक का कठार कारावास तथा जुर्माना
स्त्रोत पर काटे हुये कर को जमा करने में चूक करना	3 माह से 7 वर्ष तक का कठोर कारावास तथा जुर्माना
कर की वसूली में रूकावट डालने हेतु सम्पत्ति हटाना, छिपाना, हस्तान्तरित करना	2 वर्ष तक का कठोर कारावास तथा जुर्माना
स्त्रोत पर काटे हुये कर को जमा करने में चूक करना	3 माह से 7 वर्ष तक का कठोर कारावास तथा जुर्माना
लेखा, वही या दस्तावेजों का मिथ्या प्रस्तुतीकरण	3 माह से दो वर्ष तक का कठोर कारावास तथा जुर्माना
कर, अर्थ दंड आय का ब्याज की	चूक करने की राशि पच्चीस लाख से

जानबूझकर चूक करना	अधिक होने की दशा में 6 माह से 7 वर्ष तक की कड़ी कैद तथा जुर्माना
हिन्दू अविभाजित परिवार द्वारा किये गये जुर्म की दशा में कर्ता अथवा परिवार के वह सदस्य जिन्होंने जानबूझकर जुर्म होने दिया है, उत्तरदायी होंगे	हिन्दू अविभाजित परिवार के लिये जो दण्ड होगा वही इन व्यक्तियों के लिये भी होगा।

17.5 शब्दावली

अर्थदंड अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को अर्थदंड लगाया जाता है।

17.6 बोध प्रश्न

वस्तुनिष्ठ प्रश्न :—

(1) अंकेक्षण (सी.ए.) ने प्रमाण—पत्र में गलत सूचना दी, तो उस पर अर्थ दंड लगेगा :—
(क) 800 रू. (ख) 2000 रूपये (ग) 7000 रूपये
(घ) 1000 रूपये

(2) आय की मिथ्या रिपोर्ट करने पर अर्थदण्ड है :—
(क) 30ः (ख) 80ः (ग) 200ः (घ) 100ः

(3) आय कम रिपोर्ट करने पर अर्थदण्ड की मात्रा कम रिपोर्ट की गयी आय पर देय कर की राशि का ....ः है :—
(क) 100ः (ख) 50ः (ग) 80ः (घ) 300ः

(4) यदि कोई व्यक्ति स्थायी खाता संख्या के संबंध में धारा 139(ए) के प्रावधानों की पूर्ति नहीं करता तो उस पर अर्थदण्ड लगेगा —
(क) 2000 (ख) 5000 (ग) 3000 (घ) 10000

17.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. घ, 2. घ, 3. ख, 4. घ

17.8 स्वपरख प्रश्न

(1) लेखों का अंकेक्षण कराने में चूक के संबंध में अर्थदण्ड का उल्लेख कीजिए तथा साथ ही यह भी बताइये कि यदि आप का रिटर्न निर्धारित तिथि तक दाखिल नहीं किया जाता है तो उसे कितनी फीस लगायी जायेगी।

(2) किन परिस्थितियों में आय कर आयुक्त अथवा आयुक्त अर्थदण्ड कम अथवा माफ कर सकता है ? समझाइये ।

(3) निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए :—
(क) आय का विवरण दाखिल करने में चूक करता,

(ख) खाते तथा प्रपत्र प्रस्तुत करने में चूक करना।

(ग) आय का झूठा विवरण आदि दाखिल करने हेतु प्रोत्साहित करना,

(घ) आय की मिथ्या रिपोर्ट करना

(4) कर न काटने अथवा काटकर भुगतान न करने तथा जान बूझकर कर आदि बचाने तथा कर, आदि का भुगतान न करने के संबंध में आयकर अधिनियम में अभियोजन के लिये क्या प्रावधान हैं अथवा क्या सजा दी जा सकती है।

(5) कम्पनी तथा हिन्दू अविभाजित परिवार द्वारा जुर्म करने पर आय कर अधिनियम के अन्तर्गत कौन जिम्मेदार हो तथा किसे सजा दी जायेगी?

(6) अर्थदण्ड लगाने के सामान्य सिद्धान्त बताइए ।

17.9 सन्दर्भ पुस्तकें

1. Singhania : Direct Taxes, Taxman, New Delhi. (2019).
2. मेहरोंत्रा एच0सी0 एवं जोशी सीवएस0 : आय कर– कर निर्धारण वर्ष 2019–20, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा (2019) ।

इकाई–18 अग्रिम कर भुगतान

इकाई की रूपरेखा

18.1 प्रस्तावना
18.2 अग्रिम कर की गणना
18.2.1 करदाता द्वारा कर की गणना
18.2.2 कर–निर्धारण अधिकारी द्वारा कर की गणना
18.3 पूंजीगत लाभ एवं आकस्मिक आय पर अग्रिम कर का भुगतान
18.4 अग्रिम कर की विभिन्न निर्धारित दरें
18.4.1 वरिष्ठ नागरिक की अग्रिम कर की दरें
18.4.2 सहकारी समिति की अग्रिम कर की दरें
18.4.3 फर्म की कर की दरें
18.4.4 स्थानीय सत्ता हेतु अग्रिम कर की दरें
18.4.5 घरेलू कम्पनी हेतु अग्रिम कर की दरें
18.5 ब्याज का भुगतान संबंधी प्रावधान
18.6 अग्रिम कर और स्त्रोत पर कर की कटौती में अंतर
18.7 सारांश
18.8 शब्दावली
18.9 बोध प्रश्न
18.10 बोध प्रश्नों के उत्तर
18.11 स्वपरख प्रश्न
18.12 सन्दर्भ पुस्तकें

उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप इस योग्य हो सकेंगे कि :

- अग्रिम कर की गणना कर सकें।
- पूंजीगत लाभ एवं आकस्मिक आय पर अग्रिम कर के भुगतान की व्याख्या कर सकें।
- अग्रिम कर की विभिन्न निर्धारित दरों का वर्णन कर सकें।
- ब्याज के भुगतान संबंधी प्रावधानों की व्याख्या कर सकें।
- अग्रिम कर और स्त्रोत पर कर में अंतर कर सकें।

18.1 प्रस्तावना

कर का अग्रिम भगतान पेशगी के रूप में दिया जाता है इसलिये इसे कर का अग्रिम भुगतान या जैसे कमाओ वैसे चुकाओं कहा जाता है । ऐसा इसे इसलिये कहा जाता है क्योंकि करदाता जैसे–जैसे आय कमाता है वैसे ही वैसे उस पर कर देता जाता है। यह कर चालू वर्ष की आय पर उसी वर्ष में दे दिया जाता है। यह कर उस आय पर चुकाना होता है जिस पर इस वित्तीय वर्ष के ठीक बाद में आने वाले कर निर्धारण वर्ष में कर लगेगा और

इसे चालू आय या वर्तमान आय कहते है । परन्तु एक व्यक्ति जो भारत का निवासी है यदि उसकी आय व्यापार आय का पेशे के अन्तर्गत नहीं आती है या उसकी आयु गत वर्ष में 60 वर्ष या अधिक है तो उसे अग्रिम कर नहीं चुकाना होगा । अर्थात इसे हम इस तरह समझ सकते हैं कि यदि वित्तीय वर्ष में करदाता द्वारा देय कर की राशि 10000 रूपये या उससे अधिक हो तो उस वित्तीय वर्ष में अग्रिम कर चुकाना होगा। आयकर जमा करने के कई तरीकों में से एक है अग्रिगम कर का भुगतान इस तरीके से करका भुगतान करने के लिये व्यक्ति को वित्तीय वर्ष समापत होने की प्रतीक्षा नहीं करनी होती है। बल्कि हर तिमाही की समाप्ति से पहले ही कर जमा करना होता है। चूंकि आय कर कमाई करने के साथ–साथ ही भरना पड़ता है इसलिये इसे जैसा कमाओं वैसा चुकाओं योजना अथात कमाते जाओ भरते जाओ योजना के नाम से जाना जाता है। यदि ऐसा कोई व्यक्ति जिसे वेतन नहीं मिलता है तो उसका स्त्रोत पर कर भी नहीं कटता है और ऐसे व्यक्ति की वार्षिक कर की देनदारी दस हजार रूप से अधिक है तो उसे अग्रिम कर का भुगतान करना होगा। दूसरे शब्दों में इसे इस प्रकार समझा जा सकता है कि यदि किसी व्यक्ति की आमदनी पर 10 हजार रूपये वार्षिक से अधिक आय कर की देनदारी बनती है तो उसे हर तीसरे माह में अग्रिम कर के रूप में भुगतान करना होगा।

अग्रिम कर इन तीन स्थितियों में भरना पड़ता है:–

- आय वैतनिक है लेकिन ब्याज, पूंजी लाभ और रिाये की ऊंची आमदनी आती है।
- अगर आप स्वतंत्र व्यवसाय करते है और आय पर 10 हजार रूपये से ज्यादा कर बनता हो,
- आय व्यक्ति व्यवसायी है और उसकी आय पर 0 हजार रूपये से अधिक कर बनता है।

निम्नलिखित व्यक्तियों को अग्रिम कर भुगतान से छूट प्राप्त है अर्थात निम्नलिखित लोगों को अग्रिम कर का भुगतान भी करना पड़ता है।

– अगर व्यक्ति संवैतनिक है और उस व्यक्ति की आमदनी को कोई और अतिरिक्त स्त्रोत नहीं है तो उसे अग्रिम कर जमा नहीं करना पड़ेगा क्योंकि स्त्रोत या उद्गम पर जोकर की कटौती होती है वह एक प्रकार से अग्रिम कर ही होता है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले नियोजक द्वारा स्त्रोत पर की कटौती के माध्यम से आय कर प्रतिमाह काटा जाता है और फार्म 16 में इसका पूरा ब्यौरे बार उल्लेख रहता है।

– ऐसे वरिष्ठ नागरिक जिसकी आमदनी का स्त्रोत कोई व्यवसाय नहीं है, उन्हें भी वित्तीय वर्ष 2012 से अग्रिम कर जमा करने में छूट मिली होती है।

18.2 अग्रिम कर की गणना

अग्रिम कर गणना करने हेतु अपने सभी स्त्रोतों से होने वाली अनुमानित वार्षिक आमदनी को जोड़ना होगा। इसी आय में वेतन से होने वाली आमदनी, ब्याज से होने वाली आमदनी पूंजी लाभ, घर या संपत्ति के किराये से होने वाली आदि को भी सम्मिलित किया जायेगा। यदि कोई व्यक्ति स्वतंत्र व्यवसायी है तो उसे अपने सभी पक्षकारों से होने वाली अनुमानित आमदनी को जोड़ना होकगा। इस प्रकार की आमदनी के दौरान होने वाले अनुमानित खर्चो को आमदनी में से घटाना होगा। इसमें काम करने की जगह का किराया, इंटरनेट बिल, मोबाइल बिल, कम्प्यूटरों या अन्य उपकरणों की मरम्मत आदि पर होने वाला खर्च, यात्रा के दौरान हुये खर्चो आदि के बिल पूर्ण आमदनी में से घटाये जायेंगे। इस प्रकार आमदनी की गणना व्यक्ति के अपने पक्षकारेां में मिले भुगतान की रसीदों के आधार पर मानी जायेगी।

खर्चो के बाद बात की जायेगी व्यक्ति द्वारा किये गये इन्वेस्टमेन्ट या खर्चो की भी गणना की जो किसी सरकारी योजना या आयकर अधिनियम के तहत कर की कटौती की श्रेणी में आती हो। धारा 80(सी) 80 सी.सी.सी. तथा 80 सी.सी.डी. के तहत कई निवेशों और खर्चो पर व्यक्ति को एक निश्चित रशि पर कर न द`ने की छूट मिलती है। इन कटौतियों को व्यक्ति की आय में से घटाने पर व्यक्ति की जो आय बनती है उसे कर की गणना में सम्मिलित किया जाता है। कर की गणना का अगला कदम हो, यह देखना कि व्यक्ति की कर योग्य आमदनी पर सरचार्ज, शैक्षिक सैस, रिबेट आदि की स्थिति तो नहीं बन रही है। यदि इस तरह की कोई स्थिति बनती है तो उन्हें भी यथा नियंत्रण में लाना होगा। इन सारी स्थितियों के अनुसार अग्रिम कर की रकम तय करनी होगी जिसे कि व्यक्ति को जमा करना है।

अग्रिम कर जमा करनी तारीखें निश्चित हैं। जैसे कुल अग्रिम कर का 15 प्रतिशत तक जमा करने की अंतिम तारीख 15 जून निश्चित है, कुल अग्रिम कर का 75 प्रतिशत तक जमा करने की तारीख 15 सितंबर तक, कुल अग्रिम कर का 100 प्रतिशत तक कर का भुगतान 15 मार्च तक करना होगा। यह व्यवस्था कंपनियों और व्यक्तियोकं दोनों ही प्रकार के करदाताओं के लिये सुनिश्चित है।

2016 के बजट के पहले कंपनियों, व्यक्तियों और परिवारों के लिये अग्रिम कर की किश्तों का प्रतिशत अलग–अलग होता था, इसके बाद दोनों को समान कर दिया गया है। चूंकि अग्रिम कर की किश्तों का प्रतिशत अलग–अलग होता था, इसके बाद दोनों को समान कर दिया गया है। चूंकि अग्रिम कर सभी स्त्रोतों से हुई कुल आय के हिसाब से किया जाता है, इसमें पूंजी–लाभ भी सम्मिलित होता है। पूंजी लाभ की गणना में जो समस्या आती है वह यह है कि पूंजी लाभ से, होने वााले लाभ या हानि को पहले से सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है, तो व्यवस्था यह कि गयी है कि

जिस किश्त के बाद लाभ होता है बाकी वाली किश्तों में उस पर बना कर जमा कर दिया जायच । यदि इस तरीके से पूंजी लाभ पर बने कर का भुगतान कर दिया जाता है तो उस पर कोई भी विलंब शुल्क नहीं लगेगा ।

18.2.1 करदाता द्वारा कर की गणना :–

आय कर अधिनियम की धारा 209 के अन्तर्गत देय अग्रिम कर की रकम की गणना दो प्रकार से की जाती है उनमें से एक है करदाता द्वारा कर की गणना करना । यदि करदाता की आय कृषि आय नहीं है तो करदाता द्वारा दये अग्रिम कर की गणना इस प्रकार की जायेगीः–

– करदाता की संभावित कुल आय ज्ञात की जायेगी।
– इस आयकर चालू वित्त वर्ष के लिये अग्रिम कर के लिये निर्धारित दरों से कर की गणना की जायेगी। इस राशि में अधिकार भी जोड़ा जाएगा। एवं निर्धारित अधिभार के योग पर 3 प्रतिशत की दर से शिक्षा उपकर एवं उच्च शिक्षा उपकर जोड़ा जायेगा।

अभी ऊपर हमने करदाता द्वारा आय कर की गणना का विस्तार से अध्ययन किया। अब हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर की गणना किस प्रकार की जा सकती है।

18.2.2 कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर की गणना :–

जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है कि ऐसी स्थिति तब ही बनती है जब करदाता द्वारा अग्रिम कर का भुगतान किया गया हो। यदि किसी करदाता पर नियमित कर निर्धारण पहले हुआ है और उसके द्वारा अग्रिम कर का भुगतान नहीं किया गया है तो कर निर्धारण अधिकारी के द्वारा उसे अग्रिम कर चुकाने का आदेश दिया जा सकेगा । ऐसा आदेश संबंधित गत वर्ष में 1 मार्च से पूर्व ही दिया जा सकता है।

सबसे आखिरी में हुये नियमित कर निर्धारण में निर्धारित कुल आय या यदि बाद के किसी वर्ष का करदाता ने आय का विवरण दाखिल कर दिया है,तो उनमें दिखायी गयी कुल आय, इनमें से जो भी अधिक हो उस पर कर की गणना करके अग्रिम कर चुकाने का आदेश कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिया जावेगा। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से इस प्रकार समझ सकते हैः– यदि एक व्यक्ति की कर निर्धारण वर्ष 2018–19 के लिये 6,50,000/– रूपये आय निर्धारण की गयी उसके कर निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिये, जो विवरण दाखिल किया उसमें कुल आय 7,00,000/– रूपये दर्शायी गयी है जिसका अभी कर–निर्धारण होना शेष है। कर निर्धारण अधिकारी 28.02.2020 तक 2019–20 की आय के आधार पर अग्रिम कर चुकान का आदेश दे सकता है। कर चुकान के आदेश के साथ कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किश्तों का उल्लेख भी किया जाना आवश्यक है। जैसे कि यदि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश दिये जाने के बाद, परन्तु 1 मार्च से पूर्व करदाता उसे गत वर्ष के बाद के गत वर्ष का अपनी आय का विवरण प्रस्तुत करता है अथवा उस गत वर्ष के बाद के गत वर्ष की कुल आय के आधार

पर कर निर्धारण अधिकारी ने आदेश दिया था तो कर निर्धारण अधिकारी अपना संशोधित आदेश दे सकता है। जिसमें अग्रिम कर की शेष किश्तों की राशि में संशोधन कर दिया जायेगा।

18.3 पूंजीगत लाभ एवं आकस्मिक आय पर अग्रिम कर का भुगतान

यहाँ इस शीर्षक में आकस्मिक आय से तात्पर्य है लॉटरी, वर्ग पहेली, घुड़दौड़, ताश का खेल, जुआ, शर्त आदि से होने वाली आय से है। कभी–कभी करदाता के लिये पूंजीगत लाभ अथवा आकस्मिक आय या व्यापार या पेशे से होने वाली पहली आय या लाभांश के अन्तर्गत आने वाली कर योग्य आय का सही सही आकलन करना दुरूह कार्य हो जाता है। अतः इन परिस्थितियों में यदि आय किसी देय किश्त की तिथि के पश्चात् होती है तो ऐसी आय पर देय कर शेष किश्तों में चुकाया जायेगा । यदि गत वर्ष में आय 15 मार्च के पश्चात् होती है। तो इसका भुगतान गत वर्ष में 31 मार्च तक किया जास कता है। धारा 234(सी) कहती है कि यदि उपर्युक्त आय पर प्रावधानों के अनुसार अग्रिम कर चुका दिया जाता है तो इस राशि पर ब्याज नहीं लगाया जायेगा।

18.4 अग्रिम कर की विभिन्न दरें

धारा 211 यह अभिनिर्धारित करती है कि प्रत्येक करदाता जो अग्रिम कर चुकान के दायित्वाधीन है, है, अपनी चालू आय पर अग्रिम कर 2016–17 से निम्न प्रकार चुकाया जायेगा :–

यदि किश्तों की देय तिथि 15 जून, अथवा उससे पूर्व है तो अग्रिम कर की राशि का 15 प्रतिशत, यदि 15 सितम्बर अथवा उससे पूर्व है तो अग्रिम कर की राशि का 45 प्रतिशत इसमें पहली किश्त में चुकायी गयी राशि 15 प्रतिशत घटाकर अर्थात 30 प्रतिशत यदि किश्तों की देय तिथि 15 दिसंबर अथवा उससे पूर्व है तो अग्रिम कर की राशि का 75 प्रतिशत इसमें पूर्व किश्तों में चुकायी गयी 15 प्रतिशत तथा 30 प्रतिशत घटाकर अर्थात 30 प्रतिशत, और यदि किश्त की देय तिथि 15 मार्च अथवा इससे पूर्व है तो अग्रिम कर की राशि का 100 प्रतिशत अर्थात पूर्व किश्तों में चुकायी गयी राशि 15 प्रतिशत, 30 प्रतिशत, 30 प्रतिशत घटाकर मात्र 25 प्रतिशत चुकाना होगा।

व्यवसाय से होने वाली आय पर अग्रिम कर संबंधित गत वर्ष की 15 मार्च तक चुकाना होगा। 31 मार्च तक चुकायी गयी अग्रिम कर राशि को भी इसी वित्तीय वर्ष में चुकाया गया अग्रिम कर की श्रेणी में रखा जाएगा।

अग्रिम भुगतान किये गये कर को नियमित कर निर्धारण पर देयकर की राशि का भुगतान माना जाता है।

18.4.1 वरिष्ठ नारिकों का अग्रिम कर की दरें

वरिष्ठ नारिकों हेतु कर– निर्धारण वर्ष 2019–20 से संबंधित गत वर्ष 2018–19 में अग्रिम कर की दरें निम्नानुसार होंगी ।

– भारत में निवास करने वाले ऐसे वरिष्ठ नगारिक जिनकी आयु गत वर्ष में 60 वर्ष या अधिक है परन्तु 80 वर्ष से कम हे, उनकी प्रथम 3 लाख रूपये पर शून्य, अगले 2 लाख रूपये पर 5 प्रतिशत, अगले 5 लजाख रूपये पर 20 प्रतिशत तथा शेष आय पर 30 प्रतिशत की दर से अग्रिम कर लगाया जायेगा।

– ऐसे अतिवरिष्ठ नागरिक जो भारत के निवासी हैं तथा जिनकी आयु गत वर्ष 80 वर्ष या उससे अधिक थी उन्हें अग्रिम कर, कर के रूप में निम्नानुसार भुगतान करना होगा। प्रथम पांच लाख रूपये पर कुछ भी नहीं, अगले पांच लाख रूपये पर 20 पतिशत तथा शेष आय पर 30 प्रतिशत ।

– इसी प्रकार अन्य व्यक्तियों एवं हिन्दू अविभाजित परिवार पर अग्रिम कर की दरें इस प्रकार होंगी–

प्रथम 2,50,000/– रूपये पर शून्य

अगले 2,50,000/– रूपये पर 5 प्रतिशत

अगले 5,00,000/– रूपये पर 20 प्रतिशत

शेष आय पर 30 प्रतिशत

अतः अभी हमने अग्रिम कर की दरों का विस्तृत अध्ययन किया । इस संदर्भ में एक नियम यह भी है कि यदि भारत में निवासी एक व्यक्ति की कुल आय 3,50,000/– रूपये से अधिक नहीं है, तो देय कर में से 2,500/– रूपये तक की कटौती मिलेगी।

इसी प्रकार यदि कुल आय पचास लाख रूपये से अधिक है, परन्तु एक करोड़ रूपये से अधिक नहीं है तो 10 प्रतिशत की दर से अधिभार लगेगा। यदि कुल आय 1 करोड़ रूपये से अधिक है तो 15 प्रतिशत की दर से अधिभार लगेगा। आयकर एवं अधिभार की राशि पर 4 प्रतिशत की दर से स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर जोड़ा जायेगा।

18.4.2 सहकारी समितियों हेतु अग्रिम कर की दरें :–

सही सहकारी समितियों हेतु अग्रिम कर की दरें को निम्न तालिका द्वारा सुस्पष्ट तरीके से समझा जा सकता है:–

– यदि कुछ आय 10,000/– रूपये में से अधिक न हो – कुल आय का 10 प्रतिशत

– यदि कुल आय 10000/– से अधिक हो, परन्तु 20000 रूपयसे अधिक न हो – 1000 रूपये तथा 10000 रूपये से अ धिक आय पर 20प्रतिशत

– यदि कुल आय 20000 रूपये से अधिक हो – 3000 रूपये तथा 20000 से अधिक आय पर 30 प्रतिशत ।

– यदि कुल आय 1 करोड़ रूपये से अधिक है – 12 प्रतिशत

– स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर – 4 प्रतिशत

उक्त तालिका से यह स्पष्ट हो गया कि प्रत्येक सहकारी समिति जिसकी आय 10 हजार से अधिक है तो कुल आय का 10 प्रतिशत, यदि कुल आय दल हजार रूपये से अधिक हो परन्तु 20000 से कम हो तो 1000 रूपये तथा अन्य पर 20 प्रतिशत, इसी प्रकार यदि कुल आय 20000 रूपये अधिक हो तो 3000/– रूपये अग्रिम कर के रूप में भुगतान करना होगा। यदि कुल आय एक करोड़ से अधिक है तो अधिभार 12 प्रतिशत एवं शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर के रूप में 4 प्रतिशत वसूला जायेगा ।

18.4.3 फर्म हेतु अग्रिम कर की दरें :–

यदि कुल आय एक करोड़ रूपये से अधिक है तो 12 प्रतिशत एवं आयकर का 30 प्रतिशत तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर 4 प्रतिशत का भुगतान अग्रिम कर के रूप में होगा।

18.4.4 स्थानीय सत्ता पर अग्रिम कर की दरें :–

यदि कोई स्थानीय सत्ता जो 30 प्रतिशत तक आयकर का भुगतान कर रही है और उसकी आय एक करोड़ रूपये से अधिक है तो 12 प्रतिशत एवं स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर के रूप में 4 प्रतिशत का अग्रिम कर का भुगतान करना होगा।

18.4.5 घरेलू कम्पनी पर अग्रिम कर भुगतान की दरेः–

यदि किसी घरेलू कम्पनी की गत कर निर्धारण वर्ष 2016–17 में कुल बिक्री या सम्पूर्ण प्राप्तियां 250 करोड़ रूपये से अधिक नहीं है तो 25 प्रतिशत तथा ऐसी कम्पनी जो धारा 115बीए. के अन्तर्गत कर का भुगतान करती है– 25 प्रतिशत, इसी प्रकार यदि किसी कम्पनी का कारोबार एक करोड़ से अधिक है परन्तु दस करोड़ से अधिक नहीं है तो 7 प्रतिशत की दर से अग्रिम कर तथा यदि कुल आय दस करोड़ रूपये से अधिक है तो 12 प्रतिशत की दर से अग्रिम कर का भुगतान करना होगा। सीमान्त राहत के तौर पर यह कहा जा सकता है कि जब कुल आय एक करोड़ रूपये से अधिक है परन्तु दस करोड़ रूपये से अधीक नहीं है तो कर की राशि अधिभार सहित एक करोड़ रूपये से अधिक आय की राशि पर इस आय से अधिक नहीं होगी। स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर 4 प्रतिशत की दर से ही लगाया जा सकेगा। इसे एक उदाहरण के माध्यम से भलीभांति समझा जा सकता है:–

श्री श्रीवास्तव जी को वित्तीय वर्ष 2018–19 में निम्न आय प्राप्त होने का अनुमान है–

मकान से प्राप्त होने वाली आय (कर योग्य)	–	75000/–
पेशे से प्राप्त होने वाली कर योग्य आय	–	707500/–
अन्य माध्यम से होने वाला लाभांश	–	10000/–
मकान से आय	–	75000
पेशे से आय	’	7,07,500
अन्य माध्यम से लाभांश की छूट		

प्राप्त		7,82,500
कटौती		कुछ नहीं
कुल आय	–	7,82,500/–

अतः वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिये अग्रिम कर इस प्रकार होगा –

7,82,500 पर देय कर

प्रथम 2,50,000 रूपये पर	–	कुछ नहीं
अगले 2,50,000 रूपये पर अधिभार 5 प्रतिशत	–	13500/–
अगले शेष 2,82,500 पर अधिभार 20 प्रतिशत	–	56500
	योग	69000
स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर 4 प्रतिशत		2760/–
		71760
उद्गम पर कर की कटोती		शून्य
अग्रिम कर योग्य राशि		71,760/–

प्रत्येक किश्त पर देय राशि –

15.06.2018 तक	71760 रूपये का 15 प्रतिशत	–	10764
15.09.2018 तक	71760 रूपये का 30 प्रतिशत	–	21528
15.12.2018 तक	71760 रूपये का 30 प्रतिशत	–	21528
15.03.2019 तक	71760 रूपये का 25 प्रतिशत	–	17940
			71760

18.5 ब्याज के भुगतान से संबंधित प्रावधान

अधिनियम की धारा 234(ए) में करदाता द्वारा देय ब्याज से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। उसके अनुसार एक करदाता को निम्न परिस्थितियों में ब्याज का भुगतान करना होता हैः–

किसी करदाता द्वारा निर्धारित तिथि के बाद आय का विवरण दाखिल करने पर स्वयं कर निर्धारण करके कर, ब्याज तथा फीस की राशि भी जमा करनी होती है। यदि करदाता की कुल आय 5 लाख से अधिक नहीं है तो फीस की राशि होगी । 1000 रूपये तथा किसी अन्य दशा में यह राशि 5000 रूपये तथा 10000 रूपये होगी। यदि विवरणी संबंधित कर, निर्धारण में 31. 12 या इससे पूर्व दाखिल कर दी जाती है तो फीस की राशि 5000/– होगी एवं यदि विवरणी 31.12 के पश्चात् दाखिल की जाती है तो फीस की राशि 10000 रूपये होगी। इसी प्रकार अग्रिम कर चुकान में चूक करने पर ब्याज इस प्रकार होगा – जब कोई करदाता अग्रिम कर चुकाने हेतु दायित्वाधीन है और वह अपने दायित्व की पूर्ति नहीं करता है अर्थात् वह अग्रिम कर का भुगतान नहीं करता है अथवा चुकाया गया अग्रिगम कर निर्धारित करके 90 प्रतिशत से कम है तब उस पर 1 प्रतित प्रतिमाह की दर से ब्याज लगेगा । यह ब्याज अगलजे वित्तीय वर्ष की 1 अप्रैल से संक्षिप्त कर निर्धारण अथवा नियमित कर निर्धारण होने की तिथि तक की अवधि के लिये लगेगा। अब प्रश्न यह उठता है कि यह ब्याज किस राशि पर लगाया

जायेगा। तो यहां यह स्पष्ट कर देना आवश्यक होगा कि यह ब्याज कर–निर्धारण पर निर्धारित कर की राशि में से अग्रिम चुकाये ये कर की राशि घटाकर शेष राशि पर अधिमान्य होगा या लगेगा।

एक अगली समस्या तब उत्पन्न होती है जब अग्रिम कर का भुगतान तो देय तिथ पर कर दिया गया है किन्तु यह भुगतान निर्धारित प्रतिशत से कम किया गया है। यदि करदाता अग्रिम कर भुगतान हेतु दायित्वाधीन है तो उस नियत तिथियों तक ही किश्तों में भुगतान करना होगा । यदि वह देय तिथियों तक तालिका में दिखायी गयी आय पर देय अग्रिम कर का निर्धारित प्रतिशत से कर चुकाता है तो उसे निम्नानुसार ब्याज चुकाना होगा :–

क्र.	देय तिथि तथा कश्ति	ब्याज की दर तथा अवधि	राशि जिस पर ब्यजा की गणना की जायेगी
1	वित वर्ष में 15 जून तक यदि 12 प्रतिशत से कम है	1 प्रतिशत मासिक दर से 3 माह का साधारण ब्याज	अग्रिम कर का 15 प्र्तिशत तथा जमा की गयी राशि का अन्तर
2	वित्त वर्ष में 15 सितंबर तक यदि 36 प्रतिशत से कम है	1 प्रतिशत मासिक दर से 3 माह का साधारण ब्याज	अग्रिम कर का 45 प्रतिशत तथा जमा की गयी राशि का अन्तर
3	वित्त वर्ष में 15 दिसंबर तक यदि 75 प्रतिशत से कम है	1 मासिक दर से 3 माह का साधारण ब्याज	अग्रिम कर का 75 प्रतिशत तथा जमा की गयी राशि का अंतर
4	वित्त वर्ष में 15 मार्च तक यदि 100 प्रतिशत से कम	1 प्रतिशत दर से एक माह का साधारण ब्याज	अग्रिम कर का 100 प्रतिशत तथा जमा की गयी राशि का अन्तर

परंतु इस उपरोक्त तालिका में दिये गये नियम का एक अपवाद यह है कि यदि पूंजी–लाभ या लॉटरी , क्रासवर्ड पहेले दौड़, घुड़दौड़, ताश का खेल, जुआ, शर्त आदि की आय का कम अनुमान लगाने या कोई अनुमान न लगाने के कारण यदि अग्रिम कर की राशि निर्धारित प्रतिशत से कम जमा की गयी है तो उस पर कोई ब्याज नहीं लगाया जायेगा। इसी प्रकार किसी व्यवसाय या पेशे से पहली बार उपार्जित आय हो या लाभांश जो कि कर योगय हो और अग्रिम कर निधारित प्रतिशत से कम जमा किया गया हो तो किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं लगाया जायेगा।

18.6 अग्रिम कर एवं स्त्रोत पर कर की कटौती में अंतर

यदि व्यक्ति सालाना 10 हजार रूपये से अधिक कर अदा करने वाला है तो उसे अपना आय कर स्वयं ही अग्रिम कर के रूप में जमा करना होता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति जिसे वेतन प्राप्त होता है अर्थात वेतन पर आश्रित है तो नियोजक स्वयं ही वेतन में से स्त्रोत पर कर की कटौती के माध्यम से कर काट लेता है। चूंकि कर की यह रकम व्यक्ति की आमदनी के स्त्रोत से सीधे काटी जाती है इसलिये इसे स्त्रोत पर कर की कटौती कहा जाता है । व्यक्ति के वेतन में से नियोजक द्वारा कर की कटौती का वर्णन फार्म 16 में वर्णित रहता है।

अग्रिम कर या स्त्रोत पर कर की कटौती के माध्यम से साल भर टुकड़ों में रकम सरकार के पास जमा होती रहती है वह इस प्रकार फायदेमंद रहती है–

(1) सरकार के पास वर्ष पूंजी (रकम) का प्रवाह बना रहता है। वित्तीय वर्ष की शुरूआत से लेकर अंत तक विभिन्न विभागों के प्रशासनिक कार्यों और योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये रकम की अनावश्यक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है।

(2) आयकर विभाग द्वारा समस्त हिसाब–किताब एक ही साथ करने के बताय, थोड़ा थोड़ा करके करना पड़ता है जो विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिये भी सुविधाजनक रहता है।

(3) करदाताओं को भी वित्तीय वर्ष के अंत में एक साथ कर की राशि जमा करने के तनाव में छूट मिल जाती है वह भी अपनी आमदनी के अनुसार सुविधाजनक ढंग से थोड़ा –थोड़ा अपना कर जमा कराता है।

18.7 सारांश

इस इकाई की व्याख्या करने के पश्चात् हम संक्षेप में यह कह सकते हैं कि अग्रिम कर चालू वर्ष की आय पर उसी वर्ष में चुकाया जाता है यदि देय कर कम से कम 10000 रूपये होता है। परन्तु भारत के निवासी वरिष्ठ नागरिक जिनका व्यापार या पेशे से कोई आय नहीं है तो उसे अग्रिम कर नहीं देना होगा। जैसा कि हम पहले ही अध्ययन कर चुके हैं कि अग्रिम कर की गणना करदाता द्वारा एवं कर–निर्धारण अधिकारी द्वारा दोनों में से किसी भी प्रकार से की जा सकती है। अग्रिम कर की पहली किश्त 15 जून, दूसरी किश्त 15 सितंबर, तीसरी किश्त 15 दिसंबर को तथा चौथी किश्त 15 मार्च को देय होगी। पहली किश्त में अग्रिम कर का 15 प्रतिशत, द्वितीय किश्त में अग्रिम कर का 45 प्रतिशत (इसमें पहली किश्त पर भुगतान की गयी राशि घटा दी जायेगी अर्थात 45–15 = 30 प्रतिशत) तीसरी किश्त पर अग्रिम कर का 75 प्रतिशत इसमें पूर्व किश्तों में चुकायी गयी राशि घटा दी जायेगी

तथा चौथी किश्त पर अग्रिम कर का 100 प्रतिशत (पूर्व किश्तों में चुकायी गयी राशि घटा दी जायेगी) देय होगा।

किसी भी करदाता द्वारा किश्त में भुगतान की गयी राशि यदि निर्धारित प्रतिशत से कम होती है तो कमी पर 1 प्रतिशत की दर से 3 माह का ब्याज लेगा। यदि पहली किश्त पर कम से कम 12 प्रतिशत का भुगतान कर दिया जाता है तथा दूसरी किश्त पर कम से कम 36 प्रतिशत का भुगतान हो जाता है तो किसी भी तरह का कोई ब्याज नहीं लगेगा।

18.8 शब्दावली

कृषि आयः ऐसी आय से है जो भारत में स्थापित किसी भूमि से राजस्व या किराये के रूप में प्राप्त होती है। किसी भी करदाता द्वारा अर्जित आय की आयकर अधिनियम की धारा 10(1) के अन्तर्गत छूट प्राप्त है।

अग्रिम कर अग्रिम कर से तात्पर्य है जैसी कमाओ, चुकाओ अर्थात (pay as you earn) इसे ऐसा इसलिये कहा जाता है क्योंकि करदाता जैसे–जैसे आय कमाता है वैसे वैसे उस पर कर देता जाता है। यह कर चालू वर्ष की आय पर उसी वर्ष में दया जाता है :–

सहकारी समिति यह उन व्यक्तियों का स्वैच्छिक संगठन होता है जो कि अधिकतर श्रमिक और छोटे उत्पादक होते हैं तथा अपनी घरेलू तथा व्यापारिक स्थिति में सुधार लाने के लिये लोकतांत्रिक तरीके पर संयुक्त प्रबंध के अर्न्तगत संगठित होते हैं व सभी मिलकर पूंजी इकट्ठी करते है।

फर्म व्यापारियों या व्यवसायों का वह समूह या दल या संस्था जो एक साथ मिलकर कोई व्यवसाय या व्यापार करता हो, फर्म कहलाती है। साधारण शब्दों में एक व्यावसायिक इकाई को फर्म कहा जाता है इसका स्वरूप एकल, साझेदारी या कपनी कुछ भी हो सकता है। इस इकाई में फर्म से तात्पर्य कोई व्यापारिक बड़ी संस्था से भी है।

अधिभार Surcharge या अधिभार का प्रयेाग किया गया है। कर भुगतान के संदर्भ में यदि किसी व्यक्ति की वार्षिक आय पचास लाख रूपये से अधिक है तो उसकी कमाई पर लगने वाले आयकर के अलावा भी कुछ रकम उसे कर के साथ चुकानी होती है, यह रकम उसके कर के दस प्रतिशत के बराबर होती है। यदि व्यक्ति की आय एक करोड़ रूपये वार्षिक से अधिक है तो उसे आयकर का 15 प्रतिशत अतिरिक्त देना पड़ता है। और इस

अतिरिक्त देय भुगतान को ही आयकर की भाषा में अधिभार या सरचार्ज कहा जाता है।

शिक्षा या स्वास्थ्य उपकरः– सेस या उपकर, एक कर है, और आम तौर पर विशिष्ट उद्देश्यों के लिये लगाया जाता है। एक बार इसका उद्देश्य हल हो जाता है तो इसे हटा दिया जाता है। उपकर से मिलने वाली राशि को भारत सरकार अन्य राज्य सरकारों के साथ सांझा नहीं करती है और इससे प्राप्त समस्त कर राशि अपने पास रख लेती है।

निर्धारित कर निर्धारित कर से आशय संक्षिप्त कर–निर्धारण अथवा नियमित कर निर्धारण पर कुल आय पर देय कर में से उद्गम स्थान पर कटे हुये कर की राशि एवं उद्गम स्थान पर एकत्रित किये गये कर की राशि घटाकर शेष राशि है।

18.9 बोध प्रश्न

1. वस्तुनिष्ठ प्रश्नः–

निम्न में से एक सही विकल्प चुनिए :–

(1) राजीव को 20 मार्च को दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ हुआ उसे इस राशि पर अग्रिम कर चुकाना होगाः–
    (क) 15 सितंबर तक (ख) 15 दिसंबर तक
    (ग) 15 मार्च तक (घ) 31 मार्च तक

(2) अग्रिम कर की दूसरी किश्त की देय तिथि हैः–
    (क) 15 सितंबर (ख) 15 दिसंबर
    (ग) 15 मार्च (घ) 15 जून

(3) अग्रिम कर दायित्व उत्पन्न होता है जब देय कर की राशि हैः–
    (क) 5000 रू (ख) 10000 रूपये या अधिक
    (ग) 15000 रू. या अधिक (घ) 20000 रूपये या अधिक

(4) अग्रिम कर भुगतान स्थगित करने पर किस धारा के अन्तर्गत ब्याज लगेगाः–
    (क) धारा 234ए (ख) धारा 234 बी
    (ग) धारा 234 सी (घ) धारा 234 डी

(5) वित्तीय वर्ष 2018–19 में व्यक्ति करदाता को अग्रिम कर .... किश्तों में जमा कराना पड़ता है–
    (क) 2(ख) 4 (ग) 3 (घ) एकमुश्त

2. बताइए की नीचे दिये गये कथन सही है या गलत :–

(1) उद्गम स्थान पर कर की कटौती घटाने के बाद यदि देय कर की राशि 10000 रूपये या अधिक है तो अग्रिम कर चुकाना होता है ।

(2) कम्पनी की दशा में अग्रिम कर की दूसरी किश्त की देय तिथि 15 दिसंबर है।

18.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

1.
उत्तर :– (1) (घ), (2) (क), (3) (ख), (4) (ग), (5) (ख)

2.
उत्तर (1) – सही, (2) गलत

18.11 स्वपरख प्रश्न

(1) आय कर का अग्रिम भुगातन पर टिप्पणी लिखिए ।

(2) ''जैसे कमाओ वैसे कर चुकाओ' योजना से क्या तात्पर्य है ? इस संबंध में आयकर अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों की व्याख्या कीजिए ।

(3) संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए –
(क) अग्रिम कर चुकाने हेतु दायित्व
(ख) अग्रिम कर की गणना

(4) अग्रिम कर भुगतान की विभिन्न देय तिथियों की विस्तृत व्याख्या कीजिए । उक्त तिथियों पर देय राशि की भी व्याख्या कीजिए।

(5) अग्रिम कर देने का दायित्व कब उत्पन्न होता है? ऐसा कर का भुगतान कब किया जाता है, इसकी संगणना कैसे की जाती है तथा यह कैसे चुकाया जाता है, स्पष्ट कीजिए ।

(6) अग्रिम कर के किश्त में भुगतान की कमी पर लगने वाले ब्याज से संबंधित प्रावधानों की व्याख्यसा कीजिए।

(7) पूंजीगत लाभ एवं आकस्मिक आय से क्या तात्पर्य है ?

(8) मिस ईना श्रीवास्तव की वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिये चालू आय का अनुमान निम्नांकित है:–
(1) व्यवसाय में कर योग्य आय– 11,05,000 रू.
(2) अन्य साधनों से आय – 65,000 रू.
उसने अपने जीवन पर एक जीवन बीमा पॉलिसी ले रखी है जिसका वार्षिक प्रीमियत 76,000 रूपये है। यह धारा 80डी के अन्तर्गत 4000 रूपये कटौती की पात्र है।
अग्रिम कर की गणना कीजिए एवं विभिन्न देय तिथियों पर जमा की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए, यदि मिस ईना श्रीवास्तव की एक आय में उद्गम स्थान पर कर 3080 रूपये काटा गया है।

(9) श्री रवि को वित्तीय वर्ष 2017–18 में 60,000 रूपये अग्रिम कर के रूप में जमा कराने थे। उसने निम्न राशि जमा कराई:–

15.06.2017	–	9000 रूपये
15.09.2017	–	19000 रूपये
15.12.2017	–	12000 रूपये
15.03.2018	–	20000 रूपये

क्या श्री रवि को धारा 234(सी) के अन्तर्गत कोई ब्याज देना होगा। यदि हाँ तो ब्याज की राशि बताइये।

18.12 सन्दर्भ पुस्तकें

1. Singhania : Direct Taxes, Taxman, New Delhi. (2019).
2. मेहरोत्रा एच0सी0 एवं जोशी सीवएस0 : आय कर– कर निर्धारण वर्ष 2019–20, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा (2019) ।